MAED-17

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

अध्यापक शिक्षा

(Teacher Education)

MAED-17

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
Vardhman Mahaveer Open University, Kota

अध्यापक शिक्षा
Teacher Education

पाठ्यक्रम अभिकल्प समिति

अध्यक्ष

प्रो. (डॉ.) नरेश दाधीच
कुलपति
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान)

संयोजक एवं समन्वयक

संयोजक

डॉ. दामीना चौधरी
सहआचार्य, शिक्षा
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान)

सदस्य

- **प्रो. सोहन वीर सिंह चौधरी**
  इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
  नई दिल्ली
- **प्रो. एस.पी. मल्होत्रा**
  कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र
- **प्रो. डी.आर. गोयल**
  एम.एस. विश्वविद्यालय,बड़ौदा, गुजरात
- **प्रो. मंजूलिका श्रीवास्तव**
  दूरस्थ शिक्षा परिषद
  इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली
- **डॉ. अनिल शुक्ला**
  लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.)

संपादन एवं पाठ्यक्रम लेखन

संपादक

प्रो. एम.सी. शर्मा
प्रोफेसर, शिक्षा
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

पाठ लेखक

- **डॉ. अजीत सिंह**
  एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली
- **डॉ. आर.एस. शुक्ल**
  सेवानिवृत्त प्राचार्य
  विद्याभावन (IASE) , उदयपुर
- **डॉ. जे.पी. शर्मा**
  डाइट, मोइली बाग, नई दिल्ली
- **डॉ. दीपिका शाह**
  साउथ गुजरात वि. वि. सूरत
- **डॉ. सोहनवीर चौधरी**
  इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
- **डॉ. एम.ए. सिद्दीकी**
  जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली
- **डॉ. जे.सी. गोयल**
  एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली
- **डॉ. वी.पी. गर्ग**
  एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली
- **डॉ. पी.सी. वर्मा**
  मेरठ महाविद्यालय, मेरठ
- **डॉ. कमलेश झा**
  विद्याभावन (IASE) , उदयपुर
- **डॉ. अनिल शुक्ला**
  लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
- **डॉ. सतीश रस्तोगी**
  यशवंत राव चाहवाण महाराष्ट्र खुला वि.वि. नासिक
- **डॉ. निर्मल सब्बरवाल**
  एन.सी.ई.आर.टी.,
  नई दिल्ली
- **डॉ. हेमलता तलेसरा (CASE)**
  विद्या भवन, उदयपुर
- **डॉ. वी.के. रैना**
  एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली

अकादमिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था

प्रो.(डॉ.) नरेश दाधीच	**प्रो. (डॉ.) अनाम जेटली**	**प्रो. (डॉ.) पी.के. शर्मा**
कुलपति	निदेशक	प्रभारी अधिकारी
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	**संकाय विभाग**	**पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण विभाग**

पाठ्यक्रम उत्पादन

योगेन्द्र गोयल
सहायक उत्पादन अधिकारी,
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

उत्पादन :मई, 2009 ISBN-13/978-81-8496-024-2

इस सामग्री के किसी भी अंश को व. म. खु. वि., कोटा की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप मे 'मिमियोग्राफी' (चक्रमुद्रण) द्वारा या अन्यत्र पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

व. म. खु. वि., कोटा के लिये कुलसचिव व. म. खु. वि., कोटा (राज.) द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित।

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

अध्यापक शिक्षा

अनुक्रमणिका

इकाई सं.	इकाई का नाम	पृष्ठ संख्या
1.	शिक्षक शिक्षा का अर्थ, प्रकृति एवं संकल्पना	6
2.	अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताएँ, शैक्षिक प्रणाली और अध्यापक शिक्षा	17
3.	ब्रिटिशकाल एवं स्वतंत्रोत्तर भारत काल में शिक्षक-शिक्षा का विकास	26
4.	शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य एवं राष्ट्रीय नीतियाँ	47
5.	शिक्षक शिक्षा की संरचना-स्तर एवं प्रकार	70
6.	अध्यापक प्रशिक्षण की प्रमुख विशेषतायें - सार्थकता, लचीलापन, एकीकरण और अंतर्विषयता	81
7.	प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के लिए अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम की प्रकृति व संकल्पना	93
8.	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की पाठ्यचर्या की संरचना	127
9.	शिक्षक शिक्षा के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अभिकरण	148
10.	शिक्षक शिक्षा के राज्य स्तरीय अभिकरण	165
11.	व्यावसायिक संगठन तथा उनके उद्देश्य	176
12.	शिक्षक प्रशिक्षक की व्यावसायिक सामाजिक एवं आर्थिक प्रतिष्ठा	188
13.	शिक्षक और शिक्षक प्रशिक्षकों की अनवरन् शिक्षा : संकल्पना, पद्धति, महत्व, तकनीकिया एवं मूल्यांकन	221
14.	शिक्षक शिक्षा के मापदण्ड, प्रवेश नीतीयां व चयन प्रक्रिया	238
15.	शिक्षक प्रशिक्षकों का व्यावसायिक विकास : सेवा पूर्व तथा सेवकालीन कार्यक्रम	269
16.	शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशासनिक मुद्दे	283
17.	शिक्षक शिक्षा : प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर नियोजन वित्तीय प्रबन्धन तथा नियंत्रण	295
18.	केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्वैच्छिक संगठनों की शिक्षा नियोजन(परियोजना) एवं वित्तीय प्रबन्धन व्यवस्था मे भूमिका	301
19.	शिक्षक शिक्षा मे शोध की प्रकृति, प्रासंगिकता, क्षेत्र, समस्याएं एवं प्रवृत्तियाँ	329
20.	उच्च माध्यमिक तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षक शिक्षा मे नवाचारित अभ्यास एवं विदेशों में नवाचार	374

इकाई 1

शिक्षक शिक्षा का अर्थ, प्रकृति एवं संकल्पन (Meanin Nature and Concept of Teacher Education and Objectives)

इकाई की रूपरेखा

1.0 लक्ष्य एवं उद्देश्य

1.1 प्रस्तावना

1.2 शिक्षक शिक्षा का अर्थ

1.3 शिक्षक शिक्षा का सामाजिक परिपेक्ष्य

1.4 शिक्षक शिक्षा की प्रकृति एवं, संकल्पना

1.5 शिक्षक शिक्षा के सैद्धान्तिक तत्व

1.6 शिक्षक में अभ्यास अथवा इन्टरर्नशिप

1.7 प्रवीणता आधारित शिक्षा का कार्यक्रम

1.8 शिक्षक शिक्षा का क्षेत्र

1.9 सेवा पूर्व एवं सेवारत शिक्षा के कार्यक्रमों के मध्य तारतम्यता व निरन्तरता

1.10 सारांश

1.11 मूल्यांकन प्रश्न

1.12 संदर्भ ग्रंथ

1.0 लक्ष्य एवं उद्देश्य (Aims and Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप -

- शिक्षक शिक्षा का अर्थ तथा उसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य को समझ सकेंगे। शिक्षक शिक्षा की प्रकृति एवं संकल्पना को उसके सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक लक्षणों सहित समझ सकेंगे।
- प्रवीनता आधारित शिक्षक कार्यक्रम तथा उसके महत्व को जान सकेंगे।
- शिक्षक शिक्षा के महत्व से सेवापूर्ण एवं सेवारत शिक्षा के कार्यक्रमों के संदर्भ में अवगत हो सकेंगे।
- राष्ट्रीय शिक्षण शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारण शिक्षक शिक्षा के उद्देश्यों को बता सकेंगे।

1.1 प्रस्तावना (Introduction)

शिक्षक के गुरूतर महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय शिक्षा आयोग(1964) ने अपने प्रतिवेदन में इस संदर्भ में बड़ी सटीक युक्ति दी थी कि "भारत के भविष्य का निर्माण कक्षाओं में होता है।" शिक्षा के इस उद्देश्य को मूर्तरूप देने के लिए एक शिक्षक के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह अपने आप को उन नवीन भूमिकाओं के लिए भी तैयार करें

जिसके लिए उन परम्परागत शिक्षा के कार्यक्रम उचित ढंग से तैयार नहीं करते हैं, क्योंकि किसी भी शैक्षिक की सफलता व्यवस्था मूलत: उसके शिक्षकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। चाहे शिक्षा के उद्देश्य कितने ही उज्जवल हों, चाहे उसके साधन कितने भी अधुनातन हों, चाहे प्रशासन कितना भी सर्तक हो, लेकिन बिना प्रभावी शिक्षकों के शैक्षिक कार्यक्रम की सफलता संदिग्ध ही रहती है। शिक्षकों की यह प्रभावशीलता शिक्षक शिक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रमों की गुणवत्ता पर काफी सीमा तक निर्भर करती है।

शिक्षण एक चुनौती पूर्ण (Challenging) व्यवसाय है, क्योंकि शिक्षकों के कन्धों पर राष्ट्रीय निर्माण का गुरूतर दायित्व होता है, अत: उनके लिए एक विशिष्ट प्रकार की तैयारी आवश्यक है ताकि वे इस दायित्व को सफलता पूर्वक वहन कर सके। आधुनातन समाज में जीवन शैली अत्यधिक दुरूह हो गई है, अत: अब शिक्षक और शिक्षा शास्त्रियों के दायित्व और भी कठिन हो गये हैं। इनकी समस्याओं की और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यह शिक्षाशात्री अपने द्वारा प्रशिक्षित शिक्षकों, और इन शिक्षकों द्वारा पढ़ाए छात्रों के माध्यम से राष्ट्र पर अत्यधिक प्रभाव डालने में सक्षम होते हैं। अत: शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र के लिये, अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षा के सम्पूर्ण तंत्र में व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यक है कि शिक्षाशास्त्रों और शिक्षक को उन समस्याओं को हल करने योग्य बनाए, जो राष्ट्र के समक्ष चुनौती के रूप में खड़ी हैं।

1.2 शिक्षक शिक्षा का अर्थ (Meaning of Teacher Education)

शिक्षक शिक्षा के अर्थ को 'शिक्षक की एक विशिष्ट समुदाय के प्ररिप्रेक्ष्य में उसकी भूमिका' के संदर्भ में अधिक अच्छी तरह से समझा जा सकता है। इस संदर्भ में शिक्षक की भूमिका निर्वहन (विश्लेषण) प्रविधि (Role Analysis Technique) का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यही प्रविधि उन सामान्य मूल्यों तथा सामाजिक आर्थिक कारकों को विश्लेषित करती है, जिनके संदर्भ में शिक्षण को एक क्रिया के रूप में शिक्षक द्वारा निर्वहित किया जाता है, तथा उसे अपनी भूमिका के संदर्भ में एक निश्चित संकल्पना को विकसित करना होता है चूंकि आवश्यकता की (Role of necessity) भूमिका एक सामाजिक फेनामेना (Phenomenon)है, अत: इसका नियंत्रण एक विशिष्ट समय में उस समुदाय के सामान्य दर्शन से(General Philosophy of Community) से होता है जो कि विशिष्ट प्रकार के जीवन स्तरों, संस्कृतियों, मूल्यों का परिणाम होता है, और जो समाज में व्यक्ति के जीवन का ढर्रा (Style of life) तय करते हैं। चूंकि शिक्षक के ऊपर बालक के सम्पूर्ण विकास का दायित्व होता है अत: उसका दायित्व कि वह बालक को एक, सभ्य नागरिक के रूप में विकसित करें, अत: आवश्यकता है कि पहले शिक्षक स्वयं के द्वारा स्वयं को उपर्युक्त मूल्यों तथा कौशल से समावेशित करें कि वह बालकों में प्रजातंत्र, धर्म निरपेक्षता तथा समाजवादी मूल्यों का विकास करें, अत: आवश्यक है कि पहले शिक्षक स्वंय के अनुभव द्वारा स्वयं को उपयुक्त मूल्यों तथा कौशल से समावेशित करे। इसके अलावा इस नये विकसित होते हुए समाज में समाज के संदर्भ में शिक्षक को एक भविष्य दृष्टि रखनी होगी ताकि वह तत्कालीन समुदाय के साथ घनिष्ठता के साथ काम कर सके। इसलिए केवल वही संतोषजनक नहीं है कि छात्राध्याप को केवल विद्यालय के छात्रों की विभिन्न समस्याओं / आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया जाए बल्कि शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रमों के विभिन्न कम्पोनेंट के

व्यावहारिक पक्षों पर विशेष जोर दिया जाना चाहिये, ताकि शिक्षक शिक्षा के समुदाय तथा राष्ट्रीय विकास के मार्गो के अनुरूप बनाया जा सके। दूसरे शब्दों में, एक भविष्य के शिक्षक को व्यावसायिक कौशलों के सीखने के साथ-साथ उन ज्ञान, कौशल तथा अभिवृत्तियों का अपने में विकास करना अधिक आवश्यक है जो उसे शिक्षा के द्वारा अपेक्षित सामाजिक परिवर्तन बनाने में उसकी भूमिका को अधिक प्रभावशाली बनाते है।

1.3 शिक्षक शिक्षा का सामाजिक परिप्रेक्ष्य Social Perspective at Teacher Education

सामाजिक उपागम की दृष्टि से शिक्षक शिक्षा के मुख्य निम्न चार रूप (Facets) दिखाई पड़ते हैं

(अ) शिक्षक शिक्षा व्यवहार में कुछ निश्चित गुणों का विकास चाहती है, क्योंकि शिक्षक शिक्षा व्यावसायिक ज्ञान का समावेश करने वाला क्षेत्र होता है अत: उससे कुछ निश्चित कार्य करने की उम्मीद की जाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिक्षक शिक्षा में जो सांस्कृतिक मूल्य व्याप्त है, उन्हें शिक्षक की अपेक्षित भूमिका शिक्षण के प्रत्यक्षीकरण के (Perception of Teaching)रूप में लिया जा सकता है।

(ब) यह प्रक्रिया जिसके माध्यम से यह अपेक्षित भूमिका का संदेश छात्राध्यापकों (Student - Teacher) को दिया जाता है तथा उन अध्यापकों की अभिवृत्तियों एवं व्यवहारों में उक्त संदर्भ में विभिन्न अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता है चाहे वह सेवा के प्रारम्भ में हो या सेवारत रहते हुए उसे शिक्षक की सामाजीकरण (Socialization of Teacher) की प्रक्रिया या छात्राध्यापक का शिक्षक के रूप में विकास के संदर्भ में देखा जा सकता है।

(स) शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम तथा विभिन्न विधियाँ वह प्रभावी साधन है जिनके माध्यम से व्यावसायिक मूल्यों का इस क्षेत्र में विकास किया जा सकता है।

(द) अभ्यर्थियों का चुनाव, अवसरों की उपलब्धता तथा समाज द्वारा इसे प्रभावित करने के तरीकों (The Way in which larger society intervenes) को शिक्षक शिक्षा के संगठन (Organization) के रूप में देखा जा सकता है।

अत: संक्षेप में शिक्षक शिक्षा तथा इसके कार्यक्रमों के स्वरूप के निर्धारण में तत्कालीन समाज तथा उस समाज के लोगों के अपेक्षाओं (Aspiration) की मुख्य भूमिका होती है।

1.4 शिक्षक शिक्षा की प्रकृति एवं संकल्पना (Nature & Concept at Teacher Education)

समय के साथ-साथ की भूमिका तथा कार्यो में परिवर्तन होते रहते हैं। इनमें से कुछ परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं, जैसे शिक्षक की शैली या कक्षा में विद्यार्थियों के साथ शिक्षक के सम्बन्ध परन्तु कुछ परिवर्तन अप्रत्यक्ष होते हुए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे शिक्षक के अपने सहयोगियों के साथ आंतरिक संबंध या विद्यालय के बाहर बाह्य समुदाय के सदस्यों के साथ उसके संबंध, शिक्षकों का पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन आदि में बढ़ती

सहभागिता आदि। एक शिक्षक को अब शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने का मुख्य वास्तुकार (Architect) माना जाता है जो कि उन शैक्षिक प्रावधानों की संरचनाओं का निर्माता है जो कि पहले से अधिक नमनीय, खुली और आसानी से उपलब्ध होने वाली है। वास्तव में अब शिक्षक की नई भूमिका कुछ नया निर्माण (Innovator) करने वाले की है माध्यमिक स्तर पर नये परिवर्तन लाने के संदर्भ में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की मुख्य भूमिका को अब कोई नकार नहीं सकता है।

उपर्युक्त चुनौतियों का सामना करने के लिए शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रम में सामान्य शिक्षा (General Education) विशिष्ट विषयों में प्रवीणता (Specific Subject Mastery), विषयों का मनोवैज्ञानिक ढंग से गठन तथा अनुदेशन की विधियों एवं तकनीकों पर अधिकार आदि का समन्वय होना चाहिए। किन्तु उपर्युक्त वर्णित तत्व न केवल तेजी से बदल रहे है, बल्कि ये समस्त तत्व मिलकर इतना बड़ा अधिगम बोझ (Learning Load) बन जाते हैं, जिसे विश्वविद्यालय के तीन वर्ष के पाठ्यक्रम के साथ पूरा करना संभव नहीं होता है। यही कारण है कि प्राथमिक शिक्षक शिक्षा को अग्रिम शिक्षा के साथ सम्बंध जोड़कर देखना चाहिये। मोटे शब्दों में शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रम में गहन सैद्धान्तिक पक्ष के साथ साथ उचित व्यावसायिक पहलू भी शामिल होना चाहिए।

1.5 शिक्षक शिक्षा के सैद्धान्तिक तत्व(Theoretical Components Of Teacher Education)-

किसी भी शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रम मुख्यत: चार प्रश्नों से संबंध होता है। (1) शिक्षा के उद्देश्य क्या है? (2) यह उद्देश्य एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संदर्भ में किस प्रकार भिन्न होते हैं। (3) यह उद्देश्य किस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं। (4) तथा किस प्रकार जाना जाए कि यह उद्देश्य प्राप्त हो गये हैं? शिक्षक शिक्षा के विभिन्न अंगों को उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए, और इसके लिए शिक्षक शिक्षा को समन्वित, अन्तर्विषयक पाठ्यक्रम विकसित करना चाहिये, जो कि जीवन के अनुभवों से संबंधित हो।

इस बात विशेष जोर दिया जाना चाहिए कि जो भविष्य के शिक्षक (Prospective Teacher) है, वह इस योग्य हो, कि वह अपने विद्यार्थियों को दैनिक जीवन के अनुभवों के स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए प्रेरित कर सके। लेकिन यह तभी संभव है जब इन शिक्षकों को प्रशिक्षण के समय ऐसी स्वतंत्रता मिली हो। सुदृढ़ अधिगम तभी संभव है जब शिक्षार्थी उद्देश्य पूर्ण समस्याओं को हल करता है, और इसके लिए उचित पाठ्यक्रम का होना आवश्यक है। यदि पाठ्यक्रम ही सीखने का उद्देश्य बन जाता है तो वह बच्चे के व्यवहार को अधिक प्रभावित नहीं कर पाता है।

शिक्षक शिक्षा से संबंधित क्रिया किलापों को सामान्य (General Education), पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक स्तर के विद्यालयी शिक्षकों के लिए विशिष्ट विषय प्रवीणता शिक्षा (Specific Subject Mastery) तथा मनोविज्ञान के सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक पक्ष को शिक्षा के अंतर्गत रखा जा सकता है। इसके अलावा, शिक्षक शिक्षा को राष्ट्रीय विकास में आने वाली समस्याओं से जोड़ने के लिये, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में

सामुदायिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा पाठ्यक्रम में सुधार के लिए नई विधियाँ आदि के साथ संबंधित किया जा सके। इन क्षेत्रों के आवश्यक सैद्धान्तिक पक्ष का ज्ञान विकसित करने के साथ आपेक्षित व्यावहारिक पक्ष का ज्ञान विकसित करना भी शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रम का अंग होना चाहिए।

1.6 शिक्षण में अभ्यास अथवा इन्टर्नशिप (Practice of Internship in Teaching)

प्रदर्शन विद्यालयों (Demonstration Schools) की प्रशिणार्थियों के विकास में बडी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहां अभ्यास के लिए जो उनको विद्यालयी पाठयक्रम से परिचित कराने से लेकर अधुनातन अनुदेशन की तकनीकों तक के संबंध में अभ्यास करने तक से संबंधित होती है। प्रशिणार्थियों को महीनों अभ्यास विद्यालयों के संसर्ग में रहना होता है।

अभ्यास की अमुक विधि अधिक श्रेष्ठ है इसके लिये कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इस संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि शैक्षिक सिद्धान्त (Educational Theory) क्षेत्र निरीक्षण तथा शिक्षण अभ्यास के अनुभवों से बनते है जबकि दूसरी निरीक्षण (Observation) और शिक्षण अभ्यासों का विश्लेषण सिद्धान्तों के (Theory) संदर्भ में होता है, अत: यह दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। अत: यह सामान्यत: स्वीकार किया जाता है कि अभ्यास हेतु सूक्ष्म शिक्षण एक प्रभावशाली प्रशिक्षण तकनीक है। इसका विकास प्रयोग मुख्यत: निम्न तीन अवस्थाओं पर किया जाना चाहिए -

(अ) अनुदेशन प्रशिक्षण (Analytical Instructional Training) - छोटे ग्रुपों का निर्माण विशिष्ट कौशलों का अभ्यास, शिक्षण व्यवहार का आलोचनात्मक निरीक्षण आदि।

(ब) शिक्षण सत्रों का स्वमूल्यांकन (Self Evaluation of Teaching Session)

(स) समस्या समाधान हेतु कृत्रिम परिस्थितियाँ तैयार करना तथा कक्षा में सहकारिता आधारित कार्य करवाना

इन्टर्नशिप में बहुधा यह ध्यान नहीं दिया जाता है कि इसकी शुरुआत किस स्तर के विद्यालय में की जाये। इसका पूर्व में निर्धारण करना काफी महत्वपूर्ण होता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अपने स्तर की कक्षा से हटकर दूसरे स्तरों की कक्षा का कुछ दिन का शिक्षण अभ्यास तथा दूसरे अध्यापकों की कक्षा का निरीक्षण प्रशिक्षार्थियों को शिक्षण की भूमिका तथा पाठ्यक्रम के संबंध में अधिक जानकारी देने में सहायता पहुँचाता है।

1.7 प्रवीणता आधारित शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (Competency Based Teacher Education Program- C.B.T.E.)

जैसा कि शिक्षा आयोग द्वारा भी कहा गया है कि आज शिक्षा मुख्यत: पेडागाजी (Pedagogy) द्वारा जानी जाती है, और अब शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान विषय के बजाय व्यवहारात्मक पक्ष पर अधिक जोर दे रहे है, फिर भी तेजी से होते हुए परिवर्तनों को देखते हुए इस प्रशिक्षणात्मक पक्ष में काफी परिवर्तन की आवश्यकता है, इसलिए शिक्षक शिक्षा में (C.B.T.E.) कार्यक्रम की शुरूआत हुई।

सी. बी. टी. ई. कार्यक्रम में छात्राध्यापक से क्षेत्र विशिष्ट में एक निश्चित सीमा तक प्रवीणता अपेक्षित होती है, और वह आधार प्रस्तुत किए जाते है जिसके द्वारा इस प्रवीणता का

मूल्यांकन किया जा सके। यहाँ पर प्रवीनता (Competency) शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थो में किया गया है, जिसमें ज्ञान अभिवृति, कौशल के साथ साथ वह व्यवहार भी सम्मिलित है जो बालक का बौद्धिक, सामाजिक, सांवेगिक तथा शारीरिक विकास करता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्रवीणता का मूल्यांकन किसी मौखिक या लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर नहीं किया जा सकता है, अपितु इसमें यह परखा जाता है कि विद्यार्थी वह कार्य कहां तक कर पाया (Ability to do the job) जिसकी तैयारी का वह अभ्यास कर रहा था।

इस उपागम के कुछ लाभ है जैसे कार्यात्मक अभिगम (Functional Learning) उद्देश्यों की स्पष्टता, माडुयूलर इन्डीविजुअलाइज्ड अनुदेशन में सरलता (Easiness of Modular Individualized Instruction) तथा मूल्यांकन में अधिक वस्तु परकता (Objectiveness)। इस व्यवस्था की मुख्य कमियाँ है कि वह यांत्रिक है तथा इसकी कन्टेन्ट व कन्सट्रक्ट विश्वसनीयता (Content Construct Validity) निकालना कठिन है आदि। इसके अलावा सबसे अधिक भय इस बात का है कि तेजी से बदलते हुए इस सांस्कृतिक वातावरण ने, इस उपागम के कारण शिक्षण ने वह नमनीयता तथा हस्तान्तरणीयता नहीं आ पाएगी, जो नई शैक्षिक परिस्थिति के लिये चाहिये।

इसके पक्ष - विपक्ष के तर्कों का कोई अन्त नहीं है क्योंकि "प्रवीणता" में नमनीयता, सृजनात्मक, अलोचनात्मकता और कठिनाइयों से सफलतापूर्वक मिलने की योग्यता शमिल है। फिर भी यह सोचना कठिन है कि "नमनीयता" केवल अधिगम की कुछ इकाइयों द्वारा ही विकसित की जा सकती है, अपितु इसका फैलाव समस्त इकाइयों में होनी चाहिए क्योंकि इसमें सृजनात्मक तथा आलोचनात्मक का भी पुट होता है।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

निम्न प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दें-

1 शिक्षण शिक्षा से आप क्या समझते हैं?

2 शिक्षक प्रशिक्षक में ''इन्टर्नशिप'' का महत्व स्पष्ट करें।

3 सामाजीकरण की प्रक्रिया शिक्षक को किस प्रकार प्रभावित करती है।

4 शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य बताइये।

1.8 शिक्षक शिक्षा का क्षेत्र (Scope of Teacher Education)

नई शिक्षा नीति 1986 में शिक्षक शिक्षा को एक अनवरत प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करने के साथ साथ सेवा पूर्व तथा सेवारत प्रशिक्षण को एक दूसरे का अभिन्न (Inseperabel) अंग माना गया है। इसलिए क्षेत्र के संदर्भ में यहां सेवापूर्ण तथा सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण विशेषताओं का अध्ययन करना उचित होगा।

1.8.1 सेवा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम (Pre service training Programme)

सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि वह सीखने वालों में आवश्यक शैक्षणिक प्रवीनता कौशल तथा अभिवृत्ति विकसित कर उन्हें उस प्रकार तैयार करें जिससे वह देश की शैक्षिक व्यवस्था में प्रभावशाली ढंग से अपनी भागीदारी निभा सके। यही सेवा पूर्व

प्रशिक्षण कार्यक्रम भावी शिक्षकों को उन समस्याओं के प्रति सचेत कर उसके निवारण हेतु कुछ तकनिकी सुझाता है जो उसे भविष्य में शिक्षण के क्षेत्र में सामना करना पड़ सकता है, तो इसका अर्थ है कि यह कार्यक्रम सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।

सेवा पूर्व प्रशिक्षण द्वारा नये शिक्षक को वह आधारभूत ज्ञान तथा कौशल अवश्य दिया जाना चाहिए, जिससे वह अपना शिक्षण कार्य बिना किसी कठिनाई के प्रारम्म कर सके। भावी शिक्षक को पढ़ाने के लिए विषय वस्तु पर अधिकार होना चाहिए, उसे अपने छात्रों को समझने की कला आनी चाहिए तथा उसमें उन तकनिकों की भी समझ होनी चाहिये जिससे वह अपने छात्रों की जिज्ञासाओं को शान्त कर सके। ज्ञान की बदलती हुई सीमाओं तथा दुरूहताओं (Complexities) का देखते हुए यह आवश्यक है कि कोई ऐसी विधा खोजी जाए, जिससे शिक्षक तथा छात्र दोनों को उनके वातावरण के संदर्भ में उपयुक्त परिवर्तनों को स्वीकार कर, तदनुसार अपने व्यवसाय में उनका समायोजन करने की योग्यता का विकास हो सके।

विशेषकर जो सेवा पूर्व प्रारम्मिक प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके तीन उद्देश्य होते है-

(A) भावी शिक्षक की शैक्षणिक तथा व्यक्तिगत प्रवीणता को बढ़ाना ताकि वह अपने वैयक्तिक गुणों में परिपक्व होने के साथ साथ अधिक से अधिक विषय वस्तु के बारे में भी ज्ञानवान हो सके। इसके अलावा छात्रों के लिए ऐसे प्रोग्राम विकसित किये जाए जिससे उनमें कार्य निष्पादन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सके, वह स्वंय का मूल्यांकन कर सके और अपनी सन्तुष्टि तथा संवेदनशीलता (जो कक्षा में उनके लिये बड़ी उपयोगी रहें) को बढ़ा सकें।

(B) भावी शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता बढ़ाना अर्थात बेसिक पेडागाजी (Basic Pedagogies) के बारे में प्रशिक्षण देना इसके अन्तगर्त मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षा का इतिहास आदि के बारे में भी बताया जाता है प्रचलित पाठ्यक्रमों के मूल्यांकन के पश्चात इस संबंध में जो नये क्षेत्र उभरे है, वह है शैक्षिक तकनीकी. प्रबन्धन, प्रशासकीय कौशल आदि। आज कल के प्रशिक्षण में शिक्षण के विधि तंत्र (Methodology of Teacher) तथा ज्ञान के उन क्षेत्रों पर भी विशेष जोर दिया जाता है। जो विद्यार्थियों की क्षमताओं को बढ़ाकर अधुनातन समाज के साथ उसका सामंजस्य बिठा सकें।

(C) भावी शिक्षकों को व्यावसायिक अभ्यास (Professional Practice) के लिये उचित निर्देशन के साथ अवसर देना तथा इसका विकास करना।

(D) सेवा पूर्व प्रशिक्षण के पूरा होने का अर्थ भावी शिक्षकों की शिक्षा का अंत नहीं है, यह तो केवल उन्हें शिक्षण के क्षेत्र से परिचित कराता है। दिनों दिन प्रशिक्षण तथा विषय वस्तु के संदर्भ में जो तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, उनके ज्ञान के लिये सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण काफी महत्वपूर्ण व आवश्यक है।

1.8.2 सेवारत शिक्षकों की शिक्षा (Inservice teacher Education)

सेवारत शिक्षकों को समय के साथ होते हुए परिवर्तनों की शिक्षा अनवरत रूप में मिलती रहनी चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। उन शिक्षकों को जिनकी शैक्षिक गुणवत्ता काफी

अच्छी रहती है, उनकी अनवरत अग्रिम शिक्षा के लिये समय-समय पर सेमिनार, पुनश्चर्या कार्यक्रम (Refresher Course) परास्नातक कोर्स जैसे एम. एड. आदि काफी उपयोगी रहते है।

कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं, जहां पर शिक्षक शिक्षा आज महत्वहीन हो कर रह गई हैं, या इस प्रशिक्षण में उन क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया गया जो कि शिक्षण में काफी महत्वपूर्ण होते हैं जैस" "गणित के नये पाठ्यक्रम"' को अभी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों ने भी ढ़ग से नहीं पढ़ा है या शोध की नवीन विधियों (Research Methods) के बारे में जानकारी देना जो प्रारंभिक प्रशिक्षण में शामिल नहीं थे, आदि। ऐसे विषयों के बारे में जानकारी देने की विधि को रिसाइकलिंग (Recycling) भी कहा जाता है।

सेवारत प्रशिक्षण व्यावसायिक कर्मियों की एक मूल आवश्यकता है और इसके लिए सुविधाएँ उन लोगों द्वारा प्रदान की जानी चाहिए, जो इस क्षेत्र से संबंधित है।। इस संबंध में संस्थाएं अपने कैम्पस से बाहर आकर भी सुविधाएं प्रदान कर सकती हैं, जैसे प्रैक्टिकल के सामान व किताबें उधार देकर। इस दिशा में सफलता पाने हेतु "स्कूल कॉम्पेलक्स" (School Complexes) की भी व्यवस्था की जा सकती है, जिसका मुख्य आधार सेवारत शिक्षकों का अपने अनुभव को एक दूसरे से बाँटना हो सकता है। ऐसे सेवाओं को ''प्रसार सेवाएं"' (Extension Services) द्वारा विद्यालयों की भौतिक सीमाओं से आगे तक इसका कार्यक्षेत्र बढ़ाना चाहिए।

इनमें से, वे सेवाएं जो शिक्षकों के ज्ञान व कौशल में उन्नयन कर उन्हें व्यावसायिक उन्नति की और ले जाती हैं, इनको संस्था की "'एक्सटेंशन एक्विटी" के अन्तगर्त रखा जा सकता है। शिक्षकों के लिये व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था विद्यालयी वातावरण से हट कर भी की जा सकती है तथा कार्यक्रम नियमित या तदर्थ रूप से शुरू किए जा सकते हैं। इस तरह के कार्यक्रम सेवारत शिक्षकों के लिये काफी उपयोगी रहेंगे, क्योंकि इनमें शिक्षक अपने नियमित नौकरी में रहते हुए भी भाग ले सकते हैं। इन कार्यक्रमों के लिये आवश्यक नहीं है कि कोई बाहर से सहायता मिले ही, अपितु विद्यालय के प्राचार्य या उपाचार्य या कुछ शिक्षकों का समूह ही स्वंय दायित्व लेकर कुछ नई तकनीकें सीखने हेतु इसकी शुरुआत कर सकते हैं। सेवारत शिक्षकों के लिए यह कार्यक्रम काफी उपयोगी रहता है, क्योंकि यह प्रयास शिक्षकों के लाभ हेतु त्वरित या दीर्घकालीन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता कर उनकी व्यावसायिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

संक्षेप में सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम के पक्ष में निम्न तर्क दिये जा सकते हैं-

बिना शिक्षकों की नियमित व्यावसायिक उन्नति के सामान्य जनता की उन्नति संभव नहीं है। शिक्षक व्यवसाय अपनी गुणवत्ता तथा समय के साथ अपनी गत्यात्मकता को तब तक बनाये नहीं रख सकता हैं, जब तक कि इस व्यवसाय में संलग्न लोग नियमित रूप से अपने ज्ञान तथा प्रभावशीलता को बढ़ाते नहीं हैं ।

शिक्षकों की प्रभावशीलता तथा सामान्य व्यक्ति की उन्नति में धनात्मक सह संबंध पाया जाता है।

शिक्षकों के विकास के बारे में किये जाने वाले सभी प्रयास, सुविधाएं, कार्यक्रम, श्रव्य दृश्य सामग्रियों आदि अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकते हैं यदि शिक्षक व्यावसायिक रूप से सजग तथा शैक्षिक रूप से योग्य नहीं है।

केवल सेवा पूर्व प्रशिक्षण एक व्यक्ति को शिक्षक के रूप में पूर्णत: तैयार करने के लिए सक्षम नहीं है। यदि कुछ कमजोर शिक्षक भी लगातार अभ्यास करें अपने को सुधारें तो उनके अच्छे शिक्षक बनने की प्रबल संभावना है।

1.9 सेवा पूर्ण तथा सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बीच निरंतरता (Continuity between Preservice and Inservice Programme)

सेवापूर्व तथा सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तो इन दोनों के मध्य में निरंतरता आवश्यक है। इस निरंतरता को स्थापित करने के संबंध में टीचर एज्यूकेशन कैरी कुलम फेम वर्क (1978) की राष्ट्रीय परिषद जो निम्न अनुसंशाएं की हैं राज्य सरकारी विद्यालयों द्वारा इस तथ्य को महत्व दिया जाना चाहिए, कि रोजमर्रा के शिक्षक कार्यक्रमों को चलाने हेतु कुछ अद्यतन सूचनाओं की जानकारी ही सेवारत कार्यक्रमों का उद्देश्य नहीं है। अपितु सेवापूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के उद्देश्य तथा सकारात्मक अपेक्षाएं सेवारत कार्यक्रमों में भी परिलक्षित होनी चाहिए।

उपर्युक्त बिन्दु के संदर्भ में अपेक्षित है कि इस तरह के कार्यक्रमों का प्रारंभ पाठ्यक्रमों के रूप में किया जाए, जिससे सहभागियों को कुछ क्रेडिट प्राप्त करना (Credit Eran) अनिवार्य हो प्रशिक्षण संस्थाओं को ऐसे पाठ्यक्रम (Addition Course) का प्रारंभ संबंधित अधिकारियों की अनुशंसा से शैक्षणिक वर्ष की शुरूआत में करना चाहिये। स्वायतशासी संस्थाएं (Autonomous Colleges) तो अपनी सुविधानुसार जब चाहे तब, जहाँ तक कि अपने प्रारंभिक दिनों से ही ऐसे कार्यक्रम चला सकती है। इस संबंध में नई शिक्षा नीति (1986) के तहत केन्द्र द्वारा वित पोषित कुछ कार्यक्रमों का उदाहरण दिया जा सकता है जिसके अन्तर्गत बहुत सारे शिक्षक प्रशिक्षक महाविद्यालयों को उन्नत कर उसमें सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये भी व्यवस्था की गई है।

यह पाठ्यक्रम ग्रीष्मावकाश या बड़े अवकाश के समय या सप्ताहांत में सुबह या सायं शुरू किए जाने चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को भाग लेने में सुविधा रहे।

इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इन कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम काफी अद्यतन (Advanced Course) हो। सेवारत कार्यक्रमों की असफलता का एक प्रमुख कारण यह भी है कि इनके पाठ्यक्रम तथा प्रक्रिया बहुत चुनौती पूर्ण नहीं रहे हैं। अत: आवश्यक है कि इन कार्यक्रमों को बनाते समय यह ध्यान रखा जाए कि उनमें अद्यतन संकल्पनाओं, जानकारियों तथा नवीन विधियों एवं प्रविधियों का समावेश अवश्य हो जाएं। इन कार्यक्रमों का आधारभूत तथ्य है कि इनके द्वारा सेवारत शिक्षकों को कितनी आतंरिक तथा बाहा अभिप्ररेणा मिली।

शिक्षकों को इन कार्यक्रमों में भाग स्वयं के उत्साह (Voluntary Basis) के कारण लेना चाहिए, न कि किसी दबाव के कारण।

1.10 सारांश (Summary)

इस इकाई में शिक्षक शिक्षा के अर्थ को शिक्षक की एक विशिष्ट समुदाय के परिप्रेक्ष्य में उसकी भूमिका के संदर्भ में स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है तथा बदलती हुई परिस्थितियों के संदर्भ में शिक्षक ब शिक्षक शिक्षा की प्रकृति को अधिक नमनीय माना गया है। शिक्षक शिक्षा में इन्टर्नशिप व सी. बी. टी. सी. कार्यक्रम की उपयोगिता का स्पष्ट करते हुए सेवापूर्व व सेवारत शिक्षकों के मध्य अधिक तारतम्य की आवश्यकता पर जोर देते हुए यह स्वीकार किया गया है कि केवल सेवापूर्व प्रशिक्षण ही एक व्यक्ति को प्रभावी शिक्षक बनाने में सफल नहीं हो सकता है।

मूल्यांकन प्रश्न

1 निम्न प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दें -

1 सेवारत प्रशिक्षण व्यावसायिक कर्मियों की एक मूल आवश्यकता है" क्यों

2 सेवारत तथा सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम एक दूसरे के अभिन्न अंग है" स्पष्ट कीजिए?

3 सेवापूर्व सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निरंतरता किस प्रकार बनाई रखी जा सकती है?

2 निम्न प्रश्नों का उत्तर विस्तार में दे-

1 "केवल सेवा पूर्व प्रशिक्षण एक व्यक्ति को उचित शिक्षक नहीं बना सकता"- क्यों? उदाहरण सहित बताइए।

2 शिक्षक शिक्षा के महत्व का वर्णन करें।

1.11 सन्दर्भ ग्रंथ (References)

1 Adaval, S.B.et.al. (1982) An Analytical Study of Teacher Education in India Allahabad: Amitabh Prakashan

2 Commonwealth Secretariat (1974) Teacher education in a Changing Society London: Commonwealth Secretariat.

3 Hillard, F.H. (1971) Teaching the Teachers: Trends in Teacher Education London: George Allen and Unwin.

4 Husen, Torsen and Postalthwaite, N.T (1985) THE International Encyclopedia of Education (Vol.5) Oxford: Pagemanon Press.

5 Mukherji. S.N. (1985) Education of Teacher in India, New Delhi: S.Shan&Co.

6 National Council For Teacher Education (1978) Teacher Education Curriculum: A Frame work New, New Delhi: National Council of Education Research and training.

7 Patel, I.J., Buch M.B., Palsana M.N. (1068) Reading in Inservice Education. Vallbha Vidyanagar: Saeder Patel University.

8 Shanker, U (1985) Education of Indian Teacher. New Delhi; sterling publisher.

9 Srivastava, S.C. and Bose, K (1073) Theory and Practice of Teacher Education in India. Allahabad: Chugh Publication.

10 Singh, L.C. (1990) Teacher Education of India: A Resource book. New Delhi: National Council of Educational Research and Training.

इकाई 2

अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताएँ. शैक्षिक प्रणाली और अध्यापक शिक्षा (Learness Need Education approach and Teacher Education)

इकाई की संरचना

2.0 उद्देश्य

2.1 अधिगम-कर्ताओं की आवश्यकताएं

2.1.1 विकास से संबंधित आवश्यकताएं

2.1.2 अधिगमकर्ता की आवश्यकताएँ और विभिन्न परिवर्तन

2.1.3 मूल अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति

2.2 अधिगम-कर्ताओं की आवश्यकताएं तथा अध्यापक शिक्षा

2.2.1 औपचारिक शिक्षा व्यवस्था

2.2.2 निरौपचारिक शिक्षा व्यवस्था

2.2.3 प्रौढ़ शिक्षा

2.3 अध्यापक शिक्षा

2.3.1 पूर्व सेवा कालीन अध्यापक शिक्षा

2.3.2 नर्सरी शिक्षक प्रशिक्षण

2.3.3 प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा

2.3.4 सेवा कालीन अध्यापक शिक्षा

2.4 संदर्भ ग्रंथ

2.0 उद्देश्य (Objective)

- इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आन-
- अधिगम और विकास के संबंध को समझ सकें।
- अधिगम कर्ताओं की आवश्यकताएं और विभिन्न परिवर्तनों में संबंध बता सकें।
- मूल अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय स्थिति को समझ सकें।
- अधिगम-कर्ताओं की आवश्यकताओं और शैक्षिक प्रणाली का परिचय दे सकें।

2.1 अधिगम-कर्ताओं की आवश्यकताएं (Need at Learness)

व्यक्ति को जीवित रहने के लिए भोजन, वस्त्र तथा आवास मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति को स्वयं या दूसरे के लिए करनी होती हैं। इस प्रयास के लिए ही अधिगम की मूल आवश्यकताओं की उत्पत्ति होती है। आज व्यक्ति के अधिगम के

लिए ज्ञान का इतना बड़ा भंडार इकट्ठा हो गया है कि उसे अपनी मूल आवश्यकताएं पूरी करने के लिए बहुत कुछ जान लेने की आवश्यकता होती है। यह जानकारी व्यक्ति के योग्यतानुसार विकास करने से संबंधित होती है और इसका उसे अवसर मिलना चाहिए। यह अवसर वह अकेला प्राप्त करने सक्षम नहीं है। उसे अपने परिवार, समाज, अन्य संस्थाओं तथा राष्ट्र का सहारा लेना पड़ता है। इन संस्थाओं ने अपने विकास के लिए एक साधन को जन्म दिया है. जिसे शिक्षा कहते हैं। शिक्षा व्यक्ति के विकास को सरल बनाने के बहुत से द्वार खोलती है।

2.1.1 विकास से संबंधित आवश्यकताएं (Development Related Needs)

(A) भारीरिक विकास (Physical Development)

शारीरिक विकास की प्रक्रिया व्यक्ति के उचित समायोजन और विकास के मार्ग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रारंभ में शिशु दूसरे की कृपा पर निर्भर करता है। उसे अपनी सभी प्रकार की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये माता पिता तथा परिवार के सदस्यों पर आश्रित रहना पड़ता है। शारीरिक वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप आए हुए परिवर्तनों के माध्यम से धीरे-धीरे वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरी करने में समर्थ बनता जा रहा है। इस क्षेत्र में आई हुई आत्मनिर्भरता उसे अपने व्यक्तित्व के अन्य पक्षों में भी पर्याप्त स्वावलंबी बनने में सहायता करती है और इस तरह वह धीरे-धीरे पूर्ण परिपक्वता की और अग्रसर होता चला जाता है।

हमारे शारीरिक ढांचे और आंतरिक तथा बाह्य अवयवों में जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ परिवर्तन आते रहते है। परिवर्तन की यह प्रक्रिया प्रत्येक व्यक्ति में कुछ स्थितियों के भिन्न हो सकती है जैसे बाह्य परिवर्तनों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव। इन स्थितियों में व्यक्ति की अधिगम प्रक्रिया में किसी तरह का प्रभाव पड़ना निश्चित सा हो जाता है। अत: अधिगमकर्ता की आवश्यकताओं में भिन्नता हो जाती है। इन विभिन्नताओं में शारीरिक वृद्धि और विकास के बारे में अध्यापक को जानकारी होनी चाहिए।

(B) बोद्धिक अथवा मानसिक विकास

बच्चे की आयु के अनुसार मानसिक योग्यताएं और क्षमताएं बढ़ती जाती है और वह ऐसी समस्या को, जिन्हें वह बचपन में नहीं सुलझा पाता था, आसानी से सुलझाने लगता है। बोद्धिक और मानसिक विकास से तात्पर्य की उन सभी मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करता है और बड़ी बड़ी कठिन तथा उलझनपूर्ण समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों को पूरी तरह समर्थ पाता बोद्धिक अथवा मानसिक प्रभाव जिन क्षेत्रों में पड़ता है वे हैं- संवेदना और प्रत्यक्षीकरण, संबोध या प्रत्यय निर्माण, भाषा विकास, स्मरण शक्ति का विकास करने के लिए बच्चों की आयु और विभिन्न बच्चों में आपस में अंतर को देखते हुए अधिगम के प्रावधान करने होंगे।

(C) सामाजिक विकास

मानव एक सामाजिक प्राणी है। समाज उसके लिए जल, वायु तथा भोजन की तरह ही एक आवश्यक वस्तु है। वह सामाजिक संबंधों को बनाने तथा दूसरों के साथ समायोजन करने

का प्रयास करता है। लेकिन इसका तात्पर्य नहीं है कि मानव शिशु में इस प्रकार के सामाजिक गुण और व्यावहारिक विशेषताएं जन्मजात होती है। वृद्धि और विकास के अन्य पहलुओं की तरह की सामाजिक गुण भी बच्चे में धीरे-धीरे पनपते हैं। इन गुणों के विकास की प्रक्रिया जो बच्चे के सामाजिक व्यवहार में वांच्छनिय परिवर्तन लाने का कार्य सम्पन्न करती है। सामाजिक विकास तथा सामाजिकरण के नाम से जानी जाती है। सामाजिक विकास या सामाजिकरण मानव वृद्धि और विकास की सम्पूर्ण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यहां तक कि हम किसी व्यक्ति को समाज की इकाई कहकर तभी पुकारते हैं जब वह सामाजिक विकास प्रक्रिया का अनुभव प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से व्यक्ति का सामाजिक विकास एक आवश्यक व्यवस्था है और अनुभव प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से व्यक्ति का सामाजिक विकास एक आवश्यक व्यवस्था है और प्रत्येक समाज के अलग-अलग नियम होने के साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार में भी भिन्नता होती है। अत: समाज के विकास के साथ व्यक्ति को उसमें समायोजन होना भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है।

(D) नैतिक विकास

मूलवृतियों, संवेग, आदतें, स्वभाव, संकल्प-शक्ति और स्थायीभाव ये सभी चरित्र के तत्व है। किसी व्यक्ति में इन सभी तत्वों में एक स्थायी मानसिक संरचना के रूप में होने वाले संगठन को उसकी चरित्र की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार किसी के चरित्र का अध्ययन करते समय उसकी आदतों, अभिप्ररेणाओं, संकल्पों स्थायी भावों, वृद्धि, आत्मबोध और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों के ऊपर सोचा जाना आवश्यक है। सामाजिक परिस्थितियों में एक व्यक्ति का व्यवहार उसके अपने चरित्र द्वारा संचालित होता है। इसके लिए व्यक्ति की मानसिक संरचना का विकास करने के लिए विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं में विभिन्न प्रकार के कारकों का विकास करना होता है। इसके लिए व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती है, जिससे उसमें

2.1.2 अधिगमकर्ता की आवश्यकताएँ और विभिन्न परिवर्तन (Need of Learner and different Changes)

व्यक्तिगत भिन्नता और विकास से उपजी अधिगम कर्ताओं की आवश्यकता का संबंध उन योग्यताओं और कौशलों के विकास से भी है जिनकी आवश्यकता सामाजिक और भौतिक वातावरण के साथ समायोजन; समुदाय की सभ्यता के साथ समीकरण समुदाय को मूल इकाई परिवार के प्रभावी सदस्य के रूप में तैयार करना, उचित व्यवसाय प्राप्त करके समुदाय के आर्थिक विकास में भाग लेना और समुदाय द्वारा संचालित सरकार को किसी भी संस्था में लोकतांत्रिक ढंग से सहभागी होने की तैयारी के लिए चाहिए।

व्यक्ति की आवश्यकताओं से उपजी मूल अधिगम आवश्यकताएं स्थिर नहीं होती। ये विकास के विभिन्न परिवर्तनों जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी आदि के साथ परिवर्तित होती रहती है। सारे संसार में इस समय मुख्य रूप से संरचित और कार्यक्रम में विभिन्न शिक्षा प्रणालियों से व्यक्ति की मूल अधिगम आवश्यकताएं पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है और भारत इसका अपवाद नहीं है।

शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर बच्चे का अधिकार स्वीकार कर लिया गया है। इस अधिकार को अर्थपूर्ण बनाने के लिए आवश्यकता है कि बच्चों की आवश्यकता अधिगम आवश्यकताओं की स्पष्ट व्याख्या, उनकी अभिवृतियो कौशलों और ज्ञान जिनको उन्हें एक प्रभावी और संतुष्ट वयस्क बनने के लिए आवश्यकता है, के संदर्भ में होनी चाहिए। जब मूल अधिगम आवश्यकताओं की मूर्त और अर्थपूर्ण रूप में व्याख्या की जायेगी तो ये उचित पाठ्यक्रम निर्देशन सामग्री, पढ़ाने की उचित व्याख्या करने का प्रयास फिलीफ एच. कूम्ब ने "न्यूनतम अधिगम संवेष्ठन"' ग्रामीण समाज के बच्चों के लिए किया इसका अनुसरण भारत समेत कई देशों में किया गया।

2.1.3 मूल अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति

(A) अंतर्राष्ट्रीय चिंता

पिछले चालीस वर्षो से कई बच्चों की शिक्षा देने के प्रयत्न चल रहे है। लेकिन फिर भी करोड़ों बच्चे, जिनकी उम्र प्राथमिक विद्यालयों में जाने की थी वे शिक्षा पाने का अवसर प्राप्त नहीं कर पाए। जिन बच्चों ने शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लिया। उनमें से करोड़ों बच्चे हैं, जिन्होंने विद्यालय में उपस्थिति की आवश्यकता पूरी की लेकिन वे आवश्यकता पूरी की लेकिन वे आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त नहीं कर सके।

पिछले कुछ वर्षो से बच्चों और वयस्कों को मूल अधिगम आवश्यकताएं पूरी करने के लिए मूल शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने की विकराल समस्या अंतराष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय बनी हुई है। हाल के वर्षो में इन समस्या के समाधान का महत्व विभिन्न मंचों पर बढ़ता जा रहा है। परिणाम स्वरूप थाइलैंड में 1990 में "सबके लिए शिक्षा" पर विश्व सम्मेलन का आयोजन हुआ जिनमें "सबके लिए शिक्षा" की विश्व घोषणा की गई और मूल अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक कार्य योजना का ढांचा तैयार किया गया। मूल अधिगम आवश्यकताओं से संबंधित इस विश्व घोषणा के अनुसार "व्यक्ति के जीवित रहने की योग्यता के लिए, अपनी क्षमतानुसार विकास करने के लिए, इज्जत से काम करने के लिए, विकास में पूर्ण योगदान देने के लिए और लगातार सीखने के लिए उसे अनिवार्य अधिगम साधन जैसे साक्षरता, मौखिक विवरण, संख्या ज्ञान और समस्या समाधान एवं मूल अधिगम विषयवस्तु जैसे ज्ञान, कौशल, मूल्य और अभिवृत्ति आदि की आवश्यकता हैं।"

(B) राष्ट्रीय चिंता

सार्वभौम शिक्षा का विषय भारत के लिए आज की चिंता नहीं अपितु शिक्षा का इतिहास में लम्बे समय में दृष्टिगोचर है। सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा की मांग 1882 में भारतीय नेताओं द्वारा तात्कालीन भारत सरकार द्वारा गठित प्रथम शिक्षा आयोग (हंटर कमीशन) के सामने रखी थी। इसके पश्चात् इसे बार-बार दोहराया गया। यहाँ तक कि भारतीय नेताओं ने इस समस्या के समाधान के लिए अपने स्तर पर प्रयास करने आरम्भ किए। इस दिशा में गांधीजी की बुनियादी शिक्षा 1930 में प्रस्तावित की गई। यह मूल अधिगम आवश्यकताओं की और पहला कदम था जो शिक्षा प्रणाली के लिए उठाया गया ओर जिसकी स्पष्टता से व्याख्या की गई।

बुनियादी शिक्षा आयोग में 7 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा, सभी बच्चों को उनकी मातृ भाषा के माध्यम से दी जानी थी। शिक्षा का मुख्य ध्येय था अधिगमकर्ता के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना न कि खाली ज्ञान प्राप्त कर लेना।

इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी-

बच्चे का सर्वागीण विकास

धर्म निरपेक्ष राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास

अपने चारों और के पर्यावरण को ज्ञान के स्त्रोत के रूप में प्रयोग करना।

ज्ञान और कार्य के बीच समन्वय और सहसंबंध। गांधीजी की इस शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य सभी को आवश्यकता आधारित शिक्षा पाने के लिए समाज अवसर प्रदान करना था जिससे कि सामाजिक क्रांती लाने में मदद मिल सके।

2.2 अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताएं और शैक्षिक प्रणाली (Learness Needs)

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता को संवैधानिक मान्यता मिली जब इसे अनुच्छेदन 45 के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में शामिल किया गया, तथा कहा गया कि संविधान लागू होने के 1 वर्षो में 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी।

संविधान द्वारा देश में शिक्षा का विकास का एक मूल ढांचा भी सुझाया गया। इसके अंतर्गत सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे और धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण मिलेगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की सार्वभौमिकता की मुख्य विशेषताएं निम्न है

प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच (तैयार)

सार्वभौमिक भागीदारी (नामांकन और उपस्थिति)

सार्वभौम प्राप्ति (संप्राप्ति)

ये निश्चत हुआ कि बच्चों की मूल अधिगम आवश्यकताओं को अधिक महत्व मिले और राज्य के प्रयास इसके पूर्ति हेतु इस और लगाएं जाएं। इसमें कोई संदेह नहीं कि विद्यालयों की व्यवस्था करना पहली महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। लेकिन इसके साथ-साथ देश में शिक्षा की विषय वस्तु को पाठ्यक्रम में इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जोड़ा जाना था। ऐसा विभिन्न प्रांतों में हुआ। विभिन्न प्रान्तों में अलग अलग आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम में विभिन्नता मिलती है। राष्ट्रीय स्तर पर और विभिन्न प्रांतों में प्राथमिक स्तर पर विषय वस्तु के चयन और प्रक्रिया ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता को देखते हुए सभी प्रांतों के पाठ्यक्रम मे सामान्य मूल क्षेत्रों को विकसित किया गया।

कोठारी आयोग (1964-66) के सुझाव और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा बच्चों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसके साथ ही बच्चों को संप्राप्ति को बढ़ाने के लिए की गई व्यवस्थाओं जिसमें अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम पर बल और प्राथमिक शिक्षा के गुणात्मक विकास में सुधार, को प्राथमिकता दी गई।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर चल रहे प्रयोगों ने प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों को पुन: परिभाषित किया जो कि देश के विभिन्न भागों में रहने वाले बच्चों की आवश्यकता पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम बनाने का पर्याप्त आधार बने। इन परिवर्तनों से उचित शिक्षण अधिगम व्यूहरचना और मूल्यांकन उपागम अपनाने की आवश्यकता पड़ी।

शिक्षा के क्षेत्र में चल रहे कार्यक्रम और योजनाओं के प्रभाव का पुन: अवलोकन और विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तनों के कारण, 1960 से पहले के वर्षा में, शिक्षा में अधिक बल दिए जाने वाले क्षेत्रों में आमतौर पर प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिकता की और विशेष रूप से ध्यान दिया गया।

अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति और बच्चों की संप्राप्ति का स्तर बढ़ाने के नई शिक्षा नीति (1986) के सुझाव इस प्रकार से थे-

- प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता का क्षेत्र बढ़ाना (10 से 14 वर्ष तक) जो कि बच्चे की देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा का पूर्ण समन्वय कर सके और विकास करने को बढ़ावा दे जिससे कि प्राथमिक शिक्षा और मानव संसाधन दोनों का विकास हो सके।
- प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान करके संख्यात्मक विकास में गुणात्मक सुधार की और झुकाव करना, न्यूनतम अधिगम स्तरों का निर्धारण, आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम में सुधार और विकास, पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए बालकेन्द्रित किया आधारित उपागम को अपनाना, उचित तकनीक का प्रयोग करत हुए सतत और व्यापक मूल्यांकन को अपनाना।
- निरौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम पर बल।
- प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक प्रशिक्षण (पूर्ण सेवाकालीन व सेवाकालीन) निरौपचारिक शिक्षा कर्मों और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को खोलना।

इस प्रकार अभिकर्ताओं की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शैक्षिक प्रणाली का पुनर्गठन हुआ और अलग अलग अधिगम आवश्यकताओं के लिए अलग व्यवस्था की गई जिनमें ओपचारिक निरौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा व्यवस्थाएं लागू हुई।

2.2.1 औपचारिक शिक्षा व्यवस्था

इस व्यवस्था के अंतर्गत जिन बच्चों को विद्यालय में प्रवेश मिले और पूरे समय तक उस विद्यालय में अध्ययनरत रहे कि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु औपचारिक शिक्षा प्रणाली का प्रबंध है। इस प्रणाली के अन्तर्गत ग्रामीण मेधावी छात्रों की अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नवोदय विद्यालय स्थापित हुए तथा प्रत्येक जिला स्तर पर ऐसे विद्यालय खोलने का प्रावधान है। यद्यपि बीच में नवोदय विद्यालयों पर विशेष ध्यान देने की बात की है।

इस प्रकार से वे बच्चे जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं जिनमें आर्थिक सहायता भी शामिल है। तथा जो बच्चे मानसिक या शारीरिक रूप से पिछड़े हुए है उनके लिए भसी विशेष प्रकार के विद्यालयों का प्रावधान है।

बालिकाओं की शिक्षा के लिए इस प्रणाली में विशेष ध्यान दिया जा रहा है और शिक्षा व्यवस्था के साथ-साथ अलग से बालिका विद्यालय खोलने पर बल दिया जा रहा है।

2.2.2 निरौपचारिक शिक्षा व्यवस्था

जो बच्चे किन्ही कारणों से 14 वर्ष तक की आयु तक विद्यालय नहीं जा पाते. या विद्यालय छोड़ देते है उनके लिए निरौपचारिक शिक्षा व्यवस्था का प्रावधान है। बच्चों की सुविधानुसार केन्द्रों का समय निश्चित किया जाता है यहां तक कि स्थान भी बच्चों की सुविधानुसार निश्चित किया जाता है। इन बच्चों की शिक्षा के स्तर को औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में पढ़ रहे बच्चों के बराबर करने का प्रयत्न किया जाता है।

2.2.3 प्रौढ शिक्षा

इस व्यवस्था के अंतर्गत 15 से 35 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति को साक्षर करने का प्रावधान है। इस व्यवस्था में अब सामाजिक चिन्ता की और ध्यान देकर इसका विस्तार किया जा रहा है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में प्रसार साधनों का प्रयोग कर इस और किया जा रहा है।

स्वयं मूल्यांकन प्रश्न

1 अधिगमकर्ताओं की प्रमुख आवश्यकताऐं कौन- कौन सी है?

2 अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं एवं विभिन्न परिवर्तनों की व्याख्या करें।

3 अधिगम कर्ताओं की आवश्यकताओं और शैक्षिक प्रणाली पर अपने विचार बताये।

2.3 अध्यापक शिक्षा (Teacher Education)

किसी शिक्षा व्यवस्था की सफलता के लिए अध्यापक को पूरी तरह से तैयार किए जाने की आवश्यकता होती है। अत: शिक्षा में किसी प्रकार के परिवर्तन के साथ अध्यापक का तालमेल होना अनिवार्य है। इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दो प्रकार की अध्यापक शिक्षा व्यवस्था प्रचलित है। पूर्व कालीन अध्यापक शिक्षा एवं सेवा कालीन अध्यापक शिक्षा।

2.3.1 पूर्व सेवा कालीन अध्यापक शिक्षा है। इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दो प्रकार की अध्यापक शिक्षा व्यवस्था प्रचलित है। पूर्व कालीन अध्यापक शिक्षा एवं सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा।

2.3.1 पूर्व सेवा कालीन अध्यापक शिक्षा

अठारवीं शताब्दी के आरम्भ में औपचारिक पूर्व सेवाकालीन शिक्षा का आरम्भ हुआ। अधिगम को परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुसार इस व्यवस्था में परिवर्तन हुए। भारत में 19 वीं शताब्दी में अध्यापकों की पूर्व कालीन शिक्षा का प्रारम्भ हुआ। शिक्षा में संख्यात्मक वृद्धि और गुणात्मक विकास की आवश्यकता के साथ साथ अध्यापक शिक्षा में परिवर्तन हुए।

1986 को शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा के गुणात्मक विकास की और अधिक ध्यान दिया गया है। जिसके अंतर्गत स्तर कार्यक्रम को राष्ट्रव्यापी बनाने का लक्ष्य है। जिससे अधिगम को न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो सकें। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रत्येक जिला स्तर पर एक मण्डलीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को खोलने की व्यवस्था है। विभिन्न शिक्षा स्तरों जैसे पूर्व

प्राथमिक, प्राथमिक माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के लिए अलग अलग अध्यापक शिक्षा का प्रावधान है।

2.3.2 नर्सरी शिक्षक प्रशिक्षण

शिक्षा के उत्तरदायित्व को बच्चे के प्रथम दिन से वहन करना राष्ट्र का कर्तव्य है। अत: पूर्व विद्यालय सार पर बच्चे के सम्पूर्ण विकास के लिए पूर्व विद्यालय कार्यक्रमों का प्रावधान है और इसके लिए नर्सरी टीचर ट्रेनिंग केन्द्रों के माध्यम से अध्यापक शिक्षा दी जाती है।

2.3.3 प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा

कक्षा एक से आठवीं तक के लिए अध्यापकों की शिक्षा का उत्तरदायित्व मण्डलीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों का होता है। इन संस्थानों में प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा दो वर्ष की हैं और साथ ही निरौपचारिक शिक्षा निरौपचारिक शिक्षा निदेशकों और प्रौढ़ निर्देशकों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

माध्यमिक/उच्च माध्यमिक अध्यापक शिक्षा

कक्षा छह से कक्षा बारह तक अध्यापक के लिए अध्यापक शिक्षा का उत्तरदायित्व शिक्षा महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों का है। इसके अंतर्गत बी. एड. और एम. एड. की डिग्रियां प्रदान की जाती है।

2.3.4 सेवा कालीन अध्यापक शिक्षा

सेवारत अध्यापकों को शिक्षा में हो रहे नवाचारों और परिवर्तनों में लगातार परिचित करवाते रहना और उनके लिए उन्हें तैयार करना सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत आता है। प्राथमिक स्तर के अध्यापकों को सेवाकालीन शिक्षण देने हेतु मण्डलीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (DIET) की स्थापना की गई है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक अध्यापकों के सेवाकालीन शिक्षण का उत्तरदायित्व राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SIERT) का है। साथ ही राज्य के शिक्षा विभागों द्वारा इसकी व्यवस्था की जाती है।

सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था विभिन्न कार्यक्रमों और माध्यमों से की जाती है जैसे सेमिनार, कार्यशालाएं, ओरिएंटेशन कार्यक्रम, गोष्ठी, विचार विमर्श, विशेष भाषण आदि। जिन माध्यमों को इन कार्यक्रमों के विस्तार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उनमें दूरदर्शन, रेडियों, अखबार, पत्रिकाएं आदि होते है। अत: सेवारत अध्यापक शिक्षा में हर प्रकार के परिवर्तनों से परिचित रहना चाहिए ताकि विभिन्न प्रकार के अधिगमकर्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहें।

मूल्यांकन प्रश्न

1. अधिगम कर्त्ताओं की आवश्यकता के अनुसार अध्यापक शिक्षा को होनी चाहिये।
2. सेवाकालीन व पूर्व सेवाकालीन शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर अपने मत दीजिये।

2.4 सन्दर्भ ग्रंथ (References)

1 Learning needs and problems in primary Education. Report of the technical working groups Meeting Vol-1 Research issues and problems APEID Asian programs of Educational Innovation for Development Regional office for Education in Asia & Pacific Bangkok 1983.

2 National Study on meeting Basic Learning Needs and Enhancing Learning Achievement of Children in Primary Education. Sponsored by UNESCO, PROAO, Bangkok NCERT 1993.

3 Normal E. Cuts and Nicholas moscley Providing fort Individual Differences in the Elementary School Prentice Hall, Englewood clitts.

4 Sayer, John and john Teachers teaching and Special Education Needs Neville. Ed.

5 Teachers Training and Special Educational Needs, London Groom Helam, 1985

इकाई 3

ब्रिटिशकाल एवं स्वातंत्रोत्तर भारत काल में शिक्षक-शिक्षा का विकास Development of Teacher Education in British Period and other Independence

इकाई की संरचना

3.0 उद्देश्य

3.1 भूमिका

3.1.1 पश्चिम देशों में अध्यापक शिक्षा का विकास

3.2 भारत में अध्यापक शिक्षा का विकास

3.2.1 वैदिक काल, मुस्लिम काल एवं ब्रिटिश काल के आधुनिक भारत में अध्यापक शिक्षा का विकास

3.2.2 उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में अध्यापक शिक्षा का विकास

3.3 स्वातंत्रोत्तर काल में अध्यापक शिक्षा का प्रारंभिक रूप

3.4 विश्वविद्यालय-शिक्षा आयोग का अध्यापक शिक्षा के विकास में योगदान

3.5 माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यापक शिक्षा के विकास में योगदान

3.6 शिक्षा आयोग का अध्यापक शिक्षा के विकास में योगदान

3.7 राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् का योगदान

3.8 राष्ट्रीय आयोग प्रथम का शिक्षक शिक्षा में योगदान

3.9 राष्ट्रीय शिक्षा नीति का शिक्षक-शिक्षा में योगदान

3.10 आचार्य राममूर्ति समिति का शिक्षक शिक्षा में योगदान

3.11 समाहार

3.12 संदर्भ ग्रंथ

3.0 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई की समाप्ति पर आप इस योग्य हो सकेंगे कि-

- अध्यापक का महत्व और दूसरे देशों में अध्यापक शिक्षा के विकास को बता सकेंगे।
- वैदिक काल से लेकर मुस्लिम काल तक अध्यापक शिक्षा की स्थिति का वर्णन कर सकेंगे।
- भारत में ब्रिटिश काल के आरम्भिक वर्षो में अध्यापक शिक्षा का विकास बता सकेंगे।
- उन्नीसवीं बीसवीं शताब्दी में अध्यापक शिक्षा के विकास को समझ सकेंगे।
- स्वातंत्रोत्तर काल में विभिन्न आयोगों एवं समितियों का अध्यापक शिक्षा के विकास में योगदान समझ सकेंगे।

3.1 प्रस्तावना (Introduction)

अध्यापन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। अध्यापक प्रत्येक उम्र के छात्रों के साथ कार्यरत रहा है, इसलिए समाज के बदले आयामों पर प्रत्येक युग में अपना प्रभाव भी छोड़ता रहा है। कभी-कभी तो अध्यापक ने प्रत्यक्ष रूप में समाज के साथ कंधे-से-कंधा मिला कर वांछित परिवर्तनों में अपना योगदान दिया और वह सफल हुआ। इसलिए अध्यापक को उचित दिशा प्रदान करने की आवश्यकता और भी बढ़ जाती

भारत में अध्यापक शिक्षा का वर्तमान ढाँचा पश्चिमी देशों विशेषकर ब्रिटेन की देन है। अत: आइए, सबसे पहले हम पश्चिमी देशों में अध्यापक शिक्षा के विकास पर नजर डाले।

3.1.1 पश्चिमी देशों में अध्यापक शिक्षा का विकास (Development of Teacher Education in western Countries)

अध्यापक शिक्षा की संगठित प्रणाली पहली बार जेसुटस द्वारा आध्यात्मिक अभ्यास और साक्षरता पाठ्यचर्या के लिए प्रयोग में लाई गई। यह सोचा गया कि भावी अध्यापक के लिए दो महिने या अधिक का प्रशिक्षण हो जो कि पठन विधि, अध्यापन, लेखन सुधारना और कक्षा व्यवस्था के लिए बहुत लाभकारी होगा। इस प्रकार अध्यापकों के लिए विशेष प्रशिक्षण का विचार आरम्भ हुआ।

पहला शिक्षक प्रशिक्षक जिसने अध्यापक प्रशिक्षण का विधिवत नमूना सुझाया, वह रिचर्ड मुलीसटर (1530- 1611 ए. डी.) था। उसने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक अलग संस्था खोली तथा इसमें 1642 में एक अध्यापक गिल्ड मेड्रीड बनी, जिसे 'ब्रदरहुड ऑफ सेन केसिमानो कहा जाता है। 1618 में एक सोसाइटी की नींव पड़ी, जिसे जीन बेपटोस्ट डी ला सक्ल द्वारा चलाया गा जिसे "दी इन्स्टीटयूट ऑफ दी क्रिसटीयन डाक्टरीन" कहा जाता है। उसने रिहमस में अध्यापक प्रशिक्षण के लिए एक व्यावसायिक विद्यालय खोला।

15 वीं शताब्दी में आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के व्याकरण संकाय ने व्याकरण में अध्यापकों का प्रशिक्षण आरम्भ कर दिया था। व्याकरण में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने वाले को अपना विषय पढ़ते हुए व्याकरण का प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। अठारवीं शताब्दी के अंत तक पैस्टोलोजी और हरबर्ट के प्रभाव में बहुत से तीन वर्षीय प्राथमिक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय आरम्भ हो गए।

सार्वजनिक अध्यापक प्रणाली, जो होलैंड में प्रचलित थी, इंग्लैंड में भी उसे 1846 में अपनाया। लेकिन इस प्रणाली से उचित और परिवक्त अध्यापक तैयार न हो सके और इसकी आलोचना हुई। इसके परिणाम स्वरूप अध्यापकों की शैक्षिक संप्राप्ति में वृद्धि होनी आरम्भ हुई। इस प्रवृति से माध्यमिक विद्यालय प्रशिक्षण में एक आंदोलन को जन्म दिया। 1847 में कालेज ऑफ परसैप्टर, लन्दन ने अध्यापकों के लिए डिप्लोमा परीक्षा आरम्भ की। इससे शिक्षण में पहली बार प्रोफैसरशिप आरम्भ हुई। कैमिब्रज विश्वविद्यालय में अध्यापक प्रशिक्षण सिंडीकेट का निर्माण 1879 में हुआ। लन्दन विश्वविद्यालयों में नया जीवन मिला और अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय आरम्भ हुए।

अमेरिका में चर्च के अधिपत्य के कारण अध्यापक शिक्षा को अधिक प्रोत्साहिन नहीं दिया जाता था। धर्म का ज्ञान और वीरता अच्छे अध्यापक के गुण पाये जाते थे। अध्यापक को अधिक सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। कुल मिलाकर स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती थी। लेकिन शताब्दी के अन्त में इस प्रवृति में परिवर्तन हुआ। अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालयों में वृद्धि हुई और नार्मल स्कूल अध्यापक प्रशिक्षण के मुख्य केन्द्र बने। परिणामस्वरूप, लोगों में जागृति और सामान्य शिक्षा की अनिवार्यता के कारण अध्यापक प्रशिक्षण का बड़ी तेजी से विकास हुआ। 1875 में 350 अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालय में जिनमें 155 सरकार द्वारा संचालित थे। बीसवीं शताब्दी के प्रथम 50 वर्षो में अमेरिका के नार्मल स्कूल अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में परिवर्तित हो गए। अध्यापक शिक्षा ने विश्वविद्यालय में अपना स्थान बना लिया। दो विश्व युद्धों के पश्चात, माध्यमिक विद्यालयों के लिए अध्यापक तैयार करने वाले महाविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए विश्वविद्यालय की उपाधि होना अनिवार्य न्यूनतम योग्यता हो गई। नार्मल स्कूलों के 2 वर्ष के कार्यक्रम को 4 वर्ष कर दिया गया। इस प्रकार अमेरिका में अध्यापक शिक्षा को बहुत बढ़ावा मिला पश्चिमी देशों में अध्यापक शिक्षा के विकास का समकालीन प्रत्यक्ष प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा बल्कि ब्रिटेन के माध्यम से ये परिवर्तन यहां लाए गए।

3.2 भारत में अध्यापक शिक्षा का विकास (Development of Teacher Education in India)

भारत में अध्यापक शिक्षा के विकास को कई चरणों में बाँट कर अध्ययन किया जा सकता है जैसे वैदिक काल से लेकर मुस्लिम काल तक, आधुनिक भारत में ब्रिटिश काल के प्रारम्भिक वर्षो में, उन्नीसवीं शताब्दी में अध्यापक शिक्षा का विकास।

3.2.1 वैदिक काल से लेकर मुस्लिम काल तक अध्यापक शिक्षा का विकास

भारतीय शिक्षा प्राचीनतम है और उतनी ही प्राचीन है अध्यापक शिक्षा। सामान्य शिक्षा व्यवस्था और अध्यापक शिक्षा का चोली-दामन का साथ है "गुरू" एक शब्द जिसका अस्तित्व विशेष गुणों से जुड़ा है और वे गुण केवल प्राकृतिक ही नहीं अपितु गहण भी किए जाते थे। तब शिक्षा व्यवस्था पूर्णत: वेदों से सम्बन्धित थी तब ब्राह्मण वर्ग ही समाज को शिक्षित बनाने का कार्य करता था। शिक्षक शिक्षण कला को अपने परिवार या गुरू के माध्यम से सीखता था। इस प्रकार शिक्षण व्यवसाय की अनौपचारिक व्यवस्था न होते हुए भी यह कला एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होती थी। अध्यापन कला के स्थान्तरण में अध्यापक छात्र के मध्य घनिष्ठ संबंध बहुत लाभकारी सिद्ध होते थे। छोटे छोटे प्रत्यक्ष प्रयोगों द्वारा गुरू अपने शिष्यों को शिक्षा देता था और इस शिक्षा की उच्चतम सीढ़ी होती थी अध्यापन कला। सबसे प्रवीण शिष्य शिक्षण कला के योग्य ठहराये जाते थे। अनौपचारिक परीक्षा के स्थान पर शास्त्रार्थ में विजयी शिक्षित व्यक्ति गुरू का स्थान प्राप्त करता था।

बुद्धकाल में अध्यापक शिक्षा में जो परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए इनमें मुख्य था कि शिक्षण प्रशिक्षण के बाद अध्यापन बाह्मणों तक सीमित नहीं होगा और समाज का कोई भी प्रतिभाशाली

व्यक्ति प्रशिक्षण के बाद अध्यापक बन सकता हैं वह व्यवसाय धर्म शिक्षा के प्रसार और प्रचार के लिए सीमित था तो भी यह कहा जा सकता है कि अध्यापक शिक्षण की अनौपचारिक व्यवस्था इस काल में थी।

मुस्लिम काल में अध्यापक शिक्षण की कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं थी। मौलवी ही अध्यापक के रूप में मदरसों का कार्यभार संभालते थे। अरब के पढ़े लिखे लोगों को ही अध्यापक के रूप में धार्मिक शिक्षा के प्रसार हेतु रखा जाता था। शैक्षिक संस्थाओं में केवल मुस्लिम वर्ग के लोग ही मदरसों में पढ़ाने के लिए रखे जाते थे।

3.2.2 आधुनिक भारत में अध्यापक शिक्षा का विकास-

ब्रिटिश काल के आरम्भिक वर्षो में आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास का संबंध समुचित शिक्षा प्रणाली से हैं। भारत में अंग्रेजों का आगमन और शिक्षा व्यवस्था को अपने अनुकूल परिवर्तित करना इस बात का द्योतक है कि शिक्षा प्रणाली को पूर्णत: परिवर्तित किया गया। इस परिवर्तन के साथ अध्यापक शिक्षा को भी ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था के अनुसार आरम्भ किया गया।

3.2.3 उन्नीसवीं शताब्दी में अध्यापक शिक्षा का विकास

इस काल की अध्यापक शिक्षा के इतिहास को तीन भागों में बांट सकते है-

(अ) मोनोटोरियल व्यवस्था 1801 - 1882

(ब) अध्यापक प्रशिक्षण 1801 - 1882

(स) अध्यापक शिक्षा 1940 के बाद

(अ) मोनोटोरियल व्यवस्था-

इस काल मे अध्यापक शिक्षा में कोई रूचि कहीं दिखाई नहीं पड़ती थी। कुछ स्थानों पर व्यक्तिगत संस्थाओं ने थोड़ी बहुत व्यवस्था की। अध्यापक प्रशिक्षण की उस व्यवस्था को मोनोटोरियल व्यवस्था कहते हैं जो पुराने ढंग पर आधारित है। इस व्यवस्था के अनुसार विद्यालय और कक्षा को सजातीय समूहों में बांटा जाता था और हर समूह का एक होशियार छात्र मोनीटर होता था मोनीटर का कार्य था कि वह समूह को पढ़ाए छात्रों को पाठ याद करने में मदद करें ओर छात्रों की प्रगति और व्यवहार के बारे में अध्यापक को सूचित करें। इस व्यवस्था में अनुशासन पर अधिक बल दिया जाता था।

1787 में डा.एन्ड्रू बैल ने कलकत्ता मिलट्री एसाईलय में इस व्यवस्था को अपनाया और पुस्तक "इन एक्सपेरोमैंट इन एजूकेशन मेड एट दी माले एसाईलय एट मद्रास" लिखी। इस पुस्तक ने ब्रिटिश शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान आकर्षित किया और इस व्यवस्था को इंग्लैंड में अपना लिया गया। इस व्यवस्था को अपनाने से खर्चा कम होने के कारण 1801 से 1845 के बीच वहाँ प्राथमिक शिक्षा का बहुत अधिक विस्तार हुआ। जिसे लैकांस्ट्रीयन, पैस्टोलोलियन ग्लेसगो, मोनीटोरियल और युपिल टीचर व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय स्वदेशी व्यवस्था की देन है। अत: खर्चीली शिक्षा व्यवस्था मे अध्यापक की समस्या का समाधान भारत में पहले से था।

भारत में सर्वप्रथम डेनिस मिशनरीज ने एक अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र शेरामपुर (पश्चिम बंगाल) में स्थापित किया। ये मिशनरीज व्यक्तिगत संस्थायें थी। इसके पश्चात तीन और व्यक्तिगत संस्थाओं के खुलने से इनको नार्मल विद्यालय कहा गया। ये शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय मद्रास,बम्बई और कलकत्ता में खोले गए। इसके पश्चात सरकार ने इस और ध्यान दिया और इस प्रकार के साधारण स्कूल पुना, सूरत और कलकत्ता में खोले गए। प्राइमरी स्कूलों की संख्या बढ़ने के साथ तीन और संस्थायें आगरा, मेरठ और वाराणसी में स्थापित की गई। 1824 तक इनकी संख्या 26 तक पहुंच गयी। बम्बई में दी नटीव एजूकेशन सोसाइटी ने 24 चुने हुए प्रबन्धकों को प्रशिक्षण दिया और उन्हें प्राथमिक शिक्षा को सुधारने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में भेजा। 186 में सर थामस मुनरो की सलाह पर अध्यापक प्रशिक्षण के लिए एक केन्द्रीय स्कूल मद्रास में खोला गया। बंगाल में, कलकत्ता स्कूल सोसाइटी की स्थापना 1819 में हुई और लैकांस्ट्रीयन व्यवस्था के अनुसार अध्यापक प्रशिक्षण आरम्भ हुआ। 1825 में इस सोसाइटी को कोर्ट ऑफ डायरैक्टरस ने 500/-रू. मासिक देने की घोषणा की। कलकत्ता लेडिज सोसाइटी ने महिला अधपक प्रशिक्षण का प्रबन्ध कलकत्ता सैंट्रल स्कूल ऑफ गर्लज में किया।

वुडस डिस्पैस 1854

वुडस डिसपैस में ये इच्छा व्यक्त की गई कि भारत के प्रत्येक प्रान्त में एक अध्यापक प्रशिक्षण स्कूल होना चाहिए जैसा इंग्लैण्ड में है। ऐसा सुझाव इसलिए दिया गया कि अध्यापन का कार्य प्रभावी रूप से चल सके तथा अध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान भी किया जाय। यद्यपि इन सुझावों की और अधिक ध्यान नहीं दिया गया। फिर भी इन सुझावों के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों के लिए अध्यापकों के प्रशिक्षण संस्थान खोले गए। वेतन कम होने के कारण जो लोग प्राथमिक अध्यापन व्यवसाय में आए वे प्राइमरी स्कूल पास ही थे। इन प्रशिक्षण कार्यो की अवधि प्रान्तों में अलग थी। इनका पाठ्यक्रम अत्यधिक विश्व वस्तु का ज्ञान देना ही था जो कि प्राथमिक स्तर पर उन्हें पढ़ाना होता था। आजकल की तरह अध्यापक व्यवसाय शिक्षा का ज्ञान नहीं था। मूलत: अध्यापकों का प्रशिक्षण लेकास्ट्रीय प्रणाली पर आधारित था। बाद में प्रशिक्षार्थी को एक अनुभवी अध्यापक के साथ कुछ निश्चित अवधि के लिए लेकास्ट्रीय प्रणाली में रहना होता था। इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि महिला अध्यापकों के लिये नार्मल स्कूल स्थापित हुए। कुमारी मेरी कारपेन्टर के प्रयासों के कारण यह सम्भव हुआ। कुमारी मेरी एक जानी पहचानी ब्रिटिश शिक्षा शास्त्री थी, जिसने भारत में कई बार भ्रमण किया। 1881-82 तक भारत में 15 महिला नार्मल स्कूल थे। यह दिलचस्प बात है कि इन संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए योग्यता नहीं थी। कोई भी महिला जो अध्यापक बनना चाहती थी और बुद्धिमती थी, तो अनपढ़ को भी प्रवेश मिल जाता था क्योंकि पढ़ी लिखि महिलाएँ उस समय उपलब्ध नहीं थी।

जहाँ तक माध्यमिक प्रशिक्षण का संबंध है तो इस काल में केवल दो हो प्रशिक्षण महाविद्यालय थे एक एक राजकीय नार्मल (मद्रास) 1856 और दूसरा लौहार प्रशिक्षण स्कूल (1881)। इन प्रशिक्षण संस्थानों में स्नातक और पूर्ण स्नातक को ही प्रवेश मिलता था। इनके पाठ्यक्रम में स्कूल में पढ़ाई जाने वाली विषयवस्तु और बहुत कम व्यावसायिक विषय सम्मिलित थे। मद्रास नार्मल स्कूल को ज्यादा अच्छा माना जाता था। क्योंकि उसके साथ प्रशिक्षण के लिए एक माडल स्कूल जुड़ा हुआ था। इस काल में माध्यमिक शिक्षण प्रशिक्षण का कोई निश्चित रूप

नहीं बन पाया था। यह महसूस किया गया कि विश्वविद्यालय स्नातक को माध्यमिक अध्यापक नियुक्त किया जाए और इनके लिए किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनके पास अच्छी सामान्य शिक्षा थी। इस विषय को लेकर इंग्लैंड में भी विवाद हुआ था।

प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर आयोग 1882

1882 में विलियम हंटर, जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे, की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग गठित किया गया। इस आयोग ने अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना के लिए जो संस्तुतियाँ दी वे इस प्रकार थी:

- प्राथमिक शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए अध्यापकों को उचित ढंग से प्रशिक्षित किया जाए।
- प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण के लिए स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अधिक नार्मल स्कूलों की स्थापना की जाएँ।
- उचित ढंग यह होगा कि जिला इन्सपेक्टर आफ स्कूल के दायरे में कम से कम एक नार्मल स्कूल हो।
- यह भी सुझाव दिया गया कि नार्मल स्कूल के सफलतापूर्वक संचालन के लिए इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल को प्रशिक्षण संस्थानों में रूचि लेते हुए अपना प्रशासन भी चलाना चाहिए।
- प्रान्तीय सरकार को शिक्षा के लिए निर्धारित धन से प्राथमिक विद्यालय और नार्मल स्कूल स्थापित करने की और ध्यान देना चाहिए।
- स्नातक और पूर्व स्नातक के लिए अलग से अध्यापक प्रशिक्षण होना चाहिए।

इस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक देश में छः प्रशिक्षण महाविद्यालयों (मद्रास लाहौर, राजमुन्द्री, कुरसोंग जबलपुर और इलाहाबाद) और उच्च माध्यमिक प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना हुई।

बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में भारत में अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना और विकास में काफी प्रगति हो चुकी थी। भारत सरकार शिक्षण प्रगति के और ध्यान देने लगी थी। परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने प्रथम शिक्षा नीति 1904 के नियमानुसार अध्यापक शिक्षा की समस्याओं के विभिन्न रूपों को और बल दिया और निम्न सिद्धान्त बनाए:-

1 उच्च श्रेणी की अध्यापक शिक्षा प्रदान करने के लिए योग्य व्यक्तियों को लगाना चाहिए ताकि भारतीय शिक्षा सेवा में सेवा में अच्छे प्रशिक्षित व्यक्ति आ सकें।

2 माध्यमिक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए सामग्री उतनी ही आवश्यक है, जितनी कला महाविद्यालयों के लिए।

3 स्नातकों के लिए प्रशिक्षण एक वर्ष का होना चाहिए जिससे विश्वविद्यालय की डिगी या डिप्लोमा मिले। दूसरों के लिए यह कोर्स दो वर्ष का होना चाहिए।

4 प्रत्येक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के साथ एक अभ्यास स्कूल जोड़ देना चाहिए, जिससे कि शिक्षण के सिद्धान्तों का अभ्यास किया जा सके।

5 प्रशिक्षण महाविद्यालयों और स्कूल के बीच बराबर संबंध बनाए रखना चाहिए ताकि प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात अध्यापक ठीक से पढ़ा सके।

इस सुझावों के दूरगामी परिणाम हुए, जिनमें प्रशिक्षण संस्थानों में वृद्धि हुई।
स्नातकों के लिए एक वर्ष का और पूर्व स्नातकों के लिए 2 वर्ष का व्यावसायिक कोर्स आरम्भ हुआ।

प्रशिक्षण संस्थानों के साथ अभ्यास स्कूल जोड़ दिए गए।

लार्ड कर्जन की केन्द्रीय अनुदान नीति के बहुत से माध्यमिक प्रशिक्षण महाविद्यालय खुले। एम. टी. कालेज, बम्बई (1906) डेवीज प्रशिक्षण महाविद्यालय कलकत्ता (1908) पटना प्रशिक्षण महाविद्यालय (1908) ढाका प्रशिक्षण महाविद्यालय (1910) और समैंस प्रशिक्षण महाविद्यालय, जबलपुर (1911) आदि।

स्वंय मूल्यांकन

1 वैदिक काल में अध्यापक शिक्षा के स्वरूप को बताइये
2 प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग को तीन प्रमुख विशेषताऐं बताइये।
3 भारत सरकार की शिक्षा की शिक्षा नीति 1912-13 पर प्रकाश डालें।

भारत सरकार की शिक्षा नीति 1912-13

प्राथमिक शिक्षा- इस स्तर पर अध्यापक को कम से कम 8 वीं कक्षा पास होना चाहिए तथा उसे प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए तथा उसकी जाति वही होनी चाहिए थी जिस जाति के छात्र होते थे।

यदि प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध नहीं होता था तो थोड़े समय का प्रशिक्षण छुट्टियों के समय में दिया जाता था इस नीति में कहा गया कि प्रशिक्षक अध्यापको को कई सुविधाएँ दी जानी चाहिए जैसे वेतन कम से कम 12 रूपये होना चाहिए। निश्चित सर्विस ग्रेड, पेन्सन, प्रोविडेन्ट फण्ड आदि सुविधाएँ भी मिलनी चाहिए।

माध्यमिक शिक्षा- माध्यमिक शिक्षा के संबंध में इस समय निम्न सुझाव दिए गये।
केवल प्रशिक्षित अध्यापकों की सरकारी विद्यालयों में नियुक्ति, प्रशिक्षण महाविद्यालयों में सुविधाएँ बढ़ाना और अधिक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना।

कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग-

सैन्डलर आयोग (1917-19) ने अध्यापक प्रशिक्षण संबंधी निम्न सुझाव दिए-

1 केवल प्रशिक्षित अध्यापकों की सरकारी विद्यालयों में नियुक्ति प्रशिक्षण महाविद्यालयों में सुविधाएं बढ़ाना, तथा अधिक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना।
2 प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या में तुरन्त वृद्धि की जाए।
3 शिक्षा को इन्टरमिडियट और बी.ए. में एक विषय के रूप में रखा जाय।
4 कलकत्ता और ढाका विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग खोले जाएँ।

भारत सरकार द्वारा आयोग के सुझावों को स्वीकार कर लिया गया और विश्वविद्यालयों के नियमानुसार परिवर्तन किए गए।

शिक्षा पर हेरटाँग की समिति का योगदान (1929)

सर हेरटाँग की अध्यक्षता में एक सतिकम का गठन 1929 में किया गया जिसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसमें अध्यापक शिक्षा से संबंधित सुझाव इस प्रकार थे:-

- प्राथमिक अध्यापकों के प्रशिक्षण में सुधार किया जाना चाहिए।
- प्रशिक्षण संस्थानों में योग्य स्टाफ और बेहतर उपकरण होने चाहिए।
- समय-समय पर रिफ्रेशर कोर्स आयोजित किए जाएँ।
- अध्यापक के वेतन और सेवा शर्तों में सुधार किया जाए।
- माध्यमिक शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों में गुणात्मक सुधार होना चाहिए। नवीनतम विधियों का प्रयोग आरम्भ होना चाहिए।

इन सुझावों के अन्तर्गत बहुत से शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान गैर सरकारी विद्यालयों में भी खोले गए।

एब्बोट और वुड का शिक्षा पर प्रतिवेदन (1937)

इस प्रतिवेदन में अध्यापक शिक्षा के संबंध में कहा गया कि हैं-

शिक्षकों के लिए दो प्रकार के प्रशिक्षण हो एक सेवा पूर्व जो नार्मल स्कूल या महाविद्यालयों में हो और दूसरा अल्पकालीन सेवाकालीन उनके लिए जिन्हें सेवाकालीन का अनुभव प्राप्त हो।

वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा (1937)

डा. जाकिर हुसैन, जो जामिया मिलिया इसलामिया के उपकुलपति थे की अध्यक्षता में वर्धा योजना के वे सुझाव सामने आए जो गाँधी जी के दर्शन पर आधारित थे। इसके अन्तर्गत यह आवश्यक समझा गया कि केवल प्रशिक्षित अध्यापक ही नियुक्त किए जाएँ। तथा अध्यापक प्रशिक्षण के लिए

निम्न प्रकार के पाठयक्रम सुझाए गए

1 दीर्घ कालीन प्रशिक्षण: यह प्रशिक्षण तीन वर्ष का है।

2 अल्पकालीन प्रशिक्षण इस प्रशिक्षण: के अन्तर्गत एक वर्ष का समय लगेगा।

उन्हीं लोगों को प्रशिक्षण के लिए प्रवेश मिलेगा जो मैट्रिक पास हो या वनेकुलर अन्तिम परीक्षा पास हो और दो वर्ष तक किसी संस्था में पढ़ा चुके हो।

सार्जेट शिक्षा योजना (1944)

शिक्षा के तेजी से विकसित करने के उद्देश्य से सार्जेन्ट योजना में प्रशिक्षित अध्यापको की सेना बनाने पर बल दिया। स्नातकों के लिए महाविद्यालयों में प्रशिक्षण का संबंध हो और पूर्व स्नातकों के लिए तीन प्रकार के प्रशिक्षण का सुझाव दिया गया जो निम्न प्रकार है

1 पूर्व प्राथमिक

2 बुनियादी

3 उच्च विद्यालय

यह भी सुझाव दिया गया कि सभी प्रकार के अध्यापकों की संख्या में सराहनीय वृद्धि हुई। 1946 -47 में अनुमानत: 61.5 प्रतिशत प्राथमिक और माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षित थे। जबकि ये प्रतिशत 1906-07 में मुश्किल से उच्च विद्यालयों में 29 प्रतिशत और माध्यमिक विद्यालयों में 37 प्रतिशत और प्राथमिक विद्यालयों में 25 प्रतिशत था।

3.3 स्वातंत्रोत्तर काल में अध्यापक शिक्षा का प्रारंभिक रूप

"शिक्षा ऐतिहासिक काल से ही विकास, विविधता और विस्तार की दृष्टि से निरंतर आगे बढ़ रही है। प्रत्येक देश अपनी अनूठी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान की अभिव्यक्त करने, उसे विकसित करने के लिए तथा समय की चुनौतियों से निपटने के लिए भी अपनी शिक्षा पद्धति को विकसित करता है।"(राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986), स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में लोकतंत्र के उदय से स्वतंत्र भारत के लोगों के मस्तिष्क में नई आशाएँ और आकांक्षाएँ विकसित होने लगीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, शिक्षा पद्धति को प्रभावी बनाने के लिए संगठनात्मक एवं प्रशासनिक ढाँचों और प्रक्रमों को विकसित करना, गुणवत्ता में सुधार लाने के साधन उपलब्ध कराना और व्यावहारिक लक्ष्यों को स्थापित कर, विशिष्ट प्रकार की विशेषज्ञता और स्वायत्तता को ग्रहण करने की आवश्यकता थी। अर्ध-साक्षर राष्ट्र के रूप में चिंता के महत्वपूर्ण मुद्दों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा सामाजिक पुनर्निमाण में योगदान देना और उत्तम तरीके की शिक्षा प्रदान करना था। इसलिए, अध्यापक शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया। लोकतंत्र में शिक्षा की परिवर्तित भूमिका में मुख्य थे विद्यालय के अनुभवों के माध्यम से बच्चों में नए मूल्य अभिविन्यासों का निर्माण करना, तथा साथ-साथ राष्ट्र के बेहतर भविष्य के लिए जरूरी परिवर्तन और उभरते मुद्दों पर भी ध्यान देना था। लेकिन ऐसा परिवर्तन लाने के लिए मुख्य चिंता का विषय बड़ी संख्या में अप्रशिक्षित अध्यापक थे।

शिक्षा में गुणवत्ता, शिक्षा पहुँचाने की योग्यता, ज्ञान और अनुक्रियाशीलता (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्) के अनुसार का संवर्धन चिंता के विषय है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि शिक्षा की पद्धति को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासों की स्पष्ट आवश्यकता थी। इस इकाई में हम समझ सकेंगे कि भारतीय शिक्षा पद्धति और संबद्ध अध्यापक शिक्षा ने किस प्रकार उत्तर स्वतंत्रता काल के दौरान कैसे लोगों की आवश्यकताओं एवं राष्ट्रीय आकांक्षाओं पर ध्यान केन्द्रित किया। आप यह जानेंगे कि उस समय के दौरान क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है और हमारी शिक्षा पद्धति किस दिशा में आगे बढ़ रही है और किस दिशा में ही उसे आगे बढ़ना चाहिए, अर्थात् इन पहलुओं को समझने की दृष्टि से यह बेहद महत्वपूर्ण है।

सन् 1960 में शिक्षा पर गठित समीक्षा समिति ने अध्यापक शिक्षक की योग्यता, प्रशासकों की शिक्षा और स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा एवं शोध के अध्ययनों के बारे में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से अध्यापक शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए अन्य बहुत सी समितियों का गठन किया गया जिनके कुछ ही सुझावों को लागू किया गया। अध्यापक शिक्षा की देखरेख केन्द्रीय और राज्य स्तर के विश्वविद्यालयों एवं सार्वजनिक और निजि उद्यमों द्वारा की जा रही थी यानि अध्यापक शिक्षा किसी एक की जिम्मेदारी नहीं थी। इसके अलावा, इनकी समग्र समस्याओं की जाँच भी नहीं की गई थी। अध्यापक शिक्षा के लिए संसाधनों की उपलब्धता भी एक समस्या थी। इसके अलावा, शिक्षा की कार्यसूची में अध्यापक शिक्षा का पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया था।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एक संवैधानिक निकाय के रूप में अध्यापक शिक्षा में मानकों के समन्वय एवं इनकी देखरेख के लिए उत्तरदायी है, इसलिए उसके द्वारा

1978,1988 और 1998 में अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता आधारित पाठ्यक्रम की बुनियादी संरचना (Quality Curriculum Framework for Teacher Education)की प्रस्तुति की गई है। यह प्रलेख अध्यापक शिक्षा के लगभग सभी पहलुओं से संबंधित है। इसमें भारतीय समाज के संदर्भ में अध्यापक शिक्षा का सामाजिक मनोविज्ञान एवं उसकी चिंताओं के मुद्दे शामिल है तथा एकता एवं विविधता, स्वतंत्रता एवं बाध्यता और सामाजिक नियोजन एवं व्यक्तिगत पहल के बीच के सम्बन्ध को विस्तृत रूप से संश्लेषित किया है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

- अध्यापक शिक्षा की वर्धित अवधि और विभिन्न प्रकार के मॉडल;
- अध्यापक शिक्षा के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक घटकों को अद्यतन करके उसका अभिविन्यास किया गया;
- व्यावसायिकता, वचनबद्धता, सक्षमताओं और कार्यनिष्पादन कौशलों को विकसित करने पर जोर देना;
- अध्यापकों के निर्माण हेतु समुदाय, विश्वविद्यालय और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की क्षमताओं का इष्टतम सदुपयोग करना;
- समाज के सुविधावचित वर्गो के लिए अध्यापकों को तैयार करने का प्रावधान; और
- वैकल्पित शैक्षिक कार्यक्रमों का सुझाव दिया जो अध्यापक शिक्षक के लिए शिक्षा के विशिष्ट कार्यक्रमो, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए अलग से अध्यापकों को तैयार करना और प्रतिभाशाली बच्चों के अध्यापकों को तैयार कर सकेगा।

इन सबके अतिरिक्त, कुछ ऐसे दूसरे सुझाव भी थे जिन्हें राष्ट्र ने भली-भाँति अपनाया लेकिन विविध कारणों से कुछ ही सुझावों को व्यावहारिक रूप दिया जा सका। आज समाज की जरूरत और माँग बदल रही है, जैसे कि वैश्वीकरण के कारण उपभोक्तावादी, मूल संकट और नए दबावों की उत्पत्ति और एच.आई.वी एड्स जैसे रोगों इनके आधार पर अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को नया रूप देने की आवश्यकता पड़ी। अब, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के सम्मुख अध्यापक शिक्षा की मौजूदा कमियों को दूर करना और सामने आने वाली नई चुनौतियों की माँग की पूर्ति करना मुख्य उद्देश्य था। परिषद् के सम्मुख अध्यापक शिक्षा की मौजूदा कमियासे को दूर करना और सामने आने वाली नई चुनौतियों की माँग की पूर्ति करना मुख्य उद्देश्य था। परिषद् ने इन चुनौतियों पर काबू पाने के लिए अध्यापक शिक्षा संस्थान (Teacher education Institute; TEI) की सिफारिश की; जिनके मुख्य कार्य इस प्रकार है:-

- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मौजूद मानदण्डों के आधार पर मुद्रित सामग्री, ऑफ-लाइन सूचना प्रौद्योगिकी सामग्री और कम्प्यूटर समेत योग्यता प्राप्त संकाय, अवसंरचना और अधिगम संसाधन प्रदान करना;
- संस्थान में सभी सहभागियों जैसे विद्यार्थी, संकाय, गैर-शैक्षिक स्टाफ के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित मूल्यों और आदर्शो पर आधारित कार्पोरेट संस्थागत जीवन को विकसित करना;

- विद्यार्थियों, संकाय और अन्य स्टाफ के लिए सक्षम और समर्पित व्यावसायिकों के विकास को बढ़ावा देने के लिए सभी अनिवार्य साधनों को प्रदान करना और इनका प्रयोग करना;
- आवश्यक एवं अपेक्षित संसाधनों को सृजित करके मध्यकालिक मूल्यांकन द्वारा अध्यापक शिक्षा संस्थान की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए इनका प्रयोग करना;
- समुदाय और इसके विद्यालयों को अध्यापक शिक्षा संस्थान के साथ जोड़ने के लिए नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करना तथा इनके संसाधनों का अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के सुधार और संवर्धन के लिए प्रयोग करना;
- संकाय शोध परियोजनाओं को बढ़ावा देना तथा उन्हें सुदृढ़ करना;
- समन्वित विद्यालयों के अध्यापकों, अध्यापक शिक्षा संस्थान एवं सम्बद्ध संस्थानों के संकाय सदस्यों के व्यावसायिक विकास के लिए ऑन-कैम्पस एवं ऑफ-कैम्पस कार्यकलापों और कार्यक्रमों को आयोजित करना; और
- अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को अधिकाधिक विद्यालय-आधारित, आकर्षक तथा विद्यालयों के बीच सहयोगपरक बनाना।

3.4 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का शिक्षक-शिक्षा के विकास में योगदान Contribution of University Education Commission in the development of Teacher Education

स्वतंत्रता के तुरन्त बाद सन् 1948 में दिल्ली में केन्द्रीय शिक्षा संस्थान (Central Institute of Education) और इलाहाबाद में राजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालय (Government Training College) की स्थापना हुई। ये संस्थायें अब भी अपने उच्चस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये अपने-अपने क्षेत्रों में अग्रणी संस्थायें मानी जाती हैं। इसी वर्ष विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का भी गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष डा. सर्वपल्ली राधा कृष्णन नियुक्त किये गये। इस आयोग ने अपनी प्रतिवेदन सन् 1949 में प्रस्तुत की। अपने प्रतिवेदन में इस आयोग ने शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रचलित पाठ्यक्रमों की कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया तथा इनमें सुधार लाने के लिये सुझाव दिये। इस आयोग द्वारा शिक्षक-शिक्षा पर की गई टिप्पणियां तथा दिये गये सुझाव निम्नलिखित है:-

1. यद्यपि विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं में पढाये जाने वाले पाठ्यक्रमों में कोई विशेष अंतर नहीं था किन्तु प्रशिक्षण के दौरान छात्राध्यापकों के द्वारा अभ्यास के लिये पढाये जाने वाले पाठों की संख्या में काफी अन्तर था (यह संख्या दस पाठों से लेकर साठ पाठों तक पाई गई)। अतएव अभ्यास के लिये पढाये जाने वाले पाठों (practice Teaching Lessons) की संख्या में समानता लाई जानी चाहिये।

2. अधिकांश प्रशिक्षण संस्थाओं में सैद्धांतिक पठन-पाठन तथा प्रयोगात्मक (अथवा अभ्यासात्मक) कार्यो में ताल-मेल बैठाना आवश्यक था।
3. प्रशिक्षण संस्थाओं में ऐसे प्रशिक्षकों को नियुक्त किया जाना चाहिये जो स्कूली अध्यापन कार्य का यथेष्ट अनुभव रखते हों।
4. सैद्धान्तिक पाठ्यक्रमों को लचीला (Flexible) बनाया जाना चाहिये, जिससे इन पाठ्यक्रमों में स्थानीय परिस्थितियों एवं परिवेश के अनुरूप परिवर्तन करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो सके।
5. अन्तर विश्वविद्यालय-नियोजन (Interuniversity Planning) के अभाव में तथा महाविद्यालयों के बीच पृथकीकरण (Isolation) के कारण शिक्षा-विषय के क्षेत्र में कार्यरत प्राध्यापकों तथा प्रोफेसरों को मौलिक शैक्षणिक कार्य करने में कोई रूकावट नहीं आनी चाहिये।
6. सभी प्रशिक्षण संस्थाओं में शिक्षण-अभ्यास (Practice Teaching) के लिये मॉडल स्कूलों की व्यवस्था होनी चाहिये।

सन् 1950 में प्रशिक्षण महाविद्यालयों का प्रथम सम्मेलन हुआ जिससे आपसी विचार-विमर्श के लिये एक मंच की स्थापना हो सकी। इसके तुरन्त बाद सन् 1951 में द्वितीय अखिल भारतीय सम्मेलन (All India Conference) मैसूर में आयोजित किया गया। इसमें अन्य सुझावों के अलावा यह संस्तुति (Recommendation) की गई कि "प्रशिक्षण" के स्थान पर शिक्षा शब्द का प्रयोग करना अधिक सार्थक होगा, क्योंकि इससे प्रशिक्षण-संस्थाओं का कार्य क्षेत्र बढ़ जायेगा। इस सम्मेलन के पश्चात् शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में अनेक ग्रीष्मकालीन-पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं (Workshops) सम्मेलनों तथा गोष्ठियों का आयोजन किया गया। इसके परिणामस्वरूप शिक्षक-शिक्षा के पाठ्यक्रमों में अनेक संशोधन किये गये, प्रयोगात्मक-कार्य में वृद्धि की गई तथा अध्ययन के लिये कुछ नये विषय क्षेत्र पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किये गये।

3.5 माध्यमिक-शिक्षा आयोग का शिक्षक-शिक्षा के विकास में योगदान (Contribution of the Secondary Education Commission in the Development of Teacher Education)

सन् 1952 में भारत सरकार ने मद्रास विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डा. मुदलियार की अध्यक्षता में माध्यमिक-शिक्षा आयोग का गठन किया। यद्यपि इस आयोग का मुख्य कार्य माध्यमिक शिक्षा को सुधारने के लिये सुझाव प्रस्तुत करना था, किन्तु इसी संदर्भ में इस आयोग ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया कि यह सुधार तब ही संभव होगा जब कि शिक्षक-शिक्षा में भी आवश्यक सुधार किये जायें। अतएव, सन् 1953 में प्रस्तुत किये गये अपने प्रतिवेदन में इस आयोग ने शिक्षक -शिक्षा के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिये:

1. स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट प्राप्त व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण की अवधि दो वर्षो की तथा स्नातक की डिग्री प्राप्त छात्रों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल एक वर्ष का होना चाहिये जिसकी अवधि दो वर्षो तक बढ़ाई जा सकती है।
2. स्नातकों को प्रशिक्षित करने वाली संस्थाएं को विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध किया जाना चाहिये और प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् छात्रों को डिग्री देने का उत्तरदायित्व भी विश्वविद्यालयों को दिया जाने चाहिये तथा इसके नियंत्रण के लिये एक अलग बोर्ड की स्थापना की जाये।
3. एम.एड. कक्षाओं में प्रवेश पाने के लिये छात्रों को बी.एड. पास करने के पश्चात कम से कम तीन वर्षो तक पढ़ाने का अनुभव प्राप्त होना चाहिये।
4. एम.एड. कक्षाओं के पाठ्यक्रम में लघु-शोध कार्य (Dissertation) पुनश्चर्या कार्यक्रमों (Refresher Courses) तथा पाठ्यक्रम सहगामी (Co-curricular) गतिविधियों को सम्मिलित करने पर बल दिया जाये।

इन सुझावों के परिणामस्वरूप, सन् 1955 में शिक्षक-शिक्षा में सुधार लाने हेतु अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (All India Council for secondary Education) का गठन किया गया और विस्तार-सेवा केन्द्रों (Extension Service Centres) के माध्यम से इस परिषद ने सेवारत (Inservice) शिक्षकों को शिक्षित करने का कार्य किया इस कार्य को सुचारू रूप से करने के लिये विस्तार कार्यक्रम निदेशालय (Direcotrate of Extension Programme) तथा परीक्षा-सुधार इकाई (Examination Reform Unit) की स्थापना की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शिक्षक-प्रशिक्षण के क्षेत्र में अधिक सुविधा प्रदान करने के लिये 17 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई सन् 1959 में हैदराबाद में अंग्रेजी भाषा के शीर्षकों को प्रशिक्षित करने के लिये केन्द्रीय अग्रेंजी तथा विदेशी भाषा संस्थान (Central institute of English and Foreign Languages) स्थापित किया गया।

3.6 शिक्षा आयोग का शिक्षक-शिक्षा में योगदान (Contribution of Education Commission in the Development of Teacher Education)

सन् 1962 के आस-पास प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रशिक्षण विस्तार केन्द्रों (Extension training Centre) ने कार्य आरम्भ कर दिया सन् 1965 तक राज्य शिक्षा संस्थानों (Statetutes of Education) की स्थापना हुई और राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (National Institute of Education)में शिक्षा विभाग ने कार्य शुरू कर दिया। 1960 के दशक में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (National Council of Educational Research and Training) की भी स्थापना हुई। इस परिषद् द्वारा शिक्षक-प्रशिक्षण के कार्य की सुचारू रूप से चलाने के लिये चार क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई। अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर तथा मैसूर में स्थापित ये संस्थान क्रमश: उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी तथा दक्षिणी क्षेत्रों के लिये शिक्षक-शिक्षा का उत्तरदायित्व सम्भाले हुए है।

कुछ चुनी हुई शैक्षणिक योजनाओं का अध्ययन करने के लिये सन् 1961 में एक अध्ययन दल की स्थापना की गई। इस दल ने शिक्षण-प्रशिक्षण से संबंधित अपनी रिर्पोट सन् 1964 में प्रस्तुत कीं इस दल ने अपने अध्ययन द्वारा निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले-

1 शैक्षणिक विचारों को विकसित करने में शिक्षक-प्रशिक्षक संस्थानों का योगदान नाममात्र है।

2 प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रयोगशालाओं की सुविधा असंतोषजनक स्थिति में है, तथा शिक्षण उपकरणों की भी कमी है।

3 शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम में नये प्रयोगों को करने तथा अभिनव परिवर्तनों को लाने का कोईप्रयास नहीं किया जा रहा है।

सन् साठ के दशक में ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) ने एम.एस. विश्वविद्यालय बड़ौदा के शिक्षा तथा मनोविज्ञान संकाय के अन्तर्गत शिक्षा विषय में एक उच्च-अध्ययन केन्द्र (Centre for Advance Studies in Education) की स्थापना की। सन् 1964 में अखिल भारतीय शिक्षक-महाविद्यालय संघ (All India Association of Teachers Colleges) ने अपने सातवें सम्मेलन में यह प्रस्ताव पारित किया कि प्राथमिक तथा सैकेंडरी शिक्षकों की प्रशिक्षण संस्थाओं के बीच दूरी कम करने के लिये समन्वित महाविद्यालयों(comprehensive Colleges) की स्थापना की जाये।

सन् 1964 में डा. डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में एक शिक्षा-आयोग (Education commission) का गठन किया गया। यह आयोग इसलिये महत्वपूर्ण बना क्योंकि इसने शिक्षा के केवल किसी एक पहलू पर ध्यान केन्द्रित नहीं किया अपितु शिक्षा के सभी पहलुओं पर विचार किया, और इस प्रकार सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली के देशों पर विचार करके उन्हें दूर करने के लिये अपने सुझाव रखे। इसी सन्दर्भ में शिक्षा-आयोग ने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिये शिक्षक-शिक्षा में सुधार करना बहुत ही आवश्यक है। इस आयोग ने शिक्षक-शिक्षा में व्याप्त निम्नलिखित कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया:-

1. यद्यपि स्वतंत्रता के पश्चात् विश्वविद्यालय -शिक्षा आयोग, माध्यमिक-शिक्षा आयोग, शिक्षकों तथा माध्यमिक पाठ्यचर्या के 1954 में देखने के लिए आई अन्तर्राष्ट्रीय टीम, तथा अनेक गोष्ठियों (Seminara) एवं अध्ययन समूहों (Study groups) ने समय-समय पर प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षक-शिक्षा में सुधार लाने के लिए अपने सुझाव प्रेषित किये थे, किन्तु इन सुझावों को लागू करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये। परिणाम स्वरूप शिक्षक-शिक्षा अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा उपेक्षित रह गई।
2. इसी कारण प्रशिक्षण-संस्थाओं की ओर योग्य व्यक्ति आकर्षित नहीं हो पाये।
3. कुछ अपवादों को छोड़ कर प्रशिक्षण संस्थाओं में शिक्षण का स्तर सामान्य और कहीं-कहीं तो सामान्य से भी नीचे है।
4. पाठ्यचर्या (Curriculum) को आधुनिक तथा समयोनुकूल बनाने के स्थान पर केवल पारम्परिक रूप से चले आ रहे कार्यक्रमों को ही महत्व दिया जाता है।

5. शिक्षण-अभ्यास (Practice Teaching) के दौरान घिसी-पिटी परिपाटी का ही निर्वाह किया जा रहा है, इसमें समयानुसार लचीलापन अथवा परिवर्तन लाने की अनुमति नहीं है।
6. प्रशिक्षण संस्थायें विश्वविद्यालयी शैक्षणिक वातावरण से कटी हुई है।
7. इतना ही नहीं, ये संस्थायें स्कूलों की दैनिक समस्याओं के प्रति भी उदासीन है।

अतएव शिक्षा आयोग (1964-66)ए ने शिक्षक-शिक्षा में सुधार लाने के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये:-

1 प्रशिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं के अलगाव (Isolation) को दूर करने के लिये इन्हें विश्वविद्यालयों की अकादमिक मुख्य धारा में लाया जाये।

2 स्कूलों तथा प्रशिक्षण-संस्थाएं के बीच निकट सम्बन्ध स्थापित किये जायें।

3 विभिन्न स्तरों (सैकेंडरी, प्राइमरी आदि) पर अध्यापन हेतु शिक्षक तैयार करने के किए स्थापित प्रशिक्षण संस्थाओं के बीच तालमेल तथा सहयोग स्थापित किया जाये।

4 प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवता (Quality) बढ़ाई जाये।

5 प्रशिक्षण की सुविधाओं का विस्तार किया जाये।

6 सभी शिक्षकों के लिये सतत् व्यावसायिक शिक्षा (Continuing Professional Education) की यथेष्ट सुविधा प्रदान की जाये।

7 शिक्षक-शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिये प्रांतीय तथा केन्द्रीय स्तरों पर उपयुक्त संगठनों को स्थापित किया जाये।

शिक्षा-आयोग (1964-66) के सुझावों के परिणामस्वरूप शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाये गये। अलीगढ़, कानपुर एवं कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालयों ने शिक्षा में एम.ए. की डिग्री देने की व्यवस्था की। कुछ विश्वविद्यालयों ने अप्रशिक्षित सेवारत (Inservice) शिक्षकों के लिये ग्रीष्मकालीन तथा पत्राचार पाठ्यक्रम चलाये, तथा कुछ प्रांतों में प्रांतीय शिक्षक-शिक्षा बोर्डों(Boards of Teacher Education) की स्थापना की गई।

स्वंय मूल्यांकन

1 स्वतंत्रत्तोर काल में अध्यापक शिक्षा की विशेषताऐं बताये।

2 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का शिक्षक शिक्षा में क्या योगदान हैं।

3 राष्ट्रीय शिक्षक-शिक्षा परिषद् का शिक्षक शिक्षा के विकास में योगदान बतायें।

3.7 राष्ट्रीय शिक्षक-शिक्षा परिषद का शिक्षक-शिक्षा के विकास में योगदान (Contribution of National for teacher Education in the Development of Teacher Education)

सत्तर के दशक में शिक्षा-विदों निर्देश देश में एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करने का सुझाव दिया। परिणामस्वरूप तत्कालीन स्कूली शिक्षा को परिमार्जित करके एक नया रूप देने की चेष्टा की गई। स्कूली शिक्षा का यह नया स्वरूप 10+2 शिक्षण-प्रणाली के नाम से जाना गया और कई वर्षो तक शिक्षकों के बीच एक चर्चा का विषय बना रहा। इस नई शिक्षा प्रणाली की

आवश्यकताओं को ध्यान में रखके शिक्षक-शिक्षा परिषद (National Council for Teacher Education) ने संयुका रूप से शिक्षक-शिक्षा में सुधार लाने के लिए एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सतत् शिक्षा-केन्द्रों (Centres of Continuing Education) के माध्यम से सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने अनेक कार्यक्रम विकसित किये।

सन् 1973 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक-शिक्षा के विषय में सलाह देने के लिये राष्ट्रीय शिक्षक-शिक्षा परिषद का गठन किया। यद्यपि इस परिषद ने शिक्षक-शिक्षा में सुधार लाने के भरसक प्रयत्न किये किन्तु वैधानिक अधिकारों के अभाव में यह अधिक प्रभावशाली सिद्ध नहीं हो सकी। सन् 1993-94 में लोकसभा ने राष्ट्रीय शिक्षक-शिक्षा परिषद बिल पास करके इसे बहु प्रतीक्षित वैधानिक अधिकार दे दिये है। इस परिषद ने विस्तृत पैमाने पर विचार-विमर्श करके 10+2 शिक्षा प्रणाली के लिये शिक्षकों को तैयार करने का पाठ्यक्रम विकसित किया। यह पाठ्यक्रम मुख्य रूप से निम्नलिखित अवधारणाओं पर आधारित हैं:-

1. शिक्षक-शिक्षा पाठ्यक्रम बालकों तथा स्कूलों की व्यक्तिगत तथा सामाजिक आवश्यकताओं से सम्बद्ध होना चाहिये। अर्थात् स्कूली-पाठ्यचर्या (School Curriculum) तथा शिक्षक-शिक्षा के पाठयक्रम के बीच तालमेल होना चाहिये तथा इसमें राष्ट्रीय विचारधारा तथा समसामयकि (contemporary) समस्यात्मक विषयों को प्रतिबिम्बित (Reflect) किया जाना चाहिये।
2. वर्तमान शिक्षक-शिक्षा पाठ्यक्रमों को लचीला बनाया जाये जिससे पूर्व-प्राइमरी (Priprimary) प्राइमरी तथा सैकेंडरी स्तर के लिये प्रशिक्षित किये जाने वाले शिक्षकों के पाठ्यक्रमों को एक दूसरे से जोड़ा जा सके।
3. प्रशिक्षण प्रणाली में भी लचीलापन होना चाहिये जिससे शिक्षकों की सेवापूर्व (Preservice) तथा सेवारत शिक्षा में निरन्तरता: (Continuity) स्थापित हो सके।
4. शिक्षक-शिक्षा के पाठ्यक्रम में क्षैतिज (Horizontal) तथा उर्ध्वाधर (Vertical) गतिशीलता (Mobility) होनी चाहिये। क्षैतिज गतिशीलता से अभिप्राय है कि पाठ्यक्रमों को इस प्रकार बनाया जाये कि स्नातक स्तर पर छात्र बिना किसी कठिनाई के विज्ञान ,मानविकी, वाणिज्य, तकनीकी, शिक्षा आदि विषयों में से एक विषय को बदलकर किसी भी दूसरे विषय में आसानी से प्रवेश पा सके। उर्ध्वाकार गतिशीलता का अर्थ है कि यदि शिक्षक-शिक्षा के पाठ्यक्रम विभिन्न स्तरों (अर्थात् पूर्व प्राइमरी , सैकेंडरी आदि) के लिये उपलब्ध हैं तो छात्रों को एक स्तर की परीक्षा पास करने के बाद अगले. तर के पाठ्यक्रम में बिना किसी रूकावट के प्रवेश देने का प्रावधान हो।
5. उपर्युक्त गतिशीलता लाने के लिये यह आवश्यक है कि 'शिक्षा' को एक "अकादमिक अनुशासन" (Academic Discipline) के रूप में विकसित किया जाये। इससे जहाँ एक ओर क्षैतिज गतिशीलता प्राप्त होगी वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालयी मुख्य धारा से शिक्षक-शिक्षा के अलगाव को भी दूर किया जा सकेगा।

6. इतना ही नहीं, शिक्षा को अनुशासन के रूप में विकसित करने के साथ-साथ इस विषय क्षेत्र का अन्य विषयों के साथ समन्वीकरण करके शिक्षक-शिक्षा में अंत: अनुशासन तथा एकीकरण उपागमों (Interdisciplinary and Integrated Approaches) को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

7. यदि प्रशिक्षणार्थियों को सामाजिक एवं राष्ट्रीयकार्यो को करने के लिये तथा उच्च ज्ञानात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये तैयार करना है तो शिक्षक-शिक्षा का स्वरूप कार्य-आधारित होना चाहिये। इस प्रकार की शिक्षा में निर्धारित पाठ्यक्रमों की प्रकृति प्रचलित पाठ्यक्रमों की प्रकृति से भिन्न होगी। नये पाठ्यक्रमों में शिक्षा के सैद्धान्तिक ज्ञान की अपेक्षा सिद्धान्तों के अनुप्रयोग (Application) पर आधिक बल दिया जायेगा।

8. "अभ्यास-शिक्षण" के लिये "इनटर्नशिप की शैली को अपनाया जाये, क्योंकि इस शैली के द्वारा आधिक प्रभावशाली शिक्षक (Effective Teachers) तैयार किये जा सकेंगे। इससे जहाँ एक ओर प्रशिक्षार्थियों को लाभ होगा वहीं दूसरी ओर अभ्यास-स्कूलों (Practicing Schools) की शिक्षा- सम्बन्धी दिनचर्या में भी कम व्यवधान होगा।

9. उपर्युक्त सुझावों को लागू करने के लिये यह आवश्यक है कि शिक्षक-शिक्षा सेमेस्टर पद्धति पर आधारित हो। प्रत्येक सेमेस्टर में कम से कम 120 कार्य दिवस (Working days) हो, जिसमें परीक्षा के दिन भी सम्मिलित हैं।

10. सत्र के अन्त में केवल एक बार परीक्षा लेकर प्रशिक्षार्थी की योग्यता का आंकलन करना उपयुक्ता नहीं है। इरा पद्धति के स्थान पर सतत्-मूल्यांकन (Continuous Evaluation) की अवधारण को लागू किया जाना चाहिये। इस कार्य के लिये पारम्परिकविधियो में परिवर्तन करके आधुनिक तरीकों को अपनाना चाहिये। प्रशिक्षार्थियों विकास का विश्वसनीयता से पता चल सके और उसके व्यवहार में अपेक्षित सुधार लाया जा सके।

11. शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगों, अभिनव-प्रयोगों तथा शोध कार्य की ओर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है, और जहाँ कहीं इस प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं वे कोई विशेष उत्साहवर्धक नहीं है। शेष-कार्य स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं हैं, ये मात्र एक अकादमिक फैशन बन गया है। शेष-समस्याएँ स्कूली-समस्याओं से कम जुड़ी है और प्राय: सैद्धान्तिक पक्ष को ही अपने चिन्तन का विषय बनाये हुए है। अतएव यह आवश्यक है कि शोध-विधियों का ज्ञान किसी न किसी रूप में शिक्षक-शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रत्येक स्तर पर लागू किया जाये चाहे वह प्राइमरी कक्षाओं के शिक्षकों को तैयार करने का प्रोग्राम हो अथवा सैकण्डरी कक्षाओं के शिक्षकों के लिये। केवल स्नातकोत्तर (Post-graduate) कक्षाओं में इसे पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना यथेष्ट नहीं होगा।

3.8 राष्ट्रीय-आयोग-I का शिक्षक-शिक्षा के विकास में योगदान (Contribution of the National Commission of Teachers_I-in Development of Teacher Education)

16 फरवरी सन् 1983 को भारत सरकार ने अपनी प्रस्ताव सं. 23-I/8। पी.संख्या 2 के द्वारा शिक्षकों की दशा में सुधार लाने के लिये दो राष्ट्रीय आयोगों का गठन किया। प्रथम आयोग का कार्यक्षेत्र स्कूली शिक्षा से सम्बन्धित शिक्षकों की समस्याओं तक सीमित था, जबकि द्वितीय आयोग ने उच्च शिक्षा से संबंधित शिक्षकों की समस्याओं को अपना सन्दर्भ-बिन्दु बनाया। ये आयोग समाज के एक बड़े प्रतिनिधिक (Representative) समूह से मिले तथा विभिन्न व्यक्तियों से शिक्षकों में स्तरीय सुधार लाने के विषय में विचार प्राप्त किये। शिक्षकों के विषय में गठित राष्ट्रीय आयोग (प्रथम) ने निम्नलिखित मुख्य सुझाव दिये:-

1. प्रचलित बी.एड. कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों में सुधार लाने की आवश्यकता है।
2. शिक्षक-शिक्षा के लिये सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक तैयारी (Professional preparation) को मिलाकर पाठ्यक्रम विकसित किया जाये।
3. शिक्षण से सम्बन्धित प्रयोगात्मक कौशलों पर अधिक बल दिया जाये।
4. प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मूल्य-अनुकूलन (Value-Orientation) की ओर अधिक ध्यान दिया जाये।
5. प्राथमिक-शिक्षकों को तैयार करने के लिये 12 वीं कक्षा पास प्रशिक्षार्थियों के लिये प्रशिक्षण अवधि 2 वर्ष होनी चाहिये।
6. माध्यामिक-शिक्षक-प्रशिक्षण के लिये 12 वीं कक्षा पास प्रशिक्षार्थियों का प्रशिक्षण 5 कार्यक्रम वर्षो का होना चाहिये।

3.9 राष्ट्रीय-शिक्षा नीति 1988 का शिक्षक-शिक्षा के विकास में योगदान (Contribution of the National Policy on Education-1986 in the Development of Teacher Education)

सन् 1985 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक दस्तावेज प्रस्तुत किया। संसद ने 1986 में बजट सत्र के दौरान "राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986" पर विचार-विमर्श किया और उसे अपनी स्वीकृति प्रदान की। बजट सत्र के तुरन्त बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा नीति कार्यान्वयन के लिये एक कार्य योजना (Plan of Action) तैयार करने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर आरम्भ किया और सन् 1988 में इस कार्य योजना को प्रकाशित किया। अपने दिशा निर्देशों में राष्ट्रीय-शिक्षा नीति ने शिक्षक-शिक्षा सम्बन्धी निम्नलिखित तथ्यों की ओर ध्यान आकृषित किया:-

1 शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में शिक्षा के लिये समान अवसर उपलब्ध होने की इतनी समस्या नहीं है जिनकी शैक्षणिक रूप से निम्न स्तर के छात्रों द्वारा ही प्रवेशार्थी के रूप में प्रशासन रेखाओं में आने की है।

2 अतएव, आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेशार्थी का चयन उनकी शैक्षणिक अभिरूचि तथा मानसिक योग्यता परीक्षण करके किया जाये और प्रवेश नियमों का कड़ाई से पालन किया जायें।

3 इतना ही नहीं, प्रशिक्षण-संस्थाओं में प्रवेश के समय विज्ञान के छात्रों, खिलाड़ियों, हस्तकौशल मे के निपूर्ण तथा बहुआयामी रूचि रखने वाले प्रवेशार्थियों का विशेष ध्यान रखा जाये।

4 ज्ञान-विस्फोट (Knowledge Explosion) अभिभावकों के बदलते हुए दृष्टिकोण, जन-माध्यामो (Mas Media) के प्रभाव आदि के कारण शिक्षण का कार्य दिन प्रतिदिन चुनौती पूर्ण बनता जा रहा है, अतएव सेवारत शिक्षकों के लिये ऐसे पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों (Refresher Course) की व्यवस्था की जाये जो उन्हें इन चुनौतियों का सामना करने के लिये तैयार कर सकें।

5 शिक्षकों के सेवापूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिये जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं (District Institutes of Education and Training) की स्थापना की जानी चाहिये।

6 राष्ट्रीय शिक्षक-शिक्षा परिषद को अपनी भूमिका ठीक से निबटाने के लिये वैधानिक मान्यता प्रदान की जाये तथा आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये जायें।

7 शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव प्रयोगों को प्रोत्साहित करने के लिये अच्छे महाविद्यालयों (Colleges) को तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभागों को स्वायत्तता (Autonomy) प्रदान की जाये।

3.10 आचार्य रामपमूर्ति समिति का शिक्षक-शिक्षा के विकास में योगदान (Contribution of Acharya Rammurti Committee in the Development of Teacher Education)

राष्ट्रीय-शिक्षा-नीति 1986 की समीक्षा करने के लिए 7 मई 1990 को एक सत्रह सदस्यीय समिति का गठन आचार्य राम मूर्ति की अध्यक्षता में किया गया। इस समिति ने अन्य बातों के अतिरिक्त निम्नलिखित सिफारिशें भी की -

1 शिक्षकों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाये कि वे मेधावी तथा सामान्य बच्चों को एक साथ तथा एक गति से पढ़ा सकें।

2 ऐसे शिक्षक तैयार कियो जाये जो बालकों को पढ़ाने के लिए स्वयं पाठ्यक्रम तय कर सकें और उनका सत्त मूल्यांकन(Continuous Evaluation) कर सकें।

3 शिक्षक प्रशिक्षण इस प्रकार का हो कि स्कूल के बाद शिक्षक प्रौढ़ शिक्षा का कार्य कर सकें और स्कूल चलाने के लिये स्थानीय संसाधनों (Local Resources) का भी प्रबंध कर सके।

4 राष्ट्रीय स्तर की तीन संस्थाओं-केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (Central Hindi Institute)केन्द्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान (Central Institute of English and Foreign Languages) तथा केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (Central Institute of Indian Languages) में शिक्षक प्रशिक्षण के काम की गति को और बढ़ाया जाय।

5 अनुमानत: देश में अप्रशिक्षित हिन्दी अध्यापकों की संख्या 15000 है। अत: केन्द्रीय हिन्दी संस्थान को 275 की जगह 750 अध्यापकों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षित करना चाहिये।

3.11 सारांश (Summary)

स्वतंत्र भारत में शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति का संक्षिप्त विवरण उपयुक्त पंक्तियों में प्रस्तुत किया गया है। इस विवरण के विश्लेषण से यह पता चलता है कि विभिन्न आयोगों, कमेटियों आदि ने शिक्षक शिक्षा के विभिन्न आयामों (Dimensions) के सन्दर्भ में सुधार लाने हेतु समय समय पर अनेक सुझाव दिये किन्तु इन सुझावों को या तो समय से लागू ही नहीं किया गया, या परिस्थितिवश इसकी पूर्ण रूप से अवेहलना की गई। कभी तो सामाजिक जड़त्व (Social Inertia) के कारण कभी राजनैतिक संकल्प की कमी के कारण और कभी केन्द्र सरकार बदलने के कारण भी इनके क्रियान्वयन में व्यवधान उत्पन्न हुए हैं। इन सभी कठिनाइयों के बावजूद शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगे हैं यह एक सुखद स्थिति है।

मूल्यांकन प्रश्न

1 नीचे संकेताक्षरों (Abbreviations)में लिखे गये संगठनों, संस्थाओं आदि के पूरे नाम लिखिये :-

(i) CASE	(ii)CCE
(iii) CIE	(iv) CIEFL
(v) CIIL	(vi) DIET
vii) NCERT	(viii) NETE
(ix) NIE	(x) NEP
(xi) POA	(xii) SBTE
(xiii) SIE	(xiv)RIE
(xv) UGC	

2 निम्नलिखित में से प्रत्येक पर लगभग 100 शब्दों की टिप्पणियाँ लिखिये :-

(i) स्वायतता (Autonomy)

(ii) नमतीयता (Flexibility)

(iii) अलगाव (Isolation)

(iv) गतिशीलता (Mobility)

3 विभिन्न आयोगों द्वारा प्रस्तावित शिक्षक शिक्षा से संबंधित सुझावों की तुलना लगभग 500 शब्दों में कीजिये।

4 सरकार द्वारा गठित आयोगों 'समितियों के अतिरिक्त अन्य संगठनों ने शिक्षक शिक्षा में अपना क्या योगदान दिया है? लगभग 500 शब्दों में बताइये।

5 शिक्षक शिक्षा के विकास के लिये विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी प्रयोगों के बावजूद कौन सी कमियाँ तथा समस्यायें है? ये किस प्रकार दूर की जा सकती है, लगभग 1000 शब्दों में लिखिये।

3.12 संदर्भ ग्रंथ (Reference)

1 नुरूल्लाह, सैययद एवं जे. पी. नायक (1964), ए स्टूडेंट्स हिस्ट्री आफ एजूकेशन इन इण्डिया (1800-1960), नई दिल्ली, मैकमिलन

2 भारत सरकार (1949), रिपोर्ट ऑफ द युनिवसिटी एजूकेशन कमीशन, नई दिल्ली, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

3 भारत सरकार (1953), रिपोर्ट ऑफ द सैकेंडरी एजूकेशन कमीशन, नई दिल्ली शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

4 भारत सरकार (1985), चैलेंज ऑफ एजूकेशन-ए पालिसी पर्सपेक्टिव (शिक्षा की चुनौती-नीति. परिपेक्ष्य) नई दिल्ली, शिक्षा मंत्रालय

5 भारत सरकार (1986), राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, नई दिल्ली, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

6 भारत सरकार (1986), " एन. पी. ई. 1986 : प्रोग्राम ऑफ एक्शन (रा.शि.वी 1988 - कार्य योजना), नई दिल्ली, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

7 भारत सरकार (1990), "टूवर्डस सोशल ट्रांस्फोर्मेशन", आठवीं पंचवार्षिय योजना का दृष्टिकोण पत्र, नई दिल्ली, योजना आयोग, भारत सरकार

8 रा.शै..अ.प्र.प. (1986), शिक्षा और राष्ट्रीय विकास (कोठारी) शिक्षा आयोग (1964-66) का प्रतिवेदन, नई दिल्ली, रा. शै. अ प्र. प.

9 रा. शै. अ प्र. प. (1978), टीचर एजुकेशन करिक्युलम ए फेमवक, नई दिल्ली, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, रा. शै. अ प्र. प.

10 शर्मा, पी. सी. तथा एल. सी. सिंह (1994) टीचर एड टीचर एजूकेशन

इकाई 4

शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य एवं राष्ट्रीय नीतियाँ

Objectives of Teacher Education and National Polices

इकाई की रूपरेखा

4.0 उद्देश्य

4.1 शिक्षक - शिक्षा के सामान्य उद्देश्य

4.2 पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के उद्देश्य

4.3 प्राथमिक स्तर पर

4.4 माध्यमिक स्तर पर

4.5 उच्च माध्यमिक स्तर पर

4.6 शिक्षक और शिक्षक शिक्षा का मूल्यांकन एवं पुन: अभिवनवन

4.7 शिक्षक शिक्षा आयोग 1 एवं 11 की प्रमुख संस्तुतियां

4.8 नई शिक्षा नीति 1986 में शिक्षक शिक्षा का स्थान

4.9 शिक्षक शिक्षा पर राममूर्ति कमेटी तथा जर्नादन कमेटी के विचार

4.10 शिक्षक शिक्षा में नूतन विकास

4.11 समाहार

4.12 संदर्भ ग्रंथ

4.0 उद्देश्य (Objectives)

इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आप इस योग्य होंगे कि

- राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शिक्षक - शिक्षा के सामान्य उद्देश्य बता सकेंगे।
- पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य बता सकेंगे।
- प्राथमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा उद्देश्य बता सकेंगे।
- माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा उद्देश्य बता सकेंगे।
- उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा उद्देश्य बता सकेंगे।
- शिक्षक शिक्षा का शिक्षा के संदर्भ में मूल्यांकन कर सकेंगे।
- शिक्षक शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय आयोग 1 एवं 11 की संस्तुतियों से परिचित हो सकेंगे।
- नई शिक्षा नीति 1986 के संदर्भ में शिक्षक शिक्षा की अवस्थिति से परिचित हो सकेंगे।
- शिक्षक शिक्षा पर राममूर्ति तथा जनार्दन कमेटी के विचारों से अवगत हो सकेंगे।
- शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में हो रही अन्य नई प्रवृतियों से परिचित हो सकेंगे।

4.1 शिक्षक शिक्षा के सामान्य उद्देश्य (General Objective of Teacher Education)

सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा को एक सशक्त साधन माना गया है। इसीलिए किसी भी विकासशील देश के संदर्भ में प्राय: यह कहा जाता है कि उसका भाग्य कक्षाओं में निर्मित होता है। किन्तु कक्षा में छात्रों को सही साँचे में ढालने के लिए यह भी आवश्यक है कि उसे पढ़ाने वाले शिक्षक स्वयं इतने योग्य और कर्तव्य के प्रति निष्ठावान हो कि वे छात्रों में ऐसे गुण विकसित कर सकें कि इन भावी नागरिकों के द्वारा राष्ट्र निर्माण का कार्य सुचारू रूप से किया जा सके। शिक्षकों के द्वारा निर्माण की इस महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना तभी सम्भव है जब उन्हें इस कार्य के लिए पहले से ही प्रशिक्षित किया जाये। अतएव शिक्षक-शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह होगा कि वह राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित शिक्षा सम्बन्धी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये शिक्षकों को सेवापूर्ण तथा सेवारत प्रशिक्षण के माध्यम से तैयार करें।

भारत की समकालीन समस्याओं को हल करने के लिये शिक्षाविदों ने शिक्षा को 'उत्पादकता' से सम्बद्ध करने की संस्तुति की है; शिक्षा को "सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकीकरण" के लिये एक साधन के रूप में विकसित करने के लिये कहा है; शिक्षा के द्वारा 'आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को बल प्रदान करने की आशा की है तथा 'सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करने का उत्तरदायित्व भी शिक्षा के कंधों पर डाल दिया है। अतएव शिक्षक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि यह ऐसे शिक्षकों को तैयार करे जो सामाजिक परिवर्तन (Social change) प्रक्रिया (Process) को आरम्भ करने के लिए एक माध्यम रूप में कार्य कर सके और इस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित शिक्षा के मुख्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हों।

जहाँ एक और राष्ट्र के विकास के प्रति शिक्षक प्रतिबद्ध हो वही दूसरी और उसे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन बालकों को वह राष्ट्रीय संसाधन के रूप में तैयार कर रहा है वे स्वयं भी शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। अतएव इन बालकों के बाल्यकाल से लेकर प्रौढ़ावस्था तक के विकास को सही दिशा देना तथा इस प्रक्रिया को यथासम्भव निर्विघ्न बनाने में सहायता प्रदान करने का उत्तरदायित्व भी शिक्षकों का ही है। दूसरे शब्दों में शिक्षक - शिक्षा के उद्देश्य बालक तथा समाज के बीच सांमजस्य स्थापित करने के लक्ष्य को केन्द्र बिन्दु बना कर निर्धारित किया जाना चाहिये।

इन्हीं विचारों के आधार पर शिक्षक शिक्षा के लिये गठित राष्ट्रीय परिषद (National Council for Teacher Education) 1978 ने शिक्षक निम्नलिखित सामान्य उद्देश्य निर्धारित किये हैं -

1 शिक्षकों में गाँधीवादी मूल्यों को विकसित करना जैसे अंहिसा, सत्य बोलना, आत्म-अनुशासन, आत्म-निर्भरता, श्रम की गरिमा समझना आदि।

2 सामाजिक परिवर्तन के लिये शिक्षकों के एक माध्यम के रूप में उनकी भूमिका को समझना।

3 शिक्षकों को बालकों तथा समाज को नेतृत्व प्रदान करने की भूमिका को समझाना।

4 शिक्षकों को समाज तथा स्कूल के बीच एक सम्पर्क व्यक्ति के रूप में कार्य करना सिखाना जिससे वह सही तौर - तरीकों का इस्तेमाल करके सामाजिक जीवन तथा संसाधनों को स्कूली गतिविधियों से जोड़ सके।

5 शिक्षकों को बालकों की शैक्षिक, सामाजिक, संवेगात्मक (Emotionals) तथा व्यक्तिगत समस्याओं के प्रति सकारात्मक (Positive) दृष्टिकोण उत्पन्न करना और इन समस्याओं को हल करने में सहायता प्रदान करने के लिये निर्देशन तथ परामर्श (Guidance and counselling) के कौशलों को विकसित करना।

6 शिक्षकों को विद्यालय के आस पास उपलब्ध संसाधनों, ऐतिहासिक स्मारकों तथा अन्य सांस्कृतिक विरासतों को संरक्षित करने तथा उनको सही प्रकार से इस्तेमाल करने की विधि सिखाना।

7 शिक्षकों में भारतीय स्कूली शिक्षा के उद्देश्यों की समझ विकसित करना तथा एक प्रजातंत्रीय, धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी समात के निर्माण में स्कूल क भूमिका के प्रति उन्हें जागरूक बनाना।

8 शिक्षकों के अभिवृतियो (Attitudes) कौशलों, रूचियों तथा ज्ञान को विकसित करना जो बालकों को सर्वागीण रूप से विकसित करने में सहायता पहुँचा सके।

9 शिक्षकों में अधिगम (Learning)तथा शिक्षण (Teaching) के सिद्धान्तों का उपयोग करके बालकों को शिक्षा देने की दक्षता विकसित करना।

10 शिक्षकों में ऐसे क्रियात्मक तथा संप्रेषण (Communication)सम्बन्धी, कौशलों को विकसित करना जो मानवी सम्बन्धों के लिये आवश्यक हों। ये कौशल बालकों को कक्षा में तथा कक्षा से बाहर भी शिक्षक छात्र अंत: क्रिया (Teacher Pupil interaction)के द्वारा शिक्षण अधिगम के कार्य मे सहायता प्रदान करेंगे।

11 शिक्षक को उसके द्वारा पढाये जाने वाले विश्व सम्बन्धित नवीनतम ज्ञान तथा शिक्षण कौशलों से अवगत कराना।

12 शिक्षकों को क्रियात्मक-अनुसंधान (Action Research) तथा अन्वेशणात्मक-अभिकल्पों (Investigatory projects)की विधा में दक्ष बनाना।

शिक्षक शिक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रमों की रूपरेखा इस प्रकार बनाई जाये कि उद्देश्यों को रूप में ऊपर बताई गई विभिन्न भूमिकाओं और कार्यो को ठीक प्रकार से करने के लिये शिक्षक तैयार हो जायें। अतएव शिक्षक प्रशिक्षक कार्यक्रमों को बनाते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि कार्यक्रम भावी शिक्षक में कुछ विशेष प्रकार का ज्ञान, व्यावसायिक क्षमता, कौशलों, प्रतिबद्धता (Commitment)रूचियों, अभिवृतियों (Attiudes) मूल्यों (values) आदि को विकसित करने मे सहायता हो। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (National council for teacher Education)ने सन् 1988 में विशिष्ट सामान्य उद्देश्यों का उल्लेख किया। इसके अनुसार

प्रत्येक स्तर पर शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों का उद्देश्य है भावी शिक्षकों में

(1) निम्नलिखित के विश्व में ज्ञान तथा बोध विकसित करना।

(अ) भारतीय समाजों सांस्कृतिक संदर्भ तथा राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका।

(ब) मानव विकास तथा अधिगम की प्रक्रियायें तथ शिक्षा में इन प्रक्रियाओं का शिक्षा के सन्दर्भ में निहितार्थ

(2) निम्नलिखित से सम्बन्धित व्यावसायिक क्षमताओं और कौशलों को विकसित करना

(अ) प्रभावशाली संप्रेषण

(ब) विभिन्न प्रकार के अधिगम संसाधनों (Learning Resources)का उपयोग करके तथा शिक्षण अधिगम अंत: क्रिया (Teaching Learning Interation)योजनाओं के द्वारा छात्रों का बहु मुखी विकास करना।

(स) उपयुक्त उपकरणों तथा विधियों के द्वारा छात्रों की प्रगति का विस्तृत तथा सतत् मूल्यांकन (Continuous evaluation) करना।

(त) छात्रों को अधिक से अधिक सिखने के लिए कक्षा में तथा कक्षा से बहार अधिगम परिरिथतियो को प्रभावशाली रूप से अवस्थित करना

(थ) मेधावी, मंदगति से सीखने वाले (Slow Learners) तथा विकलांग छात्रों की अधिगम सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रख के अधिगम परिस्थितियों को निर्मित करना।

(द) बालक के बहु मुखी विकास के लिये विभिन्न प्रकार की सहपाठ्यगामी (Curricular) गतिविधियों की व्यवस्था करना

(घ) छात्रों को व्यक्तिगत, पठन-पाठन सम्बन्धी तथा व्यावसायिक समस्याओं को हल करने के लिये निर्देशन देना।

(स) शिक्षा सम्बन्धी शोध तथा प्रयोग करना।

(3) निम्नलिखित गतिविधियों में भाग लेकर सामाजिक प्रतिबद्धता (Social Commitment)को दृढ़ करना।

(अ) समाज में होने वाली विकासात्मक गतिविधियाँ तथा विस्तार एवं सामाजिक सेवायें (Extension and community service)।

(ब) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिये बनाये गये अनुपूरक-शैक्षणिक कार्यक्रम (Compensator education Programmes)।

(स) निरौपचारिक शिक्षा (non formal education), प्रोढ़ शिक्षा, श्रमिक शिक्षा (Workers education) आदि जैसी पूरक तथा समांतर शैक्षिक सेवायें।

(4) शिक्षकों में अधिगम शारीरिक श्रम, बालकों तथा अपने स्कूली व्यवसाय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना।

(5) शिक्षकों में उन सामाजिक, सांस्कृतिया नैतिक मूल्यों को विकसित करना जो राष्ट्रीय तथा सामाजिक एकता में सहायक हो जैसे धर्म निरपेक्षता, प्रजांतत्रात्मक मूल्य, वैज्ञानिक मनोवृति, समतावादिता नागरिक उत्तरदायित्व, सांस्कृतिक विरासत तथा पर्यावरण का संरक्षण आदि।

(6) शिक्षकों में साहित्यक सांस्कृतिक तथा कलात्मक गतिविधियों में अभिरूचि उत्पन्न करना तथा इनकी समालोचना करने की क्षमता विकसित करना।

सन् 1960 में गठित कोठारी आयोग (1964-66) ने अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को शिक्षा के गुणात्मक सुधार की पहचान बताया। आयोग ने विशेष रूप से अध्यापक शिक्षा की जरूरत को बताते हुए कहा कि एक तरफ तो विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक जीवन और

विद्यालयी जीवन को मुख्यधारा में लाना और दूसरी तरफ शैक्षिक विकास कार्य करना है। इसलिए हर स्तर पर, चाहे प्राथमिक, माध्यमिक या महाविद्यालय, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए सशक्त रूप से काम करना होगा।

अच्छे शिक्षक केवल पाठ्यक्रमों और अनुभवों का यादृच्छिक मिश्रण ही नहीं है बल्कि पाठ्यक्रम के व्यावहारिक और सैद्धान्तिक दोनों पहलुओं से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। इसलिए अच्छे अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में विद्यार्थी कक्षा में निरंतर जानकार पारंगत अध्यापकों के साथ काम करते हैं, वहाँ वे बहुत से विचारों जैसे कि विद्यार्थी कैसे सीखते है? उनके अधिगम का मूल्यांकन कैसे किया जाएँ? और ऐसी कौन-सी शिक्षण की प्रभावी कार्यनीतियाँ हैं? जैसे अपेक्षित ज्ञान के निर्माण में सहायता मिलती है।

इसे ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने 1978 में और बाद में 1988 में पुन: अध्यापक शिक्षा संरचना की बात की। इसके बाद 1998 में नए प्रकार की पाठ्यचर्या संरचना का विचार सामने आया जिसे अध्यापक शिक्षा के लिए गुणवत्ता आधारित पाठ्यक्रम के बुनियादी ढाँचे (Quality Curriculum Framework for Teacher Education) के नाम से जाना जाता है।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित अध्यापक शिक्षा का आधार शिक्षा के सामान्य उद्देश्य, शिक्षा सम्बन्धी अध्यापक शिक्षा संदर्भों और चिंता के विषय हैं और इनमें निम्नलिखित का समावेश किया गया है-

- भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित राष्ट्रीय मूल्यों और लक्ष्यों को परिष्कृत कर योग्यता को विकसित करना,
- अध्यापकों को आधुनिकीकरण और सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ताओं की भूमिका निभाने के योग्य बनाना,
- अध्यापकों में सामाजिक संशक्ति और अन्तर्राष्ट्रीय समझ को विकसित करना और मानव अधिकारों एवं बाल अधिकारों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाना,
- प्रभावी अध्यापक बनने की योग्यताओं और कौशलों को विकसित करना,
- विद्यार्थी-अध्यापकों को सक्षम और समर्पित व्यावसायिकों में परिवर्तित करना जो निर्धारित कार्यो को करने के इच्छुक हों,
- अध्यापकों और अध्यापक शिक्षकों को पर्यावरण, परिस्थितिकीय जनसंख्या, लिंग समानता, कानून साक्षरता आदि जैसे उभरते मुद्दों के बारे में संवेदनशील बनाना,
- अध्यापकों को विद्यार्थियों में तार्किक सोच और वैज्ञानिक संस्कार विकसित करने के लिए सशक्त करना
- सामाजिक सच्चाइयों के बारे में आलोचनात्मक जागरूकता विकसित करना, और प्रबंधकीय और संगठनात्मक कौशल विकसित करना।

4.2 प्रारंभिक बाल्यावस्था स्तर हेतु अध्यापक शिक्षा (Teacher Education for Elementary Intancy Level)

प्रारंभिक बाल्यावस्था से अभिप्राय आमतौर पर जन्म से पाँच वर्ष तक की आयु की अवधि से है। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चे के 'संज्ञानात्मक ज्ञान का विकास' से आशय होता है कि वह पूर्व-पठन, भाषा, शब्दों और संख्या के ज्ञान जैसे कौशलों का निर्माण कर सकें। विकासात्मक वैज्ञानिकों ने पाया है कि शिशु बोलना शुरू करने से पहले अर्थात् जीवन के प्रथम वर्ष में ही अपने मस्तिष्क में भाषा के बारे में ढेर सारी जानकारी एकत्र कर लेता है।

जीवन के प्रारंभिक समय में बच्चे का विकास और उसे आगे जीवन में मिलने वाली सफलता में एक ठोस सम्बन्ध होता है। उदाहरण के तौर पर, जो शिशु 6 माह के होने पर शब्दों के हेरफेर को समझने में बेहतर होते हैं। वे 2 से 3 वर्ष की आयु से अधिक जटिल भाषा कौशल को बेहतर ढंग से सीख लेते हैं और 4 से 5 वर्ष की आयु में पढ़कर सीखने का कौशल भी प्राप्त करने में बेहतर होते हैं। यदि छोटे बच्चों को ऐसा वातावरण प्रदान किया जाता है जो बोलने और पढने 7 लिखने की दृष्टि से काफी समृद्ध हो तथा जहाँ उन्हें सुनने और निरंतर भाषा के प्रयोग के अवसर मिलते रहें तो वहाँ वे जल्द ही पढने की कला सीखना शुरू कर देते हैं। जो बच्चा इन कौशलों के बिना विद्यालय जाना आरंभ करता है और देर से बोलना शुरू करता है और कक्षा में पीछे रह जाता है। इसलिए यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि किण्डरगार्टेन में बच्चे को मिलने वाला अक्षर ज्ञान उसकी दसवीं कक्षा में पठन योग्यता का महत्वपूर्ण संकेत होता है। इसलिए यह जरूरी है कि बच्चे को समृद्ध और संपूर्ण अधिगम परिवेश दिया जाए। इस परिवेश में घर और विद्यालय दोनों शामिल है। इसके अलावा, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति को प्रमुख रूप से देखा जाता है। यह स्पष्ट होता है कि छोटे बच्चों को स्वस्थ और समृद्ध बाल्यावस्था प्रदान करने के लिए नए प्रकार के अध्यापकों की आवश्यकता होगी जो विशेष रूप से बाल विकास के परिप्रेक्ष्यों के बारे में संवेदनशील हो।

समेकित बाल विकास के अंतर्गत विविध कार्यक्रम, आंगनवाडियाँ, बाल देखभाल केन्द्र, बालवाडियाँ आदि, जो पहले से ही राज्य सरकार की मदद से नगर-निगम, स्वैच्छिक अभिकरणों और निजी अभिकरणों द्वारा चलाए जा रहे हैं लेकिन इस दिशा में अभी तक पर्याप्त लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकी है।

प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को गुणात्मक बनाने के लिए हमें व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित और समर्पित अध्यापकों की जरूरत है। राष्ट्रीय अध्यापक परिषद् के अनुसार, इस स्तर के लिए अध्यापकों के व्यावसायिक निर्माण की अभी तक योजना नहीं बनी है और इस और ध्यान भी नहीं दिया गया है। यह विषय ऐसे प्रशिक्षण अनुक्रमों के विवेकपूर्ण नियोजन की माँग करता हो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था स्तर की विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए समर्थ हो। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने 1998 में प्रारंभिक बाल्यावस्था को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए अध्यापक शिक्षा के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों को प्रस्तावित किया है -

- अध्यापकों को बच्चों के शारीरिक मानसिक, नैतिक, सामाजिक, सौन्दर्य और भाषायी विकास को सुगम बनाने के लिए तैयार करना

- अध्यापकों को बाल मनोविज्ञान के ज्ञान से परिचित कराना,
- सामाजिक संवेदनशीलता, बच्चों के लिए स्नेह और उनके अनूठेपन को सम्मान देने जैसे पहलुओं को परिष्कृत करना,
- अध्यापकों को बाल देखभाल की तकनीकों और बच्चों की आवश्यकताओं को पहचानने के योग्य बनाना
- ऐसे अनुभव और कार्यकलापों के आयोजन के योग्य बनाना जो बच्चों की आत्म-संकल्पना,
- सृजनात्मकता और अन्वेषण शक्ति का विकास कर सकें,
- विभिन्न प्रकार की संसाधन सामग्री का चयन, निर्माण और प्रयोग करने में योग्य बनाना,
- स्थानीय (मानवीय और भौतिक) संसाधनों से जुडकर इनकी अनुशंसा और इनका सदुपयोग करने की भावना जाग्रत करना,
- वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय ज्ञान के मूलाधार से परिचित करना,
- बाल क्रीडाओं, गीतों और साहित्य का संग्रह करने के योग्य बनाना; और
- भावी अध्यापकों को ऐसा वातावरण बनाने के लिए सशक्त करना जिससे छोटे बच्चे तुरन्त सीख सकें।

प्राथमिक स्तर हेतु अध्यापक शिक्षा (Teacher Education for Elementary Level)

बच्चे, पूर्व-विद्यालयी वर्षो में आनन्दपूर्ण सीखने और तुरंत सीखने के योग्य होते हैं। इसलिए अध्ययन का स्वस्थ और संपूर्ण परिवेश वह होगा जहाँ इस बात पर बल दिया जाता है कि बच्चों तीन बातों अर्थात् बोधन, अनुप्रयोग और अर्थपूर्णता को सीख सके। बच्चे की नींव प्राथमिक विद्यालयी वर्षो से सही ढंग से बनाई जा सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस स्तर पर शिक्षण कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बच्चे को अर्थपूर्ण अनुभव प्रदान कर सकें ताकि बच्चे स्वयं के ज्ञान का विकास कर सकें।

इस विशिष्ट स्तर के लिए NCTE द्वारा परिकल्पित विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं -

- प्राथमिक स्तर के संदर्भ में सार्थक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संरचना के ज्ञान को विकसित करना,
- अध्यापकों को अधिगम अनुभवों के आयोजित करने के लिए उपयुक्त संसाधनों की देखरेख करने के योग्य बनाना,
- अध्यापकों को अक्षम बच्चों की देखभाल करने की विधियों और तकनीकों से परिचित कराना,
- बच्चों में जिज्ञासा. परिकल्पना और सृजनात्मकता के विकास के लिए अनिवार्य कौशलों को बढ़ाना,
- सामाजिक और संवेदनात्मक समस्याओं को समझने तथा उनका विश्लेषण करने की योग्यता विकसित करना,
- संप्रेषण कौशल विकसित करना

- प्राथमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिक के उद्देश्यों का ध्यान करते हुए, समुदाय के साथ परस्पर आपसी सहयोग के सम्बन्ध करने के योग्य बनाना,
- अध्ययन-अध्यापन के लिए शोध के निहितार्थों को समझने तथा नवीन रीतियों के प्रयोग करने के योग्य बनाना, और
- खेलकूद, शारीरिक कार्यकलाप और अन्य सहपाठ्यगामी कार्यकलाप आयोजित करने के योग्य बनाना।

प्रारंभिक स्तर हेतु अध्यापक शिक्षा

प्राथमिक स्तर के लिए सुझाए गए मॉडल के अतिरिक्त, प्रारंभिक स्तर के लिए अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा अलग मॉडल को प्रस्तावित किया गया है। यह इसलिए किया गया क्योंकि बाल विकास के दौरान अध्ययन-अधिगम प्रक्रिया ठोस सक्रियात्मक स्तर से अमूर्त तर्क प्रक्रिया की और बढ़ती है। अर्थात् एक स्तर से दूसरे स्तर में आने तक अध्ययन-अधिगम कार्यनीतियों में भी बदलाव आने लगता है। अध्यापकों के लिए यह बात जानना महत्वपूर्ण है कि कक्षा I से VIII कक्षा के अधिगम कार्यनीतियों में सातत्य होना चाहिए और यह शिक्षार्थियों को परिपक्वता अधिगम अनुभवों से मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के अनुसार अध्यापक शिक्षा की वर्तमान स्थिति एक स्तर से दूसरे स्तर की विचार प्रक्रिया में आने वाले क्रमिक बदलाव को नहीं दर्शाती।

अत: Quality Curriculum Framework for Teacher Education(1998) के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए हैं -

- प्रारंभिक स्तर की शिक्षा के लिए सार्थक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सिद्धान्तों के ज्ञान को विकसित करना;
- अध्यापकों को अधिगम अनुभवों के आयोजन के लिए उपयुक्त संसाधनों के चयन, निर्माण और प्रयोग के योग्य बनाना,
- अक्षम बच्चों को पढ़ाने में सुगम शिक्षण की विधियों और तरीकों से अवगत करना;
- बच्चों की सामाजिक और भावनात्मक समस्याओं का समाधान करने की योग्यता विकसित करना;
- बच्चों में जिज्ञासा, परिकल्पना और आत्मविश्वास विकसित करने के लिए अनिवार्य कौशल प्राप्त करने के योग्य बनाना,
- संप्रेषण कौशल विकसित करना
- शैक्षिक सामग्री के रूप में सामुदायिक संसाधनों को एकत्र करने और इनका सदुपयोग करने योग्य बनाना;
- अनुपूरक शैक्षिक कार्यकलापों का आयोजन करने के योग्य बनाना,
- शोध परियोजनाओं को शुरू करना
- समुदाय के साथ परस्पर सहयोग की कड़ियाँ स्थापित करने के योग्य बनाना तथा खेलकुद की क्रीडाएँ, शारीरिक कार्यकलाप आदि का आयोजन करने में योग्य बनाना।

बोध प्रश्न

1 आपके विचार में प्रभावी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए?

2 प्रारंभिक बाल्यावस्था के लिए अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की विशेषताएँ क्या होनी चाहिए?

3 प्राथमिक विद्यालय के बच्चे की आवश्यकताएँ प्रारंभिक विद्यालय के बच्चे की आवश्यकताओं से कैसे भिन्न होती है?

4 प्रारंभिक स्तर के लिए अलग से अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम बनाने की क्या आवश्यकता है?

4.4 माध्यमिक स्तर हेतु अध्यापक शिक्षा (Teacher Education for Elementary Level)

अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में विद्यालयी शिक्षण के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक पक्ष तथा संदर्भ और मुख्य विषयों से जुड़े प्रायोगिक कार्य के समावेश है। उसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं -

- भावी अध्यापक में माध्यमिक शिक्षा की प्रकृति, उद्देश्य और मनोविज्ञान को समझने के योग्य बनाना;
- अध्यापकों में उनके विद्यार्थियों के मनोविज्ञान की समझ विकसित करना;
- समाजीकरण की प्रक्रिया को समझने के योग्य बनाना;
- ऐसी सक्षमताओं को विकसित करना जो उनमें विशिष्ट शिक्षाशास्त्र, पाठ्यचर्या विकास, उसका संचालन और मूल्यांकन के लिए सार्थक बना सके;
- मागदर्शक और परामर्श सम्बन्धी कौशलों को विकसित करना;
- शैक्षिक पद्धति और कक्षा स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों एवं बलों से अवगत कराना;
- शैक्षिक सामग्री के रूप में सामुदायिक संसाधनों का भरसक लाभ उठाने के योग्य बनाना;
- अध्यापकों में संप्रेषण कौशलों और आधुनिक सूचना प्रोद्योगिकी के प्रयोग को विकसित करना;
- अध्यापकों में सौन्दर्यशास्त्र सम्बन्धी समझ को विकसित करना; और
- कार्यशोध और पाठ्यसहगामी कार्यकलापों सहित शिक्षा में शोध से अवगत कराना।

4.5 उच्चतर माध्यमिक स्तर हेतु अध्यापक शिक्षा (Teacher Education for Higher Secondary Level)

किसी भी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में तीन प्रमुख निर्धारित बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है विद्यार्थियों की स्तर-विशिष्ट विकासात्मक विशेषताएँ, उनके द्वारा अध्ययन किए जाने वाले पाठ्यक्रम और भावी अध्यापकों की शैक्षणिक योग्यताएँ। अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के घटकों को समझने के लिए आइए पहले किशोरावस्था की विशिष्ट विकासात्मक विशेषताओं को समझें -

- शरीर और मन अथवा मस्तिष्क की परिपक्वता;
- अमूर्त चिंतन, तर्क शक्ति का विकास और लक्ष्यों का निर्धारण
- आत्म-जागरूकता, आत्म-पहचान और स्वग्राहिता (Sold assertion)

- लड़का या लड़की के रूप में अपनी पहचान के प्रति सजगता और रूचियों को दर्शाना;
- व्यक्तिगत प्राथमिकताओं एवं पसंदों को दर्शाना और आदर्शों का विकास;
- सम-समूह प्रभाव, पसंद / नापसंद, प्रतिक्रियाओं और कार्यो का सुदृढ़ होना;
- परामर्श समूह में बदलाव, प्रौढ़ व्यवहार और भूमिकाओं का अनुकरण करना और चुनौतियों को स्वीकारने की और प्रवृत्त होना;
- सुस्थापित विचारों, रीतियों और प्राधिकार के लिए चुनौतीपूर्ण रवैया और नैतिक तर्कशक्ति को दर्शाना;
- स्वाभिमान और अहम् को बढ़ना;
- मित्रों से अधिक लगाव होना;
- आत्मरक्षा और आत्म-अभिव्यक्ति;
- तर्क-वितर्क एवं विद्रोह करना; और

विचारों का निर्धारण और अभिक्षमता (रूझान) और विकास और शैक्षणिक अथवा व्यावसायिक पसंद का निर्धारण।

फिलहाल, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की शिक्षा के लिए बी.एड के रूप में सामान्य कार्यक्रम की व्यवस्था है लेकिन दोनों स्तरों के पाठ्यक्रमों की प्रकृति और लक्ष्य भिन्न-भिन्न है। इसलिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के नए पाठ्यक्रम में दो प्रमुख विषय क्षेत्रों जो आगे बताए गए हैं उनमें विभाजित किया गया है। ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत, इस स्तर पर अध्यापकों के शिक्षण को कुछ अतिरिक्त क्षमताओं को अर्जित करने की आवश्यकता होती है। इसलिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने अपने "अध्यापक शिक्षा के लिए गुणवत्ता आधारित पाठ्यक्रम के बुनियादी ढाँचे" में अध्यापकों के शैक्षणिक एवं व्यावसायिक विषयोंक्षेत्रो के लिए अलग-अलग कार्यक्रमों को प्रस्तावित किया है। आइए दोनों कार्यक्रमों के उद्देश्यों की चर्चा करें।

- उच्चतर माध्यमिक स्तर हेतु अध्यापक शिक्षा-शैक्षणिक विषयक्षेत्र
- इस संदर्भ में अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों में निम्नलिखित का समावेश हो सकता है -
- अध्यापकों में शैक्षणिक विषयों की प्रकृति, उद्देश्य और मनोविज्ञान की समझ को विकसित करना;
- पाठ्यचर्या विकास, इसके सम्पादन और मूल्यांकन के लिए अनिवार्य सक्षमताओं एवं कौशलों को विकसित करना;
- जटिल विचारों एवं कठिन संकल्पनाओं को संप्रेषित करना;
- उच्चतर और स्वतंत्र अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला कौशलों और अभ्यासों को विकसित करना;
- विद्यार्थियों में अमूर्त, सृजनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करना;
- विद्यार्थियों को ज्ञान और अनुभव को पुननिर्मित करने के योग्य बनाना;
- विभिन्न प्रकार के परीक्षण विकसित करना और इनका प्रयोग करने के योग्य बनाना; और

- शैक्षणिक रूचियों और मूल्यों को विकसित करना।

उच्चतर माध्यमिक स्तर हेतु अध्यापक शिक्षा-व्यावसायिक विषयक्षेत्र

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को केन्द्र बिन्दु स्व-रोजगार या ऐसे रोजगार पर टिका है जिनमें विभिन्न क्षमताओं, योग्यताओं, व्यावसायिक और शैक्षणिक कौशलों की उपेक्षा की जाती है। व्यावसायिक विषयों के अध्यापकों को न केवल ऐसे व्यावसायिक विषय के ज्ञान में ही पारंगत होना चाहिए बल्कि उन्हें अपने विद्यार्थियों को उस रोजगार में विकसित करने के प्रति प्रेरित करने के योग्य भी होना चाहिए। साथ ही अध्यापकों को विद्यार्थियों में ऐसे गुण विकसित करने चाहिए जो चुने गए व्यावसायिक क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति के लिए अनिवार्य माने जाते है यह दर्शाता है कि व्यावसायिक विषयों के शिक्षण के लिए अध्यापकों को तैयार करना, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का महत्वपूर्ण कार्य बन जाता है।

उद्देश्य

उच्चतर माध्यमिक स्तर हेतु अध्यापक शिक्षा व्यावसायिक विषयक्षेत्र के उद्देश्यों में निम्नलिखित का समावेश किया गया है-

- अध्यापकों को व्यावसायिक शिक्षा की प्रकृति, उद्देश्य, आवश्यकता और मनोविज्ञान को समझने तथा भारतीय संदर्भ में इनकी प्रासंगिकता को समझने के योग्य बनाना;
- बच्चों में ज्ञान प्रदान करने और अनिवार्य सक्षमताएँ विकसित करने में योग्य बनाना;
- व्यवसाय या पेशे में सम्मिलित वैज्ञानिक सिद्धान्तों की समझ विकसित करने के योग्य बनाना;
- व्यवसाय में सफल होने के लिए अनिवार्य कौशलों और मूल्यों का विकास करना;
- विद्यार्थियों में उच्च लाभप्रद कौशलों और सक्षमताओं को ग्रहण करने की इच्छा को विकसित करने में योग्य बनाना;
- विद्यार्थियों में उच्च लाभप्रद कौशलों और सक्षमताओं को ग्रहण करने की इच्छा को विकसित करने के योग्य बनाना;
- विद्याथियों में ऐसी अन्तर्दृष्टि विकसित करना जिसमें वे अपने व्यावसायिक कौशलों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भली-भाँति अंतरण कर सकें;
- विद्यार्थियों को आत्मनिर्भरता और आत्म-विश्वास की भावना को विकसित करने के योग्य बनाना; और
- अध्यापकों को विद्यार्थियों के लिए सेवारत प्रशिक्षण और प्रशिक्षुता कार्यक्रमों का आयोजन करने के योग्य बनाना।

भारत सरकार द्वारा इस संबंध में कई आयोग व कमेटियों का गठन किया गया। परन्तु शिक्षा के स्वरूप में आज तक कोई प्रभावशाली परिवर्तन नहीं हो पाया है। किसी ने ठीक ही लिखा है कि अधिक प्रतिवेदन, अधिक शंकाए पैदा करते हैं, जिससे शिक्षा की दुर्दशा होती है (More Reports-more confusion and education suffer) जे. सी. अग्रवाल (1992) ने कहा कि स्वतंत्रता के पश्चात् से लगभग 100 छोटे-मोटे कमीशनों तथा आयोगों का राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की रुग्णावस्था के कारणों का पता लगाने तथा उनके कारणों के उपचार हेतु सलाह देने हेतु गठन किया गया है, परन्तु अच्छे परिणाम आज तक आपेक्षित हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद 1948 में डॉ. राधा कृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा का गठन किया गया था। उसकी रिपोर्ट अगस्त 1949 में सरकार को सौंपी गई। इस आयोग का प्रतिवेदन बहुत ही महत्वपूर्ण था तथा यह नई शिक्षा नीति (1986) तक विश्वविद्यालय शिक्षा का आधार बना रहा। 1966 में कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट शिक्षा की समस्याओं के संबंध में विस्तार पूर्वक अध्ययन के पश्चात प्रकाशित की। यह प्रतिवेदन शिक्षा के सभी स्तरों से संबंधित था इसमें अगामी 20 वर्ष के सुधार हेतु ब्लू प्रिंट (Blue Print) भी दिया गया। इस प्रतिवेदन से लोगों को काफी आशायें भी थी। कोठारी कमीशन की ही संस्तुतियाँ नई शिक्षा नीति (1986) का भी प्रमुख आधार बनी। 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जोर दिया गया कि आयोगों की वस्तुओं के संदर्भ में शिक्षा में हुये परिवर्तनों तथा विकास का प्रत्येक पाँच वर्ष का पुनरावलोकन (Review) अवश्य किया जाए। 1977 में जनता सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के अनुरूप नइ राष्ट्रीय शिक्षा पर ध्यान देने की कोशिश की इसके लिए सरकार ने ईश्वर भाई पटेल कमेटी को कक्षा 1 से 10 तथा आदिषैथ्या कमेटी को कक्षा 11 से 12 स्तर के शिक्षा कार्यक्रम को पुरावलोकित (Review) करने हेतु नियुक्त किया तथा विश्वविद्यालय आयोग को भी अपने कार्यक्रमों को पुन: समालोचनात्मक ढंग से पुरावलोकित करने हेतु कहा गया इसी संदर्भ में आगे 1979 में शिक्षा की राष्ट्रीय नीति पर एक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया किन्तु यह राष्ट्रीय नीति जनता सरकार के गिरने के कारण कोई वास्तविक स्वरूप न पा सकी।

राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री होने के पश्चात 1 जून 85 को राष्ट्र को सम्बोधित करते हुये कहा कि देश को प्रभावशाली आर्थिक तथा वैज्ञानिक ढंग से 21 वीं सदी में प्रवेश करने हेतु एक नई शिक्षा नीति का गठन किया जायेगा। तदनुसार भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय द्वारा "शिक्षा की चुनौतियाँ एक भावी नीति (1985)" Challenges of Education-A Policy Perspective(1985) नामक प्रपत्र तैयार किया गया।

यह प्रपत्र (Document) अगस्त 1985 में संसद में रखा गया तत्पश्चात शिक्षा सम्बधित देश के सभी वर्गो के इस संबंध में विचार जानने तथा सुझाव देने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर वाद विवाद (debate) प्रायोजित किये गये ताकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वरूप अधिक निखर सके। राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रपत्र पर वाद विवाद हेतु भारत सरकार तथा इसके सहायक अभिकरणों द्वारा 12 राष्ट्रीय सेमिनार तथा 17 प्रायोजित सेमीनार आयोजित किये गये।

1986 में शिक्षा मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर वाद विवाद के उपरान्त "शिक्षा कि राष्ट्रीय नीति 1986 - एक प्रस्तुतीकरण (National policy Education 1986-A presentation) नामक प्रतिवेदन लाया गया इस प्रतिवेदन पर राज्यों के शिक्षा मंत्रियों राष्ट्रीय विकास परिषद तथा शिक्षा की केन्द्रीय सलाहकार परिषद द्वारा भी अपने विचार दिये गये। इन सुझावों को ध्यान में रखते हुये नीति 1986 का ड्राफ़्ट तैयार कर संसद के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। संसद द्वारा स्वीकार करने के पश्चात राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) का यह स्वरूप अंतिम रूप से उभर कर सामने आया।

इस नई शिक्षा नीति के प्रतिवेदन में 12 भाग तथा 157 अनुच्छेदन है। इसके प्रमुख 12 परिच्छेदों के शीर्षक निम्नवत हैं - (1) प्रस्तावना (1;) शिक्षा का सार एवं भूमिका (Essence & Role of Education) (iii) शिक्षा कि राष्ट्रीय व्यवस्था (iv) द्वैधता के लिये शिक्षा (Education for Duality)(v) विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुन: संगठन (vi) तकनीकी एवं प्रबन्धक शिक्षा (Technical & management पर Education (ix) शिक्षक (x) शिक्षा का प्रबन्धन (xi) संसाधन एवं पुनरावलोकन (Resoureses and Review) (xii) भविष्य (The Future)

"शिक्षा की चुनौतियाँ - भावी नीतियों' दस्तावेज शैक्षिक व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का समालोचनात्मक मूल्यांकन (Critical Appraisal) प्रस्तुत करता है। आइये शिक्षक शिक्षा तथा शिक्षा के संबंध में इसके प्रमुख लक्षणों पर विचार करें।

4.6 शिक्षक और शिक्षक शिक्षा का मूल्यांकन (Appraisal for Teacher and Teacher Education)

इस संदर्भ में निम्न बिन्दु महत्वपूर्ण है -

1 शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम को अद्यतन (Up-dating) बनाने की प्रक्रिया काफी धीमी है।

2 शिक्षक शिक्षा का काफी भाग अब समय के साथ अप्रासंगिक है।

3 शिक्षकों की वर्तमान चयन प्रक्रिया तथा नियुक्ति की व्यवस्था न तो समय के साथ उपलब्ध पदों पर उचित नियुक्ति कर पाने में सक्षम हुई और न तो गुणवता को बनाए रख सकी।

4 शिक्षक शिक्षा में संवाद बोलने के कौशल (Communication Skill) को विकसित करने पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है, जो कि शिक्षक के लिए अति आवश्यक है।

5 शिक्षक - प्रशिक्षण कार्यक्रमों में श्रव्य दृश्य सामग्री तथा आधुनिक संचार साधनों का प्रयोग न के बराबर होता है।

6 शिक्षा महाविद्यालयों के शिक्षकों को राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक समन्वयता तथा मानवीय मूल्यों के विकास के संदर्भ में उचित एक्सपोजर (Exposer)नहीं मिला है।

7 अधिकांश शिक्षकों को अद्यतन तकनीकी के साथ कदम से कदम मिला कर चलने के अवसर नहीं मिलते हैं।

देश के मानवीय और भौतिक संसाधनों को विकसित करने में शिक्षकों और उनकी भूमिका के महत्व की पहचान करते हुए, भारत सरकार ने फरवरी 1983 में शिक्षकों के लिए दो राष्ट्रीय आयोगों का गठन किया। इनमें से, पहला विद्यालयी स्तर के लिए और दूसरा उच्च शिक्षा (तकनीकी शिक्षा समेत) के लिए गठित किया गया था। आज शिक्षकों को अनिवार्य और जिम्मेदार सहगामी के रूप में समाज की सक्रियता के साथ जोड़ना है ताकि वे राष्ट्र की चुनौतियों का सामना कर सके।

नव शिक्षक के लिए सामान्य अपेक्षाओं के अलावा, हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि अध्यापक शिक्षा में पहले से सूचीबद्ध राष्ट्रीय लक्ष्यों को भी अनुमोदित किया जाए, ताकि वे अपने विद्यार्थियों में राष्ट्रीय अखंडता और एकता की भावना को जाग्रत कर सके और उनको इसके महत्व से परिचित करा सके। यह भी जरूरी है कि राष्ट्रीय भावना के साथ उनमें वैज्ञानिक अभिवृत्ति का भी विकास हो सके। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार दी -

1 एक वर्ष की अवधि वाले बी.एड. पाठ्यक्रमों के मौजूदा पाठ्यक्रम को नवीन रूप दिया जाए और उपलब्ध समयावधि को लंबा करके बी.एड. को प्रभावी बनाया जाए। प्रस्ताव में प्रति वर्ष 170 से 180 कार्य दिवसों को ग्रीष्मावकाश को जोड़कर न्यूनतम 220 दिनों तक कार्य दिवसों को बढ़ाने की बात भी शामिल थी। साथ ही कार्य के घंटों को बढ़ाने का सुझाव भी सम्मिलित था

2 उपर्युक्त समान सिद्धान्त पर प्रारंभिक शिक्षकों के प्रशिक्षण की भी समीक्षा की गई। चूँकि प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षक ज्यादातर एकल शिक्षक विद्यालय की सभी कक्षाओं को पढ़ाते हैं इसलिए सुझाव दिया गया कि उनमें विद्यालय के विषयों और व्यावसायिक शिक्षा की अच्छी नींव डालने की आवश्यकता है। इसी प्रकार, यह भी समान रूप से आवश्यक था कि प्रारंभिक कक्षा शिक्षक को भारत की सम्मिश्रित संस्कृति एवं इसके राष्ट्रीय लक्ष्यों पर सही परिप्रेक्ष्य और अंतर्दृष्टि प्रदान की जाएँ।

3 प्रारंभिक कक्षा शिक्षक के लिए चार वर्ष का प्रशिक्षण कार्यक्रम - माध्यमिक कक्षा अध्यापक के लिए सुझाए गए चार वर्षीय समेकित तथा समांतर प्रशिक्षण कार्यक्रम के समान दसवीं कक्षा के बाद प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रस्तावित किया गया।

4 प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए समेकित पैटर्न - प्रारंभिक कक्षा के शिक्षक की व्यावसायिक प्रोन्नति के लिए प्रस्ताव दिया गया प्रशिक्षित उच्च माध्यमिक शिक्षक माध्यमिक कक्षा के शिक्षकों के लिए निर्मित चार वर्षीय समेकित कार्यक्रम में प्रवेश ले सकेंगे। इस संदर्भ में दृष्टिकोण में लचीलापन और गतिशीलता सिद्धान्त ध्यान में रखा गया।

5 प्रशिक्षणार्थियों का चयन - समिति ने ध्यान दिया कि प्रशिक्षणार्थियों की चयन प्रक्रिया में अवरोध थे और इस कार्य को क्षेत्र में मौजूद राजनीतिक, सामाजिक और वैयक्तिक प्रभावों की वजह से वह उतने उत्साह से पूरा नहीं किया जा रहा था। जितना अपेक्षित था। इसलिए समिति ने प्रशिक्षण के लिए शिक्षक का चयन करते समय कुछ अपेक्षित विशेषताओं के बारे में सुझाव दिए, जो निम्नलिखित है -

- अच्छी शारीरिक छवि;
- भाषाई योग्यता और संप्रेषण कौशल;
- अच्छी सामान्य मानसिक योग्यता;
- विश्व की सामान्य जागरूकता;
- जीवन सम्बन्धी सकारात्मक दृष्टिकोण अच्छे मानवीय सम्बन्ध बनाने की क्षमता।

5 व्यावसायिक निर्माण - शिक्षकों के व्यावसायिक निर्माण को समिति ने तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया -

1 शिक्षा को अध्ययन विषय के रूप में;

2 विद्यालय के पद्धति में शिक्षण का अभ्यास या शिक्षा; और

3 अन्य व्यावहारिक कौशलों का ज्ञान।

सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम (Inservice Training Course) - सेवारत शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला (Work Shop) के रूप में या उन्हें शिक्षण अभ्यास की वास्तविक परिस्थितियों में रखते हुए देना अधिक उपयोगी रहेगा। सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण में पाठ्य सामग्री भी तैयार करवाई जा सकती है। जिसे प्रशिक्षणोपरान्त शिक्षक अपने विद्यालयों में ले जा सके तथा उसका उपयोग कर सके।

4.7 शिक्षक शिक्षा पर राष्ट्रीय आयोग II की प्रमुख संस्तुतियाँ

इस आयोग की राय में शिक्षकों को कम से कम पाँच वर्ष पर चाहे थोड़े समय के लिये अपने ज्ञान को अधनत बनाने हेतु प्रशिक्षण मिले, पर व्यवस्थित ढंग से इसकी चयनोपरात व्यवस्था होनी चाहिये। यदि शिक्षकों को नौकरी चयनोपरांत शुरू करने से पूर्व थोड़े दिनों का प्रशिक्षण दिया जायेगा तो वह भी काफी उपयोगी रहेगा। शिक्षक यदि एम. कॉम या पी. एच. डी. डिग्री लेने की दिशा में बढ़ने के साथ साथ यदि अपने शिक्षक व्यवसाय की समस्याओं पर अपना अध्ययन संकेन्द्रित करे जो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ही कोई व्यक्ति शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश करे तो उसे शिक्षक मूल्यों, कौशलों, पाठ्यक्रम निर्माण, मूल्यांकन, शैक्षिक तकनीकी आदि के संदर्भ में अभिनवित अवश्य किया जाना चाहिये। समय - समय पर एक निश्चित अंतराल पर शिक्षकों को उपयुक्त संदर्भ में प्रशिक्षण देने हेतु विशिष्ट अध्ययन संस्थानों तथा विभागों की स्थापना राज्यों तथा क्षेत्रीय स्तरों पर अवश्य कि जाना चाहिये। प्रत्येक शिक्षक को इस तरह संस्थाओं कार्यक्रमों के साथ संलग्न करना चाहिये तथा इन कार्यक्रमों में शिक्षक द्वारा प्राप्त कि गई उपलब्धि को उनके केरियर में उन्नति का आधार भी बनाया जाना चाहिये।

भारत सरकार ने जनवरी, 1985 में देश के लिए नई शिक्षा नीति के सूत्रबद्ध करने की घोषणा की। इस संदर्भ में, आरंभ में 23 कार्य बलों का गठन किया गया जिनमें केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद् जानकार एवं वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल थे। इन कार्य बलों ने मौजूद स्थिति की जाँच कर जुलाई, 1986 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ने प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा. प्रौढ़ शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा, संचार माध्यम और शिक्षा प्रौद्योगिकी, शिक्षक और उनका प्रशिक्षण, मूल्यांकन प्रक्रिया, शोध और विकास आदि, शिक्षा के 23 विभिन्न पहलुओं पर अपने सुझाव दिए।

प्रोग्राम ऑफ एक्शन. एन पी ई 1986 Programme of Action

प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा का पुनर्गठन N.P.E.(National Policy of Education)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) के सुझावों के आधार पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को संविधानिक स्थिति प्रदान की गई। प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा के कार्यो में शामिल हैं -

(क) औपचारिक विद्यालयी व्यवस्था के शिक्षकों की सेवा-पूर्व और सेवारत शिक्षा;

(ख) गैर-औपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा अनुदेशकों एवं पर्यवेक्षकों की सतत् शिक्षा और कार्यक्रम में इनके प्रवेश लेने से पहले की शिक्षा;

(ग) संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन और सूक्ष्म-स्तरीय नियोजन में मुख्याध्यक्षों / विभागाध्यक्षों का प्रशिक्षण एवं अभिविन्यास;

(घ) सामुदायिक नेताओं, स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकर्त्ताओं और विद्यालय के स्तर की शिक्षा को प्रभावित करने वाले अन्य प्रमुख व्यक्तियों का अभिविन्यास;

(ङ) विद्यालय परिसरों और जिला शिक्षा बोर्ड को शैक्षणिक सहयोग प्रदान करना;

(च) प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के साथ-ही-साथ गैर-औपचारिक और प्रौढ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए मूल्यांकन केन्द्रों के रूप में कार्य करना;

(छ) शिक्षकों एवं अनुदेशकों के लिए संसाधन और अधिगम केन्द्र की सेवाओं का प्रावधान करना; और

(ज) परामर्श और सलाह जैसी सेवाएँ, उदाहरण के रूप में जिला शिक्षा बोर्डो को प्रदान करना।

प्रत्येक राज्य में राज्य द्वारा अपेक्षित संस्थाओं के मूल्यांकन के लिए कार्य बल स्थापित किया और ऐसी मौजूद संस्थाओं की पहचान भी की जिन्हें शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (DIETs) के रूप में विकसित किया जा सकता है। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में गैर-औपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा जिला संसाधन इकाइयाँ, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की अभिन्न भाग बन गई और जिसके लिए अतिरिक्त संकाय का प्रबंध किया गया। कम्प्यूटर आधारित अधिगम व्यवस्था, वीडियो कैसेट रिकार्डर, टेलीविजन जैसी नवीनतम सम्बन्धी प्रौद्योगिकी सुविधाएँ, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों को केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गई।

उच्च प्राथमिक अध्यापक शिक्षा Upper Primary Teacher Education

उच्च प्राथमिक अध्यापक शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध अध्यापक शिक्षा,महाविद्यालयों के पास ही रहने का सुझाव दिया गया। अध्यापक शिक्षा के कुछ महाविद्यालयों को व्यापक संस्थाओं के रूप में विकसित किया जाएगा जिनमें प्राथमिक अध्यापक शिक्षा और सामान्य बी.एड/ एम.एड पाठ्यक्रमों के अलावा उच्च प्राथमिक स्तर के बाद चार वर्षीय समेकित पाठ्यक्रमों को भी पढ़ाया जाएगा। ऐसी व्यापक संस्थाओं को, शोध करने और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (SCERT) के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए सुविधाएँ और स्टाफ भी प्रदान किया जाएगा।

शिक्षकों की सेवारत शिक्षा

राष्ट्रीय लक्ष्यों के बदलते स्वरूप और विद्यालय के पाठ्यचर्या के संशोधन का ध्यान में रखते हुए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् को सभी स्तरों शिक्षकों के लिए सेवारत शिक्षा कार्यक्रम के नियोजन, प्रायोजन, अनुवीक्षण और मूल्यांकन की महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई।

यह प्रस्तावित किया गया कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद शिक्षकों की सेवारत शिक्षा के लिए उचित सामग्री भी तैयार करेगा, प्रमुख व्यक्तियों का अभिविन्यास करेगा तथा कार्यक्रमों का अनुवीक्षण और मूल्यांकन करेगा।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भी प्राथमिक स्तर के समान प्रकार की सेवारत शिक्षा प्रदान करेंगे। माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं और सतत्

शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से कार्यक्रमों के विस्तार किया जायेगा। जिला स्तर का शिक्षा अधिकारी को प्रभावी ढंग से लागू करने में सहायक होगा। चूँकि शिक्षकों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए प्रत्यक्ष विधि से सेवारत शिक्षकों के लिए कार्यक्रम को आयोजित करना संभव नहीं था, इसलिए यह तय किया गया कि दूरस्थ सेवारत शिक्षा सामग्री जैसे रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रम जिन्हें प्रसारण अभिकरणों की सहायता से तैयार किया जाएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् को ऐसी पाठ्य सामग्री के निर्माण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् National Council for Teacher Education

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE), वर्ष 1973 से अस्तित्व में है लेकिन उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए यह अध्यापक शिक्षा पद्धति का मार्गदर्शन करना अभी तक एक चुनौती है। यह समीक्षा की गई की कुछ कठिनाइयाँ इसके संविधान में आरंभ से ही मौजूद है। इसके निवारण के लिए, इसे स्वायत्त और संविधानिक स्थिति प्रदान की गई।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए -

(क) अध्यापक शिक्षा संस्थाओं को प्रत्यायन / अप्रत्यायन

(ख) अध्यापक शिक्षा संस्थाओं के लिए मानक और मानदंड निर्धारित करना;

(ग) अध्यापक शिक्षा की विधियों और पाठ्यचर्या के लिए दिशा-निर्देश बनाना

(घ) सेवारत शिक्षा के लिए क्रेडिट अर्जन, विविध पाठ्यक्रमों की अवधि और गैर-औपचारिक शिक्षा / प्रौढ़ शिक्षा अनुदेशक के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम पर जोर देना और अध्यापक शिक्षा आदि में पत्राचार शिक्षा के स्थान के महत्व को उजागर करना।

राममूर्ति समिति उच्च शिक्षा

अध्याय - 9

शिक्षक शिक्षा

विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षकों के स्तर को सुधारने हेतु शिक्षकों की नियुक्ति के समय एक वर्ष के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये यह प्रशिक्षण व्यवस्था विकेन्द्रीकरण के आधार पर विभिन्न विद्यालय स्वयं करें। (9.9.0)

शिक्षक एवं विद्यार्थी (भावी शिक्षक)

अध्याय 13

2.7.7. शिक्षक शिक्षा

शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में भावी शिक्षको का चयन उनकी अभिवृति एवं अभिक्षमता को

आधार मानकर किया जायेगा (13.1.4)

पत्राचार शिक्षा

2.8.2 शिक्षक शिक्षा में प्रथम डिग्री पत्राचार द्वारा दी जाये (13.4.0)

शिक्षक शिक्षा का इन्टर्नशिप माडल

284. परिवीक्षा काल (Probationary period) के दौरान इन्टर्नशिप का मॉडल पैराशिक्षको (Para-Teacher) को तैयार करने हेतु किया जाना चाहिये। डाइट की सहायता से भी संस्था

केस्तर पर यह कार्यक्रम आयोजित किये जा सकते है। इस प्रकार के प्रशिक्षण को, जो कि छोटी अवधि के हो उन्हें सेवारत संस्था के साथ जोड़ना होगा। (13.6.1)

28.5 अन्य प्रकार के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु भी इन्टर्नशिप मॉडल की सहायता ली जा सकती है।

माध्यमिक स्तर के शिक्षकों का प्रशिक्षण

(Trianinging High School Teacher)

286. एन. सी. टी. ई. द्वारा प्रतिपादित नये पाठ्यक्रम की गाइड लाइन को राज्यों के प्रत्येक शिक्षण संस्थाओं में उनके विचार जानने हेतु भेजे जाये। तत्पश्चात इस संबंध में कोई निर्णय किया जाये। (13.7.2)

287. क्षेत्रीय शिक्षा संस्थाओं (R.I.A.) की तर्ज पर अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं को भी चार वर्षीय बी.एड. समन्वित पाठ्यक्रम शुरू हेतु अभिप्रेरित किया जाये (13.7.2)

288. शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित सभी पहलुओं जैसे नीतियाँ, रणनीतियाँ बनाने उनके क्रियान्वयन तथा पर्यवेक्षण में शिक्षा शास्त्रियों की अग्रिम भूमिका (leading Role) होनी चाहिए। (13.8.4)

अनवरत शिक्षक शिक्षा

(Continuing Training Institute)

290. प्रस्तावित शैक्षिक संस्थाओं को अपने क्षेत्र के सेवारत शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था का उत्तर दायित्व वहन करना चाहिए। यह संस्थाएँ विद्यालय डाइट्स (DITEs) के मध्य संचार हेतु प्रभावशाली चैनल (Effective cannel) के रूप में भी काम कर सकती है। (13.9.0)

शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का संकाय

(Faculty Teacher Training Institute)

291 इन संस्थाओं में कठिनाई पैदा करने वाले शिक्षकों को भेजने की प्रथा को बन्द करना चाहिए। बल्कि इनमें सरकारी संस्थाओं तथा विद्यालयों से रोटेशन के आधार के पर केवल योग्य तथा समर्पित कर्मचारियों को ही भेजना चाहिए। (13.10.3)

डाइट्स

(Dist. Institutes of Education and Training)

294. प्रत्येक राज्य सरकार का यह दायित्व हैं कि डाइट्य को पूरी तरह स्वतंत्रता दे ताकि वह शोध तथा प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन व सुधार लाने हेतु उचित प्रयास कर सके। (13.11.2)

295. इस समिति की राय में डाइट्स को कुछ निम्न क्षेत्रों के विकास का भी उत्तरदायित्व लेना चाहिए।

(अ) प्राथमिक (Elementary) शिक्षा का सार्वजनीकरण

(ब) शैशवास्था में बच्चे की देखरेख तथा उससे संबंधित शिक्षा (Early Child hood care Education)

(द) अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्ग तथा अल्प संख्यकों के मध्य समानता तथा सामाजिक न्याय की भावना विकसित करने हेतु शिक्षा।

(र) मूल्यांकन में सुधार (Examination Reforms)(13.11.2)

शिक्षक शिक्षा की योजना का क्रियान्वयन

(Implementation of the Scheme of Teacher Education)

296. जिन शिक्षक संस्थाओं के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मिली है, उन्हें पूरा करने हेतु तुरन्त आवश्यक कदम उठाये जाये। (13.12.0)

297. राज्यों की संस्थाओं को तब तक इस संबंध में आगे वित्तीय सहायता न दी जाए जब तक उन्होंने पूर्व धन का सदुपयोग न कर लिया हो तथा संस्था का उचित भौतिक विकास न किया हो।

जनार्दन समिति उच्च शिक्षा

अध्याय 13

शिक्षक शिक्षा

अभी तक नये विश्वविद्यालय के शिक्षकों के अभिनवन हेतु नई शिक्षा नीति की अनुपालन में 48 अकादमिक स्टाफ कालेज की स्थापना की गई है। तथा इसमें अभी तक लगभग 20,000 शिक्षक लाभान्वित हुये हैं। यू.जी.सी. द्वारा गठित विशेषज्ञों के दल ने भी इन कॉलेजों को काफी प्रभाव शाली माना है।

शिक्षक एवं भावी शिक्षक

अध्याय 17

नई शिक्षा नीति में शिक्षकों के चयन के तरीके में आधारभूत बदलाव की बात की है तथा कहा है कि चयन में स्थानीय तथा कार्यात्मक आवश्यकताओं के आधार पर वस्तुनिष्ठता रखी जाये जिससे चयन में पारदर्शिता रहे तथा उसका क्रेडिट बढ़ सके।

पत्राचार शिक्षा

175 शिक्षक शिक्षा में प्रथम डिग्री को पत्राचार द्वारा न दिये जाने की संस्तुति का केन्द्र राज्यों तथा वि. वि. का पालन करना चाहिए।

इन्टर्नशिप माडल

(Internship Model)

17.6 अभी तक इन्टर्नशिप मॉडल तथा वृहद स्तर पर शिक्षण अभ्यास क्रियाओं के साथ इसे जोड़ने हेतु कोइ विशिष्ट प्रपत्र (Document) नहीं है तथा तुलनात्मक रूप से इस विधि के लाभ का परीक्षण किया जाना है। इस संबंध में एस. सी. ई. आर. टी. (SCERTs) को इस संबंध में एन. सी. टी. ई. से उचित निर्देश मिलने चाहिए।

बी. एड. पाठ्यक्रम

17.7 R Nos.286-287, बी. एड. पाठ्यक्रम तथा उसकी विभिन्न शाखाओं से संबंधित है। इस संबंध में विभिन्न राज्यों से सलाह कर एन. सी.टी.ई को उचित कदम उठाने हैं।

17.8-R.Nos.288-289 में ए. पी. ई. आर. सी. ने उन लक्षणों की पहचान की हैं जो एक शिक्षक में होने चाहिए। एन. पी. ई. आर. सी. ने शिक्षाशास्त्रियों के लिए एक विशिष्ट कार्यक्रम शुरू करने के लिए कहा जिसके द्वारा प्रशिक्षुओं में उपयुक्त लक्षणों का विकास हो सके। इस संबंध में NCERT,द्वारा शिक्षा शास्त्रियों हेतु एक विशिष्ट कार्यक्रम भी तैयार किया जा रहा है।

शिक्षक शिक्षा के संस्थाओं में संकाय

17.9 एन. पी. ई. आर. सी. ने सभी राज्य सरकारों ने संस्थाओं में नियुक्ति हेतु स्पष्ट नियम बनाने तथा खाली पदों को तुरन्त भरने का आग्रह किया है। चयन के नियम इस प्रकार के हो जिससे केवल योग्य तथा अभिप्रेरित व्यक्तियों को ही इन संस्थानों में नियुक्ति मिल सके।

सेवारत शिक्षकों हेतु कार्यक्रमों की व्यवस्था

17.10 बिना कोई प्रभावशाली कार्यात्मक माडल विकसित किए इन शैक्षिक संस्थाओं (Education Complexes) को सेवारत शिक्षकों के अनवरत प्रशिक्षण की जिम्मेदारी दिया जाना कोई परिपक्व निर्णय नहीं होगा। अत: प्रशिक्षण का यह उत्तरदायित्व अभी केवल डाईट्स के पास रहना चाहिए।

डाइट्स(DIETs)

17.12 समिति की राय हैं कि प्रत्येक डाइट की कार्यात्मक स्वतंत्रता के साथ एक विशिष्ट पहचान होनी चाहिए। डाइट में परिक्षणों एवं नवाचारों हेतु स्थान होना चाहिए तथा डाइट एवं एस. सी. ई. आर. टी. के मध्य एक नेटवर्क विकसित करना चाहिए जिससे डाइट्स को SCERTs से उचित परामर्श मिल सके समिति (SCERTs) का उचित शैक्षिक संस्था के रूप में विकास हेतु उसे स्वायत्तशासी संरचना देने की संस्तुति करता है। इस समय केवल कुछ डाइट्स ही पूरे ढंग से कार्य कर रही हैं - अत: NPERC की राय के अनुसार उन पर बहुत अधिक उत्तर दायित्व देना उचित नहीं होगा। इसलिए राज्य स्तर पर व्यावसायीकरण (Vocationalisation) आदि कुछ क्षेत्रों हेतु नई संस्थाएं शुरू की जानी चाहिए तथा शिशु रक्षा (ECCE) तथा परीक्षा सुधार आदि के संबंध का उत्तर दायित्व SCERTs को स्वयं लेना चाहिए।

शिक्षक शिक्षा की योजना

(Teacher Education Scheme)

17.11 समिति NPERC(आर.Nos.296)की इन संस्तुतियों का समर्थन करती है। कि जिन शिक्षक शिक्षा की संस्थाओं को चालू करने हेतु केन्द्रीय सरकार वित्तीय सहायता मिली हैं, उनके क्रियान्वयन हेतु तुरंत आवश्यक कदम उठाये जाए और यदि इन राज्यों की संस्थाओं ने वित्तीय सहायता का उचित प्रयोग नहीं किया हैं तो इन राज्यों की इस हेतु अग्रिम वित्तीय सहायता रोक दी जाए।

4.10 शिक्षक शिक्षा में कुछ नये परिवर्तन (Current Development in Teacher Education)

शिक्षक शिक्षा को पुन: संरचित करने हेतु, केन्द्रीय सहायता प्राप्त एक योजना 1987 - 88 से चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में शिक्षक शिक्षा को मजबूत बनाना है तथा विद्यालयों, अनौपचारिक शिक्षा तंत्र तथा प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित लोगों को प्रभावशाली प्रशिक्षण तथा अकादमिक सहयोग देना है। इस योजना के मुख्य बिन्दु निम्न है -

नई शिक्षा नीति के द्वारा सुझाए गये क्षेत्रों के संबंध में शिक्षकों को व्यवसायिक क्षमता को सुधारने हेतु लगभग पांच लाख शिक्षकों के जन अभिनवन (Mass-Orientation) की व्यवस्था करना।

लगभग 400 डाइट्स की देश में स्थापना करना। इसके लिए चाहे पूर्व में स्थापित अच्छे एलमेण्ट्री शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को प्रोन्नत करना हो या नए केन्द्र बनाने पड़े, जिससे यह संस्थाएं जिला स्तर पर एलमेण्ट्री तथा प्रौढ़ शिक्षा के कार्यकर्ताओं को अकादमिक तथा प्रशिक्षणात्मक सहयोग प्रदान कर सके।

माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को तैयार करने वाली चुनी हुई 250 शिक्षक शिक्षा संस्थाओं (Teacher Education Institutes) की और विशेष ध्यान देना। इन 250 संस्थाओं में 50 को IASEs के रूप में तथा शेष 200 संस्थाओं का CTEs(Collage of Teacher Education) के रूप में विकास करना।

SCERTs को और मजबूत बनाना।

यू. जी. सी. द्वारा विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षा के विभागों की स्थापना करना तथा उन्हें सम्बल (Strengthen) प्रदान करना।

1987-88 की इस योजना की उपलब्दियों का संक्षिप्त विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है।

तालिका 1

	शिक्षक शिक्षा : उपलब्धियाँ	(अवधि 1987-88 से 22.2.92)
1	व्यय (Amount Spent)	187.29 करोड़
2	'Most' योजना के तहत अभिनवित	12.96 करोड़
	किए गये कार्यकर्ताओं की संख्या	
3	स्थापित की गई डाईट्स की संख्या	287
	(No.of Sanctioned DIETS)	
4	स्थापित किए गये CTEs की संख्या	25
5	स्थापित किए गये IASEs की संख्या	12
6	राज्यों के प्रशाससित प्रदेशों की संख्या	24
	जहाँ यह योजना प्रभावी हैं	

4.11 सारांश

नई शिक्षा नीति में जहाँ शिक्षक शिक्षा को एक अत्यधिक ध्यान खींचने वाला महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता हैं, वहीं पर शिक्षक को परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण अधिकर्ता तथा शिक्षण को राष्ट्रीय नीति में सुझाए गये उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। यदि सयार रूप में कहे रूप में कहें तो इस नीति की राय में अच्छी तरह से नियोजित एवं क्रियान्वित शिक्षक शिक्षा से

राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था में जीवन्तता एवं गतिशीलता हेतु कुछ नये शोध तथा प्रयास आवश्यक हैं क्योंकि नई नीति में भी शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शिक्षण को संतोषजनक नहीं माना गया है अस्तु बड़े जोर शोर से शिक्षक शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करने की हिमायत की गई है।

मूल्यांकन प्रश्न

अब तक आपने क्या सीखा इसका मूल्यांकन आप स्वयं निम्न प्रश्नों के उत्तर देकर कीजिये।

1 निम्न प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दें -

2 एस. सी. टी. ई. की स्थापना क्यों की गइ थी?

3 शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम के किन क्षेत्रों में विशेष रूप में सुधार की आवश्यकता है।

4 शिक्षक शिक्षा में "भारतीय अनुभव' देने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए?

5 'Most' योजना के उद्देश्यों को समझाइए।

II निम्न प्रश्नों का उत्तर विस्तार से दे-

राममूर्ति कमेटी की शिक्षक शिक्षा से संबंधित संस्तुतियों पर प्रकाश डालें।

नई शिक्षा के संदर्भ में शिक्षक शिक्षा में कहीं तक सुधार हो पाये हैं? इस संबंध में आने वाली कठिनाईयों पर भी प्रकाश डालें।

अब तक आपने क्या समझा यह जानने के लिये नीचे दिये गये प्रश्नों के उत्तर लिखिये -

1 माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा के उद्देश्यों में काफी समानता है। केवल उन उद्देश्यों का उल्लेख कीजिये जो केवल किसी एक स्तर विशेष के सन्दर्भ में ही बताये गये हों।

2 म. एड. स्तर पर शिक्षक शिक्षा के उद्देश्यों की बी. एड. स्तर के उद्देश्यों से तुलना कीजिये और भिन्नता के कारण बताइये।

3 प्रशिक्षण संस्थायें अपने शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से किन उद्देश्यों को प्राप्त करने में अधिक सफल नहीं रही है और क्यों? इस सिाति में सुधार लाने के लिये अपने सुझाव प्रस्तुत कीजिये।

4 नई सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में शिखक शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों की विवेचना कीजिये।

5 शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिपादित शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्यों सहायता होने चाहिये, कारण बताइये।

4.12 संदर्भ ग्रंथ

1 Aggarwal J.c., “National policy of Education: A Global View”, Arya Bok Depot, Karol Bagh,New Delhi: 1979

2 Aggarwal J.c., “National policy of Education: 1986 with the main Recommendation of Nation Commissions on Teachers” Doaba House; New Dehli;1986

3 Aggarwal J.c., “and Bhatt, B.D. “Education Documents in India”.,Arya Book Depot, Karol Bagh, New Delhi: 1987

4 Bhatia,S.S. “Proposals for New Education Policy”. Indian Institute of International Understanding, New Delhi 1986.

5 Biswas A. And Aggarwal J.C. “Development of Education Policy”. A Historical Survey of Educational Document Before and After Independence”, Concept Publishing Company, New Delhi, 1986

6 Hari, Dong and Aggarwal J.C. “Implementation of New Education Policy”. Arya Book Depot, Karol Bagh, New Dehli, 1979

7 Aggarwal J.C. “Education Policy In India : 1992, Retrospect and Prospect.” Shipra, Publication, New Dehli, 1992.

8 भारत सरकार (1985), चैलेंज आफ एजूकेशन ए पालिस पर्सपेक्टिव (शिक्षा की चुनौती परिपेक्ष्य) नई दिल्ली, शिक्षा मंत्रालय

9 भारत सरकार (1986) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, नई दिल्ली, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

10 भारत सरकार (1986) एन. पी. ई. 1986 प्रोग्राम आफ एक्सन (रा.शि.वी 1986 प्रोग्राम आफ एक्सन (रा.शि. बी. 1986 कार्ययोजना), नई दिल्ली विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

11 रा. शै. अ प्र. प. (1986) शिक्षा और राष्ट्रीय विकास (कोठारी) शिक्षा आयोग (1964-66) का प्रतिवेदन, नई दिल्ली रा. शै. अ प्र. प.।

12 रा. शै. अ प्र. प. (1978) टीचर एजूकेशन करीक्युलमम : ए फ्रेमवर्क, नई दिल्ली राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद रा. शै. अ प्र. प.।

13 रा. शै. अ प्र. प. (1988) नेशनल करकुलम फार टीचर एजूकेशन: ए फ्रेमवर्क नई दिल्ली, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद रा. शै. अ प्र. प.।

14 सिंह, एल. सी. (सं.) (1990) टीचर एजूकेशन इन इण्डिया ए रिसोर्स बुक, नई दिल्ली, रा. शै. अ प्र. प.।

इकाई 5

शिक्षक शिक्षा की संरचना - स्तर एवं प्रकार

Structure of Teacher Education- Levels and Types

इकाई की संरचना

5.0 उद्देश्य

5.1 प्रस्तावना

5.2 शिक्षक शिक्षा के स्तर

5.2.1 पूर्व प्राथमिक शिक्षक शिक्षा का कार्यक्रम

5.2.2 प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षक शिक्षा का कार्यक्रम

5.2.3 माध्यमिक स्तर की शिक्षक शिक्षा

5.3 शिक्षक शिक्षा के प्रकार

5.4 समाहार

5.5 संदर्भ ग्रंथ

5.0 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई का विकास विद्यार्थियों को शिक्षक शिक्षा की संरचना - स्तर एवं प्रकार को समझाने हेतु किया गया है। आशा है कि इस इकाई की समाप्ति पर आप इस योग्य होंगे कि -

- शिक्षक शिक्षा के विभिन्न स्तरों की व्याख्या कर सकेंगे।
- शिक्षक शिक्षा के विभिन्न प्रकारों के बारे में जान सकेंगे।
- शिक्षक शिक्षा की संरचना को समझ सकेंगे।
- सेवारत शिक्षकों के लिए एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा शुरू किए गये कार्यक्रमों के बारे में जानकारी पा सकेंगे।

5.1 प्रस्तावना (Introduction)

शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए शिक्षक की व्यावसायिक शिक्षा का सुव्यवस्थित कार्यक्रम अति आवश्यक है। शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रमों पर किए गए व्यय की परिणति विद्यालयी शिक्षा में समाजोनुरूप सुधार के रूप में होती है। इसलिए आवश्यक है कि विभिन्न स्तरों पर शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रमों का विकास इस प्रकार किया जाए जिससे इससे संबंधित शिक्षकों में अपेक्षित ज्ञान, कौशलों तथा अभिवृत्तियों का विकास हो सके ताकि वे अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कुशलतापूर्वक कर सकें।

इस बात से आप सहमत ही होंगे कि वर्तमान में शिक्षक शिक्षा का पाठ्यक्रम समयानुसार नहीं है। इस पाठ्यक्रम को पुन: संरचित करने की अति आवश्यकता है ताकि शिक्षकों में उपर्युक्त क्षमताओं का विकास हो सके क्योंकि भावी समय में उनकी भूमिका काफी विविध आयामी होगी।

5.2 शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के स्तर (Levels of Teacher Education) वर्तमान में प्रचलित शिक्षा कार्यक्रम के मोटे रूप में निम्न तीन स्तर हैं -

पूर्व प्राथमिक शिक्षक शिक्षा (Pre-Primary Teacher Education)

- प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षक शिक्षा (Primary Elementary Teacher Education)
- माध्यमिक शिक्षक शिक्षा (Secondary Teacher Education)

5.2.1 पूर्व प्राथमिक शिक्षक शिक्षा का कार्यक्रम

अपने देश में अभी तक सभी के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया गया है। लेकिन समय के साथ अब यह स्वीकार किया जाने लगा है कि इस स्तर की शिक्षा बच्चे की उचित उन्नति और विकास में काफी प्रभावी भूमिका निभाती है। अपने देश में विशेषकर शहरी क्षेत्र में पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की संख्या काफी है। पूर्व प्राथमिक शिक्षक शिक्षा के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था ऐसे शिक्षकों को तैयार करने के लिए की जाती है जो कि नर्सरी किंडरगार्टेन जैसी छोटी कक्षाओं में बच्चों को पढ़ा सकें। इन छोटी कक्षाओं का पाठ्यक्रम सामान्यत: छोटे बच्चे दो वर्ष में पूरा करते हैं।

इस स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को इस प्रकार संरचित किया जाता है ताकि वे प्रशिक्षणार्थियों में इस स्तर के लिए आवश्यक ज्ञान कौशलों तथा अभिवृत्तियों का विकास कर सके, ताकि वह छोटे आयु के बच्चों को समझ सकें, तथा उन्हें आवश्यक ज्ञान दे सके। भावी शिक्षकों के लिए बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास को समझने हेतु सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दोनों पक्षों की व्यवस्था की जाती है। प्रशिक्षुओं को इस प्रकार प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे संगीत, कला, खेल, नाटक, कार्य अनुभव आदि क्रियाओं के माध्यम से छोटे बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकें। इस स्तर के भावी शिक्षकों को बच्चों की कहानी सुनाने की विधि तथा उनसे कैसे बात करें, आदि के भी संबंध में बताया जाता है। इस प्रशिक्षण व्यवस्था में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि भावी शिक्षक अपनी कक्षाओं में इस प्रकार के वातावरण का निर्माण कर सकें ताकि इन कक्षाओं के शिशुओं का शारीरिक तथा सांवेगिक स्वास्थ्य उचित ढंग से विकसित हो सके।

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (Primary and Elementary Teacher Education)

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा एक से कक्षा 8 तक के स्तर के छात्रों को पढ़ाने हेतु शिक्षकों को तैयार किया जाता है परंतु अधिकांश राज्यों में यह शिक्षक केवल कक्षा एक से कक्षा पांच तक के छात्रों को पढ़ाते हैं। इस प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था मुख्यत: शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं व डाइट द्वारा की जाती है। डाइट्स की स्थापना अभी पिछले कुछ वर्षों में ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई है तथा देश में

जिनकी संख्या अभी लगभग 400 है, इनमें से 30 संस्थाओं को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मान्यता मिल चुकी है, जबकि शेष को VIII प्लान के अंत तक मंत्रालय द्वारा स्वीकृति मिलने की संभावना है।

अधिकांश राज्यों में इस स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि दो वर्ष है, परंतु कुछ राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश तथा मणिपुर में इसकी अवधि आज भी एक वर्ष है। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी की न्यूनतम प्रवेश योग्यता कक्षा 12 उत्तीर्ण होना है तथा प्रशिक्षण के उपरान्त प्रशिक्षु को एस.टी.सी., बी.टी.सी., जे.बे.टी. या डी.एड. (Diploma in Education) आदि के नाम से प्रमाण पत्र या डिप्लोमा मिलता है।इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को इस प्रकार संरचित किया जाता है ताकि प्रशिक्षुओं में कक्षा एक से आठ तक के छात्रों को पढ़ाने हेतु अपेक्षित ज्ञान व कौशल का विकास किया जा सके। प्रशिक्षणार्थियों को मनोवैज्ञानिकों सिद्धान्तों के संदर्भ में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग की के ज्ञानात्मक भावनात्मक तथा मनोदैहिक तीनों प्रकार की योग्यताओं का उचित विकास कर सकें। भावी शिक्षकों को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे छात्रों को मातृ भाषा, गणित तथा पर्यावरणीय शिक्षा आदि के संदर्भ में ज्ञान सही व प्रभावी ढंग से सम्प्रेषित कर सकें तथा अपनी कक्षा की समस्याओं के निवारण हेतु क्रियात्मक अनुसंधान (Action Research) द्वारा उचित हल खोज सकें।

5.2.2 माध्यमिक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम

माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को तैयार करने हेतु इस कार्यक्रम की व्यवस्था की जाती है - ताकि कक्षा IX से XII स्तर के छात्रों को पढ़ाने हेतु उनमें उचित कौशलों का विकास किया जा सके। कुछ राज्यों में यह शिक्षक VI से VII तक की कक्षाओं में भी पढ़ाते हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की कक्षाओं का आयोजन विभिन्न शिक्षण संस्थाओं (T.T. College) तथा कुछ विश्वविद्यालयों के विभागों द्वारा भी किया जाता है। प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात छात्राध्यापकों बी.एड. की डिग्री मिलती है। इस समय देश में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के विभिन्न मॉडल प्रचलित हैं - जिसमें से कुछ का वर्णन निम्नवत है -

5.2.3.1 एक वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम

इस समय देश में लगभग 500 संस्थाएं हैं - जो एक वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम संचालन कर रही हैं। इन संस्थाओं में कुछ संस्थाएं विभिन्न महाविद्यालयों में एक विभाग (जैसे उत्तर प्रदेश में) के रूप में कार्य कर रही है। इस कोर्स में प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता स्नातक है। बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश अब अधिकांश स्थानों पर प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाता है तथा कहीं-कहीं प्रवेश परीक्षा के साथ साक्षात्कार भी लिया जाता है अब कुछ प्रदेशों में बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रदेश स्तर पर एक संयुक्त परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जबकि कुछ प्रदेशों में हर संस्था अपने-अपने स्तर पर प्रवेश देती है जबकि कहीं-कहीं विश्वविद्यालय स्तर पर यह प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इस स्तर के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण

संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं के लिए तथा उससे संबंधित महाविद्यालयों के लिए किया जाता है। एन.सी.टी.ई. द्वारा भी 1978 में बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया था, तथा 1996 में पुन: बी.एड. के नये पाठ्यक्रम को संचरित करने हेतु इस संस्था द्वारा दिशा-निर्देश तैयार किए गये हैं।

इस एक वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भावी शिक्षकों को विशेषकर उन मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों की जानकारी देना है, जिससे वह 11 से 17 वर्ष के आयुवर्ग के छात्रों को अच्छी तरह से समझकर उनके ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनौवैज्ञानिक पक्षों को सही ढंग से विकास कर सकें। प्रशिक्षुओं को उन नवीनतम कौशलों से भी परिचित कराया जाता है जिससे वह अपने छात्रों की व्यक्तिगत, शैक्षिक तथा व्यवसायिक समस्याओं के निदान हेतु उन्हें ढंग से निर्देशित व परामर्शित कर सकें। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा छात्राध्यापकों को कम से कम दो विद्यालयी विषयों के शिक्षण के योग्य बनाया जाता है तथा विद्यालय की स्थानीय समस्याओं के निवारण में एक्शन रिसर्च का प्रयोग कर हल खोज सकें, इसका भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

5.2.3.2 विशिष्ट शिक्षा में एक वर्षीय बी.एड कार्यक्रम (One year B.Ed. Programme in Special Education)

कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा बी.एड. (स्पेशल एजुकेशन) के कार्यक्रम भी प्रारंभ किये गये हैं। ऐसे पाठ्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को उन कुशलताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण देना है, जिससे वह एकीकृत कक्षा में भी छात्रों की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं को पूरा कर सके, जैसे अपंग छात्रों की शिक्षण व्यवस्था।

5.2.3.3 एक वर्षीय बी.एड. (उच्च प्राथमिक शिक्षा) (One Year B.Ed. Elementary Education)

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (Regional Institute of Education) भोपाल द्वारा एक वर्षीय बी.एड. (एलीमेन्ट्री एजुकेशन) का पाठ्यक्रम चलाया जाता है। इस प्रशिक्षण में मुख्य जोर उन कौशलों पर प्रवीणता हासिल करने हेतु दिया जाता है, जिनके कारण कक्षा एक से आठ तक के छात्रों को अधिक प्रभावी बनाया जा सके तथा 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के छात्रों को प्रशिक्षु अधिक अच्छी तरह से समझ सके। इस पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष है तथा न्यूनतम प्रवेश हेतु शैक्षिक योग्यता स्नातक है।

5.2.3 वैयक्तिक शिक्षण शिक्षा (Personal Teacher Education)

इस कार्यक्रम का प्रारंभ देवी अहिल्या वि.वि. इन्दौर में 1991 में सेवारत शिक्षकों हेतु (ग्रीष्मकालीन) किया गया तथा इसकी अवधि एक वर्ष रखी गई। अब यह पाठ्यक्रम इस वि.वि. का एक नियमित कोर्स बन गया है तथा इसमें उन छात्रों को प्रवेश दिया जाता है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में स्वयं आगे बढ़कर अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। इस कार्यक्रम में छात्रों को इस बात की पूरी छूट दी जाती है कि वह अपनी समय सारणी (Time Table), सीखने की विभिन्न विधियों, मूल्यांकन की तकनीकों तथा कक्षा की व्यवस्था का स्वयं निर्धारण करें। इस नई

व्यवस्था के शिक्षण अधिगम तंत्र में शिक्षकों के बजाय शिक्षार्थियों को नेतृत्व प्रदान किया गया है। इस कार्यक्रम की अन्य प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं -

- पीरियड तथा घन्टी की इसमें कोई व्यवस्था नहीं है।
- समूह एवं वैयक्तिक अधिगम एवं शिक्षार्थियों द्वारा ही शिक्षण (Peer Teaching)।
- मूल्यांकन के विभिन्न नूतन तरीके (Diver sifying Modes of Evaluation) तथा (Peer) लोगों का मूल्यांकन पर विश्वास।
- वैयक्तिक शिक्षक शिक्षा की क्रियाएं (Personalizing Teacher Education Activities)
- विद्यार्थियों को अवधि, स्थान, सीखने की विधियां, आदि चुनने की स्वतंत्रता।
- अध्यापक की नेतृत्वकर्ता, अभिप्रेरणकर्ता की भूमिका की कसौटी।
- प्रतिदिन विद्यालयों में भ्रमण की सुविधा।

इस कार्यक्रम में प्रमुख घटकों का वर्णन संक्षेप में निम्नवत है।

(A) अवधि निर्धारण (Time Scheduling)

इस व्यवस्था में समय सीमा अत्यधिक नमनीय है तथा इसका निर्धारण विद्यार्थी और शिक्षक आपस में मिलकर करते हैं। समय सारणी में विद्यार्थियों की इच्छानुसार कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है, तथा रोज की कार्य अवधि में भी काफी नमनीयता रहती है तथा इसमें पढ़ने पढ़ाने की कोई समय सीमा (Time Block) नहीं होती है।

(B) विषयवस्तु आधारित अधिगम क्रियाएं (Content Specific learning Activities)

इस पाठ्यक्रम में सीखने की नई-नई विधियों का प्रयोग किया जाता है - जैसे सेमिनार विधि, एक्टिविटी मोड (Activity Mode) तथा वार्तालाप (Discussion) आदि।

सेमिनार विधि में - शिक्षक तथा शिक्षार्थी आपस में मिलकर तय करते हैं कि विषयवस्तु का कौन-सा भाग किस विधि से पढ़ना है। शिक्षक शिक्षार्थियों को इंगित करता है कि इस संबंध में वह संबंधित सामग्री / किताबें कहां से प्राप्त करें, नोट्स तथा ट्रांसपरेन्सीज कैसे तैयार करे आदि, इसके पश्चात् सभी छात्र मिलकर इस वाचन पर वार्तालाप करते हैं।

"एक्टिविटी मोड" का सीखने में प्रयोग इस पाठ्यक्रम की अन्य विशेषता है। इसके अंतर्गत साक्षात्कार लेते हैं, डिबेट करवाते हैं, सर्वेक्षण, पैनल डिस्कशन, ड्रामा आदि में भाग लेते हैं। इन क्रियाओं के द्वारा अधिगमित किए गये ज्ञान का मूल्यांकन शिक्षकों तथा सहपाठियों द्वारा किया जाता है। संबंधित शिक्षक मूल्यांकन हेतु प्रश्नपत्र तैयार करता है तथा उचित गोपनीयता हेतु भी वही जिम्मेदार होता है। मूल्यांकन के संबंध में शिक्षक द्वारा दिये गये ग्रेड को विद्यार्थी स्वीकार करता हैं, यदि कहीं कोई कमी रह जाती है तो शिक्षक शिक्षार्थी आपस में मिलकर उसे दूर कर लेते हैं।

दूरस्थ शिक्षा द्वारा एक वर्षीय बी.एड पाठ्यक्रम

अभी हाल में कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा दूरस्थ शिक्षा द्वारा बी.एड. पाठ्यक्रम का प्रारंभ किया गया हैं इनमें से एम.डी. विश्वविद्यालय रोहतक, अन्नामलाई विश्वविद्यालय अन्नामलाई, पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला आदि प्रमुख है यह विश्वविद्यालय को स्वयंपाठी अभिगम सामग्री भेजने के साथ-साथ दो या तीन सप्ताह का सम्पर्क शिविर भी आयोजित करती

है। इनमें से कुछ विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये एक या दो वर्ष का शिक्षण अनुभव अनिवार्य है, जबकि कुछ भी प्रवेश हेतु शिक्षण अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं होती हैं।

इस पाठ्यक्रम की अवधि सामान्यत: एक वर्ष। तथा इनमें प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता स्नातक है। परंतु इस पाठ्यक्रम में इन विश्वविद्यालय द्वारा नामांकित किए जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या अत्यधिक है। एन.सी.टी.ई. द्वारा इन संस्थाओं पर नियंत्रण कर गुणवत्ता बनाये रखने का प्रयास किया जा रहा है।

दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बी.एड कार्यक्रम

सेवारत शिक्षकों के लिए दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बी.एड की उपाधि प्राप्त करने के लिए, एम समिति का गठन किया गया था। इस समिति की सिफारिशें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राष्ट्रीय अध्यापन शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित है

समिति द्वारा दी गई सिफारिशें निम्नलिखित है

1 प्रत्येक विश्वविद्यालय केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को ही प्रवेश देगा जो इस समय में उसी विश्वविद्यालय के अधिनियम / राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र में स्थित स्कूली व्यवस्था में कार्यरत हैं।

2 शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता के समान ही होगी इसमें प्रवेश के लिए लिखित प्रवेश परीक्षा ली जाएगी।

3 दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से बी.एड. कार्यक्रमों की अवधि 24 माह की होगी परन्तु इसमें लिखित परीक्षा और अन्य औपचारिकता में लगने वाला समय सम्मिलित नहीं होगा।

इस समय के दो वर्ष की अवधि वाले बी.एड. कार्यक्रम इग्नू और अन्य राज्य मुफ्त विश्वविद्यालय द्वारा सफलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं।

दूरस्थ शिक्षा द्वारा एक वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम अभी हाल में कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा दूरस्थ शिक्षा द्वारा बी.एड. पाठ्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। इनमें से एम.डी. विश्वविद्यालय रोहतक, अन्नामलाई विश्वविद्यालय अन्नामलाई, पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला आदि प्रमुख हैं, यह विश्वविद्यालय छात्रों को स्वयंपाठी अधिगम सामग्री भेजने के साथ-साथ दो या तीन सप्ताह का सम्पर्क शिविर भी आयोजित करती है। इनमें से कुछ विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए एक या दो वर्ष का शिक्षण अनुभव अनिवार्य है, जबकि कुछ भी प्रवेश हेतु शिक्षण अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है।

इस पाठ्यक्रम की अवधि सामान्यत: एक वर्ष है। तथा इसमें प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता स्नातक है। परंतु इस पाठ्यक्रम में इन विश्वविद्यालय द्वारा नामांकित किए जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या अत्यधिक है। एन.सी.टी.ई. द्वारा इन संस्थाओं पर नियंत्रण कर गुणवत्ता बनाये रखने का प्रयास किया जा रहा है।

एक वर्षीय बी.एड. (अवकाश पाठ्यक्रम) (Vocation Course)

कुछ विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से इस तरह के पाठ्यक्रम चला रहे हैं। स्वयं अधिगमित की जा सकने वाली बी.एड. से संबंधित पाठ्य सामग्री छात्रों को पोस्ट द्वारा

भेज दी जाती है तथा छात्रों को ग्रीष्मावकाश में दो महीने के लिए बुलाकर उचित अधिगम अनुभव संस्थाओं में सिखाए जाते हैं। इस तरह के पाठ्यक्रम चलाये जाने वाली संस्थाओं में मेरठ विश्वविद्यालय मेरठ तथा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर अग्रणी है।

दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बी.एड. कार्यक्रम यद्यपि छात्रों में अत्यधिक प्रचलित हैं, परन्तु यू.जी.सी. एन.सी.टी.ई. आदि संस्थाएं इसकी आलोचना करती है। वास्तव में यदि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बी.एड. चलाना है तो इन विश्वविद्यालय को गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं करना होगा, ताकि छात्रों मे अपेक्षित स्तर की क्षमताओं अभिवृत्तियों तथा मूल्यों का विकास अवश्य हो सके।

शिक्षा में चार वर्ष का समन्वित पाठ्यक्रम (Four Year Integrated Course In Education)

एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा चार क्षेत्रीय संस्थाओं की स्थापना की गई थी, जो क्रमश: अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, तथा मैसूर में स्थित है। यह संस्थाएं जो कि विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबंधित हैं। उक्त प्रकार के चार वर्षीय पाठ्यक्रम चलाते है। इन पाठ्यक्रमों को पूरा कराने के पश्चात छात्र को मुख्य विषयों में स्नातक की डिग्री मिलने के साथ-साथ बी.एड. की डिग्री भी मिलती है जैसे बी.ए./ बी.एस.सी-बी.एड.। इसमें प्रवेश हेतु योग्यता+2 है।

समन्वित पाठ्यक्रम

शिक्षित शिक्षा कार्यक्रमों के निम्नलिखित बुनियादी लक्ष्य होने चाहिए

क) व्यावसायिक ज्ञान को इस तरह प्रदान करना ताकि शिक्षक प्रशिक्षणार्थी अध्यापन की विषयवस्तु और विधि को समन्वित रूप से देख सकें।

ख) शिक्षक प्रशिक्षणार्थी में उपयुक्त अभिवृत्तिक विन्यास और मूल्य-अभिविन्यास की प्राप्ति में सहायता प्रदान कर सकें।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति तभी की जा सकती है जब माध्यमिक स्तर के शिक्षण शिक्षण के पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष की सामान्य अवधि से अधिक बढ़ा दी जाए। इन दोनों बिन्दुओं के तालमेल से विशिष्ट प्रकार की पाठ्यचर्या की संकल्पना, विषयवस्तु तथा शिक्षाशास्त्र जैसी संचालन सम्बन्धी रीतियों की शुरुआत हुई जो कि शिक्षकों प्रशिक्षणार्थी को सहवर्ती रूप से पेश की जानी है।

इन पाठ्यक्रमों को समन्वित समेकित पाठ्यक्रम कहा गया है। समन्वित शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में शैक्षणिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को साथ-साथ पढ़ाया गया जिससे आगे अभ्यर्थियों द्वारा चयनित विषयवस्तु के आधार पर उन्हें बी.एस.सी. शिक्षा और बी.गार्डनर 1994 का तर्क है कि सेवारत शिक्षक शिक्षा का सर्वाधिक सामान्य स्वरूप वह है जो शिक्षकों को विशेष रूप से कार्यशाला या संगोष्ठी जैसी सृजित स्थितियों में ज्ञान के अद्यतन, पुनश्चर्या संवर्धन और नए ज्ञान के प्रयोग का अवसर प्रदान करता है।

मूल्यांकन प्रश्न

1 वैयक्तिक शिक्षक शिक्षा मॉडल को समझाइए।

2 एक्टिविटी मोड से आप क्या समझते है?

3	शिक्षा में चार वर्ष समर्पित पाठ्यक्रम कि उपयोगिता बताइए।

5.3 शिक्षक शिक्षा के प्रकार (Types of Teacher Education Programme)

शिक्षक शिक्षा के मुख्यत: दो भाग किये जा सकते है।

- सेवापूर्ण शिक्षा कार्यक्रम
- सेवारत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम

5.3.1 सेवापूर्ण शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (Pre-Service Teacher Education Programme)

इस कार्यक्रम के द्वारा शिक्षण के विभिन्न स्तरों जैसे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक,उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिये शिक्षक तैयार किए जाते हैं। इसमें मुख्यत: बिना अनुभव वाले स्नातक छात्रों को प्रवेश दिया जाता है ताकि वे प्रशिक्षण के पश्चात सेवा में जा सकें।

5.3.2 सेवारत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (In-Service Teacher Education Programme)

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उन अध्यापकों के लिए होता है- जो शिक्षण व्यवसाय में पहले से लगे हैं। यहाँ पर थोडे समय के लिए पढ़ाने वाले शिक्षकों (Periodical In-Service Education) की बात करने का अधिक औचित्य नहीं है। आप कहो भी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक या माध्यमिक स्तर पर पढ़ा रहे हों, आपका अनुभव स्वयं बताता होगा कि सेवा पूर्व प्राप्त किया गया प्रशिक्षण हमेशा के लिए पर्याप्त नहीं होता है। अधिक से अधिक सेवा पूर्व प्रशिक्षण भावी शिक्षकों को ज्ञान के वर्तमान स्तर से परिचित कराने में सक्षम हो सकता है। आप कहीं भी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, या माध्यमिक स्तर पर पढ़ा रहे हों, आपका अनुभव स्वयं बताता होगा कि सेवा पूर्व प्राप्त किया गया प्रशिक्षण हमेशा के लिए पर्याप्त नहीं होता है। अधिक से आधिक सेवा पूर्व प्रशिक्षण भावी शिक्षकों को ज्ञान के वर्तमान स्तर से परिचित कराने में सक्षम हो सकता है, तथापि इन भावी शिक्षकों में इस प्रकार की अभिवृत्ति विकसित कर सकने की आवश्यकता है, जिससे वह अपने व्यावसायिक केरियर में नये ज्ञान तथा कौशल को सीखने हेतु अभिप्रेरित हो सकें।

ज्ञान के विस्फोट, सामाजिक आवश्यकताओं एवं मांगों के कारण तथा शिक्षण विधियों में परिवर्तन के कारण, शिक्षकों के लिए इस बात की अति आवश्यकता है कि वह समय के अनुसार नया ज्ञान व कौशलों को सीखें, अपनी अभिवृत्ति में परिवर्तन करें तथा कक्षाओं की बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार उनमें अपनी रूचि बढ़ाए। लेविन (1962) ने लिखा है कि सेवारत शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण एक टॉनिक या इंजेक्सन के रूप में कार्य करता है जो शरीर (व्यवसाय) को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है - जैसे शिक्षकों की पुरानी आदतों में यह प्रशिक्षण सुधार लाता है क्योंकि पुरानी आदतें एक स्वभाव बनकर सदैव पुराने स्थापित मानकों

(Old Establish Ways) के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं तथा अपने आस-पास बदले हुए संसार के अनुरूप कार्य नहीं करने देती है।

शिक्षकों के लिए बने राष्ट्रीय कमीशन I (National Commission on Teachers-I, 1985) में भी इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि ज्ञान विस्फोट, संचार क्रांति, समसामयिक घटनाएं मूल्यों का क्षयीकरण आदि कारक इस बात की मांग करते हैं कि सेवारत शिक्षकों को अद्यतन जानकारी प्राप्त कर उनकी सहायता की जाए। सेवारत शिक्षकों के नियमित प्रशिक्षण / शिक्षा की महत्ता पर अब किसी को संदेह नहीं है।

सेवारत शिक्षा हेतु सुविधाएं -

अभी तक सेवारत शिक्षकों हेतु शिक्षा की सुविधाएं बहुत कम हैं। इसलिए अभी संभव नहीं हो पाया है कि सभी सेवारत शिक्षकों को एक नियमित अंतराल (तीन या पांच वर्ष) पर सेवाकाल में शिक्षा / प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सके। विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा के गुणात्मक सुधार हेतु सेवारत शिक्षा की सुविधाओं में कमी एक बहुत बड़ी बाधा है। यद्यपि समय के साथ विभिन्न स्तरों पर इन सुविधाओं का विकास हुआ है पर ये संतोषजनक नहीं हैं, इन सुविधाओं में कुछ का वर्णन निम्नवत् है।

पूर्वप्राथमिक सेवारत शिक्षकों हेतु शिक्षा / प्रशिक्षण की सुविधा (Facilities for In Services Education of Pre-School Education) चूंकि सरकार ने अभी तक पूर्व विद्यालयी शिक्षा को वहन करने का उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया है, अत: इस स्तर के अध्यापकों हेतु सेवारत होने पर शिक्षा की भी कोई उचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। अभी हाल में मध्यप्रदेश में डाईट (पटा) ने इस स्तर के अध्यापकों के सुधार हेतु कुछ कदम उठाये हैं।

एलमेन्ट्री स्तर पर सेवारत शिक्षकों हेतु शिक्षा / प्रशिक्षण की सुविधाएं (Facilities for In-Service Education of Elementary Teacher)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा देश के विभिन्न जिलों में डाईट की स्थापना की गई है। यह संस्थाएं एलमेन्ट्री स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु कार्य कर रही है। ताकि प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए साथ-साथ प्रौढ़ शिक्षा के लक्ष्य को भी हासिल किया जा सके। यह संस्थाएं (DIET) सेवा पूर्व प्रशिक्षण देने के साथ-साथ प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के प्रशिक्षकों हेतु सेवारत शिक्षा के कार्यक्रमों का भी आयोजन करती है। इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि प्रत्येक डाईट अपने क्षेत्र के सभी प्राथमिक / उच्च प्राथमिक शिक्षकों हेतु सेवारत शिक्षा / प्रशिक्षण की व्यवस्था करे तथा ऐसे कार्यक्रमों की न्यूनतम अवधि तीन सप्ताह अवश्य हो। यह प्रयास किया जा रहा है कि प्रत्येक डाईट अपने क्षेत्र की प्रत्येक शिक्षक को पांच वर्ष में कम से कम एक बार पुन: प्रशिक्षित / अभिनवित करे। इस दिशा में 400 डाईट की स्थापना की जानी थी, जिसमें 320 संस्थाएं अभी तक स्थापित की जा सकी है।

राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनिकरण के लिए चलाए गए अभियान के रूप में सन् 1995-96 में गुरू मित्र योजना का उल्लेख यहाँ किया जा सकता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को दो से चार दिन तक चलने वाले संक्षिप्त

अभिविन्यास कार्यक्रम में इस बात से अवगत कराया जाता है कि अधिगम के न्यूनतम स्तरों से ध्यान हटाए बिना किस प्रकार स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अधिगम कार्यकलापों को विकसित कर उन्हें बच्चों को प्रदान करते हैं।

माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक सेवारत शिक्षकों हेतु शिक्षा / प्रशिक्षण की सुविधा (Facilities For In-Service Education of Secondary and Senior Secondary Teacher)

इस स्तर के सेवारत अध्यापकों के लिए एस.सी.ई.आर.टी. (SCERTs) के पास उपलब्ध संसाधन तथा सुविधाएं काफी सीमित हैं अत: यह संस्थाएं इस स्तर के सभी शिक्षकों को उनके सेवाकाल में एक निश्चित अंतराल पर पुन: शिक्षिता / प्रशिक्षित नहीं कर पा रहा है।

अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षक शिक्षा के महाविद्यालयों (CTEs) शिक्षा के विशिष्ट संस्थानों (IASEs) की स्थापना की गई है ताकि वे अपने क्षेत्र के शिक्षकों को उनके सेवाकाल के समय समय पर अद्यतन जानकारियों / कौशलों से परिचित करा सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 200 सी.टी.ई (CTEs) तथा 501 आई.ए.एस.ई. (IASEs) को स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। 12 मार्च 1992 तक 31 CTEs and IASEs की स्थापना की जा चुकी है, शेष CTEs तथा IASEs की स्थापना के बाद आशा है कि वे माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की सेवाकालीन प्रशिक्षण की समस्या का निदान हो जायेगा।

विद्यालयी शिक्षकों हेतु जन अभिनवन का कार्यक्रम (PMOST) (Programme for Mass orientation of School Teachers)

यह कार्यक्रम एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा 1985 में विद्यालयी शिक्षकों के अभिनवन हेतु शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यालयी शिक्षकों में नयी शिक्षा नीति (1986) उसकी विभिन्न विशेषताओं तथा उसके विशिष्ट आवश्यकता वाले क्षेत्रों (Thrust Area) के संबंध में जागरूकता पैदा करना था। इसके अंतर्गत 1986 से 1989 के बीच 16.62 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। इनमें से 70% से अधिक शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक थे, जिनके प्रशिक्षण की अवधि इस कार्यक्रम हेतु 10 दिन थी। कार्यक्रम को अधिक रोचक एवं प्रभावी बनाने हेतु प्रशिक्षण केम्पों में प्रशिक्षण से संबंधित चलचित्रों (Film) को भी दिखाया गया।

विद्यालयी शिक्षकों के शिक्षकों हेतु विशेष अभिनवन (SPOT) (Special Orientation of Primary Teachers)

यह कार्यक्रम एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा 1993-94 से प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों हेतु विशेष अभिनवन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत प्रतिवर्ष 45 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित है, तथा इस योजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक (1996-97) पूरा किया जाना था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि 7 दिन है तथा इसमें श्रव्य-दृश्य एवं संचार साधनों का प्रभावी उपयोग प्रशिक्षण हेतु किया जाता है।

विद्यालय के शिक्षकों हेतु मॉस ओरियन्टेशन प्रोग्राम में ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के तीव्र अंतरण एवं प्रसार की संभावना और आवश्यकता का उजागर किया है। इसके अलावा, इस कार्यक्रम ने तीव्र एवं अधिक ठोस प्रतिफलों के लिए उपलब्ध संसाधनों की आवश्यकता और इनके संभावित संग्रहण एवं समन्वय से जुड़े पहलू को भी उजागर किया। विषय विशेषज्ञ और शिक्षक सहभागियों के लिए जनित अनुदेशी पैकेज ऐसी संसाधन सामग्री जो आसानी से उपलब्ध हों। इस कार्यक्रम के प्रभाव को बनाए रखना और इसे संवर्धित करना, उपलब्ध संस्थागत संरचनाओं के लिए लगातार असंभव लक्ष्य नजर आता है।

यह कार्यक्रम शिक्षकों को आपरेशन ब्लैकबोर्ड सामग्री के प्रयोग और शिक्षार्थियों द्वारा अधिगम के न्यूनतम स्तरों को प्राप्त करने पर जोर देता है। इसके लिए, इसका लक्ष्य स्थानीय रूप से सार्थक नजर आने वाली ऐसी पाठ्य गतिविधियों को बनाने के लिए शिक्षकों को अनिवार्य शैक्षिक और संसाधन सहयोग से सम्पन्न बनाना है जो कि स्थानीय शिक्षार्थियों के लिए न सिर्फ अर्थपूर्ण होगी बल्कि वे इससे ऐसी स्थानों पर ठहर भी सकेंगे।

5.4 सारांश

इस इकाई के द्वारा आप शिक्षक शिक्षा की संरचना से परिचित हो सकें। इसमें यह भी बताया गया कि सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु किसी तरह की सुविधाएं देश में उपलब्ध है। PMOST तथा SPOT आदि कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देकर सेवारत शिक्षकों को अद्यतन जानकारी प्रदान करने की व्यवस्था का इस इकाई में विस्तार से वर्णन किया गया है।

मूल्यांकन प्रश्न

1 सेवारत शिक्षकों को पुन: अभिनवन की आवश्यकता क्यों होती है?

2 देश में पूर्व विद्यालयी शिक्षा के सेवारत शिक्षकों के पुन: अभिनवन की दशा का संक्षेप में वर्णन करें।

3 PMOST कार्यक्रम के उद्देश्यों को लिखें।

5.5 संदर्भ ग्रंथ

1. MHRD (1989) - Dist. Institute of Education and Training Guidelines-New Dehli
2. NCERT (1991) - Secondary Teacher Education- Guidelines and Syllabus. - New Dehli
3. Passi B.K. (Etal 1992) Personalized Teacher Education - Leading Flesh to an Idea -A Monograph.
4. Singh L.C. (1990) Teacher Education in India - Resource Book, New Delhi NCERT.

इकाई 6

अध्यापक प्रशिक्षण की कुछ प्रमुख विशेषतायें - सार्थकता, लचीलापन, एकीकरण और अंतर्विषयता

Sailent Characteristics of Teacher Relevance, Flexibility, Integration and Interdisciplinary

इकाई की रूपरेखा

6.0 उद्देश्य

6.1 प्रस्तावना

6.2 अध्यापक प्रशिक्षण - आधुनिक संदर्भ

6.3 अध्यापक प्रशिक्षण की सार्थकता

6.4 अध्यापक प्रशिक्षण में लचीलापन

6.5 अध्यापक प्रशिक्षण में एकीकरण की आवश्यकता

6.6 अध्यापक प्रशिक्षण - एक अंतरर्विषयी अध्ययन

6.7 सारांश

6.8 संदर्भ तथा आगे अध्ययन हेतु पुस्तकें

6.0 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई की समाप्ति पर आप योग्य होने चाहिये कि -

- अध्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता व उसके स्वरूप का वर्णन कर सकें।
- आधुनिक संदर्भ में अध्यापक प्रशिक्षण में परिमार्जन की आवश्यकता समझ सके।
- अध्यापक प्रशिक्षण में लचीला बनाने हेतु उपाय सुझा सकें।
- विभिन्न तत्वों का एकीकरण करके अध्यापक प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने का सुझाव दे सकें।
- अध्यापक प्रशिक्षण में विभिन्न विषयों की आवश्यकता तथा उनकी भूमिका स्पष्ट कर

6.1 प्रस्तावना (Introduction)

भारतवर्ष में प्राचीन काल से शिक्षा देने की प्रक्रिया में अध्यापक की भूमिका का योगदान रहा है।

प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के द्वारा यह कार्य किया जाता था। ये ऋषि-मुनी मुख्यत: धार्मिक अनुष्ठान करते थे, जंगल में तपस्या करते थे और शिष्यों को शिक्षा प्रदान करते थे। उदाहरण के तौर पर - महाभारत में गुरू द्रोणाचार्य और उनके शिष्यों का वर्णन आता है। इसके बाद शिक्षा का स्वरूप बदला और मदरसों की स्थापना हुई यहां पर विद्यार्थी आ करके अध्यापकों से तालीम (शिक्षा) लेते थे। ये अध्यापक किसी प्रकार का प्रशिक्षण नही लेते थे। परंतु

अपने विषय में चोटी के ज्ञानी होते थे। शिक्षा उनके समय में अध्यापक केंद्रित होती थी। तथा अध्यापक की आज्ञाओं का पालन करना ही विद्यार्थियों का कर्तव्य था। विद्यार्थियो की मनोवैज्ञानिक क्षमता को कोई महत्व नही दिया जाता था। इसके बाद जैसे-जैसे मनोविज्ञान का विकास हुआ और विद्यार्थी की मनोवैज्ञानिक शक्तियों को समझने की आवश्यकता महसूस हुई तथा पढ़ना-पढ़ाना विद्यार्थी केंद्रित कार्य माना जाने लगा, उस समय अध्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता का आकलन हुआ। मनोवैज्ञानिक ने इस बात पर बल दिया कि अध्यापक को शिक्षा देने से पहले विद्यार्थी की मनोवैज्ञानिक क्षमताओं का ज्ञान होना चाहिये। इस प्रकार अध्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस की गयी और उसके लिए प्राथमिक, माध्यमिक स्तर पर अध्यापक प्रशिक्षण के लिए स्कूल और महाविद्यालय खोले गये।

शैक्षणिक तकनीकी के विकास से तथा मनोविज्ञान में नई-नई खोज होने से अध्यापक प्रशिक्षण का स्वरूप बदला। बी. एफ स्किनर के विचारों से भी अध्यापक प्रशिक्षण का स्वरूप बदलने की आवश्यकता महसूस हुई। स्किनर के अनुसार यदि कोई विद्यार्थी किसी विषय वस्तु को ठीक से नही समझ पा रहा है, तो इसकी त्रुटि अध्यापक में नही, विद्यार्थी में नही वरन् अध्ययन-अध्यापन प्रकिया में है। इस विधान से यह बात स्पष्ट हो गयी है कि कोई विषय वस्तु किसी भी उम्र के व्यक्ति को पढ़ाई जा सकती है, बशर्ते उचित प्रक्रिया का उपयोग किया जाए। इस विधान के बाद अध्यापक प्रशिक्षण में परिवर्तन की आवश्यकता का आभास हुआ। शैक्षणिक तकनीकी के उपयोग से अध्यापक प्रशिक्षण को आधुनिक बनाने के लिए पूरे विश्व में अध्यापक प्रशिक्षण में आमूलचूल परिवर्तन किये गये। अध्यापक प्रशिक्षण में परिवर्तन की आवश्यकता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्णित नीचे लिखे शब्द भी व्यक्त करते है।

Mass literacy goals as well as the emergence of technology transformed are the very character of teachers at teacher training and its philosophy. The NPE 1986, reflects precisely this change in its concepts and practice.

एलबेक (Altbach 1987,p 327) के शब्दों में भी इसी बात की झलक मिलती है।

Concern about the teaching profession is world wide.Many countries have realized that teachers are at the centre of the educational process and that without good teachers; all other innovations are doomed to failure.

वर्तमान समय में एक कुशल अध्यापक बनने के लिए अध्यापक के पास मनोविज्ञान का ज्ञान, आधुनिक तकनीकी का ज्ञान, रचनाक्रम प्रणाली (Systems Approach) का ज्ञान तथा विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी होनी चाहिए। शैक्षणिक तकनीकी जिसमें विभिन्न हार्डवेयर (मशीन), सॉफ्टवेयर (सीखने की कला) आदि का ज्ञान आवश्यक है। आधुनिक युग में व्यवस्थापन विज्ञान का समावेश हर क्षेत्र में हो रहा है। आई. के. डेवीस के शब्दों में अध्यापक का विद्यालय में मैनेजर (व्यवस्थापक) की तरह भूमिका के समावेश से अब उसे व्यवस्थापन विज्ञान की भी जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार हम देखते है कि आधुनिक युग में

अध्यापक प्रशिक्षण का स्वरूप लचीला होता जा रहा है। अत: उसमें अनेक तत्वों का समावेश कर उनका एकीकरण किया जान चाहिए। वर्तमान समय में इस अध्यापक प्रशिक्षण की सार्थकता तथा उसका बहु विषयी स्वरूप स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आगे हम इन्ही विषयों की चर्चा करेगे।

बोध प्रश्न

1 अध्ययन अध्यापन प्रकिया में अध्यापक की रचनात्मक भूमिका है। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त करें।

2 अध्यापक प्रशिक्षण के स्वरूप बदलने के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारकों का वर्णन करो।

6.2 अध्यापक प्रशिक्षण - आधुनिक संदर्भ में

प्राचीन काल में सीमित ज्ञान को सीमित लोगो के बीच, सीमित समय में देने का कार्य अध्यापक करते थे परंतु आज के संदर्भ में अध्यापक की भूमिका भिन्न प्रकार की हो गयी है। और इसके कारण भिन्न प्रकार का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। आज के समय में तीन क्रांतियों सबके समक्ष दृष्टिगोचर हो रही है। इन क्रांतियों में पहली क्रांति कृषि के क्षेत्र में (Agri-garion Revolution) है दूसरी क्रांति इसके बाद आयी और वह धीरे-धीरे सभी देश में फैल रही है, इस क्रांति का नाम औद्योगिक क्रांति (Industrial Revolution) है और तिसरी क्रांति सूचना के आदान प्रदान की क्रांति (Information Revolution) है। यह क्रांति भी बड़े जोरो से विश्व के हर देश में फैल रही है।

इन क्रांतियों के साथ-साथ पूरे विश्व में चार प्रकार के विस्फोटों का हर व्यक्ति गवाह है। पहला सबसे बड़ा जनसंख्या विस्फोट (Population Explosion) है। दूसरा बड़ा विस्फोट ज्ञान का विस्फोट (Knowledge Explosion) है। पहले ज्ञान सीमित था परंतु निरंतर संशोधन के द्वारा नया ज्ञान विकसित हुआ और कुछ पुराना ज्ञान समय के परिवर्तन के साथ लुप्त होता गया। यह नया ज्ञान बढ़ने की दर बहुत विशाल रूप से बढ़ती जा रही है। तीसरा बड़ा विस्फोट दुनिया के हर देश की सरकार का "सबके लिए शिक्षा" (Education for all) के प्रति वचन बद्धता है। दुनिया के सब व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा पा सके इसकी नैतिक जिम्मेदारी सभी सरकारों ने ले रखी है। चौथा बड़ा विस्फोट जिसे रोक पाना मुश्किल है और वह तकनीकी ज्ञान का विस्फोट (Technological Advancements) के नाम से जाना जाता है। यदि हम अपने आस पास देखें तो यह स्पष्ट पता चलता है कि आज टी.वी. वाहन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं इत्यादि हमारे जीवन का अंग बन गयी है। और इनके बिना जीवन जीना मुश्किल सा लगता है। इन चार प्रकार के विस्फोटों के कारण विभिन्न प्रकार की नई शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ। उदाहरण के लिए छोटे-छोटे गांवों में टी.वी. (TV) का मेकैनिक चाहिए, बिजली से चलने वाले उपकरणों को ठीक करने के लिए मेकैनिक चाहिए और इसी प्रकार के अन्य कर्मचारियों मे ज्ञान (Knowledge), कौशल (Skill) और अभिरूचि (Attitude) उत्पन्न करने के लिए यथोचित अध्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इस प्रकार का प्रशिक्षण देने वाले अध्यापकों को इन सब नये परिवर्तनों की जानकारी होनी अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार का प्रशिक्षण देने वाले अध्यापकों को इन सब नये परिवर्तनों की जानकारी होनी अत्यंत आवश्यक है। उदाहरण के

लिए हिंदी का अध्यापक यदि मात्र तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई की कविताओं का शाब्दिक अर्थ बताता है, तो वह अधूरा अध्यापक कहलायेगा। उसे वर्तमान समय में विशेष परिस्थितियों में ऊपर कही गयी कविताओं की यथार्थता तथा उपयोगिता का वर्णन करना चाहिए। इस प्रकार के अध्यापकों का प्रशिक्षण भी गतिशील तथा समय के अनुसार सार्थक होना चाहिए।

वर्तमान के अध्यापक को भविष्य के प्रति बहुत सजग रहना होगा। वातावरण को स्वच्छ रखना होगा तथा भविष्य में आने वाली विपदाओं के प्रति पूर्ण सजग रहना होगा। इन सब समस्याओं को लेकर अध्यापक को अधिक गतिशील बनना पड़ेगा और सामाजिक परिवर्तनों के साथ ताल मेल बिठाने वाला अध्यापन कार्य करना पड़ेगा।

इस बहुत बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए अध्यापक प्रशिक्षण में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करने पड़ेंगे। इन परिवर्तनों में मुख्यत: लचीलापन (Flexibility), सार्थकता (Relevance), एकीकरण (Integration) तथा अंतरर्विषयकता (Interdisplinary) है। लचीलापन का अर्थ है कि अध्यापक प्रशिक्षण के उद्देश्य, विषय वस्तु, प्रविधि तथा मूल्यांकन विधियों में समय-समय पर बदलाव करने की गुंजाइश होनी चाहिए। उदाहरण के लिए पुराने समय में अध्यापक प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य अध्यापक को पढ़ाने की कला की जानकारी देना था। परन्तु आज अध्यापक प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में विषय वस्तु की जानकारी उनकी क्षमता के अनुसार देना तथा इस कार्य में शैक्षणिक तकनीकी का अधिक से अधिक उपयोग करके सुगमता से पठन पाठन प्रक्रिया का संचालन करना है। इसके लिए अध्यापक प्रशिक्षण में हमें निरंतर परिवर्तन करते रहना होगा। इस प्रकार लचीलापन (Flexibility) अध्यापक प्रशिक्षण का एक आवश्यक गुण है।

इसी प्रकार अध्यापक प्रशिक्षण की सार्थकता (Relevance) भी एक महत्वपूर्ण गुण है। यदि प्रशिक्षण अध्यापक किसी विषय वस्तु को एक ही तरह से पढ़ाते है तो अध्यापक प्रशिक्षण की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लग जायेगा और वह अध्यापक प्रशिक्षण बेकार सिद्ध होगा। सार्थकता लाने के लिए यह आवश्यक है कि अध्यापक के कर्तव्य (Duties), जिम्मेदारियां (Responsibilities) तथा अधिकार (Power) की व्यापक समीक्षा होनी चाहिए तथा उसी के अनुसार अध्यापक प्रशिक्षण की रचना करनी चाहिए। उदाहरण के लिए छात्र किस हद तक विषय वस्तु समझे है, यह जानना अध्यापक की जिम्मेदारी है। इसके लिए अध्यापक प्रशिक्षण में छात्रों से प्रतिपुष्टि प्राप्त करना और छात्रों को प्रतिपुष्टि देना (Feedback to Learners and Feedback from the Learners) आदि का समावेश अध्यापक प्रशिक्षण में होना चाहिए।

इस प्रकार तीसरी विशेषता एकीकरण (Intergration) की है। अध्यापक प्रशिक्षण में एकीकरण की विशेषता बिलकुल उसी प्रकार से आवश्यक है, जैसे भारतवर्ष में राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है। भारत में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई इत्यादि पहले भारत के नागरिक है बाद में अपने धर्म के अनुयायी है। भारत पर मुसीबत आने से वे सब एक जुट होकर उसका सामना करने को तैयार रहते है, यद्यपि उनके धर्म, रीति-रिवाज, खान-पान, रहन-सहन अलग है। इसी प्रकार अध्यापक प्रशिक्षण में शामिल विभिन्न वस्तु तथा उसके उद्देश्यों का एकीकरण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि वे अध्यापक प्रशिक्षण की उपयोगिता को बढ़ा सकें और अध्यापक को उसके कार्य संपादन में सहायता प्रदान कर सकें। उदाहरण के लिए छात्रों

की प्रगति समझने के लिए मनोविज्ञान, पढ़ाने की कला समझने के लिए शैक्षणिक तकनीकी, शिक्षा का दर्शन शास्त्र, विभिन्न विषयों के अध्ययन-अध्यापन की विशेषताओं तथा उसके उद्देश्य आदि का समावेश इस ढंग से किया जाए कि इन सबके एकीकरण के द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके।

चौथी मुख्य विशेषता अंतरविषयी (Inter-disciplinary)स्वरूप है। वास्तव में अध्यापक प्रशिक्षण विभिन्न विषयों की जानकारी का मिला जुला स्वरूप है। इसमें दर्शनशास्त्र की विभिन्न विचार धारायें, मनोविज्ञान की विविध अवधारणायें, इंजीनियरिंग तथा विज्ञान के आविष्कारों से प्राप्त वस्तुओं के इस्तेमाल की जानकारी, शैक्षणिक प्रशासन के विविध आयाम, व्यवस्थापन का विज्ञान (Science of Management) आदि का समावेश है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि अध्यापक प्रशिक्षण एक अंतरविषयी (Inter-disciplinary) अध्ययन है।

बोध प्रश्न

1 तकनीकी विकास के कारण अध्यापक प्रशिक्षण पर होने वाले प्रभाव को समझाइए।

6.3 अध्यापक प्रशिक्षण की सार्थकता

एक बार प्रोफेसर बी.एफ. स्किनर से किसी व्यक्ति ने पूछा कि यदि विद्यार्थी कई विषय वस्तु को ठीक से नही समझ पा रहा है तो इसमें कमी कहां पर है। क्या वह कमी अध्यापक में है? अथवा विद्यार्थी में है? अथवा अन्य कही? बी.एफ. स्किनर ने जवाब दिया- यदि विद्यार्थी कोई विषय वस्तु नही समझ पा रहा है, तो कमी अध्यापक में नही, विद्यार्थी में नही वरन् पढ़ने पढ़ाने की प्रकिया में है। और इस प्रकिया को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी अध्यापक पर है। इस प्रकार यह बात सिद्ध हो जाती है कि अध्यापन प्रकिया पर ही सब कुछ निर्भर करता है। इस प्रकिया को व्यवस्थित करने के लिए आई.के. डेवीस ने व्यवस्थान प्रकिया को कक्षा में लाने का प्रयत्न किया और उसने बनाया कि अध्यापक की भूमिका एक व्यवस्थित की तरह होती है। (0 जिसमें उसे एक प्रकिया का पालन करना होता है। आई. डेविस ने इस प्रकिया में कुल 15 पदों का समावेश किया। परंतु यदि इन 15 पदों को मिलाया जाए तो मुख्य रूप से पांच पद बनते है।

1. नियोजन (Planning)
2. आयोजन (Organizing)
3. नेतृत्व (Leading)
4. नियंत्रण (Controlling)
5. मूल्यांकन (Evaluation)

इन पदों की व्याख्या करते समय आई.के. डेवीस ने कहा कि अध्यापक को कक्षा में जाने से पहले विषय वस्तु का ज्ञान, विद्यार्थियों के मानसिक, शारीरिक तथा शैक्षणिक स्तर का ज्ञान होना चाहिए। उसे पढ़ाने से पहले, कौन-कौन सी सहायता सामग्री की आवश्यकता पड़ सकती है, इसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। पढ़ाने की कला (Art of Teaching), तथा उनके सही उपयोग की क्षमता होनी चाहिए। कक्षा में जाने के बाद उसे विषय वस्तु को किस प्रकार

(Organize) करना है इसका ज्ञान होना चाहिए। छात्रों के बैठने की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि किसी भी छात्र को ब्लैक बोर्ड और अध्यापक को देखने और सुनने में बाधा न हो। आज आवश्यकता इस बात की है कि- अध्यापक की नेता के रूप में भूमिका होनी चाहिए। जिस प्रकार से गांधीजी ने बारडोली सत्याग्रह आयोजित किया और उस सत्याग्रह में सत्याग्रहियों को ऐसा लगा कि गांधीजी ही हमारे साथ में हमारी तरह ही एक सत्याग्रही है। ठीक उसी प्रकार कक्षा में ऐसा लगना चाहिए कि अध्यापक एक अलग प्राणी नही है बल्कि विद्यार्थियों के साथ वह भी सीख रहा है और सीखने में छात्रों का वह नेतृत्व कर रहा है। ऐसा करने से अध्यापक को विद्यार्थियों की समस्याएँ समझने में सहायता मिलेगी और छात्र-अध्यापक के बीच अच्छे मानव संबंधों का निर्माण होगा। कक्षा में नियंत्रण (Controlling) एक अत्यंत आवश्यक तत्व है। जिस प्रकार एक पेन में अत्यधिक इंक रहती है परन्तु केवल आवश्यकता नुसार थोड़ी-थोड़ी इंक आती रहती है और लगातार लिखने का काम चलता रहता है। इसी प्रकार से अध्यापक के पास अपार विषय वस्तु का ज्ञान होता है। परन्तु आवश्यकतानुसार कब और कितना और किस ढंग से वह विषय वस्तु छात्रों को देता है इस पर अध्यापक का नियंत्रण होना चाहिए। इस प्रकार अध्यापन प्रकिया में नियंत्रण एक आवश्यक प्रकिया है। अंत में अध्यापक को अपने किये हुए कार्य का निरंतर मूल्यांकन करते रहना चाहिए। अंत में अध्यापक को अपने किये हुए कार्य का निरंतर मूल्यांकन करते रहना चाहिए। छात्रों से प्रतिपुष्टि प्राप्त करना तथा छात्रों को प्रतिपुष्टि देना, जिसमे उनका ज्ञान अधिक से अधिक से बढ़ाया जा सके, यह अत्यंत आवश्यक कार्य है। अध्यापक को प्रतिपुष्टि (Feedback) की युक्तियों का ज्ञान होना चाहिए तथा अपने अध्यापन कार्य की गुणवत्ता बढ़ाते रहना चाहिए।

यदि अध्यापक उपर दिये गये सभी कार्यो का संपादन करता है, तो उसकी भूमिका कक्षा में एक व्यवस्थापक जैसी होती है। यह कार्य करने से अध्यापक वास्तव में संशोधित व्यक्ति (Resource) के रूप में अपने को प्रस्तुत करता है। परंतु यह भूमिका अत्यंत कठिन है और इस भूमिका को निभाने के लिए व्यक्ति को तीन बातों की आवश्यकता पड़ेगी। ये बाते है-

1. ज्ञान (Knowledge)
2. कौशल (skills), और
3. अभिरूचि (Attitude)

और इसके लिए ऐसे अध्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता है जिसमें ऊपर कही गयी बातों का ज्ञान उसे हो जाए। इस प्रकार अध्यापक प्रशिक्षण की सार्थकता से कोई इन्कार नही कर सकता है। यह एक आवश्यकता है। सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि पुराना अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरी तरह से निरर्थक साबित हुआ है और उसे बदलकर उससे आधुनिकता (Modernization) लाने की आवश्यकता है।

शैक्षणिक तकनीकी (Education Technology) के विकास से कक्षा में अध्यापक की भूमिका में बहुत बदलाव आया है। विभिन्न प्रकार के यंत्र (Hardware), मनौवैज्ञानिक खोजों (Software) तथा इन दोनों का एक प्रणाली के रूप में प्रयोग (Systems Approach) ही शैक्षणिक तकनीकी है। इसका अध्यापक प्रशिक्षण में अधिक से अधिक आवश्यक रूप से ज्ञान

दिया जाए। कक्षा में सुचारू रूप से कार्य करने के लिए सूक्ष्म अध्ययन (Microteaching) का ज्ञान अध्यापक प्रशिक्षण में दिया जाय। अध्यापक के छोटे मोटे संशोधन करने की जानकारी भी दी जानी चाहिए। इससे वह अपने कक्षा की समस्याओं कों सुचारू रूप से हल कर सकेगा तथा विभिन्न प्रकार से व्यापक मूल्यांकन (Comprehensive Evalution) कर सकेगा।

इस प्रकार के अध्यापक प्रशिक्षण के संचालन से जो अध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे वे लोग आज की कक्षा की समस्याओं को अच्छी तरह से निपटा सकेंगे और इससे अध्यापक प्रशिक्षण की सार्थकता प्रतीत होगी। इस प्रकार हम देखते है कि अध्यापक प्रशिक्षण एक अत्यंत आवश्यक प्रकिया है परंतु इसमें नये-नये आयामों का समावेश करने की आवश्यकता है। अध्यापक प्रशिक्षण का आधुनिकीकरण करके इसको वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना। आज एक ज्वलंत आवश्यकता है। यदि इसे पूरा किया गया तो अध्यापक प्रशिक्षण की सार्थकता सिद्ध होगी।

बोध प्रश्न

1 वर्तमान समय के अध्यापक प्रशिक्षण की सार्थकता बढ़ाने के लिए उसमें क्या-क्या आमुल परिवर्तन करने चाहिए?

6.4 अध्यापक प्रशिक्षण में लचीलापन (Flexibility)

संशोधनों के आधार पर यह आवश्यकता समझी गयी कि अध्यापक प्रशिक्षण में आमूल परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। पुराने अध्यापक प्रशिक्षणों में जिन बातों पर जोर दिया गया था, वे बातें आज के समय में निरुपयोगी हो गयी है। उदाहरण के लिए- पाठ योजना बनाने के लिए हरबर्ट की पंचपदी योजना का महत्व आज के आधुनिक युग में अधिक नही है। जब कक्षा में व्यवस्थापक विज्ञान का समावेश हो गया तथा शैक्षणिक तकनीकी के द्वारा दिये गये विभिन्न तंत्रो, यंत्रों का उपयोग होने लगा और आई.के. डेविस (L.k. Davis) के कथनानुसार अध्यापक की कक्षा में व्यवस्थापन की तरह भूमिका को स्वीकार कर लिया गया, तो हरबर्ट की पंचपदी योजना निरर्थक सी लगती है। पुराने अध्यापक कक्षा में रटने पर ज्यादा जोर दिया करते थे तथा समझाने के लिए तकनीकी का कोई उपयोग नही था। परंतु आजकल यह रटने की प्रथा समाप्त कर दी गयी है और परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार के आते है, जिससे छात्रों की वास्तविक मानसिक योग्यता का मापन किया जा सके। इस बदली हुई परिस्थिति में अध्यापक प्रशिक्षण में भी बदलाव लाना होगा और उसमें नये तत्वों तथा संशोधनों से प्राप्त जानकारी का समावेश करना होगा। इस कार्य को करने के लिए अध्यापक प्रशिक्षण में लचीलापन (Flexibility) लाना होगा।

लचीलेपन का अर्थ है कि कोई भी कार्य की योजना भविष्य में आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनायी जाय। इसमें उन सब परिस्थितियों के बारे में पहले से ही विचार करके उसकी व्यवस्था (Provision) कर लेनी चाहिए जो भविष्य में आ सकती है। अत: भविष्य में जब भी वह परिस्थिति आयेगी जो हमारी योजना गलत साबित नही होगी। व्यवस्थापन विज्ञान के अनुसार (Flexibility impline ability to keep moving towards objectives despite unexpected occurrences.) 'लचीलापन उद्देश्यों की तरफ बढते रहने की योग्यता

है भले ही कुछ अवांछित घटनाक्रम या तत्व बाधा के रूप में उपस्थित हो जाये। ' इस लचीलेपन की आवश्यकता उस समय पड़ती है जब भविष्य में बहुत उँचे स्तर की अनिश्चितता तथा धोखे (Risk) की संभावना हो। कार्य कम को कियांन्वित करने में बहुत लंबे समय की योजना बनानी पड़ती हो तथा गलतियों की संभावना अधिक हो, ऐसी परिस्थितियों में हमें अपनी योजना में लचीलापन रखना चाहिए। अध्यापक प्रशिक्षण एक एसी व्यवस्था है जिसमें बहुत प्रकार के विज्ञानों का समावेश है तथा निरंतर जो कुछ भी हमें संशोधन के द्वारा प्राप्त हो रहा है उसका उपयोग अध्यापक प्रशिक्षण में लाना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में अध्यापक प्रशिक्षण में लचीलापन अत्यंत आवश्यक है।

अध्यापक प्रशिक्षण के बाद व्यक्ति समाज में अध्यापक का काम करता है। समाज के लोग मनुष्य है और प्रत्येक मनुष्य एक दुसरे से भिन्न (Individual Differences) है। ऐसी परिस्थिति मे भिन्न-भिन्न मनुष्यों के लिए अध्यापक को भिन्न-भिन्न तरकीबें लगानी पड़ सकती है जिससे हर मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार अधिक से अधिक सीख सके। यह एक बहुत कठिन कार्य है। फैक्ट्री में जहां कुछ औधोगिक उत्पादन होता है वहां सारा माल एक जैसा बनता है और कच्चे माल तथा बने हुए सामान की अपनी कोई मनोवैज्ञानिक आवश्यकता नही होती है। मात्रा निर्माता की इच्छा के अनुसार उनको एक जैसा बनना पड़ता है। परंतु मनुष्य एक जीवित प्राणी है और जीवित होने के कारण उसकी कुछ मनोवैज्ञानिक (Psychological), शारीरिक (Physical) आवश्यकतायें है।

प्रत्येक अध्यापक को परिस्थिति के अनुसार लचीलापन अपने कक्षा लाना चाहिए। उदाहरण के लिए - यदि यह नियम है कि प्रत्येक सोमवार को गृह कार्य (Home Work) कक्षा में जमा करना होगा और कुछ छात्र गृह कार्य करके नही ला सके तो अध्यापक को बिना वजह छात्रों पर क्रोध नहीं करना चाहिये। उनको उन परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा। जो छात्र के साथ घटित हो सकती है जिनकी वजह से छात्र समय पर गृह कार्य कक्षा में नही ला सके। अध्यापक को ऐसे विद्यार्थियों के लिए कुछ और समय देना होगा तथा परिस्थितियों से निपटने के लिए उसे छात्रों की मदद करनी होगी। इस प्रकार हम देखते है कि अध्यापक को प्रत्येक कार्य में लचीलापन बनाये रखकर अध्ययन-अध्यापन की प्रकिया चलाना अधिक उपयुक्त रहता है। इसके लिए हमें अध्यापक प्रशिक्षण को लचीलापन प्रदान करना होगा तथा उसमें वह सब शामिल करना होगा जो भविष्य में हो सकता है।

बोध प्रश्न

1 उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनकी वजह से अध्यापक प्रशिक्षण में लचीलापन की आवश्यकता है।

6.5 अध्यापक प्रशिक्षण में एकीकरण (Integration)

एकीकरण एक वह प्रकिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु, घटना, कार्य के विभिन्न तत्वों अथवा घटाकों को इस प्रकार समायोजित किया जाए कि वे सब मिलकर उस वस्तु, घटना, कार्य को अच्छे प्रकार से व्यक्त कर सकें। यह एक सिस्टम प्रकिया (Systems Approach) है। यदि हम अध्यापक प्रशिक्षण का अवलोकन करें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अध्यापक

प्रशिक्षण एक सिस्टम है जिसमे विभिन्न अध्ययन विषयों का समावेश इस प्रकार से किया जाता है कि वह सब मिलकर व्यक्ति में अध्यापन कार्य हेतु ज्ञान, कौशल तथा अभिरूचि विकसित कर सकें। यदि अध्यापक प्रशिक्षण का विश्लेषण किया जाए तो वह बात स्पष्ट है कि उसमें विभिन्न विज्ञानों का समावेश है। अध्यापक को थोड़ा बहुत जैविक शास्त्र (Biology) का विज्ञान होता चाहिए जिससे वह छात्रों की शारीरिक रचना का अध्ययन पर पड़ने वाले प्रभाव को समझ सके। उसे सामाजिक विज्ञानों का ज्ञान होना चाहिए जिससे वह समाज की आंतरिक तथा बाह्य परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त कर सके और छात्रों पर इसके प्रभाव की जानकारी प्राप्त कर सके। उसे मनोविज्ञान का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है क्योंकि सीखने का कार्य मस्तिष्क करता है अत: अध्यापक को मस्तिष्क विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। यह उसे सीखने के सिद्धांतों (Theories of Learning), सीखने की परिस्थितियों (Conditions of Learning) तथा व्यक्तिगत विभिन्नताओं (Individual Differences) को समझने से मदद देगा। वर्तमान समय में शैक्षणिक तकनीकी (Educational Technology) का विस्तार हुआ है और अध्यापक प्रशिक्षण में इसकी आवश्यकता से इन्कार नही किया जा सकता है। पिछले पचास वर्षो में व्यवस्थापन के विज्ञान (Science of Management) का विकास अत्यंत तीव्र गति से हुआ है और कक्षा में तथा विद्यालय में हर कार्य में व्यवस्थापन विज्ञान से मदद ली जा रही है। अध्यापक प्रशिक्षण में इसका समावेश करना तथा इसका उपयोग बाद में अध्यापक द्वारा कक्षा में किया जाना अत्यंत आवश्यक है। नियंत्रण के विज्ञान (Science of Control) का जन्म पिछले 20 वर्षो में हुआ है। सायबर्नेटिक्स (Cybernatics) मनोविज्ञान के द्वारा नियंत्रण की प्रकिया समझने से अध्यापक को कक्षा में विभिन्न प्रकार के नियंत्रण लाने में सुविधा मिलती है। कक्षा छात्रों पर नियंत्रण तब ज्यादा अच्छा होगा जब अध्यापक विषय वस्तु समझाने की गति पर नियंत्रण कर सकेगा।

उसको यह समझाते हुए आगे बढ़ना है कि प्रत्येक छात्र विषय को भलीभांति समझ सके। अध्यापक को एक अच्छी प्रतिपुष्टि (Feedback) लेने और देने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। जिससे वह छात्रों की मुश्किलों को समझकर उनका उचित हल तुरंत दे सके। इससे सीखने की प्रकिया अत्यंत स्थायी हो जायेगी। यदि उपर की परिस्थितियों पर विचार किया जाय तो हम देखते हैं कि अध्यापक प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे बहुत सी प्रक्रियाओं का समावेश है। और इन प्रक्रियाओं को एक उचित अनुपात में एकीकरण करके एक अच्छा अध्यापक प्रशिक्षण का कार्यक्रम बनाया जा सकता है। अध्यापक को शिक्षा देते समय इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। इसलिए अध्यापक प्रशिक्षण में लचीलापन बनाये रखना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए पर्यायी व्यवस्था अथवा आकस्मिक व्यवस्था बनाये रखना आवश्यक होगा।

यदि ऊपर की परिस्थितियों पर विचार किया जाए तो हम देखते है कि अध्यापक प्रशिक्षण एक ऐसी प्रकिया है जिसमें बहुत सी प्रकियाओं का समावेश है और इन प्रकियाओं को एक उचित अनुपात में एकीकरण करके एक अच्छा अध्यापक प्रशिक्षण का कार्यक्रम बनाया जा सकता है। इस प्रकिया को समझने के लिए हमें अध्यापक परिक्षण की तुलना एक अच्छे चाय बनाने वाले से करनी होगी। चाय अच्छा स्वाद दे इसके लिए आवश्यक है कि उसमें हमारे स्वाद के अनुसार चीनी (Sugar), दूध,पत्ती और पानी की मात्रा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उसका तापमान तथा बनाने की कला भी महत्व रखती है। एक अच्छी चाय बनाने वाले को प्रत्येक

व्यक्ति के स्वाद का ध्यान रखना होगा तथा उसी की इच्छा के अनुसार चाय बनाने की कला मे बदलाव लाना होगा। यहां पर चीनी, दूध, चायपत्ती, पानी, बनाने की कला तथा तापमान का एकीकरण (Integration) कुछ इस प्रकार से किया जायेगा जिससे वह ग्राहक को उसका मन पसंद स्वाद दे सके। इसी प्रकार अध्यापक प्रशिक्षण में उपर के परिच्छेद में वर्णित विभिन्न प्रकार के विज्ञानों का एकीकरण कुछ इस प्रकार से किया जायेगा जिससे वह अध्यापक में अध्यापन की कला का विकास कर सके और प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता अनुसार अध्यापन कर सके।

बोध प्रश्न

1 वर्तमान समय के अध्यापक प्रशिक्षण की सार्थकता बढ़ाने के लिए उसमें क्या-क्या आमुल परिवर्तन करने चाहिए?

6.6 अध्यापक प्रशिक्षण- एक अंतरविषयी अध्ययन (Interdisciplinary)

प्राचीन काल मे यह समझा जाता था कि जो व्यक्ति अधिक से अधिक ज्ञान अपने मस्तिष्क में रट कर एकत्रित कर लेता है वह एक सफल अध्यापक है। उसका कार्य था कि छात्रों को रटने के लिए प्रेरित करना तथा वेद शास्त्र में वर्णित श्लोकों को कंठस्थ कराना। मनोविज्ञान के विकास से सीखने के सिद्धांतों का विकास हुआ और यह पाया गया कि प्रत्येक व्यक्ति के सीखने की दर (Rate of Learning) भिन्न होती है। शोधों से यह भी पता चला है कि मस्तिष्क, सीखने में तीन कार्य करता है।

1 सूचनाओं को ग्रहण करना (Receiving the Information)
2 सूचनाओं को संग्रह करना (Retaining the Information)
3 सूचनाओं का उपयोग करना (Using the Information)

छात्र विषय वस्तु सीखता है परंतु इस प्रकिया में केवल विषय वस्तु का महत्व नही है बल्कि उसके सीखने के ढंग का भी महत्व है। (What is to be learnt is not only important but how is to be learn is also important) इसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अध्यापक को विषय वस्तु का विद्वान होने के साथ-साथ पढ़ाने की कला का मर्मज्ञ भी होना चाहिए। उदाहरण के लिए -अंग्रेजी के अध्यापक को विलियम शेक्सपियर, विलियम वुर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन आदि की रचनाओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए और साथ-साथ भारतीय परिस्थितियों में छात्रों को यह ज्ञान कैसे दिया जाए इसकी भी कला अध्यापक में आनी चाहिए। इस प्रकार हम देखते है कि अध्यापन का कार्य एक अंतर्विषय (Interdisciplinary) है। इसलिए अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इसका उद्देश्य मुख्य रूप से, (1) अध्यापकों में विषय वस्तु का ज्ञान, तथा (2) पढ़ाने की कला का विकास, होना चाहिए। इस प्रकार पूरा अध्यापक प्रशिक्षण अंतर्विषय होना चाहिए और विभिन्न किया-कलापों (Activities) का मुख्य उद्देश्य इन दोनो प्रकार की योग्यताओं का विकास होना चाहिए।

अध्ययन की प्रकिया आजीवन चलने वाली प्रकिया है और अध्यापक के लिए अध्ययन एक नितांत आवश्यकता है। इस निरंतर अध्ययन के द्वारा वह अपने विषय में होने वाले शोधों से प्राप्त ज्ञान के बारे में सूचना प्राप्त कर सकता है और पढ़ाने को कला (Techniques of Teaching) के क्षेत्र में नये-नये प्रयोगों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। सरकार की तरफ से माध्यमिक तथा प्राथमिक शिक्षकों के लिए सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम (Inservice Teachers Training Programme) का आयोजन विभिन्न राज्यों गे किया जाता है। महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के व्याख्याताओं के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से ओरियन्टेशन कोर्स तथा रिफेशर कोर्स की व्यवस्था भी की जाती है। इस प्रकार के प्रशिक्षणों की व्यवस्था विकसित राष्ट्रों में बहुत पहले से है और भारत में अभी पिछले कुछ वर्षो से लागू की गयी है। अध्यापकों के विषय वस्तु संबंधी ज्ञान तथा पढ़ाने की कलाओं के ज्ञान को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार हम देखते है अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम एक अंतर विषयी कार्यक्रम है और अध्यापन कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए दोनो आयामों पर बराबर ध्यान देना आवश्यक है।

6.7 सारांश (Summary)

वर्तमान समय में विज्ञान के विकास से अभियांत्रिकी तथा तकनीकी (Engineering and Technology) के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। इस परिवर्तन से जीवन का हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। अध्यापक प्रशिक्षण में भी इस परिवर्तन से बदलाव लाने की आवश्यकता है। विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का कक्षा में उपयोग करने का प्रशिक्षण देना आवश्यक हो गया है। मनोविज्ञान के विकास से व्यक्तिगत भेद तथा सीखने के भिन्न-भिन्न दरों के कारण अध्यापक प्रशिक्षण में बदलाव लाने की आवश्यकता है। अध्यापक प्रशिक्षण तभी सार्थक कहलायेगा जब उसे भविष्य की चुनौतियों को सामना करने हेतु तैयार किया जाय। इसके लिए आवश्यक है कि अध्यापक प्रशिक्षण में लचीलापन लाया जाए और लोगों को आवश्यकतानुसार इसमें विभिन्न आयामों को शामिल किया जाए। विभिन्न प्रकार के विज्ञानों को विकसित होने के कारण उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से पठन पाठन की प्रकिया में देखने को आता है। अध्यापक प्रशिक्षण में इन सब का समावेश करने से अध्यापक प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ेगी और जिससे वह चुनौतियों का अध्यापन प्रशिक्षण के क्षेत्र में सामना कर सकेगा। अध्यापक को अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए तथा पढ़ाने की कला का मर्मज्ञ होना चाहिए। इन दो बातों का समावेश आवश्यक होने से यह बात स्पष्ट है कि अध्यापन प्रशिक्षण मे अन्तर्विषयक उपागम का समावेश होना चाहिए।

स्व-मूल्यांकन प्रश्न

1 वर्तमान समय के अध्यापक प्रशिक्षण की सार्थकता बढ़ाने के लिए उसमें क्या-क्या आमुल परिवर्तन करने चाहिए?

6.8 संदर्भ ग्रंथ

1. Flanders N.A “Flexibility in Instruction “quoted in the

		International Encyclopedia (1998) of Education Vol. 10 by Tursten Husen.
2.	Houston W.R.&	“Teacher Education Programmes” Quoted in “Encyclopedia of k.k Newman Educational Research (Fifth Edition) by Harold E.Mutzel the (1982) Free Press, Macmillian Publishing co., New York. pp 1881-1883.
3.	Judith E.C.&	“Research on Teacher Education” quoted in Handbook of Garvriel S Research on Teaching by Merlin C. Wittrook; Macmillan (1986)
4.	Kulkarni S.S	“A Systems Approach to Teaching and Learning” Quoted in (1989) Introduction to Educational Technology Oxford IBH Publishing Co. New Delhi.
5.	Lay E.J.S.	“Encyclopedia of Modern Methods of Teaching” Amol Publications, New Delhi
6.	Mick McManus (1989)	“Troublesome Behaviour in the Class room” Routledge Nicholas Publishing Company, New York
7.	Misra K.S.	“Teacher and their Education” The Associated
8.	Philip Barker (1986)	“Information Technology, Education and Training” quoted in Education Training and Information Technologies-Economic. And other Realities by Nick Rush by & Annc Howe, Kogan page, London
9.	Ryburn W.M. (1975)	“The Principles of Teaching“ University Press, Delhi
10.	Sharma A.K. (1988)	“Inservice Teacher Education Package” National Council of Education Research and Training, New Delhi

इकाई 7

प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के लिए अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम की प्रकृति व संकल्पना इकाई की संरचना

7.0 उद्देश्य

7.1 प्रस्तावना

7.2 प्राथमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम का शिक्षकों हेतु महत्व

7.3 प्राथमिक स्तर की अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम के उद्देश्य एवं प्रारूप

7.4 एन.सी.टीई. द्वारा दिशा निर्देश एवं सुधार हेतु सुझाव

7.5 माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम की आवश्यकता उद्देश्य एवं विषय वस्तु चयन के प्रतिकारक

7.6 माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धान्त, प्रवृत्ति दोष एवं सुझाव

7.7 माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम का प्रारूप, प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं शिक्षण अभ्यास

7.8 उच्चतर माध्यमिक स्तर हेतु अध्यापक शिक्षा

7.9 उच्चतर माध्यमिक स्तर हेतु अध्यापक शिक्षा शैक्षणिक विषय क्षेत्र

7.10 भावी शिक्षक का प्रोफाइल

7.11 उपसंहार

7.12 संदर्भ ग्रंथ

7.0 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य होने चाहिए कि

- प्राथमिक स्तर के अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम की वर्तमान स्थिति प्रारूप व महत्व से परिचित हा सकेंगे।
- अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम के उद्देश्यों का निर्धारण कर सकेंगे।
- माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम आवश्यकताओं, विषयवस्तु चयन के प्रतिकारकों तथा पाठ्यक्रम के उद्देश्यों से परिचित हो सकें।
- माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम के निर्माण के प्रवृत्तियों आदि को समझ सकें।
- अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम के प्रारूप व दोषों से परिचित होकर उनके निवारण हेतु सुझाव दे सकें।
- माध्यमिक स्तर की अध्यापक शिक्षा से सम्बन्धित कुछ नवाचारों से परिचित हो सकें।

7.1 प्रस्तावना (Introduction)

अध्यापक की उचित शिक्षा के बिना शिक्षा का कोई कार्यक्रम सफल नही हो सकता। प्रो० हुमायूँ कबीर ने ठीक ही कहा है- कि अच्छे अध्यापकों के बिना सर्वोत्तम शिक्षक प्रणाली भी असफल हो जाती है। अच्छे अध्यापकों के साथ पाठ्यक्रम व प्रणाली के दोषों को दूर किया जा सकता है। किसी भी शिक्षा प्रणाली में अध्यापक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अध्यापक के चारों ओर ही समूची शिक्षा घूमती है। यह विद्यार्थी को अज्ञानता के अन्धकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है।

अध्यापक शिक्षा का अर्थ अध्यापक प्रशिक्षण से अधिक है। इसके अनेक पहलू है। अध्यापक कार्य कौशलपूर्ण कार्य है। इसमें सभी शिक्षात्मक अनुभूतियां सम्मिलित है जो किसी भी मनुष्य को स्कूल में शिक्षण के लिए तैयार करती है। इसके लिए शिक्षण संस्था द्वारा पाठ्यक्रम निश्चित किया जाता है। यह पाठ्यक्रम उनकी शिक्षक योग्यता में विकास करता है।

शिक्षा में प्राथमिक स्तर का अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम उस सारे भवन की नीव है जो हम बनाना चाहते है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अधिगम के अनिवार्य स्तरों की प्राप्ति के उद्देश्य से शिक्षा की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रोग्राम ऑफ एक्शन (1992) ने भी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर अधिगम के न्यूनतम स्तर निर्धारित करने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रारंभिक शिक्षा की कार्यनीति को गुणवत्ता के साथ समता को जोड़ने के प्रयास के रूप में देखा गया।

प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता के प्रमुख सूचक को उत्पाद की दृष्टि से अध्ययन विधि विषयों में विद्यार्थी के प्रदर्शन तथा सह-विद्यालयी क्षेत्रों में विद्यार्थी की उपलब्धि जैसे अच्छा नागरिक बनने के लिए अपेक्षित जीवन कौशलों, अभिवृत्तियों, मूल्यों आदतों के आधार पर परिकल्पित किया जा सकता है। इन क्षेत्रों में सफलता से जुड़े कारक, जिनका अध्ययन और अधिगम वातावरण की दशाओं से भी सम्बन्ध है, उन्हें भी कई बार प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता के सूचकों के रूप में देखा जाता है। इसलिए, प्रारंभिक शिक्षा में लक्षित गुणवत्ता की प्राप्ति के लिए अनिवार्य है कि अपेक्षित साधनों और प्रक्रमों में गुणवत्ता को पहले से ही सुनिश्चित किया जाए।

7.2 प्राथमिक स्तर के अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम का शिक्षक हेतु महत्व

अध्यापक शिक्षा का प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम का महत्व निम्न प्रकार से है:-

बाल मनोविज्ञान का ज्ञान प्राथमिक स्तर पर प्रशिक्षित अध्यापक अपने विषय में पूर्ण ज्ञान रखता है तथा उसके साथ साथ अपने छात्र- छात्राओं के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए उसे बालक की विभिन्न विकास अवस्थाओं की आवश्यकता का ज्ञान होना चाहिए। उसने विद्यार्थी को समायोजन में सहायता प्रदान करनी चाहिए उसे निम्न और बातों का भी ज्ञान होना आवश्यक है।

- विद्यार्थी किस प्रकार सीखता है?
- सीखने की प्रकिया में सहायक साधन कौन से है?
- विद्यार्थी को सीखने के लिए प्रेरित कैसे किया जाए?
- बुनियादी इच्छाओं के उदान्तीकरण के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए?

प्राथमिक स्तर पर एक अप्रशिक्षित अध्यापक इस व्यापक दायित्व को कुशलतापूर्वक नही निभा सकता है।

शिक्षण को रोचक बनाना: प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित अध्यापक शिक्षण कार्य मे वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है जिससे शिक्षा एक सफल प्रकिया बन जाती है। प्रशिक्षण द्वारा अध्यापक अपनी प्रतिभा को उजागर कर उसका उचित प्रयोग करता है। अध्यापक के पर्याप्त प्रशिक्षण के बिना प्राइमरी स्तर की शिक्षा के पुन:निर्माण का कोई भी कार्य सम्पन्न नही हो सकता।

सीखने और सीखाने की प्रकिया का ज्ञान:- प्राथमिक स्तर के अध्यापक शिक्षा के दौरान अध्यापक को प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षण शैलियों तथा क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त होता है।

अध्यापक के विभिन्न गुणो को विकसित करना:- प्राइमरी स्तर के पाठ्यक्रम का शिक्षण कार्य में सफलता के लिये अध्यापक में कुछ शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं भावात्मक योग्यताओं का होना अत्यन्त आवश्यक है।

व्यावसायिक विकास की आवश्यकता: अध्यापकों के केवल ज्ञान विकास के लिए ही नही अपितु उनकी व्यावसायिक प्रगति लिए भी प्राथमिक स्तर के अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम की अति आवश्यकता है।

शिक्षण में गतिशीलता उत्पन्न करना:- शिक्षा में पाठ्यक्रम हमेशा गतिशील रहता है। अध्यापक तभी शिक्षा का अभिन्न अंग बना रह सकता है जब वह पाठ्यक्रम की गतिशीलता के साथ कदम मिलाकर चले। पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं में निरन्तर परिवर्तन होते रहते है और जब तक अध्यापक को इनका समुचित ज्ञान प्राप्त नही होता तब तक वह सफलतापूर्वक शिक्षण कार्य नही कर सकता। प्राइमरी स्तर के पाठ्यक्रम द्वारा प्रशिक्षण से उसे यह ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है।

शिक्षण विषयों का नवीनीकरण: शिक्षण विषयों का नवीनतम ज्ञान तप्त करने के लिए प्राथमिक स्तर अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम की आवश्यकता है। जैसे प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की शिक्षा देने के लिए आवश्यक है की प्राथमिक अध्यापकों के विज्ञान संबन्धी ज्ञान का नवीनकरण किया जाए। नवीन गणित को प्रचलित करने के लिए गणित के अध्यापकों को नवीन गणित की बुनियादी सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान किया जारो। पाठ्यक्रम से सम्बन्धित कार्यशालाओं, कार्य गोष्ठी आदि के आयोजन से विषयों का नवीन ज्ञान प्राप्त होता है।

7.3 प्राथमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम के उद्देश्य एवं प्रारूप

जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि कोठारी आयोग में प्राथमिक स्तर के अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम के लिए कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के छात्रों (आयु वर्ग 8- 14 वर्ष) की आवश्यकताओं को ध्यान में रखने की बात की है। ऐसी व्यवस्था में एक शिक्षक को न केवल सभी कक्षाओं मे पढ़ाने के लिए तैयार रहना पड़ता है

अपितु उसे सभी कक्षाओं के सभी विषयों को पढ़ाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अत: ऐसी स्थिति में प्राथमिक स्तर की शिक्षक शिक्षा का पाठ्यक्रम स्वभाव से अन्तर्विषयक होना चाहिए ताकि भावी अध्यापक अपने दायित्वों की पूर्ति सफलतापूर्वक कर सकें।

विगत दिनों में शिक्षा के सार्वजनीकरण के सम्बन्ध में न केवल फाइलें चली है, अपितु काफी प्रयास भी किए जा रहे है कि प्राथमिक स्तर पर देश में शिक्षकों की वैसे ही काफी कमी है, और अब हम जब सार्वजनीकरण की ओर बढ़ रहे है, तो शिक्षकों की मांग ओर बढेगी अभी तक कार्यरत शिक्षकों का कार्य विद्यालय में नामांकित छात्रों को पढ़ाना है परन्तु अब इस सार्वजनीन की प्रकिया के साथ उनकी भूमिका में और भी परिवर्तन आएगा अब उन्हें छात्रों को पढने के लिए अभिप्रेरित करना होगा, समाज के साथ विद्यालय का अच्छा सम्बन्ध रखना होगा तथा शैक्षिक प्रकिया में भी समय, व छात्र व सार्वजनीकरण की मांग के अनुसार परिवर्तन लाना होगा। अत: अब प्राथमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा की भूमिका और जटिल हो जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम की संरचना (structure) तथा शिक्षण तंत्र (pedagogy) में नये आयामों के संदर्भ में परिवर्तन किए जाएं।

प्राथमिक स्तर की अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम के उद्देश्य

माध्यमिक स्तर तथा प्राथमिक स्तर की अध्यापक शिक्षा के सामान्यता उद्देश्यों (देखें इकाई 10) मे विशेष अतर नही है। अत: हम यही पर विशिष्ट उद्देश्यों के संदर्भ में चचा करेंगे। एन.सी.टी.ई ने अपने प्रपत्र "Curriculum Frame work for teacher education 1996" में प्राथमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के निम्न उद्देश्य बताए है-

भावी शिक्षकों को उचित सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान व कौशलों से परिपूर्ण (Equip) बनाना

प्राथमिक स्तर के लिए आवश्यक मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक सिद्धांतों के प्रति समझ पैदा करना। बच्चे के व्यक्तित्व का समग्र विकास करने हेतु भावी शिक्षकों को तैयार करना।

भावी शिक्षकों को इस योग्य बनाना कि वह बच्चों को ध्यान में रखते हुए उचित अधिगम संसाधनों तथा अनुभवों की व्यवस्था कर सकें।

भावी शिक्षक छात्रों में समस्या समाधान की योग्यता का विकास कर सके।

भावी शिक्षक प्रभावी शिक्षण विधियों व प्रविधियों से परिचित हो सकें।

भावी शिक्षक छात्रों की सामाजिक व सांवेगिक समस्याओं को हल कर सकें।

विद्यालय में सहगामी क्रियाओं का यथास्थान उपयोग कर सके।

छात्रों में जिज्ञासा, कल्पना, आत्मविश्वास आदि की भावना भर सकें।

भावी शिक्षक सामुदायिक संसाधनों की उपयोगिता तथा कार्य अनुसंधान की महत्ता से परिचित हो सकें।

भावी शिक्षक समाज में अपनी बदलती हुई भूमिका के प्रति जागरूक रहें।

शिक्षक का प्रोफाइल

शिक्षक का प्रोफाइल, सामाजिक संदर्भों और चिंताओं के प्रमुख मुद्दों से उभरा है, यह अनिवार्यता परम्परागत भूमिकाओं के अतिरिक्त और भी भूमिकाओं की और इशारा करता है। यहाँ निम्नलिखित समस्यों और सक्षमताओं को उजागर करना आवश्यक है.

- व्यावसायिक सक्षमता, व्यावसायिक वचनबद्धता और व्यावसायिक नीतिशास्त्र के आंतरिक और बाहरी मूल्यों को समाहित करना;
- ज्ञान का सृजन और उसको पुन:रचित करना;
- अधिगम संसाधनों का चयन, प्रबंधन और उनका प्रयोग;
- पाठ्यचर्या को भली भांती करना और अक्षम विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यकलापों और कार्यक्रमों का आयोजन करना;
- जनसंचार और उपयुक्त अनुदेशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना;
- परिवर्तन की चुनौतियों को ध्यान में रखकर अनुकूल कार्यवाही और प्रभावी संप्रेक्षण करना;
- व्यक्तित्व विकास, समायोजन और अधिगम की प्राप्ति के लिए विद्यार्थियों को परामर्श देना;
- शोध विशेष रूप से अनुसंधान शोध करना और नवीन रीतियों की शुरुआत करना;
- मूल्य-निर्णयन, मूल्य वचनबद्धता और मूल्य प्रसार: की भावना जाग्रत करना;
- संस्कृति और शिक्षा" और संस्कृति एवं व्यक्तित्व"' के बीच के अंत: संबंध को ग्रहण करना;
- सतत् शिक्षा में रुचि को बढ़ाना;
- समुदाय की आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं को समझना और विद्यालय एवं समुदाय में परस्पर सहयोगपरक सम्बन्धों को स्थापित करना; और
- आधुनिकीकरण और विकास के परिवर्तन अभिकर्ता के रूप में कार्य करना।

अत: भावी शिक्षकों के लिए ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए ताकि उनमें ऊपर उचित सामर्थ्य और सक्षमताओं का विकास किया जा सके।

अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या (Teacher Education Curriculum)

आप इस बात से सहमत होंगे कि बालक प्रत्येक स्तर पर अलग तरह की प्रतिक्रिया को दर्शाता है इसलिए उसके पाठ्यचर्या की प्रकृति भी इसी आधार पर भिन्न होगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने समान जरूरत को पहचाना है और अध्यापक शिक्षा के लिए अपने (Quality Curriculum Frame-work(1998) में बच्चे के प्रत्येक स्तर से संबंधित पाठ्यचर्या को सूत्रबद्ध किया है। इन पहलुओं के अलावा, इस इकाई में आप प्रारंभिक और प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रस्तावित पाठ्यचर्या की प्रकृति का अध्ययन करेंगे।

प्राथमिक बाल्यावस्था स्तर हेतु अध्यापक शिक्षा

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रारंभिक शिक्षा की आवश्यकता पर लंबे समय से जोर दिया जा रहा है। इस स्तर पर छोटे बच्चों की आवश्यकताएँ अलग होती है, इसलिए उनके स्वस्थ और समृद्ध बचपन के लिए नए तरह के अध्यापकों की आवश्यकता है जो प्रारंभिक बाल्यावस्था स्तर पर अपेक्षित बाल विकास के परिप्रेक्ष्यों को समझ सकें। समेकित बाल विकास योजना के माध्यम से किए गए प्रयास सहयोगपरक प्रभाव देने में पर्याप्त सिद्ध नहीं हुए इन फलदायी प्रभावों के अभाव में यह महसूस किया गया कि यदि व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित अध्यापकों को उपलब्ध कराया जाएँ तो बदलाव की अपेक्षा की जा सकती है। इस स्तर के लिए अध्यापकों का व्यावसायिक निर्माण के लिए सुविचारित नियोजन की आवश्यकता थी।

प्रारंभिक बाल्यावस्था के लिए भावी अध्यापकों को तैयार करने के लिए उनमें इस अवस्था में बालक में आने वाले बदलाव और उनको सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक निहितार्थों के प्रति संवेदनशील करना है। यह भी महत्वपूर्ण है कि वह सतत अभिप्रेरणा और अधिगम के माध्यम से शिक्षार्थी में बदलाव लाए। अध्यापक बनने के इच्छुक व्यक्तियों को बाल अधिकार, मानव अधिकार, कानूनी साक्षरता, समुदाय गतिशीलता, राष्ट्रीय एवं स्थानीय पर्वों के ज्ञान, सामुदायिक एवं सामाजिक जीवन में उभरती प्रवृत्तियाँ, जीवन के विविध पहलुओं में सुप्रसिद्ध हस्तियों का प्रभाव, पर्यावरण एवं समष्टि संतुलन को प्रभावित करने वाले कारकों एवं बलों से परिचित होना और ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व वाले स्थानों का ज्ञान एवं अनुशंसा और विकास के ऐतिहासिक स्तर एवं प्रवृत्तियों की समझ को विकसित करना है।

राष्ट्रीय अध्यापक परिषद द्वारा भावी अध्यापकों को दिया जाने वाला अन्य सुझाव यह भी था कि वे भारतीय वास्तविकता एवं परिप्रेक्ष्य और बाल व्यवहार की नींव की दृष्टि से भारत में बाल्यावस्था शिक्षा से अवगत हो। इसके अलावा जरूरी है कि भावी शिक्षकों में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की प्रगति, इनका ऐतिहासिक विकास और प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने की प्रक्रिया में शामिल अभिकरणों की जानकारी भी दी जाए। ये सभी जानकारी स्थानीय प्रासंगिकता और विशिष्टता को ध्यान रखकर ही दी जाए।

इस स्तर के बच्चों के लिए कार्यक्रम और कार्यकलापों की रूपरेखा बनाने से पहले यह महत्वपूर्ण है कि इस स्तर पर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के मूलभूत बिन्दुओं के बारे में जानकारी दी जाए। उपर्युक्त सभी दुष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने 1998 में अपने प्रलेख अध्यापक शिक्षा के लिए अपने गुणवत्ता आधारित पाठ्यक्रम बुनियादी ढाँचे में प्रारंभिक बाल्यावस्था अध्यापक शिक्षा के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों को सूत्रबद्ध किया।

- बच्चों के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, सौन्दर्य और भाषाई विकास को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को तैयार करना;
- बाल मनोविज्ञान के ज्ञान से परिचित कराना;
- सामाजिक संवेदनशीलता को विकसित करना; बच्चों के लिए स्नेह-भावना रखना और उनके

- अनूठेपन का सम्मान करना;
- बाल देखभाल की तकनीकों से परिचित कराना और बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान करने के योग्य बनाना;
- बच्चों की आत्म संकल्पना, सृजनात्मकता और अन्वेषण शक्ति को बढ़ावा देने वाले अनुभव प्रदान कराना और इससे जुड़े कार्यकलापों का आयोजन करना;
- विभिन्न प्रकार की संसाधन सामग्री कि चयन. निर्माण और प्रयोग के योग्य बनाना;
- वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय साक्षरता की बुनियादी जानकारी से परिचित करना;
- बाल क्रियाओ, गीतों और साहित्य सम्बन्धी कोश को विकसित करना; और
- विद्यार्थी-अध्यापकों को छोटे बच्चों में तत्काल सीखने की भावना जाग्रत करने के प्रति सशक्त करना

प्रारंभिक बाल्यावस्था स्तर पर अध्यापक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम

संरचना

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा सुझाया गए पाठ्यक्रम, लचीलापन, नवीनता और स्थानीय रूप से उपलब्ध सामुदायिक संसाधनों के प्रयोग पर पर्याप्त ध्यान देता है। इस संदर्भ में विविध सैद्धान्तिक और व्यावहारिक बिन्दु दिए गए हैं जो प्रारंभिक बाल्यावस्था स्तर की और निर्देशित अंतः क्रियाओं प्रक्रमों की गुणवत्ता को सुधारने में सहायक होंगे। इस संदर्भ में सैद्धान्तिक और व्यावहारिक पहलुओं का सुनिश्चित तालमेल ऐसा है जिससे अनुभवों की माला बनती है।

सैद्धान्तिक पक्ष के घटक

अध्यापक पर प्रत्येक बच्चे की क्षमताओं की पहचान करके बच्चे के व्यक्तित्व को संवारने का उत्तरदायित्व होता है। बुनियादी ढाँचे में सुझाए गए सैद्धान्तिक घटकों मे अनिवार्यतया विविधताओं को समझते हुए और देश की सांस्कृतिक और परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए बौद्धिक आयामों को विस्तृत करना शामिल है।

यह बताने योग्य हे कि (Quality Curriculum Framework(1998) में क्षेत्र, दौरों, संग्रहालयों, चिड़ियाघरों एवं शैक्षिक स्थानों और पहाड़ों एवं वनों के दौरों एवं वास्तविक जीवन स्थितियों से जुड़े अनुभवों एवं संभावित श्रव्य-दृश्य माध्यमों से प्रकृति से संबंद्ध अध्यापक की माडुयूलर शिक्षा तकनीक का सुझाव दिया है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में छोटे बच्चों के विकास को बढ़ावा देने के लिए वास्तविक कार्यस्थलों में अनुभवों का प्रयोग करने के लिए भावी अध्यापकों को सशक्त करने के प्रति निर्देशित किया गया है।

नए पाठ्यक्रम बुनियादी ढाँचे में प्रारंभिक बाल्यावस्था के स्तर पर सैद्धान्तिक घटकों के शिक्षण में निम्नलिखित का समावेश किया है

- उभरता भारतीय समाज
- प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा; प्रकृति, स्थिति, समस्याऐं और मुद्दे;
- प्रारंभिक वर्षा के दौरान बाल एवं अधिगम सम्बन्धी मनोविज्ञान और
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् कार्यक्रमों का नियोजन, प्रबंधन और प्रशासन

निम्नलिखित कार्यकलापों द्वारा निम्नलिखित के लिए पूर्व-विद्यालय बाल वृद्धि और विकास को सुगम बनाने की विधियाँ एवं सामग्री की जानकारी प्रदान करना

- शारीरिक विकास;
- मानसिक विकास;
- संवेगात्मक विकास;
- सौन्दर्य सम्बन्धी विकास;
- भाषाई विकास;
- सामाजिक विकास;
- नैतिक विकास;
- तंत्रिका-माँसपेशी समन्वय;
- आत्म-अभिव्यक्ति;
- स्वास्थ्य और स्वच्छता;
- बच्चे के स्वभाव को सही दिशा देना;
- प्रेक्षण; और
- संवेदी-पेशीय प्रशिक्षण।

उपर्युक्त उल्लिखित घटकों के साथ-साथ व्याख्यान, संगोष्ठियाँ, सत्रांत परीक्षा, चर्चा समूह, क्रीडाएँ और भूमिका नियोजन आदि जैसी विविध एवं उपागमों के समावेश के बारे में भी कहा गया है जो बालक का संपूर्ण विकास में सहायक होंगे। यह भी सुझाया गया है कि सैद्धान्तिक घटक का मूल्यांकन, सत्र के अंत में होनी वाली परीक्षाओं के द्वारा ही नहीं, बल्कि संगोष्ठियाँ और चर्चा समूहों में सहभागिता के द्वारा भी किया जाएगा। इसके साथ सेमेस्टर परीक्षाओं का आयोजन भी किया जा सकता है जो मौखिक, लिखित, व्यावहारिक और वस्तुपरक प्रकार की हो सकती है।

प्रायोगिक कार्य संबंधी घटक

आप सहमत होंगे कि अधिकाधिक लाभ प्राप्ति की दृष्टि से किसी भी प्रशिक्षण प्रक्रिया में सैद्धान्तिक और व्यावहारिक पक्षों को एक दूसरे से जोड़ना बहुत जरूरी होता (Quality Curriculum Frame-work (1998) में प्रायोगिक कार्य, विभिन्न सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों वाले बच्चों, प्रतिभाशाली बच्चों एवं अक्षम बच्चों समेत बच्चों के व्यापक अध्ययन का एक मुख्य भाग होगा। इसके अलावा प्रायोगिक घटक में अनुसूचियों का निर्माण एवं प्रयोग, मूल्यांकन जॉचसूचियाँ एवं मूल्यांकन सम्बन्धी अन्य साधन एवं तकनीक का निर्माण भी शामिल होगा।

समुदाय सर्वेक्षण का पाठ्यचर्या में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है जिससे अध्यापक पर्यावरण ओर सामुदायिक संसाधनों के अधिकतम सदुपयोग कर सके।

प्रायोगिक कार्य में भावी अध्यापकों के शारीरिक, संज्ञानात्मक तथा संवेगात्मक विकास के लिए कार्यक्रमों को निर्मित करना शामिल है। स्वास्थ्य एवं चित्रकला मिट्टी/प्लास्टिक का प्रयोग, संगीत, नृत्य, मनोरंजन, कहानी सुनाना, बाल क्रीडाएँ, बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति

के लिए जरूरी माने गए है इसलिए इनको प्रायोगिक पहलू के लिए बनाई गई पाठ्यचर्या से जोड़ा गया। निम्नलिखित क्षेत्रों को प्रायोगिक पाठ्यचर्या में रखा गया है:

कला एवं चित्रकला

संगीत

- सृजनात्मक कार्यकलाप
- कहानी सुनाना
- नृत्य एवं नाट्यकला
- क्रीडाएँ एवं शारीरिक अभ्यास;
- क्षेत्र दौरा;
- ब्लॉक बनाना एवं संबद्ध क्रीडाएँ और
- अक्षम बच्चों से सम्बन्धित कार्यकलाप
- व्यावहारिक अनुभव बच्चों से संबद्ध कार्यकलापों से जुड़े कार्यक्रमों का प्रेक्षण, नियोजन एवं कार्यान्वयन

प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा की पाठ्यचर्या संरचना

संविधानिक प्रावधान के अनुसार 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। इसमें निम्न प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं अर्थात् I से VIII तक के बच्चे आते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने प्रारंभिक शिक्षा हेतु अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रमों की रूपरेखा निर्माण के लिए निम्नलिखित तीन विशिष्ट संभावनाओं पर विचार किया है.

- अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम जो पूर्णतया कक्षा I से V कक्षा तक के प्राथमिक विद्यालय विद्यालय के बच्चों के लिए हो।
- अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम जो प्रारंभिक शिक्षा के लिए हो कक्षा I से VIII कक्षा तक और
- अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम जो पूर्णतया (कक्षा IV से कक्षा VIII तक) के उच्च प्राथमिक
- विद्यालय के बच्चों के लिए हों।
- प्राथमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की अपेक्षाओं के मद्देनजर, सिर्फ पहले
- दो विकल्पों की सिफारिश की जा रही है। हालाँकि, तीसरे सुझाव के लिए कहा गया कि वह प्राथमिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद क्रेडिट उन्मुख माड्यूलर की प्रस्तुति करके लागू किया जा सकता था।

प्राथमिक स्तर हेतु प्राथमिक शिक्षा

अध्यापक को समाज की जटिलताओं और विकासात्मक प्रक्रिया के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर अंतर्दृष्टि डालने के लिए प्रशिक्षण साधनों के माध्यम से सशक्त करने की आवश्यकता है। इसलिए पाठ्यक्रम में उभरते भारतीय समाज, अक्षम बच्चों की शिक्षा अध्ययन का मनोविज्ञान और स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा विषयों को शामिल किया गया है।

इस स्तर (कक्षा I से कक्षा V तक) का पाठ्यक्रम अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों और पाठ्यचर्या विकास की सुविचारिक विशेषताओं द्वारा मार्ग दर्शित है। निम्नलिखित बुनियादी ढाँचा,

स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर बदलाव लाने की दृष्टि से लचीला भी है। Quality Curriculum Framework(1998) द्वारा सुझाए गए आधार पर प्राथमिक अध्यापक शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों में निम्नलिखित का समावेश है:-

- प्राथमिक स्तर के लिए सार्थक माने जाने वाले मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आधार की समझ को विकसित करना
- अध्यापकों को बच्चों के अधिगम अनुभवों को संगठित करने के उपयुक्त संसाधनों की देखरेख करने के योग्य बनाना
- अक्षम बच्चों की देखभाल की विधियों और तकनीकों से परिचित कराना
- अनिवार्य कौशल ग्रहण करने के योग्य बनाना जिनमें सृजनात्मकता और जिज्ञासा को विकसित किया जा सके
- सामाजिक एवं संवेगात्मक समस्याओं को समझने और उनका विश्लेषण करने की योग्यता विकसित करना संप्रेषण कौशल विकसित करना
- प्राथमिक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण के उद्देश्यों पर ध्यान केन्द्रित कर समुदाय के साथ सहयोगपरक सम्बन्ध कायम करने के योग्य बनाना
- अध्ययन-अध्यापन के लिए शोध के निहितार्थों को समझने और नवीन रीतियों का प्रयोग करने के योग्य करने के योग्य बनाना, और
- खेलकूद, शारीरिक कार्यकलाप और अन्य पाठ्य-सहगामी कार्यकलापों का आयोजन करने के योग्य बनाना।
- प्राथमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा हेतु पाठ्यचर्या की संरचना

सैद्धान्तिक घटक

पाठ्यचर्या के सैद्धान्तिक घटक ऐसी सक्षमताओं और कौशलों में पारंगत होने की ओर इशारा करते है जो अध्यापक को प्रभावी, समर्पित और चिंतनशील बना सके। यह प्रस्तावित किया गया कि सैद्धान्तिक पक्ष को व्याख्यान-चर्चा, स्व-अध्ययन उपागम, संगोष्ठि, जनसंचार समर्थित शिक्षण द्वारा लागू किया जा सकता है। निम्नलिखित सैद्धान्तिक घटक पक्ष में शामिल किए गए

- उभरता में प्राथमिक शिक्षा, समस्याएँ और मुद्दें
- से 11 वर्ष की आयु सुबह के बच्चों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए अध्ययन-अध्यापन सम्बन्धी मनोविज्ञान
- निर्धारण, मूल्यांकन और समस्या-समाधान सम्बन्धी शिक्षा,
- स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा,
- विद्यालय प्रबंधन,
- अक्षम बच्चों की शिक्षा
- मार्गदर्शन और परामर्श
- प्राथमिक विद्यालयों हेतु सम्बन्धी क्षेत्र, और
- कार्य शोध

प्रायोगिक शिक्षा

प्रायोगिक घटक भावी अध्यापकों को सैद्धान्तिक घटक का व्यावहारिक प्रयोग करने में सहायक बनाएगी। प्रायोगिक कार्यकलापों में भावी अध्यापकों के व्यक्तित्व विकास के लिए विभिन्न विद्यालयी अनुभव, कार्य शिक्षा, विद्यालय समुदाय अंतःक्रिया और कार्य शोध परियोजनाओं का समावेश है। पाठ्यचर्या में शामिल घटक हैं :-

- प्राथमिक विद्यालयी विषयों का शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण,
- विद्यालयों में प्रायोगिक शिक्षण, और
- आदर्श (मॉडल) अध्यायों का प्रेक्षण

प्रायोगिक कार्य

- विद्यालय अनुभव (अंतशिशुता समेत),
- कार्य शिक्षा,
- विद्यालय-समुदाय अंतःक्रिया
- कार्यशोध अध्ययन (नियोजन एवं कार्यान्वयन), और
- प्रासंगिक शैक्षिक कार्यकलापों का आयोजन।

पाठ्यचर्या के उपर्युक्त दोनों घटकों का मूल्यांकन करना बेहद आवश्यक है। इसलिए, सुझाव था कि सतत अनुक्रिया और विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने निर्माणात्मक मूल्यांकन की प्राप्ति की जा सकती है। इस बात को तेजी से महसूस किया जा रहा है कि बाहरी परीक्षाओं की जगह आंतरिक सतत् और व्यापक पद्धति का चलन होना चाहिए। प्रायोगिक शिक्षण का मूल्यांकन. आंतरिक बाहरी या दोनों विधियों के विवेकपूर्ण तालमेल से किया जा सकता है।

प्रारंभिक स्तर हेतु अध्यापक शिक्षा

प्रारंभिक स्तर के दौरान बच्चा विकास के ठोस सक्रियात्मक स्तर से अमूर्त तर्कशास्त्र के विकास की ओर बढ़ता है। इसलिए अध्ययन-अध्यापन कार्य नीतियों को भी साथ-साथ बदलना पड़ता है। अध्यापक प्रशिक्षण को भी इस और उन्मुख करना जरूरी होगा। राष्ट्रीय अध्यापक संस्थान ने महसूस किया कि मौजूदा अध्यापक शिक्षा का पाठ्यक्रम बाल विकास के विभिन्न स्तरों में चिंतन प्रक्रमों के विकास में निहित क्रमिक बदलाव को उजागर नहीं करती। इसलिए, प्रारंभिक स्तर के लिए अलग किस्म के अध्यापक शिक्षा मॉडल का सुझाव दिया गया।

इस स्तर पर प्रासंगिक विशिष्ट उद्देश्यों में निम्नलिखित का समावेश संभव है -

- प्राथमिक स्तर की शिक्षा के संदर्भ में प्रासंगिक माने जाने वाले मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक सिद्धान्तों की समझ विकसित करना;
- अध्यापकों को अधिगम अनुभवों के आयोजन के लिए उपर्युक्त संसाधनों के चयन, निर्माण और प्रयोग करने के योग्य बनाना,
- अध्यापकों को अक्षम बच्चों के शिक्षण से जुड़ी विधियों एवं सामग्री से परिचित कराना
- उनमें ऐसी योग्यता विकसित करना ताकि वे बच्चों की सामाजिक एवं संवेगात्मक समस्याओं को हल कर सकें,
- बच्चों में जिज्ञासा, परिकल्पना एवं आत्म-विश्वास के लिए अनिवार्य कौशल विकसित कर सकें
- संप्रेषण कौशल विकसित करना,

- शैक्षिक साधनों के रूप में सामुदायिक संसाधनों को एकत्र करने एवं इनका सदुपयोग करने के योग्य बनाना
- अनुपूरक शैक्षिक कार्यकलाप आयोजित करने के योग्य बनाना,
- कार्यशोध परियोजनाओं को शुरु करना
- समुदाय से परस्पर सहयोगपरक सम्बंध स्थापित करने के योग्य बनाना. और
- क्रीड़ाओं, खेलकूद, शारीरिक कार्यकलापों एवं अन्य पाठ्यसहगामी कार्यकलापों का आयोजन करने के योग्य बनाना।

प्रारंभिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम संरचना

इस स्तर पर अध्यापक शिक्षा की संरचना भी दो भागों अर्थात् सैद्धान्तिक और व्यावहारिक पक्षों में विभाजित किया गया है।

सैद्धान्तिक घटक

प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के सैद्धान्तिक घटक शिक्षार्थियों के मनोविज्ञान के संदर्भ में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति, समस्याओं और मुद्दों से जुड़े समग्र सैद्धान्तिक बिन्दुओं को उजागर करते हैं। इस संरचना में सुझाए गए सैद्धान्तिक और प्रायोगिक पाठ्यक्रम समक्ष प्रारंभिक विद्यालयी अध्यापक का निर्माण करने के योग्य हैं।

पाठ्यचर्या में शामिल विषयवस्तु हैं-

- उभरता भारतीय समाज
- भारत में प्रारंभिक शिक्षा, स्थिति, समस्याएँ और मुद्दे,
- से 14 वर्ष की आयु समूह के विद्यार्थियों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए अध्ययन- अध्यापन सम्बन्धी मनोविज्ञान
- अक्षम बच्चों की शिक्षा,
- निर्धारण, मूल्यांकन और समस्या निवारण सम्बन्धी शिक्षा,
- मार्गदर्शन और परामर्श, और
- कार्य शोध।

प्रायोगिक शिक्षण

आप इस बात से सहमत होंगे कि अभ्यास (व्यावहारिक पक्ष) के बिना सिद्धान्त (सैद्धान्तिक पक्ष) निरर्थक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक शिक्षा पाठ्यचर्या में अंत:शिक्षुता कार्यक्रम को शामिल करने का सुझाव है जिसके अंतर्गत विद्यालय, भावी अध्यापकों को विद्यालय में काम के दौरान अपेक्षित है जिसके (विविध) अनुभव प्रदान करेगा। वे कार्य के शैक्षिक मूल्यों और शारीरिक श्रम की महत्ता सम्बन्धी अनुभव को आपस में जोड़ देंगे। प्रायोगिक भाग के घटकों में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं-

- प्रारंभिक विद्यालय में विषय पढ़ाने से जुड़ा शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण,
- विद्यालयों में प्रायोगिक शिक्षण, और
- आदर्श (मॉडल) अध्यायों का प्रेक्षण।

प्रायोगिक कार्य

- विद्यालयी अनुभव (अंतःशिक्षुता समेत),

- कार्य शिक्षा,
- विद्यालय-समुदाय अंतःक्रिया
- शैक्षिक कार्यकलापों का आयोजन
- क्रीड़ाओं, खेलकूद और शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यकलापों का आयोजन, और
- कार्यशोध - प्रस्ताव और अध्ययन।

आशा है कि विस्तृत पाठ्यचर्या योजना, सौन्दर्यशास्त्र, संस्कृति, कला, संगीत, नाट्यकला, नृत्य और मूल्य आदि की शिक्षा पर्याप्त रूप से प्रदान करेगी। पाठ्यचर्या के सफल/असफल कार्यान्वयन के लिए मूल्यांकन सतत्, रचनात्मक और व्यापक होना चाहिए ताकि अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाया जा सके। सुव्यवस्थित मूल्यांकन से अध्यापक उचित शिक्षण कार्यनीतियों का चयन करने और पाठ्यचर्या प्रक्रिया में उचित परिवर्तनों को प्रभावित करने योग्य बनता है।

पाठ्यचर्या में सुझाव है कि प्रारंभिक स्तर पर विद्यार्थी अध्यापकों का मूल्यांकन, प्राथमिक स्तर से भिन्न नहीं होगा और प्राथमिक पर अंगीकृत समान सिद्धान्त और रीतियों का प्रयोग इस स्तर पर भी किया जा सकता है।

7.4 एन.सी.टी.ई द्वारा दिशा निर्देश एवं सुधार हेतु सुझाव

प्राथमिक स्तर के अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सुधार हेतु यद्यपि काफी प्रयास किए जा रहे है, परन्तु इस सम्बन्ध में निम्न पक्षों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए-

- विद्यालयों की स्थानीय समस्याओं का पता लगाकर उनके निवारण हेतु उचित विधियों प्रविधियों का पाठ्यक्रम में समावेश किया जाए।
- पाठ्यक्रम के सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक पक्ष में समन्वय होना चाहिए।
- पाठ्यक्रम मे नवाचारों तथा तकनीकी को अधिक स्थान मिलना चाहिए।
- पाठ्यक्रम ऐसा हो जो कि भावी शिक्षकों में व्यावसायिक निष्ठा (Professional commitment) विकसित कर सकें।
- पाठ्यक्रम में इन्टर्नशिप पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए।
- व्यवसायों का विकास किया जाए जिनकी वास्तविक शिक्षण के समय विद्यालयों में आवश्यकता होनी है।
- पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिये जो नैतिक मूल्यों, वर्तमान, प्रमुख समस्याओं /मुद्दों आदि के सम्बन्ध में उचित ज्ञान का विकास कर सकें।
- पाठ्यक्रम ऐसा हो जो अनवरत शिक्षा हेतु भावी शिक्षकों को अभिप्रेरित रख सकें।

माध्यमिक स्तर के लिए अध्यापक शिक्षा

शिक्षा के विद्यार्थी के रूप में आपको भली-भांति पता होगा कि माध्यमिक स्तर पढ़ाने के लिए एक वर्ष की अवधि की बी.एड. उपाधि अनिवार्य योग्यता है। हालाँकि, इस संदर्भ में आजकल बहुत से परिवर्तन हुए हैं जिनमें बी.एड. (स्पेशल शिक्षा) और फिलहाल दो वर्ष अवधि की दूरस्थ शिक्षा माध्यम से बी.एड. की उपाधि शामिल है। इसके अतिरिक्त, प्रारंभिक स्तर और

माध्यमिक स्तर के लिए चार वर्ष अवधि की समेकित पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है जिसे B.Eld. के नाम से जाना जाता है।

अन्य सभी स्तरों की भाँति, इस स्तर पर अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में विद्यालयों में सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण और पाठ्य संदर्भों एवं मुद्दों से जुड़ा प्रायोगिक कार्य और अध्यापकों के प्रोफाइल एवं सामान्य तथा विशिष्ट उद्देश्यों का समावेश होगा।

7.5.1 माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य

इस स्तर पर विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित का समावेश संभव है

- भावी अध्यापकों को माध्यमिक शिक्षा की प्रकृति, उद्देश्य एवं मनोविज्ञान को समझने के योग्य बनाना,
- अध्यापकों में विद्यार्थियों के मनोविज्ञान की समझ विकसित करना,
- अध्यापकों को समाजीकरण की प्रक्रिया को समझने के योग्य बनाना,
- स्तर विशिष्ट विद्याशास्त्र पाठ्यचर्या विकास, और इसके कार्यान्वयन एवं मूल्यांकन करने की क्षमता से संपन्न करना,
- अध्यापकों को विषयों का शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण करने के योग्य बनाना,
- मागदर्शन और परामर्श सम्बन्धी कौशलों को विकसित करना,
- अध्यापकों को ज्ञान की पुनरूत्पत्ति के योग्य बनाना ताकि वे अपने विद्यार्थियों में सृजनात्मक चिंतन विकसित कर सकें
- अध्यापकों को शिक्षा पद्धति और कक्षा स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों एवं बलों से परिचित कराना,
- अक्षम विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं से परिचित कराना,
- अध्यापकों को शैक्षिक साधनों के रूप में सामुदायिक संसाधनों का सदुपयोग करने के योग्य बनाना,
- अध्यापकों में संप्रेषण कौशलों और आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग करने की योग्यता को विकसित करना,
- अध्यापकों में सौन्दर्यशास्त्र सम्बन्धी विवेकशीलता को विकसित करना, और शिक्षा से जुड़े शोध कार्यो से अवगत कराना।

माध्यमिक स्तर पर पाठ्यचर्या की संरचना

व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों से यह आशा की जाती है कि वह शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा दे। तभी संभव हो पाएगा जब अध्यापक शिक्षा की पाठ्यचर्या में इस प्रकार के विषयों का समावेश हो। अध्यापक शिक्षा के सैद्धान्तिक पक्ष में अनिवार्य एवं वैकल्पिक विषयों दोनों में ही इसका समावेश होना आवश्यक है।

सैद्धान्तिक घटक

शिक्षा के विद्यार्थी के रूप में अब आप इस तथ्य से सहमत होंगे कि शिक्षा की प्रकृति अंत:विषयक प्रकार की होती है और शिक्षा को सही ढंग से समझने में मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र जैसी विभिन्न शाखाओं को सम्मिलित किया जाता है। इसलिए अध्यापक शिक्षा की कार्य संरचना

बनाने से पहले, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने इस क्षेत्र से सम्बन्धित मुद्दों को अंगीकृत करने के लिए साकल्यवादी उपागम (Holistic approach) का उपयोग किया, जिससे पर उचित अंतदृष्टि एवं चिंतन को विकसित किया जा सके।

सैद्धान्तिक घटक की सहायता से, शिक्षा की प्रासंगिकता के संदर्भ में अध्यापक शिक्षकों को सही विचारों की प्राप्ति होगी। पुस्तकालय कार्य, संगोष्ठी अध्ययनशीलता, शैक्षणिक कार्यो और लघु समूह चर्चाओं से अधिगम को पुनर्बलित किया जा सकता है। माध्यमिक स्तर पर इन प्रमुख सैद्धान्तिक घटकों को शामिल किया गया है.

- उभरता भारतीय समाज
- भारत में माध्यमिक शिक्षा, स्थिति, समस्याएँ और मुद्दे,
- शिक्षण और अधिगम का मनोविज्ञान
- मार्गदर्शन और परामर्श
- निर्धारण, मूल्यांकन एवं निवारण
- पाठ्यचर्या की रूपरेखा का विकास
- विद्यालय का प्रबंधन
- तुलनात्मक शिक्षा और
- क्रियात्मक शोध।

वैकल्पिक पाठ्यक्रम- अध्यापक शिक्षा में भावी अध्यापक को निम्नलिखित में से किन्हीं दो वैकल्पिक विषयों से चयन करना आवश्यक है-

पूर्व-विद्यालय शिक्षा

- प्रारंभिक शिक्षा,
- शैक्षिक प्रौद्योगिकी
- व्यावसायिक शिक्षा

प्रौढ़ शिक्षा

- गैर-औपचारिक शिक्षा,
- दूरस्थ शिक्षा,
- पर्यावरणीय शिक्षा,
- कम्प्यूटर शिक्षा,
- अक्षम बच्चों की शिक्षा
- स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा,
- इतिहास एवं शिक्षा की समस्याएँ, और
- समष्टि शिक्षा।

प्रायोगिक कार्यकलाप एवं विद्यार्थी को अभ्यास-आधारित शिक्षण

इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि शिक्षा का व्यावहारिक पक्ष, इसके सैद्धान्तिक पक्ष जितना ही महत्वपूर्ण है लेकिन शिक्षा के सैद्धान्तिक और प्रायोगिक पक्ष के बीच उचित संतुलन का होना बहुत आवश्यक है जिसे सुविचारित नियोजन और कार्यसूची निर्धारण के द्वारा ही किया जा सकता है। इसमें आपसी तालमेल से अध्यापक शिक्षा का उचित दिशा दी जा सकें।

भावी अध्यापक के निर्माण हेतु जैसे कुछ विशेष कार्यक्रम, आसपास के स्थानीय लोगों की सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और कक्षा शिक्षण को ध्यान में रखकर विद्यालय के अनुभवों को उजागर करना बेहद आवश्यक है। यह भावी अध्यापक को अभ्यास-आधारित शिक्षण के माध्यम से, समुदाय अनुरूप प्रदान करके तथा अभ्यास-आधारित कार्य अनुभव कार्य अनुभव प्रदान करके पहुँचा सकते हैं। अभ्यास-आधारित (Practice) शिक्षण, अनिवार्यता प्रशिक्षण संस्थान, अध्यापक शिक्षकों, भावी अध्यापकों एवं सम्मिलित विद्यालय जहाँ अभ्यास किया जाना है के अध्यापकों की संयुक्त जिम्मेदारी है। अभ्यास-आधारित शिक्षण का विद्यालय में होने से भावी शिक्षक नाट्य कला, रंगमंच सम्बन्धी गतिविधियों, खेलकूद एवं शैक्षिक दौरों आदि के आयोजन जैसे कारकों से भी अवगत हो जाता है।

अभ्यास आधारित शिक्षण- नए अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम 1998 में व्यावहारिक घटकों की संरचना निम्न प्रकार की गई है-

- विद्यालय के शिक्षण का दो विषयों में शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण,
- विद्यालयों में अभ्यास-आधारित शिक्षण, और
- आदर्श (मॉडल) अभ्यासों का प्रेक्षण।

प्रायोगिक कार्य

प्रायोगिक कार्यकलापों से क्षमताओं का विकास होता है। अध्यापक को विभिन्न प्रायोगिक कार्य करने होते है जैसे शिक्षा के लिए अधिगम एवं सामुदायिक संसाधनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सहायता सामग्री की पहचान करना, स्थानीय एवं निम्न लागत सामग्री के निर्माण के कौशलों का विकास करना, विवेकपूर्ण पसंद एवं सामग्री का सदुपयोग करना। इसलिए अध्यापक शिक्षा को भावी अध्यापक को इस योग्य बनाना चाहिए कि वह यह सभी जिम्मेदारी अच्छे से निभा सके। इसी कड़ी में पाठ्यक्रम संरचना जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा बनाई है उसके प्रस्तावित घटक निम्नलिखित हैं:

- अंत:शिक्षुता (internship) एवं विद्यालय का अनुभव
- समुदाय आधारित कार्यक्रमों से सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्य,
- सृजनात्मक एवं व्यक्तिगत विकास कार्यक्रम,
- कार्य शिक्षा
- अभ्यास कार्य,
- शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम, खेलकूद एवं विद्यालय के अन्य कार्यकलाप,
- सौन्दर्य विकास कार्यक्रम एवं कार्यकलाप, और
- क्रियात्मक शोध अध्ययन

समुदाय-आधारित अनुभव - इन अनुभवों को विभिन्न तरीकों से प्रदान किया जा सकता है। विद्यालय-समुदाय के सम्बन्ध को सुदृढ़ बनाने के लिए 1 विद्यालय से अभिभावक दिवस, 2 विद्यालय के कल्याण के लिए अभिभावक-अध्यापक संघ की शुरूआत, 3 विद्यालय समुदाय के खेलकूद जैसे समारोहों का आयोजन किया जा सकता है। इन कार्यक्रमों के द्वारा भावी अध्यापक

बच्चों की पृष्ठभूमि को समझ पाएँगे पर्यावरणीय शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, बागवानी एवं सामाजिक वानिकी जैसे विषयों पर ध्यान दे सकेंगे।

इनके अतिरिक्त, अध्यापक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम संरचना कार्य शिक्षा एवं मूल्य शिक्षा एवं मूल्य शिक्षा को भी महत्वपूर्ण स्थान गया है।

बी.एड. कार्यक्रम की बडी हुई अवधि

नए पाठ्यक्रम संरचना ने न केवल पारस्परिक आधारभूत पाठ्यक्रमों की प्रकृति एवं विषयवस्तु को ही बदला है बल्कि इसमें बहुत से अतिरिक्त घटकों को भी शामिल किया है। इसलिए, संवर्धित ज्ञान एवं सुविकसित कौशलों वाले प्रभावी अध्यापकों के निर्माण के लिए एक वर्ष की अवधि का बी.एड. कार्यक्रम छोटा प्रतीत होता है। इन समस्याओं को समझते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने बी.एड. कार्यक्रम की अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष करने का प्रस्ताव रखा है।

यह भी प्रस्तावित है कि दो वर्ष की अवधि वाले मौजूदा अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम जैसे बी.पी.एड. अवधि आगे भी समान ही रहेगी।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1 माध्यमिक अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए?

2 माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा में सामुदायिक सेवाओं के महत्व की संक्षेप में चर्चा कीजिए।

7.5 माध्यमिक स्तर के अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम की आवश्यकता. उद्देश्य एवं विषय बस्तु चयन के प्रतिकारक-

निम्नलिखित तथ्यों से माध्यमिक स्तर पर इसकी आवश्यकताओं को पहचाना जा सकता है।

1. **लोकतंत्रात्मक विकास**

यदि भारत में लोकतंत्र को सफल एवं प्रभावशाली बनाना है तो देश में प्रभावी अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का निर्माण करना होगा जिससे सभी व्यक्तियों को अनवरत शिक्षा मिलती रहें। अत: अध्यापक शिक्षा का प्रसार एवं विकास अत्यन्त आवश्यक है।

सामाजिक समरसता

हमारा समाज कई वर्गो में बंटा हुआ है उनमें समता नहीं है, जीत-पॉत का भेदभाव आर्थिक स्तर का भेदभाव, ऊँच-नीच का भेदभाव सर्वत्र दिखाई देता है। शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक समरसता को विकसित करना है। परन्तु जब शिक्षक अप्रशिक्षित रह जाते है तो परिणाम स्वरूप शिक्षण कार्य में भेदभाव उत्पन्न हो जाता है उसका असर छात्रों पर भी पड़ता है उनके द्वारा शिक्षण प्राप्त करते है। अध्यापक शिक्षा इस सामाजिक विषमता को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

शिक्षण कौशलों के विकास हेतु:

अब यह स्वीकार किया जाने लगा है कि शिक्षण का झुकाव कला के बजाए विज्ञान की ओर अधिक है। नई शिक्षा तकनीकी के विकास के साथ अब यह धारण बलवती होती जा रही है कि अच्छे शिक्षकों हेतु यह आवश्यक है कि भावी अध्यापकों में विशेष कौशलों का विकास करने हेतु

शिक्षक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में अपेक्षित परिवर्तन किए जाए ताकि यह अध्यापक अपनी शिक्षक क्रियाओं में यथास्थान इनका उपयोग कर सके।

विभिन्न स्तरों हेतु शिक्षण (Multigrade Teaching)

हमारे देश में शिक्षक व छात्रों की संख्या के बीच का अनुपात बहुत ज्यादा है अत: एक शिक्षक न केवल बहुत से छात्रों को अपितु कई कक्षाओं को(कक्षा 6 से 12 तक) पढ़ाना पड़ता है। अत: भावी शिक्षकों को इस प्रकार से तैयार करना चाहिए ताकि वह विभिन्न स्तरों के शिक्षण में आने वाली समस्याओं का सामना करने हेतु तैयार हो सकें।

राष्ट्रीय एकता:

भारत में विद्यमान विघटनात्मक प्रवृत्तियाँ राष्ट्रीय एकता के लिए घातक है। स्कूल के छात्रों तथा दूसरे व्यक्तियों को भाषावाद, प्रान्तवाद, जातिवाद आदि के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। इन लोगों को वास्तविकता का ज्ञान कराने तथा विघटनात्मक प्रवृत्तियों की घातक चालों से सचेत रखने के लिए अध्यापक शिक्षा में व्यावहारिक पाठ्यक्रम की आवश्यकता है। यह आवश्यकता अध्यापक शिक्षा द्वारा पूरी की जा सकती है।

सांस्कृतिक विकास

जन सामान्य के सांस्कृतिक विकास के लिए आवश्यक है कि जन सामान्य को भारतीय संस्कृति की विशेषताओं से अवगत कराया जाये। इस काम में अध्यापक शिक्षा का पाठ्यक्रम अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

परिवार नियोजन की शिक्षा

जनसंख्या वृद्धि देश के लिए एक विकट समस्या है। इस समस्या के लिये सरकार कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। लेकिन समस्या फिर भी इतनी जटिल बनी हुई है। आवश्यकता इस बात की है कि अध्यापक शिक्षा में इस प्रकार का पाठ्यक्रम निर्माण किया जाये जिससे जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सके।

माध्यमिक स्तर के अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में जनसख्या शिक्षा को भी स्थान दिया गया है जिससे अध्यापक लाखों लोगों को इसके प्रति शिक्षित करे जो या तो इस समस्या को समस्या को समझता नहीं या कई कारणों से अपने वंश को नियंत्रित नहीं करना चाहते हैं इन लोगों को शिक्षित करने के लिए अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम को प्रभावी बनाना बहुत आवश्यक है।

शिक्षा का विकास एवं व्यावसायीकरण

किसी भी विकासशील तथा विकसित देश के लिए अध्यापक व छात्र दोनों के लिये शिक्षा का निरंतर विकास अत्यन्त आवश्यक है इस कार्यक्रम के लिये भारत में समय समय पर योजना बनाई गई। भारत सरकार द्वारा निर्मित प्रत्येक योजना में कुछ लक्ष्य निर्धारित किये जाते है। परन्तु जब तक अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन नहीं लाया जायेगा। तब तक शिक्षा के विकास में वांछित सफलता प्राप्त नहीं हो सकती।

भारतीय संविधान 6-14 वर्ष के आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने का आदेश देता है। परन्तु असफल अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम सभी कार्यक्रमों को विफल बना देती है। आज शिक्षा के व्यवसायीकरण पर अधिक बल दिया जा रहा है। उसके लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अनिवार्य प्रश्न पत्रों के साथ विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था भी की गई है।

परन्तु जब तक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में छात्र के अभिभावकों को इस कार्य के महत्व से अवगत नहीं कराया जाता तब तक वे अपने बच्चों को इन पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिलायेंगे। परिणामस्वरूप शिक्षा के व्यवसायीकरण का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में सुधार किये बिना शिक्षा प्रसार एवं विकास के लिये बनाये गये कार्यक्रमों को वांछित सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। अत: शिक्षा के विकास के लिये अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन आवश्यक है।

सौन्दर्य बोध का विकास:

शिक्षा व्यक्ति के सौन्दर्य बोध को विकसित करती है दोषपूर्ण अध्यापक शिक्षा पाठयक्रम इस विकास से वंचित है इससे व्यक्तियों का जीव नीरस और शुक बना हुआ है। इससे दृष्टिकोण नकारात्मक बनता जा रहा है उनके जीवन में आनंद प्राप्ति में कठिनाई महसूस हो रही है अच्छा अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम इस अभाव को दूर कर सकता है और उनके सौन्दर्य बोध को विकास की ओर बढ़ाया जा सकता है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रत्येक वयस्क के सामाजिक, राजनैतिक, आत्मिक, सांस्कृतिक व व्यावसायिक विकास के लिए अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन की अत्यन्त आवश्यकता है। भारतीय शिक्षा आयोग(1964-66) ने अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा है" जो समाज आर्थिक विकास, सामाजिक परिवर्तन और प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा को प्राप्त करने का निश्चय कर चुका है उसकी कार्य नीति का मुख्य आधार यह है कि वह अपने नागरिकों को विकास कार्यो में विवेकपूर्ण एवं कुशलता से भाग लेने की शिक्षा दें।

स्वमूल्यांकन

अब तक आप क्या समझे? आप इसका स्वयं मूल्यांकन निम्न अभ्यास प्रश्नों द्वारा कीजिए।

नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दे:

1 पाठ्यक्रम में सामाजिक एकता के कौशल को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए।

2 आज पाठ्यक्रम की मुख्य आवश्यकताएं क्या है?

3 अध्यापक शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा के विकास में किस प्रकार सहायक है?

माध्यमिक स्तर की अध्यापक शिक्षा की विषय वस्तु चयन के प्रतिकारक

एन.सी.ई.टी. ने अध्यापक शिक्षा में सैद्धान्तिक विषयों हेतु 40 प्रतिशत शिक्षण अभ्यास हेतु 40 प्रतिशत तथा सामुदायिक कार्य हेतु 20 प्रतिशत कार्यभार निर्धारित किया है। इसके अलावा निम्न कारक भी विषयवस्तु चयन में ध्यान दिए जाने चाहिए।

(क्र) प्राप्य उद्देश्य तथा विषय वस्तु की प्रकृति:

प्रत्येक विषय वस्तु के चयन से पहले हमारे सम्मुख प्राप्त उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। छात्र अध्यापक को प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भविष्य में शिक्षा के कार्य में क्या करना है इसका विशेष महत्व होता है तथा इसी के हेतु प्राप्य उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए।

(ख) पाठ्यक्रम की अवधि

विषय-वस्तु का चयन करने में पाठ्यक्रम की अवधि को (यान में रखना आवश्यक होता है माध्यमिक स्तर के अध्यापक शिक्षा के पूर्व कालीन अध्यापक शिक्षा की अवधि 10-12 महीने की रहती है। सेवारत कालीन अध्यापक शिक्षा की अवधि ग्रीष्म अवकाश व अवकाश अवधि होती है अब इसे 24 माह तक विस्तारित करने की योजना है।

(ग) भौतिक साधनों की उपलब्धि

अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों को तैयार करने में यह ध्यान रखना चाहिए कि वही की उपलब्ध भौतिक साधन व्यवहारिक तथा लाभप्रद है या नही। भौतिक साधनों की कमी से छात्र अध्यापक में शिक्षक कौशल को पूर्णरूप से प्राप्त करने में कठिनाई आ सकती है जो छात्रों के शिक्षण को प्रभावी करती है।

(घ) वैयक्तिक रूचि

अध्यापक-शिक्षा व शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्ति का बड़ा महत्व होता है, अध्यापक शिक्षा में मनोविज्ञान के विकास द्वारा छात्रों के महत्व का अनुभव हुआ है। मनोविज्ञान की जानकारी से बालक के दैनिक जीवन तथा समस्याओं की जानकारी व सुधार में मदद मिलती है। माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम रचना के लिये निम्न प्रतिकारकों को विशेष महत्व देना चाहिए.-

(अ) छात्र अध्यापक की योग्यता, आवश्यकता तथा रुचियां

(ब) सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अनिवार्य व वैकल्पिक विषयों के पाठ्यक्रम जो कि छात्र अध्यापक ने पाठन हेतु चुने है।

(स) समय अवधि-पाठ्यक्रम की पूर्ति के लिये कितना समय आवश्यक है।

(द) अभ्यास सम्बन्धित शिक्षण व सहायक सामग्री जिससे शिक्षण के विभिन्न कौशल प्राप्त हो सके जो सफल शिक्षक होने में सहायता प्रदान करें।

(य) पाठ योजना तथा संदर्भ सामग्री की उपलब्धि जिससे कक्षा कार्य को छात्रों की आवश्यकता, रूचि तथा ज्ञान स्तर के आधार पर व्यवस्थित करना

स्वमूल्यांकन

निम्न प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दे

1 पाठ्यक्रम में विषय वस्तु के चयन के लिये पहले से अधिगम अनुभव क्यों स्पष्ट होने चाहिए?

2 अध्यापक शिक्षण कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए भौतिक साधनों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए क्यों?

3 नियमित माध्यमिक स्तर के अध्यापक शिक्षा की अवधि 12 माह से अधिक होनी चाहिए कारण बताइए।

माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम के उद्देश्य

माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्न है।

- ऐसे कौशलों का विकास जिससे विद्यालयों के विषयों और जीवन की विभिन्न क्रियाओं के बीच के अंतर को समाप्त किया जा सके।

- छात्र अध्यापक में ईमानदारी निष्कपटता मित्रता, सदिच्छा, निर्णय और सहयोग के गुणों का विकास करना तथा उसके चरित्र को उत्तम बनाना।
- छात्र अध्यापकों में विद्वान व्यक्तियों का निर्माण करने के गुणों को उत्पन्न करना।
- छात्र अध्यापकों में विभिन्न अभिरूचियां योग्यताएं और क्षमताएं उत्पन्न करना जिससे वह अपने . छात्रों की आवश्यकता को पूरा कर सकें।
- छात्र अध्यापक में ऐसे कौशलों के विकास के लिए वातावरण तैयार करना जिससे बालक विचार करना सीख सके और अपने विचार, तर्क, तथा निरीक्षण की शक्तियों का विकास कर सकें।
- अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य छात्र अध्यापकों का मानसिक विकास करना भी है। छात्रों को स्कूल में पढने-लिखने तथा अपनी शिक्षा जारी रखने के अवसर प्रदान करके अध्यापक शिक्षा उनमें निरंतर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जागत कराती है। इस प्रकार कक्षा अन्त: क्रिया छात्र, अध्यापक व छात्रों के मानसिक और बौद्धिक विकास में सहायक होती है।
- विज्ञान एवं तकनीकी विकास होने के कारण व्यावसायिक कुशलता को आधुनिकतम बनाने की निरन्तर आवश्यकता बनी रहती है। अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम का उद्देश्य इस आवश्यकता को पूरा करना है। इसके द्वारा ग्रामीण छात्रों को कृषि क्षेत्र तथा लघु उद्योगों में अपनी क्षमता तथा कुशलता बढाने में सहायता मिलती है और नगरों में औद्योगिक विकास में सहायता मिलती है।
- विज्ञान की प्रगति के कारण आज मानव के पास काफी अवकाश का समय है परन्तु बहुत कम लोगों में अवकाश के सदुपयोग का ज्ञान है। अध्यापक शिक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए जिससे छात्र अध्यापक अपने कौशल का उजागर करने में अवकाश काल का सदुपयोग करें। अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में छात्र-अध्यापकों में पढने तथा क्रिया करने की रूचि उत्पन्न कराई जाती है जिससे वह अच्छा संदर्भ साहित्य पढ़े। वह क्रियात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित हो और अवकाश काल का सही उपयोग कर सके।
- हमारा राष्ट्र विविध प्राकृतिक साधनों से सम्पन्न है उन्हें सुरक्षित रखना तथा आवश्यकतानुसार उनको विकसित करना राष्ट्रीय समृद्धि के लिए जरूरी है। अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम इस आवश्यकता को पूरा करने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कराती है। अध्यापक शिक्षा द्वारा छात्रों को राष्ट्र के भौतिक एवं मानवीय साधनों का महत्व ज्ञान होता है व उनके संरक्षण तथा प्रयोग से अपनी स्थिति को सुधार सकते है।
- एन.सी.टी.ई. ने अपने प्रपत्र Curriculum frame work for teacher education (1996) में शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम के निम्न उद्देश्य बताए है-
- भारतीय जीवन की वास्तविकताओं के बारे में शिक्षकों में समालोचनात्मक जागरूकता विकसित करना।
- शिक्षकों में ऐसी योग्यताओं का विकास करना जो कि राष्ट्रीय मूल्यों तथा लक्ष्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक हैं।
- शिक्षकों को आधुनिकीकरण, सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक धरोहर के विकास हेतु . अभिकर्ता के रूप में कार्य करने योग्य बनाना।

- शिक्षकों में तर्क पूर्ण सोच (Rational thinking) तथा वैज्ञानिक अभिवृत्ति एवं
- उनमें प्रबन्धन तथा व्यवस्था सम्बन्धी कौशलों का विकास करना।
- शिक्षकों को पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना।
- सामुदायिक संसाधनों के विद्यालयी हित में समुचित प्रयोग के योग्य बनाना।
- प्रभावी शिक्षक हेतु अपेक्षित शिक्षण कौशलों का विकास करना।
- भावी शिक्षकों में कार्यात्मक अनुसंधान हेतु रूचि पैदा करना आदि।

7.6 माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम निर्माण सिद्धांत प्रवृति दोष एवं सुझाव

जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत

माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम में जिन विषयों को स्थान दिया जाय, उनका वास्तविक जीवन से सम्बन्ध होना चाहिए ऐसे विषयों का अध्ययन करके ही छात्र अध्यापक कार्य में प्रवेश करने के बाद शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

उपयोगिता का सिद्धांत

पाठ्यक्रम निर्माण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि प्रशिक्षण के दौरान जिन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाये वह प्रशिक्षण प्राप्त के बाद बालक के भावी जीवन के लिये उपयोगी हो।

रचनात्मक कार्य का सिद्धांत

अध्यापक शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो कि छात्र अध्यापक में रचनात्मक कार्य करने की क्षमता विकसित कर सके और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वह छात्रों में रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर सके।

उत्तम आचरण के आदर्शों की प्राप्ति का सिद्धांत

अध्यापक शिक्षा का पाठयक्रम इस प्रकार होना चाहिए जो कि छात्र अध्यापक में उत्तम-आचरण के आदर्शो को प्राप्त करने की शिक्षा ग्रहण कर सके और वह समाज के आदर्शो की शिक्षा ग्रहण कर सके।

सामुदायिक जीवन से सम्बन्ध का सिद्धांत

अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का सीधा सम्बन्ध सामुदायिक जीवन से होना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान पाठ्यक्रम में उत्पादक कार्य को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए क्योंकि यह कार्य व्यवस्थित जीवन का आधार है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए।

नमनीयता,परिवर्तनशीलता तथा विभिन्नता का सिद्धांत

पाठ्यक्रम ऐसा हो कि उसमें नम्यता या लचीलापन हो। इसका अभिप्राय यह है कि पाठ्यक्रम में ऐसी परिवर्तन शीलता हो जिससे उसको परिस्थिति काल अवस्था तथा आवश्यकतानुसार उपयोग में लाया जा सके और प्रशिक्षण के दौरान अर्जित कौशलों का उपयोग किया जा सके।

क्रियाशीलता तथा अनुभव का सिद्धांत

अध्यापक शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे छात्र अध्यापक को स्वयं करके अपने अनुभव से सीखना पड़े और कौशल उजागर करना पड़े। इस सिद्धांत का सीधा संबंध मनोविज्ञान विषय से है। मनोविज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों की जानकारी के बाद छात्र अध्यापक एक विषय का ज्ञान का दूसरे विषय को समझने में सहायता प्रदान करता है और स्कूल में अध्यापक व छात्र दोनों ही क्रियाशील हो जाते है।

आवश्यकता का सिद्धांत

माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम निर्माण करते समय छात्र अध्यापक तथा उसके समय की वर्तमान तथा भविष्य दोनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए।

क्रमबद्धता का सिद्धांत

इसका अभिप्राय है कि माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में शिक्षा के सारे आयामों को इस प्रकार क्रमबद्ध किया जाए ताकि उसमें तार्किकता बनी रहे तथा छात्र आसानी से सीख सकें।

समन्वय तथा सहसम्बन्ध का सिद्धान्त

भिन्न भिन्न विषयों की विषय वस्तु अलग-अलग खण्डों में बंद न होकर आपस में समन्वित होना चाहिए। इस प्रकार भिन्न भिन्न अनिवार्य विषय व वैकल्पिक विषयों के ज्ञान का आपस में स्थानान्तरण हो जाता है।

7.7 माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम की प्रकृति शिक्षा

तकनीकी के विकास के साथ-साथ अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम में काफी प्रगति हुई है आधुनिक युग में माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम की प्रवृत्ति निम्न प्रकार से है।

(क) अध्यापक शिक्षा के अनुभवों में अविच्छिन्नता

अध्यापक शिक्षा का पाठ्यक्रम प्राथमिक स्तर से माध्यमिक तक एक विशेष क्रम में हो जिससे प्राथमिक स्तर के अर्जित कौशलों को माध्यमिक स्तर पर दोहराना नहीं पड़े और ना ही किसी कौशल से सम्बन्धत रिक्त स्थान रहे। इनमें आपस में अनवरत तो बनी रहती है।

(ख) विभिन्नता

पाठ्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए कि प्रत्येक छात्र अध्यापक अपने आप उससे लाभ उठा सके। विभिन्न शिक्षा कौशलों को छात्र अपनी योग्यता, रूचि, अभिरूचि के अनुसार अर्जित कर सके जिससे उसमें एक अच्छे अध्यापक के गुण विकसित हो सके।

(ग) शिक्षण के उद्देश्यों में परिवर्तन के लिए स्थान

अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम से शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए इसमें उन विद्यालयों को भी लाभ हो जो उच्च कक्षाओं के लिए आवश्यक नींव तैयार करते है। इसके साथ ही साथ शिक्षण कार्य की समस्याओं को हल करने केर लिए भी विद्यार्थियों में उचित क्षमता का विकास हो यदि इसमें समस्या समाधान क्षमता का प्रयोग होता है तो वे सम्बन्ध अधिक स्थायी होते है।

(घ) शिक्षण व्यक्तिकरण

पाठ्यक्रम में विषयवस्तु ऐसी हो जिसका सदुपयोग प्रत्येक छात्र अध्यापक किसी न किसी शिक्षण कौशल अर्जित करने में काम में ले सके। पाठ्यक्रम द्वारा छात्र अध्यापक अधिक से अधिक प्रायोगिक कार्य व अभ्यास शिक्षण में क्रियाशील रहे तथा इसके आधार पर छात्र अध्यापक में विभिन्न शिक्षण कौशल अर्जित करने में भिन्नता का भी ज्ञान हो सके।

(ङ) विषयों में सह सम्बन्ध

अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत अनिवार्य व वैकल्पिक विषय आते है पाठ्यक्रम तैयार करते समय उपयुक्त सभी विषयों के सह सम्बन्ध को ध्यान में रखा जाय इसके द्वारा समय की बचत होगी तथा अनावश्यक आवृत्ति भी नहीं होगी।

(च) अभ्यास कार्य में वृद्धि

अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम को तैयार करने में अभ्यास कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रत्येक विषय की विषयवस्तु को समझने के लिये कुछ न कुछ अभ्यास कार्य होना चाहिए। अभ्यास कार्य से अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम को स्पष्टता से समझा जा सकता है।

(छ) अध्यापक शिक्षा जीवन का एक मार्ग है।

अध्यापक शिक्षा का छात्रों के शिक्षण से घनिष्ठ संबंध है इसलिए पाठ्यक्रम तैयार करने में यह बात ध्यान में रखी जाये कि उसमें ऐसी बातें अवश्य हो जिनकी शिक्षण प्रक्रिया से सीधा सम्बन्ध हो तथा, जीवन की उपयोगिता से जुड़ी हो।

माध्यमिक स्तर के अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में दोष:

हमारे देश में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम के निम्न दोष प्रमुख है-

-अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम का संकुचित दृष्टिकोण

पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती न कि वह सम्पूर्ण शिक्षा है। पाठ्यक्रम एक विधि है न कि अन्त। इसका निर्माण न तो उद्देश्यों को ध्यान मे रखकर किया जाता है और ना ही इसका सम्बन्ध छात्र अध्यापक और प्रशिक्षण के बाद अध्यापक के दैनिक जीवन से होता है। इस प्रकार आधुनिक समय में अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का दृष्टिकोण बड़ा संकुचित है।

पाठ्यक्रम जीवन से अलग

प्रशिक्षण महाविद्यालय में दिया जाने वाला प्रशिक्षण जीवन की व्यवहारिकता से अलग है। इससे छात्र अध्यापक को अपने दैनिक जीवन में अर्न्तदृष्टि प्राप्त नहीं होती जब वह प्रशिक्षण प्राप्त करके स्कूल में पढ़ाना आरम्भ करते है तो अपने आपको समायोजित अनुभव नहीं करते है और समाज में विश्वासपूर्ण स्थान प्राप्त करने की क्षमता नहीं रखते। जब तक प्रशिक्षण प्राप्त कौशलों को गठित नहीं किया जायेगा तब तक छात्र अध्यापक का स्कूल शिक्षण के जीवन के साथ उसका सम्बन्ध स्थापित नहीं होगा और न ही स्थिति में सुधार हो सकेगा।

अंग्रेजी शिक्षा माध्यम

प्रशिक्षण संस्थानों में कुछ जगह अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम है। कुछ छात्र अध्यापक अंग्रेजी में कमजोर होते है अत: उन्हें विषयवस्तु व प्रशिक्षण कौशल को प्राप्त करने में

कठिनाई होती है। उसका प्रभाव स्कूल शिक्षण पर पड़ता है। प्रादेशिक भाषा में प्रशिक्षण कार्य होने से ये कठिनाईया दूर की जा सकती है।

दोषपूर्ण शिक्षण विधियां

प्रशिक्षण महाविद्यालयों में सामान्य रूप से अपनाई जाने वाली शिक्षण विधियां न तो छात्र अध्यापक में स्वतंत्र चिंतन को विकसित करती है और न ही उन्हें अपने काम करने के लिए उत्साहित करती है। छात्र अध्यापक को यांत्रिक रूप से सूचनाएं प्रदान की जाती है, जिन्हें विद्यार्थी प्रसन्नता व रूचिपूर्वक याद करने को तैयार नहीं होते हैं

दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली

परीक्षाओं के निर्जीव बोझ के कारण अध्यापक स्वतंत्रतापूर्वक कुछ भी नहीं कर सकते, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्जीव एवं घिसा पिटा चला आ रहा है। शिक्षण विधियां, अभ्यास शिक्षण यांत्रिक है और निर्जीव है और व्यवहारिकता की भावना को हतोत्साहित करती है तथा गलत एवं महत्वहीन वस्तुओं पर अत्यधिक महत्व दिया जाता है।

पाठ्यक्रम में छात्रों की वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिक्षण कौशल तथा अभिरूचि के विकास का अभाव

अध्यापक शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य छात्र अध्यापक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिक्षण कौशल का विकास करना है। इस हेतु अभ्यास की विधि पर ध्यान न देकर केवल सैद्धांतिक रूप से पढाये जाने पर अत्यधिक जोर दिया जाता हैं इससे केवल छात्र अध्यापक ज्ञान प्राप्त करते है परन्तु ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया को नहीं समझ पाते हैं जो कि अधिक आवश्यक होती है।

पाठ्यक्रम असमान तथा स्थिर

अभ्यास शिक्षण से स्कूल सम्बन्धित अनुभव प्राप्त होते है। वातावरण का भी शिक्षण की गति विधि पर काफी प्रभाव पड़ता है। लेकिन ग्रामीण व शहरी छात्र अध्यापकों को एक सा ही पाठ्यक्रम पढाना पड़ता है, जबकि दोनों का वातावरण भिन्न भिन्न होती है, इस कारण से उन्हें सीखने में परेशानी होती है।

माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सुधार:

समय समय पर विभिन्न आयोगों ने अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को सुधार के सुझाव दिये है वे निम्न प्रकार से है।

पाठ्यक्रम में खोज

पाठयक्रम में खोज के द्वारा पाठ्यक्रम का स्तर ऊंचा किया जाए। यह विकास कार्य विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभागों, प्रशिक्षण महाविद्यालयों, राजकीय शिक्षा संस्थानों तथा एन.सी.आर.टी. द्वारा किया जाना चाहिए। खोज के आधार पर पाठ्यक्रम को विभाजित किया जाना चाहिए। पाठ्यपुस्तकों तथा शिक्षण सामग्री के निर्माण के लिए भी अनुसंधान कार्य की आवश्यकता है।

अध्यापकों की सेवा कालीन शिक्षा

सेवा कालीन शिक्षा के द्वारा प्रशिक्षण कॉलेज के अध्यापकों को शिक्षा से सम्बन्धित नई जानकारी व नवाचार से परिचित कराया जाना चाहिए और उसके अनुसार उनके प्रशिक्षण का नवीनीकरण होना चाहिए।

प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम व शिक्षण में प्रशिक्षण महाविद्यालय को स्वतंत्रता

प्रशिक्षण कालेज व विश्वविद्यालय द्वारा सभी विषय में एक उच्च पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए और उन प्रशिक्षण महाविद्यालयों में क्रमश: लागू करना चाहिए जहाँ वांछित अध्यापक वर्ग एवं सुविधाओं की व्यवस्था है।

पाठ्यक्रम के विभिन्नकरण की योजना

पाठ्यक्रम के विभिन्नकरण की सुनिश्चित योजना होनी चाहिए प्रशिक्षण कार्य के लिये सामान्य पाठ्यक्रम होना चाहिए वैकल्पिक विषयों से सम्बन्धित पाठ्यक्रम में विभिन्नकरण तथा विषयों की विशेषज्ञता होनी चाहिए।

शिक्षण अभ्यास पर बल

अध्यापक शिक्षा में विषय शिक्षण अभ्यास में अधिक बल देना चाहिए। शिक्षण विधियों का प्रयोग पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए जिससे छात्र अध्यापक में उसका ज्ञान व्यवहारिक रूप से दे सके।

अभ्यास कार्य पर अधिक बल

अध्यापक शिक्षा में सभी स्तरों पर अभ्यास कार्य पर अधिक बल दिया जाना चाहिए जैसे शिल्प वर्कशाप व प्रयोगशाला आदि जिससे छात्र अध्यापकों में साधन सामग्री तैयार करने का कौशल उत्पन्न हो सके।

नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा

महान धर्मो की नैतिक शिक्षाओं की सहायता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधियों द्वारा छात्र अध्यापकों में प्रशिक्षण के दौरान नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के निर्माण का सशक्त प्रयास किया जाना चाहिए प्रशिक्षण काल के समय कुछ समय (एक कालांश प्रति सप्ताह) नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा के लिये निश्चित होना चाहिए।

आज शिक्षा का व्यावसायीकरण समाज की अनिवार्य आवश्यकता है। अत: एवं पाठ्यक्रम सतत् प्रयोगात्मक एवं निरन्तर अनुसंधान का विषय होना चाहिए इसे एक ही बार हमेशा के लिये निश्चित नहीं करना चाहिए।

स्वमूल्यांकन

1. अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम के प्रमुख दोषों को बताइए।
2. वर्तमान पाठ्यक्रम को जीवन से किस प्रकार जोड़ा जा सकता है।
3. अध्यापक शिक्षा में प्रशिक्षण कार्य करने के मातृ भाषा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए- कारण बताइए
4. अध्यापक शिक्षा में अभ्यास कार्य पर अधिक बल देना चाहिए, अपने विचार लिखे।

माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम का प्रारूप :

विश्वविद्यालय तथा प्रशिक्षण संस्थानों में माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा का पाठ्यक्रम करीब करीब एक सा ही है। इसमें मुख्यत: तीन उपभाग होते है-

1. सैद्धान्तिक शिक्षा

शिक्षण अभ्यास

गृह कार्य या प्रायोगिक कार्य

राजस्थान में अनिवार्य तथा वैकल्पिक प्रश्नपत्रों के रूप में मुख्यत: निम्न विषयों का अध्ययन करवाया जाना चाहिए।

अनिवार्य प्रश्न पत्र

प्रथम प्रश्न पत्र-शिक्षा एवं भारतीय समाज

द्वितीय प्रश्न पत्र-अधिगम एवं विकास के मनोवैज्ञानिक आधार

तृतीय प्रश्न पत्र-विद्यालय संगठन एवं शिक्षा की समस्याएँ

चतुर्थ प्रश्न पत्र- भावी शिक्षकों के लिये मूल कार्यक्रम (आधार भूत प्रशिक्षण योजनाएं)

पंचम प्रश्न पत्र- पर्यावरणीय शिक्षा

वैकल्पिक प्रश्न पत्र (कोई दो)

पंचम ब षष्ठम प्रश्न पत्र

1. सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधियॉ

नागरिक शास्त्र शिक्षण विधियाँ

इतिहास शिक्षण विधियाँ

भूगोल शिक्षण विधियाँ

हिन्दी शिक्षण विधियॉ

अंग्रेजी शिक्षण विधियाँ

संस्कृत शिक्षण विधियाँ

वाणिज्य शिक्षण विधियाँ

सामान्य विज्ञान शिक्षण विधियाँ

रसायन विज्ञान शिक्षण विधियाँ

भौतिक विज्ञान शिक्षण विधियाँ

जैविक विज्ञान शिक्षण विधियाँ

अर्थशास्त्र शिक्षण विधियॉ

उर्दू शिक्षण विधियॉ

कृषि शिक्षण विधियाँ

NCTE ने अपने प्रपत्र curriculum frame work for teacher education 1996 पृष्ठ 26 में माध्यमिक स्तर के निम्न चार अनिवार्य प्रश्न पत्रों तथा दो विद्यालयी शिक्षण विषयों के अध्ययन की संस्तुति की है।

- उभरता हुआ भारतीय समाज
- भारत में माध्यमिक शिक्षा-स्थिति, समस्याऐं व मुद्दे
- शिक्षण और अधिगम का मनोविज्ञान
- पाठ्यक्रम शिक्षण तंत्र (Pedagogy) का मूल्यांकन

इसके अलावा अभ्यास कार्य हेतु (Practical Work) इस परिषद ने इन्टर्नशिप समुदाय आधारित कार्यक्रम SUPW तथा सत्रीय व अन्य प्रकार के अभ्यास कार्यो पर जोर दिया है) तथा विशिष्ट प्रश्न पत्रों (Special paper) के अध्ययन हेतु, निम्न क्षेत्र सुझाएं है-पूर्व विद्यालयी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, शैक्षिक तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, तथा शिक्षा का इतिहास और समस्याएँ आदि।

माध्यमिक स्तर के अध्यापक शिक्षा के लिये प्रशिक्षण महाविद्यालय

इन महाविद्यालयों में एक वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम का शिक्षण कार्य होता है। ये संस्थाएँ स्नातक या स्नातकोत्तर उत्तीर्ण छात्रों के लिए एक वर्ष के लिये सैद्धान्तिक वैकल्पिक प्रश्न पत्रों तथा शिक्षण अभ्यास का प्रशिक्षण आयोजित करती है। इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद छात्र को बी.ए. या बी.एड. की उपाधि मिलती है। जिसे प्राप्त करने के बाद वह किसी भी स्कूल में पूर्ण रूप में पढ़ाने योग्य बन जाता है। सभी प्रांतों में माध्यमिक स्तर की अध्यापक शिक्षा का दायित्व निम्न संस्थाओं पर निर्भर करता है।

1. राजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालय

निजी संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण महाविद्यालय,
राजकीय शिक्षा विभाग,
खुला विश्वविद्यालय और
विश्वविद्यालय का शिक्षा विभाग।

माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम संबंधित शिक्षण अभ्यास(इन्टर्नशिप)

माध्यमिक स्तर पर शिक्षण अभ्यास का प्रारूप प्रारूप स्तर की तरह होता है। शिक्षण अभ्यास के कार्यकाल में छात्र अध्यापक को दो चयनित विषयों में करीब 40 पाठों (20-20 प्रत्येक विषय) को स्कूल में करीब 5-6 सप्ताह के लिये रोज जाकर पढ़ाना पड़ता है। इन 40-पाठों मे से 10 पाठों को नवाचार के रूप में नई शिक्षण विधियों या प्रविधियों द्वारा पढ़ाना पड़ता है। इसमें दो पाठ, एक एक विषय में एक-एक समालोचना पाठ के रूप में पढ़ाने पड़ते है। इन सबका आंतरिक मूल्यांकन होता है। इस प्रकार सारे पाठों को पड़ाने के बाद ही छात्र अध्यापक विश्वविद्यालय की परीक्षा देने योग्य बनता है।

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय में शिक्षण अभ्यास के लिये अध्यापक को करीब 5-6 हफ्ते किसी स्कूल में नियमित अध्यापक की तरह पढ़ाना पडता है। इस प्रकार के शिक्षण अभ्यास में स्कूल की सारी गतिविधि से छात्र अध्यापक को अवगत कराया जाता है।

पत्राचार पाठ्यक्रम में सेवारत अध्यापकों को 20-20 पाठ योजना दोनों विषयों में बनाकर किसी स्कूल में प्रशिक्षित अध्यापक के निरीक्षण में पढ़ाना पड़ता हैं। उसका आंतरिक मूल्यांकन होता है।

7.8 उच्चतर माध्यमिक स्तर हेतु अध्यापक शिक्षा

उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकार की विकासात्मक विशेषताएँ होती है और उनमें रोजगार की दृष्टि से पसंद भी अलग होती है। इसलिए जैसे अध्यापक का होना बहुत आवश्यक है जो जरूरतों को समझ कर इन्हें पूरा करने में सहायता कर सके।

इस स्तर के विद्यार्थियों की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

- शरीर और मन अथवा मस्तिष्क की परिपक्वता
- अमूर्त चिंतन, तर्क शक्ति का विकास और लक्ष्यों का निर्धारण;
- आत्म-जागरूकता, आत्म-पहचान और स्वाग्रहिता
- लड़का या लड़की के रूप में अपनी पहचान के प्रति सजगता और रुचियों को दर्शाना;
- सम-समूह प्रभाव, पसंद/नापंसद, प्रतिक्रियाओं और साहसिक कार्यो का सुदृढ़ होना;
- परामर्श समूह में बदलाव, प्रौढ़ व्यवहार और भूमिकाओं का अनुकरण करना और चुनौतियों को स्वीकारने की और प्रवृत्त होना;
- सुस्थापित विचारों, रीतियों और प्राधिकार के लिए चुनौतीपूर्ण रवैया और नैतिक तर्कशास्त्र को दर्शाना;
- स्वाभिमान और अहम् की बढ़ता;
- मित्रों से अधिक लगाव होना;
- आत्मरक्षा और आत्माभिव्यक्ति;
- तर्क-वितर्क एवं विद्रोह करना;
- विचारों का निर्धारण और अभिक्षमता रुझान का विकास और शैक्षणिक अथवा व्यावसायिक पसंद का निर्धारण;
- अभिक्षमता रुझान का विकास; और
- शैक्षणिक अथवा व्यावसायिक पसंद का निर्धारण

पाठ्यक्रम-अध्ययन

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने उच्च माध्यमिक स्तर के लिए पाठ्यक्रम को दो भागों शैक्षणिक एवं व्यावसायिक के रूप में प्रस्तावित किया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रमों की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

शैक्षणिक विषयक्षेत्र

- पाठ्यक्रम विशिष्ट एवं विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के आधार पर विशिष्ट विषयवस्तु
- विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए विषय एवं शिक्षण;
- विशिष्ट लक्ष्य वाली संवर्धित एवं व्यापक पाठ्यचर्या;
- विषयों का अनिवार्य एवं वैकल्पित विषयों के रूप में पुन: वर्गीकरण; और
- जटिल विचारों एवं कठिन संकल्पनाओं को समझने के लिए अमूर्त एवं सृजनात्मक चिंतन एवं उच्च मानसिक योग्यताओं पर बल।

व्यावसायिक विषय क्षेत्र

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की, उनकी प्रकृति के आधार पर, प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

- रोजगार उन्मुख या स्वरोजगार उन्मुख
- कौशल आधारित
- उपयोगी
- व्यावहारिक
- अभ्यास आधारित
- आर्थिक मूल्यों से संपन्न
- अर्थव्यवस्था में मध्यम स्तर के कामगारों के लिए उचित और अंतिम

उपयुक्त विषय क्षेत्रों को समझने के लिए अध्यापकों में ऐसी क्षमताओं का विकास होना भी अति आवश्यक है। शैक्षणिक विषयक्षेत्र के विद्यार्थियों से तालमेल बिठाने के लिए अध्यापक की शैक्षिक योग्यता उच्च होना जरूरी है और उसमें अतिरिक्त शिक्षण क्षमताओं का कार्य संपादन सम्बन्धी कार्यनीतियों सम्बन्धी निपुणता का होना भी आवश्यक है। व्यावसायिक विषयक्षेत्र के लिए भी अध्यापक का पारंगत होना आवश्यक है और साथ ही उसमें ऐसी क्षमताएँ भी होनी चाहिए जिससे वह व्यवसाय में शामिल वैज्ञानिक सिद्धान्तों का वर्णन कर सकें और विद्यार्थी को व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए जरूरी समझबूझ एवं कौशल प्रदान कर सकें।

7.9 उच्चतर माध्यमिक स्तर हेतु अध्यापक शिक्षा शैक्षणिक विषयक्षेत्र

शैक्षणिक विषयक्षेत्र हेतु अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों में निम्नलिखित क्षेत्र संभव है.

- अध्यापकों में शैक्षणिक विषयक्षेत्र की प्रकृति, उद्देश्य एवं दर्शनशास्त्र की समझ को विकसित करना
- पाठ्यचर्या विकास, उसके निष्पादन तथा मूल्यांकन हेतु अनिवार्य क्षमताएँ एवं कौशल विकसित करना;
- जटिल विचारों एवं कठिन संकल्पनाओं को संप्रेषित करना;
- विद्यार्थियों को उच्चतर एवं स्वतंत्र अध्ययन के लिए प्रेरित करना और उनमें पुस्तकालय,
- प्रयोगशाला कौशलों को विकसित करना,
- विद्यार्थियों में अमूर्त, सृजनात्मक एवं तार्किक चिंतन को विकसित करना;
- ज्ञान एवं अनुभवों को पुनर्गठित करने योग्य बनाना, और
- शैक्षणिक रुचियों और मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें विभिन्न प्रकार के परीक्षणों को विकसित करने एवं इनके प्रयोग करने के योग्य बनाना।

पाठ्यचर्या की संरचना - शैक्षिक विषयक्षेत्र हेतु सैद्धान्तिक पक्ष

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा संस्थान द्वारा प्रस्तावित पाठ्यचर्या के सैद्धान्तिक पक्ष में प्रमुख जोर अमूर्त, तार्किक और सृजनात्मक चिंतन के विकास पर है। साथ ही सुस्पष्टता एवं

तुलना करने की आदत को भी विकसित करने पर बल दिया गया है। सैद्धान्तिक पक्ष में निम्नलिखित विषयवस्तु का समावेश है:

- उभरता भारतीय समाज
- उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्रकृति, उद्देश्य, स्थिति, समस्याएँ, मुद्दे आदि;
- अध्ययन और अध्यापन सम्बन्धी मनोविज्ञान;
- पाठ्यचर्या, शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन;
- शोध कार्य पद्धति; और

उच्च माध्यमिक स्तर पर एक विषय पड़ाने की विधि

वैकल्पिक पाठ्यक्रम

भावी अध्यापक को निम्नलिखित में से किसी एक वैकल्पिक विषय का चयन करना आवश्यक है

- शैक्षिक मूल्यांकन;
- शैक्षिक प्रौद्योगिकी;
- समष्टि शिक्षा
- पर्यावरणीय शिक्षा
- इतिहास एवं शिक्षा की समस्याएँ;
- तुलनात्मक शिक्षा
- शैक्षिक प्रबंधन, नियोजन एवं वित्त;
- शिक्षा में नवाचार;
- शारीरिक शिक्षा; और
- कम्प्यूटर शिक्षा।

अभ्यास-आधारित शिक्षण में दो मुख्य प्रत्ययों को शामिल किया गया है। इस स्तर पर भावी अध्यापक को किसी विषय का शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण करना होगा तथा अभ्यास-आधारित शिक्षण भी करना होगा। शिक्षण का अभ्यास विद्यालयों में किया जाएगा।

प्रायोगिक कार्यकलाप

- अंत:शिक्षुता एवं विद्यालय के अनुभव;
- विषयवस्तु सम्बन्धी परियोजना कार्य;
- संबद्ध क्षेत्र में सत्रीय एवं प्रायोगिक कार्य;
- क्रियात्मक शोध;
- क्षेत्रीय कार्य;
- विद्यार्थी एवं शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यकलापों का आयोजन;
- व्यक्तिगत एवं नेतृत्व विकास कार्यक्रम;
- विद्यालय एवं समुदाय सम्बन्धी कार्यक्रम;
- पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला कार्य; परीक्षणों का निर्माण एवं प्रयोग; और
- शिक्षण सहायता सामग्री अनुदेशी प्रौद्योगिकी का निर्माण एवं प्रयोग

पाठ्यचर्या की संरचना: व्यावसायिक विषय क्षेत्र हेतु

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में मुख्य केन्द्र स्व-रोजगार के लिए विद्यार्थी को तैयार करना और अध्यापकों में विभिन्न रोजगारों से सम्बन्धित क्षमताओं, योग्यताओं, व्यावहारिक एवं शैक्षणिक कौशलों का विकास करना। व्यावसायिक विषयों के अध्यापकों को व्यवसाय में न सिर्फ उच्च दक्षता की प्राप्ति करना जरूरी है बल्कि वे इस योग्य भी होने चाहिए जो इस

- व्यवसाय को रोजगार के रूप में चुनने के लिए अपने विद्यार्थियों को इस और प्रेरित कर सकें और इस क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति के लिए उनमें अनिवार्य गुणों को विकसित कर सकें।
- अध्यापकों को व्यावसायिक शिक्षा की प्रकृति, उद्देश्य, आवश्यकता और मनोविज्ञान तथा भारतीय
- संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता को समझने और उसकी अनुशंसा करने के योग्य बनाना;
- ज्ञान प्रदान करने और अनिवार्य सक्षमताएँ विकसित करने में योग्य बनाना;
- व्यवसाय में शामिल वैज्ञानिक सिद्धान्तों की समझ विकसित करने के योग्य बनाना;
- उनमें अनिवार्य कौशलों और व्यवसाय में सफल होने के मूल्यों को विकसित करना;
- इस योग्य बनाना ताकि वे अपने विद्यार्थियों में उच्च लाभप्रद कौशलों और सक्षमताओं को ग्रहण करने की इच्छा को विकसित कर सकें;
- विद्यार्थियों में ऐसी अन्तर्दृष्टि विकसित करना जिसमें वे अपने व्यावसायिकता कौशलों का क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भली-भाँति अंतरण कर सकें;
- विद्यार्थियों को आत्मनिर्भरता और आत्म-विश्वास की भावना को विकसित करने के योग्य बनाना; और
- अध्यापकों को विद्यार्थियों के लिए सेवारत प्रशिक्षण और प्रशिधुता कार्यक्रमों का आयोजन करने के योग्य बनाना।

सैद्धान्तिक पक्ष

- उभरता भारतीय समाज
- व्यावसायिक शिक्षा प्रकृति, सिद्धान्त, उद्देश्य, आवश्यकताएँ, स्थिति, समस्याएँ, मुद्दे आदि;
- अध्ययन और अध्यापन और व्यावसायिक सक्षमताओं को विकसित करने सम्बन्धी मनोविज्ञान;
- उद्यमशीलता;
- संगठनात्मक व्यवहार प्रबंध;
- परियोजना, सूत्रीकरण
- विपणन एवं विज्ञापन; और

अभ्यास-आधारित शिक्षण

- पेशे या व्यवसाय के बारे में सैद्धान्तिक ज्ञान प्रदान करना;
- पेशे या व्यवसाय में कौशलों एवं सक्षमताओं को विकसित करना; और
- कार्यशाला अभ्यासों का शिक्षण।

प्रायोगिक कार्यकलाप

- संगठन;
- अंत:शिक्षुता;
- सेवारत प्रशिक्षण;
- कार्यशाला अभ्यास;
- परियोजनाओं का सूत्रीकरण एवं कार्यान्वयन;
- व्यावसायिक परियोजनाएँ
- व्यावसायिक शिक्षा देने से जुड़ी परियोजनाएँ;
- विज्ञापन;
- विपणन;
- प्रारंभिक वित्तीय प्रबंधन; और
- कम्प्यूटर शिक्षा।

7.10 सारांश

अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र मे किए गए शोधों से यह निकलता है कि यदि जीवित रखना है तो प्रशिक्षण महाविद्यालयों में प्रशिक्षण की विधियों प्रवेश प्रणाली, संस्थान के पुर्नगठन तथा पाठ्यक्रम में छात्र व समाज की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन लाना होगा तथा शिक्षण में नवाचार को बढ़ावा देना होगा, ताकि यह संस्थाएं अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन भली प्रकार से कर सकें।

अध्यापक शिक्षा के वर्तमान पाठ्यक्रम में बहुत से दोष है। हमारी शिक्षा प्रणाली की कमी यह है कि हम सही समय पर इन दोषों का निवारण नही कर पाते है। पिछले कुछ वर्षो में अन्य संस्थानों के अलावा एन.सी.टी.ई. ने पाठ्यक्रम सुधार की दिशा में काफी सकारात्मक कदम उठाए है यदि भविष्य की आकांक्षाओं व अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर के शिक्षक- शिक्षा में उचित परिर्वतन परिमार्जन किए गये तो इसमें कोई दो राय कि भावी शिक्षक समय के साथ नहीं साथ अपनी परिवर्तित होती हुई भूमिका के साथ अपने को समायोजित कर सकेगी।

स्वमूल्यांकन

1. एन.सी.टी.ई. ने प्राथमिक स्तर के अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम हेतु क्या सुझाव दिए है?
2. राजस्थान के प्राथमिक स्तर के अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम की कमियों को इंगित कीजिए।
3. 21 वीं सदी के शिक्षक की विशेषताओं को बताइए।
4. अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम में आप क्या सुधार चाहते है?

अब तक आपने जो सीखा उसके मूल्यांकन निम्न प्रश्नों का उत्तर देकर कीजिए।

1. माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के विशिष्ट पाठ्यक्रम की आवश्यकता को समझाइए।
2. माध्यमिक स्तर की अध्यापक शिक्षा की प्रकृति का वर्णन करें।

3. एन.सी.टी.ई द्वारा माध्यमिक अध्यापक शिक्षा हेतु सुझाए गये पाठ्यक्रम के प्रारूप की समालोचना कीजिए।

7.11 संदर्भ ग्रन्थ

1 मानव संसाधन विकास मंत्रालय (1992): नई शिक्षा नीति (1986-92) नई दिल्ली।

2 एन.सी.ई.आर.टी. (1988) एन.सी.टी.ई- शिक्षक शिक्षा हेतु, राष्ट्रीय

3 एन.सी.टी.ई. (1996) कैरी कुलम फ्रेमवर्क फार टीचर एजूकेशन- डिस्कशन डाकूमेन्ट- नई दिल्ली

4 सिंह.एल.सी. (1990) टीचर एजूकेशन इन इण्डिया- ए रिसोर्स बुक नई दिल्ली

5 पासी बी.के (1976) 'बिकमिग बेटर टीचर' साहित्य मुद्रालय अहमदाबाद

6 पीटर लारेंस (1959) 'पर्सपेक्टिव टीचिंग' मेकग़हिल बुक कम्पनी न्यूयार्क

7 एन.सी.ई.आर.टी. (1991) 'एलमेण्ट्री टीचर एजूकेशन कैरीकुलम नई दिल्ली

8 एन.सी.टी.ई. (1996) कैरीकुलम फेमवर्क फार टीचर एजूकेशन नई दिल्ली

9 शुक्ला आर.एस. (1992) शिक्षक शिक्षा: दशा एवं दिशा अक्षत प्रकाशन उदयपुर।

10 शुक्ला, आरएस. (1994) शिक्षण एवं अधिगम के आधारभूत तत्व

11 व अनिल शुक्ला शिक्षक प्रकाशन, कोटा

इकाई 8

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की पाठ्यचर्या की संरचना

इकाई की रूपरेखा

8.0 उद्देश्य

8.1 प्रस्तावना

8.2 अध्यापक शिक्षा हेतु पाठ्यचर्या

8.3 अध्यापक शिक्षा: वर्तमान स्थिति

8.4 अध्यापक शिक्षा: वर्तमान पाठ्यचर्या

8.5 पूर्व-सेवा अध्यापक शिक्षा

8.6 सेवारत शिक्षा

8.7 शिक्षा में वैकल्पिक पद्धतियों उपागमों हेतु अध्यापकों का निर्माण

8.7.1 गैर-औपचारिक शिक्षा

8.7.2 प्रौढ़ शिक्षा

8.7.3 दूरस्थ शिक्षा

8.8 अक्षम विद्यार्थियों के लिए अध्यापकों का निर्माण

8.9 शारीरिक शिक्षा हेतु अध्यापकों की शिक्षा

8.10 अध्यापक शिक्षकों की शिक्षा

8.11 सारांश

8.12 संदर्भ ग्रंथ

8.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप

- अध्यापक शिक्षा की पाठ्यचर्या पर अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने अध्यापक शिक्षा के लिये विभिन्न स्तरों का पाठ्यचर्या का संरचना बना सकेंगे।
- अक्षम विद्यार्थियों की शिक्षा के लिये अध्यापक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिये बता सकेंगे।
- शारीरिक शिक्षकों हेतु क्या पाठ्यचर्या होनी चाहिये बना सकेंगे।

8.1 प्रस्तावना

भारत में विश्व प्रचलित अध्यापक शिक्षा व्यवस्थाओं में एक विशाल व्यवस्था है। विश्वविद्यालय के शिक्षा विभागों एवं इनके संबद्ध महाविद्यालयों के अतिरिक्त सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाएँ, निजि एवं स्व-वित्तिय महाविद्यालय एवं मुक्त विश्वविद्यालय भी आवश्यक शिक्षा में लगे हुए हैं। यद्यपि आधिकांश अध्यापक कार्यक्रम एक जैसे ही हैं फिर भी विभिन्न क्षेत्रों में अध्यापकों की आपतित उनकी माँग की तुलना से भी काफी अधिक है

जबकि कुछ जगहों पर योग्यता प्राप्त अध्यापकों की भारी कमी है और इसी कारण से अल्प योग्यता प्राप्त एवं अयोग्य व्यक्तियों की नियुक्ति हो जाती है। ऐसी स्थिति में जनशक्ति के नियोजन की अनिवार्यता बन जाती है। अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम अध्यापक शिक्षा ऐसी हो जो समुदाय की वास्तविकताओं से सामना कर सकें। इसके लिए, अध्यापक शिक्षा के विभिन्न अंगों जैसे अंत:शिक्षुता शिक्षण-अभ्यास, प्रायोगिक कार्यकलापों एवं अनुपूरक शैक्षिक कार्यकलापों को अधिक बेहतर ढंग से सुनियोजित एवं संगठित करने की जरूरत है। साथ ही, यह आवश्यक है अध्यापक शिक्षा की पाठ्यचर्या एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया को अधिक वस्तुनिष्ठ एवं व्यापक हो। प्राय: यह देखा गया है कि कार्य दशाओं, वेतन आदि वित्तीय सुविधाओं में सुधार के बावजूद, अध्यापन व्यवसाय के प्रति प्रतिभावान व्यक्तियों को आकर्षित करना अभी भी बहुत मुश्किल है।

8.2 अध्यापक शिक्षा हेतु पाठ्यचर्या

विविध घटकों के लिए अधिकारिता को इस प्रकार व्यवस्थित करने का प्रस्ताव था ताकि सैद्धान्तिक पक्ष को 40 प्रतिशत, विद्यालय के विषयों के शिक्षाशास्त्री विश्लेषण को 20 प्रतिशत, अभ्यास-आधारित शिक्षण को 20 प्रतिशत और अन्य प्रायोगिक कार्यो को 20 प्रतिशत की अधिभारिता प्रदान की जा सके। विविध घटकों के लिए अधिभारिता समय आबंटन एवं परीक्षा की योजना के लिए भी एक समान थी। यह वितरण हालाँकि ऐसे पूर्व-प्राथमिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा जिनके लिए सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक (Practice) की अधिभारिता क्रमश: 30 प्रतिशत और 70 प्रतिशत होगी।

8.4 अध्यापक शिक्षा: वर्तमान पाठ्यचर्या

पिछले दो दशकों के दौरान, अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या को बहुत अधिक आलोचना का सामना करना पड़ा जिससे इसकी कमियाँ स्पष्ट रूप से सामने आई है। कुछ शिक्षाविद् और सामाजिक कार्यकर्त्ता भी इसे सार्थक नहीं मानते क्योंकि ये समकालीन भारतीय विद्यालयों एवं समाज की आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित नहीं करते। अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या में प्रस्तुत आलोचना और दोषों को इस प्रकार उजागर किया गया है.

- यह समकालीन भारतीय विद्यालयों एवं समाज की आवश्यकताओं पर पूरी तरह ध्यान केन्द्रित नहीं करता और इससे ऐसे अध्यापकों का सृजन नहीं होता जो विद्यालयों में गुणवत्ता आधारित शिक्षा प्रदान कर सकें।
- अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या के पुराना होने के कारण, इसके अध्ययन से प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित अध्यापकों के अंतर को स्पष्ट नहीं किया जा सकता।
- पाठ्यचर्या की अधिकांश पाठ्य सामग्री सैद्धान्तिक प्रकार की है।
- अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्याओं में समग्र रूप से शैक्षणिक एवं व्यावसायिक कौशलों को शामिल करने और इसमें समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है।
- पाठ्यचर्या में सूचना आधारित ज्ञान की बजाय अनुभव आधारित शिक्षा पर अधिक बल देना आवश्यक है और इसलिए अध्यापक शिक्षा को पारंपरिक अनुदेश पद्धति की बजाय रचनात्मक प्रकार के शिक्षण पर जोर देना होगा।

- विद्यार्थियों को विद्यालय एवं समुदाय की वास्तविकता से परिचित नहीं कराया जाता। अंत: शिक्षुता, शिक्षण का अभ्यास, प्रायोगिक कार्यकलाप एवं अनुपूरक शैक्षिक कार्यकलापों पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा इस और अधिक ध्यान दिया गया परिषद् ने सुझाया कि अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की अवधि बढ़ाए बिना, इन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती। आयु विज्ञान की पाठ्यचर्याओं की भांती, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक कौशलों का आपसी तालमेल भी बहुत जरूरी है। अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्याओं को नवीन रूप देना बड़ी जरूरत बन गई है।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, वैधानिक निकाय के रूप में अध्यापक में मानकों के समन्वय एवं इसके रखरखाव के लिए उत्तरदायी है और 1998 में इसने अध्यापक शिक्षा के लिए गुणवत्ता आधारित पाठ्यचर्या संरचना जारी की। यह प्रलेख व्यापक रूप से अध्यापक शिक्षा के लगभग सभी पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करता है जिसमें संदर्भ, चिंता के मुद्दे एवं भारतीय समाज में अध्यापक शिक्षा का सामाजिक दर्शनशास्त्र शामिल है जो एकता एवं विविधता, स्वतंत्रता एवं बाध्यता, सामाजिक नियोजन एवं व्यक्ति-विशेष पहल के बीच के संश्लेषण पर ध्यान केन्द्रित करता है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ थीं

- अध्यापक शिक्षा की वर्धित अवधि एवं बहुविध मॉडल,
- मौजूदा कार्यक्रमों को नए प्रकार का अभिविन्यास एवं ऐसे कार्यक्रमों में नई उपयोगी जानकारी। शामिल करके अध्यापक शिक्षा के सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक घटकों को अद्यतन;
- व्यावसायिकता, वचनबद्धता, सक्षमता एवं कार्यनिष्पादन सम्बन्धी कौशलों को विकसित करने पर जोर;
- अध्यापकों के निर्माण के लिए समुदाय विश्वविद्यालय और सूचना एवं प्रौद्योगिकी की क्षमताओं का इष्टतम सदुपयोग;
- समाज के दरकिनार वर्गो के अध्यापकों के निर्माण के प्रावधान बनाना; और
- अध्यापक शिक्षकों के लिए शिक्षा के विशिष्ट कार्यक्रमों के निर्माण और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रमों का सुझाव देना।

इसके अलावा, कुछ ऐसे अन्य सुझाव भी थे जिन्हें "'समाज"' ने भली-भाँति अपनाया। इसकी कुछ सिफारिशों को लागू किया गया। लेकिन विविध कारणों की वजह से इन सभी को व्यावहारिक रूप नहीं दिया जा सका।

उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और बाजार बल एवं एच.आ.ई.वी. एड्स जैसे विनाशकारी रोगों ने भारत में बदलावों को उत्पन्न किया है। इसलिए, विद्यालय की चरण पर विषयों की प्रकृति, उद्देश्यों, विषयवस्तु एवं शिक्षाशास्त्र को भी बदल दिया गया। ऐसी स्थिति अध्यापक शिक्षा में भी उपयुक्त परिवर्तनों की माँग करती है। अध्यापकों से अब अपेक्षा है कि वे अध्यापक शिक्षा को "सीखने के लिए सीखना"' करने के लिए सीखना की शिक्षा दें। इनके अलावा, अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय पहलू अध्यापक शिक्षा पर नवीन दृष्टि डालने की माँग करते है।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के समक्ष प्रस्तुत कार्यसूची इसलिए द्विपक्षी है अध्यापक शिक्षा की मौजूदा कमियों को दूर करना और इसके सम्मुख आने वाली नई चुनौतियों की माँग की पूर्ती करना। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (1998) द्वारा निर्मित पाठ्यचर्या का आठ भागों में विभाजित किया गया है। आगामी भागों में हम इनकी चर्चा करेंगे-

बोध प्रश्न

1 वर्तमान अध्यापक शिक्षा की पाठ्यचर्या सम्बन्धी समस्याएँ कौन सी है?

2 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने वर्तमान पाठ्यचर्या सम्बन्धी समस्याओं से जूझने के लिए क्या दृष्टिकोण अपनाया है?

8.5 पूर्व-सेवा अध्यापक शिक्षा

अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों ने दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, नृजातिविज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास एवं संस्कृति आधारित पाठ्यक्रमों का समावेश है जो इसे अंत:विषयक बनाते हैं। आज देश को विभिन्न प्रकार के अभिविन्यास एवं विषय विशेषज्ञों से संपन्न अध्यापकों की आवश्यकता है जो शैक्षिक कार्यक्रमों की देखरेख अर्थात् उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा जैसे निरंतर उभरते क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए, अध्यापकों को नई प्रवृत्तियों, कार्यनीतियों, रीतियों के वैश्विक दृष्टिकोण को अपनाना होगा जो स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्थितियों के अनुकूल सिद्ध हों। इसलिए अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को अध्यापक निर्माण कार्यनीतियों में सक्षमताओं एवं वचनबद्धता पर ध्यान केन्द्रित करना होगा जो उन्हें बेहतर अध्यापकों के रूप में उभरने में उनके लिए सहायक होंगे।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के अनुसार, संदर्भों एवं चिंता के मुद्दों से निर्मित अध्यापक प्रोफाइल में निम्नलिखित सक्षमताओं एवं योग्यताओं का समावेश होगा

- व्यावसायिक सक्षमता, व्यावसायिक वचनबद्धता एवं व्यावसायिक नीतिशास्त्र के बाहरी एवं आंतरिक मूल्यों की शिक्षा देना;
- ज्ञान सृजित करना एवं इसे नया रूप देना;
- अधिगम संसाधनों को चयन, संगठन एवं प्रोग्राम;
- अक्षम बच्चों के लिए शैक्षिक गतिविधियों एवं कार्यक्रमों का चयन एवं संगठन एवं पाठ्यचर्या को भली-भाँति लागू करना;
- निरंतरता एवं बदलाव से जुड़ी चुनौतियों पर भली-भाँति ध्यान देकर उनका सामना करना।
- व्यक्तित्व विकास समायोजन एवं शिक्षा की प्राप्ति के लिए विद्यार्थियों को परामर्श देना;
- शोध विशेष रूप से कार्यशोध करना एवं नवीन रीतियों की पहल करना;
- अध्यापक-गतिविधियों का आयोजन करना;
- मूल्य को समझने, मूल्य वचनबद्धता एवं मूल्य प्रसारण की भावना जाग्रत करना;
- संस्कृति एवं शिक्षा और "संस्कृति एवं व्यक्तित्व" के बीच के अंतःसम्बन्ध के अर्थ को समझना;
- जीवनपर्यन्त शिक्षा में रूचि विकसित करना;

- माध्यमिक की आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं को समझना और विद्यालय एवं समुदाय के बीच आपसी सहयोग की कड़ी स्थापित करना; और
- आधुनिकीकरण एवं विकास के लिए परिवर्तन अभिकर्ता के रूप में कार्य करना।

जब आप अध्यापक के विकसित योग्य प्रोफाइल पर नजर डालते हैं तो मुख्य चुनौती इस प्रकार के भावी अध्यापकों के निर्माण करने की है। अध्यापक के मुद्दों, संदर्भों एवं चिंता के मुद्दों को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा द्वारा निर्मित अध्यापक शिक्षा के सामान्य उद्देश्य हैं-

- भारत के संविधान में उल्लिखित व्याख्या के आधार पर राष्ट्रीय मूल्यों एवं लक्ष्यों को सिखाने के लिए सक्षमताओं को विकसित करना;
- अध्यापकों को आधुनिकीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के योग्य बनाना;
- अध्यापकों को सामाजिक, संसक्ति एवं अन्तर्राष्ट्रीय समझ के संवर्धन एवं मानव अधिकारों एवं बाल अधिकारों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील करना;
- विद्यार्थी-अध्यापकों को समक्ष एवं वचनबद्ध व्यावसायिकों में परिवर्तित करना जो निर्धारित कार्यो को करने के इच्छुक हों;
- प्रभावी अध्यापक बनने के लिए आवश्यक सक्षमताओं एवं कौशलों को विकसित करना;
- अध्यापकों एवं अध्यापक शिक्षकों को पर्यावरण, पारिस्थितिकीय, समष्टि लिंग समानता,.
- कानूनी साक्षरता आदि जैसे उभरते हुए मुद्दों के बारे में, संवेदनशील बनाना;
- अध्यापकों को सशक्त करना ताकि वे विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन एवं वैज्ञानिक प्रवृत्ति को विकसित कर सकें;
- सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में आलोचनात्मक जागरूकता विकसित करना, और
- प्रबंधकीय एवं संगठनात्मक कौशल विकसित करना।

राष्ट्रीय अध्यापक परिषद् (1998) द्वारा प्रस्तुत पाठ्यचर्या में, पूर्व-अध्यापक शिक्षा अपने अध्यापन भे संबद्ध चरणों के आधार पर विविध भागों में विभाजित है। ये स्तर हैं. प्राथमिक बाल्यावस्था स्तर हेतु अध्यापक शिक्षा, प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या संरचना, प्राथमिक स्तर हेतु अध्यापक शिक्षा, प्रारंभिक स्तर हेतु अध्यापक शिक्षा, माध्यमिक स्तर हेतु अध्यापक शिक्षा, उच्चतर माध्यमिक स्तर हेतु अध्यापक शिक्षा। प्रत्येक स्तर ऐसे दृष्टिकोण पर विचार करता है जो उस विशिष्ट स्तर के लिए अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या बनाने मे सहायता करता है। प्रत्येक स्तर से संबंधित स्तर के लिए अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या बनाने में सहायता करता है। प्रत्येक स्तर से संबंधित पाठ्यचर्या की चर्चा इसी खंड की इकाई 9 एवं इकाई 10 में हम पहले ही कर चुके हैं। इसलिए पूर्वकालिक अध्यापक शिक्षा के बारे में पढने के लिए आप इकाई 9 और इकाई 10 पढ़े।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

3 अध्यापक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या के दोष बताइए।

4 अध्यापक शिक्षा के पाठ्यचर्या के लिए चुनोतियॉ उसके बारे में बताइए।

8.6 सेवारत शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसार शिक्षा सतत् प्रक्रिया है जिसमें पूर्व-सेवा ओर सेवारत अध्यापक शिक्षा दोनों ही घटकों में अंतसंबद्ध हैं। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (DIETs), अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय (College of Teacher Education; CTE) एवं शिक्षा में उच्च अध्ययन संस्थान (Institutes of Advanced Studies in Education) आदि की स्थापना करने की पहल इस संदर्भ में कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ हैं-

सेवारत अध्यापक को निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठित करना अत्यंत आवश्यक है

- सेवारत अल्प योग्यता प्राप्त अथवा अप्रशिक्षित अध्यापकों की शैक्षिक योग्यताओं का उन्नयन करना
- सेवारत अध्यापकों की व्यावसायिक सक्षमता का उन्नयन;
- नई भूमिकाओं के लिए अध्यापकों को तैयार करना
- पाठ्यचर्या की विषयवस्तु, प्रक्रिया एवं मूल्यांकन के संदर्भ में उभरते हुए परिवर्तनों से
- सम्बन्धित ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना;
- अध्यापकों को सक्षमता-आधारित अधिगम, मल्टीग्रेड आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों के प्रति जागरूक बनाना और पूर्व-सेवा शिक्षा के अंतरालों एवं दोषों को नियंत्रित करना
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा सेवारत कार्यक्रम सुधार हेतु प्रस्तावित सुझाव इस प्रकार हैं-
- शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अधिक सहभागितापरक एवं अंतक्रियात्मक बना कर उन्हें अधिक उपयोगी एवं प्रभावी बनाना;
- अप्रशिक्षित एवं अल्प योग्यता प्राप्त अध्यापकों का प्रशिक्षण और प्रशिक्षण और इस संदर्भ मे विषयवस्तु में उचित सुधार करना;
- प्रारंभिक स्तर से माध्यमिक स्तर या माध्यमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर पर प्रोन्नति पाने वाले अध्यापकों के लिए गहन सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रस्तुति;
- सहयोग सामग्री को मुद्रित सामग्री, वीडियो कैसेट के रूप में विकसित करना और कम्प्यूट२ कार्यक्रमों की रूपरेखा निर्माण, इनका विकास एवं प्रसार;
- विशिष्ट कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने पर सहभागियों की व्यावसायिक गतिशीलता को श्रेय दिया जा सकता है;
- निर्धारित समय में सेवारत कार्यक्रमों में सहभागिता को अनिवार्य बनाना चाहिए ओर उपयुक्त प्रोत्साहन देना और
- गतिशील प्रशिक्षण कार्यदलों का प्रयोग करते हुए सेवारत विद्यार्थी कार्यक्रम के आयोजन पर भी विचार किया जा सकता है।

8.7 शिक्षा मै वैकल्पिक पद्धतियों/उपागमों हेतु अध्यापकों का निर्माण

ज्ञान का निरंतर विस्फोट हो रहा है वहीं अच्छे प्रकार का जीवन जीने की आकांक्षाएँ भी बढ़ रही हैं। इसके लिए आवश्यकता है कि शिक्षा को सभी पद्धतियों को एक साथ जोड़ा जाए।

इसमें औपचारिक पद्धति के विकल्प और गैर-औपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा का समावेश हो। परन्तु वह वैकल्पिक कार्य नीतियाँ इनमें शामिल कार्मिकों में कौशल, सक्षमताएँ एवं वचनबद्धता विकसित करने की माँग करती है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने अपने पाठ्यचर्या में इस पहलू को भी उचित महत्व दिया है और ऐसे क्षेत्रों के लिए भी पाठ्यचर्या को सुझाव दिया है जिसकी चर्चा हम इस भाग में करेंगे।

8.7.1 गैर-औपचारिक शिक्षा

गेर-औपचारिक ऐसे शिक्षा बच्चों को अधिगम सम्बन्धी अनुभव प्रदान करती है जो 6 से 14 वर्ष की आयु समूह में है परन्तु किन्हीं कारणों के वजह से औपचारिक विद्यालय की पद्धति द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ उठाने के योग्य नहीं है। इस संदर्भ में विभिन्न स्तरों के कार्यकर्त्ताओं, अनुदेशकों, पर्यवेक्षकों, पाठ्य सामग्री लेखकों, परियोजना अधिकारी एवं गैर-औपचारिक व्यवस्था के प्रबंधकों का प्रशिक्षण विशेष महत्व रखता है। इसको जानते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने ऐसी शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

- कार्यकर्त्ताओं को अच्छी तरह से अपने रोजगार निष्पादन के लिए सम्बन्धित ज्ञान एवं.
- प्रौद्योगिकी में नवीनतम उपलब्धियों से परिचित कराना;
- भारत की सामाजिक सच्चाई के बारे में आलोचनात्मक जागरूकता विकसित करना;
- जिन समूहों से वे सम्बन्धित है उन समूहों की विशेष अपेक्षाओं से परिचित कराना;
- ऐसे ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना जो लक्ष्य समूह के सामाजिक-सांस्कृतिक विकास में
- सहायक हो;
- उन्हें इस योग्य बनाना ताकि वे विस्तृत प्रकार के स्त्रोतों से सहयोग की प्राप्ति कर सकें;
- समाज के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गो के प्रति सकारात्मक अभिवृति विकसित करना; और
- विकासात्मक गतिविधियों में सक्रियता से भाग लेने की इच्छा को विकसित करना।

पाठ्यक्रम विषयवस्तु

गैर-औपचारिक शिक्षा के कार्यकर्त्ताओं के लिए पाठ्यचर्या का आधार ऐसी संस्थाओं में उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यो की प्रकृति, उनकी आवश्यकता है। इसमें जुड़े अनिवार्य पहलुओं में निम्नलिखित पहल शामिल हैं-

- भारत की मिश्रित संस्कृति, इसकी एकता एवं विविधता से जुड़े ज्ञान की ठोस पृष्ठभूमि;
- विचारधारा के मूलतत्व के रूप में विज्ञान, इतिहास में इसकी भूमिका एवं समाज पर इसका प्रभाव;
- भारत के राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारत का संविधान;
- राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी समस्याएँ एवं मुद्दे;
- समकालीन भारतीय शिक्षा की पद्धतियाँ एवं शैक्षिक विकास;
- पर्यावरण एवं समष्टि सम्बद्ध मुद्दे;
- मानव मनोविज्ञान एवं व्यवहार का मूलभूत आधार;
- संप्रेषण कौशल, जन संचार एवं शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग;

- अनुदेशनात्मक सामग्री का निर्माण;
- विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पहचान एवं सामुदायिक अंतःक्रिया; और
- प्रायोगिक कार्य/क्षेत्र कार्य

8.7.2 प्रौढ शिक्षा

समाज को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि शिक्षा को जीवनपर्यन्त अधिगम के अभिन्न भाग के रूप में देखा जाए। शिक्षा को यह रूप देने के लिए हमें शिक्षा को हर जीवन के स्तर पर देना होगा। प्रौढ़ शिक्षा ऐसा ही एक माध्यम है। प्रौढ़ शिक्षा से सभी आयु समूहों के प्रौढों को शिक्षित करने की आशा की जाती है और इनमें वे भी शामिल किए जाते हैं जो पूर्णकालिक शिक्षार्थी नहीं है और जो औपचारिक शिक्षा से परिचित नहीं हैं।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण के उद्देश्य

- कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण के उद्देश्यों से निम्नलिखित का समावेश होना आवश्यक है
- सामाजिक जागरूकता को विकसित करने के योग्य बनाना;
- प्रकार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रमों से सम्बद्ध कौशल विकसित करना;
- प्रौढों को पूर्वग्रहों, पक्षपात, ज्ञानता, अंधविश्वास आदि की बेड़ियों से मुक्त करना;
- विकासात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए तैयार करना;
- शिक्षार्थियों में "'सीखने के लिए सीखना"' की इच्छा एवं संभावनाओं को विकसित करना;
- आर्थिक निपुणता का ऊँचा उठाना;
- प्रौढ़ शिक्षार्थियों में देशभक्ति, वैश्विक सवेतना एवं मिलजुल कर रहने की इच्छा को जाग्रत करना;
- राष्ट्र एवं समाज को सुदृढ़ बनाने की भावना को विकसित करना;
- व्यक्तिगत प्रतिष्ठा एवं नागरिक जिम्मेदारियों को आपस मे जोड़ने के योग्य बनाना;
- शिक्षार्थियों एवं उनकी आवश्यकताओं को समझना;
- मानव अधिकारों एवं कानूनी समझ सम्बन्धी जागरूकता को विकसित करना;
- पर्यावरण एवं आबादी से जुड़े चिंता के प्रमुख मुद्दों को समझने के योग्य बनाना, और
- उनमें मानवतावादी, नैतिक एवं नीतिपरक मूल्यों को विकसित करना।

प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं विषयवस्तु

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने इस स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का सहभागितापरक लचीला, प्रासंगिक, आवश्यकता एवं विविधता-आधारित होने पर बल दिया। इसमें निम्नलिखित का समावेश किया गया है

- प्रौढ़ अधिगम के मनौवैज्ञानिक एवं सामाजिक सिद्धान्त;
- प्रौढ़ शिक्षा की समस्याएँ एवं मुद्दे;
- भारत की विरासत;
- स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय संविधान और पंचायती राज समेत भारत की प्रशासनिक व्यवस्था;
- समकालीन भारत एवं विश्व

- वैज्ञानिक एवं विकासात्मक गतिविधियाँ;
- आर्थिक एवं सामाजिक समस्याएँ;
- समाज के अल्पसुविधा प्राप्त वर्गो, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं की समस्याएँ;
- प्रौढ़ शिक्षण के दृष्टिकोणों एवं विधियों से परिचित कराना; और
- सूचना, सामाजिक सक्रियता एवं कानूनी साक्षरता प्राप्ति का अधिकार।

8.7.3 दूरस्थ शिक्षा

औपचारिक शिक्षा पद्धति के विकल्प के रूप में दूरस्थ शिक्षा बहुत तेजी से उभर रही है। यह अब भारत में विस्तृत समांतर पद्धति के रूप में विकसित है जो प्राथमिक ये तृतीयक क्षेत्रों को अपने में समेटे हुए हैं। दूरस्थ शिक्षा के द्वारा शिक्षार्थी को दूर स्थान पर बैठकर बहुविध जनसंचार माध्यमों जैसे कि स्व-अध्ययन सामग्री, श्रव्य/दृश्य यंत्र एवं अंशकालिक व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों की सहायता से अपने घर द्वार पर शिक्षा पा लेता है। इन सभी माध्यमों का निर्माण करने के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों को दूरस्थ अध्यापक शिक्षक बनने की आवश्यकता है। इसलिए दूरस्थ अध्यापक शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के निम्नलिखित उद्देश्य हैं

- दूरस्थ अध्यापकों को दूरस्थ शिक्षा की प्रकृति एवं उद्देश्य समझने के योग्य बनाना;
- स्व-अध्ययन एवं स्व-अनुदेशनात्मक सामग्री तैयार करने की तकनीक विकसित करना;
- शिक्षार्थी को उसकी गति के अनुसार शिक्षा प्रदान करना;
- व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों को आयोजन करना;
- अधिगम संसाधनो की पहचान एवं इनका सदुपयोग करना;
- औपचारिक पद्धति से सुदृढ़ सम्बन्ध स्थापित करने के योग्य बनाना और दूरस्थ शिक्षा को
- राष्ट्रीय एवं सामाजिक विकास हेतु प्रभावी साधन का रूप देना;
- विविध अंतक्रियात्मक तकनीकों का प्रयोग करने का प्रशिक्षण देना; और
- सत्रीय कार्य तैयार करने, इनका सदुपयोग एवं मूल्यांकन करने योग्य बनाना।

उपर्युक्त उद्देश्य आवश्यकता-आधारित होंगे। इसलिए लक्ष्य समूहों की विशिष्ट अपेक्षाओं, संसाधनों की प्रकृति एवं प्रसार एवं उपलब्ध व्यावसायिक सहयोग के आधार पर विकसित करना होगा। इस संदर्भ में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय आदि जैसे व्यावसायिकों ने दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में विचारणीय अनुभव की प्राप्ति की है। इनकी विषय विशेषज्ञता इन क्षेत्र में प्रभावी कार्यक्रमों की योजना एवं रूपरेखा बनाने में निहित है।

बोध प्रश्न

1 प्रौढ़ शिक्षा के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम विषयवस्तु क्या है?

5 दूरस्थ शिक्षा किस प्रकार अध्यापक शिक्ष में सहायक है?

8.8 अक्षम विद्यार्थियों के लिय अध्यापकों का निर्माण

अक्षम अ का प्रत्येक बच्चा अनूठा होता है और उसे अलग प्रकार की देखभाल की आवश्यकता होती है बहुत से बच्चे हैं जो अपंगता का शिकार हो जाते है। परन्तु इन्हें भी शिक्षा की

आवश्यकता है। कई बार तो यह देखा गा है कि बच्चे या तो बहुत कम या मध्यम प्रकार की अपंगता से ग्रसित होते हैं उनमें से कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो प्रतिभाशाली एवं मेघावी होते हैं। उनकी और कक्षा के सामान्य अध्यापक तभी ध्यान केन्द्रित कर सकते है जब वे उनकी आवश्यकताओं के प्रति भली-भांती संवेदनशील होते हैं। ऐसे बच्चों के लिए विभिन्न कौशल स्तरों वाले अध्यापकों की आवश्यकता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदान किए गए पाठ्यक्रम में, विशिष्ट शिक्षा के अध्यापकों के लिए पाठ्यक्रम उद्देश्यों को निम्नलिखित बताया गया है-

- अपंगता की प्रकृति एवं कारणों को समझना;
- अपंगता के शरीर क्रियात्मक एवं मनोसामाजिक निहितार्थों के बारे में जानकारी प्राप्त करना;
- विविध अपंगताओं के शैक्षिक निहितार्थों को समझना;
- विशिष्ट विद्यार्थियों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करना;
- ऐसे कौशलों की प्राप्ति करना जिससे अपंगता के विविध स्तरों की पहचान एवं इनका निर्धारण किया जा सकें और इन बातों को समझकर अक्षम विद्यार्थियों को उपर्युक्त शैक्षिक सेवाएँ प्रदान की जा सके
- विशिष्ट विद्यार्थियों के पुनर्वास के संदर्भ में अर्जित समझबूझ एवं कौशलों को लागू करना;
- प्रासंगिक अध्ययन-अधिगम सहायता सामग्री, प्रौद्योगिकी एवं सहयोग सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग के लिए सक्षमताओं एवं कौशलों की प्राप्ति करना;
- बहुविध अक्षमताओं वाले बच्चों की देखरेख के कौशलों को विकसित करना;
- विशिष्ट बच्चों की समेकित शिक्षा की व्यावहारिकताओं को समझना;
- विशिष्ट बच्चों के शैक्षिक निर्धारण, मूल्यांकन एवं उन्हें रोजगार देने की तकनीकों को
- सीखना; और
- विशिष्ट बच्चों के पुनर्वास में परिवार एवं समुदाय सहभागिता को प्रेरित करने के कौशलों को विकसित करना।

पाठ्यचर्या संरचना

पूर्व-प्राथमिक से माध्यमिक स्तरों के सामान्य अध्यापक निर्माण कार्यक्रम में विशेष शिक्षा की पाठ्य सामग्री में निम्नलिखित समावेश किया गया है-

सैद्धान्तिक पक्ष

- उभरते भारतीय समाज में विशेष शिक्षा का विकास;
- अवरोधकारी दशाएँ;
- विशेष शिक्षा सम्बन्धी प्रवृत्तियाँ एवं मुद्दे;
- विशिष्टता के मनो-सामाजिक पहलू
- पाठ्यचर्या विकास एवं विभिन्न अक्षमता सम्बन्धी क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार इसे विकसित करना;
- अनुदेशात्मक एवं मूल्यांकन सम्बन्धी कार्यनीतियाँ और

- अक्षम बच्चों का रखरखाव।

व्यावहारिक पक्ष

- सामान्य कक्षा में व्यावहारिक शिक्षण;
- विशेष शैक्षिक संस्थाओं के दौरे;
- प्रकार्यात्मक मूल्यांकन विधि के प्रयोग से अक्षम बच्चों की पहचान;
- अध्ययन-अध्यापन सामग्री का निर्माण; और
- केस अध्ययन एवं परियोजना कार्य।

विशिष्ट अध्यापकों (पूर्व-सेवा) हेतु

दोष एवं अपंगताओं की प्रत्येक श्रेणी के लिए, विशिष्ट अध्यापकों के निर्माण के लिए विशेष पाठ्यक्रमों की रूपरेखा को तैयार करना आवश्यक होगा। ऐसे पाठ्यक्रमों की उपज, सामान्य विद्यालयों में संसाधन अध्यापक एवं विशेष विद्यालयों में सामान्य कक्षा अध्यापकों के रूप में काम करने की योग्यता प्रदान करेगी।

क्षेत्र

- दृष्टि दोष;
- श्रवण दोष;
- मानसिक मंदता;
- अधिगम अक्षमाताएँ
- डिसलेक्सिया और
- लोकोमोटर एवं तंत्रिका-माँसपेशीय अक्षमताएँ।

अक्षम बच्चों के विशिष्ट अध्यापकों की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित का समावेश हो सकता है

सैद्धान्तिक पक्ष

- विशिष्ट अक्षतमा की प्रकृति एवं लक्षण;
- अक्षमता के सामाजिक पहलू
- अक्षमता के चिकित्सीय पहलू
- पाठ्यचर्या रचना एवं अनुकूलन;
- प्लस-पाठ्यक्रम क्षेत्र;
- शिक्षण की कार्यविधि
- अक्षम बच्चों की देखरेख;
- विचारणीय (विशिष्ट) क्षेत्र विद्यार्थी कार्यकलाप एवं शारीरिक शिक्षा;
- पुनर्वास सम्बन्धी प्रक्रिया; और
- चिकित्सा पद्धति।

व्यावहारिक पहलू

- अक्षम बच्चों पर गौर करना
- अक्षम बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप, व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करना;

- विशिष्टीकरण के क्षेत्र को ध्यान मे 'रखकर सहायता सामग्री एवं जरूरी उपकरणों का प्रयोग;
- अनुदेशनात्मक सामग्री का निर्माण;
- केस अध्ययन एवं परियोजना कार्य;
- प्रकार्यात्मक मूल्यांकन प्रक्रियाओं का प्रयोग एवं अक्षम बच्चों की पहचान करना;
- विशेष शिक्षा संस्थाओं का दोरा एवं पुनर्वास कार्यक्रमों को लागू करना; और
- व्यावसायिक संशोधन, खेल के मैदान, भोजन कक्ष, शौचालयों आदि तक पहुँच स्थापित
- करने में वास्तुकला सम्बन्धी अवरोधों को दूर करना।

प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अध्यापकों का निर्माण

प्रत्येक समाज या विद्यालय में हमें ऐसे बच्चों को पाते हैं जिनका मानसिक स्तर औसतन काफी अधिक होता है जिनमें कुछ विशेष प्रकार की योग्यताएँ होती है। इन्हें प्रतिभाशाली या मेधावी छात्र कहते हैं। आमतौर पर ऐसे बच्चों की प्रतिभा विकसित करने में अध्यापक पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं होत। प्रत्येक समाज को अपनी खुशहाली के लिए प्रतिभाशाली एवं मेधावी छात्रों की आवश्यकता होती है। इसलिए, ऐसे बच्चों के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था करना अति आवश्यक है।

भारत में, प्रतिभाशाली एवं मेधावी बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ विशिष्ट विद्यालयों की शुरूआत की गई है। ऐसे तथा साथ ही सामान्य प्रकार के विद्यालयों में समान रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जाती है और जिनका प्रशिक्षण कुल मिलाकर ऐसे बच्चों की शैक्षिक अपेक्षाओं की पूर्ति की ओर उन्मुख नहीं होता। अक्षमता की भाँति ऐसी प्रतिभा और अनूठे बच्चों की अपेक्षाएँ भी विविध प्रकार की होती हैं इसलिए ऐसे बच्चों के अध्यापक भी बहु-आयामी दृष्टिकोण से सम्पन्न होने चाहिए।

सामान्य विद्यालय व्यवस्था में प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अध्यापक शिक्षा

उद्देश्य

- भावी अध्यापकों में ऐसी क्षमता विकसित करना ताकि वे विशेष प्रतिभा एवं प्रतिभाशाली एवं मेधावी बच्चों की क्षमताओं की पहचान कर सके;
- बच्चों के मनो-सामाजिक पहलू को समझने के योग्य बनाना;
- शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पहचाने की क्षमता को विकसित करना;
- उचित पाठ्यचर्या और अनुदेश एवं मूल्यांकन की उपयुक्त विधियों और स्व-अध्ययन को
- बढ़ावा देने की दृष्टि से सशक्त करना; और
- विद्यार्थियों में उचित समाजीकरण को बढ़ावा देने के योग्य बनाना।
- उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, सामान्य अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है:
- प्रतिभा-अर्थ एवं संकल्पना;
- प्रतिभा की पहचान करना;
- प्रतिभा को विकसित करने की विधियाँ;
- सतत् अनुवीक्षण; और

- केस अध्ययन एवं परियोजना कार्य।

विशिष्ट संस्थानों/कक्षाओं में प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अध्यापक शिक्षा

उद्देश्य

- भावी अध्यापकों में ऐसी क्षमता विकसित करना ताकि वे विशेष प्रतिभा एवं प्रतिभाशाली एवं
- मेधावी बच्चों की क्षमताओं की पहचान कर सके;
- बच्चों के मनो-सामाजिक पहलू को समझने के योग्य बनाना;
- शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पहचान करने की क्षमता विकसित करना;
- उचित पाठ्यचर्या और अनुदेश एवं मूल्यांकन की उपयुक्त विधियाँ और स्व-अध्ययन को बढ़ावा देने की दृष्टि से सशक्त करना;
- विद्यार्थियों में अमूर्त चिंतन, तार्किक समझ, मौलिकता एवं सृजनात्मकता की शक्ति को विकसित करने के योग्य बनाना।
- भावी अध्यापकों में ऐसी क्षमता का निर्माण करना ताकि विद्यार्थियों मे समस्या-निवारण अभिवृत्ति को विकसित कर सकें; और
- विद्यार्थियों में उचित समाजीकरण को विकसित कर सकें; और

पाठ्यचर्या संरचना

प्रतिभाशाली एवं मेधावी बच्चों की अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रति अध्यापकों को संवेदनशील बनाने के लिए, प्रत्येक स्तर हेतु पहले से प्रस्तावित पाठ्यचर्या में निम्नलिखित पाठ्यचर्या संरचना के प्रासंगिक घटकों को शामिल करना जरूरी है। प्रस्तावित पाठ्यचर्या संरचना सिर्फ निर्देशात्मक है।

सैद्धान्तिक पक्ष

- प्रतिभाशाली एवं मेधावी बच्चों की शिक्षा-स्थिति, मुद्दें, समस्याएँ; और
- प्रतिभाशाली एवं मेधावी बच्चों के अध्ययन एवं अध्यापन से सम्बन्धित मनोविज्ञान (यह पाठ्यक्रम प्रतिभा विशिष्ट होगा)।

वैकल्पिक विषय

- चिंतन का मनोविज्ञान; और
- सृजनात्मक का मनोविज्ञान

व्यावहारिक पक्ष

- विद्यालय शिक्षण के एक या दो विषयों का शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण;
- विद्यालय एवं समुदाय अनुभव; और
- कार्य शिक्षा

कार्यकलाप - निम्नलिखित के विकास हेतु विशिष्ट कार्यकलापों का आयोजन किया जा सकता है -

- सृजनात्मकता;
- अमूर्त चिंतन;
- तार्किक विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन;
- सही/गलत का निर्णय लेना;

- स्व-अध्ययन एवं स्व-मूल्यांकन
- समाजीकरण; और
- बौद्धिक स्वतंत्रता।

प्रशिक्षण कार्यनीतियाँ

विशिष्ट अध्यापक शिक्षा को प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने विभिन्न कार्यनीतियों का सुझाव दिया, जो इस प्रकार हैं

- प्रारंभिक स्तर पर अध्यापक प्रशिक्षण में प्रतिभाशाली एवं मेधावी बच्चों से सम्बन्धित विशेष पाठ्यक्रम (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा)
- प्रतिभाशाली एवं मेधावी बच्चों पर बी.एड. में वैकल्पिक विषय;
- विशिष्ट प्रस्तावित संस्थाओं में बी.एड. (प्रतिभाशाली एवं मेधावी बच्चों हेतू और
- सेवारत शिक्षा कार्यक्रम।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

7 विशिष्ट समूह को ध्यान में रखते हुए अध्यापक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या संरचना की चर्चा कीजिए

8 विशिष्ट समूह हेतु अध्यापक शिक्षा किस प्रकार, सामान्य विद्यार्थियों की अध्यापक शिक्षा से भिन्न है.

8.9 शारीरिक शिक्षा हेतु अध्यापकों की शिक्षा

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने शिक्षा पद्धति के अभिन्न भाग के रूप में शारीरिक शिक्षा को भी समान महत्व दिया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने निम्नलिखित दो दृष्टिकोणों से शारीरिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या पर ध्यान केन्द्रित किया है:

क) सभी स्तरों के अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में शारीरिक शिक्षा को अभिन्न भाग के रूप में स्थापित करना; और

ख) शारीरिक शिक्षा के लिए विशेष रूप से अध्यापकों के निर्माण में शारीरिक शिक्षा का महत्व।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् का सुझाव है कि शारीरिक शिक्षा का सभी स्तरों की अध्यापक शिक्षा में घटक के रूप में शामिल किया जाना चाहिए और न्यूनतम एक प्रमुख समूह क्रीड़ा और खेलकूद के किन्हीं दो मंदों में अनिवार्य सहभागिता होनी चाहिए। शारीरिक शिक्षा के लिए अध्यापक शिक्षकों को भी सभी स्तरों के लिए तैयार किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम, प्रमाणपत्र या डिप्लोमा से आगे उपाधि कार्यक्रम तक के हो सकते हैं।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर जैसे दोनों चरणों के लिए पाठ्यचर्या का सुझाव दिया हे इस प्रकार है

प्रारंभिक चरण पर शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों हेतु पाठ्यचर्या संरचना

सैद्धान्तिक पक्ष

- उभरता भारतीय समाज
- शारीरिक शिक्षा सिद्धान्त, उद्देश्य, स्थिति, समस्याएँ और मुद्दे;
- शारीरिक शिक्षा का मनोविज्ञान और सामाजिक विज्ञान;

- शारीरिक शिक्षा की विधियाँ और तकनीकें;
- शरीर-रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान एवं
- स्वास्थ्य एवं सुरक्षा शिक्षा; और
- शारीरिक एवं सुरक्षा शिक्षा; और
- शारीरिक शिक्षा का प्रबंधन और संगठन।
- व्यावहारिक शिक्षण एवं प्रायोगिक कार्य
- निर्देशन;
- कोचिंग;
- क्रीड़ाओं एवं खेलकूद का आयोजन;
- देसी एवं स्थानीय क्रीड़ाओं एवं खेलकूद का आयोजन;
- सामुदायिक क्रीड़ाओं एवं खेलकूद का आयोजन;
- योगाभ्यास सम्बन्धी शिक्षा;
- शिक्षा, सुरक्षा, छोटी चोट पर दवा आदि लगाना, पट्टी बाँधना और मालिश करना;
- सामग्री एवं उपस्करों की देखभाल एवं प्रयोग;
- मार्च करना;
- तैराकी;
- जिमनेस्टिक और
- विश्रामदायक व्यायाम।

माध्यमिक स्तर पर शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों हेतु पाठ्यचर्या की संरचना (बी.पी.एड.)

बी.पी.एड. कार्यक्रम का उद्देश्य, माध्यमिक विद्यालयों के लिए शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों को तैयार करना है।

पाठ्यचर्या संरचना

सैद्धान्तिक पक्ष

- उभरता भारतीय समाज;
- शारीरिक शिक्षा का आधारभूत ज्ञान;
- शारीरिक शिक्षा, क्रीड़ाओं एवं खेलकूद सम्बन्धी प्रबंधन;
- व्यायाम सम्बन्धी एवं शरीर क्रिया विज्ञान;
- शरीर-रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान एवं स्वास्थ्य शिक्षा;
- मनोविज्ञान, एवं शारीरिक शिक्षा;
- शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी मार्गदर्शन एवं परामर्श;
- शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी मूल्यांकन; और
- अनुकूलित शारीरिक शिक्षा। विशिष्टीकरण 126
- स्पोर्ट्स मेडिसिन;
- क्रीड़ाओं एवं खेलकूद सम्बन्धी नियम;
- प्रशिक्षण एवं कोचिंग सम्बन्धी विज्ञान;

- योग शिक्षा एवं देसी क्रीडाएँ;
- खिलाड़ियों की शिक्षा;
- व्यावहारिक शिक्षण एवं प्रायोगिक कार्य
- निदर्शन
- कोचिंग का अभ्यास;
- क्रीड़ाओं, खेलकूद एवं मनोरंजनात्मक कार्यकलापों का आयोजन;
- सभाओं शिविरों का आयोजन;
- प्रमुख क्रीड़ाओं एवं खेलकूद में सहभागिता एवं प्रशिक्षण;
- प्रमुख देशी क्रीड़ाओं एवं खेलकूद में सहभागिता एवं प्रशिक्षण;
- प्रमुख देशी क्रीड़ाओं, खेलकूद एवं योगाभ्यास में सहभागिता एवं प्रशिक्षण;
- ट्रेक एवं क्षेत्र घटनाएँ;
- जिमनेस्टिक एवं कलाबाजी;
- मार्च करना एवं व्यायाम करना;
- प्रतिरक्षात्मक मार्शल आर्ट्स;
- जल क्रीडाएँ
- प्राथमिक सुरक्षा, पट्टी बाँधना और मालिश करना;
- लघु चोट देखभाल एवं प्रबंधन;
- अनुकूलन अभ्यास; और
- विश्रामदायक व्यायाम।

शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एम.पी.एड)

स्नातकोत्तर कार्यक्रम, शारीरिक शिक्षा हेतु अध्यापक शिक्षकों को तैयार करने पर लक्षित है। इसके उद्देश्य निम्नलिखित है

- भावी अध्यापक शिक्षकों को शारीरिक शिक्षा की प्रकृति, उद्देश्य एवं दर्शनशास्त्र को समझने के योग्य बनाना;
- शारीरिक प्रशिक्षण एवं कोचिंग हेतु अनिवार्य सक्षमताओं को विकसित करना;
- निजि एवं समुदाय स्वास्थ्य के ज्ञान को सम्बन्धित करना;
- क्रीड़ाओं, खेलकूद एवं मनोरंजनात्मक कार्यकलापों के आयोजन की क्षमता को विकसित करना;
- स्पोर्ट्स मेडिसिन एवं फिजियोथैरेपी आधारित ज्ञान प्रदान करना;
- शारीरिक शिक्षा, क्रीड़ाओं एवं खेलकूद जैसे विषयों में शोध करने की क्षमता विकसित करना;
- उन्हें अच्छे खिलाड़ी बनाने के योग्य बनाना;
- उनमें खिलाड़ीपन की भावना जाग्रत करना;
- शारीरिक शिक्षा में रुचि को बढ़ावा देना और विद्यालय एवं समाज में इसकी भूमिका की सराहना करना;

- उन्हें शारीरिक शिक्षा में स्तर-विशिष्ट पाठ्यचर्या, शिक्षाशास्त्र एवं मूल्यांकन की तकनीकों को विकसित करने के योग्य बनाना; और
- शारीरिक शिक्षा, व्यायाम क्रीड़ाओं एवं खेलकूद के संदर्भ में देसी दृष्टिकोण की समझ एवं अनुशोध को विकसित करना।

पाठ्यचर्या संरचना

सैद्धान्तिक पक्ष

- उभरता भारतीय समाज
- ऐतिहासिक, दर्शनशास्त्र एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्यों में शारीरिक शिक्षा
- मनोविज्ञान एवं शारीरिक शिक्षा;
- व्यायाम सम्बन्धी शरीर क्रिया विज्ञान;
- शारीरिक शिक्षा में पाठ्यचर्या विकास;
- शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी मूल्यांकन;
- कोचिंग के यांत्रिकीय एवं सैद्धान्तिक सिद्धान्त, और
- शारीरिक शिक्षा में शोध विधियाँ।

विशिष्टीकरण

- शारीरिक शिक्षा, क्रीड़ाओं एवं खेलकूद सम्बन्धी प्रबंधन;
- स्पोट्स मेडिसन;
- योगाभ्यास एवं देसी क्रीड़ाओं एवं खेलकूद के सिद्धान्त एवं व्यावहारिक पहलू
- प्रशिक्षण विधियाँ. व्यायाम, खेलकूद, क्रीडाएँ; और
- क्रीड़ाओं एवं खेलकूद के नियम एवं विनियम
- शोध/ बंध/परियोजना कार्य

प्रायोगिक कार्य

- निर्देशन
- उच्च कोचिंग
- क्रीड़ाओं एवं खेलकूद, सभाओं/शिविरों और मनोरंजनात्मक कार्यकलापों का आयोजन
- परीक्षण-विकास, प्रशासन एवं अंक निर्धारण-खेलकूद कौशल परीक्षण
- प्रमुख फिटनेश परीक्षण;
- शक्ति परीक्षण;
- सामान्य प्रेरक (चालाक) योग्यतस परीक्षण;
- मन:चालित परीक्षण;
- Cardiovascular परीक्षण;
- राष्ट्रीय शारीरिक तंदरुस्ती परीक्षण;
- फिजियोथैरेपी;
- डिस्लोकेशन रिडक्शन;
- जल चिकित्सा
- वैद्युतचिकित्सा

- विश्राम;
- मालिश करना
- पट्टी बाँधना;
- लघु चोट हेतु प्राथमिक सुरक्षा एवं देखभाल; और
- नवीनीकरण करना।

8.10 अध्यापक शिक्षकों की शिक्षा

आप इस बात से सहमत होंगे कि शिक्षा की गुणवत्ता अध्यापकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है और जो, उनके प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण पर निर्भर करती हे। शिक्षण एक कला है जो कि अध्यापकों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण के संदर्भ में सुनिर्मित कार्यकलापों की श्रृंखला के माध्यम से सिखाई जाती है

अध्यापक प्रशिक्षण, प्रारंभिक से उच्च माध्यमिक अर्थात् सभी स्तरों (पूर्व-सेवा एवं सेवारत) स्तर पर प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। फिलहाल एक मात्र एम.एड. कार्यक्रम जिसे अक्सर अध्यापक शिक्षक निर्माण के लिए सार्थक माना जाता है। लेकिन सभी स्तरों पर शिक्षा के संदर्भ मे आवश्यकताएँ एक-दूसरे से भिन्न होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने निम्नलिखित विशिष्ट क्षेत्रों को प्रस्तावित किया है

- एम.एड. (पूर्व-प्राथमिक)
- एम.एड. (प्रारंभिक);
- एम.एड. (माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक)
- एम.एड (विशिष्ट शिक्षा)
- एम.एड. (दूरस्थ शिक्षा); और
- एम.एड. (शारीरिक शिक्षा)

  अध्यापक शिक्षकों के निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमों हेतु व्यापक रूप से प्रस्तावित उद्देश्य इस प्रकार हैं:
- अध्यापकों एवं अध्यापक शिक्षकों के निर्माण हेतु आवश्यक सक्षमताओं एवं कौशलों को विकसित करना:
- सक्षमता आधारित एवं वचनबद्धता उन्मुख व्यावसायिक कार्यक्रमों का आयोजन करने योग्य बनाना;
- अध्यापक शिक्षकों की शिक्षा के संदर्भ में सार्थक शिक्षाशास्त्र विकसित करने योग्य बनाना;
- अध्यापक शिक्षकों एवं अध्यापक शिक्षा संस्थाओं की आवश्यकताओं एवं समस्याओं को समझना;
- अध्यापक शिक्षा संस्थानों के प्रबंधन से जुड़े कौशलों को विकसित करना;
- पाठ्यचर्या विकास की सक्षमताओं को विकसित करना एवं अधिगम एवं मूल्यांकन सामग्री का निर्माण करना;

- अध्यापक शिक्षकों को सेवारत सतत् शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करने की क्षमताओं को अर्जित करने योग्य बनाना;
- आवश्यकता आधारित एवं वचनबद्धता उन्मुख (सेवारत) प्रशिक्षण देने के योग्य बनाना;
- शैक्षिक कार्यक्रमों के मूल्यांकन एवं औपचारिक सामग्री के शिक्षण से जुड़ी सक्षमताओं को विकसित करना;
- शैक्षिक कार्यक्रमों के मूल्यांकन एवं औपचारिक सामग्री के शिक्षण से जुड़ी सक्षमताओं का विकसित करना;
- शैक्षिक विचारों की जाँच, विश्लेषण, व्याख्या एवं संप्रेषण सम्बन्धी क्षमता को विकसित करना;
- शिक्षा एवं राष्ट्रीय आवश्यकताओं को आपस में जोड़ना और भारतीय वास्तविकताओं के बारे में आलोचनात्मक जागरूकता विकसित करना;
- भारतीय लोकाचार, आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं शिक्षा के बीच संबंध को समझने के योग्य बनाना;
- विकासशील देशों को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक विकास के वैश्विक परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देना;
- अर्थपूर्ण शैक्षिक शोध शुरू करने के योग्य बनाना;
- उनमें ऐसी योग्यताएँ विकसित करना ताकि वे वर्तमान भारतीय समाज की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत की धरोहर, संस्कृति एवं मूल्यों को नया रूप दे सकें;
- स्व-निदेशित एवं जीवनपर्यन्त शिक्षा से जुड़ी सक्षमताओं को विकसित करना; और

उन्हें इस योग्य बनाना ताकि वे भारतीय संदर्भ में उभरती संप्रेषण प्रौद्योगिकी एवं नवीन किस्म की रीतियों की अनुशंसा एवं इन्हें अंगीकृत कर सकें।

अध्यापक शिक्षकों हेतु पाठ्यचर्या संरचना

उपर्युक्त वैकल्पिक एम.एड. कार्यक्रमों के संदर्भ में पाठ्य संरचना ऐसी होनी चाहिए जो विविध स्तरों एवं श्रेणियों पर अध्यापक शिक्षा की पाठ्य संरचना के अनुकूल हों। जैसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् प्रस्तावित किया गया है। एम. एड. (प्रारंभिक) कार्यक्रम में निम्नलिखित पाठ्यक्रमों का समावेश इस सुझाए गए पाठ्यक्रम में प्रारंभिक शिक्षा को केन्द्र बिन्दु माना जाएगा।

- समकालीन भारतीय समाज;
- शिक्षा का दर्शनशास्त्र
- शैक्षिक समाजशास्त्र, सामाजिक एवं सांस्कृतिक नृजातिविज्ञान
- बाल मनोविज्ञान (जीवन एवं चिकित्सीय विज्ञान सम्बन्धी शोध कार्यो सहित) और जिसका बच्चों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन एवं अध्यापन सम्बन्धी प्रारंभिक शिक्षा एवं मनोविज्ञान पर विशेष प्रभाव हो;
- पाठ्यचर्या विकास, कार्यान्वयन एवं मूल्यांकन;
- विकसित एवं विकासशील देशों के संदर्भ में तुलनात्मक शिक्षा;
- विद्यालय के विषयों का शिक्षाशास्त्री विश्लेषण;

- शोध कार्य पद्धति;
- निबंध-शोध; और
- क्षेत्र कार्य, प्रायोगिक कार्य एवं अंत: शिक्षुता;

उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में सूचना विस्तार, जोर एवं केन्द्रबिन्दु प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र पर होगा।

वैकल्पित पाठ्यक्रम

- शिक्षा का नियोजन, प्रबंधन एवं वित्तिय पहलू
- शिक्षा का इतिहास एवं समस्याएँ;
- शैक्षिक प्रौद्योगिकी;
- विशिष्ट बच्चों की शिक्षा
- वैकल्पित शिक्षा;
- मार्गदर्शन एवं परामर्श;
- पूर्व-विद्यालय शिक्षा; और
- माध्यमिक शिक्षा।

ये कुछ प्रस्तावित क्षेत्र हैं परन्तु इनमें और अधिक क्षेत्रों को जोड़ा भी जा सकता है। इसके अलावा प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जा सकता है।

एम.एड.(पूर्व-प्राथमिक); एम.एड. (माध्यमिक) आदि में पाठ्यक्रम संरचना को संबद्ध स्तर या श्रेणी के आधार पर परिवर्तित किया जा सकता है।

मूल्यांकन प्रश्न

9 अध्यापक शिक्षकों हेतु पाठ्यचर्या के उद्देश्य क्या है?

10 अध्यापक शिक्षकों के लिए अच्छी पाठ्यचर्या का होना क्यों आवश्यक है?

8.11 सारांश

हमारी शिक्षा पद्धति में अध्यापक शिक्षकों के निर्माण एवं अभिविन्यास की अपर्याप्त सुविधाएँ हैं और यही ऐसा प्रमुख कारक है जिसकी वजह से विविध पहलुओं से अध्यापक शिक्षकों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण एवं उचित ध्यान नहीं दिया जाता। शिक्षा की गुणवत्ता एवं प्रासंगिकता पर बदलती नीतियों के कारण यह जरूरी हो गया है कि जो अध्यापक व्यावसायिक दृष्टि से समक्ष, वचनबद्ध एवं कार्य करने के इच्छुक हैं, केवल उन्हें ही राष्ट्र हेतु अध्यापक निर्माण की जिम्मेदारी सोंपी जाए। विविध स्तरों, स्तरों एवं श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए अध्यापकों का व्यावसायिक निर्माण अध्यापक शिक्षकों द्वारा किया जाता है। अध्यापकों की गुणवत्ता एवं विशेषता, मुख्य रूप से अध्यापक शिक्षकों की व्यावसायिक शिक्षा पर निर्भर होगी, इसके लिए यह आवश्यक है कि उनकी शिक्षा को नया अभिविन्यास प्रदान किया जाएँ और इनकी गुणवत्ता को बेहतर बनाते हुए नई' पाठ्यचर्या की माँगों के रूप में उन्हें उचित ढंग से समायोजित किया जाएँ।

8.12 संदर्भ ग्रंथ

1 मानव संसाधन विकास मंत्रालय (1992) नई शिक्षा नीति, नई दिल्ली

2 सिंह, एल.सी. (1990) टीचर एजूकेशन इन इण्डिया - एनरिसोर्स बुक, नई दिल्ली

3 NCTE (1998) Quality Curricum Framework for Teacher Education, New Delhi

4 NCTE (1998) Policy Perspective in Teacher Education, New Delhi

इकाई 9

शिक्षक शिक्षा के राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर के अभिकरण

इकाई की संरचना

9.0 लक्ष्य एवं उद्देश्य
9.1 प्रस्तावना
9.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एन. सी. आर. टी
9.3 एन.सी.आर.टी.
9.4 अध्यापक शिक्षा का राष्ट्रीय परिषद
9.5 सामाजिक विज्ञानों में शोध हेतु भारतीय परिषद
9.6 शिक्षा में श्रेष्ठ अध्ययन केन्द्र भारतीय परिषद
9.7 यूनेस्को
9.8 समाहार
9.9 संदर्भ ग्रंथ

9.0 उद्देश्य

इस इकाई का निर्माण आपको राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर के प्रमुख अभिकरणों के कार्यो को समझाने हेतु किया गया है आशा है कि इसक इकाई के सम्प्राप्ति के पश्चात्, आप इस योग्य होंगे कि

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की शक्तियों एवं कार्यो की व्याख्या कर सकेंगे।
- विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में एन. सी. ई. आर. टी. के भूमिका को समझ सकेंगे।
- एन. सी. टी. ई. का एक स्टेटचुरी बाडी (Statutory body) के रूप में गठन होने के पश्चात् उसको कार्यो को स्पष्ट कर सकेंगे।
- आई. सी. एस. एस. आर. (I.C.S.S.R-) तथा केस (Case) के प्रकार्यों से परिचित हो सकेंगे। यूनेस्को के प्रमुख प्रकार्यों को जान सकेंगे।

9.1 प्रस्तावना

किसी भी राष्ट्र का विकास, उस देश की साक्षरता तथा शिक्षा के स्तर पर निर्भर करता है। शिक्षा कैसी मिलती हैं - यह शिक्षकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है तथा शिक्षकों की गुणवत्ता शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम पर निर्भर करती है। भारत में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम समय के साथ काफी बदला स्वरूप है, वह पहले के स्वरूप से काफी भिन्न है।

स्वतंत्रता के पश्चात् शिक्षा के सभी स्तरों पर संस्थाओं में भारी वृद्धि हुई हैं, जिसके फलस्वरिवर्तनारूप भारी संख्या में शिक्षकों की आवश्यकता हुई। अत: शिक्षकों को प्रशिक्षिण देने हेतु कुछ नई संकल्पनाओं के बारे में सोचना पड़ा। बदलती हुई परिस्थितियों में शिक्षा के गुरूतर दायित्व को वहन करने हेतु, विभिन्न प्रकार के अभिकरण आगे आए। इनमें से कुछ प्रमुख राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय स्तर के अभिकरणों का यहाँ संक्षेप में वर्णन किया जा रहा है।

9.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (U.G.C)

विश्व में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली प्रणाली का संख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है।

किसी भी देश की सामाजिक व आर्थिक स्थिति वहाँ की शिक्षा प्रणाली पर निर्भर करती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनों की आवश्यकता अनुभव की गई।

इस संदर्भ में केन्द्रिय सरकार द्वारा 1953 में एक आदेश पारित कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई, जिसका मुख्य कार्य विभिन्न विश्वविद्यालयों को अनुदान देने करने के संदर्भ में सरकार को सलाह देना था। सन् 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विधिवत् स्थापना संसद में एक अधिनियम पास करके की गई।

1953 से वर्ष 2004 में महाविद्यालय की संख्या 565 से बढ़कर 15,600 तथा विश्वविद्यालयों की संख्या 25 से बढ़कर 311 हो गई है।

अमरीकी फर्म गोल्डमैन सैश के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोट के अनुसार लगभग 25 लाख विद्यार्थी विश्वविद्यालय स्नातक की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। महाविद्यालयों मे विद्यार्थियों की संख्या से प्रति वर्ष लगभग 5.5 प्रतिशत की दर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2003 में उच्च शिक्षा मे नामांकित ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों की संख्या क्रमश: 83,11,579 और 1,27,30,826 है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट (2003-2004) के अनुसार सन् 2008 तक भारतीय विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या 93 लाख से बढ़कर 1.1 करोड़ हो जाने की संभावना है।

17 से 24 वर्ष के आयु वर्ग के लगभग 7.2 प्रतिशत उच्च शिक्षा ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। परन्तु यह नामांकन दूसरे विकसित देशों की तुलना में बहुत कत है; अमेरिका व आस्ट्रेलिया में 80 प्रतिशत, कनाडा में 88 प्रतिशत, फिनलैण्ड में 74 प्रतिशत तथा इंग्लैण्ड में 52 प्रतिशत। अगले दो दशकों में भारत को विकसित देशों की श्रृंखला में लाने के लिए उच्च शिक्षा में नामांकित विद्यार्थियों की इस संख्या को सन् 2020 तक कम से कम 25 प्रतिशत तक बढ़ाना होगा।

9.2.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भाक्तियाँ व कार्य (Powers and Functions)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन, विभिन्न विश्वविद्यालयों को अनुदान देने तथा उनमें समन्वय स्थापित करने और उनके स्तर के मानक (Standards) तय करने हेतु किया गया था। यह संस्था केन्द्र तथा राज्य सरकारों एवं उच्च शिक्षा की संस्थाओं को जोड़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस अनुदान आयोग के एक्ट में इसके उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा गया कि आयोग विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षिक संगठनों से सलाह-मशविरा कर वह सभी आवश्यक कदम उठाएगा जो कि उच्च शिक्षा के विकास समन्वय, शिक्षण के स्तर को बनाये रखने तथा परीक्षा शोध के सुधार से होंगे। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पूर्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मुख्यत: निम्न कार्य करता है -

- शिक्षा के स्तर का मूल्यांकन करने हेतु तथा उसे सुधारने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों को निर्देश देना।
- केन्द्र तथा राज्यों सरकारों को विश्वविद्यालयीय शिक्षा को ऊँचा उठाने हेतु आवश्यक सलाह देना, जैसे किसी विशिष्ट या सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु विश्वविद्यालयों को अनुदान देना या
- विश्वविद्यालय में नए क्रियाकिलाप शुरू करने में सहायता देना।
- सलाह मांगने पर नये विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु अपनी राय देना तथा किसी भी विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय सहायता पाने के योग्य घोषित करना।
- शिक्षकों के चयन हेतु आवश्यक नियम, कानून बनाना, तथा उनके शिक्षण की शर्ते एवं न्यूनतम योग्यता आदि निर्धारित करना।
- कुछ विश्वविद्यालयों के समूह के लिए या सभी विश्वविद्यालयों के लिए कुछ विशिष्ट सुविधाएँ व सेवाएँ प्रदान करना।
- विद्यार्थियों सकें कितना शुल्क लिया जाए - इस संबंध में सलाह देना।

इस आयोग में कुल 12 सदस्य होते है तथा इसके अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सवैतनिक कार्यात्मक प्रधान होते है। इसकी नियुक्ति क्रमश: 5 वर्ष व 3 वर्ष की अवधि के लिए होती हैं।

अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस आयोग ने कई कार्यक्रम शुरू किए है इनमें से कुछ प्रमुख निम्न हैं

9.2.2 उच्च शिक्षा को वित्तीय सहायता (Financing of Higher Education)

कम्प्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, अभियांत्रिकी और व्यापार प्रबंधन जैसे प्रभावी पाठ्यक्रम जिसमें रोजगार अवसर बहुत हैं। सरकार द्वारा इन्हें बहुत ही कम मात्रा में वित्तीय सहायता दी जाती है और विद्यार्थियों को स्व-वित्त संस्थानों में स्वयं ही अपने खर्च का प्रबंधन करना होता है। पिछले कुछ वर्षो में सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की संख्या में काफी कमी आई है। किसी का भी ध्यान इस बात पर नहीं जा रहा है कि इस प्रकार की नीति से उच्च शिक्षा प्रणाली से शिक्षा की गुणवत्ता में अंतर आ रहा है। मुख्य कारण यह है कि उच्च शिक्षा प्रणाली से शिक्षा की गुणवत्ता में अंतर आ रहा है। मुख्य कारण यह है उच्च शिक्षण संस्थाएँ जानते हुए भी बजट में उच्च शिक्षा वित्त की कटौती की गुणवत्ता का ह्रास होता है, क्योंकि इस तरह की परिस्थितियों में शिक्षण संस्थाएँ स्वयं ही जिम्मेदारी होगी। उच्च शिक्षा महंगी ही नहीं है बल्कि इसमें प्रबंध सम्बन्धी परिवर्तनों की अति आवश्यकता है। खेद की बात यह है कि पुराने मापदण्ड पर इसकी गुणवत्ता को मापने का प्रयत्न किया जाता है जैसे कि एक वर्ष में कितने विद्यार्थियों ने डिग्री हासिल की। अमरीकी विश्वविद्यालयों मे यह एक साधारण सी समस्या है। भारतीय विश्वविद्यालयों में यह समस्या और गहरी है। सरकारी संस्थाओं में वित्तीय अपर्याप्त है। उच्च शिक्षण संस्थाओं का दायित्व बनता है कि वे मानवीय स्त्रोतों की योग्यता को बढ़ाएँ। अगर ज्ञान सम्बन्धी कार्यक्रमों को आयोजित किया जाए तो व्यक्ति के पूर्ण व्यक्तित्व को विकसित किया जा सकेगा। विस्तार सेवाओं के आयोजन से

विद्यार्थी समुदाय के संपर्क में आते हैं, इस प्रकार, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हुए विद्यार्थी अपनी निहित शक्ति को राष्ट्र निर्माण सम्बन्धी कार्यकलापों में लगा सकते हे।

विस्तार शिक्षा को उच्च शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए ताकि जीवन के हर क्षेत्र में समुदाय से संपर्क बनाया जा सके।

इस समय उच्च शिक्षा के कुल खर्च के 80 प्रतिशत खर्च की आपूर्ति सरकार द्वारा की जाती है। शुल्क के लगभग 7.5 प्रतिशत की पूर्ति होती है तथा शेष 12.5 प्रतिशत माग की पूर्ति दान से प्राप्त की जाती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्रीय सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा कुछ डीम्ड़ टु बी यूनिवरर्सिटीज (Deemed To Be Universities) को उनके विकास तथा स्तर बनाये रखने हेतु प्रदान करता है। राज्य स्तर के विश्वविद्यालयों का मेन्टीनेन्स खर्च का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। परन्तु राज्य के विश्वविद्यालय के विकास का खर्च राज्यों सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार (यू. जी. सी. के माध्यम से) दोनों द्वारा वहन किया जाता है।

9.2.3 मानको स्तरों का निर्धारण (Laying Down Standard)

उच्च शिक्षा में उच्च मानकों को बनाए रखने हेतु वि. वि. अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों हेतु नियम व दिशा निर्देश बनाता है। यह नियम व दिशा निर्देश मुख्यत: शिक्षकों के कार्यभार (Work Load) न्यूनतम संरचनात्मक सुविधाएं, नियुक्ति हेतु आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं, आदि से सम्बन्धित होते है। वर्तमान में यू. जी. सी. निम्न क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से कार्य कर रही है।

माडल गाइड लाइन्स का विकास (Development of Model Guide Line) उच्च शिक्षा में गुणवता बनाए रखने हेतु एक कार्य प्रणाली का विकास (Accreditation Mechanism for Assurance of Quality in Higher Education)

9.2.4 भौतिक सुविधाओं का विकास (Infra-Structural Development)

देश के कुल 278 विश्वविद्यालय में से यू. जी. सी. 125 विश्वविद्यालयों को विकास हेतु सहायता प्रदान कर रही है। आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त लगभग 400 महाविद्यालय भी अपने भवन निर्णय, उपकरणों पुस्तकों तथा संकाय सदस्यों के विकास हेतु इस संस्था से सहायता प्राप्त कर रहे है। अनुदान आयोग स्वयत्तशासी संस्थाओं को भी इस योजना के अन्तर्गत वित्तिय सहायता प्रदान करता है।

9.2.5 शिक्षक एवं शोध हेतु मानव संसाधन विकास (Human Resources Development for Teaching Research)

शिक्षक तथा शोधकर्ताओं को अपने विषय की अद्यतन जानकारियों से परिचित कराने हेतु तथा उनकी व्यवसायिक दक्षता को ऊँचा उठाने हेतु, यु. जी. सी. कई कार्यक्रम चलाती है। इनमें से कुछ प्रमुख कार्यक्रम निम्न है -

9.2.5.1 राष्ट्रीय शैक्षिक परीक्षण (National Educational Testing)

उच्च शिक्षा में शिक्षण एवं शोध के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले नव अभ्यार्थियों हेतु न्यूनतम मानक (Minimum Standard) तय करने के लिए यू. जी. सी. राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष में दो बार प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। इनमें सफल अभ्यार्थियों को आयोग द्वारा कनिष्ठ शोध छात्रवृति (J.R.F) प्रदान की जाती है, तथा उच्च शिक्षा के प्रवक्ता पद हेतु ऐसे अभ्यार्थी आवेदन भी कर सकते हैं।

9.2.5.2 रिसर्च एसोसिएटशिप (Research Associatieship)

पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च (Post Doctoral Research) हेतु यू. जी. सी. प्रतिवर्ष लगभग 150 विशेष योग्य शिक्षकों को रिसर्च एसोसिएट शिप देती है।

इसके अलावा, विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में मानव संसाधन के विकास हेतु यू. जी. सी. कई अन्य कार्यक्रम भी चलाती है - नेशनल एसोसिएटशिप, टीचर फेलोशिफ, ट्रेवेल ग्राण्ट, कैरियर एवार्ड, ओरिएन्टेशन तथा रिफ्रेशर कोर्स आदि।

9.2.5.3 कण्ट्रीवाइड क्लास रूम (Country Wide Classroom)

इस कार्यक्रम का प्रारम्म दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारण के साथ अगस्त 1984 में हुआ। संचार के क्षेत्र में दिन दूनी चार चौगुनी होती प्रगति (Inset 2B,C and D) से ऐसे कार्यक्रमों की समयावधि तथा सफलता दोनों के बढ़ने का निश्चित संभावना हैं।

9.2.5.4 शोध हेतु सहायता (Support for Research)

अच्छे शोध हेतु अनुदान आयोग द्वारा कई कार्यक्रम शुरू किए गये है। इनमें से प्रमुख हैं-

(अ) विशिष्ट सहायता कार्यक्रम (Special Assistance Programme)

(ब) COSIST

(स) बड़ी तथा छोटी शोध परियोजनाएं (Major and Minor Research Project

(द) प्रसार सेवाएं

(अ) विशिष्ट सहायता कार्यक्रम

इस योजना के तहत अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों के कुछ चुने हुए विज्ञान तथा तकनीकी, मानविकी तथा सामाजिक ज्ञान के विभागों को विशिष्ट शोध करने हेतु सहायता प्रदान करता है। इस समय यू. जी. सी. ऐसे 356 विभागों को इस संबंध में सहायता दे रही है इसमें एक परियोजना हेतु सहायता की राशि 15 से 50 लाख रू तक तथा इसकी अवधि 3 से 5 वर्ष के लिए होती है।

(ब) बडी तथा छोटी परियोजनाएं (Major and Minor Research Projects)

संस्थाओं विभागों को सहायता देने के अतिरिक्त आयोग शिक्षकों को शोध हेतु प्रोत्साहित करने हेतु व्यक्तिगत रूप में भी सहायता करता है। आयोग प्रतिवर्ष लगभग

300 मेजर प्रोजेक्ट्स तथा 2000 माइनर प्रोजेक्ट हेतु सहायता राशि तक लाख से तीन लाख रू तक छोटे प्रोजेक्ट्स हेतु 25000 रू तक की सहायता मिलती हैं।

(स) COSIST

एक योजना के अंर्तगत आयोग विश्वविद्यालयों के कुछ चुने हुए विज्ञान तथा तकनीकी विभागों को अति उत्तम तथा महँगे उपकरण खरीदने हेतु सहायता प्रदत करती है। इनमें एक परियोजना की अवधि लगभग 5 वर्ष तथा सहायता राशि लगभग पचास हजार रूपये तक हो सकती हैं।

(द) प्रसार सेवाएं विश्वविद्यालयों को समुदाय के और अधिक निकट लाने के लिए आयोग ने शिक्षण तथा शोध के अलावा प्रसार क्रियाओं को विश्वविद्यालयों हेतु अति महत्वपूर्ण माना है। इस संदर्भ में आयोग विश्वविद्यालयों को प्रौढ़ एवं अनवरत शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा आदि के लिए विशिष्ट सहायता देते हैं।

9.2.6 शिक्षक शिक्षा हेतु पैनेल (Teacher Education Panel)

विभिन्न विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षा विभागों के शिक्षण/ प्रशिक्षण एवं शोधों का स्तर उठाने के लिए सलाह देने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक पेनल का गठन किया गया है। यदि कोई या अध्ययन शिक्षक शिक्षा में प्रभावी सुधार हेतु किया जाता है। तो पैनेल ऐसी परियोजना की सहायता हेतु संस्तुति प्रदान करता है।

प्रगति का स्वमूल्यांकन

अब तक आपने क्या सीखा इसका मूल्यांकन आप स्वंय निम्न प्रश्नों का उत्तर देकर कीजिए-

(1) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किस वर्ष में संसद के एक्ट द्वारा किया गया है।

2 यू. जी. सी. के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है।

3 नेट परीक्षा (National Education Testing) का सुनिश्चित करता है कि

4 अपने देश में ' 'कण्ट्रीवाईड क्लासरूम ' कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डाले।

5 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रमुख कार्यो का वर्णन करें।

9.3 शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय परिषद (NCERT)

इस शायत्तशासी संस्था की स्थापना 1 सितम्बर 1961 को सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट (1860) के तहत हुई

9.3.1 भूमिका तथा कार्य (Role and Function of NCERT) एन. सी. ई. आर. टी. मुख्यत: विद्यालयी शिक्षा से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू करने में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सलाहकार के रूप में कार्य करती है। इस संस्था के समस्त व्यय का वहन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

विद्यालयी शिक्षा तथा शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना एन. सी. ई. आर. टी. का प्रमुख लक्ष्य है। विद्यालयी शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा के संबंध में सुधार हेतु यह संस्था मुख्यत: निम्न प्रकार के प्रयास करती हे-

शिक्षक शिक्षा तथा विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में शोध हेतु सहायता देना, शोध को बढ़ावा देना, आदि।

विशिष्ट अग्रिम स्तर (Advanced Level) पर सेवारत तथा सेवापूर्व शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

नई शैक्षिक प्रविधियों, अभ्यासों तथा नवाचारों के संबंध में अभ्यास व विकास करना।

संबंधित शैक्षिक सूचनाओं को एकत्रित करना, मिलाना तथा विश्लेषण कर इनका प्रसार करना। यूनेस्को, युनिसेफ (युनिसेफ,UNDP,UNDP,UNFPA) आदि जैसी अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं तथा दूसरे देशों की राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग स्थापित करना।

एन. सी. टी. ई. (NCTE) एम. डी. जी. (National Development Groups) ए.पी. ई. आई. डी.

(Aisa Pracific Programme of Education Innovation) तथा यूनेस्को आदि के लिए अकादमिक सचिवालय (Academic Secretariate) के रूप में सेवाएं देना।

9.3.2 अध्यापक शिक्षा तथा विशिष्ट शिक्षा का विभाग

बच्चों की आवश्यकताओं में विभिन्नता होती है। उन विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक बच्चे के अंदर, गृह सम्बन्धी या विद्यालय हो सकते हे। पिछले दशकों में विशिष्ट शिक्षा की अपेक्षा की जाती रही है। अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम में विशिष्ट शिक्षा को ध्यान में रखकर ही हम "सबके लिए शिक्षा" का उद्देश्य पूरा कर सकते हैं।

तालिका 1. अक्षम बच्चों की अनुमानित जनसंख्या (लाखों में)

अयोग्यता	आयु वर्ग	1986	2001
पूर्ण जनसंख्या	0-4	1053	1031
	5-15	1830	2039
दृश्य	0-4	.38	37
	5-15	1.28	-1.42
श्रव्य	0-4	3.11	305
	5-15	5.41	6.03
वाकृ	0-4	4.36	4.26
	5-15	757	8.42
लोकोमोटर	0-4	4.80	470
	5-15	12.55	13.98
मानसिक विकलांगता	0-4	1053	1031
	5-15	18.30	20.39

योग	0-4	23.30	22.69
	5-15	46.11	50.24

तालिका से ज्ञात होता है कि अयोग्यता क्षेत्र बदलते रहते है। नियोजकों के सामने यह एक बड़ी चुनौती है। विशिष्ट शिक्षा का प्रावधान ही इस समस्या का हल है।

पिछले दशकों की तुलना में अध्यापक शिक्षा विभाग ने अपने प्रयत्नों से विशिष्ट शिक्षा के पाठ्यक्रम चलाए हैं। पर अध्यापक/विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया वांछनीय नहीं है। अभी भी सामान्य शिक्षा की तरफ ही झुकाव अधिक है।

अली यावर युग राष्ट्रीय संस्थान श्रव्य-दृश्य व मानसिक विकलांगता सम्बन्धी पाठ्यक्रम अध्यापकों के लिए आयोजित करता है। बहुत सारे गैर-सरकारी संगठन इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्न स्थानों पर विशिष्ट शिक्षा विभाग खोले है एन.सी.डी.टी. विश्वविद्यालय, मुम्बई, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली, कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र, आंध्र विश्वविद्यालय, वारंगल, एम.एस. विश्वविद्यालय, बडौदरा महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम, केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम, तिलक शिक्षण महाविद्यालय, पूना, श्रीराम कृष्ण मिशन शिक्षण महाविद्यालय कोयम्बटूर, टी. एस. अविनाशलिंगम शिक्षण महाविद्यालय कोयम्बटूर। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों .(DIRTs) में भी विशिष्ट शिक्षा का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् कि अन्तर्गत क्षेत्रीय शिक्षण महाविद्यालय भी बहुवर्गीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं

बदलते हुए परिवेश में सेवा-पूर्व और सेवारत अध्यापकों को विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए अध्यापक शिक्षा विभाग प्रयत्नशील हैं।

9.3.3 परिषद् की संलग्न इकाइयाँ (Constituent Units of the Council) एन. सी. ई. आर. टी. से सम्बन्धित इकाइयाँ निम्न है।

शिक्षा का राष्ट्रीय संस्थान - नई दिल्ली (National Institute of Education-New Delhi)

शिक्षा की क्षेत्रीय सेवाएं (Regional Institutes of Education)

शैक्षिक तकनीकी का केन्द्रीय संस्थान - नई दिल्ली (CIET)

शिक्षा के व्यवसायीकरण का केन्द्रीय संस्थान, भोपाल (CIET)(Central Institute of Vocationalisation of Education)

नेशलन इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन - नई दिल्ली (NIE) में 12 विभाग हैं -

- सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी शिक्षा का विभाग,
- विज्ञान तथा गणित शिक्षा का विभाग,
- शिक्षा मनोविज्ञान, निर्देशन तथा परामर्श का विभाग,
- क्षेत्र तथा प्रसार सेवाओं का विमन (Field & Extension services)

- मापन, मूल्यांकन, सर्वेक्षण तथा दत्त विश्लेषण का विभाग,
- अनौपचारिक शिक्षा, तथा अनुसूचित जाति / जन जाति शिक्षा का विभाग,
- पूर्व विद्यालयी तथा प्राथमिक शिक्षा का विभाग,
- शिक्षक शिक्षा तथा विशिष्ट शिक्षा का विभाग
- महिला अध्ययन का विभाग
- प्रकाशन विभाग,
- पुस्तकालय ग्रंथीकरण एवं सूचना का विभाग,

शिक्षा के क्षेत्रीय संस्थानों (RIF) तथा शिखक शिक्षा विभाग के कार्यो का संक्षेप में वर्णन निम्न हैं।

शिक्षा के क्षेत्रीय संस्थान (Regional Institutes of Education)

यह क्षेत्रीय संस्थान अजमेर, भोपाल, मैसूर तथा भुवनेश्वर, में स्थापित किए गये हैं जो कि शिक्षकों हेतु सेवा पूर्व तथा उनके सेवाकाल में प्रशिक्षण की व्याख्या करते हैं। देश में केवल ये क्षेत्रीय संस्थान ही चार वर्षीय समन्वित बी. एड. कार्यक्रम चलाते हैं बी. एस. सी. एड. बी. ए. एड. पाठ्यक्रम भी चलते है। (एक वर्षीय) पाठ्यक्रम को पिछले कुछ समय के लिए बन्द कर दिया गया है। इन क्षेत्रीय संस्थाओं के मुख्य उद्देश्य निम्न है -

शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण विशिष्ट उत्तमता (Excel lence) प्राप्त करना।

अपने क्षेत्र. के प्रशिक्षण संस्थाओं को प्रसार सुविधाएं (Extention Services) प्रदान करना क्षेत्र के विद्यालयी शिक्षा तथा विकास हेतु चलाएं जाने वाले कार्यक्रमों में गम्भीरता से स्वंय को समाहित करना।

शिक्षक शिक्षा तथा विशिष्ट शिक्षा का विभाग (Dept-of Teacher Education and Sperial Education)

इस विभाग का मुख्य कार्य शिक्षा के विभिन्न स्तरों हेतु दिए जाने वाले प्रशिक्षण (Pre Service Training) कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार करना है, पाठ्य तथा अनुदेशन सामग्री विकसित करता है तथा प्राथमिक व माध्यमिक सेवारत शिक्षकों हेतु कार्यक्रम आयोजित करता है।

इस विभाग ने माध्यमिक शिक्षा तक के सभी स्तरों तथा महाविद्यालय स्तर के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के पाठ्यक्रम को 1978 में संशोधित किया था। सन् 1991 में पुन: विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में होते परिवर्तनों, शिक्षण तंत्र में हुई प्रगति तथा अध्यापक बदलती हुई भूमिका के संदर्भ में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम में सुधार किए। यह विभाग विद्यालयी सेवारत शिक्षकों हेतु सूक्ष्म शिक्षण मॉडल ऑफ टीचिंग आदि के प्रशिक्षण के लिए भी कार्यक्रम आयोजित करता है। इसके अलावा वह विभाग विशिष्ट शिक्षा के लिए भी काफी कार्य कर रहा है। विकलता बच्चों की शिक्षा हेतु इस विभाग द्वारा कई पाठ्यक्रम विकसित किए गये हैं।

9.4 शिक्षक शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् (National Council for Teacher Education- NCTE)

देश की शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में व्याप्त कमियों को सुधारने हेतु तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मई 1973 में एन. सी. टी. ई. की स्थापना की गई थी। इस संस्था के मुख्य कार्य निम्न हैं-

- भारत सरकार को शिक्षक शिक्षा से संबंधित सभी पहलुओं (सेवापूर्व, सेवारत प्रशिक्षण,
- मूल्यांकन, पाठ्यक्रम आदि) के संबंध में सलाह देना।
- राज्य सरकारों द्वारा शिक्षक शिक्षा से सम्बन्धित किसी भी विषय को परिषद को सौंपे जाने
- पर, उस विषय पर सलाह देना।
- शिक्षक शिक्षा से संबंधित केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा चलायी जाने वाली योजनाओं तथा उनकी प्रगति का पुनरावलोकन (Review) करना।
- शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु उचित मानक (Standard) स्थापित करने के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार की सहायता देना।
- केन्द्रीय सरकार द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यो को भी देखना।
- शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों / विभागों को सुचारू रूप से चलाने तथा गुणवत्ता बनाए रखने हेतु उचित कदम उठाना।

  एन. सी. टी. ई. ने अपने प्रकार्यों को चलाने हेतु विभिन्न समितियाँ बनाई है। इनमें से प्रमुख निम्न हैं-
- स्टीयरिंग कमेटी
- पूर्व विद्यालयी तथा प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षा हेतु कमेटी।
- माध्यमिक तथा महाविद्यालयी शिक्षा हेतु कमेटी।
- शिक्षकों की विशिष्ट शिक्षा हेतु कमेटी।

एन. सी. ई. आर. टी. का शिक्षक शिक्षा विभाग इस परिषद के लिए अकादमिक सचिवालय का कार्य करता है। पिछले 24 वर्षो से इस परिषद द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं इनमें से प्रमुख निम्न हैं -

(अ) मानकों का विकास (Development of Norms) इस परिषद द्वारा पूर्व विद्यालयी प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने हेतु दिशा निर्देश बनाए गये हैं।

(ब) शिक्षक शिक्षा हेतु बोर्ड की स्थापना (Setting up of Boards of Teacher Education) एन. सी. टी. ई. के प्रयासों के कारण ही लगभग 15 राज्यों में शिक्षक शिक्षा हेतु परिषदों (Boards) का गठन किया गया है. तथा 8 अन्य राज्य यह परिषदें गठित करने की प्रक्रिया कर चुके हैं। कुछ राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों ने विभिन्न कारणों से इस प्रकार की परिषदों के गठन में अपनी असमर्थता भी प्रकट की है।

(स) शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम में संशोधन (Revision of Curriculam for teacher Education Programme) पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के शिक्षक प्रशिक्षक के पाठ्यक्रम में उचित संशोधन हेतु एन. सी. सी. ई. टी. द्वारा 1978 में ' शिक्षक शिक्षा का पाठ्यक्रम - एक खाका" (Teacher Education Curriculum-A Frame Work) नामक नीति प्रपत्र (Policy Document) बनाया गया था। विद्यालयी पाठ्यक्रमों तथा शिक्षण तंत्र में होते हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए 1996 में पुन: नीति प्रपत्र (Teacher Education Curriculum-A Frame Work) तैयार किया गया, जिस पर देश भी देश भी में शिक्षा -शास्त्रियों में मध्य उचित संशोधन हेतु अभी बहस जारी है।

(द) महाविद्यालयीन शिक्षकों हेतु कार्यक्रम (Programme For College) महाविद्यालयीन शिक्षकों हेतु एन. सी. टी. ई. ने 1978 में एक कार्यक्रम बनाया था जिसके अन्तर्गत नव नियुक्ति शिक्षकों हेतु सत्र (Two Semesters), नए शिक्षकों हेतु जिन्होंने लगभग पीच वर्ष नौकरी कर ली हो एक पत्र तथा पाँच वर्ष से अधिक नौकरी वाले शिक्षकों हेतु 6 मास के प्रशिक्षण की संस्तुति की थी।

अब से कुछ समय पूर्व तक इस परिषद (NCTE) की भूमिका केवल सलाह देने तक सीमित थी, अत: इसका प्रभाव देश की शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था पर नाम मात्र का था। संसद द्वारा इस परिषद् को स्टेटचुरी बाडी (1953) बनाने के पश्चात् अब इस संस्था की संस्तुतियां नियम सी बनती जा रही हैं - तथा देश की शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था पर इसका प्रभाव स्पष्टत: दिखाई दे रहा है। संसद द्वारा इस परिषद के संबंध में पास किये गये बिल 1993 के परिप्रेक्ष्य अब एन. सी. टी. ई. के मुख्य कार्य निम्न है।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्य - संसद द्वारा पारित नये अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को शिक्षित शिक्षा के संबंध में योजनाएं तैयार करने, उनका विकास करने, विभिन्न योजनाओं में समन्वय करने तथा शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता के संबंध में मानक तय करने तथा उनका पालन करवाने के संबंध में उचित कदम उठाने चाहिए। उक्त उद्देश्य पूर्ति हेतु यह परिषद

(अ) शिक्षक शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में सर्वेक्षण करती है, तथा दत्त विश्लेषकर उनके परिणाम प्रकाशित करती है

देश में शिक्षक शिक्षा की स्थिति को उनके विकास हेतु समन्विय (Coordinate) तथा अवलोकित (Monitor) करती है।

शिक्षक शिक्षा के संबंध में उचित कार्यक्रम बनाने हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकारों यू. जी. सी., विश्वविद्यालयों तथा अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं हेतु संस्तुतियाँ (Recommendations) करती हैं।

विद्यालयी या मान्यता प्राप्त संस्था में नियुक्त होने वाले शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यताएं तय करने हेतु दिशा निर्देश बनाती हैं।

शिक्षक शिक्षा से संबंधित चलने वाले अन्य विशिष्ट पाठ्यक्रमों के संदर्भ में भी प्रवेश की शर्ते, अवधि शिक्षण प्रक्रिया, विषय वस्तु आदि का निर्धारण करती है।

विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा शिखक शिक्षा सं संबंधित नये पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु भौतिक व संरचनात्मक सुविधा, संकाय सदस्यों की संख्या तथा उनकी योग्यता आदि का निवारण करती है।

शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रमों में प्रवेश, प्रवेश परीखा तथा प्रवेश परीक्षा की विषय वस्तु के संदर्भ में अपनी राय देती है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु संस्थाओं द्वारा लिए जाने वाले शुल्क का निर्धारण करती है।

शिक्षक शिक्षा की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं के संदर्भ में शोध व परीक्षणों को करवाएगी तथा उसके परिणामों से लोगो को अवगत करायगी।

यह तय करेगी की उसके द्वारा दिए गये दिषा निर्देशों का मानकों का संस्थाएं पालन कर रही है या नहीं। इस हेतु परिषद समय समय पर वस्तुस्थिति का जायजा लेने हेतु उचित मूल्यांकन प्रक्रिया विकसित करेंगी तथा संबंधित संस्थाओं को उचित सलाह व दिशा निर्देश देगी।

शिक्षक तिशक्षा हेतु, नई योजनाएं बनाएगी तथा इसके क्रियान्वयन हेतु संस्थाओं की पहचान करेगी व नई संस्थाएं खोलेगी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा सौपी गई अन्य जिम्मेदारियों को भी वहन करेगी।

(ब) इन उत्तरदायित्व के अलावा यह परिषद यह देखने हेतु कि उसके द्वारा दिए गये नियमों, निर्देशों के अनुसार संस्था कार्य कर रही हैं या नहीं यह किसी भी प्रशिक्षण संस्था का निरीक्षण कर सकती

(स) प्रत्येक संस्था जो कि शिक्षक प्रशिक्षक से संबंधित कोई नया पाठ्यक्रम चला रही है या शुरू करना चाहती है उसे इस परिषद से मान्यता लेनी होगी।

(द) जब कोई मान्यता प्राप्त संस्था शिक्षक प्रशिक्षक से संबंधित कोई नया पाठ्यक्रम शुरू करना चाहती है तो उसे अपने क्षेत्र की क्षेत्रीय समिति / निदेशक के पास मान्यता हेतु आवेदन करना होगा, जिस पर एन. सी. ई. टी. का क्षेत्रीय कार्यालय विचार कर मान्यता देगा।

(य) यदि क्षेत्रीय समिति को किसी प्रकार से यहज प्रमाणित सूचना मिलती है कि कोई संस्था द्वारा लागू किये गये नियमों का उल्लंघन कर रही है, तो जाँच के पश्चात् कारणों को यह समिति लिखित में उस संस्था को सूचित करेगी तथा यदि उचित समय में सुधार नहीं किया गया तो उस संस्था को उचित समय दिया जाएगा ताकि वह यदि चाहे तो परिषद के आदेश के विरूद्ध रिप्रजेन्टेशन (Representation) दे सकें।

(र) एन. सी. टी. ई. उसके क्षेत्रीय कार्यालयों के किसी आदेश के विरूद्ध निश्चित सीमा के अन्तर्गत पीड़ित व्यक्ति या संस्था एन. सी. टी. ई. में भी अपील कर सकता है।

सारांश में कहा जा सकता है शिक्षक के मानदण्डों (Standards) में सुधार लाने हेतु, तथा उन्हें बनाए रचाते हुए इस परिषद को स्टेटचुरी पार्वस (Statutory Powers) संसद द्वारा एक्ट से दिए गए हैं आशा हैं कि इन शक्तियों से युक्त होकर परिषद शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु मरनक (Norms) तथा दिशा निर्देश बना सकेंगी, नवचारों का बढ़ावा दें सकेगी तथा शिक्षकों को अनवरत शिक्षा हेतु किसी उपयुक्त प्रबन्ध तंत्र की व्यवस्था कर सकेगी। यह

एक्ट शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु परिषद को यह अधिक भी देता है कि वह शिक्षक शिक्षा के खराब पाठ्यक्रमों व खराब संस्थाओं को समाप्त कर सकें।

स्व मूल्यांकन

1 एन. सी. ई. आर. टी. का शिक्षण शिक्षा के क्षेत्र में योगदान समझाइये।

2 एन. सी. टी. ई. के कार्यो पर प्रकाश डाले।

9.5 सामाजिक विज्ञानों में शोध हेतु भारतीय परिषद(Indian Council of Social Science Research - ICSSR)

इस स्वायत्तशासी परिषद की स्थापना केन्द्रीय सरकार द्वारा 1 अगस्त 1969 को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने हेतु की गई थी। इस परिषद की स्थापना की मूल संकल्पना वह थी कि नियोजित राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रमों को चलाने में सामाजिक विज्ञान के शोधों के परिणाम काफी महत्वपूर्ण होते हैं। संक्षेप में इस परिषद के मुख्य कार्य निम्न हैं -

(अ) सामाजिक विज्ञान व उसके शोधों की प्रगति को पूनरावलोकित (Review) करना तथा इसके परिणामों काफी इसके परिणामों के प्रयोग के सम्बन्ध व सरकार व अन्य संस्थाओं को सलाह देना।

(ब) सामाजिक विज्ञान शोध के कार्यक्रमों (Programmes) तथा शोध परियोजनाओं को वित्तिय सहायता उपलब्ध करवाना, इस संबंध में व्यक्तियों (Individuals) संस्थाओं, एसोसिएशन तथा उपयुक्त जर्नल्स को भी गुणात्मक कार्य करने हेतु सहायता देना।

(स) व्यक्तियों तथा संस्थाओं को सामाजिक विज्ञान से संबंधित शोध कार्यक्रमों / प्रयोजनाओं का निर्माण करने (Formulation) तथा डिजाईन करने हेतु वित्तिय सहायता देना तथा शोध विधि तंत्र (Research Methodology) में दक्षता हासिल करने हेतु संबंधित संस्थाओं को सहायता देना।

(द) समय-समय पर उन क्षेत्रों प्रकरणों की और इशारा करना, जिस पर शोध करने की अधिक आवश्यकता है तथा कम ध्यान दिए गये क्षेत्रों / प्रकरणों की और शोध करने को अभिप्रेरित करना।

(य) सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न शोध क्रियाओं में समन्वय करना तथा अन्तविषयक शोधों को बढ़ावा देना।

(र) आँकडों के ग्रंथीकरण, सामाजिक विज्ञान की नई शोधों की सूची तथा सामाजिक वैज्ञानिकों राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने हेतु केन्द्रों की स्थापना तथा उन्हें सहायता देना।

(ल) सामाजिक विज्ञान के शोधों को बढ़ावा देने हेतु सेमिनार, कान्फ्रेंस आदि आयोजित करना तथा उन्हें वित्तीय सहायता देना।

(व) प्रकाशन हेतु सहायता देना।

(स) सामाजिक विज्ञानों में शोध हेतु छात्रों शिक्षकों आदि को छात्रवृति, फेलोशिप देना सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने हेतु योग्य व्यक्तियों को सेमिनार, फेलोसिप प्रदान करना ताकि वे अपना विशिष्टता के क्षेत्र निश्चित समय के लिए पूर्वकालिक शोध कर सकें।

(घ) समय-समय पर भारत सरकार द्वारा सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं के सम्बन्ध में परिषद से राय मांगे जाने पर, अपनी राय देना। विदेशी अभिकरणों (Foreign Agencies) के साथ सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में किस तरह सहयोग किया जाए - इस पर भी ध्यान देना।

(श) देश में सामाजिक विज्ञान शोध को बढ़ावा देने तथा उसके परिणामों के प्रसार हेतु एवं लाभ उठाने हेतु अन्य आवश्यक कदम उठना आदि।

9.5 शिक्षा में अग्रिम अध्ययन केंद्र (Centre of Advanced Studies in Education CASE)

विश्व के विभिन्न देशों में शिक्षक शिक्षा के स्तर को उठाने हेतु विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे है। भारत में भी इस दिशा में नये प्रयास किए जा रहे है जिनमें से एक प्रमुख प्रयास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशन में एम. एस. विश्वविद्यालय बड़ौदा में शिक्षा में अग्रिम अध्ययन केन्द्र (CASE) की स्थापना है।

अपने प्रारम्भिक काल से ही इस केन्द्र ने शाध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं इस केन्द्र के संक्षेप में प्रमुख कार्य निम्न हैं -

सामुहित शोधों (Co-oprative Research) को बढ़ावा देना।

प्रकाशन करना जिसमें शिक्षकों तथा शैक्षिक प्रशासकों व योजना कर्ताओं को उचित जानकारी मिल सके।

केन्द्र पर शोध हेतु प्रतिवर्ष प्रतिभाशाली व्यक्तियों का चयन कर उन्हें छात्रवृति देना।

सामाजिक विकास हेतु विभिन्न शोध परियोजनाओं तथा क्रियाओं को बढ़ावा देना।

अपने विषय के शिक्षकों की जिला, प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर पर एसोसियेशन बनाने हेतु, राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाना।

शिक्षक शिक्षा तथा विद्यालयी शिक्षा की समस्याओं के संबंध में विशिष्ट कार्य हेतु अभी तक एक केस (Case) की बड़ोदा में स्थापना की गई थी। परन्तु अभी कुछ समय पहले शिखक शिक्षा को पुन: संरचित तथा पुन: संगठित करने हेतु केन्द्रीय सरकार की सहायता से 50 lase(Institute of Advance Studies in Education) की स्थापना किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इन 50 संस्थाओं में से लगभग आधी संख्याओं की स्थापना विभिन्न प्रदेशों में हो चुकी है तथा शेष की स्थापक आठवीं पंचवर्षीय योजना में हो जाएगी। इन संस्थाओं के मुख्य कार्य निम्न है।

- अपने प्रभावित क्षेत्र (Catchment Area) के माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को सेवारत प्रशिक्षण प्रदान करना।

- डाइट के संकाय सदस्यों को संवारत प्रशिक्षण प्रदान करना।
- शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु शोध को बढ़ावा देना।
- उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयी शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का अध्ययन करना।
- माध्यमिक स्तर के शिक्षकों हेतु पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

9.6 यूनेस्को (United Nations Educational Scientific &Cultural Organisation)

(क) कानूनी रूप से यह संगठन 4 नवम्बर 1946 को अस्तित्व में आया जब बीस देशों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर लन्दन कान्फ्रेस की संस्तुतियों के आधार पर इसके संविधान को स्वीकार किया। इससे पूरा यूनेस्को संयुका संघ का एक विशिष्ट अभिकरण (Specialised Agency) हुआ करता था। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की घटनाएं व प्रेरणाएं ही इस संस्था के अस्तित्व के लिए जिम्मेदार थी। इस संगठन का मुख्यालय पेरिस में हैं।

यूनेस्को के उद्देश्य का कार्य

जब संस्था का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, न्याय, कानून का राज्य (Rule of law) मानव अधिकार, मूलासअधिकार आदि के प्रति सभी लोगो में आदर (Universal Respect) की भावना का विकास कर विश्व में दया सुरक्षा को बढ़ावा देना है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार संसार के लोगो में प्रजाति, लिंग, भाषा तथा धर्म के आधार पर विभेदीकरण को समाप्त करना है।

इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु यह संस्था निम्न तरह से कार्य करती है -

विश्व भर के लोगो के समझने तथा उनके ज्ञान का प्रसार करने हेतु संसार के सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग करते है इस प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय समझौते की संस्तुति करना, जिससे पूरे संसार में संबंधित विचारों का बिना किसी रोक टोक के प्रवाह हो सके।

शिक्षा (General Education) तथा संस्कृति के विकास हेतु अपने सदस्यों के सहयोग से विकास करना। संसार के विभिन्न देशों के मध्य शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु सहयोग करना जिससे शैक्षिक अवसरों में प्रजाति, लिंग या किसी सामाजिक या आर्थिक आधार पर भिन्नता न की जा सके ऐसी शैक्षिक विधियों का विकास करना जो बालकों में स्वतंत्रता का उत्तरदायित्व वहन करने हेतु तैयार कर सके।

ज्ञान को संरक्षित, संवर्धित तथा प्रसारित करने हेतु प्रयास करना इसके लिए यूनेस्को पुरानी / नई महत्वपूर्ण पुस्तकों, ऐतिहासिक इमारतों, तथ्यों तथा विज्ञान से संबंधित तत्वों को संरक्षित करता है तथा उनकी रक्षा हेतु विभिन्न देशों में आपसी सहयोग करता है। ज्ञान के प्रचार व प्रसार हेतु यूनेस्को विद्वानों को एक दूसरे देश की यात्रा कर कार्य करने, प्रकाशकों को विभिन्न देशों में पहुंचाने आदि की व्यवस्था करता है।

अपने संगठन के सदस्य देशों की स्वतंत्रता, एकता तथा सांस्कृतिक एवं शैक्षिक व्यवस्था को बनाये रखने हेतु यूनेस्को मुख्यत:सदस्यों देशों के घरेलू मामलों में दखल नहीं देता हैं।

9.6.1 सदस्यता

संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य यूनेस्को के सदस्य होने के अधिकारी होते है। परन्तु अब सयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई प्रमुख देश इस संगठन के सदस्य नहीं है।

9.6.2 यूनेस्को के अंग - यूनेस्को के मुख्य अंग निम्न हैं -

जनरल कान्फ्रेंस (general Conference)

प्रशासकीय परिषद (Executive Board)

सचिवालय (Secretariat)

जनरल कान्फ्रेंस संगठन के कार्य के लिए नीतियों तथा दिशा निर्देश तैयार करता है। प्रशासकीय परिषद जनरल कान्फ्रेंस हेतु एजेण्डा तैयार करती है, संगठन के कार्यो तथा कार्यक्रमों का परीक्षण करती है तथा खर्च हेतु बजट तैयार करती है।

अपने सदस्य देशों में विद्यालयी शिक्ष तथा शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु यूनेस्को द्वारा कई महत्वपूर्ण शोध / अध्ययन करवाये हैं। विभिन्न शैक्षिक क्षेत्रों में विशेषज्ञों (Experts) की सेवाएं भी यूनेस्को अपने सदस्य देशों को उपलब्ध कराता है।

9.7 समाहार

आपने इस इकाई में पढ़ा की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करने हेतु राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय स्तर पर कई अभिकरणों का जन्म हुआ। अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, न्याय, मूल अधिकार सभी के प्रति आधार आदि की भावना का विकास करने हेतु यदि यूनेस्को सन्त प्रसारत हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर यू. जी. सी., एन. सी. आर. टी. आई. सी.एस.एस. आदि अभिकरणों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हैं, जिनके बारे में जानकारी प्राप्त कर इनके द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं से आप भी लाभ उठा सकते हैं।

स्व स्वमूल्यांकन

1 ICSSR के मुख्य कार्य क्या हैं?

2 CASE की स्थापना किन उद्देश्यों को ध्यान में रख कर की गई ?

3 IASEs से आप की क्या अपेक्षाएं हैं।

9.8 संदर्भ ग्रंथ

1 MHRD(1992) The National Council for Teacher Education Bill

2 MHRD(1992)The National Council Education Curriculum Guidelines and Syllabi-New Delhi.

3 Sing L.C.(1990)Teacher Education India- Are source Book-New - NCERT.

4 UNESCU(1973) Looking at UNESC

इकाई 10

शिक्षक शिक्षा के राज्य स्तरीय अभिकरण

इकाई की संरचना

10.0 उद्देश्य एवं लक्ष्य
10.1 शिक्षक शिक्षा के अभिकरण
10.2 शिक्षा की राज्य स्तरीय संस्थान 7 शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण की राज्य स्तरीय परिषद
10.3 शिक्षक शिक्षा की राज्य स्तरीय परिषदें
10.4 विश्व विद्यालयी में शिक्षा विभाग
10.5 शिक्षकों हेतु अनवरत शिक्षा के विभाग
10.6 शिक्षकों हेतु अनवरत शिक्षा के केन्द्र
17.7 संदर्भ ग्रंथ

10.0 उद्देश्य एवं लक्ष्य

इस इकाई की समाप्ति के पश्चात आप इस योग्य होने चाहिए कि -

- शिक्षक शिक्षा के अभिकरणों को परिभाषित कर सकें।
- शिक्षक शिक्षा के राज्य स्तरीय अभिकरणों के कार्यो का वर्णन कर सकें।
- इन अभिकरणों के सेवारत व सेवापूर्ण शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रमों में अंतर कर सकें।
- शिक्षक शिक्षा के राज्य स्तरीय अभिकरणों में सुधार दे सकें।

10.1 व शिक्षक शिक्षा के अभिकरण (Agencies of Teacher Education)

जो संस्था सेवापूर्ण शिक्षकों को सेवारत शिक्षकों को या शिक्षा शास्त्रियों के शिक्षण / प्रशिक्षण से संबंधित होती है, उसे शिक्षक शिक्षा का एक अभिकरण कहा जा सकता है। यह राज्य स्तरीय संस्थान कोई महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग (Dept of Education) शिक्षा का राज्य स्तरीय केन्द्र, अनवरत शिक्षा केन्द्र, एस. सी. ई. आर. टी. (SCERTs) या किसी भी रूप में हो सकता है। जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एन. सी. ई. आर. टी., एन. सी. ई. टी. जैसी संस्थाएं है। शिक्षक शिक्षा के संबंध में राज्य स्तरीय अभिकरणों के मुख्य कार्य निम्नवत् हैं-

- विद्यालय शिक्षकों को तैयार करने हेतु प्रारम्भिक स्तर का प्रशिक्षण देना।
- सेवारत शिक्षकों तथा शिक्षाशास्त्रियों के कार्यरत रहते हुए उनके शिक्षण / प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- शिक्षक शिक्षा का पाठ्यक्रम विकसित करना।
- विद्यालयों के लिए अनुदेशन सामग्री, पाठ्य पुस्तकें आदि विकसित करना।
- विद्यालय शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षण, शोध व नवचारों को बढ़ावा देना।

- शिक्षक की नई प्रविधियों का विकास करना।
- मूल्यांकन हेतु विधियों व प्रविधियों का विकास करना।
- शिक्षा के राज्य स्तरीय अभिकरण इनमें से सभी या कुछ क्रियाओं के साथ अपने को संलग्न रख सकते हैं। इन राज्य स्तरीय अभिकरणों में से कुछ का वर्णन संक्षेप में यहां दिया जा रहा हैं।

10.2 शिक्षा की राज्य स्तरीय संस्थान (SIE) / शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण हेतु राज्य स्तरीय परिषद (SCERT)

प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु एस. सी. ई. आर. टी. की स्थापना (SIE) के रूप में विभिन्न राज्यों में 1960 के मध्य में की गई थी। शुरूआत में इन संस्थाओं को (SCERT) के बजाय SIE (State Institutes of Education) के नाम से जाना जाता था। इस संस्था का प्रमुख कार्य सेवारत शिक्षकों के शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, शोध प्रसार क्रियाओं (Extension Activites) तथा अनुदेशन सामग्री के प्रकाशन हेतु उचित प्रयास करना था।

विद्यालयी व्यवस्था को अकादमिक सहायता प्रदान करने हेतु गठित SIE की संस्था जब काफी बढ़ गई तो 1970 में इन संस्थाओं (SIE) को एस. सी. ई. आर. टी. के रूप में स्थापित किया गया। प्रारम्भ में यह SCERTs भी SIEs की तरह मुख्यत: विद्यालयी शिक्षा के सार्वजनीकरण (Universalization) से संबन्धित थी फिर भी विद्यालय शिक्षा के अन्य पक्षों की और भी इस संस्था द्वारा आपेक्षित ध्यान दिया रहा।

इन संस्थाओं (SECRTs) से अपेक्षा थी कि यह विद्यालयी शिक्षा के समस्त पक्षों (जैसे शिक्षकों की व्यावसायिक उन्नति, मूल्यांकन, अधिगम सामग्री का विकास, शैक्षिक शोध) की और ध्यान देते हुए राज्य स्तर पर "सेन्टर ऑफ एक्सेलेन्स" के रूप में कार्य करेगी। देश में कुछ एस. सी. आर. टी. बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, परन्तु अधिकांश अपनी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी हैं। इनका प्रमुख कारण यह रहा हे कि इस संस्था को कुछ राज्यों व्यावसायिक अर्थो में विद्यालयी शिक्षा के अनौपचारिक शिक्षा हेतु शीर्षस्थ संगठन (Apex body) के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, तथा इसकी स्वायत्तता, उत्तरदायित्व (Autonomy and Accountability) तथा संगठनात्मक व्यवस्था को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया। संतोषजनक भौतिक सुविधाएं, संसाधनों की कमी तथा उचित कर्मचारियों की नियुक्ति आदि अन्य कारक भी इन संस्थाओं की सफलता को प्रभावित करते रहे।

एन. सी. ई. आर. टी. के कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने हेतु इसे केन्द्र द्वारा वित्तपोषित शिक्षक शिक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। इस योजना के मुख्य पाँच ध्यातव्य बिन्दु (Components) है।

(अ) 1986 - 90 के मध्य लगभग पाँच लाख विद्यालयी शिक्षकों का जन अभिनवन (Mass orientation)।

(ब) डाइट्स (DIETS) की स्थापना।

(स) उच्च अध्ययन संस्थाओं (IASEs) तथा शिक्षक शिक्षा के महाविद्यालयों (CTEs) को मजबूत (Strengthen) करना।

(द) एन. सी. ई. आर. टी. (SCERTs) को सहायता देकर उन्हें सवर्धित करना।

(य) विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा विभिन्न विश्व:विद्यालयों में शिक्षा विभाग (Education Department) की स्थापना तथा उनका संवर्द्धन करना।

एन. सी. ई. आर. टी. की स्थापना का मुख्य उद्देश्य इन संस्था को राज्य स्तर पर शिक्षक शिक्षा की एक मजबूत (Strong) और प्रभावी अभिकरण के रूप में विकास करना है।

10.2.1 एस. सी. आर. टी. का क्षेत्र (Scope of SCERT)

अंतर्गत शिक्षा क्षेत्रों को समाहित किया जाता है -

शैशवस्था में स्वास्थ्य रक्षा व शिक्षा (Early Childhood care and Education ECCE)

प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षा (औपचारिक व अनौपचारिक)

माध्यमिक स्तर की शिक्षा (कक्षा VII,IX to XII) तथा

उपर्युक्त सभी स्तर के शिक्षकों हेतु सेवापूर्ण व सेवाकाल में शिक्षक शिक्षा/प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

10.2.3 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षा (Elementary Education)

एन. सी. ई. आर. टी. का मुख्य कार्य प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्यों उद्देश्यों, भूमिका तथा उत्तरदायित्वों का निर्धारण कर इस तंत्र को व्यावसायिक तथा तकनीकी सहायता प्रदान करना है। -इस के लिए यह संस्था मुख्यत: निम्न कार्य करती है -

- संदर्भित स्तर (Relevant Stage) के लिए अधिगम के न्यूनतम स्तर (MLLs) कोध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के संबंध में शोध करना, विकास करना तथा पाठ्यक्रम को अभिकल्पित करना।
- शिक्षक अधिगम सामग्री का विकास करना।
- पाठ्यक्रम को पूरा करने हेतु उचित विधियों, प्रविधियों, रणनीतियों का विकास करना।
- मापन एवं मूल्यांकन हेतु उचित तकनीकियों प्रविधियों का विकास करना।
- शिक्षकों, अनुदेशकों, शिक्षा शास्त्रियों, पर्यवेक्षकों के व्यावसायिक विकास तथा प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व वहन करना।
- सर्वेक्षण, नवाचार तथा शोध करना।
- सामान्य उद्देश्यों तथा विभिन्न आयोजनाओं व कार्यक्रमों हेतु आकड़ों का संकलन, नियोजन तथा समन्वयन करना।
- उपर्युक्त आकड़ो, विभिन्न योजनाओं, प्रयोजनाओं तथा शिक्षकों, शिक्षाशास्त्रियों, संस्थाओं के संबंध में मूल्यांकन की व्यवस्था करना।
- स्वयं के कार्यालय के कार्यो, अभिलेखों को संभलना, आवश्यकतानुसार उनका रूपान्तरण (Translation) करवाना तथा सूचनाओं को उपर्युक्त स्थान तक पहुँचाना।

- अपने स्तर की विदेशी संस्थाओं के साथ भी सहयोग करना, तथा सूचनाओं संसाधनों व सुविधाओं को आपस में एक दूसरे के प्रयोग हेतु देना।
- विभिन्न स्तरों (जिला, राज्य स्तर) पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में सलाह देना।

10.2.3 माध्यमिक स्तर की शिक्षा (Secondary Education)

जहाँ तक माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की शिक्षा हेतु एस. सी. ई. आर. टी. की भूमिका का सवाल है, तो इसे राज्य स्तर पर सेवारत शिक्षकों के कार्यक्रम हेतु "मॉडल एजेन्सी" (Model Agency) के रूप में कार्य करना चाहिए तथा सेवा पूर्व प्रशिक्षण /कार्यक्रमों हेतु राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के साथ सहयोग कर समन्वय करना चाहिए।

10.2.4 शिक्षक शिक्षा (Teacher Education)

जहाँ तक माध्यमिक स्तर की सेवापूर्व शिक्षा (Pre-Service Teacher Education) का प्रश्न है तो इस संदर्भ में एस. सी. आर. टी. को विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय / सहयोग कर उन क्षेत्रों की और इंगित करना चाहिए, जिससे संबंधित विश्वविद्यालय अपने पाठ्यक्रम तथा अन्य विधाओं में सुधार कर सकें। वैसे तो माध्यमिक स्तर की शिक्षक शिक्षा मुख्यत: विश्वविद्यालयों से संबंधित है तथा एस. सी. ई. आर. टी. को सेवापूर्व प्रशिक्षण में सीधे कोई विशेष दखल नहीं देना चाहिए, परन्तु प्राथमिक स्तर की शिक्षक शिक्षा में SCERTs की भूमिका पाठ्यक्रम से लेकर, शिक्षण विधियों का विकास, शिक्षकों / विद्यालयों की आवश्यकताएं तथा सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण तक काफी महत्वपूर्ण हैं। प्राथमिक स्तर की शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु SCERTs को डाइट्स (DIETs) को सहयोग व निशानिर्देश प्रदान करने चाहिए ताकि वह सुधार हेतु किसी उचित विधा का विकास कर सकें।

स्व स्वमूल्यांकन

1 SIEs को SIERTs में क्यों बदला गया?

2 SCERTs के प्रमुख कार्यो का वर्णन करें।

10.3 शिक्षक शिक्षा की राज्य परिषदें (State boards of teacher Education- SBTE)

शिक्षा आयोग (1966) ने अपने प्रतिवेदन में संस्तुति की थी कि प्रत्येक राज्य में शिक्षा के विकास व समुन्नयत हेतु SBTE की स्थापना की जाए। इस संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में SBET की स्थापना 1967 में की गई। तदुपरान्त गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, जम्मु-कश्मीर मणिपुर आदि राज्यों में 1973 तक शिक्षक शिक्षा की इस परिषद की स्थापना की गई। इसके पश्चात जब एन.सी.टी.ई. (NCTE) अस्तित्व में आई तो उसने स्पष्ट रूप से कहा कि शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय को प्रत्येक राज्य में SBTE की स्थापना हेतु तुरंत प्रयास करने चाहिए।

10.3.1 एस. बी. टी. ई. (SBTE) के कार्य

शिक्षा आयोग (1964-66) द्वारा SBET के लिए निम्न क्रियाओं की संस्तुति की गई हैं-

शिक्षक शिक्षा की संस्थाओं हेतु मानक स्तर (Standards) निर्धारित करना।

शिक्षक शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों, पाठ्यक्रमों, पाठ्यपुस्तकों, परीक्षा प्रणालियों तथा शैक्षिक सामग्री में सुधार करना।

शिक्षक संस्थाओं की मान्यता हेतु शर्ते तय करना समय - समय पर उनके निरीक्षण की व्यवस्था करना।

इन शिक्षण संस्थाओं को परामर्श की सुविधाएं प्रदान करना।

यह सुनिश्चित करना कि अमुक प्रचलित पाठ्यक्रम को पूरा करने के पश्चात् प्रशिक्षणार्थी शिक्षक बनने क योग्य हैं या नहीं।

शिक्षक शिक्षा के त्वरित विकास एवं दूरगामी विकास हेतु योजनाएं बनाना।

दूसरी और NCTE (1973) द्वारा SBTE हेतु निम्न कार्यो की संस्तुति की गई हैं -

शिक्षण शिक्षा के सभी स्तरों हेतु मानक स्तरों का विकास व समन्वयन करना व उन्हें लागू करना।

विश्वविद्यालयों तथा राज्य के शिक्षा के संबंध में संलग्न महाविद्यालयों हेतु निर्धारित की गई शर्तों का परीक्षण करना।

शिक्षक शिक्षा की संस्थाओं में संरचनात्मक सुविधाओं, अध्यापकों की शैक्षणिक तथा व्यवसायिक योग्यताओं हेतु मानक तय करना कि इनका पालन हो सके।

शिक्षा के सभी स्तर की संस्थाओं (विश्वविद्यालय के विभागों सहित) समय समय पर पर्यवेक्षण करना।

सभी स्तर की शिक्षक शिक्षा की संस्थाओं को गुणवत्ता के आधार पर फ्रेन्नत करने हेतु राज्य सरकार को सलाह देना।

शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार वित्तिय सहायता देने हेतु संस्तुति करना।

राज्य सरकार के शिक्षा विभाग तथा विश्वविद्यालयों की सहायता से सेवारत शिक्षकों की शिक्षा / प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम बनाना।

संक्षेप में हम कह सकते है कि SBTE का गठन शिक्षक शिक्षा के सभी स्तरों में सुधार हेतु किया गया था। इस संस्था के प्रयासों से शिक्षकों में काफी आत्मविश्वास बढ़ा तथा इसने राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों का शिक्षक शिक्षा की ज्वलंत समस्याओं की और ध्यान खींच कर इसके विकास हेतु महत्वपूर्ण कार्य किया।

10.4 विद्यालयों के शिक्षा विभाग (University Depts. of Education)

शिक्षा शास्त्र को अब एक विषय विभाग (Discipline) के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। अत: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अब व्यावसायिक शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूचि ले रहा है। तथा शिक्षण प्रविधियों के विकास व पाठ्यक्रम

मूल्यांकन पर किस तरह ध्यान दिया जाता है? ऐसी आशा है कि शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों द्वारा चलाए जा रहे एम. एड. तथा पी. एच. डी. कार्यक्रम शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञों की बढ़ती हुई मांग को पूरा कर सकेंगे। कलकत्ता विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम 1919 में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी। 1966 तक देश के 31 विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी तथा एभी में बी. एड., एम. एड., पी. एच. डी. करने की सुविधा प्राप्त थी।

विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभागों के मुख्यत: निम्न कार्य होते हैं -

- शिक्षा के परास्नातक कक्षाओं तथा शोध का विकास करना। (To Develop. P.G. Studies and Research In Education)
- विद्यालयों हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित करना।
- परास्नातक स्तर पर शिक्षा का प्रभावी पाठ्यक्रम चलाना।
- अनुदेशन सामग्री का विकास करना तथा शिक्षण हेतु परीक्षण कर नवविचारों का विकास करना।
- शिक्षक शिक्षा हेतु व्यापक महाविद्यालयों (Comprehensive College) तथा चार वर्षीय समन्वित डिग्री पाठ्यक्रम को बढ़ावा देना ताकि शिक्षण शिक्षा का विश्वविद्यालयों के अन्य
- विभागों तथा समुदाय के साथ संबंध और प्रगाढ़ हो सके।
- प्रसार सेवाओं (Extension Services) को आयोजित करवाना।

शिक्षक शिक्षा की अन्तर्विषयक उपागम इस बात की पुष्टि करती हैं कि शिक्षाशास्त्र को विश्वविद्यालय की मुख्य धारा में एक विषय (Discipline) के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। विश्वविद्यालयों के अन्य विभागों के लिए भी यह लाभदायक रहेगा कि वह शिक्षा विभाग के साथ मिलकर कार्य करें - क्योंकि अनुदेशित सामग्री तथा आधुनिक शिक्षण विधियों का विकास, विद्यार्थियों की प्रगति के मूल्यांकन की विधियों, विद्यार्थियों को उचित परामर्श व निर्देशन तथा दल शिक्षण, अभिक्रमित अनुदेशन आदि नवाचारों के संबंध में विश्वविद्यालयों के दूसरे विभाग यदि शिक्षा विभाग के साथ मिलकर कार्य करेंगे तो परिणाम आधिक अच्छे प्रभावी होंगे।

10.5 शिक्षकों हेतु अनवरत शिक्षा के केन्द्र (Centres for Continuing Education for Teacher)

सेवारत शिक्षकों शिक्षा शास्त्रियों के प्रशिक्षण शिक्षण हेतु इन केन्द्रों पर विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा एन. सी. ई. आर.टी के सहयोग से कई कार्यक्रम चलाये गये हैं। प्रारंभ में विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग NCERT ने लगभग ऐसे 100 केन्द्रों की योजना बनाई थी, ताकि कम से कम 3-4 जिलों पर अनवरत शिक्षा का केन्द्र स्थापित हो सके। इन केन्द्रों की स्थापना तथा कार्य निर्वहन के समय होने वाले व्यय का वहन राज्य सरकारों तथा एन. सी. ई. आर. टी. द्वारा 50- 50 प्रतिशत के हिसाब से किया जायेगा। अभी तक 22 राज्यों 7 केन्द्र शासित प्रदेशों में 91 केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है, जिसमें से 79 केन्द्र

वास्तविक रूप से कार्य कर रहे है। प्रत्येक केन्द्र से यह अपेक्षा की जाती हैं कि वह अपने क्षेत्र के प्राथमिक स्तर व माध्यमिक स्तर के शिक्षकों व शिक्षा शास्त्रियों हेतु स्थानीय स्तर पर अपनी सुविधाओं के अनुरूप शिक्षा हेतु कार्यक्रम आयोजित करेगा।

- इन अनवरत केन्द्रों का कार्य व्यवस्था का राज्य सरकार के साथ समन्वय (Coordination) करना
- इन केन्द्रों के कार्यक्रमों तथा अन्य योजनाओं की अनुमति (Approve) देना।
- समय समय पर केन्द्रों द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों का पर्यवेक्षण करना।
- इन केन्द्रों की कार्यप्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में एन. सी. ई. आर. टी. को आवश्यकता होने पर सलाह देना।

इन अनवरत शिक्षा केन्द्रों की स्थापना जे. बी. टी. व शिक्षक प्रशिक्षक महाविद्यालयों, कला वाणिज्य / विज्ञान के महाविद्यालयों के विभागों तथा कुछ बहुत से अच्छे स्तर के माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में की गई थी, पर इन केन्द्रों पर संतोषजनक अकादमिक तथा भौतिक सुविधाएं अवश्य होनी चाहिए।

संस्था का मुखिया (प्रधान) इस केन्द्र का अवैतनिक निर्देशक होता है तथा उसी केन्द्र से संबंधित प्रशासकीय व वित्तिय शक्तियां निहित होती है। वह केन्द्र के अनवरत शिक्षा के कार्यक्रम चलाने हेतु स्वयं की संस्था या आसपास की संस्थाओं से अधिकतम सात सदस्य लेकर केन्द्र हेतु शैक्षणिक स्टाफ नियुक्ति कर सकता है। यह स्टाफ अपने नियमित कार्य के अलावा कुछ आंशिक भुगतान पर इस केन्द्र के भी कार्यो को करेगा इस शैक्षनिक स्टाफ नियुक्ति कर सकता है। यह स्टाफ अपने नियमित कार्य के अलावा कुछ आंशिक भुगतान पर इस केन्द्र के कार्यो को भी करेगा। शैक्षणिक स्टाफ के अलावा केन्द्र पर एक समन्वयक भी होगा, जो कि उस संस्था का कर्मचारी भी होगा, जहां पर केन्द्र अवस्थित हैं तथा वह अपने नियमित कार्य के अलावा इन अनवरत शिक्षा केन्द्र के भी कार्यभार को संभालेगा। यह समन्वयक संस्था के अन्य कर्मचारियों जैसे पुस्तकालयाध्यक्ष, लिपीक टाईपिस्ट, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों आदि की सेवाएं उचित भुगतान कर अनवरत शिक्षा के केन्द्र हेतु ले सकेगा। अनवरत शिक्षा के केन्द्र को भौतिक एवं संरचनात्मक दृष्टि से सुदृढ़ करने हेतु पाठ्यक्रमों, प्रयोगशाला का समा दृश्य श्रव्य सामग्रियों आदि एन. सी. ई. आर. टी. द्वारा प्रदान की जाएगी।

जिलों के विद्यालयी शिक्षकों तथा प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के शिक्षा शास्त्रियों हेतु यह अनवरत शिक्षा के केन्द्र मुख्यत: निम्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

- विद्यालय शिक्षकों की विषयवस्तु (Content) तथा शिक्षण विधियों (Pedagogy) को समुन्नत करने हेतु भाषण, वार्ताओं, प्रदर्शन तथा अन्य शैक्षिक क्रियाओं का आयोजन करना।
- अनवरत शिक्षा हेतु सम्पर्क शिविर व पत्राचार पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना।
- अनवरत शिक्षा हेतु परामर्श सेवाएं (Consultancy) देना।
- पाठ तथा अन्य सामग्री तैयार करने हेतु स्वयं अधिगमित की जा सकने वाली सुविधाएं प्रदान करना।

- अनवरत शिक्षा हेतु एन. सी. ई. आर. टी. तथा उसके अन्य सहयोगी संस्थाओं को सामग्री तथा कार्यक्रम विकसित करने हेतु सहायता देना।
- सेवारत प्रशिक्षण के पश्चात् अभ्यर्थियों के कार्यकलापों को देखने हेतु "फालो अप" (Follow-up) की व्यवस्था करना।
- राष्ट्रीय महत्व के अन्य कार्यक्रमों (जैसे प्राथमिक शिक्षा सार्वजनीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में शीघ्र विद्यालय खोलने वाले छात्रों हेतु शिक्षा, SUPW आदि) के आयोजन में सहायता देना।

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु केन्द्र एन. सी. ई. आर. टी. तथा अन्य घटकों के साथ समन्वित रूप से कार्य करना होगा। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (RIEs) इन केन्द्रों हेतु शिक्षा के राष्ट्रीय संस्थान (NIE-New Delhi) की सहायता से अनुदेशन सामग्री विकसित करेगी तथा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान ही इन केन्द्रों के संदर्भ व्यक्तियों (Resource Peron) के प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे।

सी. आई. ई. टी. (CIET,New Delhi) जो कि एन. सी. ई. आर. टी. का एक घटक है, वह श्रव्य दृष्य सामग्री तथा अन्य उपकरणों की तैयारी में इन अनवरत शिक्षा केन्द्रों को सहायता देगा। एन. सी. ई. आर. टी. / आर. आई. ई. (RIE), तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभाग के प्रोफेसर इन केन्द्रों की कार्य विधियों को देखने तथा संचालन में सुधार हेतु सलाह देने के लिए यथा समय इनका पर्यवेक्षण करेंगे।

स्व मूल्यांकन

अब तक आपने क्या सीखा, इनका मूल्यांकन आप स्वयं निम्न प्रश्नों का उत्तर देकर कीजिए।

(1) निम्न प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दें-

1 एस. बी. टी. ई. (SBTEs) की स्थापना क्यों की गई?

2 विश्वविद्यालयों में शिक्षा शास्त्र के विभागों की मांग क्यों बढ़ रही हैं?

3 शिक्षक शिक्षा की अन्तविषयक उपागम से आप क्या समझते हैं?

4 शिक्षा के क्षेत्रीय संस्थान अनवरत शिक्षा के केन्द्रों की किस प्रकार से सहायता करते हैं?

10.6 शिक्षक शिक्षा के महाविद्यालय

माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु देश में लगभग 1000 से अधिक शिक्षक महाविद्यालय हैं जिनमें बी. एड. व एम. एड. कक्षाएं पढ़ाई जाती हैं। इन महाविद्यालयों का प्रबंधन विभिन्न प्रकार के लोगों यथा सरकार, सरकार द्वारा वित्तपोषित प्राइवेट मैनेजमेन्ट पूर्णमय: प्राइवेट मैनेजमेन्ट के पास हैं। यद्यपि विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षक प्रशिक्षक पाठ्यक्रम चलाने हेतु कुछ न्यूनतम अर्हताएं निश्चित हो गई हैं परंतु इन कालेजों में से अधिकांश की स्थिति विभिन्न कारणों से बहुत बुरी हैं तथापि विश्वविद्यालय से इनकी मान्यता बरकरार हैं। इन महाविद्यालयों को अच्छे स्तर का शैक्षिक स्टाफ नहीं मिल पाता हैं, यहाँ का पाठ्यक्रम तथा उसको पढ़ाने की विधियां संतोषजनक नहीं हैं अध्यापक शिक्षण परिस्थितियों में उचित तथा नई विधियों का प्रयोग नहीं करते हैं - यद्यपि इन विधियों को अपनाने की अनुसंशा

उनके द्वारा स्वयं सैद्धान्तिक कक्षाओं में की जाती हैं। इसलिए 'प्रोग्राम ऑफ एक्शन' (1992) में स्पष्ट रूप से कहा गया कि शिक्षक शिक्षा की आमूल रूप से सुधारने के लिए CTEs की स्थापना एक प्रारंभिक कदम हैं। अत: शिक्षक शिक्षा की संस्थाओं के स्तर को सुधारने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लगभग 250 CTEs की स्थापना तथा "इंस्टीट्यूशन ऑफ ऐक्सेलेन्स" के रूप में उनका विकास करने का प्रस्ताव है इनमें से काफी CTEs की स्थापना अब तक हो चुकी हैं।

10.6.1 शिक्षक शिक्षा के महाविद्यालयों के कार्य(Functions of CTEs)

यहाँ पर संक्षेप में CTEs तथा IASEs के कार्यो का वर्णन किया जा रहा है।

- माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को तैयार करने हेतु सेवा पूर्व प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम आयोजित करना।
- माध्यमिक स्तर के सेवारत शिक्षकों हेतु विषयोन्मुख (Subject Oriented) शिक्षक शिक्षा के तीन से चार सप्ताह के पाठ्यक्रम तथा लद्यु अवधि (8 से 10 दिन) के कार्यक्रम आयोजित करना।
- विद्यालयों, तथा विद्यालयी शिक्षकों को संसाधनों तथा प्रसार सेवाएं हेतु उचित सुविधाएं प्रदान करना।
- विद्यालयी शिक्षा में परीक्षण करना व नवविचारों की खोज करना।
- शिक्षा के नये क्षेत्रों जैसे मूल्योन्मुख शिक्षा, कार्य अनुभव, पर्यावरण शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, कम्प्यूटर साक्षरता, शैक्षिक तकनीकी, विज्ञान शिक्षा आदि हेतु विद्यालयों को प्रशिक्षण व संसाधन उपलब्ध करवाना।
- अन्य व्यावसायिक संगठनों को सहायता देना।
- शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना।

10.6.2 शिक्षा में उच्च अध्ययन के संस्थान (Institute of Advanced Study in Education -IASE)

उपर्युक्त वर्णित कार्यो के अलावा IASEs के निम्न अन्य कार्य भी होंगे।

प्राथमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षा शास्त्रियों (Teacher Educators) को तैयार करने हेतु (इन स्तरों हेतु) कार्यक्रम आयोजित करना।

माध्यमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर पर शोध कर्ताओं (Research Workers) को तैयार करने हेतु M.Ed., M.Phil, था Ph.D (शिक्षा) के कार्यक्रम चलाना। कुछ उच्च अध्ययन संस्थान (IASEs) माध्यमिक शिक्षकों को तैयार करने हेतु चार वर्षीय समन्वित शिक्षा का पाठ्यक्रम भी चला सकते हैं।

- प्राथमिक / उच्च तथा माध्यमिक स्तर के शिक्षा शास्त्रियों, माध्यमिक स्तर के संस्था प्रधानों तथा माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के पर्यवेक्षण के लिए नियुक्ति कर्मचारियों हेतु सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना।

- शिक्षक शिक्षा "पाइलेट प्रोग्राम" (Pilot Programme) की व्यवस्था करना।
- शिक्षा में अंतविषयक स्वभाव के उच्च स्तर के शोध कार्य परीक्षणों को (मुख्यत: शिक्षा का समाज शास्त्र, अर्थ शास्त्र तथा शैक्षिक मनोविज्ञान) आयोजित करवाना।
- शैक्षिक तकनीकी के प्रयोग तथा शैक्षिक सॉफ्टवेयर के विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- यदि IASEs सेवारत शिक्षकों हेतु उचित कार्यक्रमों को स्थापित कर लेती हैं तो यदि वह चाहे तो शिक्षक शिक्षा को उचित तथा विशिष्ट क्षेत्रों में कुछ लम्बी अवधि के पाठ्यक्रम भी चला सकते हैं।
- CTEs तथा डाइट्स (DITEs) हेतु उचित निर्देशन तथा संसाधन उपलब्ध करवाना।
- उच्च अध्ययन संस्थान निम्न प्रकार की अनुदेशन सामग्री का भी विकास करते हैं जैसे इकाई योजना विभिन्न विधियों से पढ़ाई जा सकने वाली अनुदेशन सामग्री प्रश्न बैंक, शिक्षकों हेतु हैण्ड बुक विद्यार्थियों हेतु वर्कबुक, सेल्फ लर्निंग इंस्ट्रमानल पैकेज तथा सहायक सामग्रियों एवं क्रिट्स (Kits) आदि।

10.6.3 शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों का उन्नयन (Upgradation of CTEs)

सातवी पंचवर्षीय योजना के अंर्तगत 250 शिक्षक महाविद्यालयों का चयन कर उनके विकास हेतु निम्न प्रयोजनार्थ वित्तिय सहायता प्रदान की गई -

- भवन तथा छात्रावास में सुधार
- अध्यापकों की नियुक्ति।
- प्रयोगशाला, कार्यशाला तथा पुस्तकालय की सेवाओं में वृद्धि।
- शैक्षिक तकनिकी तथा कम्प्यूटर की सेवाएं।
- प्रसार सेवाओं के विभाग खोलना।
- संकाय सदस्यों की रूचि की परियोजनाओं को पूरा करने हेतु उचित मात्रा में वित्तिय सहायता (Unassigned Grant)।
- संकाय के सदस्यों हेतु अनवरत शिक्षा के कार्यक्रम तथा एतदर्थ वित्तिय सहायता।

अभी तक उच्च अध्ययन की संस्थाओं की संख्या काफी समित है। इन संस्थाओं में प्रोफेसर, रीडर के नये पदों का सृजन किया गया है। पुस्तकालय, कम्प्यूटर तथा अन्य आवश्यक उपकरणों को खरीद हेतु अपेक्षित राशि उपलब्ध कराई गई है तथा शोध एवं प्रोजेक्ट तथा स्टाफ क्वाटर्स हेतु भी वित्तिय सहायता दी गई है तथा इनको स्वायत्तशासी संस्थाओं का स्तर दिए जाने पर भी विचार चल रहा है। विश्वास है कि यह उच्च अध्ययन के संस्थान शिक्षण शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने हेतु अपनी भूमिका का निर्वहन करने में सफल होंगे।

स्व मूल्यांकन

1 एस. बी. टी. ई. (SBTE) कार्यों का विस्तार से वर्णन से करो।

2 शिक्षकों हेतु अनवरत शिक्षा के केन्द्रों के प्रबंधन तथा कार्यों पर प्रकाश डालें।

(2) निम्न प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दें-

1 CTEs तथा IASEs के कार्यों मैं प्रमुख अंतर क्या हैं?

2	CTEs के उन्नयन हेतु सरकार द्वारा किस प्रकार के प्रयास किए गए है?

10.7 संदर्भ ग्रंथ

1 1 Government of India, Calcutta University Commission Reports Vol. V, Government Printing Press Calcutta - 1919

2 Government of India, Education Commission Reports(1964-66) New Dehli 1966.

3 Mukherjee S.N.] The Education of Secondary Teacher in India Publications, Ambala - 1964

4 NCERT, Report of National Council for Teacher, Education 1981-84

5 Shankla, U., Education of India Teacher, Sterling Pub. New Dehli-1984

6 Shukla R.S. Emerging Trends in Teacher Education, Chugh Publications, Allahabad -1978

7 Goyal J.C. The Indian Teacher Educations - Some Characteristics - National Psycho Corporation of India - Agra - 1985

8 Govt. Of India - National Policy on Education Ministary of HRD - New Dehli - 1986

इकाई 11

व्यावसायिक संगठन तथा उनके उद्देश्य

Professional Organisation and their objectives

इकाई की संरचना

11.0 उद्देश्य एवं लक्ष्य

11.1 प्रस्तावना

11.2 अध्यापन एवं शिक्षक शिक्षा एक व्यवसाय के रूप में

11.3 व्यावसायिक संगठनों की आवश्यकता एवं कार्य

11.4 शिक्षक व्यावसायिक संगठनों की गतिविधियां

11.5 सदस्यता एवं मान्यता

11.6 कुछ शैक्षणिक एवं व्यावसायिक संगठन

11.7 समस्याएं एवं सुझाव

11.6 संदर्भ ग्रंथ

11.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप

- व्यवसाय की परिभाषा तथा शैक्षणिक एवं शिक्षक शिक्षा से संबंधित व्यवसाय की स्थिति को समझ सकेंगे।
- व्यावसायिक संगठनों की आवश्यकता एवं इनके कार्य की विवेचना कर सकेंगे।
- व्यावसायिक संगठनों की सामान्य गतिविधियों इनकी सदस्यता तथा मान्यता के बारे में जान सकेंगे।
- राज्य, राष्ट्र तथा अन्तराष्ट्रीय स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण व्यावसायिक संगठनों के बारे में
- जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- शिक्षक शिक्षा के व्यावसायिक संगठनों की समस्याएं तथा उनके अच्छे कार्य संचालन के लिए सुझाव दे सकेंगे।

11.1 प्रस्तावना

व्यवसाय क्या है -एक व्यवसाय की कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं एक पेशा जब इन विशेषताओं से युक्त होता है तो वह व्यवसाय का स्तर प्राप्त कर लेता है। एक व्यवसाय में निम्न लक्ष्य है। इनके संचालन के लिए कुछ विशिष्ट योग्यता तथा दक्षता एवं सक्षमता आवश्यक होते है।

कार्यरत तथा संभावित कर्मचारियों के लिए एक निश्चित अभियुक्त एवं विशिष्ट एवं व्यवस्थित योजना तैयार करना होता है।

सदस्यों को प्रमाण - पत्र देने की प्रक्रिया का निर्धारण होता है।

समाज में एक स्वीकृत भूमिका का निर्वाह करना होता है।

निश्चित सिद्धान्त एवं दर्शन युक्त आधार प्रदान करना होता है।
अपनी गतिविधियों में एक विशिष्ट विशेषता युक्त पद्धति का निर्वाह करना होता है।
इनके सदस्यों द्वारा आचार संहिता का विचार करना होता है। यह आचार संहिता अपने स्वयं द्वारा तथा समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए।
जो व्यक्ति व्यवसाय में कार्यरत है किन्तु कुछ निश्चित कार्यक्रमों को लेकर नहीं चलते वे अनुपयुक्त असक्षम तथा अकर्मण्य होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने पेशे को संचालित नहीं कर पाते।
निरंतर रूप से ज्ञान बढ रहा है तथा व्यवस्थित अनुभव, अन्वेषण तथा शोध हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर रहा है। सिद्धान्तत एवं अभ्यासरत दोनों ही अपने अनुभव एवं कार्यों को एक दूसरे से समद्ध करते है। जाँच, संतुलन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन की एक व्यवस्था होती है। जो व्यक्ति एक व्यवसाय में साथ साथ काम करते है वे अपनी सामान्य शैक्षणिक समस्याओं के बारे में आपस में बातचीत करते हैं तथा वे अपने व्यवसाय में गौरवान्वित महसूस करते हैं।

11.2 अध्यापन और शिक्षण शिक्षा - एक व्यवसाय के रूप में

कार सौन्डर्स के अनुसार "व्यवसाय से अभिप्राय प्रशिक्षण व विशेषीकरण पर निर्भर उस व्यापार से है जिसका उद्देश्य कुशलतम सेवा प्रदान करना और निश्चित शुल्क या वेतन के लिए दूसरों को सलाह देना है।
आर्नस्टेन व मिलर के अनुसार "शिक्षण पूर्व रूप से व्यवसाय नहीं है, इसमें वे सभी विशेषताएँ शामिल नहीं है जो व्यवसाय में होनी चाहिए। उत्तम तौर पर यह एक व्यापार है, जो व्यावसायिक स्तर को प्राप्त करने की प्रक्रिया में होता है।"

शिक्षण कार्य एक व्यवसाय है या नहीं, इस बारे में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने अपने विचार इस प्रकार प्रस्तुत किए हैं, शिक्षण व्यवसाय की कुशलता और सामान्य रूप से राष्ट्र विकास व विशेष रूप में शैक्षणिक सुधार में इसका योगदान इसके सामाजिक स्तर व नीति पर निर्भर करता है। यह आगे सह-सम्बन्धित तत्वों, अध्यापकों के आर्थिक स्तर और नागरिक अधिकारों पर और उनके व्यावसायिक कौशल, चरित्र और सेवा भावना पर निर्भर करता है।

शिक्षण को व्यवसाय के रूप में मानने पर देखें तो शिक्षा का विज्ञान उन्नति तो कर रहा है परन्तु अभी भी इस क्षेत्र में काफी कुछ करना बाकि है। व्यावसायिक विकास निरंतर एवं क्रमबद्ध है, इस संदर्भ में तुलनात्मक प्रयत्न कम हुए हैं। सामान्यत: संघ जिन्हें शिक्षा का मार्गदर्शन करना चाहिए, अभी भी दृढ़ नहीं है। वे एकीकरण में असफल हैं और निश्चित भूमिकाएँ निभाने में अक्षम हैं। गौर करने लायक बात तो यह है कि शिक्षण से संबंधित अधिकतर व्यक्तियों में व्यावसायिक तैयारी का अभाव है। परन्तु इससे यह अभिप्राय नहीं है कि अध्यापन व्यवसाय के रूप में स्थापित किया जा सकता है

- अध्यापक व व्यावसायिक दोनों की ही व्यक्तिगत रूचि से ऊपर समान कल्याण में रूचि;
- दोनों के द्वारा ही विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान व कौशलों के समूह के संचालन को नियंत्रित करना; - और
- व्यवसाय का सदस्य व अध्यापक दोनों का ही निरंतर ज्ञान अर्जित करने में लगे रहना।

इन कुछ तत्वों के आधार पर अध्यापन को व्यवसाय की श्रेणी में रखा जा सकता है। परन्तु अध्यापन कार्य में कुछ ऐसी कमियाँ आ जाती है, जिनके कारण समय-समय पर अध्यापन कार्य की प्रकृति पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है।

उदाहरण के लिए डी. लीले ऐशबी ने कुछ कमियों को उजागर किया है जैसे

- राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत सदस्यता का अभाव
- विभिन्न संगठनों मे एकता का अभाव
- अध्यापकों के व्यावसायिक कुशलता के सुधार के लिए प्रयत्नों का अभाव; और
- दीर्घकालीन शैक्षणिक कार्यक्रमों का अभाव इत्यादि।

अध्यापन और अध्यापक शिक्षा : को एक व्यवसाय के रूप में स्थापित किया जा सकता है या नहीं और इससे नजर आती कमियाँ इसके भविष्य के लिए अच्छा प्रतीक नहीं हैं। अत: राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अध्यापक शिक्षा में सुधार करना आवश्यक है। अत: सिडनी डॉरस के अनुसार अध्यापक शिक्षा के व्यावसायिक स्तर को स्थापित करने के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना जरूरी हैं :

- शिक्षा उद्देश्यों का सामूहिक निर्धारण
- नैतिकता के नियम पर विचार, सुधार और उनकी आवश्यकता
- व्यावसायिक पद्धतियों का अध्ययन
- व्यावसायिक विद्यालयों को स्वीकृति देना
- प्रभावशाली व्यावसायिक व्यावसायिकों की स्थापना
- इच्छित कार्य वातावरण का निर्माण

अध्यापन पूर्णत: एक व्यवसाय के रूप में नहीं माना जाता क्योंकि वह एक व्यवसाय की कसौटी पर पूर्णत: खरा नहीं उतरता है। हालांकि इसे एक अर्द्धव्यवसाय के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्योंकि शिक्षण व्यवसाय का प्रशिक्षण न पाने वाले व्यक्ति भी अच्छे शिक्षक हो सकते है। कुछ लोगों का मानना है कि वे शिक्षक जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है वे भी उतने ही अच्छे शिक्षक हो सकते है, जितने कि प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति होते है। परन्तु इसकी सत्यता अभी स्थापित नहीं हो पाई है।

शिक्षक शिक्षा, शिक्षण व्यवसाय की गतिविधियों का एक मार्ग होती है। देश में शिक्षक प्रशिक्षक तैयार करने हेतु कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं है। अधिकांश राज्यों में शिक्षक प्रशिक्षक, चाहे वे प्रारंभिक स्तर के हों या माध्यमिक स्तर के, वे लोग होते हैं जो माध्यमिक विद्यालयों एवं शिक्षा अधिकारियों में से चुने जाते है। उनको कभी भी स्थानान्तरित किया जा सकता है, अत: विशेषकर राजस्थान में शिक्षक शिक्षा अपने आप में एक विशिष्ट पेशे को प्राप्त कर ही नहीं पायी।

11.3 व्यावसायिक संगठनों की आवश्यकता एवं कार्य

यद्यपि शिक्षकों एंव शिक्षक प्रशिक्षकों को व्यावसायिक व्यक्ति मानते है किंतु उन्हें अपने राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के संगठनों की आवश्यकता भी महसूस करते है। ऐसे संगठन अपने सदस्यों के स्तर एवं कार्य दशाओं में सुधार करने के लिए लोगो को प्रेरित करते है। कुछ

व्यवसायिक संगठन राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय निमात्री इकाइयों में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से नीति निर्माण में सलाहकार की भूमिका का निर्वाह करते है। कुछ इकाइयों में वे शैक्षणिक समस्याओं पर सामूहिक विचार विमर्श करते है तथा अपना दृष्टिकोण मनवाने का प्रयास करते हैं।

व्यावसायिक संगठनों के कार्यों को मुख्यत: हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं प्रथम शैक्षणिक द्वितीय, आर्थिक, कुछ संगठन अपने आपको केवल व्यावसायिक गतिविधियों जैसे सम्मेलन, संगोष्ठी पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करना तथा शैक्षणिक पक्षों से संबंधित साहित्य का प्रकाशन करना, आदि तक सीमित रखते हैं। यूनियन की गतिविधियों ट्रेड यूनियन की तरह चलाते हैं तथा अपने सदस्यों की सेवा दशाओं को सुधारने के लिए संघर्ष करते हैं। इनमें से अधिकांश अपने चरित्र को बनाये रखते हुए कुछ सीमा तक शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़े रहे है। एक अन्य श्रेणी का संघ वह होता है जो अपनी गतिविधियों शैक्षणिक कार्यक्रमों से प्रारंभ करता है। किन्तु क्रमश: वह सदस्यों के सामान्य कल्याण की तरफ अग्रसित हो जाता है।

एक शिक्षक व्यावसायिक संघ का मुख्य कार्य शैक्षणिक व्यवसाय के रूप में गतिविधियों का संचालन करता है। वह व्यवसाय के लिए प्रवेश परीक्षा तथा नियंत्रण की प्रक्रिया के माध्यम से, व्यवसायिक कार्यक्रमों को तैयार करके तथा संस्थाओं का मूल्यांकन एवं विभिन्न प्रारूपों के माध्यम से व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करता है।

11.4 शिक्षक व्यावसायिक संगठनों की गतिविधियाँ

लगभग सभी व्यावसायिक संगठनों की कुछ सामान्य गतिविधियाँ होती हैं यद्यपि उनकी ये गतिविधियाँ उनके स्त्रोतों एवं उनके विकास के स्तर पर निर्भर करती है। कुछ सामान्य गतिविधियों का हम संक्षेप में विवेचन करेंगे।

11.4.1 वार्षिक सम्मेलन

लगभग सभी संगठन एक वार्षिक सम्मेलन करते हैं सामान्यत: वार्षिक सम्मेलन हेतु एक विषय का चयन किया जाता है जिस पर लोग अपने लेख प्रस्तुत करते हैं, भाषण देते हैं, तथा उन पर विचार विमर्श होता है साथ ही मुख्य उद्बोधन भी प्रस्तुत किये जाते है। कई बार किसी राजनीतिज्ञ या प्रशासक को उद्बोधन भाषण या समापन भाषण देने के लिए आमंत्रित किया जाता है, ताकि वे संगठन को कुछ वित्तिय अनुदान के रूप में या कुछ अन्य मामलों में मदद कर सकें। इन कार्यक्रमों का प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। ये कार्य कुछ अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करते है। ये सम्मेलन व्यक्तियों को परिचय, मित्रता एवं शैक्षणिक विचारों के आदान-प्रदान का अवसर प्रदान करते हैं।

11.4.2 प्रकाशन

इस संगठनों की एक अन्य सामान्य गतिविधि कुछ प्रकाशित सामग्री निकालना भी होता है। इस प्रकाशित सामग्री में वार्षिक सम्मेलनों का प्रतिवेदन, न्यूज़ लैटर (समाचार पत्र), पाक्षिक पुस्तकें, वार्षिक पुस्तकें, शोधग्रंथ तथा विशिष्ट समितियों के प्रतिवेदनों को सम्मलित करते हैं।

11.4.3 स्वयं के कार्यों का निबटारा (Clearing the house function)

इस तरह के संगठन अपने स्वयं की गतिविधियों तथा अपने जैसे अन्य संगठनों की गतिविधियों से संबंधित सभी सूचनाओं को एकत्रित करते हैं। इन सूचनाओं में मुख्य रूप से नीति संबंधी मुद्दों पर नवीनतम जानकारी, नियम तथा सरकार द्वारा समय समय पर प्रसारित किये जाने वाले नियमों की सूचना होती हैं।

11.4.4 शिकायतों का समाधान

कुछ संगठन कर्मचारियों की शिकायतों का समाधान करना तथा सदस्यों के कल्याण से संबंधित मुद्दों का संचालन करना अपना उद्देश्य मानते हैं। इसके अलावा व्यावसायिक संगठन

अपने सदस्यों के लिए आचार संहिता तय करते हैं तथा वह देखते हैं कि इसका पालन हो रहा है या नहीं।

अपने व्यवसाय के स्तर को बनाये रखने का प्रयास करते हैं

अंतराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्यीय तथा स्थानीय स्तर पर अन्य संगठनों के साथ अनुबंध करना, ताकि सूचनाओं का आदान-प्रदान हो सके। अध्ययन भ्रमण हो सके एवं कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु परामर्श एवं सहयोग लिया जा सके।

अगर व्यावसायिक के उच्च स्तर पर पहुंच जाते है तो शिक्षक व्यवसाय से संबंधित संस्थाओं को मान्यता एवं सम्बद्धता प्रदान कर सकते हैं।

11.5 सदस्यता एवं मान्यता

संगठनों की सदस्यता विभिन्न प्रकार की होती है। व्यक्तिगत या संस्थागत, वार्षिक या जीवनपर्यन्त सदस्यता भी हो सकती है। कई बार महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भी मानद सदस्य बनाया जाता है। कुछ संगठन राजनीतिज्ञों या प्रशासकों को अपने संघ का संरक्षण बनाने का प्रावधान भी करते हैं। कई बार सह-सदस्यता का प्रावधान भी रखा जाता है।

भारत में अधिकांश संगठन सोसायटी के पंजीकरण अधिकारी से पंजीकरण अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। पंजीकरण संगठन को मान्यता प्रदान करता है तथा इसके सदस्यों को एक आश्वासन प्रदान करता है। यह यूनियन जैसी गतिविधियों के स्वीकृति प्रदान नहीं करता। संगठन अपने कार्यक्षेत्र के अनुसार स्थानीय राज्यीय, राष्ट्रीय, अन्तराष्ट्रीय स्तर के भी हो सकते हैं।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

अब तक आपने जो सीखा, उसका मूल्यांकन निम्न प्रश्नों का उत्तर देकर कीजिए-

1 व्यवसाय की चार महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

2 शिक्षा को पूर्णत: व्यवसाय क्यों नहीं स्वीकार किया जाता है?

3 क्या, ट्रेड यूनियन गतिविधि,व्यावसायिक संगठन का कार्य होनी चाहिए?

4 व्यावसायिक संगठन की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ क्या हैं।

5 व्यावसायिक संगठन को क्या पंजीकृत करवाना आवश्यक है यदि हां तो क्यों?

11.6 शैक्षणिक तथा व्यावसायिक संगठन

संगठनों के विभिन्न प्रकार एवं स्तर होते हैं। कुछ शिक्षकों के लिए होते हैं। कुछ शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए होते हैं। कुछ सामान्य प्रकृति के होते हैं। विज्ञान, गणित, भाषा, मनोवैज्ञानिक, शिक्षाशास्त्र जैसे विभिन्न विषयों के लिए कुछ विशिष्ट संगठन होते हैं। साथ ही प्राथमिक शिक्षकों माध्यमिक शिक्षकों, महाविद्यालयी शिक्षकों के संघ भी होते हैं। कुछ संगठनों का संक्षिप्त विवेचन निम्न रूप में दिया जा सकता

11.6.1 अन्तराष्ट्रीय स्तर

शिक्षक व्यवसाय का विश्व संगठन (डब्ल्यू. सी. ओ टी. पी.) एक ऐसा संगठन है जिसका कि कोई भी शिक्षक संघ या संगठन सदस्य बन सकता है। यह यूनेस्को से सम्बद्ध है। भारत सहित कई देशों के राष्ट्रीय संगठन इसके सदस्य है।

वाशिंगटन डी. सी. यू एस. ए. स्थित इन्टरनेशनल कॉउंसिल ऑफ ऐज्यूकेशनल एक काफी सक्रिय शिक्षक संगठन है। इसका अमेरिकन एसोसियन ऑफ कोलेजेज ऑफ टीचर एजूकेशन से निकट का संबंध है। यह अपना वार्षिक सम्मेलन देश में आयोजित करता है तथा सम्मेलन का प्रतिवेदन प्रकाशित करता है। इसकी तृतीय विश्व के देशों में भी शाखाएं हैं।

शिक्षक-शिक्षा महाविद्यालयों का अमेरिकन संघ - (ए. ए. सी. टी.ई.) का कोई व्यक्ति सदस्य नहीं होता है, वरन् अमेरिका की शिक्षक संस्थाएं इसकी सदस्य हैं। इसने अमेरिका में शिक्षक शिक्षा के परिवर्तन में बहुत ही प्रभावी भूमिका का निर्वाह किया है। इसके बहुत सारे प्रतिष्ठित प्रकाशन हैं तथा इसके संघीय एवं राज्यीय शिक्षा प्राधिकरणों के साथ परामर्श संबंधी भूमिका का भी निर्वहन किया है। इसने शिक्षक शिक्षा की मान्यता हेतु राष्ट्रीय परिषद को आगे लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो कि कालान्तर में चलकर 1956 में शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने की अधिकारिक इकाई बनी। इसके समानान्तर रूप से अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा तथा आस्ट्रेलिया में भी राष्ट्रीय स्तर के अन्य संघ रहे हैं।

11.6.2 राष्ट्रीय स्तर

आल इंडिया फेडरेशन ऑफ ऐजूकेशनल एसोसियेशन (ए. आई. एफ. ए.) की स्थापना 1925 में हुयी थी। भारत के लगभग सभी शिक्षक संघ एवं संगठन इसके सदस्य हैं। विशिष्ट शिक्षक शिक्षक संघ भी इससे संबद्ध हैं। इसके उद्देश्य हैं -

(अ) देश के लिए शिक्षा के लिए प्रभावकारी योजनाओं को प्रोन्नत करना।

(ब) शिक्षकों, अभिभावकों तथा शिक्षाविदों के मध्य सूचना एवं विचारों का आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करना।

(स) भारत में शिक्षक व्यवसाय के स्तर को उठाना एवं संरक्षण प्रदान करना ताकि वह राष्ट्रीय जीवन में उचित स्थान प्राप्त कर सके तथा शिक्षकों के मध्य राष्ट्रीय दायित्व एवं व्यावसायिक दक्षता विकसित कर सकें।

(द) पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के शिक्षण व्यवसाय के सदस्यों को एक - दूसरे को जोड़ना।

(य) अन्तराष्ट्रीय शिक्षक एवं शैक्षणिक सम्मेलनों में सक्रिय भागीदारी द्वारा सद्भावना विकसित करना।

यह नियमित रूप से वार्षिक सम्मेलन का आयोजन करता है। इसको सनफ 1975 में अपने स्वर्ण जयंति सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में शिक्षक संघों की भूमिका, शिक्षण संघों की कार्यप्रणाली एवं शिक्षक प्रतिनिधित्व, जैसे विषयों को विचार विमर्श हेतु लिया गया।

भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए. आई. यू) पहली बार इसकी स्थापना बम्बई में अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड (आई यू बी.) के रूप में सन् 1925 में हुयी थी। कालान्तर में यह भारतीय विश्वविद्यालय संघ के रूप में सामने आया। जिन उद्देश्यों को लेकर इस संघ की स्थापना हुयी वे बहुत अधिक हैं। उनमें से कुछ निम्न है -

(अ) अंतर विश्वविद्यालय संघ के रूप में एक मंच प्रदान करना।

(ब) विश्वविद्यालय एवं सरकार के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करना।

(स) भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करना।

(द) विश्वविद्यालयों को अपना स्वायत्त स्वरूप बनाये रखने में सहायता प्रदान करना।

(य) निर्देशन परीक्षा शोध आदि का स्तर सुधारने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन एवं उनको विकसित करना।

11.6.3 भारतीय शिक्षा शास्त्रियों का संघ - (आई. ए. टी. ई.)

इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। यह भारत में शिक्षक महाविद्यालयों के प्राचार्यों का संघ है इसके अलावा इसमें केवल विश्वविद्यालय स्तर के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं ही सदस्य बन सकती हैं।

1964 में इसका अखिल भारतीय प्रशिक्षण महाविद्यालय संघ (ए. आई. टी. सी.) रखा गया। इसकी सदस्यता व्यक्तिगत शिक्षक प्रशिक्षक भी ले सकता था। किन्तु वह माध्यमिक स्तर की संस्था का सदस्य हो। 1956 में इसकी सदस्यता सभी प्रकार की शिक्षक प्रशिक्षक की संस्थाओं एवं पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा से संबंद्ध शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए भी खोल दी गयी। तब इसको शिक्षक प्रशिक्षकों का राष्ट्रीय संघ का नाम दिया गया। सोसाइटीज के पंजीकरण अधिकारी ने इसके साथ राष्ट्रीय शब्द जोड़ने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया कि वह शब्द केवल राजकीय एवं अर्द्धराजकीय संगठनों के साथ भी जोड़ा जा सकता है। अत: इसे शिक्षक प्रशिक्षकों का भारतीय संघ (आई. ए. टी. ई.) कहा गया।

छठे दशक के उत्तरार्द्ध में यह काफी शक्तिशाली संघ बन गया तथा सातवें दशक के मध्य तक भी यह प्रभावी रहा। इस दौरान इसने भारत सरकार, एन. सी. ई. आर. टी. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन. सी.ई टी.) योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आदि के साथ शिक्षक शिक्षा से संबंधित नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना प्रारंभ किया। उदाहरण के लिए 1966 में इसने शिक्षक शिक्षा पर एक प्रारूप तैयार किया। अपने त्रिवेन्द्रम सम्मेलन में

इस पर विचार विमर्श करके इसे शिक्षक प्रशिक्षकों के मध्य व्यापक रूप से प्रसारित किया। यह प्रारूप भारतीय शिक्षा आयोग (1964-66) की अनुशंसाओं का एक मार्ग बना जिसे कि कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। इसी के प्रयास के फलस्वरूप योजना आयोग ने अपनी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शिक्षक शिक्षा से संबंधित संघ की अनुशंसाओं को सम्मिलित किया एवं तथा शिक्षक शिक्षा हेतु काफी बजट का प्रावधान किया।

विभिन्न अवसरों पर शिक्षक प्रशिक्षक भारतीय संघ ने शिक्षक शिक्षा का चार वर्षीय पाठ्यक्रम शिक्षक शिक्षा की राष्ट्रीय एवं राजकीय परिषदों एवं कालान्तर में स्थापित होने वाले शिक्षक शिक्षा से संबंधित राज्य बोर्डों जैसे नये विचारों एवं योजनाओं को आगे बढ़ाया। इसने शिक्षक शिक्षा में पत्राचार पाठ्यक्रम जैसी योजना को भी आगे लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। यद्यपि इस संदर्भ में इसका मानना था कि यह पत्राचार पाठ्यक्रम केवल अप्रशिक्षित शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करने हेतु एक अल्पकालीन कार्यक्रम हैं। कई अवसरों पर इसने भारतीय विश्वविद्यालयों के बी. एड. एवं एम. एड. पाठ्यक्रमों के लिए समितियां गठित की। अपने वार्षिक सम्मेलनों में इनकी अनुशंसाओं पर विचार किया गया तथा नये पाठ्यक्रमों का निर्माण किया। कई विश्वविद्यालयों ने इन्हीं पाठ्यक्रमों को अपनाया। इसने सन् 1972 में बैंगलोर में प्रथम शिक्षक प्रशिक्षण एशिया सम्मेलन आयोजित किया। जिसकी रिपोर्ट एक अच्छा प्रकाशन है। इसके लगभग 25 प्रकाशन है। यह एक तिमाही शोध पत्रिका निकालता है जिसे 'टीचर एजूकेशन' नाम से जाना जाता है। इसे अन्तराष्ट्रीय स्तर पर काफी उद्धत किया जाता है। किन्तु यह शोध पत्रिका अब नियमित नहीं निकल रही है।

यह संघ शिक्षक प्रशिक्षकों के वेतन जैसे मुद्दों पर अपनी प्रभावी गतिविधि संचालित नहीं कर पाया और न ही सक्रिय भूमिका अदा नहीं कर पाया। किन्तु वार्षिक सम्मेलनों में सदस्यों के व्यापक दबाव के फलस्वरूप वेतन जैसे मुद्दों पर कुछ प्रस्ताव प्रसारित किये दुर्भाग्य से इस संघ को 10 वर्ष पहले जो सम्मान एवं स्थान प्राप्त था आज नहीं है। यह आज शिक्षक प्रशिक्षक संघ के रूप में अपनी अखिल भारतीय प्रतिष्ठा खो चुका है।

निष्कर्षत: हम कह सकते हैं कि शिक्षक शिक्षा से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं अपनाने के कारण यह संघ आज कम प्रभावी हो गया है। जिन उद्देश्यों को लेकर इस संघ की स्थापना की गयी थी वे निम्नलिखित हैं।

(अ) शिक्षक शिक्षा को विकसित एवं प्रोन्नत करना।

(ब) शिक्षक शिक्षा को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं एवं अन्य संगठनों के साथ सहयोग : स्थापित करना।

(स) शिक्षक शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु मंच प्रदान करना। तथा समय-समय पर राज्यों द्वारा शिक्षक शिक्षा को प्रभावी बनाने हेतु जो प्रयास हुये उसके लिए सुझाव प्रस्तुत करना।

(द) शिक्षक प्रशिक्षकों के स्तर एवं हितों का संवर्द्धन करना एवं संरक्षण प्रदान करना ताकि वे राष्ट्रीय दायित्व पैदा हो, व्यावसायिक सक्षमता एवं व्यावसायिक एवं सामाजिक नैतिकता विकसित हो।

(य) देश में शिक्षक प्रशिक्षकों का व्यावसायिक संघ कैसे अच्छा बने तथा शिक्षक प्रशिक्षकों की आवाज समाज के सभी वर्गो तक कैसे पहुंचे इसके लिए प्रयास करना।

11.6.4 शिक्षा के वरिष्ठ नागरिकों का संघ

इस संघ की स्थापना 1991 में एन. सी. ई. आर. टी. / एन. आई. ई. पी. ए. / के. वी. एस., एम. एच. आर. डी. जैसे राष्ट्रीय स्तर के संगठनों से जुड़े सेवा निवृत प्रतिष्ठित शिक्षा विदों द्वारा की गई। इसका उद्देश्य सरकार तथा गैर सरकारी संगठनों संस्थाओं एवं व्यक्तियों को परामर्श प्रदान करना था। साथ ही यह शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी अपना मत प्रकट करता है। यह विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन एवं मूल्यांकन करता है। यह सेमीनार सम्मेलन एवं विचार-गोष्ठियों का आयोजन करता है तथा शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रकाशन भी करता है।

11.6.5 अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक फैडरेशन

यह संघ अखिल भारतीय स्तर के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लोक कल्याण से संबंधित मुद्दों के लिए कार्य करता है। यह प्रतिवर्ष अपने वार्षिक सम्मेलन के अतिरिक्त समय-समय पर अतिरिक्त शैक्षणिक कार्यक्रमों का भी संचालन करता है। राज्य स्तरीय प्राथमिक शिक्षक संघ इसके सदस्य होते हैं। 1973 में इसने नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित किया, यह सम्मेलन शिक्षा मंत्रालय के संयोजन से किया गया।

11.6.6 अखिल भारतीय विद्यालयी शिक्षक संघ

यह संघ देश में सभी राज्यों के माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों के संघों का प्रतिनिधित्व करता है। यह बहुत ही शक्तिशाली संघ है। तथा अपने सदस्यों के लोग कल्याण के लिए एक दबाव समूह के रूप में कार्य करता है।

11.6.7 विशिष्ट क्षेत्रों एवं वर्गो का राष्ट्र स्तरीय संघ

कुछ संघ विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित होते हैं जिनमें कुछ निम्न हैं -

(अ) भारतीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासनिक संघ - (आई. ए. ई. पी. ए.) इसकी स्थापना लगभग 10 वर्ष पूर्व हुयी थी। यह वार्षिक सम्मेलन का आयोजित करता है, साथ ही 1984 में राष्ट्र मण्डलीय देशों का सम्मेलन भी किया था।

(ब) भारतीय शैक्षणिक तकनीकी संघ - इसे पहले भारतीय कार्यक्रम अधिगम एवं शैक्षणिक तकनीकी संघ कहा जाता है। इसकी स्थापना लगभग 20 वर्ष पूर्व हुयी थी। इस संघ ने कुछ प्रकाशन निकाले, तथा यह शैक्षणिक कार्यक्रमों का सफल आयोजन भी किया।

(स) अखिल भारतीय एवं व्यावसायिक निर्देशन संघ - इसकी स्थापना लगभग 25 वर्ष पूर्व हुयी थी किन्तु इसने अपनी गतिविधियाँ नियमित रूप से संचालित नहीं किया।

(द) भारतीय तुलनात्मक शिक्षा समाज (सी. ई. एस. आई.) - यह सन् 1980 में काफी प्रभावशाली तरीके से प्रारंभ हुआ किन्तु इसकी अपने वार्षिक सम्मेलनों के आयोजन में नियमित नहीं रह पाया।

(य) भारतीय पूर्व विद्यालयी शिक्षा संघ - इसकी स्थापना -लगभग 25 वर्ष पूर्व हुयी थी, तब से इसने कुछ प्रकाशन भी निकाले है। किन्तु इसकी आवश्यकता एवं क्षेत्र को देखते हुये आवश्यकता इस बात की है कि यह प्रभावी भूमिका का निर्वाह करे।

(र) कुछ विषयों से संबंधित अन्य संघ भी है जैसे भारतीय विज्ञान काँग्रेस, भारतीय समाज विज्ञान काँग्रेस, गणित शिक्षकों का राष्ट्रीय संघ, अखिल भारतीय विज्ञान शिक्षक संघ अखिल भारतीय एवं महाविद्यालयी शिक्षक संघों आदि।

11.6.8 राज्य एवं स्थानीय स्तरीय संघ

भारत के प्रत्येक राज्य में राज्य स्तरीय बहुत सारे संघ हैं। किन्तु अधिकांश अपने सदस्यों के लोग कल्याण एवं उनकी समस्याओं के निवारण के नाम पर ट्रेड यूनियन जैसी गतिविधियों में लगे रहते हैं। कुछ भारतीय इकाइयों जैसे नगर निगम, नगर परिषद, जिलर परिषद एवं पंचायत समितियों द्वारा संचालित विद्यालयों के शिक्षकों के भी संघ होते है। शिक्षक एवं शिक्षक प्रशिक्षकों के ये राज्य स्तरीय संघ सामान्य एवं विशिष्ट दोनों ही क्षेत्रों से संबंधित होते है। अत: राजकीय विद्यालयी अनुदानित विद्यालयी एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयी शिक्षकों के भी स्थानीय स्तर पर संघ होते है। किन्तु ये संघ शायद ही कभी शैक्षणिक गतिविधियों से संबद्ध हो पाते हैं। राजस्थान में भी राज्य स्तर के संघ के शिक्षक संघ की स्थापना पिछले वर्षों में हुई। प्रो. आर. एम. शुक्ला इसके प्रथम अध्यक्ष व जे. बी. पुरोहित प्रथम सचिव थे। इसका मुख्यालय अभी अजमेर में है।

हमारे देश में व्यावसायिक संगठन या तो नियमित एवं प्रभावकारी तरीके से कार्य नहीं कर पाते या उनमें से अधिकांश ट्रेड यूनियन गतिविधियों में उलझे रहते हैं। बहुत थोड़े संगठन ही ऐसे हैं जो कि अपने क्षेत्र से संबंधित शैक्षणिक विकास हेतु कार्य करते हैं। सामान्यत: यह देखा गया हैं जो कि ये संघ कुछ व्यक्तियों द्वारा बहुत ही उत्साह, प्रेरणा एवं प्रतिबद्धता के साथ प्रारंभ किये जाते हैं किन्तु कुछ समय उपरांत वे विभिन्न कारणों से मृत हो जाते है। इन कारणों में हम मुख्यत: प्रतिबद्ध व्यक्तियों का अभाव, व्यक्तिगत, महत्वकांक्षा संकीर्ण प्रतिबद्धताएं, नेतृत्व एवं वित्त का अभाव, शक्ति जोड़ तोड़ व्यावसायिक ज्वलन को ले सकते है। कुछ संगठन अपने आपको राजनीतिक दलों से संबद्ध कर लेते है या व्यक्ति, संगठन का राजनीतिकरण करने लग जाते हैं।

इस समस्या के समाधान हेतु हम यह सुझाव दे सकते हैं जैसे कि बहुत सारे संगठनों की अपेक्षा व्यावसायिक प्रतिबद्धता युक्त कुछ महत्वपूर्ण संगठन होने चाहिये। इन संगठनों की सदस्यता योग्यता के आधार पर दी जानी चाहिये। प्रत्येक शिक्षक / शिक्षक-प्रशिक्षक के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाये कि वह कम से कम तीन संगठनों - एक स्थानीय, एक राज्यीय, एक राष्ट्रीय स्तर के संघ सदस्य बने। इन संगठनों को राष्ट्रीय शिक्षा शोध परिषद् एवं प्रशिक्षण परिषद् (एन. ई. आर. टी.), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन. सी. टी. ई.) नपा, यू जी. सी., मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, विश्वविद्यालय आदि द्वारा सहायता प्रदान की जाये। नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात की आवश्यकता भी महसूस की गयी है कि शिक्षक संघ शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे।

11.7 समस्या एवं सुझाव

भारत में कई अध्यापक संघ हैं जो वेतनमानों के पुनर्विचार, सेवा दशाओं आदि को सुधारने के लिए लड़ते है परन्तु अन्य देशों जैसे अमेरिका में अध्यापक व्यावसायिक संगठन अधिकतर शिक्षण व्यवसाय में कुशलता व क्षमता में विकास के लिए कार्य करते रहते हैं। वे अध्यापकों के लिए नैतिक नियम बनाते है ताकि शिक्षा का स्तर स्थापित किया जा सके। उनका संगठन मात्र शैक्षणिक होता है।

भारत में, समय-समय पर अध्यापक व्यावसायिक संगठन बनाए। ये कहना न्यायोचित नहीं होगा कि सभी संगठन प्रभावहीन है। बदलते हुए परिवेश में कुछ कमियों का आना स्वाभाविक हैं। अध्यापकों के वेतनमान व सेवा दशाएँ इत्यादि में सुधार लाने में संगठनों का भी योगदान है। हाँ, कुछ संगठन स्वयं को राजनीतिक दलों से सम्बद्ध कर लेते हैं जिसका प्रभाव यह होता है कि वे शैक्षणिक उद्देश्यों से दूर हो जाते हैं। कुछ और भी कारण हैं जैसे संकीर्ण प्रतिबद्धताएँ, नेतृत्व एवं वित्त का अभाव व व्यावसायिक जलन आदि।

यहाँ यह चर्चा करनी जरूरी है कि कौन से कदम उठाए जाने चाहिए जिससे व्यावसायिक संगठनों की कमियाँ दूर हो सके।

कोठारी आयोग (1964-66) के द्वारा बताए गए अध्यापक व व्यावसायिक संघों के निम्नलिखित कार्यों को संघ का सर्वोपरि उद्देश्य मानना चाहिए जैसे;

- अपने सदस्यों का व्यक्तिगत या सामूहिक रूप में, सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक स्तर स्थापित करना
- उनकी व्यावसायिक रुचि, कार्य और सेवा की दशाओं को बरकरार रखना
- अभिनव, पाठ्यक्रम, प्रकाशनों, पुस्तकालय सेवा और अध्ययन द्वारा अध्यापकों के व्यावसायिक विकास को सुरक्षित रखना
- शिक्षा सुधार के लिए नैतिक नियमों की रचना करना और यह विश्वास दिलाना कि सदस्य उसका अनुसरण कर रहे हैं या नहीं?

प्रत्येक अध्यापक / अध्यापक शिक्षा प्रशिक्षक को कम से कम तीन संगठनों - एक स्थानीय, एक राज्यीय और एक राष्ट्रीय स्तर का सदस्य बनना चाहिए। इन संगठनों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद्, राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन संस्थान (नीपा), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, विश्वविद्यालयों द्वारा सहायता मिलनी चाहिए।

1 जनवरी 1986 के पश्चात् सभी प्रकार के अध्यापक वर्गों पर पुनविचार के बाद अध्यापकों को अच्छा वेतनमान मिल रहा है। और जल्दी ही छठे वेतन आयोग शुरू होने की संभावना है। अत: शिक्षा का स्तर वांछनीय बनाने के लिए शिक्षक संघों को अध्यापक प्रतिबद्धता को बढ़ावा देना चाहिए।

मूल्यांकन प्रश्न

अब तक आपने जो सीखा, उसका मूल्यांकन निम्न प्रश्नों का उत्तर देकर कीजिए -

1 एक अन्तराष्ट्रीय, एक राष्ट्रीय एक राज्य स्तरीय व्यावसायिक संघ का नाम बताइये जिसके आप सदस्य बनना चाहते है? इसके सदस्य आप क्यों बनना चाहते हैं कारण बताइये।

2 व्यावसायिक संघ की कार्य प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए अपने सुझाव दीजिये।

3 शिक्षा से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के संघ की उपयोगिता पर प्रकाश डालें।

11.8 संदर्भ ग्रंथ

1 जी. चौरासिया - चैलेन्जैज एण्ड इन्नोवेशन एन एज्यूकेशन, स्टर्लिंग पब्लिकेशन नई दिल्ली, 1977

2 भारत सरकार नेशनल पॉलिशी ऑन एज्यूकेशन एण्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन, नई दिल्ली, 1986 व 1992

3 एच. एम. एस. ओ लन्दन, टीचर एज्यूकेशन एण्ड ट्रेनिंग अन्वेषण कमेटी की रिपोर्ट, लार्ड जेम्स रिपोर्ट

4 जे. सी. गोयल, 'द इण्डिया टीचर एज्यूकेशन सम करेक्टरिस्टकस आगरा', 1985

5 एल. सी. सिंह (सम्पादित) टीचर एज्यूकेशन इन इण्डिया ए सोर्स बुक। एन. सी. ई. आर. टी., नई दिल्ली, 1990

6 शिक्षा आयोग प्रतिवेदन (1964-66), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, एज्यूकेशन एण्ड नेशनल डैवलपमैंट, नई दिल्ली 1966

7 रिर्पोट ऑन द स्टेटस ऑफ टीचर्स, नीपा नई दिल्ली, 1984

8 आर. पी. सिंह, प्रोफेशनल एज्यूकेशन एन नसियेन्ट एण्ड मिडिवल इंडिया, नई दिल्ली, 1970

इकाई 12

शिक्षक प्रशिक्षक की व्यावसायिक सामाजिक एवं आर्थिक प्रतिष्ठा Professional Social and Economic Status of Teacher Education

इकाई की संरचना

12.0 उद्देश्य एवं लक्ष्य

12.1 विषय प्रवेश

12.2 व्यावसायिक सामाजिक एवं आर्थिक प्रतिष्ठा अवधारणा एवं अर्थ

12.3 प्रतिष्ठा के प्रमुख घटक एवं उन्नयन

12.4 शिक्षक प्रशिक्षकों के दायित्व तथा अधिकार

12.5 शैक्षणिक स्वतंत्रता

12.6 शिक्षक प्रशिक्षकों की कार्यदशाएं एवं प्रदत्त सुविधाएं

12.7 शिक्षकों हेतु आचार संहिता

12.8 सामाजिक एवं आर्थिक प्रतिष्ठा के उन्नयन हेतु कुछ ठोस सुझाव

12.9 संदर्भ ग्रंथ

12.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आशा है कि विद्यार्थी -

- व्यावसायिक, सामाजिक एवं आर्थिक प्रतिष्ठा की अवधारणा को समझ सकें।
- सामाजिक व आर्थिक प्रतिष्ठा के प्रमुख घटकों से परिचित हो सकें।
- शिक्षक प्रशिक्षकों के दायित्व तथा अधिकारों के बारे में परिचित हो सकेंगे।
- शैक्षिक प्रशिक्षकों के दायित्व तथा अधिकारों के बारे में परिचित हो सकेंगे।
- शैक्षिक स्वतंत्रता की संकल्पना को सही अर्थों में जान सकेंगे।
- शिक्षक प्रशिक्षकों की कार्यदशाओं से परिचित हो सकेंगे।
- शिक्षक प्रशिक्षकों को प्राप्त सुविधाएं व अपनी आचार संहिता से परिचित हो सकेंगे।
- व्यावसायिक, सामाजिक एवं आर्थिक प्रतिष्ठा के उन्नयन हेतु कुछ ठोस सुझाव दे सकें।

12.1विषय प्रवेश

शिक्षक प्रशिक्षकों की व्यावसायिक प्रतिष्ठा बहुत कुछ शिक्षक शिक्षा की सामान्य प्रतिष्ठा पर निर्भर करती है। भारतवर्ष के सामान्यत: देखने में आता है कि शिक्षकों की गिरती हुई प्रतिष्ठा के कारण ही विभिन्न वर्गों के अभिभावक अपनी संतानों के शिक्षण व्यवसाय में भेजना पसंद नहीं करते हैं, यद्यपि सदियों पूर्व से यह कहा जाता रहा है कि सभी व्यवसायों में अध्यापन व्यवसाय सर्वश्रेष्ठ है। वस्तुत: अध्यापन व्यवसाय अपने देश में गरीबी, उपेक्षा तथा असुरक्षा का पर्याय बन गया हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने स्पष्ट किया था कि अध्यापकों की

सामाजिक प्रतिष्ठा वेतन तथा सामान्य कार्य दशाएं संतोषजनक स्थिति से मीलों दूर हैं। प्रो. के. जी. सैयदन ने भी कहा था कि अध्यापन व्यवसाय में आकर्षण नहीं है और अधिकांश व्यक्ति कुछ न मिलने पर बाध्य होकर बाद में इस व्यवसाय के रूप में स्वीकार लेते है।

सामान्य शिक्षक तथा शिक्षक प्रशिक्षक की व्यावसायिक प्रतिष्ठा में कोई बड़ा अंतर देखने को नहीं मिलता है वस्तुत: यदि समाजशास्त्रीय ढंग से देखा जाय तो प्रतिष्ठा का अर्थ विभिन्न देशों तथा संस्कृति में भिन्न भिन्न हो जाता है। कुछ देशों में अध्यापक की प्रतिष्ठा उसके धर्म तथा राजनीति के स्वतंत्रता के अंश पर निर्भर करती है। कुछ देशों में व्यावसायिक मापदंडों की नियंत्रण क्षमता द्वारा, अध्यापक प्रतिष्ठा प्राप्त करता है तथा कुछ अन्य में वेतन एवं अन्य आर्थिक लाभ उसकी प्रतिष्ठा तय करते हैं। भारत में शिक्षक प्रतिष्ठा प्राय: शिक्षण शिक्षा की वर्तमान दशा / हैसियत एवं प्रशिक्षकों के वेतन तथा अन्य आर्थिक लाभों से लगाया जाता है। कई बार प्रशिक्षण व्यवसाय में लगे कर्मियों की तुलना अन्य क्षेत्रों में कार्यरत अधिकारियों जैसे बैंक, रेल विभाग, कोर्ट, मेल्टीनेशनल कंपनी आदि से जिन बिन्दुओं पर की जाती है, उसका संक्षिप्त सार होता है - प्रशिक्षकों के व्यवसाय में आर्थिक लाभ पर सुविधाएं कम है, कार्य अधिक होता है। अन्य व्यवसाय की अपेक्षाकृत, अभावों में पला शिक्षक, जिसे राष्ट्र निर्माण कहा जाता है, अपने जीवन में एक कुटीया तक का निर्माण नहीं कर पाता है यह दुखद टिप्पणी प्राय: सुनने को मिलती रहती है।

संक्षेप में अध्यापन व्यवसाय की गिरती हुई प्रतिष्ठा के प्रमुख कारक हैं - वेतन, कार्यदंशाएं तथा सरकार द्वारा प्रदत्त मान्यता में कमी। कुछ अन्य बिंदु जैसे कार्य के प्रति अनास्था, अरूचि तथा असुरक्षा भी है, जिन पर प्रतिष्ठा निर्भर करती है। यदि योग्यता कार्यदक्षता, सैद्धान्तिक विषयों में निपुणता, तथा छात्रों के हित में कार्य करने की क्षमता में कमी पाई जाती है तो व्यावसायिक प्रतिष्ठा में उन्नयन संभव नहीं हो पाता है।

किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली की सफलता अधिकांशत: उस देश के शिक्षकों की गुणात्मकता पर निर्भर करती है। वस्तुत: किसी भी समाज में शिक्षक का स्थान उसके सामाजिक-सांस्कृतिक लोकाचार को प्रतिबिंबित करता है। सच ही कहा गया है कि कोई भी राष्ट्र अपने अध्यापकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि किसी भी देश की शिक्षा का स्तर बहुत कुछ उस देश के शिक्षकों की योग्यता, कार्यकुशलता, निष्ठा एवं दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अत: अपेक्षित है कि अध्यापन व्यवसाय में केवल योग्य, प्रतिभासंपन्न तथा उत्साही व्यक्ति ही आवें, जो समर्पित भाव से अंत तक उत्साहपूर्वक अपने कार्य को संपादित करें। और यह तभी संभव हो सकेगा, जब विभिन्न स्तर की प्रशिक्षण संस्थाएं अपना दायित्व कुशलतापूर्वक निर्वाह करने की क्षमता रखती हों। निष्कर्ष के रूप में, मेरे विचार से शैक्षिक जगत में शिक्षक-शिक्षा को उच्च वरीयता के क्रम में रखना न केवल न्यायसंगत वरन् बदलते परिवेश में नितांत आवश्यक सा हो गया है।

दुर्भाग्यवश अपने देश में शिक्षक-शिक्षा की घोर आलोचना की जाती रही है तथा इस व्यवसाय को अन्य की तुलना में अनादर की दृष्टि से देखा जाता रहा है। एक सड़क छाप आदमी भी इस व्यवसाय की आलोचना करने को तैयार रहता है, भले ही वह शिक्षित हो अथवा अशिक्षित। दूसरे व्यवसायों की स्थिति सर्वथा भिन्न है। उदाहरणार्थ एक डाक्टर अथवा इंजीनियर के

कार्यकलाप की टीका-टिप्पणी करने का साहस सामान्य तथा साधारण व्यक्ति नहीं कर पाता है किंतु वही व्यक्ति शिक्षण कार्य की कमियां बताने का अवसर खोजा करता है। इस व्यवसाय को अन्य व्यवसायों की तुलना में पिछली कुछ सदियों से निम्न तथा हेय माना जाता रहा है। यद्यपि यह सही हो सकता है कि शिक्षकों की गिरती हुई प्रतिष्ठा को कुछ बढ़ा चढ़ाकर इंगित किया जाता है, किंतु यह भी उतना ही सच है कि वर्तमान समाज में अध्यापकों की प्रतिष्ठा असंतोषजनक एवं दयनीय बन गई है, जिसे सुधारने का प्रयत्न करना होगा। विद्यार्थी, जो अध्यापक के संरक्षण में होते हैं, समाज एवं राष्ट्र की धरोहर हैं, इस दृष्टि से जनता को यह अधिकार तो होना ही चाहिए कि वह जान सके कि शिक्षक-शिक्षा कि स्तर की दी जा रही है, किंतु प्रशिक्षण के क्षेत्र में उसका सीधा हस्तक्षेप उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

12.2 व्यावसायिक, सामाजिक एवं आर्थिक प्रतिष्ठा - अवधारणा एवं अर्थ

शिक्षक-प्रशिक्षकों की प्रतिष्ठा का सीधा एवं निकट संबंध होता है -

(अ) शैक्षिक जगत में शिक्षक-शिक्षा की अहमियत तथा मान्यता से।

(ब) शिक्षक व्यवसाय से जुड़े सामान्य अध्यापकों की प्रतिष्ठा से।

वस्तुत: शिक्षक शिक्षा, शिक्षा प्रणाली का ही एक भाग है तथा शिक्षक प्रशिक्षक सामान्यतया शिक्षकों का ही एक विशेष वर्ग माना जाता है। शिक्षण व्यवसाय को कई स्तरों तथा दर्जों में बांटकर देखने की प्रवृत्ति भारतीय समय में फैल चुकी है जैसे पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चस्तरीय शिक्षक-शिक्षा। इन विभिन्न स्तरों में कार्यरत प्रशिक्षकों की प्रतिष्ठा को भिन्न-भिन्न रूप से मापा जाता है। प्राय: स्तर के बढ़ने के क्रम में ही इनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ जाती है। प्राथमिक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण में सेवारत प्रशिक्षकों को समाज में उतना आदर तथा सम्मान नहीं मिलता है, जितना उच्च स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षकों को जो विश्वविद्यालयों अथवा ट्रेनिंग कॉलेजों में कार्यरत हैं। यही नहीं सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रश्न को प्रशिक्षकों की विशिष्टता (Specialisation) के साथ तथा अर्जित किए गए विषय विशेष के ज्ञान के साथ जोड़ने की परंपरा भी देश में पहले से ही चली आ रही है। कुछ भी हो, यह सत्य है कि किसी भी व्यवसाय की प्रतिष्ठा उस व्यवसाय में कार्यरत व्यक्तियों की क्षमता, निष्ठा एवं उत्साह पर बहुत कुछ निर्भर करती है। यही कारण है कि योग्य, प्रतिभासंपन्न, कर्मठ एवं निष्ठावान व्यक्तियों को शिक्षण व्यवसाय में आने के लिए प्रेरणा प्रदान करनी चाहिए, अन्यथा उनका झुकाव अन्य व्यवसायों की ओर हो जाएगा।

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मुद्रित वृहत पारिभाषिक शब्द संग्रह (मानविकी खंड-2) में सोशल एण्ड इकोनॉमिक स्टेटस का शाब्दिक अर्थ "सामाजिक तथा आर्थिक प्रतिष्ठा अथवा हैसियत" दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक (UNESCO) ने शिक्षक प्रतिष्ठा को अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास 1966 में किया था। इस संगठन के अनुसार "शिक्षकों के सन्दर्भ में प्रतिष्ठा का अर्थ उस स्थापन अथवा आदर से लगाना चाहिए, जो उन्हें दिया गया है, और जो परिलक्षित होता है। उनके कार्यकलापों तथा

क्षमताओं की सराहना के स्तर से तथा उन कार्यदशाओं, पारिश्रमिक व अन्य आर्थिक लाभों की श्रेणी पर जो उन्हें अन्य व्यावसायिक समूहों की तुलना में प्रदत्त किए गए हैं।"

उपरोक्त परिभाषा में निम्न प्रमुख बिंदु समाहित से प्रतीत होते हैं-

- समाज द्वारा शिक्षक व्यवसाय को प्रदत्त दर्जा अथवा हैसियत
- शिक्षक समुदाय की योग्यताएं तथा क्षमताएं
- शिक्षकों की कार्यदशाए, पारिश्रमिक एवं अन्य आर्थिक लाभ
- अन्य व्यवसायों के साथ तुलनात्मक अध्ययन।

12.2.1 व्यावसायिक प्रतिष्ठा - कुछ भ्रांतियाँ (Professional Status a few Misconception)

भारतवर्ष में शिक्षकों की व्यावसायिक प्रतिष्ठा को लेकर तरह तरह की भ्रांतियाँ भी जनसाधारण में फैली हुई हैं जिनके विषय में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना इस स्थल पर न्यायसंगत होगा। पहली भ्रांती यह है कि प्राचीन युग में शिक्षकों की प्रतिष्ठा बहुत थी और इसमें हास स्वतंत्रता के उपरान्त हुआ है इतिहास के पृष्ठों से यह बात स्पष्ट हो जाती है। कि 1854 में 'वुड डिस्पैच' ने यह आशा की थी कि शिक्षकों को अन्य लोकसेवा विभागों की भाँति शीघ्र ही प्रोत्साहन मिल सकेगा। लगभग 70 वर्षो के अन्तराल के बाद भी हार्टाग कमेटी के सदस्यों ने दुःख के साथ कहा था कि किसी भी प्रांत में शिक्षकों को मिलने वाला वेतन उसके कार्य प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। एक और भ्रम लोगों के मस्तिष्क में बना हुआ है कि प्राचीन काल में गुरू को, जो एक साधारण व्यक्ति होता था सामाजिक प्रतिष्ठा एवं सम्मान बहुत था। यद्यपि प्राचीन काल में गुरू को मिलने वाले आर्थिक लाभ बहुत बखान नहीं किया जाता था किन्तु इसका अर्थ कदापि नहीं लगाया जा सकता कि उस समय शिक्षकों में धन उर्पाजन की रूचि थी ही नहीं और वर्तमान में अच्छा अध्यापक उसी को माना जाए जो आर्थिक लाभों पर ध्यान न देता हो। डॉ. राधा कृष्णन ने भी कहा था कि वर्तमान युग में (जो आर्थिक व्यवस्था पर आधारित है) केवल शिक्षकों से ही यह आशा नहीं करनी चाहिये कि वह आर्थिक सम्पन्नता से अपने को दूर रखते हुए कार्य करें। वस्तुतः वर्तमान समय की परिस्थितियों तथा पूर्वकाल की परिस्थितियों में बड़ा अंतर पाया जाता है। पूर्वकाल में प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक पूरे गांव अथवा क्षेत्र में अकेला पढ़ा लिखा व्यक्ति होता था अतः उस समय उसकी प्रतिष्ठा आज की तुलना में उच्च कोटी की होना स्वाभाविक ही माना जायेगा। वर्तमान काल में शिक्षकों के अलावा अन्य बहुत से लोग हैं जो विभिन्न व्यवसायों से जुड़े हैं तथा प्रतिष्ठित प्रतिभासंपन्न विशेषता माने जाते है। अंत में एक प्रचलित भ्रांति के विषय में उल्लेख करना जरूरी है। जन साधारण की एक धारण यह बन गई है कि अध्यापक की प्रतिष्ठा को तभी बढ़ाया जा सकता है जब उसे अच्छा वेतन, अच्छी कार्यदशाएं तथा पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराए जाए। किन्तु विश्लेषण करने पर सार यह निकलता है कि शिक्षक की प्रतिष्ठा वह तत्व है जिसे शिक्षक स्वयं अपने बल बुते पर अर्जित करता है और उसकी योग्यता, कार्यकुशलता अनुशासित जीवन शैली, तथा व्यवसाय के प्रति विश्वास एवं निष्ठा पर निर्भर करता है।

12.3 प्रतिष्ठा के प्रमुख घटक एवं उन्नयन (Main Components of Status)

वैसे तो शिक्षक-शिक्षा की प्रतिष्ठा को प्रभावित करने वाले बहुत से तत्व होते हैं, किंतु कुछ प्रमुख घटकों को उल्लेख इस स्थल पर किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। यह घटक निम्नाकिंत हैं-

(1) शिक्षक- शिक्षा का बदलाव स्वरूप एवं उसकी मान्यता

(2) शिक्षक-शिक्षा में वेतन एवं अन्य आर्थिक लाभ

(3) शिक्षक प्रशिक्षकों की व्यावसायिक प्रगति एवं उनकी भूमिका

(4) शिक्षक संगठनों की भूमिका

(5) शिक्षक प्रशिक्षकों का दायित्व, अधिकार, शैक्षिक स्वतंत्रता, कार्यदशाएं, सुविधाएं आचार संहिता आदि

शिक्षक प्रशिक्षकों की सामाजिक एवं आर्थिक प्रतिष्ठा को उपरोक्त घटकों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। अगले कुछ पृष्ठों मे इन घटकों की विवेचना प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

12.3.1 शिक्षक शिक्षा का बदलता स्वरूप एवं उसकी मान्यता (Changing image of teacher Education and its recognition)

(अ) परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में - वर्तमान वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के गुण में शिक्षक-शिक्षा को पीछे छोड़ना किसी भी स्थिति में, किसी भी देश के लिए हितकारी नहीं माना जा सकता। जहां वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के क्षेत्र में विश्व के विकासशील एवं विकसित देशों में एक होड़ सी चल रही है वहां शिक्षक-शिक्षा को परंपरागत शैली में चलाना न केवल हास्यापद होगा वरन् अनुपयुक्त भी। आजकल शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में भारी बदलाव दृष्टिगोचर हो रहा है। इस बदलाव के दो प्रमुख कारण हैं- परिवर्तन तथा विस्फोट। शिक्षा का दायित्व परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति एवं समाज को इसके लिए तैयार करने का होता है। परिवर्तन तो अवश्यंभावी है। और शिक्षा को यह बताना होगा कि साधारण नागरिक इसे किस प्रकार स्वीकार करें तथा परंपरागत मानसिकता को किस प्रकार दूर करते हुए गतिशील चिंतन के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास करे। इस प्रकार की विचारधारा यूनेस्को द्वारा गठित अंतर्राष्ट्रीय आयोग ने 1971 में प्रतिपादित किया था, जिन्हें इसकी रिपोर्ट "लर्निग दु बी" में देखा जा सकता है।

चूंकि परिवर्तन अकाट्य एवं अवश्यंभावी है अत: इससे विमुख होना, कायरता मात्र होगी। तीव्रगति से हो रहे परिवर्तन को देखते हुए शिक्षक-शिक्षा को भी बदलना पड़ेगा। उदाहरण के लिए यदि कम्प्यूटर पर कार्य करने की दक्षता प्राथमिक अथवा माध्यमिक स्तर के शिक्षक में लानी हैं, तो आवश्यक होगा कि शिक्षक-प्रशिक्षक के पाठ्यक्रम में सुधार लाते हुए इसकी मौलिकता जानकारी तथा इस पर कार्य करने की क्षमता को विकसित किया जाए।

वस्तुत: वर्तमान युग में जीवन तथा समाज दोनों ही काफी जटिल एवं संघर्षपूर्ण बन चुके हैं। पहले की तुलना में प्रत्येक स्तर के शिक्षक का कार्य अधिक क्लिष्ट एवं जटिल बन चुका है और यह भी सच है कि इसकी कठिनाई तथा जटिलता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। शिक्षक को इसके लिए भलीभाँति तैयार होना पड़ेगा और यह तभी संभव हो सकेगा जब विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाएं इस बदलाव के प्रति जागरूक रहें तथा सिद्धांत एवं व्यवहार में यथाशीघ्र वांछित सुधार कर लें। यह दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि वर्तमान में अध्यापक-शिक्षा का पाठ्यक्रम, भूतकाल के स्कूली पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ है और उसमें भविष्य की शैक्षिक आवश्यकताओं का समावेश पर्याप्त ढंग से नहीं हो सका है। मेरे विचार से, भूतकाल तथा भविष्यकाल के शिक्षकों की तैयारी के कार्यक्रम को एक सीधी रेखा में रखना, अपने को धोखे में डालना मात्र होगा।

यह सर्वमान्य है कि यदि भारत को लोकतांत्रिक समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना के लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है तो शिक्षा में सामान्यरूप से तथा शिक्षक-शिक्षा में विशिष्टरूप से परिवर्तन लाने होंगे, ताकि समाज में वांछित प्रतिष्ठा मिल सकें।

(ब) ज्ञान एवं जनसंख्या विस्फोट के परिप्रेक्ष्य में :- वर्तमान युग में ज्ञान का विस्तार नहीं वरन् विस्फोट हुआ है ज्ञान वृद्धि की गति बहुत तीव्र बन चुकी है। विभिन्न विषयों एवं क्षेत्रों में ज्ञान भंडार इतनी गति से बढ़ रहा है कि शिक्षक के सामने इस बढ़ते हुए ज्ञान को प्राप्त करने की चुनौती बन गई है। आवश्यकता इस बात की है कि प्रशिक्षण के दौरान दिए जाने वाले विषयों तथा तरीकों से संबंधित ज्ञान की सीमायें तय की जाय और यदि आवश्यक हो तो प्रशिक्षण की अवधि को बढ़ाया जाय। फिलहाल यदि अवधि बढ़ाना संभव न जान पड़े तो कम से कम प्रशिक्षण हेतु निर्धारित समय का पूरा-पूरा उपयोग सार्थक एवं प्रभावी ढंग से किया जाये, इसकी व्यवस्था करना नितांत आवश्यक हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने हाल में माध्यमिक स्तरीय प्रशिक्षण में 210 कार्य दिवस की संकल्पना की हैं, (प्रवेश 0, परीक्षा 10, शिक्षण अभ्यास 40, अध्यापन दिवस 150) जो उचित है।

वर्तमान में तीव्रगति से बढ़ रहे ज्ञान के साथ-साथ जनसंख्या भी द्रुतगति से बढ़ रही है। इसका अनुमान सहज ही इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत की जनसंख्या जो 1961 में 44 करोड़ थी इक्कीसवीं सदी के आरंभ होने तक बढ़कर अनुमानत: 100 करोड़ के ऊपर हो जाएगी। इस बढ़ोतरी का सीधा प्रभाव कुप्रभाव शिक्षा शिक्षक-शिक्षा तथा शिक्षकों की सामाजिक एवं आर्थिक प्रतिष्ठा पर पड़ना स्वाभाविक ही है। जनसंख्या के दबाव के कारण ही स्वतंत्रता प्राप्ति के समय निर्मित संविधान की धारा 45 का लक्ष्य, जिसके अनुसार 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा का प्रावधान रखा गया था हम आज भी पूरा नहीं कर पाए हैं। यह निश्चय ही चिंता का विषय बन गया है सभी बच्चों की समुचित शिक्षा हेतु भौतिक, आर्थिक एवं मानवीय संसाधनों को किस प्रकार पर्याप्त मात्रा में जुटाया जाय। योग्य एवं दीक्षित शिक्षकों की कमी ही वर्तमान समस्या नहीं है, वरन् प्रशिक्षण संस्थाओं की सीमित संख्या, एवं संसाधनों की कमी भी विकट समस्या बनती जा रही है। यहां यह बताना न्यायसंगत होगा कि प्रशिक्षण संस्थाओं के संख्यात्मक विकास के कारण उनका गुणात्मक विकास अवरूद्ध न हो जाय, इसकी सावधानी बरतना नितांत आवश्यक हो गया है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि

ज्ञान तथा जनसंख्या वृद्धि के कारण शिक्षा में वांछित परिवर्तन लाए जाये और शिक्षक-प्रशिक्षकों की गिरती हुई प्रतिष्ठा को प्राण-प्रण से रोकने का प्रयास किया जाए।

(स) जटिल प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में :- शिक्षा अपने में एक जटिल प्रक्रिया है और इसी क्रम में शिक्षक-शिक्षा को उससे भी जटिल प्रक्रिया मानना चाहिए। स्टोन्स तथा मारिस ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि "दुनियां में मनुष्य का सीखना अत्याधिक जटिल वस्तुओं में से एक है, और दूसरे व्यक्ति को सिखलाना (जिसे हम प्रात: प्रशिक्षण के नाम से पुकारते हैं)" उसी पैमाने पर असंख्य समस्याओं को समाहित किए हुए है" अत: इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि वह लोग जो शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनका तथा उनके द्वारा प्रयुक्त विधियों की तीखी आलोचना देखने को मिले।

शिक्षक-शिक्षा की जटिलताएं सामान्य: दो तत्वों पर आधारित होती हैं- प्रथम वह सारे तत्व हैं जिन पर शिक्षक का नियंत्रण होता है, और जिनमें वह परिवर्तन ला सकता है- जैसे विषयवस्तु का सीमांकन, प्रश्न पूछने की कला, श्रव्य-दृश्य सामग्री का चयन आदि। दूसरे प्रकार के तत्व वह होते हैं, जिन पर शिक्षक का नियंत्रण नहीं रहता है, जिसमें वह अपनी इच्छा से परिवर्तन नहीं ला सकता है- जैसे कक्षा में छात्रों की संख्या, कक्ष का आकार, संसाधन, छात्रों की विशेषताएं तथा विभिन्न तत्वों का अपना महत्व तो होता ही है साथ ही साथ इन तत्वों का आपसी संबंध भी शिक्षा की संख्यात्मक एवं गुणात्मक प्रगति को प्रभावित करता है। उपरोक्त तत्वों को सीधा एवं व्यापक प्रभाव शिक्षकों की प्रतिष्ठा पर भी पड़ता है। अत: इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण के दौरा अधिकाधिक व्यावहारिक अवसर इन तत्वों को समझने तथा इनके साथ स्वयं को अभियोजित करने हेतु प्रदान करने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। यदि ऐसा किया गया तो निश्चित रूपेण शिक्षक प्रशिक्षण की प्रतिष्ठा को गिरने से रोकना संभव हो सकेगा।

शिक्षक-शिक्षा की बदलती हुई छवि तथा प्रतिष्ठा का आकलन समाज तथा जनसाधारण अपने स्तर पर समय-समय पर करता रहता है। इस आकलन में शिक्षक-प्रशिक्षक कितने खरे उतर रहे हैं। तथा उनकी प्रतिष्ठा अन्य व्यवसायों की तुलना में कैसी है, इन बिंदुओं पर बहुत कुछ व्यवसाय की मान्यता निर्भर करती है। इसी कसौटी पर जांचने के कारण प्राय: व्यवसाय के विरूद्ध टीका-टिप्पणी सुनने को मिलती है- जैसे प्रशिक्षण संस्थाओं में दिया ज्ञान तथा कौशल इन्हीं चहारदीवारियों में रह जाता है, उसे विद्यालयों में व्यावहारिक तरीके से लागू नहीं किया जा सकता, शिक्षक प्रशिक्षक आलसी होते हैं, उनका ज्ञान सीमित तथा पुराना होता है, जो लोग अन्य व्यवसायों में नहीं जा पाते हैं, वहीं घूम फिर कर शिक्षक प्रशिक्षक बन जाते हैं आदि। अत: संक्षेप में कहा जा सकता है कि इस प्रकार की टीका-टिप्पणी से ऊपर उठकर, शिक्षक-प्रशिक्षक को समाज की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं के अनुरूप अपने को ढालना होगा तभी उसे समुचित आदर सम्मान मिल सकेगा।

शिक्षक-शिक्षा एक जटिल प्रक्रिया है और इसकी समुचित तैयारी के लिए पर्याप्त समय तथा संसाधनों की आवश्यकता रहती है। वस्तुत: प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा तीन चार महीनों में सिद्धांत

तथा व्यवहार के पाठ्यक्रम को पूरा करा देने की उनके द्वारा अमान्यरूप से पैसा बटोरने की, अपेक्षित प्रशिक्षकों, एवं संसाधनों (लाइब्रेरी, लैब आदि) के अभाव में प्रशिक्षण पूरा देने की प्रवृत्ति ने, इस व्यवसाय की प्रतिष्ठा पर धबे लगा दिए हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) ने विगत वर्षों से इस गिरती हुई प्रतिष्ठा को रोकने का प्रयास किया है। अब प्रत्येक स्तर तथा प्रत्येक प्रकार के प्रशिक्षण संस्थान को इस उच्चस्थ परिषद से मान्यता लेना आवश्यक हो गया है और मान्यता तभी दी जाती है, जब इसके द्वारा स्थानीय नियमों एवं मानदंडों की विधिवत अनुपालना हो रही हो। आशा है कि शिक्षक शिक्षा की प्रतिष्ठा को समुन्नत करने में इस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

अब तक आपने जो सीखा उसका मूल्यांकन निम्न प्रश्नों का उत्तर देकर कीजिए-

(1) निम्न प्रश्नों का उत्तर 150 शब्दों में दें-

(1) शिक्षकों की सामाजिक प्रतिष्ठा उनकी आर्थिक प्रतिष्ठा से किस प्रकार संबंधित हैं?

(2) वर्तमान में शिक्षकों की प्रतिष्ठा के असंतोषजनक होने के क्या कारण हैं?

(3) शिक्षक शिक्षा के बदलते स्वरूप पर प्रकाश डालिए।

12.3.2 शिक्षक-शिक्षा में वेतन एवं अन्य आर्थिक लाभ

(Salary and other benefits in Teacher Education)

भारत में किसी कार्यकर्ता की प्रतिष्ठा मापने का पैमाना प्राय: उसके द्वारा अर्जित किए जाने वाले वेतन को मानते हैं समानता के सिद्धांत पर यह कहा जा सकता है कि प्रशिक्षकों का वेतन, अन्य व्यवसायों में कार्यरत व्यक्तियों के वेतन के समान होना चाहिए, यदि उनकी योग्यताएं एवं कार्यदशाएं आदि समान है। प्रतिष्ठा के प्रश्न को तुलनात्मक दृष्टि से देखा जा सकता है। अपने देश में शिक्षक-शिक्षा को कई श्रेणियों में बांटकर देखने की प्रवृत्ति प्रचलित है- उदाहरण के तौर पर पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च स्तरीय प्रशिक्षण संस्थाएं, जो क्रमश: नीची प्रतिष्ठा से ऊंची प्रतिष्ठा की ओर ले जाने वाले संस्थान माने जाते रहे है। इन विभिन्न स्तरीय प्रशिक्षकों के वेतनमानों में बड़ा अन्तर पाया जाता है। प्रशिक्षकों के वेतनमानों में तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में कार्यरत अफसरों (आई.ए.एस., पी.सी.एस., आर.ए.एस. आदि) के वेतनमानों में भी वह अंतर स्पष्ट देखने को मिलता है। अत: आवश्यकता इस बात की है इन श्रेणियों के मध्य पाए जाने वाले वेतन विसंगितयो को यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास किया जाय, तभी प्रतिष्ठा के प्रश्न का समुचित हल खोजा जा सकेगा।

भारत में समय समय पर गठित शिक्षा समितियों एवं आयोगों ने विभिन्न श्रेणियों के शिक्षक-प्रशिक्षकों के लिए, वेतनमानों की संस्तुतियां प्रस्तुत की हैं और इनमें व्याप्त विसंगतियों को दूर करने का प्रयास भी किया है, जिस पर भी वस्तुस्थिति यह है कि वेतनमानों को लेकर विभिन्न प्रांतों में तथा एक ही प्रांत के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सी विषमताएं अभी देखने को मिलती हैं। यह भी सच है कि प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च स्तरीय प्रशिक्षकों के वेतन में अंतर

बढ़ता गया है तथा विभिन्न प्रांतों में कार्यरत एक ही स्तर के प्रशिक्षकों के वेतन में भी भिन्नता पाई जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा स्वीकृत वेतनमान जो एक बी.एड. कॉलेज के प्रशिक्षक (माध्यमिक स्तर) को मिलनी चाहिए बहुत से प्रांतों की प्रशिक्षण संस्थाओं में नहीं दिया जा रहा है- उदाहरण के तौर पर राजस्थान को लिया जा सकता है। राजस्थान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रतिपादित वेतनमानों के स्थान पर प्रांतीय सरकार द्वारा अनुमोदित वेतनमान लागू किए गए हैं। यह भी सर्वविदित है कि राजनैतिक दबाव से खोले गए बहुत से बी.एड. कॉलेजों में कम वेतन पर, कम समय के लिए, कम योग्यता धारक प्रशिक्षकों की नियुक्ति करने का चलन सा बन गया है। प्रशिक्षक को मिलने वाले अन्य आर्थिक लाभों जैसे पेंशन, प्रोविडेन्ट फंड, ग्रैचुटी, मकान तथा चिकित्सा भत्ता आदि की बात तो इस प्रांत में अभी तक उठाई नहीं जा सकी है। इस प्रांत की अधिकांश गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थाओं में वेतन विसंगतियों तथा अन्य आर्थिक विषमताएं विद्यमान है, जिन्हें दूर करना एक कठिन प्रक्रिया बन गई है।

12.3.2.1 शिक्षकों के राष्ट्रीय आयोग

शिक्षकों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर परामर्श देने के निमित्त भारत सरकार ने 1983 में दो राष्ट्रीय आयोगों की नियुक्ति की थी। प्रथम आयोगों ने स्कूल स्तर के अध्यापकों से संबंधित बिंदुओं पर विचार किया, जबकि दूसरे आयोग ने उच्च शिक्षा के स्तर पर कार्यरत शिक्षकों से संबंधित मुद्दों पर विचार किया। प्रथम आयोग के अध्यक्ष प्रो.डी.पी. चटोपाध्याय तथा दूसरे आयोग के प्रो.रईस अहमद थे। इन आयोगों ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 1985 में तत्कालीन केन्द्रीय शिक्षा मंत्री को सौंप दी थी।

प्रथम आयोग ने एक महत्वपूर्ण संस्तुति यह की थी केन्द्र तथा राज्य सरकारों के ढेर सारे वेतन मानों के स्थान पर, एक ही वेतनमान लागू करने की संभावना पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। देश के सभी प्रकार के अध्यापकों तथा शिक्षा प्रशासकों के लिए एक ही समन्वित वेतनक्रम लागू करना संयुक्त राष्ट्रीय वेतनक्रम की दिशा में पहला कदम होगा। यह वेतनक्रम निम्न रूप में हो

500-20, -600-20-30-850-30-1000-40

-1200-40-1,600-50-2100-50-2350-50-2600

-60-2900-75-3275-75-3575-75-3950

संक्षेप में प्राइमरी अध्यापक से लेकर डायरेक्टर ऑफ एजूकेशन तक सभी प्रकार के शिक्षकों एवं प्रशासकों से इसी एक समन्वित वेतनक्रम में रखने की सिफारिश की गई थी। ज्ञातव्य है कि यह वेतनक्रम सभी भत्तों को छोड़कर बनाया गया है तथा इसमें भर्ती होने के प्रत्येक चरण से 5 वर्ष के बाद और उसके हर 10 साल बाद दक्षता रोध (एफीशियन्सी बार) का प्रावधान किए जाने की सिफारिश की गई हैं।

शिक्षकों के लिए बनाए गए द्वितीय राष्ट्रीय आयोग ने स्पष्ट वेतनमानों का निर्धारण लेक्चरर रीडर प्रोफेसर के पदो के अनुरूप करने की चेष्टा की थी। सामान्य शिक्षक का जब वह 8 वर्ष की सेवा पूरी कर ले मूल्यांकन किया जाये, और यदि उपयुक्त पाया जाये तो उसे अगले वेतनक्रम में लिया जाए यह एक औसत तरीका माना गया है अगर यह व्यवस्था ठीक तरह से

क्रियान्वित होती है तो प्रत्येक शिक्षक को अपने सेवाकाल में पदोन्नति मिल सकेगी और कोई भी शिक्षक उच्चतम वेतन के 75 प्रतिशत तक पहुंच सकेगा। प्रतिभाशाली शिक्षक अपना विवरण तथा उपलब्धियों को बताकर विशेष मूल्यांकन का अधिकारी हो सकता है, बशर्ते कि उसने विशेष वेतनमान पर छः साल की सेवा की हो ओर उसे वैध चयन समिति आयोग के द्वारा योग्य पाया गया हो। शिक्षकों को मिलने वाले अन्य आर्थिक लाभों यथा-आवासीय भत्ता, पेंशन, प्रोविडेन्ट फंड, ग्रेचुटी,सामूहिक इन्श्योरेंस, अवकाश में यात्रा भला आदि के आयोग ने स्पष्ट संस्तुतियां प्रस्तुत की हैं।

पंचम वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 33 वेतनमानों की सिफारिश की है। आयोग ने न्यूनतम वेतन 2240 रूपये और अधिकतम मूल वेतन 30000 रूपये प्रतिमाह की संस्तुति दी है। वैसे देश के प्रमुख संगठनों, (जिनमें शिक्षक संगठन भी हैं) ने इस रिपोर्ट को निराशाजनक और प्रतिगामी करार दिया है। जिन बिंदुओं को लेकर वेतन आयोग की तीखी आलोचना की गई है उनमें कुछ प्रमुख बिंदु निम्नाकिंत हैं।-

1. इसे लागू करने की तिथि 1-1-94 के स्थान पर 1-1-96 दी गई है।
2. आयोग ने न्यूनतम वेतनमान 3350 रूपये रखने का अनुरोध ठुकरा दिया है और मौजूदा वेतनमान में महंगाई भत्ते जोड़ने के साथ, मामूली वृद्धि करके ही संशोधित वेतनमान प्रस्तावित किया है।
3. सरकारी सेवाओं में निचले स्तर पर 30 प्रतिशत कटौती के साथ-साथ, 311 काख रिक्त पदों का समाप्त करना, निचली श्रेणी की नियुक्ति बंद करना तथा सरकारी सेवा में निचली श्रेणी में अनुबंध का आधार बनाने की योजना का विरोध किया गया।
4. अन्य आर्थिक लाभों यथा मकान तथा चिकित्सा भत्ता आदि में निम्न श्रेणी तथा उच्च श्रेणी के कर्मचारियों में भारी अंतर रखा गया जो न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता। कुछ संगठनों का दावा है कि आयोगों द्वारा मान्य मकान भत्ते में, निम्न श्रेणी का शिक्षक / कर्मचारी कभी भी कही भी मकान किराए पर नहीं ले पाएगा। उसे व्यावहारिक बनाया जाना चाहिए।

   गौरतलब बात यह है कि व्यवसायिक तथा तकनीकी क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के साथ वेतन आयोग का रवैया न्यायपूर्ण नहीं रहा है। द्वितीय तथा तृतीय वेतन आयोगों की संस्तुतियों में सामान्य प्रशासन के आई.ए.एस. अधिकारियों तथा व्यावसायिक एवं तकनीकी क्षेत्र में लगे अधिकारियों द्वारा अर्जित किए जाने वाले वेतन तथा अन्य लाभों के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास किया गया था।

चतुर्थ वेतन आयोगों ने इन सभी अधिकारियों (जिनमें शिक्षक प्रशिक्षक भी हैं) के वेतन में समानता की संस्तुति की थी किंतु पंचम वेतन आयोग में सभी प्रकार के उक्त पूर्व में प्रयासों पर पानी फेर दिया हैं, चूंकि इसने आई.ए.एस. अधिकारियों को अधिक वेतन व अन्य लाभों को देने की सिफारिश की है।

12.3.2.2 शिक्षक-प्रशिक्षकों को मिलने वाले अन्य आर्थिक लाभ

वेतन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक लाभों में महंगाई भत्ता, पेंशन, प्रोविडेन्ट फंड, गैचुटी आदि आते हैं, वस्तुत: इन आर्थिक लाभों को जब तक बढ़ती हुई महंगाई की दर के सही संबद्ध नहीं किया जाता है, बढ़े हुए आर्थिक लाभ का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। सच तो यह है कि प्रशिक्षकों की वास्तविक आमदनी में भारी कमी / कटाव हो जाता है, चूंकी रूपए का निरंतर अवमूल्यन हो रहा है। इस स्थिति से उसे शीघ्र ही उबारना होगा। एक सर्व के अनुसार 1973-74 में जो मूल वेतन शिक्षकों को मिल रहा था उसमें 10 वर्षों में 100-400 रूपये तक की कमी आई है, जिसे निम्न टेबुल में दर्शाया गया है-

1 जनवरी 1996 के अनुसार वेतनमान

प्राध्यापक	रुपये 8,000/- से 13,500/-
प्राध्यापक (सीनियर स्केल)	रुपये 10,000/- से 15,200/-
रीडर	रुपये 12,000/- से 18,300/-
प्रोफेसर / प्रिंसपल	रुपये 16,400/- से 22,400/-

नए छठे वेतन आयोग के अनुसार जल्दी ही वेतनमान में वृद्धि अनुमानित हैं।

1983-84 का वास्तविक मूल्य

(1973-74 के आधार पर)

1973-74 का वेतनमान	स्थिर कीमत पर वेतनमान का मूल्य न्यूनतम /अधिकतम		1973 के संशोधन के पूर्व का वेतनमान न्यूनतम / अधिकतम	
प्राध्यापक रू. 700-1600	327	561	400	900
रीडर. 1200-1900 561	887	700	1200	
प्रोफेसर /प्रिंसपल. 1500-2500	701	1168	1150	1500

शिक्षक प्रशिक्षकों को मिलने वाले अन्य आर्थिक लाभों में भी बड़ी विसंगतियां पाई जाती है। अधिकांश प्रांतों की सरकारी संस्थाओं में महंगाई केन्द्रीय संस्थाओं में दिए जाने वाले महंगाई भत्ते के बराबर दिया जाता है परन्तु गैर सरकारी संस्थानों में प्रबन्धक अपनी इच्छानुसार महंगाई भत्ता देते हैं। जो सामान्यत: 10 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक होता है। पेंशन, प्रोविडेन्ट फंड, अनुग्रहराशि(ग्रैचुटी), आवासीय भत्ता आदि हेतु बनाए गए सरकारी नियम केवल सरकारी संस्थाओं में ही पूर्णत: लागू होते हैं। अन्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रबंधन ने अपनी सुविधानुसार या तो नियमों को पूर्णत: नकारा है या फिर नियमानुसार देय आर्थिक लाभों में भारी फेरबदल और कटौतियों की है।

शिक्षकों को कुछ लाभ व्यक्तिगत परीक्षा आदि के (पारिश्रमिक) की स्वीकृति देना न्यायसंगत होगा किंतु इस बात की सावधानी रखनी पड़ेगी कि इस सुविधा का वह दुरूपयोग न करें और वह सुविधा शिक्षार्थियों के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रूकावट न पैदा करें। साधारण

तौर पर इस प्रकार का आर्थिक लाभ प्रशिक्षण के 5 प्रतिशत मूल वेतन से अधिक नहीं होना चाहिए।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

अब तक आपने जो सीखा, उसका मूल्यांकन निम्न प्रश्नों का उत्तर देकर कीजिए।

(1) राजस्थान में शिक्षक प्रशिक्षकों के वेतनमानों में अन्य प्रमुख राज्यों के वेतनमानों से क्यों असमानता हैं ?

(2) ''राजस्थान के अधिकांश शिक्षक प्रशिक्षकों को विद्यालयी स्तर के सरकारी शिक्षकों से भी कम वेतन मिलता है''- इनकी आर्थिक दशा को सुधारने हेतु आप क्या सुझाव देंगे।

12.3.3 शिक्षक की व्यावसायिक प्रगति एवं उनकी भूमिका (Professional growth of Teacher Education and their role)

भारतीय शिक्षा आयोग (1996) ने यह स्पष्टरूप में कहा था कि शिक्षक-शिक्षा की धूमिल छवि प्रशिक्षकों की प्रतिष्ठा को गिरा रही है। प्रशिक्षण प्रणाली में विद्यमान विभिन्न दोषों एवं कमियों की ओर भी इसने सभी का ध्यान आकर्षित किया था जैसे यह विश्वविद्यालयों की प्रमुख धारा तथा विद्यालयों की दैनिक समस्याओं से अलग थलग है, प्रशिक्षण संस्थाओं को गुणवत्ता मध्यम श्रेणी की अथवा निकृष्ट कोटि की है, योग्य एवं कुशल शिक्षक इस व्यवसाय की प्रति आकर्षित नहीं होते हैं, पाठ्यक्रम तथा अन्य विविध कार्यक्रमों में वास्तविकता तथा उत्साह की कमी रहती है, सिद्धांत तथा व्यवहार में बड़ा अंतर पाया जाता है आदि। यही कारण है कि ज्यादातर विद्यालय अपनी संस्था को शिक्षण-अभ्यास हेतु देने में संकोच करने लगे है।

प्राय: देखने में आता है कि प्रतिभाशील, बौद्धिक विकास की उच्च श्रेणी वाले बिरले लोग ही शिक्षक-प्रशिक्षक बनना पसंद करते हैं। साधारण बुद्धि एवं क्षमता रखने वाले व्यक्ति ही इस व्यवसाय में जाना पसंद कर रहे हैं। जनसाधारण की यह टिप्पणी अन्य उपयुक्त कार्य नहीं मिलने पर निम्न या मध्यम क्षमताओं के लोग शिक्षक शिक्षा के व्यवसाय को अपना लेते हैं नितांत थोथी नहीं प्रतीत होती है। यद्यपि वेतनमानों के सुधार के साथ साथ इस प्रकार की मान्यताओं को महत्व शनै: शनै: कम होता जा रहा है। इस व्यवसाय के लगे लोगों की एक प्रबल धारण यह भी रही है कि प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षण कार्य से उच्च कक्षाओं का प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्य (एम.एड., एम. फिल., पी. एच. डी.) अधिक महत्वपूर्ण तथा सम्मान सूचक होता है। ज्यादातार शिक्षकों पर यह आरोप भी लगाया जाता रहा है कि यह परंपरागत रूढ़िवादी एवं परिवर्तनीय व्यक्तियों की श्रेणी में आते है। यह दोष शिक्षक-प्रशिक्षकों के ऊपर और भी सरलता से लगाया जा रहा है। वर्तमान युग में आवश्यकता इस बात की है शिक्षक प्रशिक्षक अपनी व्यावसायिक प्रगति के प्रति जागरूक रहें और इसके लिए उपुर्यक्त अवसरों को प्राप्त करने की चेष्टा भी करता रहें। बदलते हुए शैक्षिक परिवेश में उसे अपने सीमित ज्ञान, कौशल तथा विद्याओं का निरंतर विकास करते रहना होगा। राष्ट्रीय, प्रांतीय, जनपदीय स्तर के सेमीनार, गोष्ठियां, सिम्पोजियम, आदि इनके प्रभावी माध्यम बन सकते है। सेवारत शिक्षक प्रशिक्षकों हेतु अभिनव

पाठ्यक्रम (रिफ्रेशन कोर्स) की व्यवस्था की जा सकती है। प्रमुख संस्तुति के रूप में कहा जा सकता है कि अपेक्षित व्यावसायिक प्रगति हेतु, प्रत्येक प्रशिक्षक को, प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि पर इस प्रकार के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए ताकि वह अपने प्राचीन ज्ञान तथा कौशल को अद्यतन बना सके।

वस्तुत: परंपरागत तौर तरीकों, पाठयोजनाओ, शिक्षण अभ्यासों आदि के माध्यम से प्रशिक्षकों का नवीनतम जानकारी नहीं दी जा सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक प्रशिक्षक की प्रवृत्तियों, आदर्शों मूल्यों एवं आचरण आदि के क्षेत्र में वांछित परिवर्तन, शैक्षिक नवाचारों के माध्यम से लाया जाय। आवश्यकता इस बात की है शिक्षक-प्रशिक्षक अपने व्यवसाय को हिकारत की निगाह से न देखें, वरन् अपने कार्य को संपूर्ण निष्ठा एवं सम्पत्ति भाव से संपन्न करें, तभी गिरती हुई व्यावसायिक प्रतिष्ठा को रोकने में वह सक्षम हो सकेंगे। संक्षेप में, सक्षम होने के साथ-साथ, प्रशिक्षक की प्रभावी भूमिका के लिए अपेक्षित है कि वह समुदाय के साथ जिसकी वह सेवा करता है, व्यवसाय के साथ जो इसका अपना है, और भारतीय समाज के साथ, जिसके लिए वह प्रतिबद्ध है, अपने संबंधों को भलीभांति समझ लें, ताकि सेवा एवं रचनात्मक दोनों प्रकार की भूमिकाओं का सफलतापूर्वक निर्वाह कर सके। प्रशिक्षण कार्य व्यावसायिक दृष्टि से निपुण व्यक्तियों का कार्य हैं, जो बहुत कुछ नवाचारों के प्रति प्रशिक्षण के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है।

12.3.4 शिक्षक संगठनों की भूमिका (Role of teachers Associations)

शिक्षक प्रशिक्षक की शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं और अन्य व्यवसाय की भांति इनको भी व्यावसायिक संगठन बनाने की आवश्यकता की अनुभूति होती रहती है। इनके द्वारा सदस्यों का समय समय पर मार्गदर्शन करना, व्यावसायिक विकास के अवसर उपलब्ध करना, तथा समुचित नीतियों का निर्धारण करना, प्रमुख उद्देश्य होता है। शिक्षक संगठनों के दो प्रकार के दायित्व होते है (अ) अकादमिक (ब) आर्थिक शिक्षक-प्रशिक्षक संगठनों को अपने सदस्यों हेतु आर्थिक लाभ (वेतन, भत्ते आदि) दिलाने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। इनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का समर्थन भी करना चाहिए किंतु इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यवसाय मानदंडों की अनुपालना हेतु ठोस कदम उठाए जाय। इस स्थल पर इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि विकसित देशों में शिक्षक संगठन बड़ी अहम् भूमिका निभाते है। उपयोगी नियमों एवं मानदंडों के निर्माण में इनकी भागीदारी रहती है तथा व्यवसाय में गुणवत्ता लाने मे यह प्रभावी भूमिका अदा करते हैं। यह भी देखने में आता है कि शिक्षक संगठन अपने सदस्यों के व्यावसायिक विकास हेतु विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों तथा शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रबंध करते हैं। दुःख के साथ लिखना पड़ रहा है कि अपने देश में शिक्षक संगठनों का कार्य प्राय: व्यापारिक संगठनों (ट्रेड यूनियनों) की भांति चलता है इनका प्रमुख उद्देश्य सदस्यों को आर्थिक लाभ दिलाना मात्र होता है और इनके द्वारा अकादमिक एवं व्यावसायिक उन्नति एवं सफलता के दिशा में किए जाने वाले प्रयास प्राय: नगण्य होते हैं।

अपने देश में शिक्षक संगठनों के कार्यक्षेत्र तथा मान्यता प्रदान करने के प्रणाली में काफी स्पष्टता झलकती है। भौगोलिक सीमाओं जैसे राष्ट्रीय प्रांतीय, जनपदीय आदि के अनुरूप इनका

गठन किया जाता है तथा रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज द्वारा प्रपत्रों को जांचने के बाद मान्यता प्रदान की जाती है। इन संगठनों के कार्य सामान्यत: निम्नलिखित होते हैं-

(1) वार्षिक सम्मेलन / गोष्ठी का आयोजन-इसका उद्देश्य सदस्यों की आपसी जान पहचान, व्यावसायिक मुद्दों पर विचार विमर्श, अन्य संस्थानों में प्रचलित नवविचारों से भिज्ञता, नीतियों के निर्धारण में भागीदारी, संबंधित साहित्य तथा ग्रंथों की जानकारी प्रदान करना होता है।

(2) प्रकाशन-ज्यादातर शिक्षक संगठन अपनी वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन करते है। कुछ शिक्षक संगठन अन्य प्रकाशन भी करते हैं जैसे- इयर बुक, शोध प्रपत्र, विशिष्ट समितियों की रिपोर्ट, पत्र पत्रिकाएं आदि।

(3) विविध प्रकार की संबंधित सूचनाओं को संगठन अपने सदस्यों तक पहुंचाने का कार्य करता है।

(4) सरकारी नियमों एवं नीतियों के संदर्भ में शिक्षक संगठन अपनी भूमिका का स्पष्टीकरण देता है।

(5) अन्य शिक्षक संगठनों के साथ संबंध स्थापित करता है।

(6) संगठन के सदस्यों के हित को दृष्टि में रखते हुए, सरकार अथवा प्रबंधन से बातचीत करता है ताकि पीड़ित सदस्य का कोई नुकसान न होने पाए। प्रशिक्षक एवं प्रबंधन के बीच विवादों को निपटाने में सहायता देता है।

(7) संगठन सदस्यों के लिए आचार संहिता बनाता है तथा व्यावसायिक मानदंडों की अनुपालना करने हेतु सदस्यों को बाध्य करता है।

(8) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को नियमों, मानदंडों तथा नीतियों के निर्धारण में सहायता पहुंचाता है।

12.3.5 व्यावसायिक प्रतिष्ठा का उन्नयन (Enhancement of Professional Status)

व्यावसायिक प्रतिष्ठा के उन्नयन में जो तत्व सहायक सिद्ध होते हैं उनमें प्रमुख हैं

(क) उत्तम अकादमिक उपलब्धि तथा शोधकर्ता(Good Academic achievement and research work.)

(ख) श्रेष्ठता को अनुसरण एवं कीर्ति की स्थापना (Pursuit of Excellence and establishment of reputation)

(ग) विद्यार्थियों को अधिगम तथा सर्जनात्मक क्रियाओं के प्रति प्रेरित करना(Motivating Students towards learning and creative activities.)

शिक्षक प्रशिक्षक के मुख्य रूप से दो कार्य होते है:- प्रथम- विद्यालय के लिए अच्छे अध्यापकों की तैयारी तथा द्वितीय-शिक्षा जगत में नूतन विचार एवं ज्ञान का विकास करना। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विषय वस्तु के ज्ञान पर उसका पूरा अधिकार होना चाहिए तथा विषयवस्तु को दूसरों तक पहुंचाने हेतु प्रविधियों में दक्षता तथा संप्रेषण कौशल होना चाहिए। संक्षेप में शिक्षक प्रशिक्षक को उच्चस्तरीय ज्ञान तथा विद्यालय संबंधी दायित्व दोनों का निर्वाह करना होता है। और यह तभी संभव हो पाता है जब उसकी अपनी अकादमिक योग्यता एवं

उपलब्धि उच्च कोटि की हो अनुसंधान तथा नवाचार को बढ़ाने की प्रवृत्ति भी उसमें हो। एम.ए., एम.एड., पी.एच.डी. आदि की उपाधियां केवल सौन्दर्यसूचक शब्द बनकर रह जाय इसके लिए उसे निरंतर व्यावसायिक विकास हेतु शैक्षिक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी का प्रयास करना चाहिए।

प्राय: शिक्षक-प्रशिक्षकों पर एक टिप्पणी यह की जाती है कि वह परंपरावादी होते हैं तथा नूतन विचारों एवं नवाचारों से मुंह मोड़ कर चलना पसंद करते हैं। मेरे विचार से व्यावसायिक प्रगति के लिए जितना आवश्यक यह है कि अद्यतन ज्ञान तथा विद्याओं से वह भिन्न हो, उतना ही आवश्यक यह भी है कि वह अनुसंधान कार्य तथा शैक्षिक नवाचारों के प्रति अभिरूचि रखता हो। शिक्षक प्रशिक्षकों को विद्यालय अध्यापन का भी अनुभव भी होना चाहिए। समय-समय पर उन्हें विद्यालयों में प्रनिनियुक्त किया जाना उपर्युक्त होगा तथा विद्यालयी कार्य को उनकी शैक्षिक जिम्मेदारियों में गिना जाना चाहिये। व्यवसाय में प्रवेश के समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप उसकी अकादमिक योग्यता तथा उपलब्धियाँ हैं अथवा नहीं। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि यदि सही जाँच आरंभ कर ली जाती है, तो निश्चय ही योग्य एवं उपुर्यक्त व्यक्ति चयनित होने पर व्यवसाय की प्रतिष्ठा को कभी गिरने नहीं देंगे तथा इसके उन्नयन हेतु समर्पित भाव से कार्य करते रहेंगे। शिक्षण व्यवसाय में श्रेष्ठता(Excellence) का होना बहुत आवश्यक है। उच्च अकादमिक योग्यता रखने वाले शिक्षक प्रशिक्षक, नौकरी में रहते हुए, श्रेष्ठता का कितना अनुसरण कर रहे हैं, यह एक अहं प्रश्न है। वस्तुत: प्रशिक्षकों के कार्यकलापों का संख्यात्मक तथा गुणात्मक, दोनों घड़ियों से सही मापन करना एक कठिन कार्य है। और इसके साथ वह भी कि यदि उनका मूल्यांकन विद्यार्थीगण करते हैं तो उन्हें बड़ा नागवार लगता है। भारतीय शिक्षा आयोग ने साफ शब्दों में कहा था कि अध्यापकों क्रियाकलापों का सावधानीपूर्वक लेखा जोखा रखना चाहिए और प्रतिवर्ष लिखित रूप में उसे अपने कार्य की समीक्षा करनी चाहिए तथा निश्चित किए गए समय-अंतराल पर सहकर्मियों तथा छात्रों द्वारा मूल्यांकन कराया जाना चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण की पदोन्नति के समय इसे सामने रखना चाहिए तथा केवल ज्येष्ठता को आधार बनाकर पदोन्नति देना अधिक न्याय संगत नहीं होता है।

श्रेष्ठता का अर्थ सार्थक तथा क्षेत्र व्यापक होता है। प्रशिक्षक के उन कार्य कलापों में जो कक्षा-कक्ष के बाहर किए जाते हैं इसकी स्पष्ट झलक देखने को मिलनी चाहिए। वस्तुत: समाज तथा देश की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं के अनुरूप, प्रशिक्षकों को अपने क्रिया कलापों में श्रेष्ठता लाने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, तभी उनकी तथा उनके व्यवसाय की प्रतिष्ठा में चार चांद लग सकेंगे।

बहुधा श्रेष्ठता तथा गुणात्मकता पर ध्यान न देकर चलने में कम मेहनत के साथ अधिक सुविधा दिखाई पड़ती है यही कारण है कि कुछ प्रशिक्षक पुराने तैयार किए गए पाठ को यांत्रिक ढंग से कक्षा में लिख देते है। किंतु यदि विचारों में थोड़ी स्वतंत्रता दी जाए तो छात्रों में सृर्जनात्मक का विकास होता है। मैं यह कहना चाहूंगा कि श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए शिक्षकों में कठिन कार्य करने तथा संघर्ष झेलने की क्षमता भी होनी आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर यदि शिक्षक-प्रशिक्षक को नकल को हटाते हुए परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार लाने की दृष्टि से कार्य करना है, तो उसे छात्रों का विरोध तथा नकल के पक्षधार व्यक्तियों का डटकर सामना करना

होगा तथा पीछे हटने से काम नहीं चल पाएगा। श्रेष्ठता हेतु स्वस्थ बौद्धिकता वातावरण तथा जीवंत कार्यदशाओं, दोनो का होना नितांत आवश्यक है। सम्पूर्ण राष्ट्र के वातावरण का सीधा प्रभाव शैक्षिक श्रेष्ठता पर पड़ता है। उदाहरणस्वरूप यदि राष्ट्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो तो केवल शैक्षिक संस्थाओं में नैतिकता का पाठ पढ़ाने से कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। संक्षेप में कहूंगा कि श्रेष्ठता के मार्ग का अनुसरण करना, शिक्षक-प्रशिक्षकों के लिए लाभकारी कदम सिद्ध हो सकता है जिससे उनकी स्वयं की तथा व्यवसाय की प्रतिष्ठा को बढ़ाया जा सकता है।

शिक्षा जनसाधारण के विकास में एक महत्वपूर्ण तत्व है। अध्यापक शिक्षा का उच्च स्तरीय होना अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना अध्यापक शिक्षा में आर्थिक अपव्यय ही नहीं होता बल्कि देश का समूचा राष्ट्रीय स्तर नष्ट हो जाता है।

- विषय ज्ञान का नवीनीकरण - आधुनिक समय की माँग के अनुसार अध्यापक प्रशिक्षकों के विषय ज्ञान को नवीन विधियों से सम्बन्धित किया जाना चाहिए;
- प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि - भी बढ़ाई जानी चाहिए जिससे वे प्रभावशाली अध्यापक बन कर प्रतिष्ठा स्थापित कर सकें।
- व्यावसायिक अध्ययनों को सशक्त बनाना- प्रशिक्षण सामग्री ऐसी होनी चाहिए जिससे विभिन्न पाठ्यक्रमों में समन्वय स्थापित हो सके और उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल निर्मित करना चाहिए।
- अपनी प्रतिष्ठा हेतु उन्हें मूल्यांकन कार्य ईमानदारी से करना चाहिए। व्यक्तिगत-पुस्तकालय अध्ययन, समालोचना तथा रिर्पोट तैयार करना, इतिहास वृत्त तैयार करना, परियोजना कार्य आदि मूल्यांकन के अभिन्न अंग होने चाहिए जिससे मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठता व वैधता बढ़ेगी। समाज में अध्यापक प्रशिक्षकों की कार्य प्रणाली के बारे में उचित धारणा कायम होगी। अध्यापक प्रशिक्षक को बालक के सर्वागीण विकास को ध्यान में रखकर शिक्षा के क्षेत्र में उचित योगदान देना होगा। आज के इस वैज्ञानिक युग में उसे बदलते परिवेश में नूतन आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा।
- ऐसा समान्यीकरण करना शायद गलत होगा कि अध्यापक प्रशिक्षक ज्ञान की नई प्रविधियों को प्रयोग नहीं करना चाहते।

मल्टीमीडिया के युग में नई प्रविधियों जैसे समूह अध्यापन, कार्यशाला प्रविधि, विचारगोष्ठी प्रविधि अन्तःक्रिया विश्लेषण प्रविधि आदि को अध्यापक प्रशिक्षक इन विधियों का कितना अनुसरण कर रहे हैं। वस्तुतः प्रशिक्षकों के कार्यकलापों का संख्यात्मक तथा गुणात्मक मापन करना एक चुनौतिपूर्ण कार्य है। अध्यापकों को मूल्यांकन विद्यार्थियों द्वारा करवाना कितना सही गलत यह भी एक विवादस्पद विषय बन जाता है।

अध्यापक प्रशिक्षकों को अपने कार्यकलापों को समाज की आवश्यकता के अनुरूप विद्यालय / महाविद्यालय के बाहर समुदाय से संबंधित करना चाहिए। शैक्षिक श्रेष्ठता व सामाजिक वातावरण में प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। इसलिए अध्यापक प्रशिक्षकों को शिक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए।

अध्यापक प्रशिक्षक एक तरह सामाजिक परिवर्तन का अभिकर्ता है क्योंकि शिक्षा का समाज पर सीधा प्रभाव पड़ता है और जैसी समाज की आवश्यकताएँ होगी वैसे ही शिक्षा के

उद्देश्य निर्धारित करने होंगे। अत: निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि उपरोक्त विशेषताओं को अगर अध्यापक प्रशिक्षक अपना लेंगे तो निस्संदेह शिक्षण व्यवसाय की प्रतिष्ठा को बढ़ाया जा सकता है।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

अब तक आपने जो सीखा, उसका मूल्यांकन निम्न प्रश्नों का उत्तर देर कीजिए-

I. निम्न प्रश्नों को उत्तर संक्षेप में दें ।

(1) अध्यापन व्यवस्था की गिरती हुई प्रतिष्ठा के प्रमुख करको को बताइए।

(2) अध्यापन व्यावसायिक प्रतिष्ठा के उन्नयन में सहायक तत्वों को इंगित कीजिए।

(3) अध्यापन व्यावसायिक प्रतिष्ठा से आपका क्या तात्पर्य है।

12.4 शिक्षक प्रशिक्षकों के दायित्व तथा अधिकार

12.4.1 दायित्व (Responsibilities)

यद्यपि समाज शास्त्रियों ने लोकतंत्र समाजवाद तथा धर्म निरपेक्षता के भिन्न-भिन्न अर्थ लगाए हैं फिर भी आम राय यह है कि भारत को लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना के लक्ष्य को दृष्टि में रखकर आगे बढ़ते रहना है, अत: वर्तमान समाज की संरचना में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए, हमें पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए, ताकि सभी लोगों को सामाजिक न्याय, अवसर की समता, स्वतंत्रता तथा प्रसन्नता मिल सके। यदि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है तो शिक्षक को अध्यापन कार्य के अलावा जन साधारण में सामाजिक चेतना जगाकर उसे गतिशील बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्रशिक्षकों का यह दायित्व बनता है कि भावी शिक्षकों का ध्यान भिन्न बातों की ओर आकर्षित करें-

(1) अपनी विविध किंतु नूतन तथा परिवर्तनशील भूमिकाओं को समझने में।

(2) समाज द्वारा सौंपे गए उस महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्व का अनुभव करने में।

(3) शिक्षक समुदाय का सदस्य होने के नाते समाज द्वारा अपेक्षित आशाओं तथा आकांक्षाओं की जानकारी प्राप्त करने में।

(4) शिक्षक के रूप में दृढ़ विश्वास तथा निष्ठा के साथ अपनी कार्य दिशा को सुनिश्चित करने में ।

वस्तुत: लोकतंत्र की सफलता के लिए लोगों को लोकतात्रिक आदर्शों में विश्वास होना चाहिए। लोगों में नागरिक उत्तरदायित्व, राजनैतिक, राजनैतिक चेतना तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। लोकतंत्र के सामाजिक आदर्शों की पूर्ति के लिए शिक्षा का सर्वाधिक महत्व है। जनसाधारण की शिक्षा का दायित्व शिक्षकों पर जाता है और शिक्षकों की समुचित शिक्षा का दायित्व शिक्षक-प्रशिक्षकों पर जाता है।

शिक्षक की तैयारी का दायित्व शिक्षक-प्रशिक्षकों का होता है। शिक्षक-प्रशिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह धर्मनिरपेक्षता गणतंत्रात्मक तथा सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों पर आस्था रखता हो। उपरोक्त भूमिका को आधार बनाते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने कुछ

सामान्य उद्देश्यों का निर्माण 1978 में शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम एक रूपरेखा नामक पुस्तक को मुद्रित करते हुए किया था। इन सामान्य उद्देश्यों को नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है-

(1) गांधीवादी मूल्यों जैसे- सत्य, अहिंसा, स्व-विश्वास, स्वअनुशासन, श्रम का आदर आदि का शिक्षा में विकास करना।

(2) समुदाय में सामाजिक परिवर्तन के कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका समझना।

(3) अपनी भूमिका को छात्रों के नेतृत्व मात्र के रूप में मानते हुए, समुदाय के पथ प्रदर्शन एवं निर्देशन के रूप में समझना।

(4) समुदाय तथा विद्यालय के बीच संपर्क सूत्र स्थापित करना तथा सामुदायिक जीवन एवं संसाधनों को विद्यालय के कार्य के साथ हेतु समुचित तौर तरीको उपयोग करना।

(5) वातावरणीय संसाधनों का न केवल प्रयोग करना वरन् उनकी परीक्षा तथा ऐतिहासिक यादगारों एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना।

(6) बढ़ते हुए बच्चे की अकादमिक,सामाजिक,सांवेगिक तथा व्यक्तिगत समस्याओं के प्रति उपुर्यक्त दृष्टिकोण रखना तथा वह कौशल प्राप्त करना जिसके द्वारा उन्हें समुचित निर्देशन दि या जा सके।

(7) भारतीय परिप्रेक्ष्य में विद्यालयी शिक्षा के उद्देश्य को भलीभाँति समझना और प्रजातांत्रिक सामाजिक एवं धर्मनिरपेक्ष लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु शाला की भूमिका समझना।

(8) शिक्षण एवं अधिगम के नियमों के अनुरूप अध्यापन अध्यापन क्षमता का विकास करना।

(9) शिक्षक के संरक्षण में जो बच्चे उनकी रूचि, प्रवृत्ति एवं कौशल आदि को समझना ताकि उनका चहुंमुखी विकास किया जा सके।

(10) संप्रेक्षण एवं मनोदैहिक योग्यता एवं कौशल का उपयोग मानवी संबंधों को बनाने में करना ताकि बच्चों में अधिगम स्तर को बढ़ाया जा सकें।

(11) विषयवस्तु का आधुनिकतम ज्ञान प्राप्त करना तथा विषयवस्तु से संबंधित शिक्षण को नवीनतम विद्याओं से परिचित होना।

(12) क्रियात्मक अनुसंधान एवं शोध अध्यापनों को हाथ में लेना।

वस्तुत: उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति तभी हो सकेगी जब शिक्षक प्रशिक्षण अपने दायित्वों को ' समझते हुए तथा अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहते हुए शिक्षक शिक्षा को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। शिक्षक प्रशिक्षकों को विकास तथा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में प्रभावी भूमिका निभानी होगी तथा मूल्य आधारित शिक्षा देने की सफल योजना बनानी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु सामुदायिक कार्यो पर अधिक बल देना भी उसका दायित्व बनता है उसे विभिन्न प्रकार के असामान्य एवं विकलांग बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी। संक्षेप में उसे अपने कार्यकलापों से यह सिद्ध करना पड़ेगा कि अध्यापक शिक्षा का अपना महत्व है तथा राष्ट्रीय विकास के लिए इसकी सार्थकता है।

12.4.2 अधिकार (Rights)

स्वतंत्र भारत ने राष्ट्रीय उद्देश्यों के रूप में लोकतांत्रिक समाजवादी, और धर्मनिरपेक्ष आदर्शो की केवल अभिव्यक्ति नहीं की है, वरन् इन आदर्शो को व्यावहारिक रूप से देने के लिए संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों तथा कर्तव्यों का और राज्य की नीति निर्देशन सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया है।

संविधान व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से सभी नागरिको (जिसमें शिक्षक-प्रशिक्षक भी सम्मिलित हैं) को मूल अधिकारों के रूप में सात व्यापक स्वतंत्रताएँ प्रदान करता है, जिसके उल्लंघन होने पर न्यायालय की शरण ली जा सकती है। यह सात अधिकार हैं- समता का अधिकार स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार,शोषण के विरूद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

कानूनी तौर पर राज्य किसी व्यक्ति को विधि की दृष्टि में समता के अधिकार से वंचित नहीं करेगा तथा धर्म, वर्ण जाति, लिंग अथवा जन्म के स्थान के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव नहीं बरतेगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा राज्य सरकारों को आदेश दिया गया है कि वह अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करें कि- सभी नागरिकों को समानरूप से जीविका उपार्जन के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, पुरूषों और स्त्रियों को समान कार्य करने के लिए समान वेतन का अधिकार हो। वस्तुत: राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे संविधान के वह तत्व हैं, जिनसे जन कल्याण की समृद्धि के लिए राज्य को एक नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का आदेश दिया जाता है और राजनीतिक सामाजिक तथा आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाता है।

संविधान में 42 वे संशोधन अधिनियम के माध्यम से, भारतीय नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है यह कर्तव्य शिक्षक-प्रशिक्षकों पर भी लागू होते हैं, जिनका वर्णन निम्नलिखित हैं-

(1) संविधान को स्वीकार करना और उसके आदर्शो, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना।

(2) उन महान आदर्शो का अनुसरण तथा पालन करना, जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरक थे।

(3) भारत की प्रमुखता, सुरक्षा तथा अखंडता का समर्थन तथा संरक्षण करना।

(4) देश की रक्षा करना तथा आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए स्वयं को अर्पित करना।

(5) धर्म,भाषा,जाति और क्षेत्रीयता आदि से दूर रहकर, भारत के सभी लोगों में भाईचारे और मित्रता की भावना को बढ़ावा देना। महिलाओं की प्रतिष्ठा के लिए अपमानजनक तौर तरीकों को त्यागना।

(6) अपनी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध परंपरा का संरक्षण करना तथा उन्हें सम्मान देना।

(7) राष्ट्रीय पर्यावरण, जिनमें झील,नदियों और जंगली जानवर सम्मिलित हैं का संरक्षण एवं

(8) सुधार करना जीव जंतुओं के प्रति प्रेमभाव प्रदर्शित करना।

(9) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और जाँच एवं सुधार करने की भावना का विकास करना। (9) जन संपत्ति का संरक्षण करना और हिंसा त्यागना तथा

(10) व्यक्तित्व एवं सामूहिक क्रियाकलाप के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहना जिससे कि राष्ट्र निरंतर रूप से उद्यम एवं सफलता के उच्च की ओर अग्रसर होता रहे।

सभी शिक्षकों तथा शिक्षक प्रशिक्षकों को चाहिए कि वह शिक्षा के लिए इन नागरिक अधिकारों कर्तव्यों के निहितार्थों को भलीभाँति समझ लें और यह भी ज्ञात करें कि किस प्रकार यह शक्तियाँ शि द्वारा पूरे किए जाने वाले कार्यो को प्रभावित करती हैं और विशेष रूप से इनका शिक्षण अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ता है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि शिक्षक प्रशिक्षक के अधिकार वहीं जो शिक्षकों तथा सामान्य नागरिकों के होते है। उससे केवल यही अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह शि की प्रभावी भूमिका निभाए वरन् यह भी आशा की जाती है कि अपने प्रशिक्षार्थियों अपनी संस्था तथा शिक्षा के विकास हेतु अधिक समय दे सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक रहे, तथा असमानता, अन्याय, हिंसा, शोषण तथा भ्रष्टाचार आदि के प्रति सजग प्रहरी की भांति अपने दायित्वों का निर्वाहन करें।

शिक्षक प्रशिक्षकों की सामाजिक स्वतंत्रता को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए। यदि उनकी भागीदारी जन-साधारण के सामाजिक जीवन के विकास में होता है तो निश्चय ही यह व्यवसाय के हित में एक ठोस कदम होगा इससे देश में सामाजिक तथा राजनैतिक स्थिरता को प्रोत्साहन मिलेगा। शिक्षकों को सामान्य नागरिकों के अधिकारों के उपयोग की छूट होनी चाहिए ताकि वह जनपद, प्रांतीय अथवा राष्ट्रीय स्तर पर लोक कल्याण के कार्य कर सके। उन्हें चुनाव में खड़े होने की छूट दी जानी चाहिए। चुनाव में भागीदारी हेतु उन्हें सवेतन अवकाश दिया जाना चाहिए किंतु सावधानी यह रखनी होगी कि उन्हें इस प्रकार की सुविधा का व्यक्तिगत अधिकार ही रहे तथा विद्यालय तथा विद्यार्थी चुनाव प्रक्रिया में न घसीटे जाएं। अत: उपरोक्त सभी अधिकार जो सामान्य शिक्षक के है वह शिक्षक प्रशिक्षक पर भी लागू होते हैं।

2.5 शैक्षिक स्वतंत्रता (Academic Freedom)

वर्तमान समय में समूचे देश की प्रशिक्षण संस्थाओं में सामान्य रूप से अकादमिक स्वतंत्रता का अभाव सा दिखता है तथा अधिकारिक एवं नियमानुसार कार्य करने का वातावरण प्रशिक्षण के दौरान आदि से अंत तक बना रहता है। जैसा कहा जाए वैसा ही करना जैसे नारों से प्रशिक्षार्थियों के स्वतंत्र विचारों, सर्जनात्मक चिंतन, व्यक्ति भिन्नता आदि पर सीधा कुठाराघात होता है। कही-कहीं अकादमिक स्वतंत्रता को सैद्धान्तिक रूप से भले ही लागू कर दिया गया हो, किंतु व्यवहार में इसे नकार दिया जाता हैं। शैक्षिक स्वतंत्रता के दुरूपयोग के भय से

त्रस्त होकर प्रशिक्षण संस्थाओं में स्वतंत्र विचारों के प्रवाह को रोकना, मेरे विचार से एक मूर्खतापूर्ण कदम ही माना जायेगा।

प्रशिक्षण संस्थाओं की स्वायत्ता (Autonomy) तथा उनकी शैक्षिक स्वतंत्रता (Academic Freedom), दोनों पर्यायवाची शब्द नहीं हैं किसी संस्था की स्वायत्ता से अभिप्राय उसके कार्यो में हस्तक्षेप न करने से है तथा शैक्षिक स्वतंत्रता का अभिप्राय अध्यापकों को अपने विचारों के अनुरूप शिक्षण कार्य की स्वतंत्रता देने से है। इस संबंध में शिक्षक को कक्षा में तथा कक्षा के बाहर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, अध्ययन का अनुसंधान करने की स्वतंत्रता अपने लेखों के प्रकाशन की स्वतंत्रता के साथ-साथ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर बोलने, लिखने अथवा विचार विमर्श की छूट देने से है।

शैक्षिक स्वतंत्रता वास्तव में एक महत्वपूर्ण समस्या है, जिसकी ओर विगत कुछ वर्षो में शिक्षित वर्ग का ध्यान गया है तथा इसके विभिन्न आयामों पर विद्वानों ने समय-समय पर अपने विचार प्रस्तुत किए है। वस्तुतः यह अनुसंधान कर्ता तथा शिक्षक-प्रशिक्षक के लिए एक प्रकार की सुरक्षा है। इसके द्वारा वह अपने किसी विचार, दर्शन, व्यवहार तथा शैली के माध्यम से प्रशिक्षण के उद्देश्यों को बिना किसी रूकावट के बिना किसी राजनैतिक धार्मिक अथवा प्रशासनिक सत्ता के दबाव में आकर स्वतंत्रतापूर्वक पूरा करते हैं। एटकिंसन के अनुसार शिक्षक के लिए शैक्षिक स्वतंत्रता का अर्थ है- शिक्षक अध्यापन एवं शोधकर्ता में पूर्ण अधिकार प्राप्त होना तथा उसे दीर्घकालीन विश्वास मत तथा अनुभव को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होना।

गणतंत्रात्मक व्यवरथा में यह अधिकार किसी को अधिकार किसी को प्राप्त नही होना चाहिए कि वह किसी शिक्षक को उसके द्वारा प्रतिपादित विचारों, आदर्शो अथवा मतों के लिए दंडित करें। उसे समालोचनात्मक एवं सामयिक जीवन के सभी पक्षों के परीक्षण के लिए तथा अपने मन पसंद उद्गम को स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। ऐसी छूट देने पर ज्ञान में वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है तथा अंधविश्वासों को समाप्त करने में सहायता मिलती है, जिसका सीधा लाभ अंततोगत्वा समाज को मिलता है। शिक्षक-प्रशिक्षक को विषय से संबंधित विचार विमर्श तर्क वितर्क तथा विवेचना करने की स्वतंत्रता तो होनी चाहिए किंतु उसे सावधानी इस बात की रखनी चाहिए कि वह उन विवादास्पद विषयों को प्रस्तुत न करें, जिनका उसके विषय से कोई सीधा संबंध नहीं है। शिक्षक प्रशिक्षकों को इस बात का सदा अहसास बना रहना चाहिए कि उनके द्वारा कहे गए शब्दों के आधार पर शिक्षण व्यवसाय तथा उनकी संस्था के बारे में जनता आम राय बना सकती है। अतः उन्हें सदैव समुचित वांछित तथा संतुलित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए तथा दूसरों के विचारों प्रति आदर का भाव दर्शाते हुए अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। उपरोक्त विचारों से स्पष्ट हो जाता है कि शैक्षिक स्वतंत्रता एक बहु आयामी तत्व हैं, जिसे निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है-

1. शिक्षक को उन सभी विषयों के शिक्षण की स्वतंत्रता होती है, जिनका वह विशेषज्ञ माना जाता
2. शिक्षक को स्वयं अपने मूल्यों की आख्या करने की स्वतंत्रता होती है।
3. शिक्षक को परंपरागत घिसे पिटे विचारों एवं कार्यो के स्थान पर, नूतन विचारों एवं मतों के एकत्रित करने की स्वतंत्रता होती है।

4. बिना किसी बाहरी दबाव अथवा हस्तक्षेप के शिक्षक को अध्यापन तथा प्रकाशन की पूर्ण स्वतंत्रता होत है।
5. शिक्षकों को मतभेदो की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है और उसे यह अधिकार होता है कि वह राजनैतिक अथवा धार्मिक मसलों को अस्वीकार कर दें।
6. शिक्षक विद्यालय परिसर के बाहर,राजनैतिक कार्यो में भाग लेने के लिए तथा चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र होता है।
7. समाज सेवा के लिए अपने दृष्टिकोण के अनुसार स्वयं के तौर तरीकों को चुनने की स्वतंत्रता शिक्षक को होती है।
8. शिक्षक सामाजिक आलोचना काने की स्वतंत्रता रखता है किंतु यह आलोचना चिंतन तथा वैज्ञानिक आधार पर होनी चाहिए, कि प्रचार करने के उद्देश्य से।

यह निर्विवाद है कि शैक्षिक स्वतंत्रता शिक्षक समुदाय का एक बहुमूल्य अधिकार हैं। उच्च शिक्षक संस्थाओं में पाठ्यक्रम तथा अन्य अकादमिक कार्यो का निर्धारण शिक्षकों के माध्यम से करने की परिपाटी बनी हुई है। विभिन्न अकादमिक प्रभागों जैसे बोर्ड आफ स्टडीज, फैक्टरी, एकेडमिक कौंसिल आदि में उनका प्रतिनिधित्व इस बात को दर्शाता है। किंतु निचले स्तर पर देखन को मिलता है कि अकादमिक मसलों पर शिक्षकों की भागीदारी घट जाती है तथा शैक्षिक स्वतंत्रता पर अंकुश लग जाता है। वैसे तो देश के कुछ महाविद्यालयों को स्वायत्तता भी प्रदान की जा चुकी है, किंतु प्राय: इसका दुरूपयोग ही हुआ है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि शैक्षिक स्वतंत्रता को दृष्टि में रखते हुए, शिक्षक प्रशिक्षकों का प्रतिनिधित्व उन सभी संस्थाओं, विभागों, बोर्डो आदि में होना चाहिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं तथा संबंधित नियमों अधिनियमों का निर्माण करते हैं। अच्छा तो यह होगा कि प्रत्येक संस्थान में एक छोटी सी परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाय, जिसमें शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थी सभी का प्रतिनिधित्व हो और जो शैक्षिक मसलों को तय करे तथा शैक्षिक विवादों को निपटाने में मदद करें।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

अब तक आपने जो सीखा, उसका मूल्यांकन निम्न प्रश्नों का उत्तर देकर कीजिए-

(1) निम्न प्रश्नों का उत्तर विस्तार से दें-

(1) वर्तमान के सामाजिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में भावी शिक्षकों के दायित्वों को समझाइए।

(2) एन.सी.टी.ई.(1978) ने शिक्षकों में किन सामान्य उद्देश्यों की अपेक्षा की थी।

(3) स्वतंत्र भारत में एक व्यक्ति सामान्य अधिकारों का उल्लेख करते हुए, इसके निहितार्थों के संबंध में शिक्षक की भूमिका का उल्लेख कीजिए।

(4) 'शैक्षिक स्वतंत्रता' अध्यापकों हेतु क्यों आवश्यक है?

2.5.1 शिक्षक प्रशिक्षकों की कार्य दशाएँ एवं प्रदत्त (Working conditions of teacher Education)

यह देखने में आया है कि बहुत सी प्रशिक्षक संस्थाओं में संतोषजनक कार्यदशाएं तथा वातावरण नहीं पाया जाता है पुस्तकालय, अध्ययन एवं परामर्श हेतु आवश्यक कक्षा-कक्ष कार्यालय, साज-सज्जा, कार्य करने के घंटे, प्रयोगात्मक तथा शोध कर्ता हेतु सुविधाएं, परस्पर सहयोग पर आधारित संस्थागत वातावरण आदि वह कार्यदशाएं है जिनके अभाव में शिक्षक प्रशिक्षक को अपना कार्य सुचारू रूप से चलाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यदि यह कार्यदशाएं संतोषजनक होती हैं तो शिक्षक प्रशिक्षकों को रूचि एवं उत्साहपूर्वक कार्य करने में आनंद की अनुभूति होती तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठा में इजाफा होता है। शिक्षक प्रशिक्षक अपनी भूमिका का सार्थक ढंग से निर्वाह कर सके इसके लिए आवश्यक है कि उसकी कार्य दशाओं तथा उसके कल्याण की परियोजनाओं में सुधार लाया जाय। कुछ प्रमुख कार्य दशाओं की चर्चा करना इस स्थान पर उपर्युक्त जान पड़ता है।

(अ) पर्याप्त भवन, कक्षा-कक्ष, तथा अन्य छोटे कमरे - अध्यापन तथा प्रशिक्षण हेतु आवश्यक संस्था में भवन, कक्षा-कक्ष तथा अन्य कमरे होने चाहिए ताकि प्रशिक्षण के कार्य में बाधा न पहुंचे। इस प्रकार की सुविधा पर उसकी कार्य कुशलता, तथा उत्साहपूर्वक आगे बढ़ने की क्षमता बहुत कुछ निर्भर करती है। यदि कार्यस्थल का समूचा वातावरण ग्राह्य तथा मनोरम होता है तो शिक्षक प्रशिक्षक को उन सभी क्रियाकलापों को सफलतापूर्वक संपन्न करने में संबल मिलता है जो उसकी बुद्धि, मानसिक क्षमताओं तथा व्यक्तित्व के शीलगुणों पर आधारित होती है। प्रशिक्षण संस्थान में उसे अपना कमरा/आलमारी/दराज आदि कुछ जो मिलना ही चाहिए जिसमें वह आवश्यक पुस्तकें, रजिस्टर, कागजात आदि रख सके। लगभग आठ घंटे जिस स्थान पर उसे रहना होता है, वहां कोई कोना उसका अपना होना चाहिए ताकि स्वतंत्रतापूर्वक उसका उपयोग करते हुए, वह अकादमिक कार्यो को गति प्रदान कर सकें।

(ब) पुस्तकालय सुविधा-अधिकांश प्रशिक्षण संस्थाओं में पुस्तकालय की हालत बहुत खराब रहती है। प्राय: देखने में आया है कि प्रशिक्षण संस्था के खोलने के समय कुछ अनावर्ती अनुदान (Non Recurring Grant) जो सरकार या अन्य विभागों से मिलती हैं, उससे पुस्तकें खरीदी ली जाती हैं और बाद के वर्षा में पुस्तकों तथा पत्र पत्रिकाओं के क्रय करने हेतु धनराशि का प्रावधान नहीं किया जाता है। अपेक्षित स्तर की पुस्तकों के अभाव में यह स्वाभाविक ही है कि प्रशिक्षकों तथा प्रशिक्षार्थियों, दोनों के कार्यो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस स्थिति में यह बाजारू सस्ते साहित्य (गेम्स पेपर गाइड आदि) से अपना काम निकालने का प्रयास करने लगते है। यह प्रवृत्ति केवल अप्रिय नहीं वरन् एक घातक बीमारी की तरह प्रशिक्षण संस्थाओं में फैल चुकी है, जिसका उपचार शीघ्रातिशीघ्र किया जाना चाहिए। वस्तुत: आज के तकनीकी विकास के युग में, जहां कम्प्यूटर नेट की प्रणाली के माध्यम से पूरे विश्व की पुस्तकों का लाभ कुछ क्षणों में ही उठाया जा रहा हो, वहां प्रशिक्षण संस्थाओं में उपर्युक्त पुस्तकालय तथा संबंधित साज सज्जा का अभाव बहुत खटकता सा है।

(स) प्रयोगशालाएं- अच्छे पुस्तकालय की भाँति, साधन संपन्न प्रयोगशालाओं की आवश्यकता भी प्रशिक्षण संस्थाओं को होती है। प्राय: देखने में आता है कि माध्यमिक स्तर (बी.एड, बीटी आदि) की प्रशिक्षण संस्थाओं में विभिन्न प्रयोगशालाओं का अभाव सा रहता हैं, जहां नाम के लिए प्रयोगशालाएं होती भी हैं वहां अपेक्षित प्रयोगों के निष्पादन हेतु पर्याप्त साधन सामग्री का अभाव रहता है अत: प्रशिक्षणार्थी इन कार्य दशाओं में प्रयोगों को पूरा नहीं कर पाता है। कई प्रशिक्षण संस्थानों में केवल एक ही प्रयोगशाला से सारा प्रयोगात्मक कार्य पूरा किया जाता है यह भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, श्रव्य, दृश्य, कार्यानुभव आदि सभी विषयों के प्रयोगात्मक कार्य के लिए उपयोग में लाई जाती है। प्राय: देखने में यह भी आता है कि प्रयोगशाला में उपभोग वाला समान रहता ही नहीं है,चूंकि इनके क्रय के लिए धन का अभाव बना रहता है। इस सबका विपरीत प्रभाव पड़ता है प्रयोगात्मक कार्य पर। सच तो यह है कि उपयुक्त प्रयोगशालाओं के अभाव में समूचे प्रशिक्षण संस्थान का वातावरण कुछ ऐसा बन जाता है जिससे शिक्षक प्रशिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों ही नीरस भाव से सैद्धांतिक विषयों कोल करने का प्रयास करते रहते हैं तथा जीवंत प्रयोगात्मक कार्य से मुंह मोड़ लेते है। इससे उनकी मौलिकता तथा सर्जनशीलता का विकास अवरूद्ध हो जाता है।

(द) अनुसंधान तथा नवाचार हेतु सुविधा- उत्कृष्ट प्रशिक्षण संस्थाओं का दायित्व अध्यापन तथा प्रशिक्षण के साथ-साथ शैक्षिक नवाचारों तथा शोधकार्य को बढ़ावा देने का भी होता है। सामान्यत: देखने में आता है कि इस प्रकार की सुविधा विश्वविद्यालयों के शिक्षा संकाय या विभागों तक ही सीमित रह जाती है। आवश्यकता इस बात की है कि सभी प्रशिक्षण संस्थाओं में आवश्यक संसाधनों की कुछ इस प्रकार की जानी चाहिए कि यह संस्थाएं अपने स्तर पर शैक्षिक अनुसंधान तथा नवाचारों को पूरा कर सकें। संसाधनों की कमी को दृष्टि से रखते हुए, बड़ी शोध परियोजनाओं को न लेकर छोटे-छोटे शैक्षिक शोधकर्ता तथा नवाचारों का हाथ में लेना उपयुक्त होता है, जिन्हें प्राय: क्रियात्मक अनुसंधान (Action Research) के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कक्षाओं में अनुपस्थिति, अपव्यय-अवरोधन,परीक्षा में नकल,पाठ्यक्रम अनुशासन, शिक्षण,विधि संबंधी समस्याएं, बाल अपराध आदि कठिन शैक्षिक समस्याओं का निदान तथा निराकरण क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि प्रचलित शिक्षा प्रणाली उपागम (System Approach), दूरस्थ शिक्षा (Distance Education), खुले विद्यालय तथा विश्वविद्यालय (Open School and University), समाजपयोगी उत्पादक कार्य तथा समाज सेवा (Socially use Productive work and Community) आदि अन्य नवाचारों का भी उल्लेख किया जा सकता है।

वस्तुत: शिक्षा का कार्य विशाल तथा जटिल होता है जिसे अनियोजितरूप में शीघ्रतापूर्वक पूरा नहीं किया जा सकता है। यह निर्विवाद है कि शिक्षा की सफलता अधिकांशत: योग्य एवं कुशल अध्यापकों पर निर्भर करती है और कुशल एवं दक्ष अध्यापकों का निर्माण प्रशिक्षण संस्थाओं में होता है। यह दुर्भाग्य का विषय है कि देश में संख्यात्मक दृष्टि से भले ही प्रशिक्षण संस्थाओं की कमी न हो किंतु गुणात्मक दृष्टि से उनकी कमी बनी हुई है। प्रशिक्षण संस्थाएं जो चल रही हैं, उनमें बहुत सी कमियां देखी जा सकती हैं जिसमें से एक प्रमुख यह

भी है कि प्रशिक्षण का कार्यक्रम सदियों से एक ही रूप से यांत्रिक ढंग से एक ही गति से प्रवाहित होता चला आया है। वस्तु त: प्रभावी अनुसंधान के अभाव के कारण ही इस भयावह स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। सच तो यह है कि शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को कार्यकर्ताओं ने उतना महत्व नही दिया जितना अपेक्षित था। आज की आवश्यकता यह है कि प्रशिक्षण संस्थाओं के वातावरण में कुछ इस प्रकार परिवर्तन लाया जाए कि शैक्षिक अनुसंधान तथा नवाचार के प्रति प्रशिक्षकों तथा छात्रों दोनों की अभिरूचि बढ़ सके और स्वयं अपनी योग्यता एवं क्षमता के सहारे शैक्षिक समस्याओं का हल खोज सके।

12.5.2 अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षकों हेतु निर्मित मानक तथा मानदंड (Norms and Standards prescribed by the N.C.T.E)

देश के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए उनके स्तर के अनुरूप मानकों तथा मानदंडों का निर्धारण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नई दिल्ली ने 1995 में किया था। परन्तु बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप नई शिक्षा संरचना, 1998 के अनुसार इसमें कुछ परिवर्तन आए हैं। माध्यमिक स्तर/बी.एड. हेतु मानकों तथा मानदण्डों का नमूना निम्नलिखित है

माध्यमिक स्तर की प्रशिक्षण संस्थानों में एक प्राचार्य के अतिरिक्त, विद्यार्थी अध्यापक का अनुपात 1:10 का रहना चाहिए। प्रति छात्र का 1 वर्ग फुट की आवश्यकता होती है। तथा संस्थान में भवनों एवं खेल के मैदान के लिए 160 विद्यार्थियों पर 2 से 3 एकड़ क्षेत्रफल का होना चाहिए। सेमीनार कक्ष (100 वर्ग गज), बहुप्रयोजन हॉल (125 वर्ग गज), मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, शैक्षिक तकनीकी प्रयोगशाला, कम्प्यूटर प्रयोगशाला तथा अध्ययन कक्ष होने चाहिए जिनमें प्रत्येक का आकार (60 वर्ग गज), का होना चाहिए। कुछ विशिष्ट प्रयोगशालाएँ, महिला प्रकोष्ठ कक्ष, निर्देशन एवं परामर्श कक्ष, प्लेसमेंट कक्ष, गणित प्रयोगशाला का होना भी अनिवार्य है। सबसे मुख्य स्थान है पुस्तकालय, जिससे समूची संस्था के बारे में अन्दाज लगाया जा सकता है।

शैक्षिक भवन विकास समूह द्वारा योजनाओं एवं निर्माण विधियों का प्रमाणीकरण हो जाने के पश्चात् शैक्षिक भवन संघ की स्थापना के बारे में विचार किया जा रहा है। कुछ ऐसी संस्थाएँ इंग्लैण्ड मं (CLASP) के नाम से कार्यरत है।

स्नातकोत्तर स्तर पर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाली प्रत्याशी बी.एड. में प्रवेश ले सकता है। राज्य सरकार/विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार भिन्न राज्यों में प्रवेश या तो लिखित प्रवेश परीक्षा के आधार पर या पिछली कक्षा के प्राप्तांको के आधार पर किया जाएगा।

कुल 150 अध्यापन दिवस होने चाहिए जिसमें प्रवेश और परीक्षा इत्यादि के लिए दिन अलग होंगे। 30 दिन के लिए किसी पास के विद्यालय में शिक्षण अभ्यास होगा।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

अब तक आपने जो सीखा, उसका मूल्यांकन निम्न प्रश्नों का उत्तर देकर कीजिए-

(1) निम्न प्रश्नों का उत्तर विस्तार से दें-

(1)	वर्तमान के सामाजिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में भावी शिक्षकों के दायित्वों को समझाइए।
(2)	एन.सी.टी.ई.(1978) ने शिक्षकों में किन सामान्य उद्देश्यों की अपेक्षा की थी।
(3)	स्वतंत्र भारत में एक व्यक्ति सामान्य अधिकारों का उल्लेख करते हुए, इसके निहितार्थों केसंबंध में शिक्षक की भूमिका का उल्लेख कीजिए।
(4)	'शैक्षिक स्वतंत्रता' अध्यापकों हेतु क्यों आवश्यक है?

12.6.1 शिक्षक प्रशिक्षकों हेतु सुविधाएं (Facilities for Teacher Educations)

समय-समय पर वेतनमानों का नवीनीकरण होना तो आवश्यक ही है ताकि बढ़ती हुई महंगाई की मार शिक्षक प्रशिक्षकों पर कम से कम पड़े, इसी के साथ यह भी उतना ही आवश्यक है कि उन्हें मिलने वाली समस्त सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में और समय पर उपलब्ध कराई जाएं। वैसे तो इन सुविधाओं की एक लंबी चौड़ी सूची बनाई जा सकती है किंतु यहां पर कुछ प्रमुख सुविधाओं का वर्णन ही प्रस्तुत किया जा रहा है।

(क) अध्ययन अवकाश तथा अध्यापक छात्रवृति (Study leave and Teacher Fellowship)

शिक्षक प्रशिक्षकों को उनके व्यावसायिक प्रगति के लिए अध्ययन अवकाश तथा फेलोशिप प्राप्त करने की सुविधा प्रशिक्षण संस्थाओं में होनी चाहिए। स्नातकोतर शिक्षा तथा अनुसंधान कार्य के लिए अवकाश की सुविधा का प्रावधान एक प्रशंसनीय कदम माना जाएगा। अन्य संस्थाओं में अध्यापन अनुभव प्राप्त करने की दृष्टि से उन्हें फेलोशिप देना भी एक सराहनीय प्रयास माना जाएगा। शिक्षक प्रशिक्षकों को अवकाश सहित सेमिनार तथा गोष्ठियों, में जाने का भरपूर अवसर देना चाहिए ताकि वह अपने ज्ञान तथा कौशल का समुचित विकास कर सकें।

(ख) अतिरिक्त वेतन वृद्धियाँ (Additional Increments)

शिक्षक प्रशिक्षकों को एम.एड. तथा पी.एच.डी. की उपाधियाँ प्राप्त करने पर अतिरिक्त वेतन वृद्धियाँ देने का प्रावधान कुछ प्रांतों में किया गया है। यह कदम उनकी शैक्षिक उपलब्धि को मान्यता प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रबलन प्रदान करता है। विदित हो कि राजस्थान प्रांत में भी एम.एड. के बाद एक तथा पी.एच.डी. के बाद दो वेतन वृद्धियाँ देने की पसिटी विद्यमान है। इससे निश्चय ही शिक्षक प्रशिक्षकों का उत्साहवर्धन होता है तथा व्यावसायिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है।

(ग) वृद्धावस्था लाभ (Superannuation Benefits)

शिक्षक प्रशिक्षकों को सेवानिवृत्त होने पर मिलने वाले सभी लाभ जैसे पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रैच्युटी, प्राविडेन्ट फन्ड, जीवन बीमा राशि आदि उसी दर पर मिलनी चाहिए, जिसपर बराबर के सरकारी कर्मचारियों को देय होते हैं। इन सभी लाभों का अधिकारी वह शिक्षक प्रशिक्षक भी होता है जो गैर सरकारी संस्थाओं में कार्य कर रहा है। शिक्षक प्रशिक्षकों को स्वास्थ्य सुरक्षा तथा

चिकित्सा संबंधी वह सभी सुविधाएं सेवानिवृत्त हो जाने के उपरांत भी मिलनी चाहिए, जिनका उपयोग उसने सेवा में रहते हुए किया हो।

(घ) मकान तथा चिकित्सा सुविधा (House and medical facility)

यह एक सर्वविदित तथ्य है कि शिक्षक प्रशिक्षकों को ग्रामीण अंचलों तथा अर्धशहरी क्षेत्रों में कार्य करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है चूंकि उन्हें रहने के लिए किराए पर उपयुक्त मकान नहीं मिल पाता है। महिलाओं के साथ यह कठिनाई और भी बढ़ जाती है। इसका कारण शायद इन क्षेत्रों में मकानों की संख्या सीमित होना ही है। अत: अपेक्षा की जाती है कि शिक्षक प्रशिक्षकों को आवासीय सुविधा न मिलने पर उन्हें नगद भले के रूप में उपयुक्त धनराशि दी जानी चाहिए। गंभीर बीमारियों तथा प्रसूतिकाल होने पर अपेक्षा यह की जाती है कि शिक्षक प्रशिक्षक द्वारा किए गए समूचे व्यय की भरपाई हो जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जनजातीय बहुल क्षेत्रों में कार्य करने वाले प्रशिक्षकों की चिकित्सा पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है। विशेष बात यह है कि शिक्षक प्रशिक्षक को दी जाने वाली धनराशि की दर सरकारी कर्मचारियों को देय चिकित्सा भला के बराबर होनी चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षकों को कम व्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए ताकि वह अपना मकान बना सकें। गृह निर्माण के लिए अलग से एक कोष की स्थापना की जा सकती है। अच्छा तो यह भी होगा कि शिक्षकों तथा प्रशिक्षकों के लिए देश के प्रत्येक बड़े शहर में "होलीडे होम्स" (Holiday Homes) बनाए जाय।

(ङ) उदार यात्रा सुविधा (Liberal Travel Facility)

अवकाश यात्रा छूट (Leave travel Facility) के अतिरिक्त शिक्षक प्रशिक्षकों को उदार यात्रा सुविधा भी प्रदान की जानी चाहिए ताकि वह सेमिनार, गोष्ठी वार्षिक सम्मेलन आदि में भागीदारी कर सकें तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं को निकट से देखने लाभ उठा सकें। उदार यात्रा सुविधा उन्हें व्यावसायिक उन्नयन में मदद पहुंचाएगी, ऐसी आशा हमें रखनी चाहिए। इस प्रकार की सुविधा से शिक्षक प्रशिक्षकों का अन्य स्थानों पर आयोज्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने का सुअवसर भी प्राप्त हो सकेगा। इस सुविधा की सहायता से शिक्षक अदला-बदली कार्यक्रम (Teacher Exchange Programme) को जामा पहनाना भी संभव हो सकेगा।

(च) शिक्षक कल्याण सुविधाएं (Teacher welfare Facilities)

शिक्षक प्रशिक्षक के कल्याण हेतु एक व्यापक नीति का निर्माण किया जाना चाहिए। उनके बच्चों को फीस में छूट देना, महिला शिक्षकों के लिए पालना घर की सुविधा तथा शिक्षक की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को नौकरी में लेने की सुविधा आदि कुछ ऐसे प्रयास हैं जिनसे शिक्षक-प्रशिक्षक के कल्याण को बल मिलता है। यहाँ यह बताना न्याय संगत होगा कि शिक्षकों के कल्याण के लिए 1962 में राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण संस्थान की स्थापना चैरिटेबल इन्डाउमेन्ट एक्ट के तहत की गई थी। इसके द्वारा सेवानिवृत्त उत्कृष्ट शिक्षकों को, जिनकी वार्षिक आय रूपये 8000 से अधिक नहीं है उन्हें एकमुश्त 1500 रूपये की धनराशि देने का तथा 100 रूपये, प्रतिमाह देने का प्रावधान किया गया है। आवश्यकता इस बात की है कि निर्धारित सीमाओं को बढ़ाया जाए ताकि अधिकाधिक प्रशिक्षक इस योजना का लाभ उठा सकें। अच्छा

होगा यदि सभी संस्थाओं/नियमों में इस सुविधा हेतु अलग से कोष स्थापित किया जाए। इस प्रकार क कोष से प्रमुख शहरों में शिक्षक भवन का निर्माण करना उपयोगी सिद्ध होगा।

(छ) प्रशिक्षकों हेतु पुरूस्कार (awards for educations)

वैसे तो देश में राष्ट्रीय तथा प्रांतीय स्तर पर शिक्षकों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुरस्कृत करने की योजना 1959 से चल रही है किंतु इसमें व्यापक सुधार की अब आवश्यकता जान पड़ रही है। पुरस्कारों की संख्या तथा धनराशि बढ़ाने की नितांत आवश्यकता है। मेरे विचार से शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए पुरस्कार परियोजना अब अलग से बनाई जानी चाहिए ताकि उनके उत्कृष्ट कार्यकलापों का समुचित सम्मान किया जा सके तथा उनकी एवं व्यवसाय की प्रतिष्ठा को बढ़ाया जा सके।

12.7 आचार संहिता (Code of Ethics)

भारत में यह एक सामान्य धारणा बन गई है कि विभिन्न शिक्षक संगठन प्राय: वेतन, मंहगाई भत्ते तथा अन्य आर्थिक लाभों के लिए निरन्तर संघर्ष करते रहते हैं, किंतु शिक्षक की भूमिका, प्रतिष्ठा एवं व्यावसायिक उन्नति के लिए, कोई ठोस प्रयत्न नहीं करते हैं। प्रत्येक व्यवसाय की भांति अध्यापन व्यवसाय के लिए भी अपेक्षित है कि उसकी उत्तमता (Quality) का हास न होने पाए, और इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षकों के लिए एक उपयुक्त आचार संहिता का निर्माण किया जाए तथा इसकी अनुपालना शिक्षक संगठनों के माध्यम से कराई जाए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (U.G.C) का मत है कि आचार संहिता शिक्षक संगठन अपनी स्वेच्छा से तैयार करें, अनिवार्यता के दबाव में नहीं। विगत कुछ वर्षो में एन.सी.ई.आर.टी. तथा यू.जी.सी. ने इस क्षेत्र में व्यापक आधार तैयार करने की भूमिका निभाई है। शिक्षक प्रशिक्षकों को व्यावसायिक जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाने में आचार संहिता की अहं भूमिका होती हे। वस्तुत: समाज तथा छात्रों दोनों की निगाहें लगातार उसके आचार, व्यवहार पर लगी रहती है। शिक्षक प्रशिक्षकों को चाहिए कि वह -

1. जिम्मेदाराना तरीके को अपने आचरण में अपनाएं तथा समाज द्वारा अपेक्षित व्यवहार प्रदर्शित करें।
2. अपने व्यक्तिगत मसलों को इस भांति हल करें कि व्यवसाय की प्रतिष्ठा पर कोई आंच न आने पाए।
3. व्यावसायिक उन्नयन हेतु अध्ययन तथा शोध द्वारा निरंतर गतिशील बने रहें।
4. सेमिनार, संगोष्ठी, कार्यशाला, मीटिंग आदि में अपने स्पष्ट तथा स्वतंत्र विचार रखने में संकोच न करें।
5. व्यावसायिक संगठनों में सक्रिय भागीदार बनकर, उनके माध्यम से शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करें।
6. पूर्णनिष्ठा एवं लगन के साथ अपने दायित्वों का निर्वाह करें, जिनमें शिक्षण प्रयोगात्मक, ट्यूटोरियल, सेमिनार आदि के दायित्व प्रमुख हैं।

7. शैक्षिक जिम्मेदारियों के संचालन में मदद करें - जैसे प्रार्थना पत्रों को छांटना, प्रवेश परीक्षा की व्यवस्था करना, छात्रों को परामर्श देना, मूल्यांकन करना आदि।
8. उन सभी प्रवृत्तियों में रूचिपूर्वक भाग लें जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं अथवा जो पाठ्यक्रम के अतिरिक्त है। उनमें सामुदायिक कार्य तथा सेवा प्रसार विभाग के कार्यक्रम भी सम्मिलित हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली 1989 में विश्वविद्यालय तथा कालेज के अध्यापकों हेतु व्यावसायिक आचार संहिता नामक दस्तावेज प्रकाशित किया था। इस रिपोर्ट में आचरण के निम्नलिखित आयामों को समाहित किया गया है?

(i) छात्रों के प्रति शिक्षक का आचरण

(ii) सहकर्मियों के प्रति शिक्षक का आचरण

(iii) अधिकारियों के प्रति शिक्षक का आचरण

(iv) गैर शिक्षक कर्मचारियों के प्रति शिक्षक का आचरण

(v) अभिभावकों के प्रति शिक्षक का आचरण तथा

(vi) समाज के प्रति शिक्षक का आचरण

शिक्षक प्रशिक्षकों का आचरण तथा व्यवहार उक्त घटकों के साथ किस प्रकार का होना चाहिए, इसकी विस्तृत व्याख्या संबंधित दस्तावेज में की गई है। संक्षेप में यह निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि शिक्षक प्रशिक्षक की स्वयं तथा उसके व्यवसाय की प्रतिष्ठा बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगी कि वह इस प्रकार आचार संहिता की अनुपालना किस सीमा तक करता है।

अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा शिक्षकों हेतु निर्मित मानक मानदण्ड

देश के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए उनके स्तरा के अनुरूप मानकों तथा मानदंडों का निर्धारण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषदनई दिल्ली ने 1995 में किया था। इनकी अनुपालन में होने पर ही प्रशिक्षण संस्था को मान्यता प्रदान करने का प्रावधान रखा गया हैं सभी स्तर की प्रशिक्षण संस्थाओं हेतु निर्धारित मानक तथा मानदंडों का उल्लेख करना यहां संभव नहीं है अत: सुविधा के लिए केवल माध्यमिक स्तर की प्रशिक्षण संस्थाओ(बी.एड., बी. टी. आदि) हेतु सुझाएं गए मानकों तथा मानदंडों का संक्षिप्त विवरण उदाहरण के रूप में नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

माध्यमिक स्तर की प्रशिक्षण संस्थाओं (जिसमें 60 छात्राध्यापक होते हैं) एक प्राचार्य तथा छ: अन्य अध्यापक होने चाहिए। तकनीकी तथा प्रशासनिक स्टाफ की संख्या क्रमश: 2 तथा 5 होगी। अध्यापक छात्र का अनुपात 110 का रहना चाहिए। प्रति छात्र फर्श का क्षेत्रफली 125 वर्गमीटर तथा संस्थान में भवनों एवं खेल के मैदान के लिए कम से कम 5000 वर्गमीटर का स्थान होना आवश्यक है। शोर-शराबे से दूर प्रदूषण रहित वातावरण में प्रशिक्षण स्थान स्थित होना चाहिए। सैद्धांतिक विषयों के लिए दो कमरे (प्रत्येक 60 वर्गगज) एक सेमिनार कक्ष (100 वर्गगज) तथा एक बहुप्रयोजनीय हाल(125 वर्गगज) का होना आवश्यक है। इसके अलावा मनोविज्ञान प्रयोगशाला (Phychology lab) शैक्षिक तकनीकी प्रयोगशाला (Educational Technology lab), कम्प्यूटर प्रयोगशाला (Computer lab) तथा अध्ययन कक्षा (Reading room) आदि भी होने आवश्यक है। सामान्य रूप से इन प्रयोगशालाओं में प्रत्येक का क्षेत्रफल 50-75 वर्गमीटर बताया

गया है। उपरोक्त सामान्य प्रयोगशालाओं (General laboratories) के अलावा विशिष्ट प्रयोगशालाएं (Specific labs) भी होनी चाहिए।

विज्ञान प्रयोगशालाएं (Science lab), भाषा प्रयोगशाला (Language lab) सामाजिक विज्ञान तथा संक्षिप्त समूह प्रयोगशाला (Social Science sum small group lab), आदि की गणना विशिष्ट प्रयोगशालाओं की श्रेणी में की जाती है। उपरोक्त विभिन्न प्रकार की प्रयोगशालाओं हेतु आवश्यक सामान तथा साज-सज्जा, फर्नीचर आदि के लिए मानक सुनिश्चित किए जा चुके हैं। इसी भांति पाठ्यक्रम क्रियान्वयन हेतु, प्रयोगात्मक कार्य हेतु, प्रवेश प्रक्रिया तथा ली जाने वाली फीस आदि के लिए भी मानक बना दिए गए हैं इन सभी की जानकारी परिषद के दस्तावेज Noems and standards for Teacher Education Institutions (1995) द्वारा की जा सकती है। ज्ञातव्य है कि प्रशिक्षण संस्थानों की कार्यदशाओ को सुधारने तथा अनुकूल शैक्षिक वातावरण के बनाने में यह दस्तावेज एक मील के पत्थर की भांति, ठोस एवं प्रभावी प्रयास के रूप में माना जायेगा।

12.8 सामाजिका व आर्थिक प्रतिष्ठा के उन्नयन हेतु कुछ ठोस सुझाव

1. शिक्षक-प्रशिक्षकों के वेतनमानों में समय-समय पर सुधार किया जाना नितांत आवश्यक है। वेतमानो का संशोधनों बढ़ती हुई महंगाई के संदर्भ में किया जाना आवश्यक होता है अन्यथा बढ़े हुए वेतन का कोई अर्थ नहीं रह जाता है।
2. शिक्षक-प्रशिक्षकों के ढेर सारे वेतन क्रमों में लाते हुए उनके बीच की दूरी को कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए इस प्रक्रिया से विभिन्न प्रांतों तथा स्तरों की प्रशिक्षण संस्थाओं में उनके लिए कार्य हेतु आना जाना संभव हो सकेगा। समन्वित वेतनक्रम की सिफारिश पर गभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए।
3. शिक्षक प्रशिक्षकों को अन्य व्यवसायों में कार्यरत समान योग्यता धारक व्यक्तियों के बराबर वेतनमान दिया जाना चाहिए।
4. समान श्रेणी के प्रशासनिक अधिकारियों और शिक्षक-प्रशिक्षकों के वेतन तथा अन्य प्राप्य आर्थिक लाभों में अंतर नहीं होना चाहिए। श्रंकइ शिक्षक प्रशिक्षकों को कोई ऊपरी आमदनी, अन्य व्यावसायों से जुड़े व्यक्तियों की भांति नहीं होती हैं, अत: उन्हें कुछ आर्थिक लाभों की सुविधा (जैसे लेखन अथवा परीक्षा आदि से प्राप्य पारिश्रमिक) दी जानी चाहिए।
5. पेंशन, प्रावडेन्टफन्ड, अनुग्रहराशि (ग्रेचुटी) महंगाई व अन्य भत्तों की दर आदि सरकारी संस्थाओं / विभागों के अनुरूप होनी चाहिए। सरकारी गैर सरकारी सहायता प्राप्त तथा गैर सरकारी बिना सहायता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाओं में काम करने वाले प्रशिक्षकों के बीच पाए जाने वाले आर्थिक लाभों के अंतर को यथाशीघ्र दूर किया जाना चाहिए।समान कार्य के लिए स मान वे तन के सिद्धांत को लागू करने करन से निश्चय ही प्रशिक्षकों की सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोत्तरी होगी।
6. सरकारी कर्मचारियों के लिए जिन सुविधाओं के स्थान पर आर्थिक लाभ / धनराशि देने का प्रावधान बनाया जा चुका है। उन्हें शिक्षक-प्रशिक्षकों पर भी यथावत् लागू किया जाना

चाहिए- जैसे मकान या आवासीय भत्ता, चिकित्सा भत्ता, आकस्मिक दुर्घटना, अवकाश का नगदीकरण आदि।

7. शिक्षक-प्रशिक्षकों की प्रबंधतंत्र में भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उनके तथा प्रबंधन के मध्य उठे आर्थिक विवादों का निपटारा नियमानुसार बनाए गए अभिकरणों (ट्रिखुनल) द्वारा किया जाना चाहिए। मेरे विचार से प्रांतीय अभिकरणों की पुनर्गठन भी किया जाना आवश्यक हैं, चूंकि इनमें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् का प्रतिनिधित्व अभी तक नहीं किया जा सका है।
8. समय आ गया है कि देश में प्रचलित राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कारों की योजना की भांति, शिक्षक-प्रशिक्षकों को अच्छे कार्य के लिए पुरस्कृत करने की दृष्टि से एक व्यापक योजना का निर्माण किया जाय। वस्तुतः प्रशिक्षकों की पदोन्नति के समय इन पुरस्कारों का विशेष महत्व होता है। मेरे विचार से इस प्रकार की योजना का सफल क्रियान्वयन अध्यापक शिक्षा परिषद् कर सकती है।
9. वर्तमान में सभी प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाओं में अपेक्षित सुधार की आवश्यकता है। समाज, सरकार तथा प्रशिक्षण संस्थाओं के बीच की दूरी को कम करना पडेगा। प्रशिक्षकों को समुचित आदर सम्मान देना होगा। शिक्षक-शिक्षा की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए आवश्यक होगा कि योग्य प्रशिक्षकों का व्यवसाय हेतु चयन किया जाये, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रणाली में सुधार लाय जाय, प्रशिक्षकों की व्यावसायिकता प्रगति का प्रबंध किया जाय, अपेक्षित वेतनमान एवं अन्य आर्थिक लाभ दिए जाय और उन्हें कार्य के प्रति जवाबदेह बनाया जाय।
10. शिक्षक प्रशिक्षकों को समाज में समुचित आदर एवं प्रतिष्ठा दिलाने में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। अगस्त 1995 में भारत सरकार ने गजट प्रकाशित करके इस उच्च स्तरीय संस्था का गठन किया था। इस परिषद ने विभिन्न स्तरों की शिक्षक-शिक्षा में व्यापक सुधार एवं सामंजस्य लाने की दृष्टि से नियमों एवं मानकों का निर्माण कर लिया है। जिन्हें चार प्रांतीय समितियों के माध्यम से सभी प्रशिक्षण संस्थाओं पर लागू किया जा चुका है। सभी प्रांतों में विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं के निरीक्षण का कार्य चल रहा है। सामान्य जन की जानकारी में यह बात आ चुकी है, कि बनाए गए नियमों एवं मानदण्डों की अनुपालना न करने वाले प्रशिक्षण संस्थानों के साथ, उपरोक्त परिषद् कड़ाई के साथ निपट रही है। जैसे पत्राचार पाठ्यक्रमों में 500 सीमित संख्या तक ही प्रवेशार्थियों की भर्ती, प्रशिक्षण के कार्यदिवसों को सुनिश्चित करना, सभी प्रशिक्षण संस्थाओं को परिषद् से मान्यता प्राप्त करने को अनिवार्य बनाना आदि ऐसे ही ठोस कदम गिनाए जा सकते हैं। आशा की जानी चाहिए कि निकट भविष्य में अध्यापक-शिक्षा के व्यवसाय को गरिमामय वं प्रतिष्ठा के साथ देखा जाने लगेगा।

स्वमूल्यांकन

अब तक आपने जो सीखा, उसका मूल्यांकन निम्न प्रश्नों का उत्तर देकर कीजिए

I. निम्न प्रश्नों का उत्तर विस्तार से दें -

1 वर्तमान के सामाजिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में भावी शिक्षकों के दायित्वों को समझाईए।

2 एन.सी.टी.ई 1978 ने शिक्षकों में किन सामान्य उद्देश्यों की अपेक्षा की थी।

3 स्वतंत्र भारत में एक व्यक्ति सामान्य अधिकारों का उल्लेख करते हुए, इसके निहितार्थों के संबंध में शिक्षक की भूमिका का उल्लेख कीजिए।

4 शैक्षिक स्वतंत्रता अध्यापकों हेतु क्यों आवश्यक है?

II. निम्न प्रश्नों का उत्तर 150 शब्दों में दें -

5 शिक्षकों की सामाजिक प्रतिष्ठा उनकी आर्थिक प्रतिष्ठा से किस प्रकार संबंधित है।

6 वर्तमान में शिक्षकों की प्रतिष्ठा के असंतोषजनक होने के क्या कारण है?

7 शिक्षक शिक्षा के बदलते स्वरूप पर प्रकाश डालिए।

12.9 संदर्भ सूची (Reference Material)

1. ए.के.गुप्ता "'टीचर एजूकेशन" नई दिल्ली, स्टरलिंग प्रकाशन 1984
2. अमरीक सिंह "हायर एजूकेशन इन इंडिया" दिल्ली, कोणार्क प्रकाशन 1989
3. सी.एल. कुंडू "'इंडियनद इयर बुक आन टीचर एजूकेशन" नई दिल्ली, स्टरलिंग प्रकाशन 1988
4. दैनिक जागरण समाचार पत्र कानपुर 31.1.97
5. केबिन रायन "टीचर एजूकेशन 74 इयरबुक, शिकागों, एन.एस.ई" 1975
6. "काम्पेटीशन मास्टर पत्रिका" चंडीगढ़ अंक 38 संख्या 9 अप्रेल 1997
7. एल.सी.सिंह "टीचर एजूकेशन इन इंडिया ए रिसोर्स बुक" नई दिल्ली, एन.सी. ई.आर.टी., 1990
8. आर. ए. शर्मा "अध्यापक शिक्षा", मेरठ ईगल बुक डिपो 1993
9. आर के.चोपड़ा "उभरते भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा" नई दिल्ली, एन.सी. ई.आर.टी, 1991
10. आर.एस.शुक्ला "शिक्षक शिक्षा दशा एवं दिशा", अक्षत प्रकाशन, बी - 231, मेहदौरी कालोनी इलाहाबाद, 1989 ।

अमरीक सिंह "हायर एजुकेशन एन इंडिया" दिल्ली, कोणार्क प्रकाशन 1989

रिपोर्ट - रोल एण्ड रिस्पांसिबिलिटि आफ टीचर्स, नई दिल्ली यू.जी.सी. 1981

रिपोर्ट - रिवाइटलाइजेशन आफ टीचर्स एजूकेशन उदयपुर, विद्याभवन, सेवा प्रसार विभाग, 1083 रिपोर्ट - कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स फार टीचर्स, नई दिल्ली, एन.सी.ई.आर.टी., 1988

रिपोर्ट - कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स फार टीचर्स, नई दिल्ली, एन.सी.ई.आर.टी., 1989

प्रपत्र - नार्म्स एण्ड स्टेंडर्डस फार टीचर इस्टीट्यूशन्स नई दिल्ली, एन.सी.ई.आर.टी., 1995

इकाई 13

शिक्षक और शिक्षक प्रशिक्षकों की अनवरन् शिक्षा : संकल्पना, पद्धति, महत्व, तकनीकियां एवं मूल्यांकन

Containing Education for Teacher and Teacher Education-Concept] System Importance Techniques and Evaluation

इकाई की संरचना

17.0 उद्देश्य एवं लक्ष्य

17.1 अनवरत शिक्षा की परिभाषा अवधारणा एवं क्षेत्र

17.1.1 अनवरत शिक्षा का महत्व

17.1.2 अनवरत शिक्षा का क्षेत्र

13.2 अनवरत शिक्षा की अवश्यकता

13.3 शिक्षक अभिप्रेरणा, अनवरत शिक्षा की पद्धति एवं तकनीक

13.3.1 सम्पर्क विधि

13.3.2 दूरस्थ शिक्षा विधि

13.3.3 पत्राचार सम्पर्क विधि

13.3.4 अंशकालिक एवं संध्याकालीन पाठ्यक्रम

33.5 विद्यालय परिसर

13.3.6 अनवरत शिक्षा केन्द्र शिक्षक केन्द्र

13.3.7 संस्था आधारित अनवरत शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रायोजन

13.3.8 शिक्षा आधारित अनवरत शिक्षा

13.4 अनवरत शिक्षा का मूल्यांकन

13.5 सन्दर्भ ग्रंथ

13.0 उद्देश्य

अनवरत शिक्षा की आवश्यकता को समझ सकें

- विभिन्न अवस्थाओं जैसे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में अनवरत शिक्षा का महत्व एवं आवश्यकता को प्रतिपादित कर सकें।
- अनवरत शिक्षा की विभिन्न पद्धतियों एवं तकनीकों के बारे में जान सकेगें।
- अनवरत कार्यक्रमों की उपलब्धि के बारे में जान सकेंगे।
- अनवरत शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा का प्रशिक्षण से है, जिसे कि व्यक्ति अनौपचारिक शिक्षा की विशिष्ट अवस्था प्राप्त करने के उपरान्त या कोई रोजगार या कार्य प्राप्त

करता हैं। आइए, अब हम देखे कि विभिन्न विद्वानों तथा संगठनों ने अनवरत शिक्षा को किस प्रकार परिभाषित किया हैं।

13.1 अनवरत शिक्षा की परिभाषा

सर्वप्रथम यह बताना वांछनीय होगा कि अनवरत शिक्षा, अग्रिम शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, जीवनपरन्त शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा आदि समार्थक शब्दों से भी जानी जाती है। अनवरत शिक्षा की कुछ परिभाषा इस प्रकार है- यूनेस्को (1982) में अनवरत शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि "विद्यालय के बाहर की शिक्षा ऐसे जन सामान्य को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देती है जो कि अनौपचारिक शिक्षा प्राप्ति के अवसर से वंचित रह गये हैं, इसमें हम साक्षरता कार्यक्रम एवं व्यावसायिक दक्षता एवं चेतना विकसित करने को भी सम्मिलित करते है। अनवरत शिक्षा सामाजिक एवं उत्पानात्मक विकास समधी व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरी करने में सहायता प्रदान करती है।"

कोठारी शिक्षा आयोग (1964 - 1966) में अग्रिम शिक्षा के बारे में लिखा है कि शिक्षा विद्यालय के साथ ही समाप्त नहीं होती है वरन् यह एक जीवन पर्यन्त प्रक्रिया है। यह आज प्रौढों को तेजी से बदलते हुए विश्व परिदृश्य में सामाजिक जटिलताओं की जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है।

भारत में दूरस्थ शिक्षा व्यक्तिगत विकास का एक साधन रही है। अनवरत शिक्षा की प्रक्रिया ने केवल विकसित होते ज्ञान, वैज्ञानिक तकनिकी जानकारियों से शिक्षित व्यक्तियों को अवगत कराती है वरन् यह इस प्रवृत्त वर्ग को और सक्षम तरीके से अपने कार्य संचालन में समक्ष बनाती है। यह समाज में असक्षम तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गो को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करती है।

शिक्षक एवं शिक्षक प्रशिक्षकों के संदर्भ में अनवरत शिक्षा शब्द का प्रयोग व्यवसाय में प्रवेश करने के उपरान्त पेशे संबंधी दक्षता विकसित करने से है। इसमें हम सेवारत व्यक्तियों के अपने शैक्षणिक उन्नयन को अद्यतन बनाये रखने के अवसर प्रदान करते है। इस तरह शिक्षा एवं प्रशिक्षण से व्यक्ति अपने व्यावसायिक जीवन को आगे बढ़ाने में सरलता महसूस करता है।

शिक्षक शिक्षा के सन्दर्भ में अनवरत शिक्षा के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षक एवं व्यवसायिक आवश्यकताओं को पूरी करने हेतु संचालित की जाती है। शिक्षकों के लिए अनवरत शिक्षा का एक मुख्य पक्ष यह है कि वह औपचारिक शिक्षक प्रशिक्षक की भांती व्यवस्था द्वारा निर्धारित लक्ष्यों तक ही समित नहीं रहती है वरन् यह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठित एवं अनौपचारिक गतिविधियों को संचालित करती है जिसमें सभी आयु वर्ग के अध्यापक, समाज में होने वाले परिवर्तनों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं।

13.1.1 अनवरत शिक्षा का महत्व

प्रथम - विगत तीन दशकों में शिक्षक शिक्षा के सभी क्षेत्रों में ज्ञान व्यापक विस्तार हुआ हैं। इस नये ज्ञान के विकास एवं प्रसार में विज्ञान एवं तकनिकी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ज्ञान तथा प्रसार सिद्वान्त एवं शिक्षण और मूल्यांकन पद्वति के संदर्भ में विशेष रूप से रहा है। सभी स्तरों एवं आयु वर्ग के अध्यापकों के लिए यह आवश्यक है कि अगर वे अपने व्यावसायिक

दायित्वों का निर्वहन दक्षता पूर्वक करना चाहते है तो उन्हें विकसित होते ज्ञान को अद्यतन बनाये रखना होगा। अध्यापन क्षेत्र में अज्ञानता की कीमत बहुत ऊंची चुकानी पड़ती है। ज्ञान के तीव्र विकास का परिणाम यह हुआ है कि शिक्षा शिक्षक कार्यक्रमों रही विषयवस्तु एवं पाठ्यक्रम इतनी तेजी से साथ बदले है कि शिक्षक प्रशिक्षक की प्रारम्भिक अवधारणा आज निरर्थक लगने लगी है। शिक्षक द्वारा अपने प्रशिक्षण काल के दौरान प्राप्त किया गया ज्ञान उसी के व्यावसायिक जीवन में अपूर्ण एवं पुराना पड़ता दिखाई देत है। अत: आवश्यकता है कि शिक्षक अपने ज्ञान को निरंतर रूप से नवीनतम जानकारियों युक्त बनायें रखें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया है कि "शिक्षक शिक्षा एक अनवरत प्रक्रिया है, इनके सेवा पूर्ण एवं सेवारत पक्षों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता"

द्वितीय - राजनैतिक सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य बहुत तीव्रगति सं परिवर्तित हो रहे है, ऐसी स्थिति में अगर शिक्षकों को अपना जीवन सार्थक एवं प्रभावशाली तरीके से जीना है तो इस नये ज्ञान को प्राप्त करना ही होगा। भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में शिक्षकों के लिए यह आवश्यक है कि वे देश की राजत्रातक व्यवस्था, वैज्ञानिक आविष्कारों तथा तकनिकी विकास के सामाजिक परिणामों को व्यापक रूप से जानें, ताकि वे एक बौद्धिक लोकमत विकसित करने में योगदान प्रदान कर सकें।

तृतीय - अन्य तृतीय विश्व के देशों की भांती हमारे देश में भी प्रचलित औपचारिक शिक्षक- शिक्षा कार्यक्रम, सांस्कृतिक मूल्यांकनात्मक कसौटी प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं। परिणामत: ये कार्यक्रम हमारी राष्ट्रीय परम्पराओं के दार्शनिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्यों से शिक्षकों को अनभिज्ञ रखते हैं। अत: आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षकों को एक अनवरत शिक्षा व्यवस्था की सुविधा प्राप्त होनी चाहिये। जिसमें वे औपचारिक शिक्षक प्रशिक्षक कार्यक्रमों की कमियों को पूरा कर सकें तथा एक सौहार्दपूर्ण सशक्त सांस्कृतिक मूल्यांकनात्मक कसोटी प्रदान करने में सक्षम हो सकें।

उपर्युक्त बिन्दुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षक - शिक्षा कार्यक्रमों के क्षेत्र को अपनी विषयवस्तु को बढ़ाना होगा इसे अध्यापकों के लिए अधिकतम कार्यदक्षता बनाये रखने के लिए अनवरत अधिगम की व्यवस्था करनी होगी। जिससे शिक्षक अपनी पूर्ण क्षमता को पहचान सके। तथा जटिल एवं तीव्र परिवर्तित समाज में प्रभावी योगदान प्रदान कर सकें। अनवरत शिक्ष शिक्षकों के मध्य निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करती है एवं अधिगम दक्षताओं को बडाती है। इसके अतिरिक्त सेवारत अध्यापकों के आराम के क्षणों एवं अवकाश प्राप्त शिक्षकों के समय का प्रभावी सदुपयोग करने का अवसर प्रदान करती है।

13.1.2 अनवरत शिक्षा का क्षेत्र

शिक्षकों के लिए अनवरत शिक्षा का क्षेत्र काफी व्यापक एवं वृहद है। इसमें हम इस शिक्षा को सम्मिलित करते हैं जो कि अध्यापक, अध्यापन व्यवसाय में प्रवेश करने के उपरान्त तथा शिक्षक प्रशिक्षक संस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त ग्रहण करता है। अनवरत शिक्षा को सेवारत व्यक्तियों की शिक्षा भी कहा जाता है इसमें हम उन सभी शैक्षणिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों को लेते हैं जिसमें शिक्षक सक्रिय भूमिका निभाता है। साथ ही इसमें हम

उस अतिरिक्त शिक्षा को भी लेते है जो कि व्यक्ति विभिन्न संस्थाओं में व्यावसायिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त करता है। ये शिक्षा न केवल विगत में प्राप्त प्रशिक्षक की कमियों को पूरा करती हैं। यह उन समस्त शिक्षकों जो कि अपने ज्ञान में व्यापक जानकारी रखते हैं एवं उन शिक्षकों जिनको कि व्यावसायिक प्रशिक्षक एवं शिक्षा की पूर्ण जानकारी नहीं है उन्हें भी आगे सीखने हेतु प्रेरित करती है।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

निम्न प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दें -

1. अनवरत शिक्षा की अवधारणा पर एक लेख लिखिये।
2. व्यक्ति के लिय अनवरत शिक्षा की अवश्यकता क्यों है।
3. शिक्षक एवं शिक्षक प्रशिक्षक की शिक्षा का क्षेत्र क्या है।

13.2 अनवरत शिक्षा की आवश्यकता

अनवरत शिक्षा की विद्यालयों एवं शिक्षक प्रशिक्षक संस्थाओं में कार्यरत अध्यापकों के शैक्षणिक एवं व्यावसायिक महत्व के विकास के लिए आवश्यकता होती है। शिक्षक प्रशिक्षक में कार्यरत शिक्षकों के लिए अनवरत शिक्षा की आवश्यकता, विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में भिन्न एवं विशिष्ट होती हैं। शिक्षक प्रशिक्षक संस्थाओं में वे अध्यापक होते हैं जो कि प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को प्रशिक्षण देते हैं। आज अधिकांश शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में शिक्षक शिक्षा का पाठ्यक्रम इतना जटिल और कठोर है कि वह नये राष्ट्रीय उद्देश्यों के संदर्भ में अपूर्ण लगता है शिक्षक एवं विद्यार्थी वर्तमान भारतीय समाज के मूल्यों को रूपांतरित करने में अपने आपको असमर्थ पाते हैं। तथा उन्हें लोकतांत्रिक समाजवादी एवं धर्मनिपेक्ष समाज के संदर्भ में बहुत ही कम जानकारी है।

शिक्षा आयोग (1964-66) में यह महसूस किया गया है कि शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में गत्यात्मकता एवं यथार्थता का अभाव है। इसके अधिकांश पाठ्यक्रम मुख्यत: अपने परिप्रेक्ष्य में रूढ़िवादी प्रतीत होते हैं। यहाँ तक कि शिक्षक पद्वति में भी शिक्षक, विद्यार्थियों को उसकी उपयोगिता एवं प्रयोगशीलता के बारे में प्रभावित करने में असमर्थ रहते हैं। क्योंकि उनको स्वंय को भी इस शिक्षण पद्वति की उपयोगिता एवं प्रभावशीलता के संदर्भ में उपर्युक्त जानकारी नहीं होती। पाठ योजना का एक घिसा पिटा प्रारूप होता हैं एवं शिक्षण की रूढ़िवादी तकनिकों को ही बाद में बिना यह देखे के विषयवस्तु की प्रकृति क्या है, एवं व्यावहारिक परिवर्तन के संदर्भ में क्या लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, शिक्षण अभ्यास में भी अपनाया जाता है। अत: शिक्षक प्रशिक्षक संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों के लिए अनवरत शिक्षा की आवश्यकता है ताकि वे शिक्षक के सिद्वान्त एवं व्यवहार से संबंधित पाठ्यक्रमों को समृद्ध कर सकें और विद्यार्थियों में आवश्यक दक्षता एवं सक्षमता विकसित करने में समर्थ हो सकें।

देश के अधिकांश राज्यों के विद्यालयों में दस जमा दो प्रणाली अपनायी गयी है। एवं कुछ राज्य आज भी इस प्रणाली को अपनायी जाने की प्रक्रिया में हैं आज विद्यालयों में दस जमा दो प्रणाली अपनाने के फलस्वरूप जो पाठ्यक्रम अपनाये गये है उनके संदर्भ में विद्यार्थी अपनाये गये हैं, उनके संदर्भ में शिक्षक को शिक्षक प्रशिक्षक संस्था व्यापक प्रशिक्षक देने में अपने आपको असमर्थ महसूस कर रही है। माध्यमिक विद्यालयों के अधिकांश शिक्षक इस परिवर्तित पाठ्यक्रम

को पढ़ाने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहे हैं क्योंकि विभिन्न विषयों में वस्तुत नयी विषय सूची जोड़ दी गयी हो अत: शिक्षक प्रशिक्षक एवं माध्यमिक विद्यालयी अध्यापकों को पुनश्चर्या पाठ्यक्रम उन्हें अपने दायित्वों को प्रभावी एवं सार्थकता पूर्ण निर्वाह करने में समर्थ बनायेंगे। विद्यालयी शिक्षकों के लिए अनवरत शिक्षा को हमें शिक्षकों के विभिन्न वर्गो की विशिष्ट आवश्यकता के संदर्भ में देखना होगा। इन वर्गो में हम पूर्व विद्यालयी शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक एवं माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों को ले सकते हैं। इन वर्गो के संदर्भ में अनवरत शिक्षा की आवश्यकता को देखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि विभिन्न स्तर के विद्यार्थियों विषयवस्तु, लक्ष्य एवं निर्देशन पद्विति भिन्न भिन्न होती हैं।

पूर्व प्राथमिक विद्यालयी शिक्षकों के प्रशिक्षण को जे. बी. टी. या डायट जैसी प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वैकल्पिक या अतिरिक्त पाठ्यक्रमों के माध्यम से अच्छा बनाया जा सकता हैं। चूंकि प्राथमिक शिक्षक अपने समकक्षी अविभक्त इकाई विद्यालयी शिक्षकों की भांती बहुत ही कम आयु वर्ग के बच्चों अर्थात् दूसरी या तीसरी कक्षा विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। अत: वांछनीय है कि प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए एकीकृत अनवरत शिक्षा की व्यवस्था की जाये।

13.2.1 पूर्व प्राथमिक अवस्था

पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के परिपेक्ष्य में अनवरत शिक्षा पूर्व प्राथमिक शिक्षकों को बाल्यावस्था शिक्षा के सैद्वान्तिक एवं व्यवहारिक ज्ञान सीखने में सहायता प्रदान करती है। यह ग्रामीण शहरी एवं औद्यौगिक क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के विशिष्ट संदर्भ में बच्चों के विकास के मुख्य सिद्धान्तों को समझने में सहायता प्रदान करती हैं। पूर्व प्राथमिक विद्यालयी शिक्षकों को गायन, लयात्मक एवं नाटक संबंधी गतिविधियों, कार्य अनुभव, सृजनात्मक कला एवं खेल जैसी विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभवों के माध्यम से ज्ञान एवं दक्षता को विकसित करने में सहायता प्रदान करती हैं। जे.बी.टी. संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक प्रशिक्षक पूर्व प्राथमिक शिक्षकों की शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं इन शिक्षक प्रशिक्षकों के बहुत ही व्यापक पूर्वाभिमुखीकरण कार्यक्रमों की आवश्यकता हैं ये कार्यक्रम उन विशेषज्ञों की सहायता से संचालित किये जायें, जिन्होंने पूर्व प्राथमिक शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं जैसे किन्डर गार्डन नसर्री, मान्टेसरी एवं प्री वेसिक संस्था में उल्लेखनीय कार्य किया है। ये कार्यक्रम एन. सी. ई. आर. टी., भारतीय पूर्व विद्यालयी शिक्षा संघ, सनसोरा वेदायी गांधी ग्राम आदि ग्रामीण संस्थाओं तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित अन्य संगठनों के साथ विकसित किये जायें। अनवरत अभिमुखीरकरण पाठ्यक्रम के माध्यम से ही इन शिक्षक प्रशिक्षकों को अद्यतन बनाया जाये, ताकि वे पूर्व प्राथमिक शिक्षा को ऐसी संरचना प्रदान करने में सक्षम हो सके जो प्रभावी हो।

13.2.2 प्राथमिक अवस्था

साक्षरता, संख्यात्मक एवं तकनीकी शीलता को बढ़ावा प्राथमिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य है। इन उद्देश्यों तथा इसके साथ जुड़े अन्य सामाजिक व सांवेगिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में विषय वस्तु एवं पद्वतीय दृष्टिकोण को विकसित

करने के लिए अनवरत शिक्षा की महती आवश्यकता है। जैसा कि पीछे उल्लेख किया जा चुका है कि पूर्व विद्यालयी शिक्षा के कुछ पाठ्यक्रम जैसे बाल्यावस्था मनोविज्ञान, संचारदक्षता, शिक्षण पद्वति आदि की प्राथमिक शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों के साथ सहसम्बद्वता होनी चाहिये। प्राथमिक शिक्षकों में स्वास्थ्य संबंधी सैद्वान्तिक एवं व्यावहारिक जानकारी, भौतिक एवं मनोरंजनात्मक गतिविधियाँ, कार्य अभ्यास, कला एवं संगीत की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिये। इनको प्रथम एवं द्वितीय भाषा की गणित एवं प्राकृतिक तथा समाज विज्ञान से सम्बंधित विषयों में पर्याप्त दक्षता होनी चाहिये। प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षकों के लिए पूर्वाभिमुखीकरण कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है, ताकि उनमें मुख्य अधिगत सिद्धान्तों को समझ को विकसित किया जा सके। ये अधिगम सिद्वान्त शिक्षकों में 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों में ज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक एवं अभिवृत्यात्मक अधिगम को विकसित करने में सहायता प्रदान करते हैं। ये कार्यक्रम शिक्षक- प्रशिक्षक में विद्यालय एवं बदलते समाज में शिक्षक की भूमिका की समझा विकसित करते हैं। प्राथमिक शिक्षक - प्रशिक्षकों में सामुदायिक सहभागिता विकसित करने हेतु कुछ विशिष्ट पूर्वाभिमुखी कार्यक्रमों की भी व्यवस्था की जानी चाहिये।

13.2.3 माध्यमिक अवस्था

माध्यमिक विद्यालयी शिक्षकों को अपने ज्ञान एवं जो विषय वे पढ़ाते है, उसके बारे में अद्यतन जानकारी के लिए अनवरत शिक्षा की आवश्यकता होती है। जिससे ये शिक्षक अधिगम के स्वीकृत सिद्धान्तों एवं नयी विद्यालयी पाठ्यक्रम योजना के परिपेक्ष्य में अपने-आपको तैयार कर सकें। उन्हें स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के सैद्वान्तिक एवं मनोरंजनात्मक गतिविधियों तथा कार्याभ्यास की जानकारी का होना आवश्यक भी है। माध्यमिक विद्यालयी शिक्षकों के लिए दक्षता, समझ, रूचि एवं दृष्टिकोण के विकास को बढ़ाने में सक्षम हो सकें।

माध्यमिक अवस्था में कार्याभ्यास एवं नये पाठ्यक्रम को अपनाने के कारण न केवल नयी विषय वस्तु की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिये वरन् नयी शिक्षण विधियों के विकास की आवश्यकता भी महसूस की गयी हैं। इसके लिए बी. एड. प्रशिक्षण महाविद्यालयों के शिक्षक-प्रशिक्षकों को विषयवस्तु का ज्ञान, समग्रपद्वति का ज्ञानगतिविधियों का संचालन की दक्षता एवं शारीरिकी शिक्षा तथा अवकाश कालीन गतिविज्ञान के संचालन संबंधी ज्ञान की सक्षमता होनी चाहिये। आज माध्यमिक विद्यालयी शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए अल्पकालि पूर्वाभिमुखी कार्यक्रमों के विकास बहुत अधिक आवश्यकता है, ताकि वे माध्यमिक विद्यालयी शिक्षकों के लिए नयी प्रशिक्षण व्यवस्था को संचालित करने में समर्थ हो सकें।

3.2.4 प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा अवस्था

1991 की जनगणना के आकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता की दर 52 प्रतिशत थी। निरक्षता विकास की दर आज समान बनी हुयी है। इस शताब्दी के अंत तक देश में निरीक्षकों की संख्या 50 करोड़ हो जायेगी। विश्व बैंक के अनुसार 15 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के विश्व के निरक्षर 54 प्रतिशत भारत में निवास करते हैं। सभी को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य को हम बार-बार आगे बढ़ाना पड़ता है क्योंकि हम 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के विद्यालय जाने

वाले सभी विद्यार्थियों कों प्रवेश देने असमर्थ रहे हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भारत में विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत अधिक है बढ़ती हुयी जनसंख्या एवं गरीबी के फलस्वरूप समाज के सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के सभी बच्चों को औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश दे पाना एवं उन्हें विद्यालयों में बनाये रख पाना संभव नहीं बन पाता है। अत: अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों की महती आवश्यकता है ताकि इस आयु वर्ग के बच्चों हेतु शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन किया जा सकें। इन कार्यक्रमों के संचालन के लिए शिक्षक-प्रशिक्षकों एवं शिक्षकों को शैक्षणिक सहायता एवं अनवरत शिक्षा की आवश्यकता होती है जिससे ये प्रारम्भिक शिक्षा की समस्याओं को समझ सकें और औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों की माध्यमों से शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो सकें। आज शिक्षक प्रशिक्षक, विद्यालयी शिक्षक एवं प्रोढ़ों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को अपने व्यावसायिक जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अत: उन्हें कार्य अनुसंधान (Action Research) में भी अनवरत प्रशिक्षण की आवश्यकता हैं जिससे वे इन समस्याओं का तत्काल एवं व्यावहारिक समाधान निकाल सकें।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1 पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयी शिक्षकों के संदर्भ में अनवरत शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालिये।

2 प्रारम्भिक एवं माध्यमिक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए अनवरत शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ती है। विवेचना कीजिए।

3 प्रौढ़ शिक्षा हेतु अनवरत शिक्षा की क्या उपयोगिता है स्पष्ट करें।

13.3 शिक्षक अभिप्रेरणा पद्धति एवं तकनीक

सामान्यत: यह देखा गया है कि शिक्षक एवं शिक्षक प्रशिक्षकों में अनवरत शिक्षा में भाग लेने की प्रेरणा नहीं होती है। यह अभिप्ररेणा व्यक्तिगत रूप में तो शिक्षक में तो और भी कम होती है। शिक्षकों में यह सामान्य भावना पायी जाती है कि वे सब कुछ जानते हैं तथा जानने के लिए कुछ नया नहीं है। वे अनवरत शिक्षा के प्रति कोई रूचि नहीं रखते। वे सामान्यत: मानते है कि पूर्वाभिमुखी पाठ्यक्रमों और न ही पुनश्चर्या प्रशिक्षण के रूप में अनवरत शिक्षा उनकी योग्यता में कुछ जोड़ती है और न ही उन्हें अग्रिम वेतन वृद्धि जैसी कोई आर्थिक लाभ इससे मिलन पाता है। अधिकांश सेवा कालिक कार्यक्रम छुट्टियों में आयोजित किये जाते है। अध्यापक अपनी छुट्टियों का उपयोग उस समय तक इन कार्यक्रमों के लिए नहीं करना चाहते तब तक कि उन्हें कुछ लाभ एवं अभिप्ररेणा न मिले। ये देखा गया है कि इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्तियों की रूचि कोई डिग्री या डिप्लोमा लेने में अधिक रहती है। अत: यह आवश्यक है कि कुछ प्रयास करके शिक्षकों को अभिप्रेरित किया जाये ताकि वे अपनी आवश्यकताओं को पहचान कर महसूस कर सकें, तथा अनवरत शिक्षा के प्रति प्रेरित हो सकें।

अनवरत शिक्षा की पद्धति एवं तकनीक

अनवरत शिक्षा की पद्धतियां एवं तकनीकें मुख्यत: शिक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षकों की आवश्यकता की प्रकृति द्वारा निर्धारित होती है। साथ ही पद्धतियों एवं तकनीक अनवरत शिक्षा

कार्यक्रमों को संचालित करने वाली संस्थाओं के मानवीय एवं भौतिक स्त्रोतों की उपलब्धता पर भी निर्भर करते है। इस संबंध में संबंधित समूह ही आवश्यकता, योग्यता, विषयवस्तु हेतु कौशलों का विकास शिक्षण में विभिन्न क्रियाओं का प्रयोग परियोजनाओं या कार्यक्रमों का संगठन, नई शैक्षिक तकनीकी और नई संचार तकनीकी रेडियो टीवी. कम्प्यूटर आदि के प्रयोग सुधार आदि से संबंधित हो सकती है। शिक्षक एवं शिक्षक प्रशिक्षकों को अनवरत शिक्षा प्रदान करने की मुख्य पद्धतियाँ एवं तकनीकें निम्न है:-

13.3.1 सम्पर्क विधि

शिक्षक एवं शिक्षक - प्रशिक्षकों को अल्पकालिक अनवरत शिक्षा प्रदान हेतु सम्पर्क कार्यक्रम आज भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। सम्पर्क कार्यक्रम वे होते हैं जिनमें कि मुख्यत: शिक्षक एवं शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए अल्पकालिक पूर्वाभिमुखी एवं पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। पाठ्यक्रम मुख्यत: शिक्षक - शिक्षा महाविद्यालयों, शैक्षणिक शोध एवं प्रशिक्षण की राज्य स्तरीय परिषदों, जिला शिक्षा संस्थाओं, प्रशिक्षण एवं अध्यापक केन्द्रों जैसी अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित किये जाते हैं। देश के विभिन्न भागों में स्थित प्रशिक्षण महाविद्यालयों में लगभग 100 विस्तार केन्द्र कार्य कर रहे हैं। ये सम्पर्क शिविरों द्वारा माध्यमिक विद्यालयी शिक्षकों के लिए विभिन्न समयावधि के पाठ्यक्रम संचालित करते हैं। लगभग 45, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सेवारत शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र कार्य कर रहे हैं। ये केन्द्र 15 दिन की समयावधि के सम्पर्क शिविर आयोजित करते हैं जिनमें अध्यापक विधि एवं विषयवस्तु से संबंधित ज्ञान को अद्यतन करते हैं। किन्तु तकनीकी विकास एवं अध्यापकों की विभिन्न आवश्यकताओं को देखते हुए अन्य प्रकार की तकनीकों को भी विकसित किया जाना चाहिये।

13.3.2 दूरस्थ शिक्षा विधि

अधिकांश शिक्षक डिग्री एवं डिप्लोमा के लिए अपनी शिक्षा जारी रखना चाहते हैं इसी को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालयों से सामान्य शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित दूरस्थ शिखा कार्यक्रम प्रारंभ किये हैं। आज राष्ट्रीय एवं राजकीय स्तर पर अनवरत शिक्षा हेतु खुले विद्यालय विश्वविद्यालय कार्य कर रहे है। विद्यार्थियों को समीक्षात्मक प्रश्नों युक्त पाठों या मोड्यूलों के रूप में पाठ्य सामग्री भेजी जा रही है। विद्यार्थी इन समीक्षात्मक प्रश्नों का हल करके वापिस संबंधित संस्थान में जाते हैं। विश्वविद्यालय / बोर्ड द्वारा परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है एवं विद्यार्थियों को डिग्री तथा डिप्लोमा / प्रमाण-पत्र दिये जाते हैं। देश में अप्रशिति शिक्षकों की समस्या का समाधान करने के लिए एन. सी.ई.आर.टी. द्वारा ग्रीष्मकालीन पत्राचार पाठ्यक्रम भी संचालित किये गये। इनमें सबसे उल्लेखनीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय तथा कोटा खुला विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने शिक्षकों हेतु दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम प्रारंभ किये हैं। कई राज्यों ने भी यहाँ खुले विश्वविद्यालयें की स्थापना की हैं ये सभी खुले विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। राजस्थान में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय है जो कि दूरस्थ शिक्षा माध्यम द्वारा सेवारत शिक्षकों के लिए बी. एड. एवं अन्य शिक्षा पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है।

13.3.3 अनवरत शिक्षा पत्राचार - सम्पर्क तकनीक

अनवरत शिक्षा पत्राचार - सम्पर्क तकनीक से भी प्रदान की जाती हैं। शिक्षक शिक्षा से संबंधित गतिविधियों की प्रकृति में हम सैद्वान्तिक ज्ञान एवं दक्षता दोनों को ही लेते है। अतः यह तकनीक शिक्षक एवं शिक्षक - प्रशिक्षकों की अनवरत शिक्षा के लिए अधिक उपयोगी है सैदान्तिक ज्ञान चाहे वह गणित शास्त्र, विज्ञान शास्त्र मानवीय एवं समाज विज्ञान से संबंधित हो, दूरस्थ शिक्षा पत्राचार पद्वति के माध्यम द्वारा प्रदान किया जा सकता है। इस व्यवस्था में दूरस्थ शिक्षक एवं शिक्षक प्रशिक्षक को मूल्यांकन युक्त मुद्रित पाठ्य सामग्री प्रदान की जाती है। इस मुद्रित सामग्री को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि वह अपने विशिष्ट शैक्षणिक उद्देश्यों की तरफ सफलता से अग्रसर होती है। यह शिक्षक - प्रशिक्षकों को अपने स्थान एवं समय के हिसाब से अग्रिम अध्ययन हेतु अवसर प्रदान करती है।

स्वनिर्देशित पाठ्यसामग्री शिक्षक एवं शिक्षक प्रशिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए भी सैद्वान्तिक जानकारियाँ प्रदान करती हैं। यह पाठ्य सामग्री शिक्षक को तत्काल फीड बैक प्रदान करती है। जिससे वह तय करने में सक्षम होता है कि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया गया है या नहीं। मृत्यु - दृश्य उपकरण रेडियो, टी. वी. शिक्षण उपकरण, सी. सी. टी. वी., कम्प्यूटर सामग्री, फिल्म स्किप्टस, फिल्म आदि का भी शिक्षक एवं शिक्षक प्रशिक्षकों हेतु प्रभावी उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि अनवरत शिक्षा केन्द्र आधुनिक सुविधाओं से युक्त हों। कोटा, इग्नु जैसे कई विश्वविद्यालय इस तकनिकी के माध्यम से३ बी. एड. एम. एड. पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं। ये विश्वविद्यालय इन पाठ्यक्रम हेतु विभिन्न केन्द्रों. पर जाकर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए परामर्श कर सकता हैं तथा विभिन्न विषयों में वह अपनी दक्षता भी बड़ा सकता है। इन सम्पर्क केन्द्रों पर श्रृव्य एवं दृश्य कैसेट्स फिल्म ट्रांसपेरेन्सी आदि तकनीक उपकरणों का प्रयोग कर रहा है, विद्यार्थी इसके माध्यम से न केवल अपने ज्ञान को अद्यतन करता है। वरन् वह इससे यह भी सीखता है कि वह अपने स्वंय के शिक्षण में इन उपकरणों का किस प्रकार प्रयोग का सकता है।

13.3.4 अंशकालिक एवं संध्याकालीन पाठ्यक्रम

शिक्षक एवं शिक्षक प्रशिक्षकों की अनवरत शिक्षा की व्याख्या अंशकालिक एवं संध्याकालीन पाठ्यक्रमों द्वारा भी की जाती है। दिल्ली एवं जामिया जैसे कुछ विश्वविद्यालयों ने अप्रशिक्षित शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए संध्याकालीन एवं अंशकालिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किये गये थे। इन पाठ्यक्रम सेवारत शिक्षकों के लिए ही संचालित किये गये थे पाठ्यक्रमों की अवधि सापेक्ष रूप से कुछ अधिक रखी जाती है। उदाहरण के लिए जामिया द्वारा अंशकालीन एम. एड. पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष रखी गयी है। सेवारत शिक्षकों हेतु अल्पकालिक पाठ्यक्रम भी इस विधि द्वारा संचालित किये जा सकते है। देवी अहिल्या विवि. इन्दौर में भी ग्रीष्मकालीन कक्षाएं सेवारत शिक्षकों हेतु चलाई जाती है।

3.3.5 विद्यालय परिसर

शिक्षकों की अनवरत शिक्षा का संचालन विद्यालय परिसर स्तर पर भी किया जा सकता है। विद्यालय परिसरों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में कार्यरत् शिक्षकों की बैठक, विचार विमर्श एवं अपने स्तर को सुधारने के लिए विभिन्न तरीके खोजने तथा अपने विद्यालयों अधिगम की गुणवत्ता को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। शिक्षकों को शिक्षण अधिगम सामग्री शिक्षक अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षक समायक सामग्री (टीचिंग एड्स) के प्रयोग की जानकारी प्रदान की जाती हैं। कोठारी आयोग एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986- 1992) तथा क्रियात्मक कार्यक्रम (प्रोग्राम ऑफ एक्शन) की अनुशंसाओं के आधार पर विभिन्न राज्यों में धीरे - धीरे विद्यालय परिसरों की स्थापना की जा रही है।

13.3.6 अनवरत शिक्षा केन्द्र / शिक्षण केन्द्र

शिक्षक एवं शिक्षक प्रशिक्षकों के अनवरत शिक्षा केन्द्र सेवारत शिक्षकों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं। कार्यक्रमों की विधि एवं तकनीकें संवापूर्ण के प्रशिक्षक की विधियाँ एवं तकनीकों से भिन्न होती है। चुंकि एक विशिष्ट केन्द्र एक निश्चित क्षेत्र के ही शिक्षक एवं शिक्षक प्रशिक्षकों इस अवधि में अनवरत आधार पर शिक्षा देता है अत: शिक्षकों को उसी केन्द्र पर जल्दी - जल्दी पाठ्यक्रमों में उपस्थित होना चाहिये। इन केन्द्रों का प्रयोग शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी प्रयोग किये जा सकते हैं।

सामान्यत: प्रत्येक केन्द्र वर्ष में कम से कम चौतीस सप्ताहों की गतिविधियों एवं कार्यक्रमों का संचालन करता है। जिनमें संध्याकालीन एवं रविवार अवकाश कालीन कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं तथा अवकाश के दौरान ही चार सप्ताह के नियमित कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। एन. सी. ई. आर. टी. ने कार्य दिवसों की समयावधि की एक योजना तैयार की है जिसमें एक वर्ष में 720 घण्टों को लिया गया है। जो निम्न प्रकार होंगे:

1	संध्याकालीन	
	21/2 घण्टे प्र 6 दिन प्र 6 सप्ताह	=450 घण्टे
2	रविवार तथा अन्य अवकाश	
	5 घण्टे प्र 30 सप्ताह	= 150 घण्टे
3	अवकाश काल	
	5 घण्टे * 6 दिन प्र 4 सप्ताह	= 120 घण्टे 202
	कुल	= 720 घण्टे

एक केन्द्र को कम से कम एक जिले की आवश्यकताओं को पूरा करना होता हैं। जिसमें कम से कम 1200 अध्यापक एवं शिक्षक प्रशिक्षक एक साथ भाग लेते हैं। एक विशिष्ट वर्ग के लिए आयोजित कार्यक्रम जो कि 30 घण्टे से अधिक अवधि का नहीं होता है उसमें 1200 शिक्षक एवं शिक्षक प्रशिक्षक एक वर्ग में भाग ले सकते हैं। पूरे वर्ष संचालित होने वाले

पूर्वाभिमुखी कार्यक्रमों की बड़ी सावधानी पूर्व योजना बनानी चाहिये, ताकि शिक्षक एवं शिक्षक प्रशिक्षक की राष्ट्रीय प्राथमिकता के संदर्भ में आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकें।

13.3.7 संस्था आधारित अनवरत शिक्षा

संस्थात्मक स्तर पर विद्यालय या शिक्षण प्रशिक्षण संस्था द्वारा उसी स्थान पर जहाँ लोग सेवारत है, भी अनवरत शिक्षा प्रदान की जा सकती है। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि अनवरत शिक्षा में अधिकांश गतिविधियों संस्थाओं से दूर या बाहर संचालित की जाती है। इनमें अधिकांश शिक्षक भाग नहीं लेते है। इन कार्यक्रमों के मूल्यांकन में सहभागियों की राय रही है कि यह कुछ क्षेत्रों में तो उचित है पर प्रभावी नहीं रहे है। इनका मुख्य कारण यह है कि शिक्षकों की आवश्यकता एवं कार्यक्रम की विषय सूची में इन कार्यक्रमों की कोई तारतम्यता नहीं मिलती है। अधिकाशत: देखा गया है कि इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले शिक्षक नये ज्ञान एवं दक्षता का उपयोग नहीं कर पाते कर पाते है। क्योंकि वे अपनी संस्था की गतिविधियों को प्रभावित करने में अपने को सक्षम नहीं कर पाते है। कमजोर स्तर, स्त्रोतों एवं फीड बैंक के अभाव आदि इसके कारण हो सकते है। ये सभी कारण एक साथ मिल कर इस समस्या को और भी जटिल बना देते हैं।

इन्हीं सीमाओं को ध्यान में रखकर के नयी पद्धतियों पर ध्यान दिया गया है जिसमें संस्था आधारित अनवरत शिक्षा प्रमुख हैं। इसके अन्तर्गत अधिकांश गतिविधियाँ उसी संस्था के अन्तर्गत संचालित की जाती हैं। इनका सामान्य लक्ष्य सम्पूर्ण स्टाफ, विभाग या एक निर्धारित वर्ग को शिक्षा प्रदान करना होता है। इसे स्टाफ के सदस्यों द्वारा स्वंय के द्वारा भी संचालित किया जा सकता है, तथा बाहर के द्वारा भी यह संचालित हो सकता है तथा स्टाफ और बाहरी सदस्य दोनों मिलकर भी इसे संचालित कर सकते हैं।

इसी तरह के कार्यक्रमों के पीछे मुख्य तर्क दिया जाता है कि यहां आवश्यकताओं को आसानी से पहचाना जा सकता है तथा गतिविधियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तित किया जा सकता है। चूंकि आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तित किया जा सकता है चूंकि इन कार्यक्रमों में सम्पूर्ण स्टाफ का एक वर्ग होता है, अत: कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सुगमता रहती है।

आजकल इस नये उपागम पर सोचा जाने लगा है, कि बाहरी सहायता द्वारा संचालित कार्यक्रम में स्वंय संचालित कार्यक्रमों को अलग - अलग नहीं चलाकर के एक साथ संस्था में सेवारत व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम संचालित किये जाने चाहिये। बाहरी सहायता से अच्छे विशेषज्ञ मिल जाते है तथा संस्था के व्यक्ति अपनी अवश्यकताओं के अनुरूप गतिविधियों को संचालित कर सकते है। अत: दोनों मिलकर एक प्रभावी का कार्यक्रम संचालन कर सकते है। संस्था आधारित कार्यक्रम न केवल संस्था में कार्यरत व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं अपितु ये मितव्ययी भी होते हैं।

सैद्वान्तिक रूप से संस्था आधारित कार्यक्रम बाहा एवं संस्थात्मक दोनों ही विधियों की अच्छाइयों को लेकर चलते है तथा उसके दोषों को कम करने का प्रयास करते है। इसके कार्यक्रमों का आसान क्रियान्वयन होता है। क्योंकि इसके आयोजन से ही स्टाफ के सदस्य साथ-

साथ कार्य करते है तथा उन्हें अपनी संस्था की मानवीय एवं भौतिक स्त्रोत सीमा का ध्यान रहता है। इस तरह के कार्यक्रम संस्था में कार्यरत व्यक्तियों में संकीर्णता वादी दृष्टिकोण के खतरों को भी कम करते हैं इस तरह के कार्यक्रमों शिक्षकों में आपसी समझ एवं प्रतिस्पर्द्धात्मक आवश्यकताओं में सामंजस्य बैठाने के अवसर भी प्रदान करते हैं। संस्था आधारित कार्यक्रमों के निष्पादन पर किये गये शोधों के प्रमुख परिणाम निम्न हैं-

संस्था आधारित कार्यक्रम अन्य कही संचालित होने वाले कार्यक्रम की अपेक्षा शिक्षक के जटिल व्यवहार को मोड़ने में ज्यादा सक्षम रहे हैं।

- संस्था आधारित अनवरत शिक्षा कार्यक्रम शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रभावित करने में अधिक प्रभावी रहे हैं।
- संस्था आधारित कार्यक्रम किसी बाह्य महाविद्यालय या अन्य किसी अन्य संस्था द्वारा संचालित कार्यक्रमों की अपेक्षा अपने उद्देश्यों की पूर्ति में अधिक सफल रहे हैं क्योंकि सेवारत गतिविधियों के आयोजन में शिक्षक स्वयं भाग लेते हैं तथा एक दूसरे की सहायता करते हैं।
- संस्था आधारित कार्यक्रमों में शिक्षकों के द्वारा स्वनिर्देशन पर अधिक बल दिया जाता है जिसका प्रभावशीलता अधिक होती है।
- अनवरत शिक्षा कार्यक्रम विभिन्न शिक्षकों को विभिन्न प्रशिक्षण अनुभव प्रदान करते है। यहां सामान्य गतिविधियों की अपेक्षा व्यक्ति केन्द्रित गतिविधियों को ध्यान में रखा जाता है।
- सेवारत शिक्षा कार्यक्रमों में शिक्षक एक दूसरे की सहायता करता है। इससे पारस्परिक समझ विकसित होती है।
- अनवरत शिक्षा गतिविधियों से शिक्षक एवं शिक्षक प्रशिक्षक, संस्था के प्रयासों द्वारा लाभान्वित होते है।
- किसी संस्था द्वारा पूर्व निर्धारित लक्ष्यों एवं गतिविधियों से संचालित करने की अपेक्षा शिक्षक एवं प्रशिक्षक अपने स्वंय के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों एवं गतिविधियों से अधिक मात्रा में लाभान्वित होते हैं।

मुक्त दूरस्थ अधिगम (Open and Distance Learning; ODL) प्रणाली : अनवरत शिक्षा का माध्यम

अध्यापकों एवं अध्यापक प्रशिक्षकों को अनवरत शिक्षा प्रदान करना समय की आवश्यकता है। एक तरफ जनसंख्या विस्फोट दूसरी तरफ तकनीकी विस्फोट मानवता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अध्यापक / अध्यापक प्रशिक्षकों को नई तकनीकी से कैसे अवगत कराया जाए यह अहम् समस्या है। दूरस्थ शिक्षा इसका मुख्य निदान है। वस्तुत: यह ऐसी शिक्षा है जिसे व्यक्ति अपनी गति से और अपने समय के अनुसार सीखता हैं। दूरस्थ शिक्षा के द्वारा कमाना व सीखना साथ-साथ संभव है। आधुनिक जीवन में सभी जटिल हो रहे हैं, परिणाम स्वरूप विभिन्न व्यवसायों की शैक्षणिक योग्यताओं में परिवर्तन आ गया है। इन परिवर्तनों के अनुरूप अपनी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाना प्रत्येक की स्वाभाविक इच्छा है। दूरस्थ शिक्षा विभिन्न व्यवसायों से संबंधित व्यक्तियों को अपनी शैक्षणिक योग्यताएँ बढ़ाने के अवसर प्रदान करता है।

अनवरत शिक्षा की अवधारणा के अनुसार दूरस्थ / मुआ शिक्षा प्रणाली के द्वारा कम लागत पर अध्यापकों को शिक्षित किया जा सकता है। इसमें काम करने की पूर्ण स्वतंत्रता बनी रहती है। अनौपचारिक विधि से शिक्षा का अध्येता एक पहुँचा कर सामाजिक एकता व लोकतंत्र को कायम रखना संभव है। इस विधि में लचीलापन है। समाज को विद्यालयविहिन करने की धारणा का सही अर्थ है कि शिक्षण को विद्यालय सीमा से बाहर ले जाए। दृश्य / श्रव्य, व्यक्तिगत सम्पर्क परामर्श, दूरदर्शन एवं निर्देश पुस्तकालय द्वारा इस प्रणाली में शिक्षा का प्रावधान किया जाता है।

देश में पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो मुक्त / दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से अनवरत शिक्षा प्रदान करना एक अभिनव कदम है।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

अब तक आपने जो सीखा, उसका का मूल्यांकन आप स्वंय निम्न प्रश्नों का उत्तर देकर कीजिए

1 सम्पर्क विधि भी आज काफी प्रभावी है - क्यों

2 शिक्षकों की अनवरत शिक्षा में दूरस्थ शिक्षा विधि किस प्रकार सहायक हैं?

3 दूरस्थ शिक्षा तथा पत्राचार - सम्पर्क तकनीक में क्या भिन्नता है?

4 संस्था आधारित अनवरत शिक्षा पर प्रकाश डालिए।

13.3.8 संस्था आधारित अनवरत शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रायोजन

संस्था आधारित अनवरत शिक्षा कार्यक्रम विभिन्न प्रकार से आयोजित किये जाते है। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं।

1. स्टाफ बैठक / सम्मेलन

विद्यालयों एवं शिक्षक प्रशिक्षक संस्थाओं स्टाफ बैठकों एवं सम्मेलनों की शिक्षक एवं शिक्षक प्रशिक्षकों की अनवरत शिक्षा के लिए प्रभावी उपयोगिता है। इन बैठकों का प्रयोग संस्थात्मक योजना, पाठ्यक्रम योजना, निर्देशात्मक सामग्री का निर्माण, शिक्षक को शिक्षक के दौरान आने वाली समस्याओं पर विचार विमर्श, शिक्षक की नयी तकनीकों का विकास, सह शैक्षणिक गतिविधियों के आयोजन तथा परीक्षा जैसी अन्य गतिविधियों के अच्छे संचालन एवं उनमें सुधार के लिए भी हो सकता हैं। स्टाफ सदस्य कुछ विशिष्ट विषयों पर विवेचनों का आयोजन कर सकते है। किसी विशिष्ट समस्या पर बोलने लिए कुछ बाहरी विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जा सकता है। ये गतिविधियां स्टाफ के व्यावहारिक उन्नयन के लिये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होती है। स्टाफ बैठकों को प्रभावी बनाने के लिए निम्न मुख्य बातों का ध्यान में रखा जाना चाहिये?

- संस्था के अध्यक्ष को स्टाफ में अच्छे संबंधों को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए।
- संस्थापक समस्याओं का समाधान सहयोग की भावना से किया जाये तथा साथ साथ कार्य किया जाना चाहिये।
- संस्था का समुदाय के साथ संबंध विकसित करने चाहिये तथा समुदाय के साथ संबंधों को प्रभावी बनाने का प्रयास करने चाहिए।

- संस्था के अध्यक्ष को लोकतांत्रिक नेतृत्व प्रदान करना चाहिए जिससे कि स्टाफ का उन्नयन आसानी से संम्भव हो सकें।

संस्था में एक सौहार्दपूर्ण सामुदायिक जीवन विकसित किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी एवं शिक्षक एक समुदाय के रूप में अपना उन्नयन कर सकें।

2. विषय शिक्षक संघ / अध्ययन वृत्त

अध्ययन वृत्तों एवं विषय शिक्षक संघों के निर्माण द्वारा भी स्टाफ की अनवरत शिक्षा संभव हो सकती है। इन संघों / वृत्तों द्वारा शिक्षक एक दूसरे के नजदीक आते है, अपनी समस्याओं पर बातचीत करते हैं, तथा उनके समाधान की प्रक्रियाओं की खोज करते हैं।

3. अभिनव अभ्यास / प्रयोग

शिक्षक एवं शिक्षक प्रशिक्षकों को शिक्षण की नयी तकनीकों के बारे में अभिनव अभ्यास एवं प्रयोग करते रहना चाहिये। संस्था के अध्यक्ष द्वारा स्टाफ सदस्यों को भौतिक एवं वित्तिय सुविधाएं प्रदान करनी चाहिये ताकि जो शिक्षक प्रयोग या कुछ नवीन अभ्यास करने के प्रयास करे उसे सुविधाएं मिल सकें। यह अभ्यास शिक्षक को और अधिक सीखने का अवसर प्रदान करते है। शिक्षक को आनन्ददायक बनाते हैं तथा भविष्य में इन अभ्यासों के प्रयोग हेतु प्रेरित करते हैं। एन. सी. ई. आर. टी. में शिक्षक एवं प्रशिक्षकों के लिए शिक्षक की अभिनव तकनीकों के प्रयोग को बढ़ावा देने की योजना है। इस योजना के अंतर्गत कुछ चयनित शिक्षकों को सहायता प्रदान की जाती हैं। कार्यक्रम राज्य शैक्षणिक शोध एवं परिक्षण परिषदों (एन. सी. ई. आर. टी.) के द्वारा क्रियान्वियत किये जाते हैं। एन. सी. ई. आर. टी. चयनित शिक्षकों की राष्ट्रीय बैठक आयोजित करती है, जिसमें प्रत्येक चयनित शिक्षक अन्य शिक्षकों की सूचना हेतु अपने अभिनव अभ्यास की रिर्पोट या लेख प्रस्तुत करता है। इस दौरान अन्य शिक्षक एवं विषय विशेषज्ञ अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करते हैं। इस तरह के कार्यक्रम जिला एवं राज्य स्तर पर भी आयोजित किये जाने चाहिये।

4. अनवरत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रसार सेवाओं की गतिविधियाँ

कार्यक्रम में शिक्षकों की सहभागिता बढ़ाने के लिए कुछ गतिविधियों का आयोजन राज्य की शिक्षा विभाग राज्यस्तरीय संस्थाओं जैसे एस. सी. ई. आर. टी. राज्य विज्ञान तथा शिक्षा संस्थान आदि कर सकती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इन गतिविधियों का आयोजन एन. सी. ई. आर. टी. केन्द्रीय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति आदि द्वारा किया जा सकता हैं। कार्यक्रमों में हम, संगोष्ठी, लेख प्रस्तुतीकरण, अभिनव एवं प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट, शैक्षणिक खेल प्रतियोगिता आदि को ले सकते है। इस तरह के कार्यक्रम शिक्षक को अभिनव अभ्यास प्रयोग करने, अधिक साहित्य पढने, सामग्री / सहायता लेख तैयार करने तथा किसी विषय पर प्रतिवेदन लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। इनका प्रयोग शिक्षक आधारित अनवरत शिक्षा में भी किया जा सकता हैं। कुछ नये कार्यक्रमों के बारे में सोचा जा सकता है तथा उन्हें लागू किया जा सकता है। कई वर्षो से एन. सी. ई. आर. टी. एस. सी. ई. आर. टी. इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है।

5. संगोष्ठी एवं कार्यशालाओं का आयोजन

संगौष्ठी एवं कार्यशाला अनवरत शिक्षा की सामान्य प्रचलित विधियाँ हैं। संगौष्ठी किसी विशिष्ट विषय पर आयोजित की जाती है। जिसमें विशेषज्ञों द्वारा विषय के विभिन्न पक्षों पर लेख प्रस्तुत किये जाते हैं। उदाहरण के लिए विज्ञान शिक्षा में नये विकास, बालकेन्द्रित तथा शिक्षा शिक्षण भाषा की नई विधियां आदि कुछ विषय संगौष्ठी के हो सकते हैं। सहभागी शिक्षक एवं प्रशिक्षक प्रश्न पूछ सकते हैं तथा स्पष्टीकरण एवं अन्य जानकारियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं।

6. प्रकाशन

शिक्षक एवं शिक्षक प्रशिक्षकों को अनवरत शिक्षा प्रदान करने की अन्य तकनीक, नये विषयों पर मुद्रित सामग्री का प्रकाशन करना भी हैं। इसमें विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में नूतन विकासों को सम्मिलित किया जाता है। सामग्री साधारण भाषा में तैयार की जाये जो आसानी से समझ में आ सकें एवं उनका प्रकाशन आकर्षक होना चाहिए। पुस्तकालयों तथा अन्य साधनों द्वारा शिक्षकों को इस सामग्री की व्यापक उपलब्धता होना चाहिए। अच्छा यह होगा कि प्रकाशित होने वाली सामग्री के बारे में, शिक्षकों की एक बैठक में विचार विमर्श कर लिया जाये तथा यह निर्धारित कर लिया जाये कि इसको किस प्रकार से प्रकाशित किया जाये। इससे न केवल मुद्रित सामग्री का मूल्यांकन ही होगा वरन् कुछ बिन्दुओं का स्पष्टीकरण भी हो सकेगा।

13.3.9 शिक्षक आधारित अनवरत शिक्षा

स्व-आधारित अनवरत शिक्षा सबसे अच्छी तकनीक है, क्योंकि इससे स्व- प्रेरित व्यावसायिक विकास होता हैं। यह पुस्तकों, पत्रिकाओं एवं विषय और शिक्षक की रूचि से जुड़े अन्य साहित्य को पढ़कर भी हो सकती है। शिक्षक लेख लिख सकता हैं निर्देशात्मक सामग्री तैयार कर सकता है एवं अपने विषय से संबंधित पुस्तकें लिख सकता है। साथ ही शिक्षक कुछ कार्यात्मक शोध, अन्वेषण एवं प्रयोग भी कर सकता है। शिक्षक अपने विषय का ज्ञान समाचार - पत्रों, रेडियो टेलीविजन तथा इन जैसे अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी प्राप्त कर सकता है। अन्य शिक्षकों, समान पेशेवर व्यक्तियों एवं विशेषज्ञों से विचार विमर्श भी कुछ मुद्दों की समझ एवं स्पष्टीकरण विकसित करता है। वास्तव में इस तरह की स्वप्रेरित अनवरत शिक्षा की कोई सीमा नहीं है। कुछ इसे प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्रियों के लिए प्राप्त कर सकते है तो कुछ अन्य अपने ज्ञान एवं समझ को विकसित करने के लिए प्राप्त कर सकते हैं।

13.4 अनवरत शिक्षा कार्यक्रमों का मूल्यांकन

इन मूल्यांकन कार्यक्रमों की प्रकृति, विशिष्ट कार्यक्रमों को आयोजित करने वाले अभिकरण तथा अनवरत शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, आदि पर निर्भर करेगा। अगर कोई कार्यक्रम विश्वविद्यालय या राज्य शिक्षा विभाग द्वारा प्रमाण पत्र, डिग्री डिप्लोमा देने के लिए संचालित किया जा रहा है तो उनकी अपनी स्वंय की मूल्यांकन व्यवस्था होती है। अगर ये कार्यक्रम शिक्षकों की स्वंय की संस्था के अलावा किसी अभिकरण द्वारा आयोजित होते हैं तो उनकी मूल्यांकन व्यवस्था अलग होगी।

अनवरत शिक्षा कार्यक्रमों का मूल्यांकन प्रभावी नियमित एवं प्रभावकारी व्यापक होना चाहिये। यह आंतरिक होना चाहिये। मूल्यांकन नियमित एवं वृहद होना चाहिए अत: एक निश्चित समयावधि के उपरान्त कुछ विश्वसनीय एवं वैध प्रमाणों के आधार पर प्रगति की जाँच की जानी चाहिये।

आतंरिक मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक एवं शिक्षक प्रशिक्षक को इस तरह का अवसर मिलना चाहिये कि चिन्तन विधि, अध्ययन समस्या समाधान की विधियों को निपुणता से देख सकें तथा इसके लिए आवश्यक दक्षताओं को विकसित कर सकें व इसका लेखा - जोखा रख सकें। औपचारिक परीक्षा को कम महत्व दिया जाये तथा "टर्म पेपर", पुस्तकालय अध्ययन, क्षेत्र अन्वेषण एवं सर्वेक्षणों को आधिक महत्व दिया जाए। सम्पर्क कार्यक्रमों के दौरान शिक्षक एवं शिक्षक प्रशिक्षकों की मौलिकता, उत्साह एवं निजी सोच की जाँचने के लिए मौत्रिखक परीक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए। अनवरत शिक्षा के मूल्यांकन के लिए यदि संबंधित संस्थान वरीयता सूची अवलोकनात्मक अनुसूचियां, साक्षात्कार से संबंधित अनुसूचियाँ कुछ प्रविधियों का विकास कर उन्हें प्रयोग में ले तो वह ताकि उपयोगी सिद्ध होंगी। ये विधियां सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले अभ्यार्थियों के ज्ञानात्मक एवं प्रभावी विकास को मापने में भी सहायक होंगी।

मूल्याकन प्रश्न

1 अनवरत शिक्षा की शिक्षक आधारित विधियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।

2 किसी अन्य अभिकरण द्वारा संस्था के बाहर आयोजित किये जाने वाले अनवरत शिक्षा कार्यक्रमों के गुण - दोष बताइये।

3 संचार के माध्यम अनवरत शिक्षा गतिविधियों को किस प्रकार प्रभावी तथा बना सकते है?
विवेचना कीजिये।

4 स्वनिर्मित मूल्यांकन की प्रविधियां अधिक उपयोगी 'क्यों रहती है।

5 अनवरत शिक्षा कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाए

13.5 संदर्भ ग्रंथ

1 'इन सर्विस एज्यूकेशन ऑफ टीचर्स', राष्ट्रमण्डल सचिवालय लंदन, 1982

2 'इन सर्विस द टीचर्स एण्ड द स्कूल', लंदन 1981

3 रौल ब्रिज (सम्पादित), इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, दी र्हालवर प्रेस, लंदन, 1989

4 एम.. एफ. विडिन एण्ड एण्ड्यूज (संपादित), 'इन सर्विस एज्यूकेशन', दी हॉलवर प्रेस, लंदन, 1978

5 ए. जे. क्रोनल एण्ड आर. एच.देव, 'लाइफ लौंग एज्यूकेशन एण्ड टेर्निग ऑफ टीचर्स 'यूनेस्को
इंस्टीट्यूट ऑफ एज्यूकेशन, हम्बर्ग 1978

6 'इन्नोवेशन इन सर्विस एज्यूकेशन एण्ड टेर्निग ऑफ अचिर्स', ओ ई. सी. डी. पेरिस 1978
7 टीचर्स रिसोस सेन्टर, राष्टमण्डल सचिवालय, 1991
8 ऐश्वर्य रेड्डी, लाइफ लौंग लर्निग', उस्मानिया यूनिवर्सिटीज, हैदराबाद 1983
9 जे. मोहन्ती, करन्ट इश्यूज इन एज्यूकेशन', ओस्मो पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1992
10 पीटर जारविश 'एडल्ट एण्ड कन्दीन्यूइंग इन एज्यूकेशन', क्रोमहेल्म लंदन, 1963
11 वी. एडवर्ड रेड्डी, 'लाइफ लौंग लर्निग' औपरेशनल कॉन्सेप्ट स्टेट रिसोर्स सेन्टर फॉर अडल्ट एज्यूकेशन, हैदराबाद, 1983.
12 जे. मोहन्ती, करन्ट इश्चूज इन एज्यूकेशन, कॉस्मो पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1992.
13 पीटर जारविश ' अडल्ट एण्ड कन्टीन्यूइंग', कारूम हेल्म, लंदन 1983.
14 एल. सी. सिंह (सम्पादित) टीचर एज्यूकेशन इन इंडिया एन. सी.ई. आर. टी., नई दिल्ली, 1990
15 टर्मीनोलोजी ऑफ अडल्ट एज्यूकेशन, यूनेस्को पब्लिकेशन, पौढ शिक्षा निदेशालय, मानस संसाधन एवं विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग भारत सरकार नई दिल्ली.
16 नेशनल पालिस ऑन एज्यूकेशन (1996) मानस संसाधन एवं विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग भारत सरकार, नई दिल्ली
17 यूनेस्को रीजनल ऑफिस फॉर एज्यूकेशन इन एशिया एण्ड ओसीनिया कन्दींयुइंग एज्यूकेशन फॉर टीचर एज्यूकेटर बैंकॉक 1978.
18 लुईस रॉबिन (सम्पादित) ' दी इन सर्विस एज्यूकेशन टीचर्स', अलेन एण्ड बेकन, वोस्टन, 1978.
19 शिक्षा नीति पर सीए बी. ई. समिति की रिपोर्ट, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली 1992.
20 जे सी. गोयल, ' द इण्डियन टीचर एज्यूकेशन', नेशनल साईक्लोजीकल कारपोरेशन, आगरा 1985
21 राल्फ जी. बोकेल्ट (सम्पादित) कन्दीन्यूइंग एज्यूकेशन इन दी इयर 2000 ' जोसे-बास सैन फ्रासिकों 1987
22 आर. पी. सिंह, 'दी चैलेन्जैज ऑफ टूमारे एप्रोफाइल ऑफ फ्युचर टीचर एज्यूकेशन, स्टर्लिग पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1983.

इकाई 14

शिक्षक शिक्षा के मापदण्ड, प्रवेश नीतियां व चयन प्रक्रिया Standards of Policies and Selection on Teacher Education

इकाई की संरचना

14.0 उद्देश्य

14.1 प्रस्तावना

14.2 शिक्षक प्रशिक्षण में परम्परावाद व नाम आधुनिकतावाद

14.3 शिक्षक प्रशिक्षक में संसाधन

14.4 प्रशिक्षक प्रविधि तथा प्रशिक्षकों का स्तर एवं चयन हेतु उपर्युक्त नियोजन

14.5 शिक्षक शिक्षा में नवाचार एवं अनुसंधान, प्रशासन एवं नियंत्रण

14.6 प्रभावी शिक्षक अवधारणा, प्रवेश नीतियां, कुछ प्रश्न

14.7 प्रभावी शिक्षकों और चयन के सम्बन्ध में किए गये कुछ अध्ययन

14.8 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एवं प्रवेश प्रक्रिया

14.9 संदर्भ ग्रंथ

14.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप इस योग्य हो सकेंगे कि -

- शिक्षक शिक्षा के मापदण्डों का अर्थ समझ सकेगें।
- शिक्षक प्रशिक्षण में परम्परावाद तथा आधुनिकतावाद के संघर्ष से परिचित हो सकेंगे।
- शिक्षक शिक्षा के संगठन, अवधि पाठ्यक्रम प्रशिक्षकों के स्तर आदि के बारे में जान सकेंगे।
- शिक्षक शिक्षा में नवाचार, अनुसंधानों, प्रशासन व नियंत्रण व्यवस्था आदि से परिचित हो सकेंगे।
- भावी शिक्षकों में वांछित गुणों को जान सकेंगे।
- राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश नीति की आवश्यकता के कारणों को समझ सकेंगें
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् का प्रवेश प्रक्रिया में प्रभाव का मूल्यांकन कर सकेंगे।

14.1 प्रस्तावना

किसी भी शिक्षा प्रणाली की सफलता मुख्य रूप से उस प्रणाली के शिक्षकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। वस्तुत: शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रम का सार उसकी गुणवता ही है। यदि इसमें न्यूनता पाई जाती है तो कार्यक्रम मात्र धन का अपव्यय ही नहीं वरन् शैक्षणिक स्तर के पतन का कारण बन जाता है। अत: किसी भी मूल्य पर इसे त्यागना श्रेयस्कर माना जायेगा।

शिक्षक शिक्षा में अकादमिक स्तर को बनाये रखना आज की परिस्थितियों में एक चुनौती पूर्ण गंभीर विषय बन गया है। शिक्षा के विस्तार के कारण अकादमिक स्तर में निरंतर गिरावट आ रही है, जिसे रोकना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। केवल भारत में ही नहीं अपितु विश्व के तमाम विकसित एवं विकासशील देशों में शिक्षकों की गुणवत्ता की पुकार उठ रही है। एक और जहाँ शिक्षित एवं प्रशिक्षित अध्यापकों को शिक्षक व्यवसाय में लाने की चिंता व्यक्त की जा रही है वहीं दूसरी और वह शिक्षक भी व्यवसाय में लग चुके हैं उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे है ताकि शिक्षा के मापदण्ड गिरने न पाये। विज्ञान तथा तकनीकी के गतिशील विकास को दृष्टि में रखते हुए यह प्रयास और भी कठिन बन जाता है। तीव्रगति से हो रहे परिवर्तन के अनुरूप हमें शिक्षा में भी परिवर्तन करने होंगे तभी अकादमिक सतर में व्याप्त गिरावट को रोका जा सकेगा।

भारत में शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में बहुत सी कमजोरियाँ दृष्टिगोचर हो रही हैं सामान्यत: प्रशिक्षक की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, प्राय: सुनने में आता है कि शिक्षक अभ्यास के दौरान सीखी गई विधियों, कौशल एवं कलाओं का उपयोग शिक्षक बन जाने के बाद कक्षा कक्ष वातावरण में कोई भी प्रशिक्षार्थी नहीं करता है। वह 'भाषण पद्वति' का उपयोग करता है तथा रटे रटाये ज्ञान को छात्रों तक संप्रेषित करने में सफल हो पाता है। वर्तमान में यह धारणा दृढ़ बनता जा रही है कि कुछ अपवादों को छोड़कर देश में शिक्षक प्रशिक्षण. कार्यक्रम निम्न स्तर का बन गया है। शिक्षक प्रशिक्षण की वर्तमान व्यवस्था न तो लचीली है और न गतिशील अध्यापकों को दक्ष एवं प्रभावी बनाने में यह असफल रही है। समय समय पर नियुक्त विभिन्न आयोगों तथा समितियों ने इस बात को दोहराया है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् ने भी इन विचारों पर पुष्टि की है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में स्पष्ट कहा गया है कि "किसी समाज में अध्यापकों का दर्जा उसके सामाजिक - सांस्कृतिक लोकाचार को प्रतिबिंबित करता है। यह भी कहा गया है कि कोई भी राष्ट्र अपने अध्यापकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता है" इस कथन को आधार बनाते हुए शिक्षक प्रशिक्षक के कार्यक्रमों में निम्न बातों का समावेश करना आवश्यक जान पड़ता है-

- भावी शिक्षक को अपनी विविध किन्तु नई एवं परिवर्तनशील भूमिकाओं को समझाना।
- समाज द्वारा सौंपे गए महान सामाजिक दायित्व को समझना तथा अपनाना।
- शिक्षक तथा शिक्षक समुदाय का सदस्य होने के नाते समाज द्वारा आपेक्षित आकांक्षाओं की जानकारी प्राप्त करना और
- शिक्षक के दृढ़ रुप में विश्वास के साथ अपने कार्य कलाप की दिशा का निर्धारण करना।

उपरोक्त बातों का ध्यान देने से यह कहा जा सकता है कि शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न सहभागी प्रवृत्तियों तथा शैक्षित कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षार्थियों को इन बिन्दुओं की और आकृष्ट करना होगा ताकि वह कक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आपेक्षित वैचारिक परिपक्वता प्राप्त कर सामाजिक रूपांतर के अभिकर्ता के रूप में अपनी भूमिका को भली प्रकार समझ सकें तथा उसका निर्वाह कर सकें।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि शिक्षण व्यवसाय में प्रतिभासंपन्न व्यक्ति के लिए जायें तथा अंत तक उन्हें समर्पित एवं उत्साही बने रहने की प्रेरणा दी जाये तभी 'शिक्षा की गुणवत्ता' के उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी। यह बात सामान्य शिक्षकों के संदर्भ में भी सही हैं। सच तो यह बात है कि शिक्षा में सुधार तभी हो पाएगा जब शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ेगी और शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने का उपाय यही है कि शिक्षक प्रशिक्षण के स्तर को गिरने न दिया जाये। शिक्षक प्रशिक्षक ही उन भावी शिक्षकों को कुशल एवं दक्ष बनाता है जो समाज को नई दिशा देते है तथा कक्षा कक्ष वातावरण में अपने विद्यार्थियों को सफल नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं।

शिक्षक शिक्षा के मापदण्ड का भावार्थ क्या है? Standard अग्रेंजी का शब्द है जिसका हिन्दी में अर्थ होता है मान, मानक, मापदंड, कोटी दर्जा, स्तर आदि है (चैम्बर्स शब्दकोश के अनुसार) शिक्षक शिक्षा में स्तर उन्नयन किस प्रकार किया जा सकें सही गंभीर समस्या है हमारे सामने वर्तमान प्ररिपेक्ष्य में। यद्यपि शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में लगातार आ रही गिरावट के प्रति चिंता तो व्यक्त की जाती रही है किन्तु सच बात तो यह है कि इस गिरावट के कारणों का राष्ट्रीय स्तर पर समग्ररूप में समझने तथा जाँचने का कोई प्रयास आज तक नहीं किया जा सका है। यह भी सच है कि शिक्षक शिक्षा की प्रभावशीलता को जाँचने परखने के लिए विभिन्न मापदंडों का सहारा लिया जा सकता है। यद्यपि इन मापदंडों की कोई सुनिश्चित सूची बनाना बहुत कठिन कार्य है जिस पर भी लेख का प्रयास यह रहेगा कि कुछ प्रमुख मापदंड निर्धारित किया जा सकें। इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए चरों (Variables) का उल्लेख किया जा सकता है जिन्हें इस कार्य हेतु आधार बनाया जा सकता है। मापदंडों की तालिका बनान में इन मापदंडों के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता तथा शिक्षक प्रशिक्षक की गुणवत्ता (Quality) को किसी भी शिक्षा प्रणाली में जाँचा जा सकता है। संक्षिप्त रूप में कहा जा सकता है कि शिक्षक प्रशिक्षक के स्तर को समुन्नत बनाने के लिए निम्न मापदंडों को समुन्नत बनाना होगा तथा उसी के अनुरूप शिक्षक शिक्षा की आयोजना करनी होगी।

14.2 शिक्षक प्रशिक्षक में परंपरावाद बनाम आधुनिकतावाद (Traditionalism versus Modernization in Teacher education)

परंपरावादी शिक्षा में शिक्षक का कार्य प्राय: निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करने तथा कक्षा में अध्यापन कार्य संपादित करने तक ही सीमित रहता है। वह इतना ही प्रयास करता है कि शिक्षण को इस प्रकार सरल बनाया जा सकें ताकि छात्र अपनी परीक्षा को पास कर सकें और उन कक्षा में प्रवेश पा सकें। इसके अतिरिक्त एक धूमिल तथा अवस्थित आशा यह भी की जाती है कि सांस्कृतिक विरासत में अध्यापक अपने विद्यार्थियों तक पहुँचा सके। आधुनिक शैक्षिक तकनीकों तथा शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु परंपरागत शिक्षा में ध्यान नहीं दिया जाता है। प्राय: शिक्षा के उद्देश्य सरकारी नौकरी पाना बन गया है जिसे दूसरे शब्दों में बहुत लोग कम से कम कार्य करके अधिक से अधिक फायदा उठाने का पर्याय मानने लगे आधुनिकतावादी के तहत बदलते हुए सामाजिक आर्थिक समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा को ढालने का प्रयास किया जाता है। विज्ञान तकनीकी विकास को नकारा नहीं जा सकता

हैं। शिक्षा को राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन माना जाना चाहिए। विज्ञान प्रगति के बढ़ते प्रभाव को एक और शिक्षा का स्थान दिया जाना समीचीन होगा तो दूसरी और अंतराष्ट्रीय संबंधों की जटिलता को समझना भी उतना ही आवश्यक बन गया है कि परंपरावादी शिक्षा प्रणाली में जो कुछ भी पुराना है तथा जाना पहचाना ज्ञान है उसे ही उपयुक्त एवं ग्राह्य माना जाता है। नवीनता एवं आधुनिकता के प्रति उदासीनता एवं रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाया जाता रहा हे। यह दृष्टिकोण इसलिए भी व्याप्त है समाज में चूंकि आधुनिक ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने में पुरानी आदतों में परिवर्तन लाकर समायोजन करना पड़ेगा नवीन के साथ तथा कुछ मेहनत भी करनी पड़ेगी आधुनिक ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने में वस्तुत: आधुनिकतावादी के तहत पुरानी परंपरागत मानसिकता को बदलना होगा। परंपरावादी शिक्षक प्राय: नवाचरों को अव्यावहारिक बताते रहे है, शिक्षा के अनुसंधान की आलोचना करते रहे है तथा नवीन शैक्षिक विधाओं की खिल्ली उड़ाते रहे है। इन सब बातों में इस समस्या का मान होता है कि किस प्रकार आज के युग में प्रशिक्षक संस्थाओं में ग्राह्य सामाजिक वातावरण का निर्माण किया जाये ताकि बदलते परिवेश में शिक्षक प्रशिक्षक के स्तर में सुधार किया जा सकें और शिक्षकों शिक्षा को नवीनतम दायित्वों को वहन करने की क्षमता तथा दक्षता प्रदान की जा सके। शिक्षक शिक्षा में सुधारवादी दृष्टिकोण के प्रति जो निराशा एवं उदासीनता है, उसे इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए तथा उसके निराकरण के प्रति समुचित सुझाव प्रस्तुत करने चाहिए।

परंपरावादी दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने की आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा है आजकल शिक्षण का अर्थ भाषण देना नोट्स लिखना अथवा यांत्रिक तरीके से कुछ प्रश्न पूछकर उत्तर निकलवाना मात्र नहीं हैं। देखने में यह भी आता है कि परीक्षा का उद्देश्य यह जानना रहता है कि विद्यार्थी को क्या नहीं आता है। किसी शिखक की उपलब्धि इस बात पर मापी जाती है कि उसने कितने प्रतिशत परीक्षा परिणाम दिया है तथा परिणाम श्रेणियों के अनुसार (प्रथम, द्वितीय, वृत्तीय) कितना अच्छा रहा? क्या यही शिक्षा के मापदंड को निर्धारित करता है? कदापि नहीं। पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता रहा है? परंपरावादी शिक्षा प्रणाली में आधुनिकतावादी की पुकार है कि कक्षा कक्ष वातावरण को अधिक रूचि प्रद, प्राकृतिक एवं ग्राह्य बनाया जाय। इसमें पुस्तकों तथ परीक्षाओं के तार्किक प्रतिरोध की बात नहीं है। बात तो यह है कि परंपरागत एवं आधुनिक शिक्षा के विभिन्न आयामों में शिक्षक के भ्रम को कैसे दूर किया जाय ताकि वह अपने कार्य की दिशा का सही प्रकार से निर्धारण कर सके और प्रभावी शिक्षक की भूमिका का निर्वाह कर सकें। आज हम कक्षा शिक्षण में नवचारों एवं नई तकनीकों के प्रवेश द्वार पर खड़े है किन्तु यदि शिक्षक की उदासीनता एवं परंपरावादी दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं लाया जा सका तो व्यावसायिक दृष्टि से शिक्षण कार्य भी अपना आकर्षण खोता जायगा तथा शिक्षक समाज में अपनी बची - खुची प्रतिष्ठा भी खो बैठेंगे।

14.3 शिक्षक प्रशिक्षण में संसाधन (resources in Teacher Education)

अपने देश में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों तथा विद्यालयों के शिक्षा विभागों के संसाधनों में बहुत बड़ा अन्तर देखने में आता है। यही नहीं एक ही प्रांत के विभिन्न शिक्षक

प्रशिक्षण संस्थाओं के भौतिक साधनों में बड़ी विभिन्नता पाई जाती है। किसी भी प्रशिक्षण महाविद्यालयों की इमारत, फर्नीचर, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, छात्रावास खेल-कूद के साधन, शिक्षण सामग्री आदि का सीधा प्रभाव उस संस्था के शिक्षार्थियों की गुणवत्ता पर तो पड़ता ही है साथ उनके व्यवसायिक दृष्टिकोण के निर्माण पर भी पड़ता है। जिन भौतिक संसाधनों के तहत वह प्रशिक्षण के दौरान रहते हैं तथा कार्य करते है उसका सीधा प्रभाव उनके शील गुणों, व्यावसायिक दक्षता, सामाजिक चेतना सर्जनशीलता एवं कार्य निष्ठा पर पड़ता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि समुचित भौतिक संसाधनों के अभाव में शिक्षक शिक्षा का स्तर गिरना स्वाभाविक पिछली दो-तीन दशाब्दियों में शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों तथा शिक्षक-प्रशिक्षकर्ता महाविद्यालयों की संख्या में अबाधगति से वृद्धि हुई है। जिसका परिणाम यह हुआ है कि बहुत सी निम्न स्तर की शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं धन कमाने के उद्देश्य से खोली गई है, जिनमें प्रशिक्षकों की कमी तो होती है साथ में अन्य विविध प्रकार की कमजोरियाँ भी स्पष्ट देखने में आती हैं- जैसे कम वेतन पर पार्टटाइम शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षार्थियों से अधिक फीस लेना, छात्रावास एवं शिक्षण सामग्री का अभाव, शिक्षण हेतु प्राप्त की गई धनराशि को दूसरे मदों में व्यय करना, दलगत राजनीति का प्रभाव, दलबन्दी, पक्षपातपूर्ण वातावरण आदि। सच बात तो यह है कि शिक्षण-प्रशिक्षक संस्थाओं में कुकरमुते (Mushroom Growth) जैसी वृद्धि के कारण ही बहुत कुछ इनके स्तर में गिरावट आई है। वस्तुत: पर्याप्त भौतिक सुविधाओं एवं संसाधनों के अभाव में शिक्षक प्रशिक्षक के स्तर में कमी आना अवश्यभावी है। इस प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाओं को अविलंब बंद करना ही श्रेयस्कर होगा।

देश में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान कई श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते है। कुछ सरकारी है, कुछ अनुदानित है तथा शेष गैर सरकारी संस्थाएं हैं। इन सभी की वित्तीय व्यवस्था में विषमताएं तथा भिन्नताएं भी हैं। प्राय: देखने में आता है कि वह प्रशिक्षण संस्थाएं जिन्हें सरकार की और से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती है, अवैध रूप में धन संग्रह करने में कटिबद्ध रहती है तथा अयोग्य एवं अंशकालीन अध्यापकों को कम वेतन पर रखती है, अपेक्षित इमारत प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शिक्षण सामग्री आदि की व्यवस्था नहीं करती है तथा जैसे तैसे पाठ्यक्रम को पूरा करने का प्रयास मात्र करती है। शिक्षक-शिक्षा में स्तर उन्नयन की बात तभी पूरी हो सकती है जब पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था प्रशिक्षण हेतु की जा सके। अपर्याप्त धनराशि स्तर उन्नयन के क्षेत्र में सबसे बड़ी बाधा है।

यह वांछनीय है कि शिक्षक-शिक्षा का कार्यक्रम आर्थिक सहायता के अभाव में पीड़ित तथा विकृत न होने पाए। अपेक्षा यह की जाती है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए, शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में अधिक बजट उपलब्ध कराने की पहल करे तथा इसी के साथ साथ इस बात पर दबाव डाले कि वह प्रशिक्षण संस्थाएं है जो निम्नतर की हैं उन्हें बंद किया जाये। राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने की एक उपयुक्त तथा सशक्त नीति बनाने की आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रांत कि दूर दराज स्थित प्रशिक्षण महाविद्यालयों में भौतिक संसाधन की कमी के कारण स्तर में गिरावट न आने पाये। यह एक शुभ लक्षण है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् (एन. सी. टी. ई) को 1994 में संसद से

संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया है। आशा कि जा सकती है क निम्न स्तर की प्रशिक्षण संस्थाओं जिनमें आपेक्षित संसाधनों की कमी पाई जाती है, उनकी मान्यता रहे करने का कार्य कर सकेगी। लेखक का विचार है कि किसी विश्वविद्यालय के अनुदान देने के समय शिक्षक प्रशिक्षण हेतु व्यय की जाने वाली धनराशि का अलग से विवरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को देना चाहिए। ऐसी व्यवस्था करने पर विश्वविद्यालय के शिक्षा विभागों का शैक्षिक स्तर संसाधनों के अभाव में गिरने नहीं पायेगा।

14.3.1 शिक्षक शिक्षा में संगठन एवं पृथकीकरण (Organisation and isolation in Teacher Education)

प्रारंभ से ही सम्भवत: शिक्षा के माध्यम के कारण एवं प्रवेश हेतु निर्धारित योग्यताओं के कारण हमारे देश में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की प्रशिक्षण संस्थाओं का विकास अलग-अलग दिखता है। अग्रेंजी भाषा के माध्यम के कारण माध्यमिक स्तर की प्राथमिक स्तर की प्रशिक्षण संस्थाओं पर विश्वविद्यालय का नियंत्रण बढ़ गया है। प्राथमिक स्तर की प्रशिक्षण संस्थाओं में क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम के कारण विश्वविद्यालय नियंत्रण से इन्हें परे रखा गया। एक अन्य कारण प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को योग्यताधारक 10 या 12 कक्षा तक ही शिक्षित होते थे।यह भी देखने में आता है कि विश्वविद्यालय द्वारा संगठित एवं नियंत्रित होने के कारण माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण की व्याख्या में अधिक स्वतंत्रता एवं शिक्षकों की भागीदारी (पाठ्यक्रम बनाने, पुस्तकों का निर्धारित करने, परीक्षा आदि) होती आई है जबकि प्रारम्भिक शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र के स्वायत्तता व स्वतंत्रता नहीं आ पाती है।

हमारे देश में सेवापूर्ण प्रशिक्षण (Pre-Service Training) की सुविधा कई स्तर पर है यथा पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक एवं तकनीकी आदि लेकिन प्रत्येक प्रकार की प्रशिक्षण व्यवस्था दूसरे से अलग अलग होती है। शिक्षक प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम एक दूसरे से पृथक हैं। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964-66) के अनुसार भारत में शिक्षक-शिक्षा की व्यवस्था में तीन प्रकार के अलगाव दृष्टिगोचर होते है।

(क) विश्वविद्यालयी जीवन से अलगाव

शिक्षक प्रशिक्षक को अण्डर ग्रेजुएट के समकक्ष माना जाता है और प्रशिक्षण संस्थाएं विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के समकक्ष नहीं मानी जाती है तथा उनका अस्तित्व पृथक रूप में होता है इस प्रकार के अलगाव को समाप्त करना अत्यंत आवश्यक है इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमे शिक्षक-शिक्षा को विश्वविद्यालय के अकादमिक जीवन की मुख्य धारा से जोड़ना से आपेक्षित है विश्वविद्यालय से सुदृढ़ संबंध बनाने की दृष्टि से डिग्री कोर्स में शिक्षा विषय को मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र विषयों की भांती स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्रदान की जानी चाहिये।

(ख) विद्यालयों से पृथवीकरण

शिक्षक प्रशिक्षण कुछ सीमा तक विद्यालय की शिक्षा प्रणाली से पृथक होता जा रहा है। इस पृथक्कीकरण को सेवा प्रसार विभाग (Extension Services Department) को सुदृढ़ बनाकर समाप्त किया जा सकता है शिक्षण अभ्यास अथवा ईन्टर्नशिफ्ट कार्यक्रम निश्चित

समयावधि में चयनित सहयोगी विद्यालयों में सफलता पूर्वक आयोजित किया जाना चाहिए। डाक्टर राधाकृष्णन ने यह संस्तुति की थी कि विद्यालय के जीवन एवं उनकी समस्याओं की प्राथमिक एवं वास्तविक जानकारी के लिए और पृथक्कीकरण के निराकरण के लिए चयनित विद्यालयों में कम से कम 12 सप्ताह का अध्यापन अभ्यास आयोजित करना चाहिये। व्यावहारिक दृष्टि से प्रत्येक शिक्षक-शिक्षा महाविद्यालय अध्यापन अभ्यास एवं नवाचार हेतु जुडा होना चाहिए। वर्तमान मे प्रतिकरण को दूर करने के लिए विद्यालय तथा प्रशिक्षण संस्था के शिक्षको का अंशकालीन, नियम मानुकूल अदान प्रदान किया जाना चाहिए। इसमे पुराने विद्यार्थियों तथा भूत पूर्व शिक्षको का सहयोग भी लिया जा सकता है।

(ग) एक दूसरे से प्रथकत्व

विभिन्न स्तर की शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में भी एक दूसरे से अलगाव देखने को मिलता है। उपयुक्त तो यह होगा कि एक एक करके सभी स्तर की प्रशिक्षण सस्थाओं को तथा प्रशिक्षण विद्यालयों को विश्वविधालय स्तर तक समुन्नत बनाकर एक या दो दशाब्दी के अन्तराल में विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में ले लेना चाहिये विशेष प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाओं जैसे शारीरिक शिक्षा, चित्रकला, हस्तकला आदि में भी यही किया जाना चाहिए यहां यह बताना न्याय संगत होगा कि प्रशिक्षकों की योग्यता एवं वेतनमान में भी अनुरूपता एवं वृद्धि करना अपेक्षित होगा।

इस दिशा में एक ठोस कदम यह भी उठाया जा सकता है कि सभी स्तरों के शिक्षक प्रशिक्षण के लिए तथा विशेष क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए वृहद महाविद्यालय खोल जाये। इन वृहद महाविद्यालयों के निम्न चार मुख्य उद्देश्य होंगे-

1 शिक्षक - शिक्षा में प्रति व्यक्ति व्यय की धनराशि को कम करना

2 शिक्षक - शिक्षा में पृथकीकरण को समाप्त करना।

3 शिक्षकों की योग्यताओं एवं विशिष्टताओं में विविधता लाना।

4 अनुसंधान व नवाचारों के विभिन्न आयामों का एकीकरण करना।

शिक्षक शिक्षा की राष्ट्रीय नीति में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजूकेशन की स्थापना की जाए जो कि राज्य विशेष के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के वर्तमान पृथकीकरण को समाप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। वस्तुत: विभिन्न प्रकार की शिक्षक प्रशिक्षक संस्थाओं के मध्य समन्वय (Coordination) स्थापित करने का कार्य अतिशीघ्र किया जाना चाहिये। यह समन्वय राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् राज्य शिक्षक शिक्षा मण्डल, स्थानीय प्रशिक्षण संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयी शिक्षा विभागों के मध्य होना अत्यन्त आवश्यक है। राज्य स्तरीय शिक्षक-शिक्षा मण्डल के कार्य निम्न प्रकार से निर्धारित किये जा सकते है।

1 राज्य में शिक्षक-शिक्षा में संख्यात्मक एवं गुणात्मक दोनों त्वरित एवं दीर्घकालीन विकास हेतु आयोजित करना।

2 शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं के विकास एवं व्यवस्था का स्तर निश्चित करना।

3 शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं की भौतिक संसाधनों एवं स्टाफ की शैक्षिक योग्यताओं के संबंध में मानक निर्धारित करना तथा उनकी अनुपालना पर जोर देना।

4 राज्य सरकार या एन.सी.टी.ई. से शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं की मान्यता एवं प्रमाणीकरण हेतु सिफारिश करना।

5 शिक्षक-शिक्षा के सभी विभिन्न स्तरों के मध्य समन्वय स्थापित कर एकीकरण करना।

6 सरकार तथा विश्वविद्यालय को शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रम पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकों, एवं मूल्यांकन आदि के सम्बन्ध में सलाह देना।

7 शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं को संबद्धता प्रदान करने के लिए निर्धारित शर्तों का निरीक्षण करना, सुधार की दृष्टि से विश्वविद्यालय को समय समय पर सुझाव देना।

8 आवधिक निरीक्षण की सभी प्रकार के प्रशिक्षण संस्थाओं में व्यवस्था करना और उन्नयन हेतु सुझाव देना।

9 राज्य की विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को निश्चित सिद्धान्तों के आधार पर वित्तिय सहायता तथा अनुदान देने की सिफारिश करना।

10 विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत् प्रशिक्षकों के लिए सेवा कालीन शिक्षा (inservice Education) का विस्तार करना तथा इस कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाना।

14.3.2 शिक्षक-प्रशिक्षण की अवधि एवं पाठ्यक्रम (Duration of teacher training)

शिक्षक-शिक्षा के पाठ्यक्रम की अवधि का बहुत कम होना इसमें गुणात्मकता के ह्रास का घोतक है। अन्य व्यवसायों जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल तथा कानून की तुलना में बी.एड.प्रशिक्षण की बहुत ही कम है। कुल आट-नौ माह की अवधि में पाठ्यक्रम को पूरा कर दिया जाता है। और सच तो यह है कि यह अवधि प्राय: सत्र की अनियमितता के कारण चार से छ: माह की की ही रह जाती है क्या इस कम अवधि में कुशल एवं प्रभावी शिक्षक का निर्माण करना संभव हो सकता है? क्या इस अवधि में समुचित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण संस्थाओं में विधिवत् शिक्षण अभ्यास, सूक्ष्मशिक्षण, एवं अन्य सहगामी क्रियाओं को पूरा किया जा सकता है? अब प्रश्नों का उतर नकारात्मक ही मिलता है। यही कारण है कि कोठारी शिक्षण आयोग ने बी.एड. कोर्स को दो वर्षो में पूरा करने की सिफारिश की है।

किसी भी पूर्व सेवा प्रशिक्षण के कार्यक्रम में संपादन का महत्व उसमें निहित दैनिक कार्यकलापों तथा वर्ष भर तक चलने रहने वाले विभिन्न प्रवृतियों पर निर्भर करता है। (केवल कुछ अवकाश छोटी अवधि के होते हैं) तभी प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफल बनाया जा सकता है। सही बात तो यह है कि कम अवधि में पाठ्यचर्या कों बोझिल बनाकर दिया जा गया है प्रशिक्षण विद्यार्थियों को यांत्रिक, अर्थहीन, तथा निरस लगने लगता है जिसका परिणाम यह होता है कि प्रशिक्षार्थी में शिक्षण व्यवसाय के प्रति आपेक्षित दृष्टिकोण का निर्माण नहीं हो पाता है। तथा समुचित मूल्यों की शिक्षा भी वही नही प्राप्त कर पाता है। तथा समुचित मूल्यों की शिक्षा भी वहीं नहीं प्राप्त कर पाता है। व्यावसायिक मूल्यों तथा अपेक्षित दृष्टिकोण की प्राप्ति उस तभी हो सकती है जब वह स्वंय के परिश्रम एवं अनुभव के सहारे प्रशिक्षण के विभिन्न बिन्दुओं के

अधिगम का सफल प्रयास करें। इस प्रक्रिया के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए। यही कारण है कि प्रशिक्षार्थियों की कुशलता एवं प्रभावशीलता पर प्रशिक्षण की अवधि का सीधा प्रभाव पड़ता है

उपर्युक्त व्यावसायिक दृष्टिकोण तथा कौशलों के विकास हेतु कक्षा-कक्ष वातावरण में बच्चों का निरीक्षण निकट से किया जाये यह आवश्यक होता है। उनकी शैक्षिक समस्याओं का निदान तथा उनके निराकरण हेतु प्रयोगों तथा कभी-कभार सहकर्मियों से वार्तालाप को माध्यम बनाना पड़ता है इस सब के लिए समय चाहिये। ग्रामीण अंचलों में सामाजिक वातावरण को ठीक से समझने के लिए समाज से जुड़ना पड़ता है अर्थात् कुछ समय के लिए उस वातावरण में स्वंय रहकर विद्यालय और समुदाय को निकट लाने वाले कार्यक्रमों को आयोजित करना होता है।

वस्तुत: प्रत्येक शिक्षक को अपने दृष्टिकोण एवं शिक्षण व्यवसाय के प्रति रूझान का सही यही अन्दाज लगा लेना चाहिए। सभी अर्थो में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षार्थी का सम्पूर्ण अध्ययन निहित होता है - उसके अपने सन्दर्भ में, उसके विद्यार्थियों के सन्दर्भ में, उसके अभिभावकों के सन्दर्भ में, विद्यालय संगठन के सन्दर्भ में तथा सामुदायिक सेवा के सन्दर्भ में यद्यपि यह सही है। कि सेवा पूर्व शैक्षिक कार्यक्रम प्रारम्भिक प्रकृति के होते है और वह केवल व्यवसाय की और उन्मुख करने का कार्य करते है। जिस पर भी इनके माध्यम से उन तमाम समस्याओं की समझ हो जानी चाहिये। जो कक्षा-कक्ष वातावरण में प्राय: देखने को मिलती है और इस समझा को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण की अवधि कम से कम दो वर्षो की होनी चाहिये, उन प्रशिक्षार्थियों के लिए जो डिग्री धारक है। जो प्रशिक्षार्थी कक्षा 12 तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद आते है, उनकी प्रशिक्षण कोर्स की अवधि और भी अधिक होनी चाहिये अर्थात् उसे 4 वर्ष। वस्तुत: पूर्व सेवा प्रशिक्षण की अवधि को कम करके धन की बचत करना न केवल गलत है वरन् घातक भी है।

विकसित देशों में शिक्षक प्रशिक्षण की अवधि को बढ़ाने की प्रवृति देखी जा सकती है। अमेरिका में प्राथमिक शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम की अवधि दो, तीन या चार वर्षो की होती है और माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण की अवधि भी कम से कम 4 वर्ष की तथा कुछ प्रान्तों में 5 वर्ष की मानी जाती है। कही कही 3 वर्षो में भी यह डिग्री मिल जाती है रूस में भी प्राय: 4-5 वर्षो के अन्तराल तक कक्षा 5 से 11 तक के शिक्षण हेतु शिक्षको को प्रशिक्षित किया जाता है। जापान मे प्राय: प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण कि अवधि चार वर्ष कि होती है। इन विकसित देशों की तुलना में भारत में बी.एड प्रशिक्षण की अवधि आठ सें नो माह की रखने का क्या औचित्य है। यह समझ से परे की बात है।

ऐसी नीति बनाई जाए कि अध्यापक प्रशिक्षक अपने व्यावसायिक वृत्तिक जीवन में पुर्ण कितने वर्षो का प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। उदाहरण के लिए ऐसा संकेत दिया जाए कि एक अध्यापक चौथे या पाँचवें वर्ष में तीन या चार सप्ताह का प्रशिक्षण लेगा। कुछ देशों में तो यह आवश्यक कर दिया गया है कि प्रत्येक अध्यापक अपने सेवा काल के 5, 10, 15, 20 व 25 वे वर्ष में सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए कि शिक्षण संस्थाओं को पहले से ही पता हो कि आने वाले समय में कितने अध्यापकों के प्रशिक्षण का प्रबंध करना होगा।

नीति में ही अध्यापकों की भागीदारी पर प्रोत्साहन राशि (incentive) एवं अभागीदारी पर अप्रोत्साहन राशि (disincentive) का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाए। उदाहरण के तौर पर सेवाकालीन सफलतापूर्ण प्रशिक्षण को उच्च वेतनमान या पदोन्नति से जोड़ा जाए। कुछ विकसित देशों में तो ऐसा प्रावधान है कि निर्धारित क्रेडिट (Specified credits) के हासिल करने पर ही अध्यापक को उच्च वेतनमान या पदोन्नति मिलेगी।

जैसे 25 क्रेडिट प्रत्येक सेवारत शिक्षण कार्यक्रम के प्राथमिक अध्यापक शिक्षा के लिए निर्धारित कर दिए जाए और उसके बाद हर सेवारत शिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी के लिए 5 क्रेडिट दे दिए जाए। नीति में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए कि कितने क्रेडिट अर्जित करने पर एक अध्यापक को अगले उच्च पद के लिए वेतनमान दिया जाएगा।

प्रशिक्षण के दौरान पहला प्रयास यह किया जाना चाहिए कि प्रशिक्षार्थियों को शिक्षा दर्शन के प्रति सही दृष्टिकोण बनाने का भरपूर अवसर दिया जाना चाहिए ताकि उसके आयोजन में समस्याये एवं बाधायें नही आवे और दूसरा प्रयास यह किया जाना चाहिए कि कक्षा-कक्ष शिक्षण कि विभिन्न विधाओं एवं तकनिकी से वह भलि भाँति परिचित हो जाये किन्तु इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ करने को शैष रह जाता है।, यदि शिक्षा को सार्थक बनाने का उद्देश्य प्रशिक्षण के समय समुख रखा जाता है। वस्तुतः प्रशिक्षार्थियों को अपने देश कि समस्याओं शिक्षण व्यवसाय के गुण दोषों, इसमे निहित सुखद अनुभवों, आत्म सन्तोष, विशेष शिक्षण

प्रतिभा के विकास के अवसर, आदि बिन्दुओं को आधार बनाते हुए पूर्ण जानकारी देना तथा इसी आधार पर उनकी बोद्धिक, सांवेगिक एवं सामाजिक इमारत को खड़ी करने का प्रयास करना चाहिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण का यह उद्देश्य भी होना चाहिए कि सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति उनकी रूझान बड़े तथा साहित्य संगीत एवं कला आदि की और, जो उन्हे सांस्कृतिक विरासत के रूप में मिला है, उनकी रूचि बनी रहे।

यदि शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य बच्चों का अच्छा बनाना है तो आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षकों का मानसिक स्वास्थ्य भी संतुलित एवं सामान्य हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति तथी हो सकती है जब शिक्षक प्रशिक्षण के कार्यक्रम में इस बिन्दु को यथोचित स्थान दिया जाये। केवल पुस्तकीय ज्ञान के माध्यम से शिक्षकों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को नहीं समासला जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि विभिन्न प्रकार की संग्रामी प्रवृतियों, खेलकुद, प्रायोगिक

कार्यो के माध्यम से इस उद्देश्य की पूर्ति की जानी चाहिये। संक्षेप में शिक्षक-शिक्षा का दुगामी जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया मानना चाहिए जिसमें शिक्षक निरंतर एक छात्र के रूप में बना रहता है।

शिक्षक प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम शिक्षा सिद्धान्त पर अधिक बल देता आया है और व्यावहारिक कार्य तथा अध्यापन अभ्यास प्रकम। इस बोझिल एवं निरस पाठ्यक्रम में उपर्युक्त सुधार को दृष्टि से एन. सी. टी. ई. ने यह संस्तुति की है। कि प्रशिक्षण का 20 प्रतिशत समय ही सैद्धान्तिक विषयों (5-6 पेपर) पर लगाना चाहिए, 20 प्रतिशत समय सामुदायिक कार्य पर तथा शेष 60 प्रतिशत समय शिक्षण विधि, अध्यापन अभ्यास तथा सम्बन्धित प्रयोगात्मक कार्य पद लगाना चाहिए।

वस्तुत: वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षण अभ्यास एक हास्यास्पद बिन्दु बन गया है। प्रशिक्षण के क्षेत्र में। छात्र कुल 40 - 50 शिक्षण पाठों को समयाभाव तथा दुर्वव्यवस्था के कारण विधिवत पूरा नहीं कर पाते है। प्रशिक्षार्थियों की बढ़ती संख्या, स्कूलों की उपलब्धता में कठिनाई, प्रशिक्षण महाविद्यालय से इनकी दूरी, प्रशिक्षकों की संख्या में कमी, सत्र का छोटा होना, यदि तमाम ऐसे कारक है जिनके कारण शिक्षण अभ्यास बहुत कुछ यांत्रिक, घीसा-पिटा तथा नीरस कार्यक्रम बन कर रह गया है। कक्षा-कक्ष का जीवंत वातावरण छात्रों की अभिरूचि शिखक का उल्लासपूर्ण, उत्साही व्यवहार, प्राकृतिक परिस्थितियों में शिक्षण सौदायानूभूति एवं संतोष के सुखद क्षण, आज के शिक्षण अभ्यास में देखने को नहीं मिल रहा है यह एक विडम्बना है।

शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिक्षण विधियों तथा मूल्यांकन प्रणाली दोनों ही श्रृंखला की कमजोर कड़ी बन कर रह गई है। शिक्षण विधियों अनपर्युक्त तथा व्यावहारिक जीवन से दूर हो चुकी है इन विधियों को प्रशिक्षण के दौरान सीखने के बाद इनका उपयोग शिक्षक कक्षा शिक्षण में नहीं करता है मात्र प्रशिक्षण परीक्षा पास करने हेतु इनकी उपयोगिता रह गई है सूक्त शिक्षण, अभिकमित अनुदेशन, भाषा प्रयोगशाला जैसे कुछ नवाचार अवश्य हुये विगत दशाब्दी में किन्तु कुल मिलाकर शिक्षण विधियों परंपरागत, यांत्रिक तथा अव्यावहारिक ही बनी हुई है। विज्ञान तथा तकनीकी विकास प्रशिखण भवन के दरवाजा पर खड़ा दस्तक दे रहा है किन्तु निराशा इस बात से है कि दरवाजा खोल कर उसे अपनाने की तैयारी हमने नहीं की है विभिन्न आधुनिक शैक्षिक तकनीकी के यंत्रों (प्रोजेक्टर, टी.वी., कम्प्यूटर आदि) का उपयोग प्रशिक्षण में यदि हम कर सकें तो उज्ज्वल भविष्य की आशा रखनी चाहिए।

14.4 प्रशिक्षक प्रविधि तथा प्रशिक्षकों का स्तर एवं चयन हेतु उपयुक्त नियोजन

प्रशिक्षण हेतु चयनित प्रशिक्षणार्थी शिक्षण व्यवसाय की और उन्मुख अभिप्रेरित प्राणी होता है, उसकी तुलना विद्यालयी छात्र से नहीं की जा सकती है। उसके प्रति किया जाने वाला व्यवहार तथा शैशिक प्रक्रिया दोनों में विभिन्नता लानी होगी। परीक्षार्थी प्रवेश लेते ही निश्चित व्यवसाय को समझने तथा सीखने का दृष्टिकोण बना लेता है और आशा यह करता है कि शिक्षक कला के समस्त कौशलों तथा तकनीक को वह इस भांति सीख जाय कि जीवन में वह सफल एवं प्रभावी शिक्षक बन सके। वस्तुत: प्रशिक्षण की प्रविधि कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें उसकी सामाजिक परिपक्वता, व्यावसायिक आकांक्षाओं एवं जीवन के मूल्यों को समुचित स्थान मिल सके। किन्तु देखने में आता है कि परंपरागत प्रशिक्षण महाविद्यालयों में लगभग उसी भांती व्यवहार किया जाता है जैसे किसी सामान्य विद्यालय के विद्यार्थी से। कई बार यह भी दिखता है कि सामान्य शिक्षा के कॉलेजों तथा प्रशिक्षण महाविद्यालयों के कार्यक्रमों तथा आयोजनाओं में कुछ भी अंतर नहीं होता है, सतही ज्ञान तथा नीरस एवं यांत्रिक विद्याओं को सीखने के बाद प्रशिक्षार्थी महाविद्यालय छोड़कर क्षेत्र में जाता है और शिक्षण कार्य आरंभ करता है तो उसे निराशा ही हाथ लगती है।

मूल्यांकन में यद्यपि नवीन प्रविधियों का प्रयोग बहुत प्रशिक्षण में होने लगा है यथा प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ बनाना, प्रश्न बैंक तैयार करना, संक्षिप्त प्रश्न बनाना, ग्रेडिंग विधि का

उपयोग करना, प्राप्तांको को माडरेट करना आदि, जिस पर कुल मिलाकर मूल्यांकन प्रविधियां वैध तथा विश्वसनीय नहीं ठहराई जा सकती है। आंतरिक मूल्यांकन सिद्धान्त तथा व्यवहार दोनों में अविश्वसनीय होता है प्राय: अधिकांश प्रशिक्षकगण बहुत बढ़ाकर अंक देने की प्रवृत्ति के पोषक होते है। वैसे यह भी देखने में आता है कि विभिन्न प्रशिक्षण महाविद्यालयों में मूल्यांकन के क्षेत्र में बहुत असमानता पाई जाती है। यही कारण है कि विभिन्न प्रशिक्षण कि कहीं पर परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा होता है तो अन्यत्र स्थान बहुत पर खराब।

शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक जिन्हें प्राय: प्रशिक्षण (Trainer) की संज्ञा दी जाती है, उनका अकादमिक स्तर, प्रशिक्षण प्रतिभा, व्यवसाय में रूचि तथा सामाजिक प्रतिष्ठा किस प्रकार से की है, उस बिन्दु पर बहुत कुछ निर्भर करता है वस्तुत: शिक्षक प्रशिक्षक ही नवीन विचारों, नवाचारों, नूतन विधियों को सामान्य शिक्षण समुदाय तक पहुँचाने का कार्य करते है। सच तो यह है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम को जीवन प्रदान करने, उसे उपयोगी तथा ग्राह्य बनाने के लिए समय-समय पर इन प्रशिक्षकों हेतु अभिनवन कोर्स की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उनका ज्ञान नवीन होता रहे तथा आधुनिकतम विधाओं से हम सुपरिचित बने रहें। ऐसा करने पर शिक्षक प्रशिक्षण के कार्यक्रम का स्तर समुन्नत बनाया जा सकता है।

शिक्षा के विस्तार के फलस्वरूप जो शैक्षिक गिरावट स्तर में आई है, उसे तभी रोका जा सकता है जब उपर्युक्त योग्यता एवं व्यक्तित्व वाले लोग शिक्षण व्यवसाय में आएं। इसके लिए यह आवश्यक दिखता है कि शिक्षण व्यवसाय को अन्य व्यवसायों यथा मेडिकल, वकालत आदि की भाँति लुभावना तथा आकर्षक बनाया जाय। वेतन, कार्य दशाएं तथा विभिन्न प्राप्त की जाने वाली सुविधाओं में यदि कमी की जाती है तो अच्छी योग्यता धारक लोग शिक्षण व्यवसाय से विमुख रहेंगे। वस्तुत: अध्यापन व्यवसाय में हमें समर्पित प्रतिभावना तथा योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है।

एक बड़ी सीमा तक गिरते हुए स्तर की समस्या का निदान करना प्रशिक्षकों के हाथ में है। पर्याप्त योग्य एवं दीक्षित प्रशिक्षक जो कि उत्साह एवं रूचि से अपने प्रशिक्षण कार्य का निर्वाह करते है, - निश्चित रूप से शिक्षक शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने में मदद करते है। सामान्य रूप में प्रशिक्षकों की जवाबदेही (Accountability) भी एक प्रमुख बिन्दु है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। उनसे यह भी आशा की जाती है कि प्रशिक्षण हेतु आए छात्राध्यापकों में प्रतिबद्धता की भावना उत्पन्न करें।

वर्तमान युग में विशेषत: विकासशील देशों में शैक्षिक आयोजना का बड़ा महत्व हो गया है। यदि केवल बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुरूप शैक्षिक आयोजन का निर्माण किया जाता है जो प्राय: संख्यात्मक आकड़ों पर आधारित होती है तो वस्तुत: आयोजन निरर्थक तथा प्रभावहीन बन जाएगा। अत: आवश्यकता इस बात की होती है कि शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए, किसी स्थान विशेष की आवश्यकताएं उस क्षेत्र में विद्यालय की जगह (Location) वहां के निवासियों की शैक्षिक एवं सामाजिक स्थिति, वित्तिय व्यवस्था आदि सभी बातों पर दृष्टिपात करते हुए योजना बनाई जाए तभी वह सार्थक सफल हो पाएगी। भारत में 1951 में आर्थिक विकास के उद्देश्य से नियोजन आरंभ किया गया था। मानवशक्ति नियोजन (Man Power Planning) की अवधारणा शिक्षित व्यक्तियों से संबंधित है जो कि उत्पादन की प्रक्रिया में संलग्न होते हे मानव शक्ति नियोजन एवं आर्थिक विचार है जो शिक्षा नियोजन एवं आर्थिक विकास को

सम्बद्ध करने पर आधारित है। अध्यापकों तथा शिक्षक प्रशिक्षकों की भावी आवश्यकताओं का सही-सही आकलन करना एक अत्यधिक कठिन कार्य है।

योजना बनाना ऐसी परिस्थितियों में जहां कि विभिन्न प्रकार का असंतुलन हो शिक्षक शिक्षा वस्तुत: एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ व्याप्त असंतुलन को समाप्त करने की दृष्टि से सावधानीपूर्वक योजना बनाना आवश्यक है, जिससे शिक्षकों तथा प्रशिक्षकों की पर्याप्त संख्या लगातार व अर्थपूर्ण रूप से मिलती रहे।

शिक्षकों के लिए मानवशक्ति नियोजन में उभरती प्रवृत्तियों की झलक "शिक्षकों को रोजगार और कार्य की दशाएं (1981) नामक रिपोर्ट में मिलती है जिसे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय ने प्रस्तुत किया है। भारत में आसानी से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शिक्षकों एवं प्रशिक्षकों की आवश्यकता संबंधी अनुपात लगाने की विधियां अपूर्ण है। सामान्यत: शिक्षक विद्यार्थी अनुपात की परंपरागत गतिविधि का उपयोग आज भी किया जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षकों और प्रशिक्षकों की बदलती हुई भूमिका प्रत्यक्षीकरण, प्रकार्य और योग्यताओं संबंधी निर्णय लेने हेतु नवीन पूर्वानुमान रणनीतियां बनाई जाय। यह स्पष्ट है कि शिक्षकों तथा प्रशिक्षकों की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए विभिन्न कारकों को ध्यान में रखना चाहिए जैसे कि जनसंख्या में बदलाव, भविष्य में छात्रों की संख्या, शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात, पदमुक्ति की दर, कक्षा का आकार, शिक्षक का कार्यभार आदि। अध्यापकों की आपूर्ति, अध्यापकों की वर्तमान संख्या, उनके कार्य दिवस एवं कार्य घंटों की संख्या, विद्यालयों का आकार, अध्यापकों के वेतन पर खर्च तथा एक अध्यापक के निर्माण पर होने वाले खर्च इत्यादि पर निर्भर करती है।

वर्तमान में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु आवश्यक है कि प्रशिक्षकों की संख्या, उनके प्रकार, उनकी दक्षता एवं विशिष्टीकरण आदि की गणना यथार्थ तथा वैज्ञानिक विधि से की जानी चाहिए तथा इसमें नवीन प्रशिक्षण विद्यालयों के लिए आवश्यक प्रशिक्षकों की संख्या को जोड़ देना चाहिए तथा पदमुक्त होने वाले प्रशिक्षकों के स्थानों को भरने का प्रावधान भी होना चाहिए। मानव शक्ति नियोजन के लिए आवश्यक संसाधनों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। वर्तमान में देश के विभिन्न भागों में शिक्षकों तथा प्रशिक्षकों की कमी आधिक्य हमें मानव शक्ति के पुन: विभाजन एवं नियोजन में एकीकरण की आवश्यकता आई महत्व की और इंगित करता है। शिक्षकों और प्रशिक्षकों की मानव शक्ति की आवश्यकता एक प्रशानिक समस्या भी है।

भारत सरकार से प्राप्त आकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि देश में कई राज्यों में प्रशिक्षित अध्यापकों का अधिकाय है। अब आवश्यकता इस बात की है कि विभिन्न स्तर की शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के विषय में पुन: विचार किया जाना चाहिए। देश में बेरोजगार प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या बढती जा रही है और इसे रोकना एक तत्कालिक चुनौती है। हम सभी के लिए जो शिक्षा से जुड़े हुए है।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें।

1 विभिन्न स्तर की शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में अलगाववाद की भावना क्यों जन्म से रही है।

2	शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम में आप किस तरह से सुधार चाहते है?
3	शिक्षकों के चयन प्रक्रिया में आप किस तरह से सुधार चाहेंगे।

14.4.1 व्यावसायिक विकास के अवसर (Opportunities for professional development)

शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय जो के प्राय: प्रमाण पत्र देने की संस्था मानी जाती है जिसे सामान्यत: सेवापूर्ण प्रशिक्षण कहा जाता है। केवल प्रारंभिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण का कार्य संपादन करता है। बाद का प्रशिक्षण 'सेवाकालीन प्रशिक्षण (In service training) कहा जाता है जिसे निरंतर चलने वाली सतत शिक्षा के नाम से जाना जाता है। प्रशिक्षण को उनके व्यावसायिक विकास हेतु अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, यह निर्विवाद सत्य है। इसके प्रयोजन कई हो सकते है। जैसे -

- प्रारंभिक अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में रह जाने वाली कमियों तथा कमजोरियाँ का निदान।
- शिक्षण तथा प्रशिक्षण की नवीनतम भूमिका के निर्वाह हेतु प्रशिक्षकों के कौशल और विषय वस्तु के ज्ञान को विशिष्ट बनाना।
- प्रशिक्षकों को गैर अनुशिक्षण परिस्थितियों के लिए तैयार करना।
- अन्य सामुदायिक कार्यो एवं विविध रूचिकर कार्यो (शिक्षक के अतिरिक्त) की और उन्हें अभिप्रेरित करना आदि।

इस प्रकार सतत् शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन उन प्रशिक्षकों के लिए किया जाता है जो अपनी प्रवीनता तथा दक्षता का विकास करना चाहते है, जो अपने आपको प्रशिक्षण की नई भूमिका के लिए तैयार करना चाहते है और शिक्षक शिक्षा में आने वाली दिन प्रतिदिन समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने की कला सीखना चाहते है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964-66) ने अनुशंसा कि है कि बड़े पैमाने पर संगठन की व्यवस्थित एवं एकीकृत सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजना की जानी चाहिए ताकि प्रत्येक अध्यापक को 2-3 माह का सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रति 5 वर्ष की सेवापूर्ण करने के बाद मिलता रहे। इसी अनुसशसा के अनुरूप शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए भी सेवाकालीन प्रशिक्षण का प्रावधान किया जाना उपयुक्त रहेगा।

वह सत्य है कि भारत में शिक्षकों को व्यावसायिक विकास के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते है जिसके परिणामस्वरूप शैक्षिक स्तर में गिरावट आती जा रही है। जो सेवाकालीन शिक्षा कार्यक्रम चलाए जा रहे है उनमें भी बड़ी कमजोरियाँ है वह रूटीन टाइप है, भाषण पर आधारित होते है। प्राय: प्रतिभागियों की भागीदारी भी उनमें कम रहती है। भारतीय परिपेक्ष्य में सेवाकालीन शिक्षा की समस्या बहुत है किन्तु यदि उत्तरदायित्वपूर्ण प्रयास किये जाये तो उन्हें हल करना कठिन कार्य नहीं होना चाहिए। वस्तुत: सभी के सहयोग से ही इस समस्या का निराकरण संभव है। सरकार विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाएं यथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राज्य स्तरीय शिक्षक शिक्षा मंडल,

विश्वविद्यालय, प्रशिक्षण संस्थाएं, सेवा प्रसार विभाग आदि सभी को मिलकर इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रयास करना होगा।

वस्तुत: सेवाकालीन शिक्षा कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन में धन की कमी सदैव एक अवरोधक रही है। अत: आवश्यकता इस बात की है कि उक्त कार्यक्रम को महत्वपूर्ण मानते हुए इसके लिए अलग से पर्याप्त धन राशि की व्यवस्था राष्ट्रीय शैक्षिक बजट में की जानी चाहिए। मेरा तो यह मानना है कि प्रशिक्षकों में इस कार्यक्रम हेतु आतंरिक प्रेरणा के साथ साथ बाह्य प्रेरणा उत्पन्न करने के लिए नीति निर्धारित की जा सकती है। पुरूस्कार, उच्च योग्यता, वेतन वृद्धि, पदोन्नति, लिखित प्रशंसा इत्यादि वाहा प्रलोभनों को अपनाने में कोई हानि नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर सेवारत प्रत्येक प्रशिक्षक को इस कार्यक्रम से संबद्ध करने तथा उसके व्यावसायिक उन्नयन हेतु पर्याप्त प्रावधान रखने के लिए, एक सुनिश्चित नीति (Policy) का विकास किया जाना श्रेयस्कर होगा।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। शिक्षक संगठनों की अहं भूमिका बनती है सच तो यह है कि विकसित देशों की भांती भारत के शिक्षक-संगठनों को भी शिक्षकों एवं प्रशिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन हेतु सचेष्ट रहते हुए, समय-समय पर सेमिनार, गोष्ठि तथा अभिनवन कार्यक्रमों की व्यवस्था योजनाबद्ध तरीके से करनी चाहिए।

14.5 शिक्षक शिक्षा में नवाचार एवं अनुसंधान प्रशासन एवं नियंत्रण

सर्वत्र यह मांग हो रही है कि शिक्षा को जन-आकांक्षाओं तथा लक्ष्यों के अनुरूप बनाना होगा। नई शिक्षा नीति इसी दिशा में गति प्रदान करने हेतु अपनाई गई है। शिक्षा प्रणाली में नूतन विचार, नवीन कार्यक्रम, नई विधाएँ तथा तकनीक जिन्हें प्राय: नवाचार की संज्ञा दी जाती, के माध्यम में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है।

हिन्दी में नव तथा आचार शब्दों से मिलकर बना है "नवाचार' नव शब्द नवीनता का द्योतक है तथा आचार परिर्वतन का अत: ऐसा परिवर्तन जो स्थापित विधि, परंपरागत विचार या वस्तु आदि की नवीनता का समावेश कर सके, वही नवाचार कहलाता है। नवाचार परिभाषित भी किया जा सकता है। नवाचार जानबूझकर किया गया वह नवीन एवं विशिष्ट परिवर्तन होता है जिसे किसी तंत्र की प्राप्ति के लिए अधिक प्रभावी माना जाता है। अंत में कहा जा सकता है कि किसी विधि, वस्तु या तौर तरीके जिनका उपयोग पहले से किया जा रहा है, उसमें उपयोग पहले से किया जा रहा है, उसमें उपयोगी सुधार की प्रक्रिया नवाचार कही जा सकती है।

नवाचार को अपनाने की प्रक्रिया में रोजर्स ने 5 पद बताए है - बोध या जानकारी, रूचि, मूल्यांकन, परीक्षण तथा अंगीकरण, देखने में आता है कि कुछ लोग नवाचारों को बहुत जल्दी अपना लेते ह और कुछ लोग देर से, तथा कुछ ऐसे भी मिलते है जो परंपरावादी ढरें में ही चलना पसंद करते है तथा परिवर्तन से घबराते है। जो शिक्षक प्रशिक्षक दक्ष तथा प्रभावी होमा है, वह अधिकांश शिक्षार्थियों को शीघ्रता पूर्वक नवाचार को अंगीकृत कराने में सफल होता है।

शिक्षा के क्षेत्र में सूक्ष्म शिक्षण, अभिक्रमित अनुदेशन आदि नवाचारों के रूप में पूर्व में लिया जा चुका है। आजकल शिक्षा प्रणाली उपागम (सिस्टम अप्रोच इन एजूकेशन), कम्प्यूटर द्वारा शिक्षा (कम्प्यूटर असिस्टेड एजूकेशन), दूरस्थ शिक्षा (डिस्टेंस एजूकेशन) मुक्त विश्वविद्यालय (ओपन यूनिवर्सिटी), समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा वनशाला शिविर

(ओपन एयरसेशन) आदि को नवाचार की श्रेणी में रखा जा सकता है। परीक्षा अनुसंधान के महत्व पर 1913 की शिक्षानीति में प्रकाश डाला गया है, यही कारण है कि भारत सरकार, राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालयों ने अनुसंधान हेतु सुविधाओं का विस्तार किया गया तथा आयोजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग एवं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् आदि संस्थाओं में शैक्षिक अनुसंधान को प्रोत्साहित दिया जाने लगा।

यद्यपि भारत में पी. एच. डी. स्तर का अनुसंधान कार्य 1940 में आरंभ हुआ किन्तु इसके विकास की गति प्रारंभिक अवस्था धीमी थी। प्रो. एम. बी. बुच ने "ए सर्वे ऑफ रिचर्स इन एजूकेशन में 1947 से 1972 तक की अवधि में किए गए अनुसंधान कार्यो का विवरण प्रकाशित किया जिसे इन्होंने द्वितीय सर्वे रिपोर्ट 1979 में प्रकाशित की। इस संदर्भ ग्रंथ में 1972 से 1978 तक हुए शोधकार्य का विवरण सम्मिलित किया गया। इन्हीं के द्वारा तृतीय सर्वे 1986 में प्रकाशित किया गया जिसमें 1978 से 1983 तक अनुसंधान अध्ययन समाहित है। प्रो. बुच द्वारा प्रकाशित चतुर्थ सर्वे में 1988 तक के अनुसंधान कार्य का विवरण प्राप्त पंचम एवं छठा सर्वे भी प्रकाशित हो चुका है।

शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान का विकास

दशाब्दी	पी.एच.डी.(शिक्षा)	अन्यविषय(अध्ययन)	रिसर्चप्रोजेक्ट	कुलशिक्षा
1941-50	0	0	0	0
1951-50	0	1	3	4
1961-50	19	2	20	411
1971-50	90	11	55	156
1981-50	122	7	50	169
योग	221	21	128	370

उपरोक्त तालिका से यह भासित होता है किशिक्षिका शिक्षा मे अनुसंधान की गति पिछली दशाब्दी से काफी तेजी आ चुकी है। विहंगम दृष्टि डालने से यह प्रतीत होता है कि यद्यपि संख्यात्मक वृद्धि हुई है शोधकर्ता में, किन्तु गुणात्मकता की दृष्टि से बहुत कुछ करने को शेष है। सामान्यरूप में कहा जा सकता है कि शोध कार्य की और दृष्टि लगाए रहते है। बहुत से ऐसे भी क्षेत्र है जिनमें अनुसंधान कार्य बहुत कम हुआ है। आवश्यकता की दृष्टि से शोधकार्य हेतु वरीयता सूची बनाना महत्वपूर्ण होगा।

भारतीय परिपेक्ष्य में शैक्षिक प्रशासन तीन विशिष्ट अभिकरणों से संबंधित है जो है- केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारी। स्वैच्छिक संस्थाएं भी शिक्षा प्रशासन में महत्ती भूमिका अदा करती है।

इस समय भारत के सभी राज्यों में शिक्षा की वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था के तहत शिक्षा मंत्री के नियंत्रण में सचिवालय स्तर पर एक सचिव होता है जो कि शिक्षा विभाग का उत्तरदायित्व वहन करता है। इस विभाग के प्रशासनिक प्रमुख रूप में एक या दो निदेशक होते है। वह विभागीय नीतियों को क्रियान्वित करते है और मंत्री महोदय को परामर्श देने का कार्य करते हैं। कुछ प्रांतों में निदेशक आई.ए.एस. ऑफिसर होते है तथा कुछ में शिक्षा विभाग में विशिष्ट अधिकारी होते है।

प्राय: शिक्षक शिक्षा एक बड़ी सीमा तक शिक्षा विभाग द्वारा नियंत्रित है। राजस्थान राज्य में शिक्षक शिक्षा का नियंत्रण प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है न कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा। यही कारण है कि कई प्रांत 36 प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत प्रशिक्षकों को यू.जी. सी. द्वारा अनुमोदित वेतन नहीं दिए जा सके है।

सच तो यह है कि शिक्षकों के गुणात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि प्रशासन का स्तर कैसा है।? तथा नियंत्रण का स्वरूप क्या है? यह देखने में स्पष्टतया आता है कि सरकारी, गैर सरकारी अनुदानित प्रशिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों को योग्यता, नियुक्ति, वेतन, भत्ते, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी निष्ठा, उनका व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण, आदि सभी क्षेत्रों में जमीन असमान का अंतर होता है। वस्तत: यदि शिक्षक शिक्षा में सुधार लाना है तो यह आपेक्षित है कि शिक्षकों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जाये, उनकी शिकायतों का हल करने के लिए कानून सुविधा उपलब्ध हो तथा उन्हें व्यवसायिक विकास के भरपूर अवसर दिय जायें।

शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों का परिवीक्षण समय-समय पर किया जाय, तथा सुधार की दृष्टि से व्याप्त कमजोरियों के निराकरण किया जाना चाहिए। केवल वेतन तथा साधन सुविधाओं को बढ़ाने से गुणात्मक सुधार की आशा नहीं की जानी चाहिए। आवश्यकता इस बात कि है कि स्कूलों में अच्छा कार्य करने का वातावरण बनाया जाय, परिवीक्षको द्वारा मार्गदर्शन तथा प्रोत्साहन दिया जाय, शिक्षक संगठनों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा दिया जाय। जिन प्रशिक्षकों का श्रेष्ठ कार्य रहा हो उन्हें राज्य स्तर पर तथा राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाय। आवश्यकता इस बात की भी है कि राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक शिक्षा के नियंत्रण पर एक स्पष्ट नीति का निर्धारित किया जाय। आशा यह कि जा सकती है कि राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षक परिषद इस दुरूह कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकेगी।

उपरोक्त मानदंड के बिन्दुओं पर ध्यान देने से यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि शिक्षक शिक्षा में गुणात्मक विकास हेतु इन सभी बिन्दुओं पर बल देना होगा तभी उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी। यह भी सच है कि देश की वांछित प्रगति के लिए शिक्षक शिक्षा में समुचित सुधार किया जाना परम आवश्यक हो गया है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि किसी देश की शिक्षा का स्तर बहुत कुछ उस देश के शिक्षकों की कार्य कुशलता, योग्यता, निष्ठा एवं दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यह सभी शीलगुण भावी शिक्षकों में विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षक संस्थाओं के माध्यम से ढाले जा सकते है, अत: इनका समुचित गुणात्मक विकास देश की प्राथमिक आवश्यकता बन जाती है।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

निम्न प्रश्नों का उत्तर विस्तार से दें -

1 शिक्षक-प्रशिक्षण की गुणवत्ता को आप किन बिन्दुओं के आधार पर मापना चाहेंगे।

2 शिक्षक-शिक्षा में संसाधनों की कमी बुत कुछ इसके स्तर के गिरावट का कारण है। इस कथन की विवेचना कीजिए।

3	भारत जैसे विकासशील देश में शिक्षक प्रशिक्षण की अवधि को बढ़ावा वर्तमान परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में कहां तक संभव है? स्पष्ट कीजिए।
4	प्रशिक्षकों का स्तर तथा प्रयुक्त की जाने वाली प्रविधियों गुणात्मकता पर सीधा प्रभाव डालती हैं - इस कथन को स्पष्ट कीजिए।
5	यदि आपको अपने प्रांत का शिक्षा निदेशक बना दिया जाए सेवाकालीन प्रशिक्षण के भरपूर अवसर आप किस प्रकार उपलब्ध करा सकेंगे।

14.6 प्रभावी शिक्षक की अवधारणा, प्रवेश नीतियां : कुछ प्रश्न

किसी भी देश की शिक्षा का स्तर बहुत कुछ देश के शिक्षकों की कार्यकुशलता, योग्यता, निष्ठा एवं दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। शिक्षक-शिक्षा का प्रमुख कार्य कुशल एवं प्रभावी शिक्षकों को तैयार करना है। प्रभावी अध्यापक वह माना जाता है जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षार्थियों की प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है। एक कुशल एवं प्रभावी शिक्षक के गुणों के विषय में शिक्षाविदों ने अपने मत प्रकट किए है। एक प्रभावी शिक्षक को दी जाने वाली विषयवस्तु को छात्रों की रूचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप ढाल लेता है। वह शिक्षार्थी एवं ज्ञान, दोनों को अपना केन्द्र बिन्दु मानता है। वह केवल पढ़ाता ही नहीं वरन् स्वंय भी पढ़ना लिखना सीखता है। यह ध्रूव सत्य है कि एक दीपक से दूसरे दीपक को तभी प्रज्वलित बनाए रखा जा सकता है, जब तक कि वह अपनी बातों को लगातार जलाए न रखे। अधिगम शिक्षक के बिना हो सकता है और क्षम्य है, किन्तु शिक्षण बिना अधिगम के बेयानी है और किसी सीमा तक भ्रामक एवं घातक है। वर्तमान में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रत्येक क्षेत्र में अधिक शिक्षकों की मांग हो रही है, यह भी मांग की जाती है। कि प्रत्येक स्तर पर कुशल एवं दीक्षित शिक्षक ही नियुक्त किए जाएं। अत: शिक्षक-शिक्षा संस्थानों का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह उपर्युक्त व्यक्तियों का ही चयन करे तथा चयनित शिक्षकों की तैयारी के समय उन शीलगुणो एवं कौशलों का विकास करें जिनके माध्यम से वह एक प्रभावी शिक्षक बन सके। इन संस्थाओं का यह दायित्व बनता है कि छात्राध्यापकों में उन गुणों का प्रादुर्भाव करे जो उनमें नहीं है, और जो गुण उनमें दबे पड़े है, उनका पता लगाकर समुन्नत बनाये। यह सर्वविधित है कि योग्य कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षक ही वह धुरी है जिसके चारों ओर सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली घूमती रहती है। अत: शिक्षक-शिक्षा संस्थानों की यह जिम्मेदारी है कि वह बिगड़ी हुई दशा का सही आकलन समय समय पर करें और शिक्षक-शिक्षा को अधिक सार्थक, उपयोगी एवं प्रभावी बनाने के लिए वांछित व्यक्तियों, को शिक्षण व्यवसाय में जाने के भरपूर अवसर प्रदान करें।

प्रभावी शिक्षक की अवधारणा में भी परिवर्तन हुआ है। छात्रों तक ज्ञान पहुँचाना ही उसका कार्य अब नहीं रहा है। अब उसे अधिगन हेतु निदेशक का कार्य करना पड़ता है अधिगम को नियोजित करते हुए समुचित वातावरण बनाना होता है। समस्त संसाधनों का उपयोग करना होता है, संस्कृति एवं मूल्यों का सुप्रेषण करना होता है, और छात्रों में आपेक्षित व्यवहार परिवर्तन हेतु प्रयास करना होता है। वर्तमान में शिक्षक समाजिक परिवर्तन का प्रतिनिधि माना जाता है। जो भविष्य के समाज का प्रणेता होता है उसका कार्य अब केवल कक्षा तक ही सीमित नहीं रहता है, उसे समाज के रूपान्तीरण में प्रभावी भूमिका अदा करनी पड़ती है।

संक्षेप में कहा जाता है कि किसी भी व्यवसाय की सफलता एवं उद्देश्यों की पूर्ती के लिए सही व्यक्तियों का चयन, जिन्हें अपने व्यवसाय के प्रति रूचि हो, यह बहुत आवश्यक बिन्दु है। यह शिक्षण व्यवसाय के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अन्य व्यवसायों यथा इन्जीनियरीग, डाक्टरी तथा प्रशासकीय सेवाओं के लिए। प्रभावी शिक्षक की भूमिका का निर्वाह तभी हो सकेगा। जब प्रशिक्षण संस्थाओं में उपयुक्त व्यक्तियों को ही चयनित करके भेजा जाये वस्तुत: प्रवेश नीति एवं चयन प्रक्रिया में राज्य स्तर पर भिन्नताएं पाई जाती है। यह भी देखने में आता है कि अनेक राज्यों में सरकार ने प्रवेश में अनाचार रोकने के लिए निश्चित नीतियाँ और प्रक्रियाएं निर्धारित की है किन्तु निर्धारित आरक्षणों यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति रक्षा कर्मचारियों के आश्रित, अध्यापक आश्रित, राजनीतिक पीड़ितों के आश्रित और विभिन्न गति विधियों में भाग लेने वाले जैसे खेल-कूद, एन. सी. सी. ड्रामा, वाद-विवाद इत्यादि के कारण अकादमिक पूर्णता की कीमत पर कभी-कभी एक व्यक्ति को तृतीय श्रेणी प्राप्त करने के बाद भी प्रवेश मिल जाता है और वही एक व्यक्ति जो हमेशा प्रथम श्रेणी प्राप्त करता है, प्रवेश प्राप्त करने से वंचित रह जाते है प्रवेश नीति में इस प्रकार की बुराईयों पर ध्यान देकर उन्हें शीघ्र समाप्त करना चाहिए।

हमारे देश की अनेक शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के संबंध में अनेक अनाचार प्रचलित है। भारत में शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रवेश के लिए नेताओं ऑफीसरो, कार्यकारणी समिति के सदस्यों द्वारा दबाव डाला जाता रहा है। यहाँ तक की कुछ लोगो से दान / डोनेशन स्वीकार किये जाते रहे है या मांगे जाते रहे है। यहाँ निर्विवाद है कि जब तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी, कोई भी अच्छा, सक्षम और योग्य प्रत्याक्षी अध्यापन व्यवसाय में नहीं आ सकता।

अब हम शिक्षक प्रशिक्षण कि वर्तमान प्रवेश नीति की और दृष्टिपात करें। यह सत्य है कि वर्तमान में अध्यापक प्रशिक्षण के लिए प्रवेश नीतियां और प्रक्रियाएं विभिन्न स्तरों और विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है, यहाँ तक कि कभी -कभी एक विशेष स्तर पर एक ही राज्य की विभिन्न विश्वविद्यालयों / शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं की प्रवेश क्रिया में अन्तर रहता है। यह देखा गया है कि कुछ शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं में मात्र विद्यार्थी की उपलब्धि को ही प्रवेश हेतु मुख्य मापदंड माना गया हैं जब कि अन्य स्थानों पर साक्षात्कार को ही चयन हेतु मुख्य मापदंड माना गया है। शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं की अन्य कोटी भी है जहाँ पर प्रत्याशी की विगत उपलब्धियों और साक्षात्कार के निष्पादन, इन दोनों के आधार पर चयन किया जाता है। उच्च शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं में टेस्ट लिये जाते है तत्पश्चात् साक्षात्कार किया जाता है।

यह सामान्यत: देखा गया है कि माध्यमिक स्तर के शिक्षक-प्रशिक्षक संस्थाओं में प्रवेश हेतु न्यूनतम आवश्यक डिग्री स्तर (बी.ए./ बी.एस.सी./ बी कॉम.) पर 40 से 50 प्रतिशत तक रहते है अन्य पक्षों जैसे कि अध्यापक अनुभव, खेलों में भाग लेना, एन.सी.सी. आदि के लिए अंक भार देने की व्याख्या में भी पर्याप्त अंतर पाया जाता है किन्तु शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश प्रणाली की प्रमुख कमजोरी यह है कि विद्यार्थियों की संख्या के दबाव के कारण अधिकांश शिक्षक शिक्षा संस्थाएं कोई लिखित या बुद्धि या अभिरूचि परीक्षण नहीं लेती और विद्यार्थियों को उनकी पिछली परीक्षाओं कें प्राप्तांको के आधार पर प्रवेश दे देती है। यह अवश्य है कि इस कमी को पूरा करने के लिए कभी कभी साक्षात्कार लिया जाता है। किन्तु इसके लिए दिया गया समय सामान्यता:

बहुत कम होता है, समय अधिक होना चाहिये जिससे कि छात्राध्यापकों का सही मूल्यांकन किया जा सकें।

भारत के कुछ राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, आंधप्रदेश, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान अदि में प्रवेश हेतु राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा नियम निर्धारित ही की गई चयन प्रक्रिया ही अपनायी जाती है साधारणतया नियमित रूप से निर्मित की गई चयन समिति द्वारा प्रत्याशियों की योग्यता सूची तैयार की जाती है। योग्यता सूची बनाने के मापदंड कुछ सीमा तक विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। लेकिन अधिकांशत: विगत शैक्षिक उपलब्धि, अध्यापन अनुभव और पाठ्य सहगामी क्रियाओं को ही साधारणत: प्रभार प्रदान किया जाता है।

शिक्षक प्रशिक्षक में विभिन्न वर्गो के लिए आरक्षित स्थान रखने की नीति भी भारत में प्रचलित है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के प्रत्याशी, कर दिये गये है। इस प्रकार पहले की सभी शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं में निर्धारित विकलांग व्यक्ति, रक्षा सेवा अधिकारी अध्यापकों तथा स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों के लिये आरक्षित स्थानों का प्रावधान भी हमारे देश की शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं में किया जाता है। विभिन्न वर्गो हेतु आरक्षित स्थानों का प्रतिशत भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग है।

भारत में शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में भर्ती की संख्या निश्चित रखने की प्रवृत्ति है। कुछ राज्यों में अध्यापक-छात्र अनुपात भी सरकार द्वारा निश्चित कर दिया गया है। स्पष्टत: इससे शिक्षक शिक्षा संस्था में प्रशिक्षार्थियों की भर्ती की संख्या नियंत्रित रहती है। कुछ राज्यों में राज्य शिक्षा विभाग द्वारा राज्य की प्रत्येक शिक्षक शिक्षा के लिए स्थान निर्धारित किये जाते है। अध्यापकों की मांग को दृष्टिगत रखते हुई कभी-कभी राज्य शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के लिए विभिन्न धाराओं जैसे कला, विज्ञान और वाणिज्य में भी स्थान निर्धारित किये जाते हैं।

अंत में यह कहा जा सकता है कि प्रवेश नीतियों और चयन प्रक्रियाओं की भिन्नता के साथ-साथ कुछ समस्याएं होने के उपरान्त भी निश्चित रूप से कुछ सामान्य सिद्वान्त बनाए जा सकते है जिनके आधार पर सर्वस्वीकृत प्रवेश नीति एवं चयन प्रक्रिया को निर्मित करना संभव हो सकेगा।

प्रवेश नीतियां कुछ प्रश्न

अगर हम वर्तमान संदर्भ में अध्यापक प्रशिक्षण के लिए प्रवेश नीतियां व प्रक्रियाओं पर चर्चा करें तो पाएँगे कि विभिन्न स्तरों में अन्तर है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के अस्तित्व में आने के बाद अब लगभग सभी राज्यों में बी.एड. में प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद होता है। इतनी स्वतंत्रता राज्यों / विश्वविद्यालयों को दी गई है कि वे केवल प्रवेश परीक्षा ले, या साक्षात्कार के अंक भी जोड़े या अन्य पक्षों जैसे कि अध्यापन अनुभव, खेलों में भाग लेना, एन.सी.सी. आदि के लिए अंग प्रभार देने की व्यवस्था में भी पर्याप्त अंतर पाया जाना है। अध्यापक प्रशिक्षण वर्ग में विभिन्न वर्गो के लिए आरक्षित स्थान रखने की नीति भी भारत में प्रचलित है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी विकलांग व्यक्ति, रक्षा सेवा अधिकारी, अध्यापकों और स्वतंत्रता सेवा संग्राम के सेनानियों के आश्रितों के लिए आरक्षित स्थानों

का प्रावधान भी हमारे देश की अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में किया गया है। विभिन्न वर्गो हेतु आरक्षित स्थानों का प्रतिशत भिन्न-भिन्न राज्यों में अलग-अलग है। अध्यापक विद्यार्थी अनुपात भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने 12 कर दिया है।

14.6.1

प्रभावी अध्यापकों के सम्बन्ध में किए गए कुछ अध्ययन एक सुनिश्चित चयन प्रक्रिया के माध्यम से कुशल, योग्य एवं प्रभावी व्यक्तियों का चयन अध्यापक प्रशिक्षण के लिए किया जाना चाहिए। वस्तुतः किस प्रकार के शील गुण, योग्यता सूचकांक एवं कौशल अध्यापक का सफल एवं प्रभावी बनाते हैं, यह एक शोध का विषय है जिस पर शिक्षाविदों ने समय-समय पर संस्तुतियाँ अथवा सिफारिशें दी हैं। कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं -

अ सेवा-पूर्व

प्रवेश- शुक्ला 1995 ने बी.एड. में प्रवेश की चयन प्रक्रिया का राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संस्थाओं में तुलनात्मक अध्ययन किया जिसके लिए अध्यापक प्रशिक्षकों, बी.एडत्र छात्र-छात्राओं एवं प्रबंधकों

के विचार अध्ययन किए।

कौर एवं कौर 2000 ने प्रवेश-परीक्षा अंक, अध्यापक प्रशिक्षकों की निष्पति का एक पैमाना पर पंजाब विश्वविद्यालय के पत्राचार कार्यक्रम पर अध्ययन किया।

कार्यक्रम - कुमार 1996 ने शिक्षा के दक्षिण भारतीय राज्यों के क्षेत्रीय महाविद्यालयों के अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का तुलनात्मक अध्ययन किया और पाया कि वे अपर्याप्त हैं और बहुत समय से

उनमें परिवर्तन नहीं हुआ है।

मनी 1993 ने अध्यापक प्रशिक्षकों के विभिन्न आयामों का प्रश्नावली के द्वारा विश्लेषण करके +2 स्तर पर अध्यापक शिक्षा का नया कार्यक्रम बनाया।

पाठ्यक्रम - ग्रेवाल 2000 ने प्राथमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ज्ञान आधार ज्ञात किए।

प्रक्रिया- राव 1997 ने आत्म मूल्यांकन रूप से विकलांग छात्रों को पढ़ाने के लिए अध्यापकों की क्षमता बढ़ाने सम्बन्धी प्रयत्न किए।

क्रियाएँ - कामलम 1996 ने मानसिक रूप से विकलांग छात्रों को पढ़ाने के लिए अध्यापकों की शिक्षा सम्बन्धित आलोचनात्मक अध्ययन किया।

सेवारत - ईलाही 1996 ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के सेवारत अध्यापकों की शिक्षा सम्बन्धित आलोचनात्मक अध्ययन किया।

पुष्पनन्दन 1997 ने प्राथमिक विद्यालयों की क्षमता निर्माण के कार्यक्रमों के रूप में प्रतिभागिता अनुसंधान के द्वारा अध्यापक क्षमता पर प्रयोग किया।

दत्ता 1998 ने दिल्ली के विद्यालयों में कक्षा सात के छात्रों / छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धियों पर उनके प्रभाव और प्रतिपुष्टि का शाब्दिक अन्तःक्रिया विश्लेषण द्वारा अध्यापक व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् 1993-2000 के छठे सर्वेक्षण के अनुसार अध्यापक शिक्षा से संबंधित शोधों को दो मुख्य श्रेणियों पूर्व-सेवा व सेवारत प्रशिक्षण में विभाजित किया गया है जिन्हें आगे उप-श्रेणियों में विभाजित किया है ये निम्नलिखित है:

अ	पूर्व-सेवा प्रशिक्षण	
1	प्रवेश	3
2	कार्यक्रम	18
3	अध्यापक-प्रशिक्षक	16
4	प्रभावी क्षेत्र	4
5	परिणाम	9
ख	सेवारत प्रशिक्षण	
6	कार्यक्रम और उनका मूल्यांकन	
7	शिक्षक आवश्यकता	14
8	उच्च शिक्षा -शैक्षिक स्टाफ कॉलेज	5
9	विविध	7
	कुल	98

अध्यापक शिक्षा पर हुए अनुसंधान कोई संतोषजनक चित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं। तकनीकी प्रगति के साथ विद्यालयों की प्रकृति, अध्यापक और अध्यापन तरीकों के बदलते रहने पर भी अध्यापक शिक्षा का स्वरूप अपरिवर्तित रहा है। शोधकर्ताओं को अपने शोध के आधार पर अध्यापक शिक्षा में नए आयाम लाने के लिए एक आधार स्थापित करना होगा।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

निम्न प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दें

1 प्रभावी शिक्षकों के चयन में क्या अपराध है?

2 किसी भी व्यवसाय की सफलता उसमें कार्यरत होने वाले व्यक्तियों के चयन पर निर्भर करती हैं - समीक्षा कीजिए।

14.7 प्रभावी शिक्षकों और चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में किए गये कुछ अध्ययन

भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह भी एक तथ्य है कि शिक्षक प्रशिक्षक हेतु जितनी सीटें उपलब्ध होती है उसके कई गुणा अधिक अभ्यार्थियों के प्रार्थना पत्र होते है। अत: यह आवश्यक हो जाता है कि एक सुनिश्चित चयन प्रक्रिया के माध्यम से कुशल, योग्य एवं प्रभावी व्यक्तियों का चयन प्रशिक्षण के लिए किया जाए। वस्तत: किस प्रकार के शीलगुण, योग्यता सूचकांक एवं कौशल अध्यापक को सफल एवं प्रभावी बनाते है, यह एक शोध विषय है जिस पर शिक्षाविदों ने समय समय पर संस्तुतियां दी है। कुछ प्रमुख प्रयासों का उल्लेख करना यहाँ न्याय संगत होगा।

अदालत (1952) ने प्रभावी शिक्षक के संबंध में शोध द्वारा निष्कर्ष निकाला कि स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्षमता, सामान्य बौद्धिक क्षमता, सामान्य ज्ञान एवं शिक्षण के प्रति अभिरूचि वाले व्यक्ति ही शिक्षण व्यवसाय में जाने हेतु तत्पर हैं, ऐसे व्यक्तियों में ज्ञान अर्जित करने की चाह, बच्चों के प्रति प्रेम, जन सेवा भावना तथा शिक्षक के प्रति निष्ठा पाई जाती है। देवनाथ (1971) ने शिक्षक प्रभावशीलता को ज्ञान करने का प्रयास किया, उसके अनुसार विषयवस्तु का ज्ञान, शिक्षण के निष्ठा, शिक्षक कला पर आधिनत्य अकादमिक योग्यता, शिक्षार्थियों से प्रेम, अनुशासन, छात्रों की भागीदारी को प्रोत्साहन, सहायक सामग्री का प्रयोग, तथा अभिव्यक्ति क्षमता आदि शिक्षक को प्रभावी बनाने में सहायक होते है। छात्र (1974) ने अपने शोध का निष्कर्ष यह निकाला कि प्रभावी शिक्षकों की अच्छी अभियोजना क्षमता शिक्षण के प्रति अधिक रूचिकर दृष्टिकोण तथा सांवेगिक स्थिरता पाई जाती है। ग्रेवाल (1976) ने ज्ञात किया कि शिक्षक प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले तत्व है - घर, स्वास्थ्य, अभियोजना क्षमता, बुद्धि तथा व्यक्तित्व शीलगुण। गुप्ता (1977) 16 पी. एफ. को आधार बनाते हुए निष्कर्ष निकाला कि व्यक्तित्व की विशेषताएं अभियोजना क्षमता एवं शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण तीन प्रमुख बिन्दु है जिन पर शिक्षक की प्रभावशीलता निर्भर करती है। अरोरा (1978) ने शोध कार्य के माध्यम से पता लगाया कि प्रभावी तथा अप्रभावी शिक्षकों में जिन बिन्दुओं पर विशेष अन्तर देखने को मिला है वह है - व्यवसाय संतोष, कार्य प्रेरणा, कार्य दशाएं, व्यवसाय के प्रवृति दृष्टिकोण विद्यालय से दूरी, शैक्षिक प्रवृत्ति आदि। कुलन्देवल तथा राव (1968) ने अध्ययन द्वारा अच्छे शिक्षक की विशेषताओं का पता लगाना चाहा। छात्र उसे प्रभावी शिक्षक मानते हैं जो अच्छा पढ़ाता है, शिक्षार्थियों में वांछित गुणों का प्रोत्साहन देता है तथा सलाहकार की भांती निर्देश देता है। कौल (1972) ने भी 16 पी. एफ. के परीक्षण का सहारा लेते हुए निष्कर्ष निकाला कि प्रभावी शिक्षक अधिक बुद्धिमान, बहिमुर्खी, संवेगात्मक थिर, सरल, नियंत्रित, जोखिम लेने में सक्षम, विवेक, तीक्ष्ण, गंभीर तथा विश्राम में विश्वास रखने वाले होते हे। इनका शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण उपर्युक्त पाया जाता है। ठाकुर (1973) ने यह अध्ययन किया कि वह कौन से तत्व है जो प्रभावी शिक्षकों को सहायक हो सकते है। उसके अनुसार उच्च अकादमिक उपलब्धियां, प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त कुशलता, अच्छा वेतन, शिक्षण अनुभव, व्यावसायिक रूचि, सेवारत शिक्षा में भागीदारी, शैक्षिक संगठनों की सदस्यता आदि तत्व है जो सहायक सिद्ध होते हैं। महेश तथा सक्सेना (1983) ने अपने अध्ययन द्वारा यह ज्ञान किया कि उपयुक्त शिक्षण अभ्यास कार्यक्रम द्वारा प्रशिक्षार्थियों में धनात्मक परिवर्तन किए जा सकते हैं।

भारतीय शिक्षाविदों ने समय समय पर चयन प्रक्रिया को अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया है। इसे अधिक विश्वसनीय तथा वैध बनाने हेतु किए गए कपितय व्यक्तियों के प्रयासों का उल्लेख यहां करना न्याय संगत होगा।

जगमोहन (1960) ने प्रमापीकृत परीक्षा निर्माण किया तथा बी. एड. प्रवेश के लिए इसे उडीसा में लागू करने की संस्तुति की। खुर्शीदा खान (1960) ने बी. एड. प्रवेश हेतु अपनाए जाने वाले परीक्षणों का अध्ययन किया। गिराज किशोर (1964) ने पता लगाया कि बी.एड. प्रवेश परीक्षा किस सीमा तक शिक्षार्थियों की विश्वविद्यालयी परीक्षा में सफलता का द्योतक है।

शेरी (1964) एक मनोवैज्ञानिक परीक्षा का निर्माण किया जिसमें बुद्धि परीक्षा, रूचि प्रश्नावली, व्यक्तित्व माननी तथा दृष्टिकोण मापन परीक्षाएं समाहित की गइ। अध्ययन से पता

लगाया कि शिक्षक की सफलता में बुद्धि का प्रमुख योगदान रहा है। द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ स्थान पर क्रमश: सांवेगिक स्थिता, शिक्षक की दृष्टिकोण एवं शिक्षक के प्रति रूचि नामक तत्वों का पाया गया। शाह (1962), श्रीवास्तव (1963) तथा शर्मा (1969) ने प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए अभिरूचि परीक्षाएं तैयार की, जिनसे शिक्षक की प्रभावशीलता का पूर्व कथन किया जा सकता है। पंड्या (1972) ने शिक्षकों के लिए एक व्यावसायिक परीक्षा का निर्माण किया जिससे उन गुणों का पता लगाया जा सकता है जो शिक्षक को प्रभावी बनाते है। 1976 में आर. एस. शुक्ला ने अपने शोध कार्य के आधार पर एक स्पष्ट चयन प्रक्रिया की सिफारिश की है, जो निम्न है। शिक्षक प्रशिक्षण हेतु आवेदन करने वाले सभी प्रत्याक्षियों के लिए लिखित परीक्षा होनी चाहिये। लिखित परीक्षा में उनके निष्पादन को आधार मानकर योग्यता सूची बनायी जाय। उपलब्ध निर्धारित संख्या से दुगने प्रत्याक्षी साक्षात्कार हेतु बुलाकर योग्यतम का चयन किया जाए। प्रत्येक राज्य में एक केन्द्रीय चयन बोर्ड की स्थापना की जाए, जिसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि, स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजूकेशन, राज्य शिक्षा विभाग, शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों तथा शिक्षाविदों को सम्मिलित किया जाय। राज्य स्तर पर राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा अथवा शिक्षा विभाग के किसी संस्थान के माध्यम से लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाय।

'केन्द्रीय चयन बोर्ड" को चयनित विद्यार्थियों की योग्यता सूची लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, अध्यापन अनुभव और शैक्षणिक रिकार्ड के आधार पर प्रकाशित करना चाहिये। विभिन्न पक्षों को अधिभार प्रदान करने के लिये निम्न प्रारूप अपनाया जा सकता है।

अ)	**लिखित परीक्षा**	-	50
	बुद्धि परीक्षा	-	10, विषय वस्तु ज्ञान 20, अभिक्षमता
	परीक्षण	-	10 भाषा ज्ञान 10
ब)	अध्यापन अनुभव	-	10 अंक

प्रतिवर्ष अध्यापन अनुभव के लिये दो अंक जिसकी अधिकतम सीमा 10 अंक हो।

स) शैक्षणिक रिकार्ड (15 अंक)

	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
एम.ए.एस.म.एससी. / एमकॉम	3	5	1
बी.ए. / बी.एस.सी. / बीकॉम	7	5	3
हायर सैकण्डरी / इंटर / पीयूसी,	5	3	2

टिप्पणी

बुद्धि और अभिक्षमता परीक्षण का निर्धारण केन्द्रीय चयन बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिये। बुद्धि का कोई सामूहित शाब्दिक परीक्षण तथा कोई मानकीकृत अभिवृत्ति परीक्षण लिया जा सकता है।

एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रतिपादित एक अध्ययन (1988) जिसे 'बी.एड. प्रवेश के अभिकरण उनकी पूर्वकथन क्षमता' के नाम से जाना जाता हैं, शोधकर्ता (गोयल, सब्बरवाल,

तिवारी) ने देश में प्रचलित प्रवेश प्रणालियों के अध्ययन के आधार पर निम्न तीन तत्वों को परीक्षा समूह में (बैटरी ऑफ टेस्ट) में समाहित करने की संस्तुति की है -

1 बुद्धि अथवा मानसिक योग्यता परीक्षा
2 व्यक्तित्व परीक्षा
3 दृष्टिकोण परीक्षा

चूंकि सभी क्षेत्रों में प्रमापीकृत परीक्षाएं उपलब्ध है अत: तीन प्रकार के अभिकरणों के निर्माण की सिफारिश की गई है -

प्रथम **-**

1 बुद्धि परीक्षा (शेरी)
2 शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण (गोयल)
3 अंतमुखी तथा बहिमुखी (कुन्डू)

द्वितीय -

1 सामान्य मानसिक योग्यता का सामूहिक परीक्षण (टंडन)
2 शिक्षण दृष्टिकोण पैमाना (अहलूवालिया)
3 चिन्ता पैमाना (सिन्हा)

तृतीय -

1 कल्चर फेयर 'जी परीक्षा (सिन्हा)
2 शिक्षक दृष्टिकोण पैमाना (सामन्तराय)
3 बहु आयामी (व्यक्तित्व मापनी) (मुथैया)

इसके अतिरिक्त पूर्व अकादमिक उपलब्धियाँ तथा साक्षात्कार ऐसे दो तत्व है जिन्हें चयन प्रक्रिया का आधार बनाना आवश्यक होता है।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

अब तक आपने जो सीखा, उसका मूल्यांकन निम्न प्रश्नों का उत्तर देकर कीजिए -

1 एक भावी शिक्षक का चयन किन-किन गुणों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

2 भावी शिक्षकों के चयन प्रक्रिया के संबंध में किये गये अध्ययनों के विषय में एक लेख लिखें।

3 आपकी राय में बी.एड. प्रवेश परीक्षा में किन-किन पक्षों को समाहित किया जाना चाहिए।

14.7.1 कपितय राज्यों एवं संस्थाओं की प्रवेश नीति एवं चयन प्रक्रिया का अध्ययन

पूर्व के पृष्ठों में उन अनुसंधान निष्कर्षों का उल्लेख किया गया है जो व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा समय समय पर चयन प्रक्रिया तथा प्रवेश नीति को सुधारने की दृष्टि से देश में किए गए है। अब कुछ संस्थाओं तथा राज्यों द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयोगों का वर्णन

यहां किया जा रहा है, जिससे इन सभी प्रयासों को आधार बनाते हुए ही राष्ट्रीय स्तर पर किसी सर्वमान्य प्रवेश प्रणाली की संकल्पना की जा सकें।

14.7.2 मध्य प्रदेश के शिक्षा महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु पूर्व बी. एड. परीक्षा का विवरण

यह परीक्षा व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जाती है। प्रदेश के सभी परीक्षण महाविद्यालयों में बी. एड. प्रवेश हेतु प्रांतीय स्तर की परीक्षा आयोजित की जाती है। इन महाविद्यालयों में संवर्गवार सीटों का आवंटन राज्य सरकार क्षरा किया जाता है।

बी.एड. परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता में विद्यालयी दो विषयों के साथ स्नातक उपाधि प्राप्त की हो, यह आवश्यक है। अग्रेंजी तथा हिन्दी को छोड़कर परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं तथा कुल 4 प्रश्न पत्र होते हैं।

प्रथम	-	सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान जिसमें खेलकूद तथा सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित प्रश्न होते है।
द्वितीय	-	शैक्षणिक अभिरूचि एवं सामान्य हिन्दी
तृतीय	-	भौतिकी, रसायन,इतिहास, भूगोल, हिन्दी, साहित्य (कोई एक विषय)
चतुर्थ	-	गणित, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी

(कोई एक विषय)

अभिभार - प्रथम प्रश्न पत्र - सामान्यतन 40 प्रतिशत खेलकूद तथा सांस्कृतिक गतिविधियां

10 प्रतिशत सामान्य योग्यता 50 प्रतिशत द्वितीय प्रश्न पत्र - शैक्षणिक अभिरूचि 50 प्रतिशत सामान्य हिन्दी 50 प्रतिशत प्रत्येक प्रश्न पत्र का समय 2 घंटा तथा पूर्णाक 300 होते हैं।

इस परीक्षा में सवर्गवार न्यूनतम अर्हतादायी (क्वालीफाइंग) अंकों का प्रावधान निम्न है।

1 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग अथवा विधवा - पूर्णाक 1200 का 25 प्रतिशत अर्थात 300 प्राप्तांक

2 सैनिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी - पूर्णाक 1200 का 3० प्रतिशत यानी 360 प्राप्तांक

3 सामान्य संवर्ग - पूर्णाक 1200 का 35 प्रतिशत अर्थात् 420 प्राप्तांक

संवर्गवार निर्धारित स्थानों के लिए कम्प्यूटर द्वारा निर्धारित प्रावीण्य सूची तथा प्रतीक्षा सूची तैयार कर ली जाती है तथा परिणाम समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दिया जाता है। पुनमूल्यांकन प्रणाली का प्रावधान भी रखा गया है। लगभग 40 प्रतिशत आरक्षित कोटे की सीटें रहती है। नकारात्मक मूल्यांकन पद्वति का प्रयोग होता है। (सही उतर 3 अंक पर 1 अंक की कमी) लगभग 3000 सफल अभ्यर्थी प्रवेश प्राप्त करते हैं।

14.7.3 राजस्थान के शिक्षा महाविद्यालयों में बी. एड. एवं शिक्षा शास्त्री प्रवेश हेतु प्री टीचर एज्यूकेशन टेस्ट (पी.इटी.ई.टी.) का विवरण

परे प्रान्त के लिए बी. एड / शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के तहत राज्य के किसी विश्वविद्यालय को प्रवेश पूर्व परीक्षा (पी.टी.ई.टी.) आयोजित करने का दायित्व दिया जाता है। प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता के रूप में न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्तांक होना आवश्यक हैं। परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर एक ही दिन (प्राय: रविवार) को संपादित की जाती है। एक प्रश्न पत्र 3 घंटे की अवधि का होता है। जिसके 4 भाग होते है तथा प्रत्येक प्रश्न पत्र के 3 अंक होते हैं अत: पूर्णाक 600 होता हैं तथा सभी प्रश्नों का अभिभार समान होता हैं।

प्रश्न पत्र के निम्न चार भाग होते है -

1 मानसिक योग्यता

2 शिक्षक अभिरूचि एवं अभिवृत्ति

3 सामान्य ज्ञान

4 भाषा कौशल - हिन्दी अथवा अंग्रेजी

कुल उपलब्ध लगभग 5000 सीटों का संवर्गवार आवंटन प्रत्येक महाविद्यालय हेतु, राज्य सरकार द्वारा पूर्व में घोषित कर दिया जाता है। 20 प्रतिशत सीटें मेरिट के आधार पर भरी जाती है, जिनमें प्रांत के बाहर के व्यक्ति प्रवेश ले सकते है। शेष 60 प्रतिशत सीटों का जिलेवार आरक्षण राज्य सरकार द्वारा पूर्व में निर्धारित कर दिया जाता है। सामान्य आरक्षण प्रणाली का उपयोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, विकलांग सैनिक तथा विधवा वर्ग के अभ्यार्थियों हेतु किया जाता है। महिलाओं हेतु 20 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था रखी जाती है।

मूल्याकंन पद्वति में सभी प्रश्न पत्र बहु विकल्पी एवं वस्तुनिष्ठ होते है। नकारात्मक अंक प्रणाली का उपयोग किया जाता है अर्थात् गलत उत्तर पर एक अंक कम कर दिया जाता है। सभी प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होते है। कम्प्यूटर की सहायता से परीक्षा परिणाम बनाया जाता है। तथा उसे प्रदेश के प्रमुख पत्रों में प्रकाशित कर दिया जाता है। पूनर्मूल्यांकन प्रणाली का प्रावधान भी रखा गया है। पी. टी. ई. टी. परीक्षा में न्यूनतम अर्हतादायी (क्वालीफाइंग) अंक 40 प्रतिशत अर्थात 240 होते है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यार्थी को प्रवेश से वंचित रहना पड़ता है।

प्रवेश परीक्षा (पी.टी.ई.टी.) का राजस्थान में संचालन विगत 10 वर्षो से सफलता पूर्वक किया जा रहा है। इस परीक्षा के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है। जिसकी नीति निर्धारण हेतु समय समय पर बैठकें होती है।

14.7.4 शिक्षा विभाग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा प्रयुक्त प्रवेश प्रणाली

बी एड. प्रवेश का दायित्व शिक्षा विभाग पर है। अत: विभाग द्वारा यह परीक्षा आयोजित की जाती है। एक निश्चित दिवस पर निम्न परीक्षा का आयोजन किया जाता है -

1	सामान्य अग्रेंजी(वस्तुनिष्ठ)	पूर्णाक
	10 मिनट के अंतराल पर एक घंटे का अवबोध तथा निबंधात्मक खेल परीक्षा	70+30
2	सामान्य ज्ञान -1 घंटा	100
3	दो - शिक्षण विषय संबंधी ज्ञान परीक्षा (प्रत्येक परीक्षा 45 मिनट की)	50+50
	कुल	300
4	अकादमिक उपस्थिति 1हेतु	100

	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
हाईस्कूल	100	7.5	5
इंटर/पी.यू.सी.	20	15	10
बी.ए./ बी.ए.सी.	40	30	20
एम.ए./एम.एस.सी	30	22.5	15

कुल पूर्णाक 400 में से प्राप्त किए गये अंकों के आधार पर योग्यता सूची का निर्माण विभाग द्वारा करके, परिणाम घोषित कर दिया जाता हैं।

14.7.5 सेन्द्रल इन्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन. दिल्ली द्वारा प्रयुक्त प्रवेश परीक्षा

प्रवेश हेतु निम्नतर योग्यता स्नातक स्तर पर कम से कम 50 प्रतिशत प्राप्तांक अथवा अभिस्नातक स्तर पर द्वितीय श्रेणी मानी गई है। प्रवेश परीक्षा के 250 अंकों का विभाजन निम्न स्तर पर किया गया है।

लिखित परीक्षा	150 अंक
साक्षात्कार	70 अंक
समूह परिचर्चा	30 अंक

लिखित परीक्षा के 150 अंक का विभाजन निम्न चार श्रेणियों में किया गया है -

1	बुद्धि परीक्षा	50 मिनट	50 अंक
2	सामान्य ज्ञान	30 मिनट	50 अंक
3	संवेदनशीलता (अंग्रेजी अथवा हिन्दी)	20 मिनट	20 अंक
4	अभिव्यक्ति परीक्षा (अंग्रेजी)	20 मिनट	30 अंक
		कुल	150 अंक

यह सभी लिखित परीक्षाएं एक ही दिन में आयोजित की जाती है तथा इनके बीच लगभग 10 मिनट का समय रखा जाता है। साक्षात्कार तथा समूह परिचर्चा के लिए 6-7 बोर्डो का गठन किया जाता है। यदपि कोई निश्चित प्रमाणीकृत प्रोफार्म का प्रयोग नहीं किया जाता

है। अभी कुछ समय पूर्व सी.आई.ई. की प्रवेश परीक्षा में कुछ परिवर्तन किये गये है। तथा प्रवेश प्रक्रिया को और विश्वसनीय व वैध बनाने का प्रयास किया गया है।

कुछ प्रान्तों में चयन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में प्रत्येक विश्वविद्यालय को यह अधिकार है कि संबद्ध शिक्षक प्रशिक्षक महाविद्यालयों के लिए बी.एड प्रवेश परीक्षा का आयोजन करे इस परीक्षा को आधारभूत तत्व प्राय: वही रखते है जिनका उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है।

14.7.6 मुक्त दूरस्थ अधिगम प्रणाली के अन्तर्गत प्रवेश नीति

दूरस्थ बी.एड. की उपाधि मुक्त विश्वविद्यालय / दूरस्थ शिक्षा विभाग द्वारा ही प्रदान की जाएगी। इस प्रणाली के अंतर्गत केवल उन अध्येताओं को ही प्रवेश मिल पाएगा जो किसी प्रादेशिक क्षेत्राधिकार (Territorial jusridiction) वाले विद्यालय में कार्यरत होंगे।

जिसमें 500 निर्धारित सीटें होती हैं, किसी विशेष अधिनियम में संख्या 1,000 भी हो सकती है अगर संकाय का प्रावधान हो सके।

प्रवेश पाने के लिए 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव हो।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और विकलांग प्रत्याशियों के लिए निर्धारित सीटें होगी जैसा भी अमुक राज्य सरकार का नियम होगा।

14.7.7 राष्ट्रीय स्तर पर नीति एवं चयन प्रक्रिया के निर्माण की आवश्यकता

यद्यपि त्रुटि रहित प्रवेश प्रणाली के नियमों का निर्धारण एवं चयन प्रक्रिया की रूपरेखा, जो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य, उपयोगी तथा साध्य हो बनाना बड़ा कठिन कार्य हैं किन्तु इस असंभव नहीं माना जा सकता है।

आज तक समूचे राष्ट्र के लिए सर्वमान्य प्रवेश नीति तथा चयन प्रक्रिया का निर्माण नहीं हो सका है। विभिन्न प्रांतों में उपरोक्त के संदर्भ में भिन्न-भिन्न प्रणालिया प्रचलित है। जैसे कुछ प्रांतों में विगत कुछ वर्षो में इस दिशा में ठोस प्रयास किए गये है। जिस पर भी इन प्रान्तों की प्रवेश नीतियों का चयन प्रक्रिया के कार्यक्रम को पूर्णरूपेण विश्वसनीय तथा वैध नहीं कहा जा सकता है। आवश्यकता इस बात की हैं कि किसी राष्ट्रीय स्तर की संस्था यथा एन. सी. ई. आर. टी. / यू जी. सी. आदि द्वारा इस संबंध में अनुसंधान किया जाय तथा अध्ययन के माध्यम से पूरे राष्ट्र के लिए एक प्रभावी प्रवेश नीति निति एवं चयन प्रक्रिया का विकास किया जाए।

लेखक का मानना है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् (एन.सी.आर.टी.) को सैवधानिक मान्यता संसद द्वारा मिल जाने के बाद इसके माध्यम से व्यापक अनुसंधान तथा सुधार शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में किए जा सकते है। (आई.ए.एस.ई) का दायित्व होता है कि वह इस दिशा में पहल करें तथा ठोस सुझाव प्रस्तुत करें ताकि उपयुक्त प्रवेश नियम बनाएं जा सकें तथा व्यापक चयन प्रक्रिया का विकास किया जा सके।

14.8 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं प्रवेश प्रक्रिया

एन. सी. टी. ई. को जब से संवैधानिक स्तर मिला है, तब से उसने प्रवेश प्रक्रिया सहित शिक्षक शिक्षा के समस्त पहलुओं में सुधार हेतु प्रभावी पहल की है। एन. सी. ई. आर. टी. ने प्रयास किया है कि एक पूरे प्रदेश में एक जैसी ही प्रवेश प्रणाली हो तथा प्रवेश प्री - टेस्ट के उपरांत ही दिया जाए। एक शिक्षक प्रशिक्षक महाविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या पर भी नियंत्रण इस परिषद द्वारा किया गया है तथा व्यवस्था की गई है कि प्रशिक्षणशालाओ में शिक्षण तथा छात्र का अनुपात जिनके 1:10 का होना चाहिए तथा प्रशिक्षणशालाओ में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा जिनके शिक्षण विषयों को पढ़ाने हेतु वहां क्वालीफइड प्रशिक्षक उपलब्ध है। एन.सी.टी.ई. द्वारा प्रवेश प्रक्रिया हेतु विभिन्न प्रदेशों हेतु एक अलग-अलग समय सीमा (Time Formet) भी तय किया जा रहा है ताकि निश्चित समय में छात्रों को प्रवेश मिल सके। इस परिषद ने यू. जी.सी. तथा दूरस्थ शिक्षा परिषद के साथ मिलकर खुले विश्वविद्यालयों तथा पत्राचार संस्थाओं हेतु भी प्रवेश परीक्षा हेतु कुछ दिशा तय किए है। आशा है कि समय के साथ एन.सी.टी.ई. राष्ट्रीय स्तर पर चयन प्रक्रिया हेतु कोई प्रभावी नीति बनाने में सफल होगा, जिससे शिक्षण प्रशिक्षण हेतु, उपयुक्त व प्रभावी भावी शिक्षकों का चयन हो सकेगा।

मूल्यांकन प्रश्न

1 देश में शिक्षण प्रशिक्षण हेतु प्रयुक्त प्रवेश नीतियों एवं चयन प्रक्रियाओं की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालिए।

2 राजस्थान प्रांत में अपनाई जाने वाली प्री.टीचर. एजूकेशन टेस्ट के गुण-दोषों क गुणवता की विवेचना कीजिए।

3 राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य प्रवेश नीति एवं चयन प्रक्रिया के निर्माण में क्या बाधाएं है? आप इ सका निवारण किस प्रकार करेंगे।

4 एन.सी.ई.आर.टी. के चयन प्रक्रिया को सुचारू बनाने की दृष्टि से (1988) में एक परीक्षा समूह (बैटरी ऑफ टेस्ट) बनाने की सिफारिश की है। इसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत कीजिए।

5 मध्य प्रदेश के शिक्षा महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु अपनाई जाने वाली पूर्व बी. एड. परीक्षा की तुलना राजस्थान की प्री. टीचर एजूकेशन टेस्ट (पी.टी.ई.टी.) से कीजिए।

14.9 संदर्भ ग्रंथ

1 अदावल, एस. बी. - "ऐन एटीट्यूट ऑफ टीचिंग - ऐन एक्सपरीमेण्टल इन्वेस्टीगेशन"शिक्षा अक्बटूर 1965

2 कुण्डू, सी.एल. - " इण्डियन इयर बुड आन टीचर एजूकेशन" नई दिल्ली स्टर्लिग प्रकाशन 1988

3 एन.सी.ई.आर.टी. - "ए स्टडी आफ एडमीशन प्रोसीजर्स ' नई दिल्ली 1977

4 एन.सी.ई.आर.टी. - रिपोर्ट "टूल्स फार बी.एड ऐडमिशन" नई दिल्ली 1988

5 एन.सी.ई.आर.टी. - रिपोर्ट "एडमीशन प्रोसीजर्स फॉर टीचर एज्यूकेशन इन्हीटयूशन' नई दिल्ली 1989

6 सब्बल एन., कोरिलेट्स आफ स्टूडेन्ड टीचर ए चीव मेण्ट"नई दिल्ली एन. सी. ई. आर. टी. 1992

7 एन. सी. ई. आर. टी. - ए रिसोर्स आन टीचर एज्यूकेशन बुक नई दिल्ली एन.सी. ई. आर. टी.

8 शुक्ला आर. एस., ' इमजिंग ट्रेन्ड्स इन टीचस एजूकेशन इलाहाबाद, चुघ प्रकाशन 1978

9 शुक्ला आर. एम. - शिक्षक शिक्षा - दशा एवं दशा" उदयपूर, अक्षत प्रकाशन 1989

10 सिंह, एल. सी. - टीचर एज्यूकेशन इन इण्डिया - ए रिसोर्स बुक नई दिल्ली एन. सी. ई. आर. टी नई दिल्ली 1990

11 सिंह, आर. पी.- "प्राब्लम्स ऑफ सेलैक्शन एंड ऐडमिशन टु टीचर कोर्स" शिक्षा जुलाई 1952

इकाई 15

शिक्षक प्रशिक्षकों का व्यावसायिक विकास _ सेवा पूर्व तथा सेवाकालीन कार्यक्रम Professional Development of Teacher Educators: Pre Service and In Service Programme

इकाई की संरचना

15.0 लक्ष्य एवं उद्देश्य

15.1 शिक्षक प्रशिक्षकों के व्यावसायिक विकास का महत्व

15.2 भारत में सेवा पूर्व सेवा कालीन कार्यक्रमों की व्यवस्था व दिशाएं

15.3 शिक्षक प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण समस्याएं

15.4 शिक्षक प्रशिक्षक के प्रशिक्षण की कुछ समस्याएँ

15.5 समस्याओं का निदान

15.6 संदर्भ ग्रंथ

15.0 लक्ष्य एवं उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप समझ सकेंगे कि

- शिक्षकों प्रशिक्षकों के व्यावसायिक विकास का क्या महत्व है?
- भारत में सेवापूर्ण तथा सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का स्वरूप कैसा है?
- इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की क्या समस्याएं है?
- इन समस्याओं को किस प्रकार दूर किया जा सकता है।

15.1 शिक्षक प्रशिक्षकों के व्यावसायिक विकास का महत्व

जोसफाइन केयरनस के कथानुसार " विश्लेषण की सामयिक विधियों ने शिक्षा को ऐसे कगार पर खड़ा कर दिया है जिसमें इस बात पर ही चिन्तन पर्याप्त नहीं है कि बच्चे का बोद्धिक विकास कैसे होता है जबकि हमें बालक के व्यक्तिगत, समाजिक सौन्दर्य बोध जैसी शिक्षा के लिये भी शिक्षक को तैयार करना है।

इसी परिप्रेक्ष्य में यहां यह कहना भी उचित ही है इस प्रकार की समक्षता का बीजारोपण राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक एवं व्यवस्था के तीव्रगामि परिवर्तन की समरूपता हेतु सहज एवं स्वाभाविक है। यदि शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, तो प्रशिक्षण पर उससे भी अधिक व्यावसायिक जिम्मेदारी है।

पालाइन पैरी ने ठीक ही तो कहा है कि "शिक्षक की गुणवत्ता एवं इस समुदाय की शक्ति स्त्रोत का स्वरूप समाज के मूल्यों, उद्देश्यों और आर्थिक सम्पन्नता की रक्षा के लिए उतना हीर आवश्यक है जितना प्रतिरक्षा-सेवाएं राष्ट्र की भैतिक रक्षा के लिये"।

शिक्षक-प्रशिक्षक का व्यावसायिक विकास इसलिए और भी आवश्यक है क्योंकि

- शिक्षक राष्ट्र निर्माण तथा प्रशिक्षक-शिक्षक का निर्माता है।
- शिक्षा समाज व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है, इसमें हो रहे परिवर्तन शिक्षासमुदाय ' के प्रति जिम्मेदारी की अपेक्षा करते है।
- शिक्षक-प्रशिक्षक "शिक्षा विद्" है जिसका चिन्तन भावी योजना तथा व्यावसायिक
- व्यावहारिकता हेतु समय के साथ बदलना चाहिए।
- शिक्षा जगत का विषय-क्षेत्र परिवर्तन के कारण व्यापक होता जा रहा है। शिक्षक-प्रशिक्षक इससे अछूता नहीं रह सकता।
- शिक्षक-विधियों में व्यावसायिक और तकनीकी का समावेश बहुत सुव्यवस्थित और
- वैज्ञानिक आधार पर हो रहा है, इस व्यवस्था से उसे सजग रहना पड़ेगा।

15.3 भारत में प्रारम्भिक तथा सेवा कालीन प्रोग्राम की व्यवस्था एवं नई दिशाएं

यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि आधुनिक पद्वति पर आधारित शिक्षक-प्रशिक्षक शिक्षा का शुभ आरम्भ सैडलर आयोग की रपट पर ही किया गया। बी. एड. तथा शिक्षा विषय में पी. एच. डी. की डिग्री जो शिक्षक-प्रशिक्षण के प्रोग्राम का महत्वपूर्ण शैक्षिक योग्यता मानदण्ड समझी जाती है, इस रपट के बाद भारत में शुरू की गई। यह प्रोग्राम 1940 के बाद ही शुरू हो पाया। इसके बाद तो फिर 1949 तक 16 विश्वविद्यालयों में ऐसे पाठ्यक्रम चलाये गये। धीरे-धीरे विभिन्न आयोगों एवं विशेष समितियों की सिफारिशों को कार्यान्वयन करते हुए शिक्षक प्रशिक्षक प्रशिक्षण (प्रारम्भिक एवं सेवा कालीन) संदृढ़ होते चले गये।

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952), कोठारी आयोग, (1966), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (संशोधित 1992) शिक्षक-प्रशिक्षक के लिए नयी दिशाएं एवं आयाम निर्धारण के लिए उल्लेखनीय है।

इन आयोगो की नीतियों के कार्यान्दयन के लिए राष्ट्र और राज्य स्तर पर शिक्षा पर शिक्षक संस्थाओं एवं शिक्षक प्रशिक्षक प्रशिक्षण के कार्यक्रमों का श्री गणेश भी हुआ। राष्ट्र स्तर पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् अथवा राज्य शैक्षिक संस्थान जैसे संगठन बनाये गये जिनका कार्य स्कूली पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, पठन सामग्री की रचना के साथ-साथ शैक्षिक प्रशिक्षण भी तथा शैक्षिक अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना भी है। एन.सी.ई.आर.टी. के तत्वधान में क्षैत्रीय स्तर पर चार शिक्षक शिक्षा संस्थान (अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर एवं मैसूर) खोले गये। यह महाविद्यालय शिक्षक प्रशिक्षण भी देते है तथा शिक्षक प्रशिक्षक प्रशिक्षण भी और शिक्षा के लिए पी.एच.डी. प्रोग्राम भी चलाते है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् सेवाकालीन शिक्षक एवं शिक्षक प्रशिक्षक प्रोग्राम ही चलते है।

15.3.1 माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952) द्वारा शिक्षक प्रतिशक्षक की शैक्षिक योग्यता के विषय में की गई सिफारिशें

आइये, उपर्यक्त सिफारिशों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952) ने शिक्षक प्रशिक्षक का चयन करते समय निम्न बातों की और ध्यान देने की विशष सुस्तुति की है।

स्नातक स्तर की प्रशिक्षण संस्था के लिये न्यूनतम अहर्ताएं

- डिग्री अथवा ओनर्स डिग्री अथवा प्रथम श्रेणी में विशेष विषयों में डिग्री।
- एम.एड. डिग्री के साथ तीन वर्ष का कार्यनुभव।
- अथवा बी.टी. अथवा एल.टी. डिग्री के साथ पाँच वर्ष का कार्यानुभव (निरिक्षक अथवा मुख्याध्यापक के रूप में)

15.3.2 कोठारी आयोग द्वारा दी गई शिक्षक प्रशिक्षक प्रशिक्षण से सम्बनधी कुछ सिफारिशें

कोठारी आयोग ने इस तथ्य की तो भली-भांती जानकारी दी कि भारतीय परिवेश में शिक्षक-प्रशिक्षक का स्तर उतना ऊँचा नहीं हो सकता जिसकी विद्यालय के सब ज्ञान, कौशल और विविध कार्यक्रमों के संभालने में आवश्यकता होती है। परन्तु इतना अवश्य होगा कि प्रशिक्षालाओं द्वारा दिया गया प्रशिक्षण तथा अध्यापक में अत: प्रज्ञा, बोध शक्ति सीखने की क्षमता और प्रत्युपन्न गति विकसति हो जाए। अब विशेष अनुस्थापन की आवश्यकताओं हो, तो, अत: सेवा कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए कि शिक्षा की राष्ट्रीय पद्वती को सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। सभी स्तरों के अध्यापक शिक्षक पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्चा को उस दृष्टिकोण से संशोधित करना होगा।

हम यह सुझाव देना चाहेंगे कि इसके लिए भूमिका वे अग्रणी अध्यापक तैयार करें जो पाठ्यचर्चा, कार्यविधि क्रियाकलाप, परीक्षा आदि स्कूल सम्बन्धी समग्र और कार्यक्रम के विषय ज्ञान और पहल सापेक्ष, विशिष्ट क्षेत्र में अधिक गहन, वैज्ञानिक और विद्वतापूर्ण अध्ययप कर सकें।

स्तानोत्तर पाठ्यक्रम सामान्य प्रयोजन छात्र को इस योग्य बना देना चाहिए कि वह विशेष ज्ञान और पहल, शक्ति सापेक्ष, विशिष्ट क्षेत्र में अधिक गहन, वैज्ञानिक और विद्वतापूर्ण अध्ययन कर सकें।

स्तानोत्तर पाठ्यक्रम में निम्न पक्षों पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

1 छात्र को शिक्षा और शैक्षणिक समस्याओं के अध्ययन के विषय में एक परिप्रेक्ष्य देना और उसे उसका अध्ययन करने के वैज्ञानिक तरीकों से परिचित करना।

2 शैक्षणिक आयोजन और प्रशासन, अध्यापक शिक्षण, मार्गदर्शन और परामर्शदान शैक्षणिक योग्यतांकन, या शिक्षा की मनोवैज्ञानिक अधारशिला आदि कुछ क्षेत्रों में विशेष योग्यता के पाठ्यक्रम,

3 शोध की क्रिया विधि का अध्ययन

4 लेख, लेखन कला का विकास

15.3.3 प्रशिक्षणशालाओ में गुणवत्ता में सुधार

उपर्युक्त वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक है कि प्रशिक्षणशालाओं में सुधार किया जाए। माधयमिक आध्यापकों की प्रशिक्षणशालाओ के अध्यापक वृन्द एवं इन तत्वों का गुणवत्त सुधार के लिए को आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की

1 इन संस्थाओं में काम करने के लिए, उपर्युक्त प्रशिक्षण अध्यापक तैयार करने के लिए पी.एच. डी /एम. एड. और शिक्षा के एम.ए. लोगो की संख्या में शीघ्र वद्वि की जानी चाहिए। इन पाठ्यक्रमों की और अच्छे छात्रों को आकृष्ट करने के लिए यथेष्ट छात्रवृत्रियाँ दी जानी चाहिए। इन पाठ्यक्रमों की और यह उन शिक्षा स्कूलों का मुख्य दायित्व होना चाहिए जिनकी पहले सिफारिश की जा चुकी

2 राजकीय संस्थाओं में अध्यापक और निरीक्षक आपस में बदले जा सकते है और आवंछनिय लोग प्राय: प्रशिक्षाशालाओ में नियुक्त कर दिये जाते है। अत: यह परम आवश्यक है कि प्रशिक्षाशालाओ के लिए केवल योग्यता और सवोत्तम पात्र ही चुने जाएं।

3 प्रशिक्षाशालाओं के अध्यापकों के अत: सेवा प्रशिक्षणों के लिए अवकाशकालीन संस्थाओं में सुनिश्चित बनाये जाने चाहिए।

4 विश्वविद्यालयों को यह नियम बना लेना चाहिए कि किसी ऐसे छात्र से विधान विशेष के अध्यापन विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए भर्ती न करें जो प्रशिक्षण से पूर्व उस विषय में उपाधि न प्राप्त कर चुका हो या उसके समकक्ष कोई योग्यता न रखता हो। उस प्रकार सभी राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों में यह नियम बना लेना चाहिए के माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक केवल उन्हीं विषयों को पढ़ाए जिनको उन्होंने अपनी शिक्षा या वृतिक शिक्षा में पढ़ा हो।

5 हमारी सिफारिश है कि छात्रावास की सुविधाओं में पर्याप्त वृद्वि की जानी चाहिए।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

अब तक आपने क्या सीखा इसका मूल्यांकन निम्न प्रश्नों का उत्तर देकर स्वय करे। निम्न प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दें-

1 सैडलर कमीशन ने शिक्षक प्रशिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए क्या-क्या सिफारिशें की?

2 शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता को सामाजिक मूल्यों एवं इसकी सम्पन्नता का पहरी क्यों समझाया गया है?

3 माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षक प्रशिक्षकों की शैक्षिक योग्यता के बारे में क्या संस्तुतियां की है।

15.3.4 प्राथमिक अध्यापकों की संस्थाओं के सुधार हेतु कोठारी आयोग की सिफारिशें

कोठारी आयोग में कहा गया कि प्राथमिक अध्यापकों की संस्थाओं के सुधार के लिए यह आवश्यक है कि -

- इन संस्थाओं का स्तर भी कॉलेजों के समकक्ष कर दिया जाये।

- अध्यापकों के पास शिक्षा या किसी शास्त्रीय विषय में एम. ए. की उपाधि के साथ बी. एड. की उपाधि भी होनी चाहिए और उनके वेतनमान कला या विज्ञान के कॉलेजों के अध्यापकों के समकक्ष होना चाहिए तथा साथ ही उनके वृतिक प्रशिक्षण का ध्यान रखकर दो अग्रिम तरिक्कयाँ भी दी जानी चाहिए। यह भी सिफारिश है कि इन प्रशिक्षाशालाओं को शिक्षकों को प्राथमिक अध्यापकों के प्रशिक्षण की विधि का यथेष्ट प्रशिक्षण मिलना चाहिए और इस प्रशिक्षण के लिए अनुस्थापन और आगमन पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए जिसमें प्रयोगिकशाला के कार्य का अनुभव भी शामिल हो।
- प्रत्येक प्रशिक्षणशाला का एक-एक निर्देशन और प्रयोगात्मक स्कूल होना चाहिए और उसका निर्देशन या विशेष अध्ययन के लिए किया जाए।
- इसके अतिरिक्त और समन्वय अन्त: सेवा शिक्षा के कार्यक्रमों के बड़े पैमाने पर संगठन की आवश्यकता है ताकि प्रत्येक अध्यापक पांच वर्ष का प्रत्येक सेवावधि के बाद दो-तीन की अंत सेवा शिक्षा प्राप्त कर सकें।
- इन कार्यक्रमों की पाठ्यचर्चा की आयोजना और संगठना व्यवस्थित रूप से की जानी चाहिए और इसके लिए सामग्री का संचय बहुत ध्यान से किया जाना चाहिए और सम्बन्धित अध्यापकों को भी समुचित रूप से अनुस्थापित किया जाना चाहिए।

15.3.5 उच्चतर शिक्षा के अध्यापकों का वृतिक प्रशिक्षण

उच्चतर शिक्षा के लिए अध्यापक तैयार करना विश्वविद्यालयों का दायित्व है। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय में और जहाँ सम्मव हो प्रत्येक कॉलेज में स्थापन पाठ्यक्रम होने चाहिए, जिनका आयोजन सत्र के आरम्भ के लिए किया जाए और कुछ पुराने और नये अध्यापक, नये अध्यापकों के साथ अध्यापन शोध, अनुशासन और वृत्ति विषयक कार्यप्रणाली के प्रमुख प्रश्नों पर चर्चा विवेचन करें।

15.3.6 केन्द्र की भूमिका

कोठारी आयोग ने शिक्षक-शिक्षा की महत्ता को भली प्रकार समझा और इसी आशय की पूर्ति के लिए केन्द्र सरकार की भूमिका की और प्रशासन का ध्यान दिलाया। केन्द्र की भूमिका के लिए कोठारी आयोग ने कुछ विशेष सुझाव दिए उनका उल्लेख करना हम वहां आवश्यक समझते है।

कोठारी आयोग के अनुसार

"क्योंकि सभी प्रकार की शिक्षा के स्तरों को ऊँचा उठाने के लिए अध्यापक शिक्षण का बड़ा महत्व है, इसलिए अध्यापक शिक्षण को सुधारने का विशेष दायित्व केन्द्र को संभाल लेना चाहिए और उसके लिए केन्द्रीय सरकार को उदारतापूर्वक अर्थराशि की व्यवस्था करनी चाहिए।

इस दायित्व को सुनिश्चित पालन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के सहयोग से, एक सम्मिलित स्थायी अध्यापक शिक्षा समिति बनानी चाहिए।

15.3.7 अध्यापक शिक्षण की स्थायी समिति कार्य

कोठारी आयोग के अनुसार उस अध्यापक शिक्षण को स्थायी समिति के निम्नलिखित कार्य होने चाहिए -

- शिक्षक संस्थाओं और विश्वविद्यालयों विभागों के स्तरों को बढ़ावा और निर्धारित करना।
- अध्यापक शिक्षा की कोटी की सभी स्तरों पर सुधारना और उनमें समन्वय करना।
- सभी स्तरों की अध्यापक शिक्षण संस्थाओं के कार्यक्रमों, पाठ्यक्रमों पाठ्यपुस्तकों, अध्यापकों की योग्यताओं के विषय में विश्वविद्यालयों तथा राज्य शिक्षा विभागों को परामर्श देना।
- विश्वविद्यालय के अध्यापक कॉलेजों और शिक्षा विषय के विभागों या स्कूलों के लिए अर्थराशि मंजूर करना।
- शिक्षा विषय के विश्वविद्यालय विभागों और प्रशिक्षणशालाओ में अवधि निरिक्षणों की व्यवस्था करना और
- विश्वविद्यालयों तथा राज्य शिक्षा विभागों के सहयोग से अध्यापक शिक्षकों के अत: से वा ज्ञान संर्वधन कार्यक्रमों को विकसित और आर्थिक सम्पन्न बनाना ताकि अध्यापकों के विषय वस्तु ज्ञान, वृतिक योग्यता और कुशलता में वृद्धि कर सकें।

15.3.8 शिक्षक-शिक्षा के लिए वित्त व्यवस्था

शिक्षक-शिक्षा प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रमों के लिए भारत राज्य सरकारों को उदारवित्त व्यवस्था करनी होगी ऐसा करने से ही, सुझाव गई पद्वति से राज्य सरकारें अध्यापक शिक्षण को विकसित कर पायेगी। प्राथमिक अध्यापकों की प्रशिक्षाशालाओं को विश्वविद्यालय स्तर तक पहुँचाना, सभी स्तरों की प्रशिक्षणशालाओं के सुधार का कार्यक्रम बनाना और अंत: सेवा शिक्षा की व्यवस्था करना बड़ी बड़ी प्रशिक्षालाएं स्थापित करना आदि कुछ ऐसे विशेष कार्यक्रम है जिन पर जोर देने की आवश्यकता है।

अध्यापन शिक्षण संस्थाओं का आकार, अल्प व्यय और कुशलता, दोनों दृष्टियों से यह आवश्यक होगा कि प्रशिक्षण संस्थाएं काफी बड़ी हो। कोठारी आयोग ने इस आशय के लिए जो सुझाव दिए वे इस प्रकार है-

प्राथमिक स्तर के लिए दो वर्ष की अवधि के पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने वाली संस्थाओं में छात्र संख्या 240 होनी चाहिए। जो नई संस्थाएं स्थापित की जाएं उनकी छात्र संख्या 400 से कम न रखी जाए।

अध्यापकों की वर्तमान प्रशिक्षण सुविधाओं की आयोजना में अनेक तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है। संस्थाओं, विशेषकर प्राथमिक स्तर की संस्थाओं में से कुछ को देहाती क्षेत्रों में स्थापित करना होगा और अध्यापक छात्रों के लिए अभ्यासर्थ अध्यापन की व्यवस्था पड़ोस के स्कूलों में करनी होगी। यदि विविध प्रकार की संस्थाएं अध्यापक प्रशिक्षण का दायित्व संभाल ले तो अलगाव के निवारण में भी बहुत सहायता मिलेगी।

15.3.9 दी नेशनल काउंसिग फार टीचर ऐजूकेशन (एन. सी. टी. ई.) की स्थापना शिक्षक प्रशिक्षक के नये कार्यक्रम

दी नेशनल काउंसिग फार टीचर ऐजकेशन (एन. सी. टी. ई.) की स्थापना शिक्षक प्रशिक्षक प्रशिक्षण एवं शिक्षक प्रशिक्षक के लिये "नयी पृष्ठभूमि" तैयार करने की ऐतिहासिक घटना है। आप पूछेंगे भला ऐसा क्यों? उत्तरस्पष्ट है क्योंकि इस परिषद की स्थापना और इसके दिशा निर्देश से।

शिक्षक शिक्षा के लक्ष्य, विषय क्षेत्र, पाठ्यचर्चा, पठन-पाठन प्रक्रिया एवं मूल्यांकन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए है।

राष्ट्रीय स्तर की संस्था होने के कारण सभी इसके दिशा निर्देश शिक्षक प्रशिक्षा महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों पर प्रभावपूर्ण असर डालते है।

भावी कार्यक्रम भी इसी के दिशा निर्देश से प्रभावित होंगे। 1978 में "टीचर ऐजूकेशन कैरीकुलम - ए फ्रेमवर्क" शीर्षक से प्रकाशित एक नया शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संबंधी दस्तावेज राष्ट्र के सामने आया इस दस्तावेज में शिक्षक-प्रशिक्षक एवं शिक्षक से यह अपेक्षा की गई कि शिक्षक शिक्षा 'समुदाय के साथ करने की प्रक्रिया एवं प्रोग्राम से जुड़ी होनी चाहिए।एम. एड. की पाठ्यचर्या में दो प्रकार के पाठ्यक्रम की परिकल्पना की गई। एक तरफ वह "मूल सिद्धान्त" से जुड़ी हो तथा दूसरी और वह सामाजिक दृष्टि से व्यावहारिक हो। उसमें समाज की समस्याओं और तत्व भी शमिल हो। अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, कार्यनुभाव शिक्षा, पर्यावरण से जुड़ी शिक्षा जनसंख्या, कुपोषण, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा आदि विषय भी एम. एड. के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर दिये गये।

छात्र शिक्षक को समुदाय के साथ मिलकर ऐसे प्रोग्राम उनके स्थान पर जाकर चलाने की अपेक्षा की गई जो समुदाय के उत्थान में आवश्यक है। शिक्षक प्रशिक्षक को एक समन्वयक की हैसियत से यह प्रोग्राम अपने छात्र शिक्षकों की टोलियां बनाकर पास के किसी समुदाय में जाकर चलाने थे। इस प्रकार को प्रोग्राम 20 प्रतिशत समय पाठ्यचर्चा देने का सुझाव दिया गया।

निम्नलिखित तालिका एम. एड. तथा एम. फिल. प्रोग्राम (शिक्षा के पाठ्यचर्चा को दर्शाती है।

तालिका

विषय 1	एम. एड. 2	एम.(शिक्षा) 3
अ पेडोगोलोजीकल सिद्धान्त	1 आधारभूत पाठ्यक्रम (20%)	उनको इस कोर्स की आवश्यकता नहीं जिन्होंने एम. एड. अथवा शिक्षा विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली है।
2 अनुसंधान संबंधी	कोर्स (20%)	2. अनुसंधान संबंधी कोर्स (50%)
ब स्पैशलाईजेशन (विशिष्टीकरण)	3 सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम (60%)	सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम किसी एक विषय में

		जिसका विशिष्टीकरण करना है।(60%)

शिक्षा में एम फिल के बाद पी.एच.डी. के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इससे शिक्षक प्रशिक्षक का व्यावसायिक विकास होगा।

1539 - 1986 की नई शिक्षा नीति शिक्षक प्रशिक्षक प्रशिक्षण में सुधार के नये प्रयास

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में शिक्षा सुधार के साथ-साथ शिक्षक प्रशिक्षक प्रशिक्षण के सुधार एवं गुणवत्ता की दृष्टि से नयी पाठ्यचर्या का प्रादुभाव हुआ। 1986 में फिर 1986 में फिर 1987 के शिक्षक प्रशिक्षक एवं शिक्षक शिक्षा की पाठ्यचर्चा का अवलोकन किया गया तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान सम्बन्धी पुस्तकें प्रकाशित की। इसमें विस्तार से प्राथमिक शिक्षक पाठ्यक्रम तथा माध्यमिक शिक्षक पाठ्यक्रम की रूपरेखा दी गई है। इन दस्तावेजों के शीर्षक इस प्रकार है।

1 ऐलोमैन्टरी टीचर एजूकेशन कैरीकुलम गाईड लाइनस एवं सलैबस (1991)

2 सैकंड्री टीचर एजूकेशन कैरीकूलम गाईड लाइनस एवं सलैबस (1991)

व्यवस्था की दृष्टि से 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक प्रशिक्षक में दो महत्वपूर्ण प्रोग्राम का यहाँ बताना आवश्यक है-

1 जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान - ये संस्थान शिक्षक प्रशिक्षक के लिये क्रियात्मक

अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित करेंगे तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण का भी अवसर प्रदान करेंगे। 2 दुसरा है - कुछ प्रतिष्ठित शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों को इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवास स्टेडी इन एजुकेशन में परिवर्तन करना। इन दोनों प्रकार की व्यवस्था एवं पाठ्यचर्चा के नये आयाम और व्यावहारिक एवं प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम से सेवाकालीन प्रशिक्षण और अधिक सुदृढ़ होगा। 1992 की संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात का विशेष जिक्र किया गया है कि शिक्षक प्रशिक्षक महाविद्यालयों को विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभाग के कार्यक्रम से और अधिक जोड़ना है। और इसके लिए आवश्यक व्यवस्था एवं संसाधन जुटाये जायेंगे। एन.सी.टी.ई. को अधिक सक्रिय एवं सशक्त जायेगा।

15.3.10 शिक्षक प्रशिक्षक प्रशिक्षण में नये प्रोग्राम

1978 में लगातार शिक्षक प्रशिक्षक प्रशिक्षण में नये कार्यक्रम जुड़ते जा रहे है। इनमें कुछ उल्लेखनीय है।

स्पेशल इनरिचमैट कोर्स इन केन्टेन्ट कम मैथड़ोलोजी (विज्ञान विषयों में विशेष)

- मध्य शिक्षण
- शिक्षण मण्डल
- जनसंख्या शिक्षा
- पर्यावरण शिक्षा
- महिला शिक्षा
- प्रौढ़ शिक्षा
- अनौपचारिक शिक्षा

- मल्टरग्रेड टीचिंग
- कमजोर वर्ग हेतु शिक्षा
- विकलांगों हेतु शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा मूल्य शिक्षा

विश्वविद्यालयों में विशेष प्रकोष्ठ खेले गये है जो समय समय पर संगोष्ठियाँ, कार्यशाला आदि का आयोजन करते है। विश्वविद्यालयों में प्रौढ़ शिक्षा के लिए अलग से डाईरेक्ट्रेट खोले गये है जो प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करते है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) के कार्यान्वयन के लिये "एकैडिमिक स्टाफ कॉलेज" की स्थापना की गई है जहाँ पर सुव्यवस्थित ढंग से विभिन्न विषयों में सेवाकालीन प्रशिक्षण शिक्षक प्रशिक्षक को दिए जाते है।

स्वमूल्यांकन

अब तक आपने जो सीखा उसका मूल्यांकन निम्न प्रश्नों का उत्तर देकर कीजिए-

(1) निम्न प्रश्नों का उत्तर विस्तार से दो-

1 शिक्षक प्रशिक्षक के उन्नयन के संबंध में कोठारी कमीशन की क्या संस्तुतियाँ है?

2 नई शिक्षा नीति (1986) में शिक्षक प्रशिक्षक में उन्नयन हेतु क्या प्रयास किए गए है?

3 शिक्षक शिक्षा हेतु वित्त की व्यवस्था कैसे की जाए ?

(2) निम्न कथन सही है या गलत

1 एम. एड. को पाठ्यचर्चा में ''व्यावहारिक पक्ष" के पाठ्यक्रम पर जोर दिया गया है।( )

2 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईटस) की स्थापना 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद हुई है।( )

3 शिक्षक प्रशिक्षक को प्रारंभिक शैक्षित डिग्री के प्राप्त करने के बाद सेवाकालीन प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है।( )

4 सभी शिक्षा महाविद्यालयों को इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टैडी इन ऐजूकेशन में परिवर्तन करना है। ( )

5 1992 की संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक प्रशिक्षक के प्रशिक्षण में सुधार का उद्घोषणा की गई है। ( )

15.4 शिक्षक प्रशिक्षक के प्रशिक्षण की कुछ समस्याएँ

अनुपयुक्त विधियों एवं प्रविधियों का प्रयोग किया जाना -

- अनुपयुक्त पाठ्यक्रम का होना;
- धन के अभाव के कारण संगोष्ठियाँ एवं कार्यशालाओं का आयोजन समुचित तरीके से आयोजित नहीं का होना;
- विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभाग तथा अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों के कार्यक्रमों में तालमेल की कमी;
- उद्देश्यों के विशिष्टीकरण की कमी होना;

- इच्छा-शक्ति की कमी होना;
- अपर्याप्त मूल्यांकन की प्रविधियों का होना;
- संस्थागत समस्याएँ होना;
- अध्यापक प्रशिक्षकों में उचित शैक्षिक गुणवत्ता न होना;
- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों का अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालयों के साथ भी
- समन्वय का अभाव; और
- अनुवर्ती कार्यक्रमों की कमी होना।

15.5 समस्याओं का निदान

सुयोग्य विशेषज्ञों की नियुक्ति - अध्यापक प्रशिक्षकों अपने विषय में पारंगत होने चाहिए ताकि वे भावी अध्यापकों को उत्तम शिक्षण प्रविधियों से अवगत करा सकें।

ग्रीष्मकाल संस्थाओं का गठन - प्रशिक्षण संस्थाओं के स्टाफ को सेवाकालीन शिक्षा प्रदान करने के लिए ग्रीष्मकालीन संस्थाओं की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।

सुविधाओं में विस्तार- प्रशिक्षण सुविधाओं में इस प्रकार विस्तार किया जाना चाहिए कि एक वर्ष में प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या अगले वर्ष के लिए आवश्यक अध्यापकों की मांग के बराबर हो।

अंशकालिक सुविधाएं - जहां तक संभव हो सके प्रशिक्षण संस्थाओं में पूर्णकालिक प्रशिक्षण सुविधाओं की ही व्यवस्था होनी चाहिए।

वेतनमान में वृद्धि - आर्थिक रूप से सरकार ने काफी सराहनीय कदम उठाए हैं। पांचवे वेतन आयोग के अनुरूप अध्यापकों के वेतनमान में वृद्धि हुई है और शीघ्र ही छठे वेतन आयोग के लागू होने की आशा है, जिससे आर्थिक रूप से अध्यापक प्रशिक्षकों को दर्जा बेहतर हो जाएगा।

मूल्य और आदर्श -- अध्यापक प्रशिक्षकों को अपने व्यवहार में वांछनीय मूल्यों एवं आदर्शो का क्रियात्मक रूप देना होगा ताकि समाज मे इनका मान स्थापित हो सके।

ज्ञान एवं मूल्यांकन विधियों में सुधार - अध्यापक प्रशिक्षकों को शिक्षण की नई तकनीकों व मूल्यांकन विधियों जैसे सूक्ष्म, अध्यापन माइक्राक टीचिंग, मूल्य शिक्षा, बाल केन्द्रित उपागम, समूह अध्यापन आदि अवगत कराया जाए।

अध्यापक प्रशिक्षकों को अभिनव पाठ्यक्रम इत्यादि के द्वारा नवीन पाठ्यक्रम का ज्ञान दिया जाए। इस संदर्भ में शैक्षिक स्टाफ महाविद्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। खेद की बात है कि इन पाठ्यक्रमों में वही भाषा एवं सामग्री का प्रयोग होता है, जिससे पाठ्यक्रम का प्रभाव कम हो जाता है। विश्वविद्यालय / विभाग को इस और ध्यान देना चाहिए।

अन्य विभाग शिक्षा विभाग की उपेक्षा करते हें। प्रशासक भी शिक्षा विभाग की उपेक्षा करते हैं। उनको महाविद्यालय के अन्य विभाग से पृथक मानते हैं। यह दृष्टिकोण अध्यापक शिक्षा के विकास में बाधक रहता है जबकि अध्यापक शिक्षा में परिवर्तन और उसकी समस्याओं पर शोध करना इन्हीं का उत्तरदायित्व है। शिक्षा विषय को शैक्षिक तथा व्यावसायिक रूप में

सम्मिलित करने ओर अन्त: विषयक उपागम को बढ़ावा देने से विश्वविद्यालय स्तर पर अध्यापक शिक्षा के अलगांव की समस्या को दूर किया जा सकता है।

- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण द्वारा चलाए गए नवाचारित कार्यक्रम
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न वर्गो के अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस संगठन का अध्यापक शिक्षा विभाग विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित व संगठित करता है -
- ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम
- संगोष्ठि अथवा सेमिनार
- दृश्य-श्रव्य शिक्षा
- शैक्षणिक एवं व्यावसायिक शिक्षा

उपरोक्त विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित पत्राचार पाठ्यक्रम की व्यवस्था भी विगत वर्षों में की है।

15.5.1 शिक्षक प्रशिक्षक व्यावसायिक विकास तथा इसके गुणात्मक सुधार हेतु राष्ट्रीय शैक्षित अनुसंधान परिषद् का योगदान

सेवा पूर्व और सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में गुणात्मक सुधार करना रा. शै. अ प्र. प. का मुख्य कार्य रहा है। इस संबंध में अपने दायित्व को निभाने के लिए परिषद के पिछले वर्षो में सेवा पूर्व और सेवा कालीन अध्यापक शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया है जिनके विषय में हम यहाँ विवरण देना आवश्यक समझते है।

परिषद 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दिशा निर्देशक को सार्थक रूप में कार्यान्वयन के लिए 1987 और 88, 1988-1990 तथा 1989-90 तथा 1990-1991 में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए है।

अनुसंधान सम्बन्धी

1 अनुसंधान प्रोग्रामों की योजना और इसकी रूपरेखा तैयार करना।

2 प्राथमिक अध्यापकों में शैक्षिक अनुसंधान के प्रोत्साहन संबंधी कार्यशाला।

3 मॉडल ऑफ टीचिंग से संबंधी शोध की रपट।

4 सभी स्कूलों स्तर के अध्यापकों की वृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सम्बन्धी शोध की रफट। इस अध्ययन के अनुसार: पूर्व प्राथमिक शिक्षक स्तर के अध्यापकों में 50 प्रतिशत के लगभग अभी भी बिना किसी वृतिक शिक्षा के अध्ययन का कार्य करते है। इसके साथ-साथ अब भी भारतीय शिक्षक की आर्थिक स्थिति वेतनमान कम होने के कारण कमजोर है।

5 अभिनव प्रयोगों के प्रोत्साहन के लिए परिषद् शिक्षक शिक्षा के प्राध्यापकों तथा शिक्षकों के लिए प्रतिवर्ष प्रतियोगिताएं आयोजित करती है। आल इंडिया कम्पीटीशन ऑफ सेमीनार रीडिग प्रोग्राम के अन्तगर्त 30 प्राध्यापकों को प्रतिवर्ष 1000 रूपया नकद परितोषिक तथा प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसमें से 20 प्राथमिक स्तर के तथा 10 उच्चतम स्तर की शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के प्राध्यापकों के लिए आरक्षित है।

विकास संबंधी कार्यक्रम

एन. सी. ई. आर. टी. ने पिछले वर्षो में ऐसी संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का भी आयोजन किया है। शिक्षक शिक्षा के विकास कार्यक्रमों से संबंधित रहे हे इनमें कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस प्रकार है।

1 शिक्षक शिक्षा के पाठ्यचर्या के संशोधन हेतु विशेषज्ञों की गोठियां
2 प्राथमिक शिक्षक शिक्षा की संस्थानों के लिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण विधि के लिए अनुदेशी सामग्री का विकास करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन।
3 सामाजिक अध्ययन की पठन-पाठन प्रक्रिया के लिए "प्रश्न बैंक" से संबंधी कार्यशालाओं का आयोजन
4 गणित मूल्यांकन की विधियों के विकास हेतु कार्यशालाओं का आयोजन
5 भाषा विज्ञान के तंत्र विकास हेतु कार्यशालाओं का आयोजन।
6 सामाजिक अध्ययन की शिक्षक विधि से संबंधित कार्यशाला।
7 अंग्रेजी भाषा की शिक्षण विधि से संबंधित कार्यशाला।
8 शैक्षिक प्रोद्योगिकी विषय में पाठ्यक्रम एवं मार्गदर्शन हेतु अनुदेशी सामग्री विकास कार्यशालाओं का अयोजन।
9 "बढ़ते भारत में शिक्षा" के पाठ्यक्रम एवं मार्गदर्शन हेतु सामग्री विकास कार्यशालाओं का आयोजन।
10 "डाइट" के प्राध्यापक एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण सामग्री विकास कार्यशालाओं का आयोजन।
11 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के शिक्षण विधि से संबंधी कार्यक्रम।
12 स्तर-संगत विशेषज्ञता -अध्यापक कार्य
13 प्रथम भाषा के रूप में हिन्दी शिक्षण
14 कार्य अनुभव शिक्षण
15 क्रियात्मक (क्षैत्रीय कार्य)
16 कला शिक्षा शिक्षण

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा संस्थान द्वारा तैयार की गई प्रारम्भिक और माध्यमिक अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्चा की रूपरेखा पर आधारित मार्गदर्शी सिद्धांत और पाठ्यों का विकास" परियोजना पर कार्य चल रहा है। परिषद् ने अध्यापक शिक्षा पुन: संरचना और पुनर्गठन पर केन्द्रीय प्रायोजित सहायता दी है।

परिषद् केन्द्रीय प्रायोजित अध्यापक शिक्षा की पुन: संरचना और पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को तकनीकी सहायता देती आ रही है।

विद्यालय अध्यापकों का सामूहिक अभिविन्यास कार्यक्रम (पी. एम. ओ एस. टी.) के प्रभाव का एक राष्ट्रीय मूल्यांकन अध्ययन विश्वभारती (शक्ति निकेतन) एन. ई. एच. यू., मिजोरम, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय भुवनेश्वर, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर और पांडिचेरी विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया।

प्रशिक्षक एवं विस्तार सेवाओं सम्बन्धी कार्यक्रम

परिषद् ने अध्यायक शिक्षा में नये आयामों के परिवेश में भी प्रशिक्षण एवं अभिविन्यास कार्यक्रम किए है। पिछले कुछ वर्षो में "विशेष शिक्षा कार्यक्रम" के अन्तर्गत बड़े स्तर पर प्रशिक्षण एवं विस्तार सेवाएं प्रदान की है। इसके अतिरिक्त कुछ और प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार है।

1 माइक्रो टीचिंग
2 बढ़ते भारत में शिक्षा
3 मूल्य-शिक्षा
4 पी. एम. ओ एस. टी.
5 मॉडल ऑफ टीचिंग
6 सैनिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम
7 भारतीय रेलवे के विद्यालय अध्यापकों के मार्गदर्शन के लिए संसाधन व्यक्तियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम।
8 जिला शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम
9 प्राथमिक स्तर पर पाठ्य विवरण के अध्यापन के लिए बाल के केन्द्रीय उपागम स्पष्ट करने के लिए शिक्षण माडलों का अनुकूलन

विशेष शिक्षा में बहु वर्षीय प्रशिक्षण

परियोजना क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों के उप क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र के अध्यापकों के लिए बहु वर्षीय प्रशिक्षण की आवश्यकता है। ये अध्यापक विशेष कोशलों जैसे ब्रेल पठन, लेखन, अभिविन्यास और गतिशीलता, भाषा और भाषण बच्चों के दैनिक जीवन की कुशलता में प्रशिक्षण देते है। वे सामान्य अध्यापकों और अभिभावकों को उनके क्षेत्र में सहायता भी प्रदान करते है। एक -एक वर्षीय बहु वर्गीय प्रशिक्षण कार्यक्रम क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय अजमेर, भौपाल और भुवनेश्वर में किया गया।

विशेष शिक्षा प्रचार प्रसार

विशेष शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा विकसित अनुदेशी सामग्री और संघ शासित क्षेत्रों के सभी विकलांगों के लिए संघटित शिक्षा प्रकोष्ठों जैसे राष्ट्रीय विकलांग संस्थान और उनके क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों, अध्यापक शिक्षा और प्रशिक्षण महाविद्यालयों को प्रदान की गई।

मूल्यांकन प्रश्न

निम्न प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दे।

1 "समुदाय के साथ काम करने" के अनुभव को पाठ्यचर्चा में क्यों जोड़ा गया है?
2 शिक्षक प्रशिक्षक के प्रशिक्षण में आने वाली समस्याओं की सूची बनाइए।

नीचे दिए गये कथन में सही के सामने सही का तथा गलत के गलत का सामने का निशान लगाए।

1 1952 के माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षक प्रशिक्षक की शैक्षिक योग्यता में वृद्धि की सिफारिश की ( )

2 दी नेशनल काउनसल फार टीचर एजूकेशन (एन. सी. टी. ई.) "शिक्षक शिक्षा" के पाठ्यचर्चा में सुधार की सिफारिश की ( )

3 एन. सी. टी. ई. की सिफारिश सभी विश्वविद्यालयों को मान्य है। ( )

4 टीचर एजूकेशन कैरीकूलम - एक फ्रेम वर्क (1978) के अनुसार शिक्षक शिक्षा को "समुदाय के साथ काम करने की" पठन पाठन की नई प्रक्रिया के साथ जोड़ दिया गया है। ( )

5 सभी विश्वविद्यालयों ने शिक्षा विषय की एम. फिल. की डिग्री अनिवार्य कर दी है। ( )

15.6 संदर्भ ग्रंथ

1	मुकर्जी एस. एन. (1968)	एजूकेशन टीचर्स इन इंडिया वो. 1 नई दिल्ली एस. चाँद एंड क अध्याय 13, 15, 23
2	उदयशंकर(1984)	एजूकेशन ऑल इंडियन टीचर्स नई दिल्ली, स्ट्रेलिंग पब्लिशर्स अध्याय 14
3	केयरनस जोजूफीन (1989)	"इनकलकेटिंग टीचर अवेयरनस ऑफ मोरल एजूकेशन, पेस्टोरल केयर, एंड हयुमैन डेवैलपमेन्ट इन एडवांसीज एन टीचर ऐजूकेशन" की. वी. एलन मैकलैण्ड एंड वेद पी. वर्मा, स्टलैज पृष्ठ सं. 104
4	पैलायन पैरी (1989)	टीचर अवेयरनेस ऑफ दी इकोनोमिक फाउंडेशनस ऑफ ए फ्री सोसाइटी उपर्युक्त उद्वरत : पृष्ठ सं. 141
5	एन. सी. ई. आर. टी. (1978)	"टीचर ऐजूकेशन कैरीकुलम गाइड लाइन्स एंड स्लैबस।"
6	गर्ग वी. पी. (1991)	ऐजीमेटरी टीचर ऐजूकेशन कैरीकुलम लाइन्स एंड स्लैबस।
7	गर्ग वी. पी. (1990)	डिवलैपमेंट प्रेस्पेक्टीव ऑफ इंडियन ऐजूकेशन: नई दिल्ली, मैट्रोपोलिटन बुक कम्पनी, अध्याय 9
8	मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार (1992)	नैशनल पालिसी ओन ऐजूकेशन -1986(संसोधित 1992) अध्याय9 पृष्ठ 43

इकाई 16

शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशासनिक मुद्दे
Issues Related Administrations of Teacher Education Institutions

इकाई की संरचना

16.0 लक्ष्य एवं उद्देश्य
16.1 प्रस्तावना
16.2 अध्यापक प्रशिक्षणशालाओं में प्रशासनिक मुद्दों का स्वरूप
16.3 सामान्य मुद्दे
16.4 भौतिक सुविधाओं से संबंधित मुद्दे
16.5 अकादमिक मुद्दे
16.6 प्रबंध से जुड़े मुद्दे
16.7 आर्थिक पक्ष से संबंधित मुद्दे
16.8 अध्यापक प्रशिक्षणशालाओं में प्रशासनिक सुधार हेतु कुछ नये कार्यक्रम
16.9 समाहार
16.10 संदर्भ ग्रंथ

16.0 लक्ष्य एवं उद्देश्य

आशा है कि इस ईकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य होंगे कि -

- अध्यापक प्रशिक्षणशालाओं के सामान्य मुद्दे व भौतिक सुविधाओं से संबंधित मुद्दों से परिचित हो सकेंगे।
- अकादमिक तथा प्रबंध तंत्र से जुड़ी समस्याओं को समझ सकेंगे।
- प्रशिक्षणशालाओं में व्यावसायीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के कारणों को जान सकेंगे।
- इन समस्याओं के सुधार किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

16.1 प्रस्तावना

वर्तमान में अध्यापक प्रशिक्षणशालाओं के सामने न केवल, अपनी अकादमिक गुणवत्ता को बनाए रखने की चुनौती है, अपितु, भौतिक आर्थिक तथा प्रबंध में नित नई समस्याएं खड़ी हो रही है। यदि प्रशिक्षणशालाएं उत्तम नहीं होगी, तो शिक्षक उत्तम नहीं होगें और कमजोर शिक्षक समाज को घुन की तरह खाकर अंदर से खोखला कर देता है। अत: जहाँ शिक्षकों का निर्माण होता है, उन शालाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा करना यही पर काफी समाचीन होगा।

16.2 अध्यापक प्रशिक्षणशालाओं में प्रशासनिक मुद्दों का स्वरूप

अध्यापक प्रशिक्षणशालाओं में प्रशासनिक मुद्दों के स्वरूप को हमें निम्नलिखित पक्षों में विभाजित कर सकते है।

- सामान्य मुद्दे
- भौतिक सुविधाओं से संबंधित मुद्दे
- अकादमिक मुद्दे
- प्रबंध से जुड़े मुद्दे
- आर्थिक पक्ष से जुड़े मुद्दे

16.3 सामान्य मुद्दे

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1949), माध्यमिक शिक्षा आयोग (1953) माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों पाठ्यचर्चाओं से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मण्डली (1954), शिक्षा आयोग (1964 - 66), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ने अध्यापक प्रशिक्षणशालाओं के गुणवत्ता सुधार की महत्ता पर टीका टिप्पणी करते हुए अपने सिफारिशें की। इन सिफारिशों में प्राय: उन सभी पहलुओं की ओर ध्यान दिलाया गया जिससे अध्यापक प्रशिक्षण पर यथेष्ट प्रभाव पड़ता है। इन आयोगों और उनके द्वारा दिए गये नीति निर्देशों में कुछ महत्वपूर्ण सामान्य मुद्दे इस प्रकार है

- शिक्षा आयोग (1964-66) ने वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करते हुए सामान्य मुद्दे इस प्रकार उठाए।
- "यदि हम थोड़े से उपवादों को छोड़ दें तो, सामान्यत: शिक्षणशालाएं मध्यम या घटिया कोटी की होती है। योग्य अध्यापक इन शालाओं में आने का उत्सुक नहीं होते। पाठ्यक्रम और कार्यक्रम अधिकतर परंपरागत होते है, अत: उनमें न तो सजीवता होती है और न वास्तविकता ही। शिक्षण के अभ्यास के लिए नीरस तकनीकें और परंपरा मुक्त पद्धतियाँ अपनाई जाती है, आज की आवश्यकताओं और प्रयोजनों का कुछ भी ध्यान नहीं रखा जाता है"।
- इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के जीवन से इन प्रशिक्षणशालाओं को अलगाव है, इसी तरह उनका स्कूलों से भी अलगाव है। विविध प्रकार की अध्यापक संस्थाओं में परस्पर भी कोई संपर्क नहीं होता और वे एक ही शरीर के विविध अंग नहीं प्रतीत होती।

16.4 भौतिक सुविधाओं से संबंधी मुद्दे

1988-89 में देश में 485 शिक्षक प्रशिक्षक तथा 992 शिक्षक प्रशिक्षण स्कूल थे। इनमें छात्रों के दाखिले की संख्या क्रमश: 91, 017 (बी. एड.बी. टी.) 1,00,545 (स्कूली शिक्षक प्रशिक्षणार्थी) थी।

जहाँ तक भौतिक सुविधाएं (भवन, छात्रावास, प्रयोगशाला, लाईब्रेरी, कार्यशाला, खेल का मैदान, और अन्य सुविधाएं आदि) का प्रश्न है, ये सुविधाएं अपर्याप्त है। 1982 - 83 और फिर 1986 में किए सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हो जाता है कि भौतिक सुविधाओं की कमी के कारण शिक्षक प्रशिक्षणशालाओं में गुणवत्ता इतनी अधिक नहीं हो सकती जितनी होनी चाहिए। यहाँ

इस तथ्य को और ध्यान दिलाना आवश्यक है कि 70 प्रतिशत के लगभग शिक्षक प्रशिक्षक कॉलेज निजी क्षेत्र के प्रबंध के अंतर्गत आते है और 30 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र के प्रबंध में। इसके विपरीत शिक्षक प्रशिक्षक स्कूलों में निजी क्षेत्र के प्रबंध का 35 प्रतिशत तथा सरकारी क्षेत्र में यह प्रतिशत 65 है। कुछ निजी संस्थानों में कमजोर प्रबंध तथा भौतिक सुविधाएं की कमी स्पष्टतया दिखाई देती है। इन संस्थाओं को एक तरह से "व्यावसायिक दृष्टि" से चलाया जा रहा है, इस तरह टिका टिप्पणी समाचार पत्रों में प्राय: देखने को मिलती है।

निर्देशन या प्रयोगात्मक स्कूली तथा अन्य सुविधाओं का अभाव -

अच्छे प्रशिक्षक के लिए प्रयोगात्मक स्कूलों का अभाव है। इसके अलावा शिक्षक प्रशिक्षणशालाओं में भौतिक रूप से पुस्तकालय प्रयोगशाला छात्रावास, शिक्षक एवं प्रिसिफल के आवास व्यवस्था की ही कमी नहीं अपितु इन भवनों के रखरखाव, बिजली, पानी, शौचालय आदि की कमी महसूस होती है। इसके अतिरिक्त पुस्तकालयों एवं प्रयोगशालाओं में धन की कमी के कारण नई पुस्तकें समाचार पत्रों, शोध लेख, दृश्य उपकरण एवं अन्य उपकरणों आदि की भी कमी है।

16.5 अकादमिक मुद्दे

अकादमिक मुद्दों में मुख्य रूप से निम्नलिखित विषय विचारणीय है।

- अध्यापकों की वृत्तिक शिक्षा की गुणवत्ता।
- पाठ्य चर्चाओं में संसोधन।
- विशेष पाठ्य और कार्यक्रम।
- छात्र शिक्षकों के प्रवेश संबंधी मुद्दे।
- अध्यापकों को अन्त: सेवा शिक्षा संबंधी।

आइए इन बिन्दुओं को थोड़ा सा विस्तार से समझ लें।

16.5.1 अध्यापकों की वृत्तिक शिक्षा की गुणवत्ता

शिक्षा आयोग रिर्पोट (1966) के अनुसार प्रशिक्षणशालाओं में वृत्तिक शिक्षा का स्तर तुलनात्मक दृष्टि से नीचा रह जाने के दो मूलभूत दोष बताए हैं -

1 भारतीय परिस्थितियों की विशिष्ट समस्याओं पर शोध की कमी।

2 फिर अध्यापक-प्रशिक्षकों में इस बात की प्रवृत्ति कि वे सामान्य सिद्धान्त और विस्तारों का ही अधिक विवेचन करते है। भारत के अनुरूप शिक्षा शास्त्र और शिक्षा विज्ञान को उत्कृष्ट मौलिक पुस्तकें है ही नहीं इस प्रकार की पुस्तकों का अभाव एक बड़ा दोष है क्योंकि प्राथमिक स्तर का अध्यापक पर्याप्त अंग्रेजी नहीं जानता और ऐसी घटिया मार्गदशिका का उपयोग करने के लिए बाध्य हो जाता है जो उसे परीक्षा पास करने के लिए सहायक होती है।

16.5.2 पाठ्य चर्चाओं में संसोधन की आवश्यकता

विकासमान शिक्षा पद्वति के विविध दायित्वों के अनुरूप अध्यापकों को तैयार करना हमारा मूलभूत लक्ष्य है अत: इसी दृष्टि से इन पाठ्य चर्चाओं का संशोधन आवश्यक है। यह संशोधन प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के शिक्षण प्रशिक्षण दोनों के लिए आवश्यक है।

आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षक को वृतिक और सामान्य दोनों ही तरह की शिक्षा में यह सामर्थ्य होना चाहिए कि वह छात्र को इस योग्य बना दें कि वह सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और औद्योगिक शक्तियों के उस स्वरूप को ठीक समझ सकें जो वर्तमान भारतीय समाज को बदल रहा है और इन समस्याओं को भी समझ सकें जो इस परिवर्तन से उत्पन्न होगी।

पाठ्य चर्चाओं में संसोधन करना इतना कठिन कार्य नहीं जितना इस संशोधित पाठ्यचर्चा में निहित भावना का आत्मसात करना है। शिक्षक प्रशिक्षणशालाओं को इस तथ्य को भली भांती समझना है। इसके लिए यह आवश्यक है कि इन संस्थाओं को अध्यापक शिक्षण से संबंधित अध्यापकों की समिति का संगठन करना होगा जो फिर राज्यस्तर पर अग्रणी शिक्षक प्रशिक्षक संघ का प्रतिनिधित्व कर सकती है।

16.5.3 विशेष पाठ्यक्रम और कार्यक्रम

इस संबंध में आवश्यकता तीव्रता को ध्यान में रखते हुए विशेष पाठ्यक्रम और कार्यक्रम का प्रश्न भी सामने आता है।

पाठ्यक्रमों का उच्चतर स्तर की वृतिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। उनमें उस गहनता और मूल गृहिता को समाविष्ट करना है जो शिक्षा विषय के लिए आवश्यक है।

शिक्षा आयोग (1964-66) तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, (1986) की सिफारिशों के कार्यान्वयन के साथ-साथ स्नातकोत्तर तथा स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में काफी परिवर्तन आये हैं। इन परिवर्तनों के कारण है कि "शिक्षक शिक्षण" एक वृतिक कार्यक्रम है। जिसमें अध्यापक में वृतिक ज्ञान, समझदारी, मनोवृत्ति मूल्य, कौशल और अभिरूचि आदि बातों से जुड़े प्रश्न होते है। इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए शिक्षक प्रशिक्षण के पाठ्यचर्चा में मुख्यत: निम्नलिखित खण्ड हैं।

1 मूलभूत पाठ्यक्रम - इस पाठ्यक्रम में शिक्षा-विषय के दार्शनिक सामाजिक और मनौवैज्ञानिक आधारभूत सिद्धान्तों को विविध स्तर के समक्षता को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

2 स्कूली स्तर की समक्षता के अनुसार विशिष्टीकरण - पाठ्यक्रम में वह वृतिक विशिष्टीकरण की इकाईयां होगी जो शिक्षक में "व्यावहारिक कौशल" उन्नत करेंगी।

3 व्यावहारिक प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम - वे सभी व्यावहारिक प्रशिक्षण के कार्यक्रम है जिनको छात्र-शिक्षण सीधे समुदाय के उन्नत कार्यक्रमों में प्रतिभागी बनकर व्यावहारिक रूप से सीखेंगे।

बाद में दोनों पाठ्यक्रम (2, 3) में नये-नये विषय जैसे प्रौढ़ शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा (प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर आदि), अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति शिक्षा, विशेष

शिक्षा समन्वित एवं एकाकी रूप से, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा, शैक्षिक प्रोद्योगिकी, क्रियात्मक अनुसंधान कम्प्यूटर शिक्षा, फील्ड कार्यक्रम, समुदाय प्रोजेक्ट आदि की व्यावहारिक शिक्षा आदि सम्मिलित हैं।

इस प्रगतिशील पाठ्यक्रम की सार्थकता की दृष्टिकोण में रखकर शिक्षक प्रशिक्षणशालाओं के स्तर के अनुसार तीन भागों में बांटा गया है।

1 प्राथमिक स्तर के शिक्षक प्रशिक्षक के लिए जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं (डाइट्स) की स्थापना।
2 कॉलेज ऑफ टीचर ऐजूकेशन (माध्यमिक स्तर के लिए)
3 इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टेडीज इन ऐजूकेशन (विशिष्ट शिक्षण प्रशिक्षण)

16.5.4 छात्र - शिक्षकों के प्रवेश संबंधी मुद्दे

शिक्षक प्रशिक्षक में छात्र शिक्षकों को प्रवेश देने में "प्रवेश परीक्षण" कोई मापदण्ड नहीं है। सैद्वान्तिक दृष्टि से वे ही छात्र प्रशिक्षणशालाओं में दाखिल होने चाहिए जिनमें अध्यापक बनने की प्रतिभा हो और मनोवृति भी। बहुत से छात्र तो शिक्षक प्रशिक्षण में प्रवेश पाकर भी दूसरी नौकरी मिलते ही छोड़ जाते है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जिन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण की डिग्री भी ले ली है, शिक्षक न बनकर दूसरे किसी और व्यवसाय में चले जाते है। यह राष्ट्र के हित में भी नहीं है और उस युवा तथा संस्था के हित में भी नहीं होता है।

16.5.5 अध्यापकों की अन्त: सेवा संबंधी मुद्दे

अध्यापन एक कला है। अध्यापन की पठन-पाठन प्रक्रिया में सतत परिवर्तन हो रहे है। अभिनव, नये आयाम एवं विशेष विषयों के प्रशिक्षण एवं नई पठन-पाठन पद्धतियों की जानकारी और उसमें दक्षता प्राप्त करने के लिए स्वाभाविक हो जाता है कि अध्यापकों की अंत: सेवा भी बराबर होती रहनी चाहिए। इस अन्त सेवा में निम्नलिखित प्रकार प्रोग्राम आने चाहिए

1 अन्त: सेवा प्रोग्राम।
2 विशेष विषयों में अल्प अवधि के प्रशिक्षण।
3 कार्यशाला का व्यावहारिक प्रशिक्षण।
4 विचार गोष्ठियाँ तथा संगोष्ठियाँ।

अधिकतर शिक्षण प्रशिक्षकशालाओं में सेवाकालीन अध्यापकों के लिए अंत: सेवा के कार्यक्रमों का अभाव है। इन प्रशिक्षकशालाओं का प्रबंध एवं कार्यप्रणाली इस प्रकार की है कि अधिकतर शिक्षक-प्रशिक्षक इन अंत: सेवा कार्यक्रमों से वंचित रह जाते है। इन प्रशिक्षकशालाओं की विस्तार सेवा बहुत कमजोर है। बहुत सी प्रशिक्षाकशालाओं में तो विस्तार सेवा है ही नहीं। शिक्षक प्रशिक्षकों का स्कूली अध्यापकों से कोई सुदृढ़ रिश्ता रह नहीं पाता। इस का फल होता है कि "स्कूली व्यवस्था" तथा शिक्षक प्रशिक्षकशालाओं की व्यवस्था में व्यावहारिक समन्वय हो ही नहीं पाता। शिक्षा-विषयक शोध के परिणाम कक्षाध्यापक तक पहुंचने चाहिए और उसे नये प्रयोग करने में उनके प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

अध्यापकों की अन्त:सेवा सम्बन्धी मुद्दे

(ii) विशेष विषयों में अल्प अवधि के प्रशिक्षण - अध्यापन की पठन-पाठन प्रक्रिया में सतत परिवर्तन हो रहे हैं। विशेष विषयों के प्रशिक्षण की भी अति आवश्यकता है जैसे -

- मूल्य शिक्षा
- जनसंख्या शिक्षा
- महिला शिक्षा
- स्वास्थ्य शिक्षा
- मानव अधिकार शिक्षा
- व्यवसाय शिक्षा

(iii) कार्यशाला का व्यावहारिक प्रशिक्षण - कार्यशाला प्रविधि का प्रयोग क्रियात्मक पक्ष के विकास के लिए किया जाता है। कार्यशाला प्रविधि के प्रयोग से कुछ कार्य हाथ से करने के लिए प्रशिक्षण तथा अवसर दिया जाता है। कार्यशाला आयोजन में अध्यापक प्रशिक्षक व्यवसाय संबंधी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, शिक्षा एवं व्यवसाय संबंधी उद्देश्यों एवं विधियों का सामूहिक रूप से निर्धारण कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से भाग लेने तथा कार्य करने की योग्यताओं का विकास किया जा सकता है। शिक्षण की प्रभावशाली प्रविधियों एवं नए उपागमों का प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

ध्यान रहे कि स्त्रोत व्यक्ति विषय का पारंगत हो तथा प्रशिक्षार्थियों की नवीन उपागमों में रूचि होना आवश्यक है। साधारणत: कार्यशाला प्रविधि का कार्यकाल 3 दिन से 10 दिन तक रखा जाता है, परन्तु इससे अधिक भी हो सकता है।

इससे शिक्षण कौशल व व्यावसायिक क्षमताओं का विकास होता है। समूह में कार्य करने व सहयोग की भावना का विस्तार होता है। नवीन प्रत्ययों एवं उपागमों का ज्ञान होता है तथा उसकी प्रभावशीलता के मूल्यांकन का अवसर मिलता है। ध्यान रहे कि कार्यशाला में अनुकरण अवस्था न रहे ताकि सदस्यों को उसकी प्रभावशीलता का बोध रहे।

(iv) विचार गोष्ठियाँ एवं संगोष्ठियाँ - विचार गोष्ठी अनुदेशन की ऐसी प्रविधि है जिससे चिन्तन स्तर के आधिगम के लिए अन्त: क्रिया की परिस्थिति उत्पन्न होती है। इस प्रविधि को विभिन्न स्तरों पर अनुदेशन परिस्थितियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रविधि के द्वारा अध्यापक प्रशिक्षक में अपने दृष्टिकोण को प्रभावशाली तरीके से रखने का कौशल विकसित होता है। इस प्रविधि के अधोलिखित उपयोग हैं -

- प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है।
- शिक्षा के ज्ञानात्मक तथा भावनात्मक उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है।
- प्रस्तुतिकरण एवं तर्क करने की क्षमताओं का विकास होता है।
- स्वतंत्र अध्ययन को प्रोत्साहित करती है।
- आलोचनात्मक चिंतन का विस्तार होता है।

परन्तु इसके आयोजन में कुछ सीमाएँ हैं जिनको दूर करना चाहिए जैसे, सेमीनार के वाद-विवाद काल में निरर्थक ही दो समूह बन जाते है जिसे विजय या पराजय के रूप में ले लिया जाता है।

16.6 प्रबंधक से जुड़े मुद्दे

शिक्षक प्रशिक्षणशालाओं के प्रबंधक से जुड़े मुद्दों में विशेष रूप में हम निम्नलिखित का उल्लेख करना चाहेंगे।

- शिक्षक प्रशिक्षक की रोजगार भर्ती
- शिक्षक प्रशिक्षणशालाओं का सामान्य प्रबंधन

16.6.1 शिक्षक - प्रशिक्षक की रोजगार भर्ती

यह प्राय: देखने में आता है कि शिक्षक - प्रशिक्षक की रोजगार भर्ती में काफी ढील दी जाती है। अधिकतर शिक्षक प्रशिक्षणशालाएँ स्कूलों के शिक्षक प्रशिक्षण की शिक्षा से कुछ आवश्यकताओं में शिक्षक प्रशिक्षक के पास शिक्षा विषयक डिग्री (बी. एड. एवं एम. एड.) भी नहीं है। विज्ञान और गणित के विषयों के प्रशिक्षण इस श्रेणी में अधिक आते है। शिक्षा विषयक पाठ्यक्रम आज अधिक सुविकसित, वैज्ञानिक एवं तकनीकी कौशलाओं से परिपूर्ण है। अत: यह आवश्यक हो जाता है कि शिक्षक प्रशिक्षणशालाओं के अध्यापक शिक्षा विषयक डिग्री से प्रशिक्षित हों। अयोग्य और अवांछनीय लोगों की भर्ती को रोका जाना चाहिए।

16.6.2 शिक्षक - प्रशिक्षणशालाओं का सामान्य प्रबंधक

प्रबंधक के नये नये सिद्धांत और उनके व्यावहारिक माडल प्रबंध व्यवस्था सुधारने के लिए प्रतिपादित किए जा रहे है। यह विशेषकर ध्यान देने योग्य बात है कि यदि इन वृतिक संस्थाओं का प्रबंधक कमजोर होगा तो इसके परिणाम सुखद नहीं होंगे क्योंकि

- संचालकों का निहित स्वार्थ होता है अत: वे संस्थाओं को "व्यावसायिक दृष्टि" एवं लाभ कमाने की भावना से संचालित करते है।
- संचालक शिक्षाविद नहीं होते है अत: इन प्रशिक्षणशालाओं को शिक्षा विषयक समस्याओं के निराकरण में अपने अयोग्य पाते है।
- संचालन में राजनीति के प्रवेश के शिक्षण संस्थाओं की प्रतिष्ठा हास एवं इनके प्रबंधक में क्षीणता होती है।
- संचालन में शिक्षक वंद को प्रतिगामि न बनाने की प्रवृति बढ़ रही है। इससे उदासीनता की भी प्रवृति बढ़ रही है।

16.7 आर्थिक पक्ष से जुड़े मुद्दे

आर्थिक संसाधन की कमी के कारण ये प्रशिक्षणशालाएँ उद्देश्य पूर्ति में अपने को असमर्थ पाती है। धन की कमी के कारण कुछ इस प्रकार की समस्याएं इन प्रशिक्षणशालाओं के सामने आती है।

- वे भौतिक सुविधाएं नहीं जुटा पाते।
- अच्छे शिक्षक प्रशिक्षक भर्ती नहीं कर पाते।
- अकादमिक कार्यक्रम पूर्ण सुचारू रूप से नहीं चला पाते।
- अंत: सेवा का प्रयोजन नहीं कर पाते।

- विस्तार सेवाएं एवं शिक्षा विषयक शोध का अभाव रह जाता है।
- प्राय: प्रथम डिग्री (बी. एड. तक) के कोर्स व्यावहारिक दृष्टि से कर पाते है। एम एड. कोर्स चलाने के लिए असमर्थ और उदासीन होते हैं।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

अब तक आपने जो सीखा उसका मूल्यांकन निम्न प्रश्नों का उतर देकर कीजिए।

(1) लघु प्रश्न

1 अध्यापक प्रशिक्षणशालाओं के मुख्य चार प्रशासनिक मुद्दे क्या है?

2 भौतिक सुविधाओं से जुड़े कोई दो मुद्दे समझाइये।

3 अध्यापक की वृतिक शिक्षा को गुणवत्ता क्यों आवश्यक है।

4 पाठ्य चर्चाओं में संसोधन की क्यों आवश्यकता पड़ती है?

5 छात्र-शिक्षकों के प्रवेश संबंधी क्या मुद्दे हैं?

6 शिक्षक-प्रशिक्षक को अल्प-अवधि के विशिष्ट विषयों के प्रशिक्षण की आवश्यकता की व्याख्या कीजिए?

7 प्रशिक्षणशालाओं के सामान्य प्रबंधन में कौन से कारक बाधक हैं?

16.8 अध्यापक प्रशिक्षणशालाओं में प्रशासनिक सुधार हेतु कुछ नये कार्यक्रम

पिछले भाग में हमने आपको प्रशिक्षणशालाओं के कुछ प्रशासनिक मुद्दों एवं उससे जुड़ी समस्याओं का ब्यौरा दिया। इस भाग में हम इन मुद्दों से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु जो हाल में कदम उठाए है, उनकी संक्षेप में चर्चा करेंगे।

16.8.1 राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना

यह सर्वविदित है कि 1961 में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस परिषद का शिक्षक शिक्षा विभाग के कार्यक्रम शिक्षक शिक्षा (प्रारंभिक एवं सेवाकालीन) की गुणवत्ता में सुधार के लिए आयोजित किये जाते हैं। इसके लिए इस विभाग के विशेष रूप से प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक-शिक्षा के नये पाठ्य चर्चा एवं पाठ्यक्रम राष्ट्र के लिए प्रस्तुत किए है। ये सब कार्यक्रम दो नेशनल काउनसिल फॉर टीचर ऐजूकेशन (एन. सी. आर. टी.) के तत्वधान में प्रतिपादित किए है। जिनमें निम्न प्रमुख हैं -

1 टीचर ऐजमकेशन कैरीकुलम - एक फ्रेमवर्क (1978)

2 एलीमेन्टरी टीचर ऐजूकेशन कैरीकुलम - गाइडलाइन्ज एंड स्लैबी (1991) एन. सी. ई. आर. टी. द्वारा प्रकाशित

3 सैकण्ड्री टीचर ऐजूकेशन कैरीकुलम - गाइडलाइन्ज एंड स्लैबी (1991) एन. सी. ई. आर. टी. द्वारा प्रकाशित

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक शिक्षा से संबंधी संगोष्ठियाँ, कार्यशाला, प्रशिक्षण अनुसंधान एवं विस्तार सेवाओं के सभी शिक्षक-प्रशिक्षक की प्रक्रिया में बड़ा योगदान दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) के शिक्षा शिक्षण कार्यक्रमों में लाखों सेवारत अध्यापकों को शिक्षा से जुड़े नये कार्यक्रम एवं शिक्षक प्रशिक्षक की नई - नई विधियों एवं पद्धतियों से अवगत कराया है। हम इनका ब्यौरा पूर्व इकाई में पहले ही दे चुके है।

16.8.2 राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा संस्थान (एस. आई. ई.) तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और परिषद आदि की स्थापना

जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर एन. सी. ई. आर. टी. की स्थापना की गई है, इसी प्रकार राज्य स्तर पर शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधार हेतु राज्य शिक्षा संस्थान एवं राज्य शैक्षिक अनुसंधान और परिषद् स्थापित की गई है। कई राज्यों में विज्ञान शिक्षा के लिए विशेष परिषद् स्थापित की गई है। ये सब संस्थाएं एन. सी. ई. आर. टी. के सहयोग से राज्य स्तर पर विभिन्न प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षक के कार्य एवं कार्यशालाओं का आयोजन करती है।

16.8.3 जिला स्तर पर जिला शिक्षक प्रशिक्षक संस्थान (डाईट्स)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) की सिफारिशों को व्यावहारिक रूप देने के लिए प्राथमिक शिक्षक के प्रशिक्षण (प्रारंभिक तथा सेवाकालीन) तथा प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षक के प्रशिक्षण के लिए जिला शिक्षा प्रशिक्षक संस्थाओं की स्थापना की गई है। आशा है कि इनके कार्य विस्तार से अध्यापक प्रशिक्षणशालाओं के प्रशासनिक ढांचे में दूरगामी सुधार होंगे और प्रशासनिक समस्याओं से जुड़े तनाव एवं आक्रोश काफी कम होंगे।

16.8.4 ऑठवी योजना काल में शिक्षक - शिक्षा पर और अधिक निवेश

आर्थिक सहायता के बिना कोई भी कार्यक्रम सुचारू रूप में नहीं चल सकता अत: यह आवश्यक हो जाता है कि अध्यापक प्रशिक्षणशालाओं के संचालन में धन की कमी की कोई समस्या नहीं रहे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आठवी पंचवर्षीय योजना में शिक्षक शिक्षा के लिए - करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई हैं।

16.8.5 ग्यारहवीं योजना काल में शिक्षक - शिक्षा पर और अधिक निवेश (2007-2012)

किसी भी देश का भविष्य वहाँ की उच्च शिक्षा के विकास पर निर्भर करता है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए मानवीय एवं प्राकृतिक साधनों के समुचित प्रयोग के लिए उच्च शिक्षा पर ध्यान देना आवश्यक है। अत: उच्च शिक्षा पर निवेश करते समय की माँग है। दसवीं पंचवर्षीय योजना (1999-2004) में कुल 47.08 प्रतिशत 16 केन्द्रीय विद्यालयों तथा 52.92 प्रतिशत राज्य विश्वविद्यालयों पर किया गया। जो 1992-93 में 402.59 करोड़ रुपये था, वहीं 2003-2004 में बढ़कर 1630.55 करोड़ रूपये हो गया। उच्चतर शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद को 3.2 से बढ़कर 7 या 8 प्रतिशत करना होगा ताकि वैश्विक परिदृश्य में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला किया जा सके।

22.8.5 आपको याद रहे कि केन्द्र सरकार ने दो शिक्षक शिक्षा आयोगों की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों को मान लिया हैं, इसके परिणामस्वरूप 1 जनवरी 1986 तथा 1 जून 1996 से के शिक्षको के सभी स्तर पर वेतन मान बढ़ाए गये है और इन की कार्य सेवाओं सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिसमें मुख्य हैं

- शिक्षकों का प्रशिक्षण।
- वेतनमानों में समानता।
- पदोन्नति के लिए नई व्यवस्था एवं अवसर।
- कार्य प्रणाली में सुधार।
- भत्ते।
- सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े कारक।
- शिक्षा प्रबंध में शिक्षक योगदान की महत्ता को रेखांकित करना।
- शिक्षक संघों एवं कार्य, आचार संहिता आदि को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावकारी बनाना।
- शिकायत दूर करने के लिए विशेष व्यवस्था।
- शिक्षक के कार्य के मूल्यांकन के आधार खुला, प्रतिभसागी।

केन्द्र में नये वेतनमान (पांचवा वेतन आयोग) 1 जून 96 से लागू हो चुका है। जिससे शिक्षकों के वेतनों में भी काफी वृद्धि हुई है। यद्यपि इनमें कुछ विसंगतियाँ है, जिन्हें आशा है कि शीघ्र दूर कर लिया जायेगा।

16.8.6 शिक्षक भर्ती में सुधार

व्यावसायिक दृष्टि से सक्षम करने के लिए शिक्षक भर्ती में सुधारों की संभावनाएं हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (संशोधित 1992) में इस आशय से उद्घोषणा की हैं कि शिक्षक भर्ती को फिर से संगठित किया जायेगा। इनमें सभी स्तर के शिक्षकों के उत्तरदायित्व के अनुरूप गुण, निष्पक्षता एवं व्यावहारिक आवश्यकता को ध्यान में रख कर अध्यापक भर्ती करने की अपेक्षा की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग महाविद्यालयों के प्रवक्ता के लिए अलग से भर्ती परीक्षा कराता है।

16.8.7 शिक्षा-शिक्षा प्रबंध में विकेन्द्रीकरण का प्रस्ताव

शिक्षा का स्वरूप एवं विस्तार देश व्यापी है। इसका प्रबंध केन्द्रीय न होकर विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्तों पर चलाने का प्रस्ताव है। इससे प्रबंध में समता, कौशलता पनपेगी। यह आशा कि जाती है कि शिक्षा प्रबंध में स्वतंत्रता तथा उत्तरदायित्व की संगतपूर्ण समावेश हो। सभी फैसले परामर्श एवं सहयोग से होने चाहिए। इस आशय से पंचायत समितियों तथा जिला स्तर के शिक्षा प्रबंधों को अधिक शक्ति प्रदान की जायेगी जिससे नियोजनबद्व शिक्षा का विस्तार एवं इसकी सार्थकता एवं व्यावहारिकता को सिद्ध किया जा सके।

केन्द्र सरकार ने 1 जनवरी 1986 से पाँचवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जिससे शिक्षकों के वेतनमानों में काफी वृद्धि हुई है।

1 जून 1998 के अनुसार वेतनमान

प्राध्यापकरुपये	8,000 /- से 13,500 /-
प्राध्यापक (सीनियर स्केल)	रुपये 10,000 /- से 15,200 /-
रीडर	रुपये 12,000 /- से 16,300 /-
प्रोफेसर / प्रिंसीपल	रुपये 16,400 /- से 22,400 /-

नए छठे वेतन आयोग के अनुसार जल्दी ही वेतनमान में वृद्धि अनुमानित है।

16.8.8 शिक्षक शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद की एक वैधानिक संस्था बनाने का प्रस्ताव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (संशोधित 1992) में इस बात का विशेष ध्यान दिया गया है कि कमजोर और निम्न श्रेणी की शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थान जो "केवल व्यावसायिक दृष्टिकोण" (व्यावहारिक दृष्टिकोण) के आधार पर चलती है, और अधिक स्थिति को शोषण न करें। अत: शिक्षक शिक्षा को राष्ट्रीय परिषद् को वैज्ञानिक संस्था बनाकर उसे और अधिक शक्तियाँ प्रदान की जाएं ताकि शिक्षक प्रशिक्षक संस्थान और आधिक सक्षम बन सके। नई व्यवस्था और प्रबंध से इन संस्थाओं का प्रबंध और अधिक सुदृढ़ होगा।

16.9 समाहार

अंत में हम यह कहना चाहेंगे कि शिक्षक शिक्षा 8 वीं पंचवर्षीय योजना में एक नयी दिशा के साथ अग्रसर होगी। 1987-88 और 1991-92 की काल अवधि में केन्द्र द्वारा चलाई गई डव्जै स्कीम 12.96 लाख शिक्षकों ने अत: सेवा प्रशिक्षण प्राप्त किया। राज्य स्तर पर माध्यमिक शिक्षण प्रशिक्षणशालाओं को अधिक सुदृढ़ बनाया गया, इसी प्रकार 287 जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों को केन्द्रीय सहायता दी गई। आशा है कि इसी प्रकार राज्य की शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों को भी सुदृढ़ किया जायेगा। इसी प्रकार विश्वविद्यालयों में भी कुछ शिक्षा विभागों को इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टेडी के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है।

मूल्यांकन प्रश्न

अब तक आपने जो सीखा उसका मूल्यांकन आप स्वंय निम्न प्रश्नों का उत्तर देकर कीजिए।

(1) लघु प्रश्न

1 शिक्षक प्रशिक्षक संस्थाओं के प्रशिक्षण कार्य में प्रशासनिक कार्य में प्रशासनिक सुधार के पांच बिन्दु रेखांकित कीजिए।

2 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद संबंधी कार्यक्रमों की प्रगति पर टीका टिप्पणी कीजिए।

3 अपने राज्य की शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के कार्यक्रमों की समीक्षा कीजिए।

4 निजि क्षेत्र में चल रही शिक्षक-प्रशिक्षक संस्थान को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ प्रशासनिक सुधारों के सुझाव दीजिए।

(2) प्रायोगिक कार्य

अपने पड़ोस की शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की कुछ प्रशासनिक समस्याओं की समीक्षा कीजिए और उनके निजीकरण के लिए अपने सुझाव दीजिए।

16.10 संदर्भ ग्रंथ

1 राष्ट्रीय शिक्षानीति (1986) तथा संशोधित 1992 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शिक्षण प्रशिक्षण के अध्याय।

2 शिक्षा आयोग की रिर्पोट (1966) शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, प्रासंगिक अध्याय।

3 रिर्पोट ऑफ सैकेण्ड्री ऐजूकेशन, (1953) भारत सरकार, प्रासंगिक अध्याय।

4 चुने हुए शैक्षिक आकड़े (1988-89) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग)1990 भारत सरकार, नई दिल्ली।

5 रवी कान्ता चोपड़ा (1989) स्टेट्स ऑफ टीचर्स इन इंडिया, एन. सी. ई. आर. टी, नई दिल्ली।

6 टीचर ऐजूकेशन - कैरीकूलम ए फ्रेम वर्क (1978) एन. सी. ई. आर. टी. नई दिल्ली।

7 उदयशंकर(1983)ऐजूकेशन ऑफ इंडियन टीचरज स्टैरलिंग पब्लिकेशरज नई दिल्ली, अध्याय-15

8 प्रोगाम ऑफ ऐक्सन, (1992), मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली।

9 भारत सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना: बोल्यूम 2 सैक्टोरल प्रोग्रामज ऑफ डिब्लपमैंट, योजना आयोग, नई दिल्ली।

इकाई 17

शिक्षक शिक्षा : प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर नियोजन वित्तीय प्रबन्धन तथा नियंत्रण Planning Financing and Control of Teaching Education at Primary and Secondary Level

इकाई संरचना

17.0 लक्ष्य एवं उद्देश्य

17.1 परिवेश

17.2 शिक्षा नियोजन के उद्देश्य

17.3 शिक्षा नियोजन का स्वरूप व प्रकिया

17.4 शिक्षक शिक्षा व्यवस्था की नियोजन के आवश्यक पहलू

17.5 शिक्षक शिक्षा बदलते स्वरूप का नियोजन पर प्रभाव

17.6 प्राथमिक स्तर की शिक्षा मूल अधिकार के रूप में

17.7 शिक्षा वित्त का प्रश्न

17.8 प्राथमिक स्तर की विद्यालयी शिक्षा का प्रसार व नामांकन

17.9 माध्यमिक स्तर की विद्यालयी शिक्षा का प्रसार व नामांकन

17.10 शिक्षक शिक्षा की प्रगति

17.11 नियोजन वित्त व्यवस्था एवं नियंत्रण का भावी स्वरूप

17.12 संदर्भ ग्रंथ

17.0 लक्ष्य एवं उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप शिक्षक-शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों से परिचित हो सकेंगे।

- शिक्षक-शिक्षा की प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर नियोजन की सैद्धांतिक दृष्टि से आवश्यकता एवं स्वरूप।
- शिक्षक-शिक्षा की प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर वित्त व्यवस्था की सैद्धांतिक दृष्टि से आवश्यकता स्वरूप एवं इसका नियंत्रण।
- भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर शिक्षक-शिक्षा की परियोजना, वित्तीय व्यवस्था एवं नियंत्रण।
- भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर शिक्षक की परियोजना, वित्तीय व्यवस्था एवं नियंत्रण संबंधी नीतियों का भावी स्वरूप।

17.1 परिवेश

पिछली दो इकाइयों में आपने शिक्षक-प्रशिक्षकों के व्यावसायिक विकास प्रारंभिक तथा सेवा कालीन प्रोग्राम एवं अध्यापक प्रशिक्षणशालाओं में प्रशासनिक मुद्दे आदि के बारे में सैद्धांतिक एवं भारतीय पृष्ठभूमि में विश्लेषणात्मक जानकारी प्राप्त की। इस इकाई में तथा इससे अगली इकाई में शिक्षक-शिक्षा की परियोजना वित्त व्यवस्था एवं नियंत्रण तथा भारतीय पृष्ठभूमि में संघीय राज्य सरकारों तथा ऐच्छिक एजेन्सियों की भूमिका से हम आपको अवगत कराएंगे। इन उद्देश्यों के विश्लेषणात्मक अध्ययन को हमने चार खण्डों में विभाजित किया है जो प्रत्येक उद्देश्य को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करता है।

17.2 शिक्षा नियोजन के उद्देश्य

- विकासशील शिक्षा व्यवस्था में उसके निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए
- शिक्षा व्यवस्था के अर्थहीन एवं बिगड़े संतुलन को ठीक करना।
- आवश्यकता एवं परिमापकता से अधिक माँग की समस्या का समाधान करना।
- आय के स्त्रोतों की अपेक्षा व्यय-मंदों की तेजी से वृद्धि के कारण उत्पन्न स्थिति से राहत दिलाना।
- अवित्तीय तत्वों के कार्यान्वयन में आड़े आने वाली अड़चनों को दूर करना।
- शिक्षकों में बेकारी की समस्या को दूर करना।
- अर्थहीन शिक्षा-व्यवस्था की व्यापकता से उत्पन्न कमजोरियों को दूर करना और उसे जीवन की सार्थकता के समीप करना।
- शिक्षा व्यवस्था का नियोजन व्यावहारिक एवं व्यापक दृष्टि से एक ऐसी तर्क संगत व्यवस्था का स्वरूप है जो समाज और छात्र गणों के उद्देश्यों और आवश्यकताओं के उत्तर में शिक्षा विकास की प्रकिया को एक संयोजित व्यवस्था के माध्यम से अधिक प्रभावशाली और सशक्त बनाने में अपना योगदान दे सकती है।

17.3 शिक्षा नियोजन का स्वरूप एंव प्रकिया

इस दायरे के अंतर्गत शिक्षा नियोजन को एक आदर्श रूप में निष्पक्षीय यंत्र समझना चाहिए एवं इसकी प्रकिया को निम्न बिंदुओं की गरिमा में समझना चाहिए।

1. शिक्षा नियोजन की विधियाँ रोचक होती हैं जो शिक्षा के उद्देश्यों एवं आदर्श अनुरूप ढलने में सक्षम हों ताकि किसी व्यवस्था के विकास एवं सरकार के रूप (राजनैतिक आदर्शता के रूप में)के साथ उनका सामन्जस्य हो सके।
2. नियोजन का मूलभूत तर्क घोषणा सिद्धांत प्राय: सर्वव्यापक ग्राह्यता रखते हैं परंतु इसका अभिप्राय: यह नहीं कि सभी राजनैतिक व्यवस्था में इसकी विधियां और प्रकिया एक समान सर्वव्यापी रूप में लागू हो सकती हैं।

17.4 शिक्षक-शिक्षा व्यवस्था की नियोजन के आवश्यक पहलू

शिक्षक-शिक्षा व्यवस्था की नियोजन संबंधी मुद्दे भी इसी पृष्ठ भूमि में शिक्षक-शिक्षा के प्रशासनिक, वित्तीय, अकादमिक एवं कार्य-व्यवस्था एवं प्रबंध से जुड़े विषय हैं। नियोजन की

विधियों की प्रकिया का कार्यान्वयन भी शिक्षक-शिक्षा को व्यवस्था का एक अंग और यंत्र समझकर लागू की जायेगी। नियोजन एक सतत प्रकिया है और प्रबंध व्यवस्था का अखंड यंत्र : शिक्षक-शिक्षा का नियोजन की भूत काल के अनुभव पर आधारित, वर्तमान एवं भविष्य की "कार्य-योजना" है जिसमें शिक्षक शिक्षा-व्यवस्था के साथ-साथ गुणात्मक पहलू की ओर भी हमारा ध्यान दिलाती है- क्योंकि शिक्षा-व्यवस्था के विस्तार एवं गुणात्मक सुधार में कक्षा के अध्यापक से लेकर शिक्षा मंत्रालय एवं पार्लियामेंट तक के संगठन एवं इनकी व्यवस्था का प्रश्न जुड़ा है।शिक्षा नियोजन हो या शिक्षक-शिक्षा नियोजन इनके विस्तार एवं गुणात्मक सुधार में महत्वपूर्ण विवेचन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन की आवश्यकता होती है और जो भी फैसले इन विभिन्न पक्षों के संबंध रखते हैं।उनके संबंध में पूर्ण जानकारी, आंकड़े एवं सूचना का "सही ज्ञान" प्राप्त होना आवश्यक है। अन्यथा कोई भी थोड़ी सी कमी, गलत व्यवस्था उन नीतियों की ओर धकेल सकती है जिसके बहुत की गंभीर परिणाम हो सकते हैं तथा जिसे भावी पीढ़ी को एक "भारी कीमत" के रूप में वहन करना पड़ सकता है।

शिक्षा-शास्त्री अथवा नियोजन अधिकारी को सर्वप्रथम इन बातों का विश्लेषण करना आवश्यक होगा।

- समाज की स्थिति
- समाज किस दिशा में अग्रसर होना चाहता है?
- इस दिशा-निर्देशन में किस बात की आवश्यकता है।
- छात्र समूह की क्या आवश्यकताएं है और उनकी विचार धारा की क्या स्थिति है?
- छात्र समुदाय की क्या आकांक्षाएं हैं और क्या वे व्यावहारिक दृष्टि में पूरी की जा सकती हैं?
- ज्ञान भंडार की क्या स्थिति हैं?
- शिक्षा कला एवं इसकी तकनीकी की क्या स्थिति एवं स्तर हैं?
- शिक्षा व्यवस्था चार दिवारी में बंधी अपनी सीमाओं और उससे परे अपनी क्षमता से किस प्रकार अपनी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है?
- फिर सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि शिक्षा-व्यवस्था अपनी आंतरिक व्यवस्था की कमजोरी, समक्षता के बीच संघर्ष कर वाह्य व्यवरथा के प्रभावशाली वातावरण के साथ अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किस प्रकार प्रगतिशाली प्रकिया अपनाकर लोचकता तथा सुदृढता के साथ अपना मार्ग ढूंढ सकती है?
- शिक्षक-शिक्षा की उपरोक्त बिंदुओं की पृष्ठभूमि में अपनी परियोजना की परिधि लक्ष्यप्रकिया विधियाँ, एवं मूल्यांकन व्यवस्था का सर्जन कर सकती है। इसके लिए आजकल व्यवस्था-विश्लेषण अवधि अधिक उपयोगी मानी जाती है।

17.5 शिक्षक-शिक्षा के बदलते स्वरूप का शिक्षक-शिक्षा के नियोजन पर प्रभाव

शिक्षक-शिक्षा, शिक्षा-व्यवस्था का आधार भी है और इसके बदलते स्वरूप,व्यवस्था ढांचे एवं प्रकिया के कार्यान्वयन करने का मुख्य माध्यम भी।पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय और

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा-व्यवस्था की प्रकिया में परिवर्तन न के कारण शिक्षण-शिक्षा में भी परिवर्तन आये हैं। आइए इन परिवर्तनों के बिंदुओं की रूपरेखा को समझ लें।

1. पठन-पाठन प्रक्रिया का विस्तार और इस आशय की मंजूरी भी कि विषय-विषयक का अधिगम एवं शिक्षण का उत्तरदायित्व पाठशालाएं वहन करें।
2. ज्ञान देने की प्रक्रिया की अपेक्षा शिशु अधिगम में संगठन पर जोर देने की ओर झुकाव।इस शिशु अधिगम के संगठन के लिए समुदाय मे उपलब्ध अधिगम स्त्रोतों का भी उपयोग करने पर जोर।
3. व्यक्तिगत सम्पर्क अधिगम और शिक्षक छात्र के आपसी संबंध में परिवर्तित रूप की ओर शिक्षक की भूमिका पर बल।
4. आधुनिक शैक्षिक प्रौद्यौगिकी का अधिकतर प्रयोग और आवश्यक ज्ञान एवं कौशल की उपलब्धि की और अधिक बल।
5. शिक्षकों के आपसी संबंध (सहकर्मी के रूप में) के परिवर्तित रूप और पाठशाला के दूसरे अध्यापकों के साथ सहयोग भावना के मूल्यों की मंजूरी की ओर अधिक बल।
6. सामुदायिक जीवन में शिक्षक की भूमिका की ओर अधिक बल तथा शिक्षक-अभिभावकों के साथ संपर्क कर, उनसे और अधिक सहयोग एवं सद्भावना का विकास।
7. इस बात की मंजूरी की शिक्षक स्कूली सेवाओं और अन्य स्कूली कार्यक्रमों में सहभागी होंगे।
8. छात्रों के साथ व्यवहार में शिक्षक की भूमिका विशेषकर बड़े बच्चों एवं उनके माता-पिता के साथ एक मित्र के रूप मे न कि शिक्षक एक रूढ़ीवादी प्रथा से बंधा हो।

17.6 प्राथमिक स्तर की शिक्षा : मूल अधिकार के रूप में

शिक्षक-शिक्षा की बदलती भूमिका में यह स्पष्ट है कि शिक्षक का उत्तरदायित्व बढ़ गया है। प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा को एक मूलभूत अधिकार के रूप में समझ जाता है। प्रत्येक बच्चा जो 6-14 वर्ष की आयु का हैं,उसको प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दिलवाना राज्य का उत्तरदायित्व समझा गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र संघ ने समय-समय पर इस आशय के प्रति अनेक बार "घोषणा पत्र" पारित किए गये हैं।संविधान की धारा-45 के अंतर्गत संघीय सरकार एवं राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है कि वे

1. 6-14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को (कक्षा 1 से 8 तक) निःशुल्क स्कूली शिक्षा का प्रबंध करे।
2. वैधानिक रूप से यह प्राथमिक शिक्षा सभी 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए आवश्यक हैं।
3. 6-14 वर्ष के बच्चों का पाठशाला में नांमकन भी सार्वभौमिक होना चाहिए।
4. ये सब बच्चे स्कूल में दाखिल ही नहीं हो अपितु वे आठवीं स्तर की शिक्षा में उत्तीर्ण भी होने चाहिए। इसका अभिप्राय यह हुआ कि प्राथमिक शिक्षा दिलवाने की व्यवस्था के उत्तरदायित्व में भारत को अपनी शिक्षा परियोजना में निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है।
    - प्राथमिक स्कूलों की व्यवस्था।
    - प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की आवश्यकतानुसार भर्ती।

- प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की प्रारंभिक एवं सेवा कालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था।
- पाठ्य एवं अन्य भौतिक सामग्री की उचित व्यवस्था।
- शिक्षा प्राप्त करने के लिए 6-14 वर्ष के बच्चों को स्कूल में आने के लिए उनके माता पिता एवं अभिभावकों को प्रोत्साहित करना।

जैसा हम सबको विदित है कि शिक्षा-प्रकिया, जीवन-प्रकिया का सतत भाग है।प्राथमिक शिक्षा के प्राप्ति के पश्चात बच्चा माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करना चाहेगा ?और फिर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा जितने कि प्राथमिक शिक्षा हेतु। अत: माध्यमिक शिक्षा के प्रसार एवं इसके गुणवत्ता सुधार हेतु ही उतने ही प्रयत्न करने होगें। माध्यमिक स्तर की शिक्षक-शिक्षा संबंधी सभी परियोजना और इससे जुड़ी वित्त व्यवस्था का प्रश्न भी उठता है। आइए जरा वित्त व्यवस्था से जुड़े कुछ मूल बातों का विवेचन कर लें।

II शिक्षा एवं वित्त

17.7 शिक्षा-वित्त का प्रश्न

शिक्षा परियोजना का सीधा संबंध किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की सक्षमता के साथ जुड़ा है। यदि हमारे वित्त साधन अच्छे होगें तो शिक्षा के प्रसार एवं इसकी गुणवत्ता के हेतु परियोजना को कार्यान्वयन करने के लिए धन व्यवस्था सरलता से जुटा पायेगें। अन्यथा नहीं।

सभी विकसित एवं विकासशील देश शिक्षा-वित्त की समस्या से प्रभावित है क्योकि :-

- शिक्षा प्रसार "मानव संसाधन विकास" की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।
- एक ओर मानव संसाधन विकास की आवश्यकता है और दूसरी ओर सभी राष्ट्र शिक्षा प्रसार के लिए धन जुटाने की समस्या के जूझ रहे हैं।यहां यह बताना अति आवश्यक है कि किसी अर्थव्यवस्था में वरीयता की दृष्टि से उद्योग, कृषि, ऊर्जा, यातायात और संचार के साधन, प्रतिरक्षा आदि विकास की योजनाओं के लिए साधनो का आवंटन पहले किया जाता है और शिक्षा स्वास्थ्य अथवा अन्य कोई दूसरी सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए धन व्यवस्था बाद में की जाती है।अत: शिक्षा के लिए संसाधन का जुटाना प्रशासनिक एवं परियोजना की दृष्टि से बाद के वरीयता क्रम में आता है। विकासशील देशों में वित्त व्यवस्था विकास की धीमी गति के कारण इतनी सुदृढ़ नहीं होती जितनी विकसित अर्थ व्यवस्था। फिर शिक्षा वरीयता सूची में निम्न स्तर पर आती है तो समस्या और भी अधिक बढ़ जाती हैं।आइए इस समस्या के स्वरूप को भली भांति समझ लें।

17.7.1 शिक्षा वित्त से जुड़ी समस्याओं का स्वरूप

विकास के विभिन्न चरणों पर अग्रसर राष्ट्र शिक्षा वित्त व्यवस्था की समस्याओं से निम्नलिखित दृष्टि से अपने से जूझ रहे हैं।

- शिक्षा प्रसार, इसके विभिन्न क्षेत्रों व स्तर पर विकास की वृद्धि दर की समस्या से उत्पन्न
- आवश्यकता को पूरा करने हेतु।

- अपनी शिक्षा-व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आंतरिक कमजोरी और प्रशासनिक
- व्यवस्था की असफलता से उत्पन्न समस्याएं तथा इसकी वित्त व्यवस्था से जुड़े प्रश्नों से।
- वर्तमान स्थिति में नियोजित संसाधन व्यवस्था से अधिक से अधिक लाभ उठाने की आकांक्षा।
- अभिनव प्रयोगों एवं विधियां की खोज एवं उनका प्रयोग।
- शिक्षा योजनाओं की आर्थिक वैधता की जांच करने के लिए।
- शिक्षा योजना के निश्चत लक्ष्य की प्राप्ति हेतु व्यय करने की एक सही वास्तविक योजना की संरचना।
- किसी विशेष शिक्षा-योजना के वास्तविक आर्थिक परिणाम तथा उस योजना की वास्तविक
- लागत के अनुमान से संबंधी समस्या।
- इस बात के लिए प्रशासनिक फैसले करने की समस्या जिसमें विभिन्न वैकल्पिक विधियों के

इकाई 18

केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्वैच्छिक संगठनों का शिक्षा नियोजन (परियोजना) एवं वित्तीय प्रबन्धन व्यवस्था में भूमिका Role of centre, State and Voluntary Organizations in Planning & Finacing

इकाई की संरचना

18.0 लक्ष्य एवं उद्देश्य

18.1 संघीय, प्रान्तीय सरकारों का शिक्षा-वित्त व्यवस्था में आपसी तालमेल, शैक्षिक वित्त व्यवस्था की प्रकिया एवं इसके प्रशासनिक ढाँचे का स्वरूप,

18.2 केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की वित्त अंशदान में प्रवृति,विगत पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार द्वारा शिक्षा व्यय,

18.3 शिक्षा क्षेत्र में वित्तीय आंवटन की स्थिति व वृद्धि के उपाय।

18.4 स्वैच्छिक संगठनों का शिक्षक शिक्षा में योगदान एवं शिक्षा और निजीकरण।

18.5 विभिन्न प्रकार की शिक्षण संस्थाएं

18.6 प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा में अकादमिक नियंत्रण

18.7 केन्द्रीय सरकार एवं शिक्षक-प्रशिक्षक

16.8 स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजूकेशन

18.9 अकादमिक नियंत्रण संबंधी कुछ कमियां व सुझाव

18.10 संदर्भ ग्रंथ

18.0 उदेश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप -

- शिक्षा, विशेषकर शिक्षक शिक्षा के नियोजन (परियोजना) एवं इसकी वित्त व्यवस्था में केन्द्रीय सरकार का योगदान।
- शिक्षा, विशेषकर शिक्षक शिक्षा के नियोजन (परियोजना) एवं इसकी वित्त व्यवस्था में राज्य सरकारों
- शिक्षक शिक्षा के नियोजन (परियोजना) एवं इसकी वित्त व्यवस्था में स्वैच्छिक संगठनों का योगदान तथा शिक्षा में निजीकरण की संभावना।
- देश की विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाओं का ज्ञान हो सके।
- प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा में अकादमिक नियंत्रण कैसे होता है? इसे समझ सकें।
- अकादमिक नियंत्रण से संबंधित कमियों को जान सकें तथा इस संबंध में सुझाव दे सकें।

18.1 संघीय-प्रांतीय सरकारों का शिक्षा-विल व्यवस्था में योगदान का आपसी

तालमेल व शैक्षिक वित्त व्यवस्था की प्रक्रिया एवं प्रशासनिक ढाँचे का स्वरूप पिछली इकाई में हमने आपको भारत में शिक्षा-वित्त व्यवस्था के परिणात्मक पक्ष से अवगत कराया था। इस परिणात्मक पक्ष में इस बात का तो आपको आभास हो ही गया होगा कि शिक्षा-व्यय पिछले चार दशकों में बहुत बढ़ गया है। इस व्यय का भार संघीय सरकार एवं प्रांतीय सरकारों पर अपरियोजित एवं परियोजित दोनों प्रकार की धनराशि के लिए बढ़ा हैं। आइए इस वित्त व्यवस्था के सम्बन्ध में संघीय एवं प्रांतीय सरकारों के आपसी तालमेल की प्रकिया के पक्ष को भी जान लें। जैसा आपको ज्ञान है कि 1951 से हमारे पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास की विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से वित्त व्यवस्था की गई है।शिक्षा एंव शिक्षक-शिक्षा भी इसी विकास की एक कड़ी है।

शिक्ष विषयों संविधान की धारा 246 के अंतर्गत सातवी परिशिष्ट का भाग है। संविधान में प्रशासनिक दृष्टि से सभी विषयों को तीन सूचियों में बांटा गया हैं। जो इस प्रकार है।

संघीय सूची

राज्य सूची

समवर्ती सूची

संविधान के 42 वें संशोधन (1976) से शिक्षा विषय 1976 से पहले राज्य सूची में था परन्तु अब समवर्ती सूची में कर दिया गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि शिक्षा-विषय की महत्ता बढ़ी तथा मानव संसाधन विकास. में शिक्षा की सार्थकता को अधिक समीप से समझा गया है। शिक्षा विषय पर केन्द्रीय एवं राज्य सरकारें दोनो ही अपने कानून बना सकती हैं।परन्तु यहां यह बताना आवश्यक होगा कि कुछ विशेष स्थितियों को छोड़कर शिक्षा-विषय पर जब कोई केन्द्रीय सरकार का कानून बन जाता है तो संविधान की धारा 254 के अनुसार किसी राज्य द्वारा पारित विधेयक मान्य नहीं समझा जायेगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि, शिक्षा की महत्ता के कारण इस विषय पर केन्द्रीय सरकार को इसकी परियोजना एवं वित्त व्यवस्था पर और अधिक उत्तरदायित्व निभाना हैं। राज्य-सूची को संविधान में संख्या-2 सूची कहा जाता है वैसे तो अब भी शिक्षा विषय का अधिकतर भार राज्य सरकारों को ही वहन करना पड़ता हैं।उनके द्वारा पारित कानून ही चलाये जा रहे हैं।परन्तु नई व्यवस्था के अनुसार अब यह समवर्ती सूची की 25वी एन्ट्री है।25 वीं एन्ट्री इसका वर्णन इस प्रकार है।

'केन्द्रीय सूची (सूची संख्या 1) की 63,64,65 और 66 की एन्ट्रीयों के प्रावधान को छोड़ शिक्षा तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा, श्रम का व्यावसायिक एंव तकनीकी प्रशिक्षण आदि विषय अब समवर्ती सूची का अंग हैं।

एन्ट्री 64 में वैज्ञानिक अथवा तकनीकी शैक्षिक-संस्थानों जिनकों भारतीय सरकार द्वारा पूर्णरूप से अथवा आशिक रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त हो और जिन्हें पार्लियामेंट ने "राष्ट्रीय-महत्व" की संस्था घोषित कर दिया हो।

एन्ट्री 65 में केन्द्रीय एजेन्सियों और संस्थान सम्मलित हैं जो-

क. पुलिस अधिकारियों की व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण संस्था तथा अन्य और कोई व्यावसायिक संस्था है अथवा।

ख. विशेष अध्याय अथवा अनुसंधान की प्रगति हेतु स्थापित अथवा

ग. अपराध संबंधी जांच हेतु तकनीकी वैज्ञानिक का से कार्यरत संस्थाएं।

एन्ट्री 88 समन्वय एवं स्तर निर्धारण के लिए उच्च शिक्षा अथवा अनुसंधान और वैज्ञानिक तथा तकनीकी संस्थान से सम्बन्धित है।

18.1.1 शिक्षक-शिक्षा की संवैधानिक स्थिति

शिक्षक-शिक्षा के नियोजन, वित्त व्यवस्था एवं नियंत्रण के लिए हमको संविधान में इस पक्ष की स्थिति की जानकारी होनी आवश्यक हैं। भारत में किसी भी विषय एवं क्षेत्र की परियोजना, वित्त व्यवस्था एवं नियंत्रण हेतु योजना आयोग एवं "वित्त आयोग"' की व्यवस्था से परिचित होना आवश्यक हैं।

संविधान की धारा 282 के अंतर्गत योजना आयोग परियोजित अनुदान की मंजुरी देता हैं।यहां यह बतला देना आवश्यक है कि "योजना आयोग" एक असंवधनिक संस्था है और इसका अधिकार केवल परियोजित अनुदान की धनराशि की मंजूरी एवं हस्तान्तरण तक ही सीमित है। परियोजित अनुदान केवल अनुदान का वह भाग है जो पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत सभी क्षेत्रों के विकास के लिये योजना आयोग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के चलाने के लिए दी जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि योजना आयोग द्वारा दी गई परियोजित धनराशि ''विकास अनुदान" है। इस विकास-अनुदान की स्वीकृती योजना-आयोग द्वारा कार्यक्रमों के पूर्ण मूल्यांकन एवं जांच पड़ताल के पश्चात ही मिलती ह। योजना आयोग परियोजित धन राशि को प्रतिवर्ष की योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को प्रगति के आधार पर आवंटन की सिफारिश करता है।शिक्षक-शिक्षा जो सामान्य शिक्षा का एक भाग हैं को धनराशि भी इसी आधार पर मिलती है। प्राथमिक शिक्षा शिक्षक-शिक्षण एवं प्रशिक्षण को वरीयता के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं में अधिक धन आवंटन किया गया है।इसके विपरीत अपरियोजित धन राशि जिसका भाग सर्वाधिक है और कुल व्यय का प्राय: 80-90 प्रतिशत होता है की वित्त व्यवस्था संवैधानिक प्रकिया विधि से संविधान की धारा 270,272 और 275 के अंतर्गत वित्त आयोग की सिफारिश पांच वर्ष के लिए मान्य है। यह वित्त आयोग पंचवर्षीय योजना के साथ-साथ प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है। इसकी स्थापना का समय ऐसे तालमेल के साथ किया जाता है कि इसकी सिफारिशें अग्रिम पंचवर्षीय योजना का मसौदा बनाते समय नीति-निर्देश के रूप में कारगर तथा उपयोगी हो।

18.1.2 शिक्षा-वित्त के लिए संघीय एवं राज्य सरकारों के संवैधानिक तालमेल एवं सम्बन्ध को यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो पता लगता है कि राज्य सरकार की वित्त वहन करने की क्षमता केन्द्र सरकार से बहुत कम हैं क्योंकि वित्त व्यवस्था में राज्य सरकार के पास राज्य सूची में दो मदों से ही अधिक आय होती है।

1. भूमि लगान
2. विक्रय कर।

अधिकतर धनराशि राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार द्वारा निम्नलिखित मदों के अंतर्गत हस्तांतरण की जाती है।

1. करों की भागीदारी।
2. संवैधानिक प्रक्रिया के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-राशि
3. परियोजित-अनुदान राशि
4. असंवैधानिक एवं अपरियोजित अनुदान
5. ऋण

संविधान की धारा 270 एवं 272 के अन्तर्गत राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार के साथ कुछ करों का भाग वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्राप्त करती हैं जो सामान्य-आय का स्त्रोत है। धारा 275 अंतर्गत राज्य सरकारें अनुदान-राशि प्राप्त करती हैं। यह अनुदान राशि भी वित्त आयोग की सिफारिशों का परिणाम है। अत: अधिकतर व्यय जो राज्य सरकारें शिक्षा पर वहन करती हैं वह "आवश्यक व्यय" राज्य सरकार का एक 80-90 प्रतिशत भाग होता है जो अपरियोजित व्यय कहा जाता है।

18.1.3 इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें व्यक्तिगत रूप से कुछ विशेष शैक्षिक परियोजनाओं लिए केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय जैसे मानव. संसाधन मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय औधोगिक मंत्रालय, कृषि मंत्रालय आदि शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए भी धनराशि प्राप्त करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, (उच्च शिक्षा) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (स्कूली शिक्षा) की विशेष परियोजनाओं के लिए भी धनराशि उपलब्ध कराते हैं।

भारत में शैक्षिक वित्त के प्रशासनिक व्यवस्था की प्रकिया को समझने के लिए हमें इस के मुख्य स्त्रोतों एवं इस प्रक्रिया के समन्वय को भी समझना चाहिए।

मूल्यांकन प्रश्न

अब तक आपने जो सीखा उसका मूल्यांकन आप स्वयं निम्न प्रश्नों का उत्तर देकर कीजिए

I. निम्न प्रश्नों का उत्तर 150 शब्दों देकर कीजिए

(1) शिक्षा को राज़्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची मे रखने के क्या कारण हो सकते है?

(2) शिक्षक शिक्षा की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट कीजिए।

18.2 केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की वित्त अंशदान की प्रवृत्ति

यह भी जानना महत्वपूर्ण होगा कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की वित्त अंशदान की किस प्रकार की प्रवृत्ति है। यहाँ हम आठवीं, नौवीं, दसवीं व ग्यारहवीं अनुमानित पंचवर्षीय योजनाओं का लेखा-जोखा प्रस्तुत करेंगे। यहाँ केवल शिक्षा में दोनों ही प्रकार के वित्त

परियोजनाओं संबंधी (केन्द्र राज्य) का विवरण देंगे। निम्नलिखित तालिका इस स्थिति को दर्शाती है।

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का आठवीं, नौवीं, दसवीं व ग्यारहवीं (अनुमानित) पंचवर्षीय योजनाओं में शैक्षिक वित्त मे अंशदान अथवा भागीदारी

आठवीं	नौवीं	दसवीं	ग्यारहवीं
योजना	योजना	योजना	योजना
केन्द्रीय सरकार			
॰ सीधी भागीदारी प्रोत्साहित प्राप्त कार्यक्रम			सहायता
सहायता प्राप्त कार्यक्रम			
राज्य सरकार			
कुल प्रतिशत कुल रूपये करोड रूपये			
विगत पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा पर व्यय			

18.2.1 नवीं पंचवर्षीय योजनाओं में केन्द्रीय सरकार द्वारा शिक्षा व्यय के लिए प्रावधान

यह भी जानना आवश्यक है कि विभिन्न क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार किस प्रकार अपना अंशदान करती है। यहाँ पर हम नवीं, दसवीं व ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का विवरण देंगे जिसके आँकडे .....पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के लिए गए हैं -

तालिका केन्द्रीय सरकार द्वारा शिक्षा वित्त का प्रावधान एवं वास्तविक आय

क्र. सं उपक्षेत्र	नवीं	योजना	वास्तविक	वार्षिक	अनुमानित
	में प्रावधान	आय	योजना	व्यय	
		आय	वास्तविक		
प्राथमिक शिक्षा					
प्रौढ़ शिक्षा					
माध्यमिक शिक्षा					
विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा					

तालिका राज्य सरकार द्वारा शिक्षा वित्त का प्रावधान एवं आय

(करोड रूपये में)

क्र. सं उपक्षेत्र	नवीं	योजना	वार्षिक वास्तविक	अनुमानित
	में प्रावधान	आय	योजना	व्यय
			वास्तविक आय	
1. प्राथमिक शिक्षा				
2. प्रौढ़ शिक्षा				

3.	माध्यमिक शिक्षा
4.	विश्वविद्यालय
	एवं उच्च शिक्षा
5.	भाषा विकास
6.	परियोजना
	एवं प्रशासन
7.	अन्य शैक्षिक
	कार्यक्रम
8.	कुल सामान्य शिक्षा
9.	तकनीकी शिक्षा
10.	कला एवं संस्कृति
11.	खेल एवं युवा कार्यक्रम
12.	कुल शिक्षा

18.3 विगत पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार द्वारा शिक्षा व्यय

शहरी क्षेत्र में यह माध्यमिक स्तर के शैक्षिक संस्थानों का भी संचालन करते हैं जिसमें शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान भी शामिल होते हैं।

शहरी क्षेत्र में स्वायत्त प्रशासन को प्रोत्साहन देने के लिए बड़े-बड़े शहरों में नगर-पालिकाएं होती हैं जिनको स्वायत्त शासन के ऐक्ट के द्वारा संचालित किया जाता है। इन स्वायत्त: नगर पालिकाओं के अलावा और बड़े-बड़े शहरों में महानगरपालिकाएं भी होती हैं इनके आय के स्त्रोत में मुख्य स्थानीय कर हैं। जन सुविधाओं के साथ-साथ यह स्थानीय नगरपालिकाएं एवं महापालिकाए भी स्कूली शिक्षा का संचालन करती हैं एवं इनकी वित्त व्यवस्था करती हैं। जहां कहीं सैनिक छावनियां होती हैं वहां पर छावनी बोर्ड स्थापित किए गये हैं। ये अपने अधिकार क्षेत्र में स्कूली व्यवस्था विशेषकर प्राथमिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करते हैं।

निजी क्षेत्र में फीस तथा इन्डोमैन्ट वित्त स्त्रोत होता है। भारत में धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं ने भी शैक्षिक ट्रस्ट स्थापित किए हैं। इसके साथ-साथ औधोगिक घरानों एवं उधमों ने भी शैक्षिक संस्थाने को वित्तीय सहायता प्रदान की है एवं बड़ी-बड़ी संस्थानों का संचालन किया है। ऐसे शैक्षिक संस्थान घरानों के नाम पर काफी मात्रा में चलाए जाते हैं। तथा जो सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा शिक्षिक शिक्षा सभी से सम्बन्धित हैं।

जैसे अभी बताया कि शैक्षिक वित में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों ही अपना सहयोग देते हैं परन्तु स्वतंत्रता के पश्चात निजी क्षेत्र का योगदान धीरे-धीरे कम होता गया है जैसा निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जाता है।

तालिका

भारत में शिक्षा वित्त में विभिन्न स्त्रोतों का अंशदान (प्रतिशत में)

		1950	1980-81
1.	सरकार केन्द्र + राज्य सरकार	57.1	80.0

2.	स्थानीय शासन	10.9	5.0
3.	निजी क्षेत्र		
अ	फीस	20.4	12.0
ब.	इन्डोमैन्ट	11.6	3.6
		100.0	100.0

तालिका स्रोत : 1950-51 = एजुकेशन इन इंडिया वो:।
1980-810 = योजना आयोग

18.4 केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की वित्त अंशदान की प्रवृति

यह भी जानना रोचकप्रद होगा कि केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के अंशदान में किस प्रकार की प्रवृति है। यहां हम सर्वप्रथम पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं का लेखा-जोखा प्रस्तुत करेंगे। यहां पर केवल शिक्षा में दोनों ही प्रकार के वित्त परियोजना सम्बन्धी (केन्द्र, राज्य) का विवरण देंगे। निम्नलिखित तालिका 2 इस स्थिति को दर्शाती है।

तालिका

संघीय एवं राज्य सरकारों का पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में शैक्षिक विल में अंशदान अथवा भागीदारी

	प्रथम योजना	द्वितीय योगना	तृतीय योगना	1965-66
संघीय सरकार	6.84	17.51	20.11	21.71
सीधी भागीदारी	4.82	10.75	10.63	11.43
प्रोत्साहित प्रोग्राम	1.40	1.45	1.68	1.80
सहायता प्राप्त प्रोग्राम	0.62	5.31	7.80	8.48
राज्य सरकार	93.16	81.49	79.89	78.29
कुल प्रतिशत	100.00	100.00	100.00	100.00
करोड़ रू	414.55	849.57	1655.36	414.57

नोट: कालम 4 में 1965-66 के तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष के आकड़े दिए गये हैं। इस तालिका से स्पष्ट है कि केन्द्रीय सरकार का अंशदान 1950-51 की अपेक्षा 1965-66 में बढ़ गया और राज्य सरकारों का अंशदान घट गया। परन्तु फिर भी राज्य सरकारों का अंशदान केन्द्रीय सरकार के अंशदान से कहीं अधिक है।

(स्त्रोत- एन0 एन0 पंडित (1976)ए पृष्ठ 2)

18.4 विगत पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा पर व्यय

18.4.1 सातवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार द्वारा शिक्षा व्यय के लिए प्रावधान

यहां यह भी जानना वांछनीय है कि विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार किस प्रकार अपना अंशदान करती हैं। यहां पर हम सातवीं पंचवर्षीय योजना और आठवीं

पंचवर्षीय योजना का विवरण देंगे जिसके आकड़े आठवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज से लिए गए हैं।

तालिका

केन्द्रीय सरकार द्वारा शिक्षा-विल-प्रावधान, एवं वास्तविक व्यय

रु. करोड़

सं.	उपक्षेत्र	7 वीं योजना में प्रावधान	वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना 1990-91 वास्तविक व्यय	1991-92 अनुमानित व्यय

पृष्ठ सं. 318)

(आठवीं पंचवर्षीय योजना)

उपर्युक्त तालिका से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं।

1. राज्य सरकारों ने शिक्षा के लिए 7वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित प्रावधान से कहीं अधिक वास्तविक व्यय किया। प्रावधान तां 3994.01 करोड़ रू. था जबकि वास्तविक व्यय 5145.38 करोड़ रू. था।
2. राज्य सरकारों का सबसे अधिक व्यय प्राथमिक शिक्षा पर और दूसरे स्थान पर माध्यमिक शिक्षा पर होता है।

18.4.3 आठवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर व्यय

आठवीं पंचवर्षीय योजना में परियोजना एवं वरीयता की दृष्टि से सबसे अधिक निर्धारित राशि प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, शिक्षा के व्यवसायीकरण पर की गई है। तालिका में हम आठवीं पंचवर्षीय योजना में संघीय प्रान्तीय एवं केन्द्र प्रशासित प्रदेशों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में निर्धारित व्यय राशि का विवरण देंगे जो इस प्रकार है :

तालिका

आठवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा-व्यय

(रू. करोड़)

सं	उप-मद	केन्द्र सरकार	राज्य सरकारें	केन्द्र शासित	कुल योग

1. केन्द्रीय सरकार ने 7वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित राशि से कहीं अधिक धन व्यय किया। निर्धारित धनराशि का योग 2388.64 करोड़ रूपये था। जबकि वास्तविक व्यय 3422.93 करोड़ रू. हुआ।
2. केन्द्र सरकार का व्यय सामान्य शिक्षा में काफी अधिक है।
3. प्राथमिक-शिक्षा एवं उच्च शिक्षा पर व्यय प्राय: बराबर है जो इस बात को दर्शाते हैं कि केन्द्रीय सरकार विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा पर अधिक व्यय करती है।
4. पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकारों द्वारा किया गया शिक्षा व्यय का विवरण

तालिका 4 राज्य सरकारों द्वारा किये गये शिक्षा वित्त का विवरण दर्शाती है तथा इसके साथ-साथ 1990-91 तथा 1991-92 की वार्षिक योजनाओं में किया गया व्यय भी दिखलाती है।

तालिका

राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा वित्त का प्रावधान एवं वास्तविक व्यय

रू. करोड़

	(1985-1990)		वास्तविक व्यय	
1. प्राथमिक शिक्षा	1730.45	2190.92	588.41	644.12
2. प्रौढ़ शिक्षा	230.00	156.53	43.52	71.44
3. माध्यमिक शिक्षा	(उपलब्ध नहीं)	1235.50	326.16	315.99
4. विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा	(उपलब्ध नहीं)	541.17	159.37	154.93
5. भाषा विकास	(उपलब्ध नहीं)	13.48	6.71	10.10
6. परियोजना एवं प्रशासन	(उपलब्ध नहीं)	10.05	7.15	9.72
7. अन्य शैक्षिक कार्यक्रम	(उपलब्ध नहीं)	107.35	26.89	29.88
8. कुल सामान्य शिक्षा	3256.66	4255.00	1158.21	1296.18
9. तकनीकी शिक्षा	461.79	472.38	157.03	349.20
10. कला एवं संस्कृति	132.13	182.16	43.49	58.21
11. खेल एवं युवा कार्यक्रम	143.43	235.84	65.45	94.62
12. कुल शिक्षा (कालम 8-11)	3994.01	5145.38	1424.18	1798.21

(तालिका स्रोत योजना आयोग : तालिका 11.5)

सं. उप- क्षेत्र	7वीं योजना में प्रावधान	वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना 199-91	1991-92 अनुमानित व्यय
1. सामान्य शिक्षा	6619.00	9607.19	587.16	16813.35
2. तकनीकी शिक्षा	824.00	1804.66	157.72	2786.38
3. योग	7443.00	11411.85	744.88	19599.73
4. कला तथा संस्कृति	385.00	324.76	17.92 7	27.68
5. युवा कार्यक्रम एवं खेलकूद	350.00	509.06	30.54	889.60
6. कुल योग : (3-5)	8178.00	12245.67	793.34	21217.01

(तालिका स्रोत योजना आयोग: आठवीं पंचवर्षीय योजना

नई दिल्ली : परिशिष्ट तालिका : 117

पृष्ठ संख्या 320)

यदि हम सातवीं पंचवर्षीय योजना में किए गये शिक्षा व्यय का आठवीं पंचवर्षीय योजना के साथ तुलनात्मक अध्ययन करें तो पता लगता है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा व्यय 21.217.01 करोड़ रू. है। जबकि यह धनराशि सातवीं पंचवर्षीय योजना में 8568.31 करोड़ रूपये थी जो काफी बढ़ा दी गई है। यहां यह बता देना आवश्यक है कि अधिकतर इस बढ़ाई गई राशि का भाग मुद्रा स्फूर्ति के कारण है।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

अब तक आपने क्या सीखा, इसका मूल्यांकन निम्न प्रश्नों का उत्तर देकर कीजिये :-

1. अपरियोजित (Non-Planned) एवं परियोजित वित्त के भेद की व्याख्या कीजिये।
2. वित्त आयोग की उन टिप्पणियों की समीक्षा कीजिए, जो वित्त आवेदन पर प्रभाव डालती है।
3. केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों के मध्य शिक्षा वित्त व्यवस्था की सहभागीदारिता पर टिप्पणी कीजिये।
4. वित्त व्यवस्था में राज्यों को मिलने वाली धनराशि की मदों की सूची तैयार कीजिये।

18.5 शिक्षा क्षेत्र में वित्तीय आवंटन की नीति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 (संशोधित 1992) में इस आशय की अपेक्षा की गई है कि शिक्षा वित्त राष्ट्रीय उत्पाद का कम से कम 8 प्रतिशत होना चाहिए। आठवीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक साधनों को और अधिक शिक्षा के लिए लगाया जायेगा और सार्वजनिक क्षेत्र में यह प्रयत्न किया जायेगा कि वित्त साधन पर्याप्त मात्रा में शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए मिल सके। अब तक किया शिक्षा पर व्यय 3 प्रतिशत के आसपास है जो निर्धारित नीति से आधा है।

18.6 वित्तीय साधनों में वृद्धि के उपाय

आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस बात का संकेत किया गया है कि वित्तीय साधनों की वृद्धि के लिए सरकारी प्रयास के अतिरिक्त निजी क्षेत्र एवं बाहरी आर्थिक सहायता जुटाने के भी प्रयास किए जायेंगे। इस प्रयास में निम्नलिखित नीति निर्देश सम्मिलित हैं।

शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग के लिए बाह्य देशों एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से (अन्तर्राष्ट्रीय बैंक आदि) से तालमेल। विशेषकर यह सहयोग शिक्षा-क्षेत्र के वरीयता कार्यक्रमों के लिए आवश्यक भी है और वांछनीय भी। परन्तु इस सहयोग में "राष्ट्रीय हित" की अवहेलना नहीं की जायेगी।

समुदाय से भी आर्थिक सहायता का प्रयास किया जायेगा। इसमें अभिनव प्रयोग, गुणवत्ता सुधार भौतिक सुविधाओं को बढ़ाने की दृष्टि से सहयोग तथा मूलभूत शिक्षा की प्राप्ति में समानता प्राप्त करना शामिल है।

वरीयता के आधार पर शैक्षिक कार्यक्रम है:

1. प्राथमिक शिक्षा 2. अनौपचारिक शिक्षा
3. प्रौढ़ शिक्षा 4. महिला शिक्षा
5. विकास एवं प्रौढ़ शिक्षा के "फोलोअप' शिक्षा कार्यक्रम

इस प्रकार के कार्यक्रम विशेषकर शिक्षा में पिछड़े राज्यों के लिए विशेष उल्लेखनीय है। ये राज्य हैं बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षक-शिक्षा के परियोजित कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण. -

कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण :- सन् 1987-88 से केन्द्र सरकार द्वारा शिक्षक-प्रशिक्षण हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाया गया था, जिससे शिक्षक 1986 के राष्ट्रीय नीति के आवश्यक पहलुओं के बारे में जानकारी व प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। आठवीं पंचवर्षीय योजना में विशेषकर निम्न कार्यक्रमों को वरीयता दी जाएगी।

1. माध्यमिक स्तर के शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाना।
2. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों को सुदृढ़ बनाना।
3. जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना।
4. विश्वविद्यालय में शिक्षा की अग्रिम अध्ययन संस्थानों की स्थापना /1987-88 और 1991 -92 के मध्य 12.96 लाख अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया। केन्द्रीय आर्थिक सहायता का विवरण भी इस प्रकार है।

1. शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना 287 संस्थान।
2. माध्यमिक स्तर के शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाएँ-25
3. शिक्षा की अग्रिम-अध्ययन संस्थान- 12 - आशा है कि यह कार्यक्रम आठवीं पंचवर्षीय योजना में और अधिक तत्परता से चलाया जायेगा।

18.7 स्वैच्छिक संगठनों का शिक्षक-शिक्षा में योगदान

यहां पर दो ऐसे व्यावसायिक शिक्षक संगठनों का हमें संक्षिप्त विवरण देंगे जिनके कार्यक्रमों ने शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण को अपनी संगोष्ठियों के माध्यम से नया मोड़ दिया है और शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में नये-नये आयामों को कार्यान्वयन करने में बौद्धिक और व्यावहारिक रूप से सहायता दी है। ये दो संगठन हैं:

1. आल इंडिया एसोसिएशन ऑफ ट्रेनिंग कॉलेज इन इंडिया।
2. नेशनल एसोसिएशन ऑफ टीचर एजुकेशन।

यहां पर यह बताना आवश्यक होगा कि पिछले चार दशकों में किए गये इन संगठनों का अकादमिक कार्यक्रमों का लेखा-जोखा तो उपलब्ध नहीं है परन्तु इनके एक या दो संगोष्ठियों के द्वारा प्रकाशित रपट उपलब्ध है। उनका थोड़ा बहुत विवरण हम अवश्य देना चाहेंगे।

18.7.1 आल इंडिया एशेशिएसन ऑफ ट्रेनिंग कॉलेज इन इंडिया

इस एशोशिएसन की सर्वप्रथम संगोष्ठी एम.एस. यूनिवर्सिटी, बड़ौदा के सहयोग से 23-25 नवम्बर 1950 में हुई। इस संगोष्ठी की रपट इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ बम्बई (1950) ने प्रकाशित की। आजकल इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ बम्बई का कार्यालय पूना में है। इसी एसोसिएशन की आठवीं कान्फ्रेंस 8-10 जून 1961 में बंगलौर में हुई। इसमें निम्नलिखित अकादमिक कार्यक्रमों पर विचार हुआ।

1. तृतीय पंचवर्षीय योजना में शिक्षक-शिक्षा में अनुसंधान।

2. शिक्षक-शिक्षा की तैयारी एवं स्वास्थ्य शिक्षा।
3. शिक्षक-शिक्षा के सर्वेक्षण की आवश्यकता।
4. विज्ञान-शिक्षा में पूर्व-शिक्षक प्रशिक्षण।
5. विज्ञान-किट।
6. श्रव्य-दृश्य शिक्षा का पाठ्यक्रम
7. भौतिक सुविधाएं।
8. शिक्षक-प्रशिक्षणशलाओं में विस्तार सेवा।
9. शिक्षक-प्रशिक्षणशालाओं का परीक्षा-सुधार में योगदान।

18.7.2 नेशनल एसोसिएशन ऑफ टीचर्स एजुकेटरस

यह एसोसिएशन भी सजग है और इसके कार्यक्रम भी समय-समय पर होते हैं।

इस एसोसिएशन की आठवीं विचार गोष्ठी 12-14 जून 1965 में तारादेवी (हिमाचल प्रदेश) में हुई। इस विचारगोष्ठी में बी.एड. तथा एम.एड. स्तर के पूर्व प्रशिक्षण एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण पर विचार हुआ और शिक्षक-शिक्षा की गुणवत्ता तथा शिक्षकों की अनुसंधान करने के लिए कार्यक्रमों पर भी विचार हुआ। राज्यों में भी इस प्रकार से कुछ अवश्य ही स्वैच्छिक संगठन होंगे जो शिक्षक-शिक्षा के कार्यक्रमों में अपना योगदान देते रहे हैं। आप इस प्रकार के संगठनों के कार्यक्रमों की जानकारी अपनी स्तर पर अवश्य कीजिए। सन् 1997 में इसका वार्षिक सम्मेलन (28 दिसम्बर से 30 दिसम्बर) गोवा में हो रहा है।

जब वित्त आयोगों को वित्त-आवंटन की जांच-पड़ताल में पुनरावलोकन के बाद, धन-राशि कम करने का अवसर मिला है, उन्होंने कम-शिक्षित राज्यों की धन-राशि को अधिक गहनता से लिया है जबकि आर्थिक दृष्टि से उन्नत प्रान्तों के बारे में ऐसा कम हुआ है। (पृ.सं 41) परिणाम यह हुआ कि इस से कम शिक्षित राज्यों की शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

शिक्षा वित्त एवं वित्त आयोग की आवंटन नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी -

पंचमुखी (1989) ने अपनी महत्वपूर्ण अध्ययन में वित्त आयोग का वित्त आवंटन नीति के विषय में कुछ आवश्यक टिप्पणियाँ दी हैं जिनका हम यहां इस इकाई के परिप्रेक्ष्य में आपको जानकारी देना चाहेंगे।

1. प्रान्तीय सरकारें अपनी "शिक्षा की अपरियोजित-व्यय" की आवश्यकता को अधिक वास्तविक दृष्टि से समझते हैं जबकि वित्त आयोग इस दिशा में उतना सफल नहीं है। फिर शिक्षा मे समानता के मूलभूत तत्वों के परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रमों के चयन के लिए भी उनकी समझ अच्छी है। (पृष्ठ सं. 10)
2. जब-जब वित्त आयोग को वित्त आवंटन न की जांच-पड़ताल में पूर्वालोकन के बाद, धनराशि कम करने का अवसर मिला है, उन्होंने कम-शिक्षित राज्यों का धनराशि का अधिक गहनता से लिया है। जबकि आर्थिक दृष्टि से उन्नत प्रान्तों के बारे में ऐसा

कम हुआ है (पृष्ठ संख्या 41)। जिसका परिणाम यह हुआ कि कम शिक्षित राज्यों की शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

18.8 शिक्षा और निजीकरण

शिक्षा का व्यापक विस्तार होने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र पर पिछले दशक में बहुत दबाव बढ़ गया है। अर्थशास्त्रियों एवं शिक्षाविदों का यह मत है कि कम से कम कुल राष्ट्र उत्पाद का 6 प्रतिशत अंक शिक्षा पर निवेश होना चाहिए। भारत में अभी यह केवल 3-4 प्रतिशत के मध्य है। मुद्रास्फीति के कारण वास्तविक निवेश तो और भी कम हो गया है।

पिछले दो वर्षो में आर्थिक बजटों के माध्यम से राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों में काफी बदलाव आया है। धीरे-धीरे औद्योगीकरण की नीतियों में निजीकरण की ओर झुकाव है। आर्थिक नीतियों को और अधिक उदारपूर्ण बनाया जा रहा है। आशा है कि अगले 2-3 वर्षो में इस उदारता को और तीव्र किया जायेगा।

जहां तक शिक्षा-क्षेत्र में विषय में इस उदारता का प्रश्न उठता है, उपरोक्त दबाव के कारण शिक्षा में निजी क्षेत्र से यह अपेक्षा की जाती है कि उच्च शिक्षा में वह और अधिक भागीदार बने ताकि सार्वजनिक क्षेत्र में बढ़ते वित्तीय दबाव को कम किया जा सके। धीरे-धीरे अब यह प्रश्न उठने लग गया है कि क्या शिक्षा का भी निजीकरण कर दिया जाये?

ऐतिहासिक दृष्टि से यदि देखा जाये तो यह मान्य है कि शिक्षा पहले घरेलू क्षेत्र (परिवार) की ही जिम्मेदारी थी। परन्तु इंग्लैंड के औद्योगिक क्रान्ति (1688) फांस की क्रान्ति (1789) और बाद में रूप की क्रान्ति (1917) ने शिक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व राज्य (सार्वजनिक क्षेत्र) के हाथों में देने के लिए बाध्य किया क्योंकि शिक्षा ही किसी मनुष्य एवं परिवार के सदस्यों की आर्थिक स्थिति एवं जीवन-स्तर को सुधारने का माध्यम समझा जाता है। कितने ही ऐसे शोध एवं अध्ययन हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि जिसके पास अधिक शिक्षा है, उसकी आय के वृद्धि होने में अधिक सम्भावनाएँ हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा एवं आय का सीधा संबंध है। इसी कारण अर्थशास्त्री इस बात की दलील भी देते हैं कि चूंकि शिक्षा में "निजी प्रतिफल दर से अधिक होती है विशेषकर उच्च शिक्षा के स्तर पर। तो फिर क्यों न शिक्षा में फीस की दरों को इस स्तर की शिक्षा के लिए बढ़ाया जाये जबकि उच्च शिक्षा में "फीस की दरें' अभी भी बहुत कम हैं। इसके विपरीत यह दलील दी जाती है कि ऐसा करने से सामाजिक समानता के सिद्धान्त को ठेस पहुंचेगी। जो बच्चे गरीब परिवारों के हैं, उनकी शिक्षा के अवसर तो फिर मंहगी शिक्षा के कारण बहुत फीके हो जायेंगे। एक दलील यह भी दी जाती है, कि उच्च शिक्षा में प्रवेश "खुले प्रवेश" नीति के बजाय "गुणवत्ता" के आधार पर होना चाहिए। इस दलील के अनुसार खुली प्रवेश नीति के कारण उच्च शिक्षा में "दक्षता एवं गुणवत्ता में हास हुआ है और छात्र अनुशासनहीनता अधिक बढ़ी है।

आर्थिक दबाव के कारण अब यह तो अनुभव होने लगा है कि उच्च शिक्षा में सार्वजनिक क्षेत्र से मिलने वाली आर्थिक सहायता अगले वर्षो में निःसंदेह कम होगी। इसके विपरीत इस आर्थिक सहायता की वरीयता "प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के पक्ष में हो जायेगा। अब प्रश्न उठता है कि क्या उच्च शिक्षा अथवा व्यावसायिक शिक्षा का निजीकरण कर दिया जाये?

हाल में "सर्वोच्च न्यायालय" द्वारा दिए गए फैसले से यह तो निश्चय हो गया है कि मेडिकल एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के प्रवेश के लिए दो प्रकार की फीसें होंगी जिनमें एक फीस उस उच्च आयुवर्ग के लिए होगी जो निर्धारित ऊंची फीस दर को दे सकने में समर्थ है तथा वे प्रतियोगिता के आधार पर ' मेधावी-सूची "मेरिट लिस्ट" में आ गये हैं। इस फैसले से "गुणवता" तथा सार्वजनिक क्षेत्र पर "बढ़ो दबाब" को कम करने जैसे दोनों ही बातें पूरी हो सकेंगी।

लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अभी देश में ऐसा कोई मत उभरकर नहीं आया है कि शिक्षा का निजीकरण कर दिया जाये। हाल की उदार नीति के फलस्वरूप यह प्रश्न अवश्य उठाया जा रहा है। भविष्य ही इस बात को स्पष्ट करेगा कि शिक्षा में निजीकरण किस स्तर तक होना चाहिए।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

अपनी प्रगति का मूल्यांकन निम्न प्रश्नों का उत्तर देकर कीजिए:

1. निबन्धात्मक प्रश्न:

1. भारत में ''शिक्षा-वित्त'' की व्यवस्था पर समीक्षा कीजिए। इसकी क्षमता एवं सार्थकता" बढ़ाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे।
2. केन्द्र तथा प्रान्तीय सरकारों के बीच वित्त-व्यवस्था की सहभागीदारी पर समीक्षा कीजिए। पंचवर्षीय योजनाओं में इसकी प्रवृत्ति पर टीका-टिप्पणी कीजिए।
3. सार्वजनिक क्षेत्र में शिक्षा-वित्त की प्रवृति पर आकड़ों के आधार पर समीक्षा कीजिए।
4. ''आठवीं पंचवर्षीय योजना" में शिक्षक-शिक्षा की परियोजनाओं की समीक्षा कीजिए।
5. आप इस विचार से कहां तक सहमत हैं कि भारत में शिक्षा का भी ''निजीकरण'' कर दिया जाये।

2. वस्तुनिष्ठ प्रश्न:

निम्नलिखित में जो कथन सही हैं उन पर (√) तथा जो गलत हैं उन पर (×) का निशान लगाएं।

1. योजना आयोग संविधान की धारा 282 के अनुसार परियोजित अनुदान का आवंटन करता है
2. वित्त आयोग केवल अपरियोजित धन-राशि के आवंटन की सिफारिश करता है। ( )
3. समवर्ती सूची में शिक्षा को जोड़ने से इसकी महत्तव घट गई है। ( )
4. केन्द्रीय सरकार का अधिकतर शिक्षा व्यय विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा के लिए होत है
5. राज्य सरकार का अधिकतर शिक्षा व्यय स्कूली शिक्षा पर होता है।

6. शिक्षा का विकास व्यय (परियोजित व्यय) अपरियोजित व्यय से अधिक होता है। ( )

7. आठवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षक-शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है। ( )

18.6 विभिन्न प्रकार की शिक्षण संस्थान

राष्ट्रीय शिक्षा-नीति (1986) में घोषणा की गई, कि समाज में अध्यापकों के स्तर से उसकी सांस्कृतिक सामाजिक विशिष्टता का ज्ञान होता है। यदि राष्ट्र को वैयक्तिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो सरकार एवं समाज को उन परिस्थितियों का संयोजन करना चाहिये, जिनसे शिक्षकों को निर्माण तथा सृजन की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिल सके। शिक्षा की चुनौती (1985) के प्राक्कथन में कहा गया है, कि शिक्षा द्वारा एक ऐसे समाज के सृजन के सपने को साकार करना है जो जीवन-पर्यन्त सीखने की प्रक्रिया में कार्यरत रहे। यह कार्य अध्यापकों के दृष्टिकोण और वैयक्तिक प्रभाव से सम्मव किया जा सकता है। अत: सम्पूर्ण शिक्षातंत्र और विशेषकर शिक्षक शिक्षा द्वारा ठोस अकादमिक कार्य करने पर विशेष बल दिया गया है। जिसके द्वारा परम्परागत सामाजिक, शाश्वत मूल्यों में गिरावट और उससे उत्पन्न होने वाले भटकाव से दूर अध्यापक शिक्षा से यह अपेक्षा की गई है कि अनुशासिक व्यक्तित्व के उदाहरण और विभिन्न शैक्षिक क्रियाओं के प्रतिपादन के क्रम में छात्रों को बहु मूल्य मानवीय मूल्यों के प्रयोग का अवसर उपलब्ध कराएं।

अध्यापक शिक्षा में गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुधार हेतु समय-समय पर विभिन्न आयोगों ने विभिन्न पाठ्यक्रम गोष्ठियों तथा सरकार, विश्वविद्यालय एवं अन्य अभिकरणों की भूमिका पर बल दिया गया। शिशु की प्राथमिक शिक्षा से लेकर विद्यार्थी की स्नातकोत्तर शिक्षा अध्यापक के विस्तृत दायित्व से संलग्न होती है। औपचारिक परिवेश में केवल पाठ्यक्रम पूर्ण करा देना, परीक्षाओं के प्रश्नपत्र तैयार कर देना अथवा उतारपुस्तिकाएं जांच कर अंक प्रदान कर देना, परीक्षाफल बना देना आदि कार्य तो शिक्षकीय सेवा के अनुबंधन मात्र हैं। वस्तुत: अध्यापकीय दायित्वों को किसी निश्चित सीमा या नियमावली में आबद्ध नहीं किया जा सकता है।

एक योग्य तथा आदर्श अध्यापक के शिक्षण के अलग-अलग स्तर पर अलग-अलग प्रकार के दायित्व निभाने पड़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर ऐसे शैक्षिक पाठ्यक्रम की पूर्ति के अतिरिक्त औपचारिक व्यवस्था पूर्ण कर लेने के बाद अनुशासन, नैतिक बोध, कार्यक्षमताओं का प्रसारण, पाठ्क्रमेत्तर शिक्षण में रूचि, पाठ्यपुस्तकेत्तर ज्ञान का प्रसारण, सांस्कृतिक चेतना का बोध आदि दायित्व भी निभाने होंगे। माध्यमिक स्तर पर ऐसे सहअस्तित्व की भावना का प्रसारण, विवेक, मौलिक प्रतिभाशक्ति का प्रसारण, राष्ट्रीय गतिविधियों का सामान्य ज्ञान, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थितियों का सामान्य ज्ञान, राष्ट्रीयता की चेतना आदि दायित्व निभाने होंगे। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों में स्वयं बोध की स्वतन्त्र सत्ता का विकास करना, अपनी अस्मिता को पहचानने में सक्षम बनाना, विद्यार्थियों की मानसिक परेशानियों का अध्ययन कर उनमें मैत्रीभाव पल्लवित करना, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उनमें अहम् बोध, नेतृत्व व्यक्तित्व का प्रभाव आदि संकल्पों का उदय करना, आरोपित पाठ्यक्रम का सुरूचि

सम्पन्न बनाना तथा साहित्य, संस्कृति, राजनीति एवं राष्ट्रीयता से सम्बन्धित विषयों पर खुली बहस एवं स्वस्थ चर्चाएं करनी होती है।

नई शिक्षानीति (1986) के अनुसार अध्यापकीय दायित्व एवं क्षमताओं का निरन्तर मूल्यांकन आवश्यक है। नीति सम्बन्धी दस्तावेज में शिक्षकों की आचार-संहिता बनाने का भी प्रस्ताव दिया गया है। इसके द्वारा शिक्षकों की सहभागिता अंकित की जा रही है, शिक्षा प्रक्रिया में उनकी सघन एवं सक्रिय भूमिका की अपेक्षा की जा रही है। यह तभी हो सकता है जबकि प्रशिक्षण काल में शिक्षकों को सही अकादमिक वातावरण उपलब्ध हो।

अकादमिक वातावरण एवं नियन्त्रण पर दृष्टिपात करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि आज हमारे देश में मोटे तौर पर कितने प्रकार की शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं हैं। विभिन्न प्रकारों के आधार पर ही विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों द्वारा अकादमिक नियन्त्रण रखा जा रहा है। हमारे देश में मुख्यतया 8 प्रकार की शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं दृष्टिगत हो रही हैं।

(अ) पूर्व प्राथमिक संस्थाएं

इनमें पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। सामान्यतया इन संस्थाओं में प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष है, पर गुजरात और महाराष्ट्र आदि कुछ राज्यों में दो वर्ष की है। इनमें हाई स्कूल तथा अपर-प्राइमरी पास व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाता है। इनमें नर्सरी, मांटेसरी, किंडरगार्टन, पूर्व-बेसिक, हैपी एजुकेशन आदि पाठ्यक्रम चल रहे हैं। ये संस्थाएं राजकीय एवं स्वसंचालित दोनों ही प्रकार की है। स्वसंचालित संस्थाओं में भी काफी संस्थाओं को राज्यों से सहायता अनुदान मिल रहा है।

(ब) प्राथमिक प्रशिक्षण विद्यालय

इनमें प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। कहीं-कहीं इनमें सह-शिक्षा प्रचलित नहीं है। अत: पुरूषों तथा महिलाओं के लिए पृथक-पृथक प्रशिक्षण संस्थाएं हें। ये संस्थाएं - राज्य सरकारों, स्थानीय बोर्डो व्यक्तिगत प्रबन्धकों आदि के द्वारा संचालित: की जाती है। बुनियादी तथा गैर बुनियादी दोनों ही प्रकार के प्राथमिक प्रशिक्षण विद्यालय में 2 वर्ष की प्रशिक्षण अवधि है।

(स) माध्यमिक प्रशिक्षण विद्यालय

इनमें मिडिल विद्यालयों के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इनमें प्रशिक्षण की अवधि कुछ. राज्यों में 1 वर्ष तथा कुछ में 2 वर्ष है। इनमें उपस्नातकों अर्थात् हाईस्कूल एवं इन्टर पास व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाता है। इन विद्यालयों में अध्ययन करने वाले सफल छात्रों को विश्वविद्यालय या राज्य के शिक्षा विभागों द्वारा सर्टीफिकेट अथवा डिप्लोमा दिए जाते हैं। बड़ौदा, बम्बई, गुजरात, कर्नाटक और पूना विश्वविद्यालय में एक वर्ष के प्रशिक्षण के बाद अध्यापक डिप्लोमा दिया जाता है। सागर, नागपुर और जबलपुर विश्वविद्यालय में दो वर्ष के प्रशिक्षण के पश्चात् शिक्षण में डिप्लोमा दिया जाता है। उड़ीसा राज्य का शिक्षा विभाग 2 वर्ष के प्रशिक्षण के बाद "अध्यापक सर्टीफिकेट" देता है। राजस्थान में दो वर्ष के प्रशिक्षण के पश्चात् तथा महाराष्ट्र में एक वर्ष के प्रशिक्षण के बाद STC या "माध्यमिक अध्यापक सर्टीफिकेट" दिया जाता है।

(द) शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय

इनमें मिडिल इनमें हाईस्कूलों तथा हायर सैकेण्डरी विद्यालयों के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इनमें प्रशिक्षण को अवरोध 1 वर्ष की है। और स्नातक परस्नातक को इनमें प्रवेश दिया जाता है। इनमें अध्ययन करने वाले छात्राध्यापकों को बी.एड. अथवा बी.टी. की उपाधि दी जाती है। इनका संचालन राज्यों के शिक्षा विभागों या विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाता है। कुछ प्रशिक्षण महाविद्यालय स्वतन्त्र इकाईयां हैं तो कुछ विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध है।

(य) शिक्षा के प्रादेशिक संस्थान -(Regional Institute of Education)

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) का एक सुझाव यह था, कि कृषि, वाणिज्य, गृहविज्ञान, ललित कलाओं आदि की शिक्षा के लिए बहुद्देश्यीय विद्यालयों की स्थापना की जाए। परम्परागत प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा इन विषयों की शिक्षा यह अनुभव करके भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय ने बहुद्देश्यीय विद्यालयों के शिक्षकों को व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक विषयों में प्रशिक्षण देने के लिए जुलाई 1963 में प्रादेशिक शिक्षा महाविद्यालयों की स्थापना की गई। इन महाविद्यालयों की स्थितियां एवं प्रादेशिक सीमाएं निम्न प्रकार है:-

(1) रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन भोपाल - पश्चिम प्रदेश (गुजरात, महाराष्ट्र तथा मध्यप्रदेश) के लिए।

(2) रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर - दक्षिणी प्रदेश (तमिलनाडु, केरल, मैसूर और आन्ध्रप्रदेश) के लिए।

(3) रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर - पूर्वी प्रदेशों के लिए।

(4) रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन अजमेर - उत्तरी प्रदेश (दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, जम्मु-कश्मीर, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के लिए।)

इन रीजनल कॉलेजों के मुख्य उद्देश्य बहु-उद्देशीय विद्यालयों के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, प्रचलित शिक्षण विधियों में सुधार करना, नवीनविधियो को खोजना, उनको क्रियान्वित करना, प्रसार-सेवाओं के लिए प्रादेशिक केन्द्रों के रूप में कार्य करना तथा अपने क्षेत्र में स्थित बहु-उद्देश्यीय विद्यालयों से सम्बन्धित शिक्षकों, प्रशासकों एवं सुपरवाईजर के लिए "सेवाकालीन शिक्षा" 'एवं' "क्षेत्रीय कार्य" की व्यवस्था करना।

ये रीजनल कॉलेज सेवाकालीन शिक्षा का अल्पकालीन कोर्स, बी.एड. ग्रीष्मकालीन तथा पत्राचार-कोर्स, विज्ञान के शिक्षकों के लिए 4 वर्ष का कोर्स, प्रौद्योगिकी के शिक्षकों के लिए 4 वर्ष का कोर्स, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बाद शिक्षा में 4 वर्ष का कोर्स, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बाद शिक्षा में 4 वर्ष का एकीकृत कोर्स, शिल्प अध्यापकों के लिए एक एवं दो वर्ष का डिप्लोमा कोर्स तथा 2 वर्ष का डिग्री कोर्स, कृषि विज्ञान, वाणिज्य, प्रौद्योगिकी, ललित कलाएं ओर गृहविज्ञान आदि में एक वर्ष का कोर्स आदि चलाते हैं।

(र) शिक्षा के राज्य संस्थान

"तीसरी पंचवर्षीय योजना" में भारत के प्राय: प्रत्येक राज्य और दिल्ली में शिक्षा के राज्य संस्थानों की स्थापना की गई। इन संस्थाओं के व्यय का पूर्ण भार भारतीय शिक्षा-मंत्रालय द्वारा वहन किया जाता है। इन संस्थानों के मुख्य कार्य हैं - शिक्षा का विस्तार करना, पुस्तकों

का प्रकाशन करना, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, शिक्षा- सम्बन्धी शोध कार्य करना और क्षेत्रीय कार्य करना।

(ल) पत्राचार पाठ्यक्रम केन्द्र

अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए पत्राचार बी.एड., संक्षिप्त पाठ्यक्रम ग्रीष्मकालीन सेवाकालीन पाठ्यक्रम आदि चलाये जा रहे हैं। वर्तमान समय में 20 से अधिक विश्वविद्यालय में बी.एड. के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम चल रहे हैं। पत्राचार कोर्स की अवधि रीजनल कॉलेजों में 14 माह की तथा सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ एज्यूकेशन में 16 माह की है। दोनों के कोर्स के लिए अनुभव की अवधि 5 तथा 3 वर्ष की है। प्राथमिक विद्यालयों के अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम को लगभग सभी राज्यों ने स्वीकार किया है। राजस्थान का "राज्य शिक्षा संस्थान" इस योजना के अनुसार कार्य कर रहा है।

(ब) विशेष प्रशिक्षण केन्द्र

इन केन्द्रों का उद्देश्य व्यक्तियों को विशेष विषयों में प्रशिक्षण देना है; जैसे शारीरिक शिक्षा, ललित कलाओं की शिक्षा, गृह विज्ञान की शिक्षा, शिल्पों की शिक्षा, अध्यापकों की शिक्षा और विज्ञान की शिक्षा आजादी के बाद उपरोक्त सभी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। इस संख्यात्मक वृद्धि के साथ-साथ इनके संगठन एवं स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ है। कुछ संस्थाएं विश्वविद्यालयों से संयुक्त है, कुछ संस्थाओं का सम्बन्ध राज्य के शिक्षा विभागों से है और कुछ स्वायत्त संस्थाएं हैं। इस प्रकार के प्रशासनिक भेद के कारण शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के गठन, स्वरूप, लागत आदि में सामान्य तौर से अन्तर दृष्टिगत होता है।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

अपनी प्रगति का निम्न प्रश्नों का उत्तर देकर कीजिए-

1 निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें।

(1) माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों के क्या प्रमुख दायित्व होते हैं।

(2) शिक्षा के प्रादेशिक संस्थान अन्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों से किस प्रकार भिन्न है।

(3) शिक्षा के राज्य संस्थानों की कार्यप्रणाली समझाइये।

18.7 प्राथमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा में अकादमिक नियंत्रण

प्राथमिक शिक्षा का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रदेश सरकार पर है। प्राथमिक शिक्षा के निःशुल्क और अनिवार्य बनाने के संवैधानिक संकल्प को पूर्ण करने का कार्य प्रदेश सरकार का है। प्राथमिक शालाओं के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की पूर्ति करने का भार भी प्रदेश सरकार पर ही है।

18.7.1 राज्य सरकार से सम्बन्ध

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षक-प्रशिक्षण के सर्वेक्षण के प्रतिवेदन प्रकाशित किये। इनके अनुसार राजकीय प्रशिक्षण शालाओं की संख्या गैर सरकारी संस्थाओं से अधिक है। राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जिसकी स्थापना

17 अक्टूबर 1978 को की गई शिक्षा के गुणात्मक विकास, अकादमिक कार्यक्रमों का नियोजन, सम्पादन एवं अनुवर्तन करते हैं, शैक्षिक उन्नयन हेतु ये संस्थान अनुसंधान परीक्षण एवं प्रयोग सम्पादित करते हैं साथ ही पाठ्यक्रम निर्माण पाठ्यपुस्तक लेखन, सन्दर्भ साहित्य निर्माण, अध्यापकों के लिए संदर्शिका का निर्माण, प्रधानाध्यापक वाकपीठ, जिला शैक्षिक अनुसंधान वाकपीठ (उर्फ) विद्यालय संगम, विद्यालय योजना आदि कार्यक्रम भी पूर्ण करते हैं। राज्य शिक्षा संस्थान शिक्षकों की प्रशिक्षण व्यवस्था तथा व्यावसायिक स्तर निर्माण का भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। पाठ्यचर्या का निर्माण संस्थान छः विभिन्न भागों में करते हैं। - सैद्धान्तिक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, कार्यानुभव, चित्रकला, सामुदायिक जीवन यापन तथा शारीरिक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा की राज्य समिति एवं शिक्षा विभाग परीक्षाएं आयोजित करते हैं तथा शिक्षकों को प्रमाण पत्र एवं डिप्लोमा प्रदान करते हैं। राज्य शिक्षा संस्थान प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम आयोजित करते हैं। साथ ही ये संस्थान अल्पकालीन पाठ्यक्रम, गोष्ठियां तथा पत्राचार पाठ्यक्रम आयोजित करते हैं। सेवारत प्राथमिक शिक्षकों के लिए संस्थान प्रतिवर्ष शिविर आयोजित करते हैं। इन कार्यक्रमों में नवीनतम अध्यापन-विधियों एवं नवाचरों से शिक्षकों को अवगत कराया जाता है।

कुछ राज्यों में शिक्षक शिक्षा एक बड़ी सीमा तक शिक्षा विभाग द्वारा नियंत्रित है। (उड़ीसा में प्राय: माध्यमिक स्तर की सभी शिक्षक शिक्षा संस्थाएं सरकार द्वारा नियन्त्रित संस्थाएं हैं)। शेष राज्यों में शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में निजी और सरकारी नियन्त्रण दोनों ही दृष्टिगत होते हैं। राजस्थान में शिक्षक शिक्षा संस्था प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के निदेशालय से संबद्ध है।

18.7.2 जिला स्तर पर शिक्षा एवं प्रशिक्षण

प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों, निरौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के जिला स्तर पर जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान अपनी स्थापना के बाद से ही अत्यधिक क्रियाशील है। प्राथमिक शिक्षा में विशिष्टीकरण रखने वाले योग्य शिक्षक "प्रोग्राम ऑफ एक्शन" के अनुसार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के संस्था प्रधान होंगे। संस्थान द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को कम्प्यूटर, वी.सी.आर., टी.वी. दृश्य श्रव्य सामग्री निर्माण से दक्ष बनाया जा रहा है। जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान औपचारिक शिक्षा प्रणाली हेतु शिक्षकों की पूर्व सेवा एवं सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रहा है, अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा के कर्मियों हेतु आरम्भिक तथा अनवरत शिक्षा की व्यवस्था एवं संस्थागत योजना एवं प्रबन्ध के बारे में संस्था प्रधानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। साथ ही ये संस्थान ऐच्छिक संगठनों के कर्मियों, समाज के नेताओं तथा विद्यालयी शिक्षा को प्रभावी करने वाले व्यक्तियों को अपेक्षित जानकारी तथा प्रशिक्षण देते हैं। शाला संगम तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ऑफ एज्यूकेशन को अकादमिक सहायता देना, प्रयोगात्मक कार्य तथा क्रियात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देना, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक पाठशालाओं तथा अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के मूल्यांकन केन्द्र के रूप में कार्य करना तथा संसाधन सेवा तथा अधिगम केन्द्र के रूप में कार्य करते हुए परामर्श देना भी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की कार्य सूची में आता है।

18.7.3 राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान से सम्बन्ध

भारत सरकार ने सर्वप्रथम सन् 1956 में राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा संस्थान की स्थापना की थी। इस संस्था को राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के दो विभाग, शिक्षक प्रशिक्षण विभाग एवं पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक विभाग करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के ये दोनों विभाग प्राथमिक स्तर की शिक्षक प्रशिक्षण सम्बन्धी समस्याओं पर अन्वेषण करते हैं। और प्रशिक्षण कार्यक्रम के विकास के लिए नई दिशाएं एवं आयाम निर्धारित करते हैं। प्रदेश के राज्य शिक्षा संस्थान और राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान मिल-जुलकर शिक्षक प्रशिक्षण की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करते हैं।

18.7.4 निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण

शिक्षक प्रशिक्षण शालाओं के निरीक्षण का उत्तरदायित्व अधिकांश प्रदेशों में शिक्षा विभाग के निदेशक अतिरिक्त निदेशक तथा उप-निदेशक के ऊपर होता है। अधिकांश प्रदेशों में निरीक्षण का कार्य जिला शिक्षा अधिकारी अथवा जिला विद्यालय निरीक्षक करता है। ये अधिकारी या तो स्वयं ही संस्थाओं का निरीक्षण करते हैं या अन्य व्यक्तियों को निरीक्षण दल में सम्मिलित कर लेत हैं। केरल महाराष्ट्र मध्यप्रदेश, उड़ीसा राजस्थान, पश्चिमी बंगाल और दिल्ली की प्रशिक्षण शालाओं का प्रतिवर्ष पैनल परिवीक्षण होता है। गुजरात में कभी-कभी जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा बिना पूर्व सूचना के भी इन संस्थाओं का निरीक्षण किया जाता है। केरल तथा राजस्थान में प्रशिक्षण शालाओं का निरीक्षण राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा नियमित रूप से किया जाता है।

माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा में अकादमिक नियंत्रण

माध्यमिक स्तर की कुछ शिक्षक संस्थाएं विश्वविद्यालयों से संयुक्त हैं, कुछ का सम्बन्ध राज्य के शिक्षा विभागों से है और कुछ स्वायत्त संस्थाएं हैं।

शिक्षक महाविद्यालयों का प्रबन्ध

देश के शिक्षक महाविद्यालयों का प्रबन्ध चार प्रकार की संस्थाएं करती है - प्रदेश सरकार विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और गैर सरकारी प्रबन्ध समितियां। कुछ अंश में केन्द्र सरकार का शिक्षक महाविद्यालयों के प्रबन्ध एवं संगठन में हाथ रहता है, क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का आर्थिक अनुदान शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में बढ़ता जा रहा है।

18.7.5 प्रदेश सरकार

शिक्षा प्रदेश (राज्य) की सूची में है। अत: इसका शिक्षक महाविद्यालयों के प्रबन्ध में बड़ा हाथ होता है। प्रत्येक प्रदेश में शिक्षक-प्रशिक्षण की नीति प्रदेश की सरकार निर्धारित करती है। प्रदेश सरकार इन संस्थाओं को आर्थिक अनुदान देती है, प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान करती है, शिक्षक-प्रशिक्षकों के वेतनमानों को निर्धारित करती है और कुछ सीमा तक शिक्षक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम निर्धारित करती है और शारीरिक शिक्षा तथा बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं को लेती है। प्रदेश सरकार शिक्षा नीति निर्धारित करती है, विश्वविद्यालय अधिनियम पारित करती है, विश्वविद्यालयों की स्थापना की स्वीकृति प्रदान करती। है। प्रदेश सरकार राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थापित करती है। उड़ीसा में सम्पूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण

व्यवस्था प्रदेश सरकार के हाथ में है। मध्य प्रदेश में लगभग 87 प्रतिशत संस्थाएं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाती हैं।

118.7.6 विश्वविद्यालय

अधिकांश शिक्षक महाविद्यालयों का सम्बन्ध विश्वविद्यालयों से होता है। विश्वविद्यालय इन महाविद्यालयों का पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं। परीक्षा लेते हैं और अधिवितरण करते हैं। केवल उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग प्रदेश में एल.टी. को परीक्षा लेता है तथा डिप्लोमा प्रदान करता है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्

इस परिषद् के अन्तर्गत चार क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल, अजमेर, भुवनेश्वर एवं मैसूर में कार्य कर रहे हैं। इन क्षेत्रीय संस्थानों में एक वर्षीय बी.एड. के अतिरिक्त चार वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं। दिल्ली का केन्द्रीय शिक्षा संस्थान भी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् का एक अंग है। यह परिषद विभिन्न शिक्षक महाविद्यालयों को शोध एवं अन्वेषण के लिए अनुदान देती है तथा शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए अन्त: सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है।

18.7.7 गैर सरकारी प्रबन्ध समितियां

अधिकांश शिक्षक महाविद्यालय गैर सरकार प्रबन्ध समितियों के अधीन कार्य करते हैं। बिहार तथा उड़ीसा को छोड़कर सभी प्रदेशों में प्राइवेट शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं। जिन संस्थाओं को सरकार की ओर से अनुदान प्राप्त होता है, उनको सरकार के कुछ नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना पड़ता है। प्रदेश द्वारा निर्धारित नियमों में बहुत भिन्नता है। कुछ प्रदेशों में शिक्षक महाविद्यालय प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियन्त्रण में होते हैं। कुछ प्रदेशों में उच्च अथवा महाविद्यालय शिक्षा विभाग इनके प्रबन्ध की देखभाल करते हैं और अनुदान देते हैं।

स्वमूल्यांकन

अब तक अपने जो सीखा उसका मूल्याकन निम्न प्रश्नों का उत्तर संक्षेप मे देकर कीजिए-

(1) शिक्षक प्रशिक्षण में डाइट (DIET) की भूमिका का वर्णन करें।

(2) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कार्यो का वर्णन करें।

(3) राजस्थान मे माध्यमिक स्तर की शिक्षक शिक्षा मे अकादमिक नियंत्रण किस प्रकार होता है

18.8 केन्द्रीय सरकार एवं शिक्षक प्रशिक्षण

भारत संविधान के अनुसार भारत सरकार प्रत्यक्ष रूप से शिक्षक प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी नहीं है। लेकिन केन्द्र सरकार के अन्तर्गत के कुछ विश्वविद्यालयों जैसे बनारस, अलीगढ़, विश्वभारती, जामिया मिलिया एवं दिल्ली आदि में शिक्षक प्रशिक्षण संकाय है। इनके अतिरिक्त केन्द्र प्रशासित प्रदेशों में केन्द्र द्वारा स्थापित प्रशिक्षण केन्द्र है। केन्द्र सरकार देश

की इन विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को शोध, पुस्तकालय, वाचनालय, भवन आदि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा करता है। इस आयोग ने उच्च स्तरीय शिक्षा अध्ययन केन्द्र की स्थापना एम.एस. विश्वविद्यालय बड़ौदा में की और यह अध्ययन केन्द्र शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में शोध एवं समन्वय का कार्य करता है। समय-समय पर यह शिक्षा के क्षेत्र में सर्वेक्षण समितियों की स्थापना करता है जो शिक्षण पाठ्यक्रम एवं शोध के क्षेत्र में जांच करती है और सुधार के लिए सुझाव देती है।

केन्द्र सरकार के योजना आयोग के अन्तर्गत शिक्षा विभाग है। यह विभाग सारे देश के शिक्षक-प्रशिक्षण के सुधार के लिए योजनाएं बनाता है। इसने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की है। इस परिषद का कार्य शैक्षिक सुधार (शिक्षक प्रशिक्षण) में योगदान देना है। यह विद्यालय शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए नीतियों एवं कार्यक्रमों को तैयार करने और कार्यान्वयन सम्बंध मामलों में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अकादमिक परामर्श देने में मुख्य अभिकरण की भूमिका निभाता है। यह राज्यों के शिक्षा विभागों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं जिनकी विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में रुचि है, के साथ निकट सहयोग से कार्य करती है। यह नई दिल्ली, चारों क्षेत्रीय महाविद्यालयों की परिषदों, केन्द्र शिक्षा तकनीकी संस्थान, नई दिल्ली एवं राज्य शिक्षा विभागों से सम्पर्क बनाये रखने के लिए विभिन्न राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों में 17 क्षेत्रीय कार्यालय की इकाईयों को अकादमिक संचालन दे रहा परिषद के चार क्षेत्रीय संस्थानों में चार वर्षीय शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम कला तथा विज्ञान में चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक वर्षीय बी.एड. तथा एम.एड. पाठ्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं। वर्तमान समय में शिक्षक शिक्षा का कार्य परिषद के शिक्षक-शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा तथा सेवा प्रसार विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके विभिन्न विभाग शिक्षा संबंधी जानकारी एकत्र करने, शोध करने प्रसार सेवा के माध्यमिक से नवीन ज्ञान एवं प्रवृत्तियों को विद्यालयों तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। देशव्यापी परीक्षा प्रणाली सुधार का कार्य भी इस संस्थान द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शिक्षक शिक्षा विभाग ने आधुनिकतम बनाने का प्रयास किया। शिक्षकों में रचनात्मक लेखन कला के विकास हेतु सेमीनार रीडिंग कार्यक्रम चलाया जा रहा है। योग्य शिक्षक पुरस्कृत भी किये जाते हैं। परिषद द्वारा मुद्रित विभिन्न पाठ्यपुस्तकें पूरे देश में बहुत लोकप्रिय हो चुकी है। परिषद द्वारा चार पत्रिकाओं का प्रकाश भी किया जाता है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद मुख्य रूप से अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण एवं विस्ता के क्षेत्र में कार्यरत् है। इसने समूचे राष्ट्र में शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली को लागू करने का ठोस प्रयास किया है। विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न चरणों के लिए पाठ्यक्रम विकसित करने के अतिरिक्त परिषद् ने सम्पूर्ण विद्यालयी शिक्षा (1 से 12 तक) के लिए लगभग सभी विषयों में पाठ्यपुस्तकें तैयार की है। विद्यालयों के प्रयोग हेतु वीडियो टेप, फिल्में तथा दृश्य सामग्री तैयार की है। परिषद ने प्राथमिक तथा मिडिल विद्यालयों के लिए कम लागत वाले 'विज्ञान किट' भी तैयार किए हैं। परिषद ने प्राथमिक क्षेत्र में यूनेस्को तथा यूनिसेफ द्वारा संचालित सहायता प्राप्त परियोजनाओं को लागू करने में बड़ी मदद पहुंचाई।

कुछ चुने हुए विद्यालयों में कम्प्यूटर लगाकर शिक्षा देने का भी प्रयास राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा किया जा रहा है। छात्रों की जनसंख्या समस्या के प्रति जागरूक बनाने के लिए यू एन.एफ.पी.ए. के सहयोग से जनसंख्या शिक्षा परियोजना भी लाग की जा चुकी है। विद्यालयी शिक्षा में युनिसेफ की पांच प्रमुख परियोजनाएं कार्य कर रही है, जो इस प्रकार है :-

(1) प्राथमिक शिक्षा को व्यापक पहुंच तक लाना

(2) पोषण स्वास्थ शिक्षा एवं स्वच्छ वातावरण प्रदान करना

(3) प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम का नवीनीकरण

(4) सामुदायिक शिक्षा और भागीदारी में विकासात्मक गतिविधियां

(5) बच्चों की मीडिया, प्रयोगशाला व बाल्यावस्था की शिक्षा

विद्यालयी पाठ्यपुस्तकों की गुणात्मकता और राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से परिषद् द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। इसके द्वारा एक नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम समूचे राष्ट्र के लिए बनाया' गया है। परिषद् की समिति 'एरिक' (एज्यूकेशन रिसर्च एण्ड इन्नोवेशन कमेटी) द्वारा अनुसंधान कार्य का सम्पादन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। साथ ही यह एन.सी.आइ.ई. के मुख्यालय के रूप में भी कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह परिषद् प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है तथा विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर परामर्श सेवाएं भी देता है।

18.8.1 राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एवं शिक्षक प्रशिक्षण

शिक्षा के स्तर को उन्नयन करने की दृष्टि से 1973 से राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद कार्य कर रही है। इसके सदस्य केन्द्रीय शिक्षा मंत्री (अध्यक्ष), प्रत्येक राज्य के शिक्ष विभाग का एक प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक सदस्य का एक सदस्य, आलइंडिया कौंसिल फार टैक्निकल एजूकेशन का एक सदस्य, सेन्ट्रल एडवाईजरी बोर्ड ऑफ एजूकेशन का एक सदस्य, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का एक सदस्य, आयोजना आयोग प्रतिनिधि एक सदस्य, भारत सरकार द्वारा मनोनीत 12 सदस्य, शिक्षा सचिव परिषद अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत एक सदस्य तथा मेम्बर सक्रेटरी के पद पर एक सदस्य इस प्रकार कुल 41 सदस्यों की यह परिषद् बनी है। यह परिषद मुख्य रूप से शिक्षक शिक्षा से संबंधित सभी मामलों पर भारत सरकार को परामर्श देती है।

पूर्व सेवा तथा सेवारत प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम का मूल्यांकन तथा समय समय पर सुधार की प्रगति को आंकना इस परिषद का मुख्य कार्य है। यह राज्य सरकार को समय समय पर शिक्षक शिक्षा से संबंधित किसी योजना के विषय में भी राय देती है। शिक्षक शिक्षा से संबंधित सभी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना भी इसके कार्यो में आता है। साथ ही यह शिक्षक शिक्षा में अपेक्षित स्तर को बनाएं रखने के लिए सरकार को परामर्श भी देती है।

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् को कानूनी अधिकार नहीं मिलने से यह परिषद् राज्यों को मात्र परामर्श ही दे रही थी। यह राज्यों पर निर्भर रहता है कि वे इसकी राय को माने या नहीं माने। नवीन शिक्षा नीति (1986) के क्रियान्वयन के बाद संसद द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् को संवैधानिक मान्यता एवं कानूनी अधिकार मिल गये हैं। अब यह संस्था एक स्टेटचुरी

बाडी के रूप में कार्य कर रही है। अब इसके महत्वपूर्ण कार्यो में विभिन्न स्तरीय शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों को जो विश्वविद्यालय प्रांतीय संस्थान या सरकार द्वारा बनाएं जाएगें उन्हें मान्यता प्रदान करना तथा विभिन्न विशेषज्ञों एवं समितियों द्वारा तैयार किये गये मानकों को दृष्टि में रखते हुए शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थापकों को प्रमाणित करना तथा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं में अकादमिक व प्रशासकीय स्टेण्डर्ड को बनाए रखना है। अब इसकी भूमिका मात्र परामर्शदात्री संस्था ही नहीं है, अपितु इसके नियमों की अनुपालना बाध्यता है।

18.9 स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजूकेशन

शिक्षक शिक्षा में समुचित सुधार लाने की दृष्टि से स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजूकेशन गठित करने की योजना भी बनाई गई। ये बोर्ड प्रशिक्षण संस्थाओं के सार को निर्धारित करेंगे तथा शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, कार्यक्रमों, परीक्षाओं तथा शिक्षण सामग्री में सुधार करना, प्रशिक्षण संस्थाओं की मान्यता की शर्ते बनाना, उनके निरीक्षण की समय समय पर व्यवस्था करना आदि इसके मुख्य कार्य निश्चित किये गये। यह बोर्ड शिक्षा के विभिन्न आयामों में सुधार लाने के लिए एक प्रमुख अभिकरण साबित होगा तथा राज्य के शिक्षकों एवं प्रशिक्षकों में आत्मविश्वास जगाने, उन्हें प्रोत्साहन देने तथा राज्य सरकार को समुचित परामर्श देने का दायित्व निभाएगा।

प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा में अकादमिक नियंत्रण निम्नलिखित चार्ट के द्वारा अधिक स्पष्ट किया जा सकता है।

18.10 अध्यापक शिक्षा में शैक्षणिक नियंत्रण संबंधी कमियाँ एवं सुझाव

प्रभावशाली अध्यापन उत्पन्न करने के लिए उनमें सही ज्ञान का होना आवश्यक है। सैद्धान्तिक ज्ञान अर्जित करके उपाधि ले ली जाती है। परन्तु व्यावहारिक ज्ञान की कमी नजर आती है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाले अध्यापक का उच्चारण व लेख अशुद्ध होगा तो अपने आप बच्चों की नींव कमजोर रखी जाएगी। दुष्परिणाम यह होता है कि एक ओर अध्यापक शिक्षा का स्तर गिरता जाता है, दूसरों और प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का स्तर भी गिरता हैं अध्यापकों के विषय ज्ञान की कमजोरियाँ शिक्षा के विकास में बाध्यक सिद्ध होती हैं।

अनेक समितियाँ एवं आयोगों के गठन और उनकी प्रभावशाली संस्तुतियो के बावजूद भी अध्यापक शिक्षा का पाठ्यक्रम दोषपूर्ण है। साथ ही नवाचार विधियों का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम व्यावसायिक अभिवृति के विकास की और ध्यान नहीं देते हैं।

वर्ष 2006-2007 में इतने अधिक शिक्षण महाविद्यालय खुल गए हैं जो संस्थाएँ विद्यार्थियों के शुल्क से चलेंगे वहाँ के शैक्षणिक स्तर की कल्पना करना बहुत ही कष्टदायक प्रतीत होता है। अध्यापक शिक्षक के चयन की नीति में भी गुणवत्ता की अवहेलना करके दूसरे अवांछनीय तत्वों को प्राथमिकता दी जाती है। अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान अपेक्षित है और जो कुछ अनुसंधान इस क्षेत्र में होते हैं उनका स्तर निम्न होता है।

18.10.1 सुझाव

सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक विषय के पाठ्यक्रमों को पुन: व्यवस्थित या नियोजित किया जाना चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नियोजित पाठ्यक्रम अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाए। अध्यापक शिक्षा विभागों को स्थापित करते समय मानकों एवं सुविधाओं का अनुसरण करना चाहिए। अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था अनुसंधान से प्राप्त करने योग्य उद्देश्यों पर आधारित होनी चाहिए जैसे -

अध्यापक व्यवहार

तत्यात्मक आधार व निर्देशन के सिद्धान्तों को विकसित करना

नवीन शिक्षण में नवीन अभ्यास जैसे कि सूक्ष्म शिक्षण, निर्देशन विश्लेषण पद्धति

अध्यापक-प्रशिक्षकों की अध्यापक शिक्षा में व्यावसायिक संस्था को अत्यधिक प्रभावशाली बनाना चाहिए। इसमें भिन्न विषय क्षेत्रों में श्रेष्ठ विद्वानों को बुलाते रहना चाहिए। व्यावसायिक विकास के लिए वहाँ पर सेमीनार, ग्रीष्मकालीन गोष्ठियों का समय-समय पर आयोजन करते रहना चाहिए। विश्वविद्यालयों के लिए अलग स्वत शिक्षा विभाग का निर्माण करना चाहिए ताकि अध्यापक शिक्षा संस्थाएँ एवं विभाग कार्यक्रमों को संचालित करने में अधिकाधिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकें।

शिक्षा विषय को शैक्षिक विषय में भी सम्मिलित करना चाहिए। शिक्षा को शैक्षणिक तथा व्यावसायिक रूप में सम्मिलित करने और अन्त:विषयक उपागम को बढ़ावा देने से विश्वविद्यालय स्तर पर अध्यापक शिक्षा के अलगाव की समस्या का समाधान किया जा सकता है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने इस अलगाव को दूर करने के लिए प्रसार सेवा केन्द्र स्थापित किए हैं।

सुझाव

चार्ट-1

शिक्षक शिक्षा में अकादमिक नियंत्रण

विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण एवं नियन्त्रण (अकादमिक)	संस्थाएं	प्राथमिक	माध्यमिक शिक्षक शिक्षा
(1) पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थाएं	शिक्षक शिक्षा राज्य एवं स्वसंचालित एवं व्यक्तिगत प्रबन्धकों का नियंत्रण	शिक्षक शिक्षा प्रदेश सरकार द्वारा पूर्ण नियंत्रण राज्य सरकार से सम्बन्ध - राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	प्रदेश सरकार. विश्वविद्यालय द्वारा नियन्त्रण
एवं नियन्त्रण (अकादमिक)			
(1) पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थाएं			नियन्त्रण सम्बन्ध अभिकरण

1. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद,
2. गैर सरकार एवं प्रबन्ध समितियाँ
3. केन्द्रीय सरकार के विश्वविद्यालय
4. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.)
5. स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन।

(2) प्राथमिक प्रशिक्षण / संस्थाएं	राज्य सरकारों, स्थानीय बोर्ड एवं व्यक्तिगत प्रबन्धकों का नियंत्रक	
(3) माध्यमिक प्रशिक्षण संस्थाएं शिक्षक प्रशिक्षण	विश्वविद्यालय तथा राज्य शिक्षा शिक्षा विभाग द्वारा नियंत्रण	कुछ राज्यों (उड़ीसा) में शिक्षा विभाग एवं सरकार द्वारा अकादमिक नियंत्रण
(4) महाविद्यालय	राज्यों के शिक्षा विभाग एवं विश्वविद्यालय द्वारा नियंत्रण	राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान
(5) शिक्षा के प्रादेशिक कॉलेज	शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालय तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद	शिक्षा विभाग के निदेशक अतिरिक्त निदेशक एवं उपनिदेशक द्वारा निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण
(6) प्राथमिक प्रशिक्षण / संस्थाएं	राज्य सरकारों, स्थानीय बोर्ड एवं व्यक्तिगत प्रबन्धकों का नियंत्रण	जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण (गुजरात मे)

(7) पत्राचार	राज्य शिक्षा राज्य शिक्षा संस्थान एवं खुले विश्वविद्यालयों द्वारा नियंत्रण
पाठ्यक्रम केन्द्र	
(8) विशेष केन्द्र	राज्य शिक्षा संस्थान, विश्वविद्यालय तथा रा.श.अ एवं प्र. परिषद द्वारा नियंत्रण

अध्यापक शिक्षा के लिए शिक्षा आयोग ने बड़े स्तर पर अध्यापक-प्रशिक्षक सेवाओं एवं सहयोगी कार्यक्रमों की आवश्यकता पर बल दिया है। संवेदनशील प्रयास ही इस समस्या को सुलझाने का काम दीर्घकाल से कर सकते हैं।

मूल्यांकन प्रश्न

अब तक आपने जो सीखा उसका मूल्यांकन आप स्वयं निम्न प्रश्नों का उत्तर देकर कीजिए

(1) केन्द्रीय सरकार शिक्षक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में किस प्रकार सहायता कर सकती है?

(2) एन.सी.टी.ई. द्वारा शिक्षक शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन किए जा रहे हैं, कैसे?

(3) विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाओं के अकादमिक नियंत्रण पर एक लेख लिखें।

18.11 संदर्भ ग्रंथ

1. Adval,S.B.;The Third Indian year Book of Educational Research, NCERT,New Delhi,1968
2. Arora,Kamla;"Teacher Education in Independent India"NIE Journal Vol.II.2,November,1972
3. Bhat,B.Dand J.C.Aggarwal, Education Documents in Indian(1931-1968),Arya Book Depot New Delhi 1969.
4. Chaurasia,G,New Era in Teacher Education Sterling Pub.Delhi,1967.
5. Chitana,Mulkh Raj;Inservice Education of Elementary Teachers,Indian Association of Teacher Educators,New Delhi,1968.
6. Desai,D.M.,"curricular Changes in Teacher Education"Teacher Education Vallabha Vidya Nager:Sardar Patel University,1969.
7. Dikshit,S.S.Teacher Education in MODERN Democraties Sterling Pub:1969.
8. Dunkin Michael.(ed)The International Encyclopedia of Teaching and Teacher Education,Pergamonpress Oxford 1987.

9. Khan,MOHD.Sharif,Teacher Education in Indian and Abroad,Ashish Pub.New Delhi 1983.
10. Kohll,V.K.Teacher Education in India,Vivek Pub.Ambalacity,1992.
11. Kundu,C.L) (ed) Indian Year Book on Teacher Education Sterling Pub.New Delhi 1988. .
12. Mukerji,S.N.(ed) Education of Teacher in India Vol.I S.Chand&Co.1968.
13. Mukerji,S.N.(ed) Education of Teacher in India Vol.II S.Chand&Com.New Delhi 1968.
14. Oaliwal.M.R.Teacher Education on the Move,Uppal pub.New Delhi 1985.
15. Govt.of India;Programme of Action Ministry of Human Resource Dev.Deptt.of Edu.1986.
16. जी.सी वैन्कटासूबा राव मैन्वैल ऑफ इंडियन कंस्टीच्यूसनल लॉ: लॉ एकेडमी, प्राइवेट लि. हैदराबाद- 988 पृ.सं. 195
17. प्रोग्राम ऑफ सेक्शन (1992) मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार अध्याय 22, पृ. 205-210
18. एच.एन. पंडित (1976) इन्वेस्टमैंट इन इंडियन एजूकेशन, साईज, सोरसिज एंड एकिफकटवन्स, यूनेस्को, पैरिस पृ.सं. 17-25, पृ.स. 21
19. योजना आयोग आठवीं पंचवर्षीय योजना : शिक्षा अध्याय नई दिल्ली

इकाई 19

शिक्षक शिक्षा में शोध की प्रकृति, प्रासंगिकता, क्षेत्र, समस्याएँ एवं प्रवृत्तियाँ Nature Relevance, Scope Problem and Trends in Teacher Education

इकाई संरचना

19.0 लक्ष्य एवं उद्देश्य

19.1 प्रस्तावना

19.2 शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में शोध प्रासंगिकता व उद्देश्य

19.3 शिक्षक शिक्षा में शोध की समस्याएँ

19.3.1 शोध विधियों से संबंधित समस्याएँ

19.3.2 शोध प्रशासन व संगठन से संबंधित समस्याएँ

19.3.3 भविष्य की प्रवृतियाँ

19.4 शिक्षक शिक्षा में शोध की आवश्यकता पुर्ननिरीक्षण

19.5 शिक्षक शिक्षा में शोध के क्षेत्र

19.5.1 शोध की वहद श्रेणियाँ

19.5.2 संदर्भ उपव्यवस्था

19.5.3 पूर्वानुमान उपव्यवस्था

19.5.4 प्रक्रिया उपव्यवस्था

19.5.5 उत्पाद अपव्यवस्था

19.6 शोध के उभरते हुए भविष्यात्मक उपागम

19.6.1 बालकेन्द्रित उपागम

19.6.2 शैक्षणिक तकनीक एवं संचार

19.6.3 व्यावसायीकरण

19.7 शिक्षक शिक्षा की संकल्पना एवं उद्देश्य

19.8 भारत में शिक्षक शिक्षा

19.9 मुख्य मुद्दे व समस्याएँ

19.10 शिक्षक शिक्षा में भविष्य की प्रवृत्ति

19.10.1 शिक्षक शिक्षा में नई प्रवृत्ति

19.10.2 शिक्षक शिक्षा में नये क्षेत्र

19.11 संदर्भ ग्रन्थ

19.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप इस योग्य होंगे कि

- शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में शोध को समझ सकेंगे।
- शिक्षक के संदर्भ में शोध के उद्देश्य तथा उसकी प्रासंगिकता से परिचित हो सकेंगे।
- शिक्षक शिक्षा में शोध की समस्याओं से परिचित हो सकेंगे।
- शिक्षक शिक्षा के शोध की आवश्यकता एवं उभरते हुए रूप से परिचित हो सकेंगे।
- शिक्षकों को तैयार करने वाले मुख्य अभिकरणों के लक्षणों को जान सकेंगे।
- शिक्षक शिक्षा के नये क्षेत्रों की पहचान कर सकेंगे।
- शिक्षक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं से परिचित हो सकेंगे।

19.1 प्रस्तावना

शिक्षा मनोविज्ञान तथा अनुदेशन तकनीकी के नवाचारों ने शिक्षा शास्त्रियों को देश के शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रम के बारे में पुन: सोचने के लिए मजबूर किया। अब निःसंदेह यह कहा जा सकता है कि शिक्षक शिक्षा की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षक शिक्षा की समस्याओं के संबंध में हमारी शोध की दशा कैसी है? अदावल (1968) ने कहा था शिक्षक शिक्षा के शोध पर हमारे देश से जितना ध्यान दिया जाना चाहिए, उतना हम दे नहीं पा रहे है। यह आज के भी संदर्भ में भी उतना ही सत्य है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिक्षक और शिक्षण पर शोध कार्य नहीं हो रहा है, अपितु इस क्षेत्र में शोध तो पीढ़ियों से हो रहे हैं। भारत में प्राचीन समय से ही शिक्षक तथा शिक्षार्थी के गुणों की चर्चा होती रही है। यह अलग बात है कि अब समय के साथ शिक्षक की भूमिका तथा संकल्पना बड़ी तेजी के साथ बदल गई है।

यह इकाई शिक्षक शिक्षा में शोध का कोई पूरा लेखा-जोखा नहीं प्रस्तुत कर रही है - और न तो यह उसका समालोचनात्मक पुनरावलोकन (Review) ही है। यहाँ पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि शिक्षक शिक्षा की समस्या इतनी मिश्रित व उलझी हुई है कि एक इकाई में उसका वर्णन संभव नहीं है।

इस इकाई में हम शिक्षक शिक्षा में शोध में संबंधित कुछ समस्याओं (Issues) को लेकर भारतीय संदर्भ में उनका विवेचन करेंगे। क्योंकि इस इकाई का मुख्य उद्देश्य शिक्षक शिक्षा की विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में आप में विशिष्ट ज्ञान तथा समझ का विकास करना है। यहां पर हमने भारत के संदर्भ में किए गए शोधों के अध्ययनों पर विशेष ध्यान दिया है ताकि भारतीय शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में आप में उचित संकल्पना का विकास हो सके।

19.2 शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में शोध प्रासंगिकता व उद्देश्य

शैक्षिक शोधों में शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे हैं अनुसंधानों का विशिष्ट महत्त्व है, परंतु शिक्षक का व्यवहार इतना जटिल (Complex) होता है कि उसके संबंध में कुछ भविष्यवाणी करना अत्यन्त कठिन है। शायद यही कारण है कि हमारे देश की शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं उतने प्रभावशाली शिक्षक तैयार करने में सफल हो सकी है। अपने देश में शिक्षक शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों / पाठ्याक्रमों को तय करते समय भारतीय संदर्भ में किए गये अनुसंधानों को आधार नहीं बनाया गया तथा हमारी शिक्षक की योजनाएँ व विधियां दूसरे देशों में किए गए अध्ययनों पर निर्भर करती रही। अत: इनकी असफलता स्वाभाविक है, क्योंकि दूसरे देशों के अध्ययन के परिणाम हमारे यहां पूर्णतया उपयोगी कैसे हो सकते हैं? हमारे देश का सामाजिक,

आर्थिक, साँस्कृतिक, ढांचा-पश्चिमी देशों से अलग है। देश के सामाजिक-आर्थिक ढांचे से शिक्षक का व्यवहार भी काफी प्रभावित होता है, अत: किसी देश की शिक्षक शिक्षा का अध्ययन उस देश की परिस्थितियों के अनुसार भी होना चाहिये।

शिक्षक तथा शिक्षण के क्षेत्र में शोध का प्रमुख उद्देश्य देश की शिक्षण शिक्षा को ऊंचा उठाना तथा प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तर हेतु प्रभावशाली शिक्षक तैयार करना है। इसके अलावा इन अनुसंधानों के परिणाम शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में देश की भावी नीतियों के निर्माण हेतु आधार भी प्रदान करते हैं।

प्रो.एल.सी. सिंह (1988) ने शिक्षक शिक्षा से संबंधित शोधों को शिक्षा के लिए किए जाने वाले सामान्य शोधों (General Research) के संदर्भ में देखा है। इनके अनुसार शैक्षिक शोधों के दो मुख्य उद्देश्य होते हैं - पहला शैक्षिक प्रघटना को (Phenomenon) को समझना तथा दूसरा उनमें रूपांतर (Transform) करना। इसके लिए घटना के विभिन्न अंगों (Dynamics of Phenomenon) को अवधारित (Conceptualise) तथा नियंत्रित किया जाता है, उसकी व्याख्या की जाती है तथा भविष्यवाणी की जाती है। इस संबंध में रूपांतरण से तात्पर्य है कि इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु यथास्थान अपेक्षित परिवर्तनों का समावेश करना। आइए, शिक्षक के संदर्भ में हम उपर्युक्त वर्णित इन दो उद्देश्यों का परीक्षण करें।

शिक्षक शिक्षा को समझने हेतु उसके चार चरों के समूह को (Four Sets of Variables) को समझना होगा -

अवधारणा (Conceptualisation)

व्याख्या (Explanation)

नियंत्रण (Control)

भविष्यवाणी (प्रागुवित) (Prediction)

आइए अब एक एक चरों के समूह को समझें -

अवधारणा का विकास :- इसका अर्थ शिक्षक शिक्षा से संबंधित विभिन्न चरों का आपस में संभाव्य अंतर्सम्बन्ध है। यह चर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किए जा सकते हैं - जैसे मैट्रिक्स (Matrix), फ्रेम वर्क (Frame work) या पैरा डाइम (विचार बिंदु) (Paradigm)। चरों की यह अंतर्सम्बन्धता (Inter Relationship) हो सकता है कि अनुभवजन्य आंकड़ों (Emperical data) पर आधारित न हो (संभव है कि उसका सत्यापन हो भी सके (Verification / न भी हो सके)। यह शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में शोध को जानने की प्रारंभिक स्थिति है। अवधारणात्मक मैट्रिक्स (conceptual matrix/ framework) के अंतर्गत बहुत सारे चर समाहित किए जा सकते हैं - अत: अवधारणा के विकास (कन्सेप्चुअलाइजेशन) का तात्पर्य, शिक्षक शिक्षा के विभिन्न चरों का वर्गीकरण तथा आपस में उनकी अन्तर्सम्बन्धता से है।

केवल शिक्षक शिक्षा / (प्रघटता) के चरों के जान लेने से शैक्षिक अनुसंधानों को पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता है। - बल्कि इसके लिए शोधकर्त्ता को थोड़ा आगे बढ़कर इसके प्रघटकों (Phenomenon) को समझना होगा तथा उसे शिक्षक शिक्षा के विभिन्न चरों के मध्य संबंधों की व्याख्या भी करनी होगी - क्योंकि इन चरों में कार्य - प्रभाव (कारण) (Cause Effect) की वजह

से एक विशिष्ट संबंध होता है। जो चर कारण के रूप में कार्य करते हैं, उन्हें स्वतंत्र चर, जिन पर प्रभाव पड़ता है उन्हें परवर्ती चर (Dependent Variable) कहते हैं। यह चर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव डाल सकते हैं। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि व्याख्या जो कि शिक्षक शिक्षा में शोध का एक उप उद्देश्य (Sub-objective) है - यह शोधकर्ता को अवधारणात्मक (Conceptutation Alisation Stage) अवस्था से भी एक कदम आगे तक ले जाती है।

विभिन्न चरों की बीच में संबंध बहुत सीधा और साधारण नहीं है। दूसरे शब्दों में चरों के मध्य कार्य कारण संबंधों को अध्ययन करना बहुत कठिन है। इसके लिए शोधकर्ता को ऐसी कृत्रिम परिस्थितियों का निर्माण करना होता है - जिसमें इस कार्य-कारण संबंध का अध्ययन किया जा सके। उसे एक चर का कार्य-करण प्रभाव देखते हुए दूसरे चरों को नियंत्रित करना होता है। प्रो. सिंह (1986) ने भी कहा है कि बिन चरों को नियंत्रित किए हुए कोई शोधकर्ता शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की प्रभावशीलता के संबंध में उचित निर्णय नहीं ले सकता है। इसके साथ-साथ प्रो.सिंह ने सावधान भी किया कि एक शोधकर्ता के लिए हमेशा यह संभव नहीं होता है कि वह दी गई परिस्थिति में प्रभावित करने वाले सभी चरों को नियंत्रित कर सके। ऐसी परिस्थिति में शोधकर्ता को परीक्षण प्राकल्प (Experimental Design) या विशिष्ट सांख्यकीय प्रविधियों का विकल्प के रूप में प्रयोग वास्तविक परीक्षण शोधों में करना चाहिए। शिक्षक शिक्षा के शोधों को समझने की यह तीसरी अवस्था है।

अब तक हम तीन चर समूहों के बारे में बात कर चुके हैं - प्रघटनाओं (Phenomenon) को समझना, समाहित संकल्पनाओं की व्याख्या तथा कार्यकारण सहसंबंध का चरों को नियंत्रित कर अध्ययन करना। पर हम किसी प्रघटना के कार्यकारण संबंध का अध्ययन क्यों करते हैं? वास्तव में हमें संकल्पना अवधारणा (Conceptualisation) व्याख्या (Explanation) शिक्षण तथा शिक्षक के व्यवहार के संबंध में शोधों को प्रभावित करने वाले चरों के आधार पर कुछ भविष्यवाणियां (Prediction) करनी होती है। शोधकर्ता दिए गये चरों के आधार पर एक चर का दूसरे चर पर प्रभाव की भविष्यवाणी कर सकते हैं। व्यावहारिक रूप से शोध कार्यक्रम तभी विकसित होगा जबकि उनके परिणाम अनुभवजन्य आकड़ों पर आधारित होंगे। उदाहरण के लिए शिक्षक की प्रभावशीलता का मापन उसकी अभिवृत्ति, कार्य संतोष (Job Satisfaction) शैक्षिक पृष्ठभूमि, व्यक्तित्व तथा प्राप्त प्रशिक्षण की गुणवत्ता के अनुभवजन्य आकड़ों पर निर्भर करता है। शिक्षक प्रभावशीलता के संबंध में किए गये शोध / अध्ययन इस बात पर प्रकाश डाल सकते हैं कि कौन से चर शिक्षक के व्यवहार के संबंध में भविष्यवाणी करते हुए अधिक उपयुक्त है या अध्यापक की किन विशेषताओं का विद्यार्थियों के अधिगम पर प्रभाव पड़ता है।

शिक्षक शिक्षा के संबंध में शोध को समझने हेतु हमने यहां बड़े संक्षेप में बात की है। आओ अब शैक्षिक अनुसंधानों के दूसरे उद्देश्य-शिक्षक शिक्षा के रूपांतरण (परिवर्तन) हेतु शोध - (एक शैक्षिक प्रघटन) - Research for Transforming Teacher Education(As an Education Phenomenon) के बारे में बात करें।

अभी तक हम लोगों ने बात की है कि हर शैक्षिक शोध में उपर्युक्त वर्णित उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रयास किया जाता है। आप किसी भी शोध के बारे में स्पष्ट रूप से सोच नहीं सकते हैं - जब तक कि उसके उद्देश्य आपके मस्तिष्क में स्पष्ट नहीं है। यह उद्देश्य कुछ भी हो सकते हैं। चाहे वह शिक्षा शिक्षण की कमजोरियों से संबंधित हो या शैक्षिक स्तर / व्यवस्था में सुधार

से संबंधित हो। परंतु अपने देश में प्राय: यह देखने में आता है कि किसी शैक्षिक समस्या में सुधार के बारे में निर्णय लेते समय निर्णयकर्ता तर्क पूर्ण सोच-विचार नहीं करते हैं। यह निर्णय कभी कभी तो उमंगों (Whims) पर भी आधारित होते हैं। ऐसे निर्णयों में शैक्षिक प्रशासकों तथा विद्यालय के प्राचार्यों की अहम् भूमिका होती है जबकि यह अधिकारी अच्छी तरह से जानते हैं शोध के परिणामों के आधार पर व्यवस्था किए गए परिवर्तन अधिक प्रभावी होते हैं। दूसरे शब्दों में, शिक्षक शिक्षा में शोध का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि देश में शिक्षक शिक्षा से संबंधित नितियों / अभ्यासों (Practice) को बनाने तथा उनमें सुधार करने हेतु परिणामों का उपयोग किया जा सके। इस संदर्भ में संबंधित साहित्य (Related Literature) के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अपने देश में शोधकर्त्ताओं द्वारा शिक्षक शिक्षा को समझने हेतु (Understanding Teacher Education) जो कि शोध का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, काफी प्रयास किया गया है, किंतु दूसरे उद्देश्य शिक्षक शिक्षा में रूपांतरण (Transforming Teacher Education) के क्षेत्र में स्थिति काफी निराशाजनक है। यही कारण है कि देश की शिक्षक शिक्षा काफी पिछड़ती रही है तथा उसमें समय के साथ अनुभवजन्य आकड़ों (Emperical Data) के निष्कर्षों के आधार पर अपेक्षित परिवर्तन नहीं हो पाए हैं - जबकि हमारे पास इस संबंध में अपेक्षित सैद्धांतिक ज्ञान उपलब्ध था।

19.2.1 शिक्षक शिक्षा के शोध की प्रासंगिकता (Scope of Research in Teacher Education)

आप इस बात से मेरे साथ सहमत ही होंगे कि शिक्षक शिक्षा में शोध की प्रासंगिकता का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसे एक या दो इकाइयों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में विश्व में वर्षों से बहुत कार्य हो रहा है। इस क्षेत्र में अनुसंधान शिक्षक की किसी एक या कुछ विशेषताओं से ही संबंधित नहीं है या यह सब विशेषताएं एक-दूसरे से अलग नहीं है। शिक्षक की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हुए बहुत सारे शोधकर्ताओं ने काफी समय व्यतीत किया है, परन्तु अभी तक हम किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं तथा इस संबंध में अभी भी शोध जारी है। वास्तव में शिक्षक शिक्षा तो समस्त शैक्षिक प्रक्रिया का एक उप अंग मात्र है, अत: इसका एक स्वतंत्र पहचान के रूप में अलग से अध्ययन नहीं किया जा सकता है। अत: यदि हम शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में शोध के महत्व को समझना चाहते हैं, हमें इसके उप अंग (Sub-System) तथा इसके उप अंगों का शैक्षिक व्यवस्था के साथ संबंधों का समग्र रूप से अध्ययन करना होगा।

शिक्षक का व्यवहार काफी जटिल तथा उसका व्यक्तित्व बहु आयामी होता है। इसलिए शिक्षक की विशेषताओं को अध्ययन उसके अवधारणात्मक अर्थ (Conceptulise Meaning) तथा व्यावहारिक अर्थ आकड़ों के आधार पर (In Terms of Gathered Evidences) दोनों के संदर्भ में करना चाहिए (एण्डरसन व बर्न - 1989)। सार रूप में हम कह सकते हैं कि शिक्षक की तरह से ही शिक्षक शिक्षा में भी शोध का स्वरूप बहुस्तरीय तथा बहुआयामी होता है।

शिक्षा क्षेत्र में नए कार्यक्रम बनाने, और उनके कार्यान्वयन में व्यावसायिक समस्याओं के हल ढूँढने में शोध कार्य का महत्वपूर्ण योगदान है। शोध कार्य से शिक्षा की कमियों को सुधारा जा सकता है। गौर करने लायक बात यह है कि जहाँ शोध कार्य करना महत्वपूर्ण हैं वहीं शोध परिणामों का समुचित प्रयोग करना भी बहुत ही आवश्यक है।

गोवा विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रो.पी.एस. जचिरायस के अनुसार-प्रशिक्षकों का उत्तरदायित्व है कि शिक्षा जगत में गुणवत्ता का विकास करें। शिक्षा के प्रति नकारात्मक सोच एक आम धारणा बन गई है। शिक्षण संस्थाओं की कार्य प्रणाली, विद्यार्थियों एवं अध्यापकों का व्यवहार, शिक्षा का स्वरूप सभी आयामों के बारे में असंतुष्टि अभिव्यक्त की जा रही है। दूसरी और शिक्षा के सकारात्मक योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। शिक्षा के आधार पर ही विभिन्न क्षेत्रों में उच्च प्रतिभा का प्रदर्शन देखने को मिलता है। आवश्यकता है कि कमियों को ढूँढ़ा जाए व गुणवत्ता का उन्नयन किया जाए।

एक तो इस धारणा को बदलना होगा कि प्राकृतिक विज्ञानों के विषय भौतिक, रसायन आदि में शोध का महत्व शिक्षा विषय से अधिक है। शिक्षा में शोध के द्वारा ही शिक्षा के स्तर व शिक्षा प्रणाली को समुचित रूप प्रदान किया जा सकता है। हमारे देश में तत्कालीन आवश्यकता इस बात की है कि उन शिक्षा समस्याओं को प्राथमिकता दी जाए जो राष्ट्र के लिए उपयोगी हों। कुछ मौलिक प्रश्न हमारे सामने है : हमारी शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए, शिक्षा का दार्शनिक आधार क्या हो, शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए? विदेशों में हुई समस्याओं पर शोध सुझावों को अपनाना प्रासंगिक नहीं होगा, क्योंकि हमारी आर्थिक, सामाजिक व दार्शनिक प्रणाली उनसे पूर्णतया भिन्न है। अत: शिक्षा के विकास के लिए हमें स्वयं शोध कार्यों द्वारा अपनी परिस्थितियों में ही हल निकालना होगा। शिक्षण सिद्धान्त, शिक्षण प्रतिमान एवं नवीन प्रवृत्तियों पर शोध कार्य वांछनीय है।

यहां पर यह स्पष्ट करना भी ठीक होगा कि विशिष्ट रूप से शिक्षा में शोध तथा सामान्य रूप से सामाजिक विज्ञानों में शोध का स्वरूप इतना व्यापक व महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि प्राकृतिक विज्ञानों के विषय भौतिकी, रसायन आदि विषयों में शोध का है। क्योंकि प्राकृतिक विज्ञानों के शोध का समाज पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है तथा इसके परिणामों को लोगों द्वारा अधिक स्वीकार किया जाता है।

सिंह तथा भट्ट (1990) ने शिक्षक शिक्षा में शोध के महत्व का, काफी व्यवस्थित (भविष्य के दृष्टिकोण से) (Systematic Perspective) अध्ययन किया है। उन्होंने शिक्षक शिक्षा को समस्त शैक्षिक व्यवस्था की एक उप-व्यवस्था (Sub-System) माना है तथा इसके साथ उन्होंने शिक्षक शिक्षा में अन्य बहुत से तत्वों (Elements) को भी समाहित किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी व्यवस्था (System) के तीन प्रमुख अंग (Component) होते हैं - अदा (Input), प्रक्रिया (Process) तथा प्रदा (Output)। शिक्षक शिक्षा में शोध को भी इन्हीं अंगों (Components) के आधार पर समझा जा सकता है। इन अंगों में क्या-क्या तत्व समाहित हैं - आइये इसे समझने का प्रयास करें।

अदा (Input) - इसके अंतर्गत शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य भावी शिक्षकों तथा शिक्षा शास्त्रियों की पृष्ठभूमि तथा शिक्षक शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उपलब्ध सुविधाएँ आदि होते हैं।

प्रक्रिया (Process) - इस स्तर पर भावी शिक्षकों को विभिन्न विधियों तथा संचार माध्यमों से परिचित कराया जाता है। इस अवस्था में शिक्षकों के शिक्षक शिक्षा की विषयवस्तु से अंतक्रिया करनी होती है। इस अवस्था में शोधकर्ता शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तथा शिक्षक व्यवहार से संबंधित विभिन्न चरों का विश्लेषण कर सकता है तथा शिक्षक अधिगम प्रक्रिया पर भी अनुसंधान (Investigation) कर सकता है, जिसका कि अध्ययन बहुत कठिन है। क्योंकि शिक्षक का मुख्य व अंतिम उद्देश्य अधिगम है इसलिए शिक्षक शिक्षा को शिक्षण को विद्यार्थियों के अधिगम के साथ ही जोड़कर देखना होगा।

प्रदा (Output) - प्रक्रिया की अवस्था पर भावी शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वह ज्ञान प्राप्त करेंगे, निश्चित अभिवृत्तियों का अपने में विकास करेंगे तथा शिक्षण कौशलों को सीखेंगे। यह सब, शिक्षक के व्यवहार में परिवर्तन लाते है। शिक्षक को ज्ञान, अभिवृत्ति तथा कौशल में अपेक्षित परिवर्तन विशिष्ट रूप से शिक्षक की प्रभावशीलता तथा समग्र रूप से शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। इस अवस्था में शोधकर्ता भावी शिक्षकों के उपलब्धियों के मापन हेतु गुणात्मक तथा मात्रात्मक विश्लेषण भी कर सकते हैं।

उपर्युक्त वर्णन से शिक्षक शिक्षा में शोध की प्रासंगिकता (क्षेत्र) के बारे में एक स्पष्ट खाका परिलक्षित होता है। अदा-प्रदा तथा प्रक्रिया पैराडाइम के जो चर है वह, शिक्षक शिक्षा में शोध को आधार प्रदान करते हैं - क्योंकि इन तीनों अवस्थाओं के चरों का अध्ययन शिक्षक शिक्षा में शोध के क्षेत्र के बारे में भी प्रकाश डालता है। प्रदा (Output) पर किये गये अध्ययन यह पता लगाने में सफल होंगे कि शिक्षक प्रशिक्षक कार्यक्रम अपने उद्देश्यों को पाने में किस स्तर तक सफल हुए हैं। अपेक्षित उद्देश्यों तथा अब तक प्राप्त उद्देश्यों का अंतर - अदा (Input) के लिए प्रतिपुष्टि (Feed Back) के रूप में कार्य करेगा, ताकि व्यवस्था में आगे सुधार किया जा सके। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी, जब तक कि शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित न हो जाए।

अदा, प्रक्रिया तथा प्रदा पैराडाइम (विचार बिन्दु) पर विस्तृत रूप से चर्चा अगली इकाई में की जाएगी। पैराडाइम कोई सिद्धान्त नहीं है, अपितु यह शोध हेतु सोचने के / विचार करने के तरीके हैं, और जब यह काफी दिन अध्ययन व अभ्यास में रहते हैं तो वह सिद्धान्त में बदल जाते हैं। पैराडाइम प्राय: चरों तथा उनके आपसी संबंधों को ग्राफीय (Graphic) या खाका (Outline) के रूप में दर्शाता है।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

अब तक आपने सीखा इसका मूल्यांकन आप निम्न प्रश्नों का उत्तर देकर स्वयं कीजिए

निम्न कथन सही है या गलत

1. शिक्षक का व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। ( )
2. शैक्षिक अनुसंधान - शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित नीतियों को तैयार करने हेतु आधार प्रदान करते है। ( )
3. अदा का तात्पर्य प्रवेश्य व्यवहार से है। ( )
4. शिक्षक शिक्षा में परिवर्तन लाना शैक्षिक उद्देश्यों का लक्ष्य नहीं है। ( )

निम्न प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दें -

1. शिक्षक शिक्षा के चरों के समूह कौन-कौन से है।

2.	शैक्षिक शोधों के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।
3.	स्वतंत्र चर से आप क्या समझते है?

19.2.2 शिक्षक शिक्षा में शोध का उद्देश्य

(Purpose Research in Teacher Education)

शिक्षक शिक्षा का गिरता हुआ स्तर हमें इस संबंध में गंभीरता से सोचने के लिए विवश करता है कि शिक्षक की गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या किए जाए? शिक्षक की गुणवत्ता मूलत: देश के शिक्षण शिक्षा कार्यक्रम की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। यही नहीं, इस बात में भी काफी अंतर है कि प्रशिक्षण के समय भावी शिक्षकों को क्या पढ़ाया जाता है तथा सेवारत होने पर वास्तविक शिक्षक के समय वह किस तरह से पढ़ाते हैं। बुच और जांगड़िया (1975) ने इसे दूसरे रूप में उद्धृत करते हुए कहा कि भावी शिक्षकों में शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रमों में भाग लेने के पश्चात् भी बहुत अंतर नहीं आता है। इस स्थिति के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें बुच और जांगड़िया के अनुसार प्रमुख कारण है - शिक्षकों को तैयार करने हेतु इसकी प्रक्रिया तथा शिक्षण के संबंध में शोध की कमी। वे स्वीकार करते हैं कि हमारे देश में शिक्षक शिक्षा के संबंध में बहुत कम निर्णय ऐसे होते हैं, जिनका आधार शोध के अनुभवजन्य प्रमाण रहते हों।

आइए, शिक्षक शिक्षा में शोध की आवश्यकता एवं उद्देश्य को एक अन्य दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करे। आप सब जानते हैं कि शिक्षक के विशेष रूप उच्च शिक्षा के स्तर पर तीन आवश्यक कार्य हैं - शिक्षण, शोध तथा प्रसार सेवाएं (Extension) जहाँ तक पाठ्यक्रम को निर्गमित (Transaction) करने का सवाल है, तो प्रथम दो कार्य अधिक महत्वपूर्ण है। यह दोनों कार्य आपस में एक दूसरे के पूरक व आधारक (Supplement and Complement) हैं। शोध के परिणाम / अनुभव, शिक्षण की प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं। यदि शिक्षण योग्यता में गुणात्मक सुधार होता है तो एक तरह से समग्र शैक्षिक व्यवस्था में उन्नयन होता है। शोध सामान्य रूप से समस्त शैक्षिक व्यवस्था तथा विशिष्ट रूप से शिक्षक शिक्षा में सुधार हेतु एक मुख्य धारा (Main Spring) है।

- शैक्षिक व्यवस्था में शिक्षक के विशिष्ट महत्व को समझने हेतु।
- शिक्षक शिक्षा में उचित सुधार हेतु।

शिक्षक को समझने का अर्थ उसके व्यवहार का अध्ययन कर, उसे किसी सैद्धान्तिक खाके (Link with Theoretical Frame Work) से जोड़ना है। क्योंकि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अधिगम है, अत: शिक्षक शिक्षा में शोध का मुख्य उद्देश्य शिक्षक की विशेषताओं को विद्यार्थियों के अधिगम के साथ जोड़ना है। यह जोड़ने का कार्य शिक्षक के व्यवहार की अवधारणा (Conceptualisation), व्याख्या (Explanastion), नियंत्रण (Control) तथा प्रागुक्ति (Prediction) के संदर्भ में समझकर किया जा सकता है। इस उद्देश्य हेतु शोधकर्ता विभिन्न चरों का शिक्षण की प्रभावशीलता पर प्रभाव का अध्ययन करता है।

शिक्षण शिक्षा में शोध का दूसरा उद्देश्य शिक्षक शिक्षा में सुधार हेतु, प्रभावी प्रविधियों का विकास करना है। विभिन्न अध्ययनों / शोधों के परिणामों को आधार मानकर शिक्षक शिक्षा की

नीतियों तथा कार्यक्रमों में अनुदेशन तथा संचार क्षेत्र में हुए नवाचारों के संदर्भ में परिवर्तन व सुधार किए जाते हैं। इस सुधार का मुख्य उद्देश्य प्रभावी शिक्षकों को तैयार करना है।

शिक्षक शिक्षा में शोध के इन दो उद्देश्यों, (शिक्षक को समझना तथा शिक्षक शिक्षा में सुधार) का वर्णन पूर्व में इसी इकाई (26.2) में किया जा चुका है, अत: अब इस पर विस्तार से चर्चा की आवश्यकता नहीं है। हमारा यहां पर केवल उद्देश्य, शिक्षक शिक्षा में अच्छी तरह से आकल्पित (Well Designed) शोध की आवश्यकता का महत्व प्रतिपादित करना था।

यदि हम शिक्षा शास्त्रियों के विचारों को देखें तो स्पष्ट होता है कि हमारे देश की शिक्षक शिक्षा के पीछे अनुसंधानों का आधार बड़ा कमजोर रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे शैक्षिक प्रशासक इन अनुसंधानों के परिणामों के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहते हैं या न इन शैक्षिक शोधों / अध्ययनों के परिणामों की वास्तविक परिस्थितियों में उपयोगिता बहुत कम है।

शिक्षा का विकास शोध अध्ययनों द्वारा ही होना चाहिए। समाज में सभी की धारणा बन गई है युवा पीढ़ी के बदलते रुप को देखकर अध्यापकों व शिक्षा प्रणाली की आलोचना करना। आइए विचार करें कि वे कौन से कारक हैं जिनकी वजह से शिक्षा का स्तर गिर रहा है। और उन कारणों का निदान करें।

भावी अध्यापकों को पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम व प्रयुक्त प्रविधियाँ दोनों ही त्रुटिपूर्ण हैं। व्यक्तिगत दृष्टिकोण के आधार पर शिक्षा में सुधार नहीं लाया जा सकता।

(चरित्र का निर्माण, ज्ञान का परिवर्तन, कौशल, योग्यता, रुचि एवं अभिवृत्तियाँ अध्यापक शिक्षा की आधारभूत समस्याएँ हैं।)

एकेडमिक स्टाफ कॉलेज भी अध्यापक शिक्षा के विभिन्न अभिनव पाठ्यक्रम चला रहे हैं फिर भी वांछनीय प्रगति नहीं हो रही है। इस स्थिति के विभिन्न कारणों में से दो कारण मुख्य रूप से सामने आते हैं अध्यापकों को तैयार करने हेतु इसकी प्रक्रिया तथा शिक्षण के सम्बन्ध में शोध की कमी।

अध्यापक शिक्षा में शोध के निम्न उद्देश्य हैं -

- विषयगत पारंगत होना
- प्रभावी विधियों का विकास करना
- मल्टीमीडिया के द्वारा अध्यापक प्रशिक्षकों को शिक्षण की नई विधियों से अवगत करना
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना
- ज्ञान को विद्यालय / महाविद्यालय की सीमा से बाहर समुदाय से जोड़ना
- शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना
- प्रजातांत्रिक वातावरण के द्वारा सृजनात्मकता तथा मौलिकता को प्रोत्साहित देना।

शोध के परिणाम स्पष्ट रूप से शिक्षण की प्रभावशीलता से सम्बन्धित होते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अध्यापक शिक्षा में शोध का विस्तृत उद्देश्य है प्रभावशाली अध्यापक प्रशिक्षक तैयार करना।

यहाँ यह स्पष्ट करना अति आवश्यक होगा कि शोध के आधार पर प्रभावशाली नीतियाँ तैयार करके सैद्धान्तिक पक्ष को उजागर करना ही पर्याप्त नहीं है अपितु शोध परिणामों को वास्तविक परिस्थितियों में उपयोग करने पर भी बल दिया जाना चाहिए।

19.3 शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में शोध की समस्याएं (Problems of Research in Teacher Education)

छह सर्वेक्षणों के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि अध्यापक शिक्षा में शोध के क्षेत्र में शिक्षा के अन्य क्षेत्रों की तुलना में धीमी प्रगति हुई है। एक तो शिक्षा को अन्य विषयों की तरह पाठ्यक्रम में सामान्य विषयों के तरह सम्मिलित नहीं किया गया। यदि हम प्रथम सर्वेक्षण से छठे सर्वेक्षण तक शोध की प्रवृत्ति को देखें तो पता लगता है कि शोध की संख्या में तो वृद्धि हुई है, परन्तु गुणवत्ता के स्तर को बढ़ाने के लिए कदम उठाने होंगे:

प्रो.बुच के चार सर्वेक्षणों (Surveys) के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षक शिक्षा में शोध के क्षेत्र में शिक्षा के अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत धीमी प्रगति हुई है। परंतु यदि हम प्रथम सर्वेक्षण से चतुर्थ सर्वेक्षण तक इस क्षेत्र में शोध की प्रवृत्ति को (Trend) देखें तो पाते हैं कि शिक्षक शिक्षा में शोध की संख्याओं में काफी तेजी से प्रगति हुई है, फिर भी शिक्षा के अन्य क्षेत्रों की तुलना में यह संख्या भी काफी कम है। यह तो केवल संख्या की बात थी, शोध की गुणवत्ता के बारे में आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि भारत में समग्र रूप से शोध का स्तर बहुत अच्छा नहीं है।

समालोचना की दृष्टि से शिक्षक शिक्षा में शोध की समस्याओं को दो वर्गों में रखा जा सकता है -

1. शोध की विधियों से संबंधित समस्याएँ
2. शोध प्रशासन एवं संगठन से संबंधित समस्याएँ (Problem Related to Research Administration and Organisation)

19.3.1 शोध की विधियों से संबंधित समस्याएं (Problem Related to Research Method)

मुख्य रूप से शोध विधियों के संबंध में निम्न पांच तरह की कमजोरियां दिखाई पड़ती है

(I) खण्ड-खण्ड में शोध (Piece Meal Sporadic Research) शोध साहित्य का अध्ययन करने के पश्चात् यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश अनुसंधानकर्त्ताओं ने शिक्षक शिक्षा के छोटे-छोटे टुकड़ों के रूप में किए गए जिससे शोधों में तारतम्यता का अभाव होता है तथा बीच में बहुत से क्षेत्र टूट जाते हैं अत: शिक्षक शिक्षा की प्रक्रिया में सुधार हेतु यह उचित योगदान नहीं कर पाते हैं। इस कमी को दूर करने हेतु यद्यपि पुनरावलोकन द्वारा उन क्षेत्रों को पहचानने का प्रयास किया गया है, जो छूट गये हैं (Isolated Areas) परंतु समस्या यह है कि छोटे-छोटे टुकड़ों में किए जाने वाले अध्ययनों में अलग-अलग शोध प्रणाली तथा आकल्प (Design) अपनाया जाता है अत: इन विभिन्न शोधों के निष्कर्षों को आपस में मिलाकर समग्र तथा स्वीकार्य रूप में प्रस्तुत करना एक बहुत ही कठिन कार्य है।

(II) संकीर्ण क्षेत्र (Limited Coverage) इस क्षेत्र के लिए अधिकांश अध्ययन सेवारत या भावी शिक्षकों के बहुत छोटे न्यादर्श से संबंधित है। यह अध्ययन इन प्रकार किये गये हैं कि मानो एक अध्ययन के पश्चात् दुबारा उसे देखने की आवश्यकता ही नहीं है। शिक्षक शिक्षा के

किसी भी एक क्षेत्र पर कोई ऐसा अध्ययन नहीं है, जो कि पूरे देश पर किया गया हो। यहां तक कि विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं ने भी आपस में मिलकर इस प्रकार की दीर्घ अवधि की शोध परियोजनाओं पर काम करने का मानस नहीं बनाया। यदि यह लोग मिलकर इस संबंध में प्रयास करते तो शायद शैक्षिक शोध एवं नवाचार इस दिशा में अधिक प्रभावी होते है।

(III) आकल्प में कमी (Deficiencies in Design) मेहरोत्रा (1985) ने अपने अध्ययन में बताया कि शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में अधिकांश शोधकर्ताओं ने एक्स-पोस्ट फैक्टो एप्रोच (Ex-Post-Facto-Approach) को अपनाया है। जबकि बहुत ही थोड़े लोगों ने नियंत्रित परीक्षण विधि (Controlled Experimentation) का उपयोग किया है। इस क्षेत्र में किये गये अधिकांश अध्ययनों में या तो सर्वेक्षण है या निर्धारक मापन (रेटिंग स्केल) के आधार पर निष्कर्ष निकाले गये हैं तथा पी.एच.डी. (Ph.D.) स्तर के शोधों में भी उचित विधियों / प्रविधियों (Methodology) का अभाव नजर आता है। उचित आकल्व के प्रभाव में शोधों की अनुप्रयोगता (Applicability) कम होती है तथा यह शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु किए जाने वाले निर्णयों को भी उचित ढंग से प्रभावित नहीं कर पाते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि शिक्षक शिक्षा के शोध के समय शिक्षक को व्यावसायिकता से संदर्भित विभिन्न आयामों के संबंध में स्पष्ट अवधारणा को विकसित करने के साथ-साथ उचित शोध आकल्प का प्रयोग किया जाए।

(IV) शिक्षकों के संबंध में सामान्यीकरण (Generalisation About Teachers) शिक्षक शिक्षा की एक महत्वपूर्ण समस्या शिक्षक उसके व्यवहार तथा शिक्षण के संबंध में सामान्यीकरण की है। लगभग पिछले तीन दशकों से शिक्षक की सामान्य विशेषताओं को अधिक महत्व नहीं दिया जा रहा है, अपितु अधिक आवश्यकता उसके ज्ञानात्मक तथा भावनात्मक (Cognitive and Affective) विशेषताओं के अध्ययन करने की है।

19.3.2 शोध प्रशासन तथा संगठन से संबंधित समस्याएं

(Problems Related to Research) -

(I) नवाचारों का विरोध (Resistance to Innovations) :- समाज में परिवर्तन बड़ी तेजी के साथ हो रहे हैं, जिससे शिक्षा के उद्देश्य भी प्रभावित होते हैं। यदि किसी देश की शैक्षिक आवश्यकताएं बदलती है तो उसी संदर्भ में पाठ्यक्रम भी बदलना चाहिए। परंतु हमारे देश की शिक्षक शिक्षा में इन बदलावों के प्रति समय पर उचित उत्साह दिखाई नहीं देता है। अपने ही देश में नहीं, अपितु अधिकांश देशों में पढ़ाने का ढंग भी पुराना है। शिक्षक शिक्षा के दिग्गजों (Stalwords of Teachers Education) ने इसे (शिक्षक शिक्षा का) पानी से भरा हुआ इस तरह का कम्पार्टमेन्ट (Compartment) बना दिया है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक परिवर्तनों की हवा को प्रवेश करने का मौका ही नहीं मिलता है यही कारण है कि हमारे यहां नवाचारों की परिणिति कार्य रूप में नहीं हो पाई। अब शिक्षक शिक्षा के सामने नई चुनौतियां आ रही है, तथा नई सामाजिक व्यवस्था में वैज्ञानिक ढंग से सोचने के कारण शिक्षक की वर्तमान भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। अत: आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षक शिक्षा ऐसे

शोध परिणामों को अपना आधार बनाये, जिनकी कार्य रूप में परिणिति हो सके तथा शोधकर्ताओं को शिक्षक शिक्षा को ऐसे अनुसंधानों के परिणामों से पोषित करना चाहिए जिससे इस संदर्भ में उचित योजनाएं बनाने तथा इनका नियोजन करने में सुविधा हो सके।

(II) कमजोर नेतृत्व (Poor Leadership) :- यह बड़ा स्पष्ट है कि देश की भावी शिक्षक शिक्षा के बारे में हमारे पास न तो कोई स्पष्ट नीति है और न ही शिक्षक शिक्षा के विकास हेतु उचित नेतृत्व है। इस क्षेत्र में अच्छे शोधकर्ताओं की संख्या बहुत ही कम है। अत: शिक्षक शिक्षा में शोध हेतु ऐसे विज्ञ अध्येयताओं की अति आवश्यकता है जो शोधों / अध्ययनों के ऑकड़ों की उचित व्याख्या कर सके तथा परिणामों के संबंध में प्रागुक्ति कर सके। वस्तुत: ऑकड़े (प्रमाण) अपने आप नहीं बोलते हैं।प्रमाणों को विचारों तथा कार्यरूप में बदलने के लिए ऐसे विद्वान आवश्यक हैं जो कक्षा तथा अनुसंधान दोनों को अच्छी तरह से समझते हों।

सिंह और भट्ट (1990) ने कहा है कि शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में योग्य विशेषज्ञों की कमी है, फलत: इस विषय के शोधों की विश्वसनीयता संदेह में रहती है। इसी कारण से शिक्षक शिक्षा के सभी शोधकर्ताओं में विषय निष्ठता, (मनमाने निर्णय लेने की प्रवृति) (Arbitrariness) संशयता, विचारों में संघर्षता (Contradiction) तथा परिसीमनता (Coverage) की समस्या पाई जाती है। शोधकर्ताओं तथा शोध पर्यवेक्षकों की इसी प्रवृति को शैक्षणिक पिछलग्गूपन (Academic - bandwagonism) कहा जा सकता है।

(III) प्रशासकों की अभिवृत्ति (Attitude of Authorities):- अधिकांश शैक्षिक प्रशासकों की अभिवृत्ति शिक्षक शिक्षा के शोधों तथा नवाचारों के प्रति बहुत अच्छी नही है। अधिकांश विद्यालयों के प्राचार्य तो शोध को स्टम्बलिंग ब्लोक (stumbling block)-अगला कदम रखते ही नुकसान)के रूप में देखते है। वे अपने विद्यालय की शिक्षण पद्धति में किसी बदलाव को नही चाहते हैं। बढ़ते हुए शैक्षिक तंत्र की सबसे बड़ी व्यावहारिक समस्या इन शैक्षिक प्रशासकों की विद्यालयी समस्याओं के प्रति अनिश्चितता की अभिवृत्ति है।शिक्षकों तथा शिक्षाशास्त्रियों की दूसरी बड़ी व्यावहारिक समस्या यह है कि वह अनुसंधान को परिवर्तन करने वाले अभिकरण (Reforming Agent) के रूप में नहीं देखते हैं तथा वह शोध को विद्यालयी समस्याओं का हल खोजने का उचित माध्यम नही मानते है। शैक्षिक प्रशासकों की इस अभिवृत्ति में सकारात्मक परिवर्तन आवश्यक है।

(IV) अभिप्रेरणा की कमी(Lack of Motivation):- शिक्षक शिक्षा में शोध स्तर के नीचे रहने के मुख्यत: निम्न तीन कारण हो सकते है- (1) शोध विद्यार्थियों का निम्न बौद्धिक स्तर (2) उचित निर्देशन / पर्यवेक्षक / सुविधाओं का अभाव (3) शिक्षकों तथा शिक्षार्थियों में शोध के प्रति अभिप्रेरणा की कमी। कहा जाता है कि शिक्षण व्यवसाय लोगों के लिए अंतिम रूचि का क्षेत्र है। (सत्यापित किया जाना है।) अत: अब इस क्षेत्र में उच्च बौद्धिक स्तर के लोग कम आते है। अधिकांश शिक्षाशास्त्रियों में भी शोध कार्य के प्रति अभिक्षमता (Aptitude) तथा गंभीरता की कमी नजर आती है। इसका अर्थ यह नही है कि सभी शिक्षाशास्त्रियों में शोध कार्य करने की योग्यता का अभाव है, अपितु उनकी अभिप्रेरणा कम होने के अन्य कारण जैसे, कम भौतिक

सुविधाएं, उचित पुनर्बलन का अभाव तथा कार्य को उचित मान्यता न मिलना आदि भी हो सकता है।

शोध के निम्न स्तर का तीसरा कारण शोध के प्रति अनुसंधान कर्ताओं में उत्साह की कमी है। उनमें शोध के प्रति प्रेम की भावना नहीं है। आज कितने शिक्षक हैं जो स्वयं आगे बढ़कर शिक्षक अधिगम की समस्याओं को कार्य अनुसंधान (Action Research) द्वारा हल करने का प्रयास करते हैं। कितने प्राचार्य हैं, जो विद्यालयी प्रबंधन की समस्याओं को हल करने हेतु अनुसंधान करने हेतु शिक्षकों को अभिप्रेरित करते हैं तथा व्यवस्थित शोधों के अभाव में शिक्षक व शिक्षाशास्त्र शैक्षिक समस्याओं को हल करने हेतु अपने सीमित अनुभवों के आधार पर मनमाने निर्णय लेते हैं।

(V) शिक्षक के व्यवहार के बारे में सामान्यीकरण - (Generalisation about Teachers behavior) - सामान्यीकरण के संबंध में सबसे बड़ी समस्या यह है कि प्रभावशाली शिक्षक की विशेषताओं के बारे में शिक्षक, शिक्षाशास्त्रियों तथा विद्यार्थियों का दृष्टिकोण अलग-अलग होता है। एक अच्छे, विद्वान तथा प्रभावी शिक्षक की कोई सर्वमान्य परिभाषा आज तक विकसित नहीं हो पाई है। शिक्षकों की आपस में भिन्नता उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विशेषताओं, अभिवृत्ति, रूचियों, मूल्यों, अभिप्रेरणा, संज्ञात्मक संगठन, समस्या समाधान की योग्यता में अंतर ताकि कक्षा में वह अपना कैसा प्रभाव डालते हैं, आदि के कारण होती है। शिक्षक के व्यक्तित्व के गुणों की जटिलता ही इस संबंध में किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचने में बाधक है और इसी कारण से इस संबंध में किये गये अध्ययन के निष्कर्षों का कोई अंतिम स्वरूप विकसित नहीं हो सका। अब शिक्षाशास्त्रियों ने इस समस्या की ओर विशेष ध्यान दिया है तथा अब वह शिक्षक की प्रभावशीलता के संबंध में उसकी बहुआयामी (Multi-Faceted) तथा समिश्रित (जटिल) (Complicated-(Inter Connected)) दृष्टिकोण को अधिक महत्व दे रहे हैं। लेकिन हम अभी भी निश्चित नहीं हैं कि इस बहुआयामी तथा समिश्रित दृष्टिकोण में क्या-क्या सम्मिलित है।

शिक्षक को कक्षा तथा कक्षा के बाहर कई प्रकार के कार्य करने होते हैं उसकी नई विकसित होती भूमिका तथा व्यवहार की जटिलता को देखते हुए शिक्षक के गुणों के बारे में सामान्यीकरण पर कोई निष्कर्ष निकालना जो कि व्यावहारिक परिस्थितियों में सब पर (Uniformly) सर्वमान्य हो - एक बहुत ही कठिन कार्य है। फिर भी शिक्षकों के कुछ गुणों के बारे में विश्वास के साथ सामान्यीकरण (Generalisation)ए किया जा सकता है। इसलिए शोधकर्ता को इस संबंध में अध्ययन को नियोजित / आकल्पिक करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए।

19.3.3 भविष्य की प्रवृत्तियॉ (future Trend/ Direction)

अब यह स्वीकार किया जाने लगा है कि शिक्षकों की शिक्षा ही शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार का क्षेत्र है। अत: शिक्षाशास्त्रियों में इस प्रवृत्ति का तेजी से विकास हो रहा है कि अनुसंधान के शिक्षकों से संबंधित प्रक्रिया को गहन रूप से समझने एक का उचित माध्यम (Appropriate mean)के रूप में विकास किया जाए। अब कई अन्य विभाग(Schools) भी अपनी

समस्याओं के हल हेतु शैक्षिक संस्थाओं का सहारा ले रहे हैं। अत: अब इस बात के लिए गंभीर प्रयास की आवश्यकता है कि शिक्षक शिक्षा में शोध को समस्या हल करने का महत्वपूर्ण अस्त्र माना जाए।

शिक्षण, शिक्षण व्यवहार व शिक्षक शिक्षा यद्यपि शोध के नये क्षेत्र हैं, परंतु इन क्षेत्रों में कार्य की काफी संभावना(Potentialities) हैं। अब शोधकर्ताओं / अध्येयताओं ने स्वीकार कर लिया है। कि अनुदेशन विधियों में आमूल परिवर्तन व सुधार की आवश्यकता है। यह खुशी की बात है कि अब शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में काफी कार्य हो रहा है तथा प्रो. बुच के नये सर्वेक्षण में इन अध्ययनों को प्रतिवेदित भी किया गया है। शिक्षक शिक्षा में शोध कार्य हेतु बुच तथा जांगडिया ने (1975) ने कुछ ध्यान देने योग्य सुझाव दिए है, जो निम्न हैं :-

भविष्य में इस संदर्भ में जो अध्ययन किए जाएँ वह उपयुक्त माडल सहित सैद्धांतिक फ्रेमवर्क पर आधारित हों। (Based on theoretical frame-work with the suitable Model) टुकड़ों-टुकड़ों में किए जाने वाले शोध (Sporadic Research) बहुत उपयोगी नहीं है क्योंकि उनका समन्वय किया जाना तथा फिर उनसे कोई परिणाम नहीं निकालना काफी कठिन कार्य है- या फिर इसके लिए कोई समन्वय अभिकरण (co-coordinating Agency) हो।

शोध के आकल्पों (Design) तथा उनके विश्लेषण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, अन्यथा परिणामों की वैधता और विश्वसनीयता पर संदेह रहेगा।

शिक्षक शिक्षा, शिक्षक व्यवहार तथा शिक्षण के क्षेत्र में उपलब्ध शोध उपकरणों तथा प्रक्रिया पर नये सिरे से विचार करने तथा उनमें सुधार करने की आवश्यकता है। इस संबंध में नये उपकरण अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर विकसित किये जाने चाहिए।

शिक्षक शिक्षा में शोध की प्रवृत्ति पर अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रो. एल.सी. सिंह ने तीन मुख्य मुद्दे उठाये- **(1) अनुदेशन का व्यवस्थीकरण (Systematisation of Instruction)** अनुदेशन तकनीकी में विकास के साथ शिक्षण एवं अधिगम हेतु नयी-नयी विधियॉ प्रकाश में आ रही है। इसलिए हमें अब केवल भाषण विधि पर ही नहीं निर्भर रहना चाहिए। इस संबंध में कुछ शिक्षाशास्त्रियों ने अनुदेशन मॉडल पर आधारित शिक्षण की वकालत की है। इसलिए शोधकर्ताओं को इस क्षेत्र में आगे आना चाहिए तथा नई शिक्षण विधियों के संबंध में अनुसंधान करना चाहिए। शिक्षण की इस व्यवस्था से (Systematisation of Education) न केवल अनुदेशन उद्देश्यों की प्राप्ति में सुविधा रहेगी बल्कि शिक्षण को पुनरोत्पादित (Reproducible) भी किया जा सकेगा।

(2). अधिकतम उद्देश्यों (क्षेत्र) की प्राप्ति (Larger coverage of objectives)- इस इकाई में हमने चर्चा की है कि शिक्षक शिक्षा में शोध की पहुंच उसके समस्त क्षेत्रों (उद्देश्यों) की ओर नहीं है। शोधकर्ता को अपनी इस कमी का ज्ञान रहना चाहिए इसी कारण से शिक्षक शिक्षा के उद्देश्यों को वृहद रूप से कवर(Larger coverage of objectives) करने के लिए शोध के क्षेत्र में नई प्रकृति का विकास हुआ है। यहां तक कि अनुदेशन के व्यवस्थीकरण में भी अनुदेशन के अधिकतम उद्देश्यों (क्षेत्रों) की प्राप्ति का भाव छुपा है।

(3). वैकल्पिक मॉडल (Alternative Models)- हम लोग शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु परंपरागत मॉडलों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र मे कई प्रभावी मॉडल जैसे-कन्सेप्ट अटेनमेण्ट मॉडल, इन्क्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, एडवान्स आर्गेनाइजर मॉडल शिक्षकों के लिए आदि

उपलब्ध है। शोधकर्ताओं को चाहिए कि वह इन मॉडल प्रभावशीलता के बारे में अध्ययन करें। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में यह एक नूतन प्रवृत्ति है, जो अभी गति पकड़ रही है।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

I निम्न कथन सही है या गलत

1. भावी शिक्षकों में प्रशिक्षणोंपरांत भी अपेक्षित परिवर्तन नहीं आता है।()
2. प्रसार सेवाएं शिक्षा के उच्च स्तर पर शिक्षक का आवश्यक कार्य है।
3. खण्डों में किए जाने वाले शोध अधिक उपयोगी नहीं होते है।
4. अच्छी शोध उसके आकल्प के स्वरूप पर निर्भर करता है।

II निम्न प्रश्नों का उत्तर विस्तार से दें -

1 शिक्षक शिक्षा में शोध की समस्याओं का वर्णन कीजिए।

2 शिक्षक शिक्षा में शोध की भावी संभावनाओं का वर्णन करो।

19.4 शिक्षक शिक्षा में शोध की आवश्यकता : पुनर्निरीक्षण

आप इकाई 26 में शिक्षक शिक्षा में शोध के संदर्भ में अध्ययन कर चुके है। यह इकाई 26 की विषय सूची का ही विस्तार है। यही पर हमारा आग्रह शिक्षक शिक्षा में शोध के क्षेत्रों का पुनर्निरीक्षण करना है। तथा यह देखना है कि इसका शिक्षक शिक्षा एक शिक्षकों के कक्षा व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है।

शिक्षक शिक्षा में शोध का विषय नया, किंतु विकसित होता विषय है। शिक्षक शिक्षा विभिन्न प्रकार की शोध के लिए खुली हुयी है जैसे शिक्षक शिक्षा के उद्देश्यों में शोध पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम एवं गतिविधियों में इन उद्देश्यों की प्राप्ति के तरीकों को खोजने की शोध, शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की विधियाँ एवं रणनीतियाँ तथा शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की प्रभावशीलता से संबंधित शोध आदि।

सन् 1970 तक शिक्षा के क्षेत्र में शोध के प्रयास यदा-कदा ही किये गये। किंतु इसके उपरांत एम. एस. विश्वविद्यालय बडौदा के शिक्षा विभाग के अग्रिम अध्ययन केन्द्र ने शिक्षक व्यवहार को अपने अध्ययन का एक मुख्य क्षेत्र निर्धारित किया। शोध अध्ययनों के अतिरिक्त विशेष रूप से आयोजित संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं के द्वारा शोधकर्ताओं एवं शिक्षक प्रशिक्षकों को शिक्षक व्यवहार के क्षेत्र के संदर्भ में जानकारी उपलब्ध करवाई गयी। तभी से भारतीय विश्वविद्यालयों के कई शिक्षा विभागों के द्वारा इस क्षेत्र में बहुत अध्ययन किये गये।

हम जानते हैं कि शिक्षक व्यवहार देश के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक दशाओं से काफी प्रभावित होता है। हमारे देश में मानवीय तत्व (शिक्षक एवं विद्यार्थी) पश्चिमी देशों के मानवीय तत्वों से कई संदर्भों में भिन्न हैं तथा जिन परिस्थितियों में वे काम आते हैं, से भी अत्यधिक भिन्न हैं। अत: शिक्षक शिक्षा का अध्ययन हमारी स्वयं की दशाओं एवं परिस्थितियों के संदर्भ में होना चाहिये, ताकि परिणामों एवं निष्कर्षों का शिक्षकों की प्रगतिशीलता को बढ़ाने में प्रयोग किया जा सके। अत: स्पष्ट है कि शिक्षक शिक्षा में शोध की एक महती आवश्यकता है।

शिक्षक शिक्षा में शोध की प्रेरणा शैक्षणिक प्रशासकों एवं शिक्षक-प्रशिक्षकों की जानने की इस इच्छा से मिलती है कि संभावित शिक्षकों को किस प्रकार से प्रभावी शिक्षक बनाया जा सके। शैक्षणिक प्रशासकों एवं शिक्षक प्रशिक्षकों को शिक्षक कार्यक्रमों के संदर्भ में शिक्षकों की

निष्पादनशीलता से संबंधित रहना चाहिये। उन्हें शिक्षक शिक्षा में शोध पर केन्द्रित करना चाहिये न कि शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के कक्षा-व्यवहार पर। अत: इस परिभाषा में उन्हें चरों एवं गतिविधियों को सम्मिलित किया है जो कि शिक्षक शिक्षा को प्रभावित करते है। शिक्षक प्रभावशीलता शोध केवल उस सीमा तक सार्थक होती है, जिस सीमा तक यह शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रभाव को मापने में प्रयुक्त होने वाले चरों से संबंधित होती है। शिक्षक प्रभावशीलता अन्तत: शिक्षक शिक्षा शोध के विवेचन में एक निर्भर चर के रूप में सामने आती है। साथ ही हमें इस तथ्य को भी स्वीकार करना चाहिये कि अधिकांश शिक्षक-शिक्षा शोध अपनी प्रकृति में अनिर्णय केन्द्रित या अनुप्रयुक्त शोध होते हैं। हालांकि मानव आधिगम एवं विकास जैसे कुछ विशिष्ट मुद्दों पर शोध में निष्कर्ष निकाले जाते है किंतु शिक्षक शिक्षा में अधिकांश शोध सामान्यत: बहुत अनुप्रयुक्त होते है। शिक्षा में निष्कर्ष केन्द्रित शोध करना, असंभव नहीं तो कठिन अवश्य होता हैं।

"शिक्षक शिक्षा शोध में शिक्षक के सम्पूर्ण व्यवहार को समझने का प्रयास होता है अत: शिक्षक शिक्षा शोध की परिधि में व्यवहार से संबंधित सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं। चूंकि शिक्षक व्यवहार बहुआयामी एवं बहुपक्षीय होता है अत: शिक्षक शिक्षा शोध का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत होता हैं।" शिक्षक शिक्षा शोध की यह परिभाषा बहुत ही व्यापक है और यह पहली परिभाषा को भी अपने आप में समाहित कर लेती है। अत: शोध के अंतर्गत न केवल शिक्षक शिक्षा से संबंधित विभिन्न चरों का ही अध्ययन किया जाये वरन् इसमें कक्षा परिस्थिति के अंतर्गत शिक्षक विद्यार्थी संवाद को भी सम्मिलित करना चाहिये।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित छठे सर्वेक्षण के अनुसार अब शिक्षा के क्षेत्र में शोध पर नजर डालें तो पिछले दशकों की अपेक्षा इस विषय पर शोध में प्रगति तो हुई है पर इसकी गति वांछनीय से कम है।

शिक्षा के स्तर के बारे में समाज में आम व्यक्ति भी आलोचना करता दिखता है। कारण स्पष्ट है कि सभी कि अपेक्षाएँ अध्यापक वर्ग से अधिक हैं। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम एवं गतिविधियों में इन उद्देश्यों की प्राप्ति के तरीकों को खोजने की शोध, अध्यापकों को प्रशिक्षित करने की विधियाँ एवं कार्यनीतियाँ तथा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की प्रभावशीलता से सम्बन्धित शोध की अति आवश्यकता है।

- तकनीक के इस- युग में शोध द्वारा जानें कि अध्यापक प्रशिक्षक के किस अपेक्षित व्यवहार को पुनर्बलन दिया जाए।
- प्रतिभाशाली, पिछडे या अन्य असामान्य वर्ग के बच्चों की अतिरिक्त शिक्षा के लिए अभिक्रमित अनुदेशन शोध के द्वारा ही संभव है।
- चरित्र निर्माण, कौशल, योग्यता, रुचि एवं अभिवृत्तियाँ भी आधारभूत समस्याएँ हैं जिनके विकास के लिए शोध के महत्व को नकारा नहीं जा सकता।
- जनसमूह शिक्षा ने अनेक प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न किया हैं जिनमें शोध की आवश्यकता है।
- शिक्षा प्रणाली में लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा होनी आवश्यक है। इसलिए शिक्षा में परिवर्तन शोध निष्कर्षों के आधार पर किया जा सकता है।

- भारतीय सामाजिक मूल्यों, विचारों में तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है, इसलिए शिक्षा की पुनर्रचना करने के लिए शोध निष्कर्ष आवश्यक हैं।

शिक्षा अनुसंधान यदि केवल शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों तक ही सीमित रहे, तो भविष्य में बहुत अधिक प्रगति मुश्किल है। अच्छे शोध कार्य के लिए, विश्वविद्यालयों में शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक शोध के विभिन्न वर्गों में सामाजिक, वैज्ञानिक समस्याओं का भी समावेश करना होगा। इस प्रकार का अन्तर विषयक सहयोग न केवल शोध अध्ययन को उन्नत करेगा वरन् शोध में मौलिक चिन्तन को बल मिलेगा।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (1993-2000) के छठे सर्वेक्षण के अनुसार अध्यापक शिक्षा से संबंधित शोधों को दो मुख्य श्रेणियों पूर्व-सेवा व सेवारत प्रशिक्षण में विभाजित किया गया है जिन्हें आगे उप-श्रेणियों में विभाजित किया है ये निम्नलिखित हैं -

अ) पूर्व-सेवा प्रशिक्षण

1) प्रवेश	3
2) कार्यक्रम	18
3) अध्यापक-प्रशिक्षक	16
4) प्रभावी क्षेत्र	4
5) परिणाम	9

ख) सेवारत प्रशिक्षण

1) कार्यक्रम और उनका मूल्यांकन	22
2) शिक्षण आवश्यकता	14
3) उच्च शिक्षा-शैक्षिक स्टाफ कालेज	5
4) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्	7
कुल	98

निर्देशात्मक एवं संचार तकनीक के समसामायिक अन्वेषणों ने हमें कक्षा शिक्षण की विधियाँ एवं तकनीकें प्रदान की हैं। शिक्षक शिक्षा आज न केवल शिक्षण की परंपरागत विधियों पर निर्भर कर रहा हैं। वरन् उसके सामने संचार के विभिन्न तरीके है जिनका वह चयन कर सकता है। समय की आवश्यकता है कि नयी निर्देशात्मक विधियों एवं संचार तकनीकों की प्रभावशीलता को परखा जाये तथा यह देखा जाये कि कौन सी तकनीक एवं उपकरण हमारी दशाओं के अंतर्गत शिक्षण एवं अधिगम के संभावित उपकरण बन सकते हैं। इससे यह पता चलता है कि शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न तकनीकों के प्रयोग में व्यापक आवश्यकता है।

शिक्षक शिक्षा में शोध के संचालन का एक अन्य तर्क यह भी दिया जा रहा है कि देश में शिक्षक शिक्षा से संबंधित विभिन्न निकायों की अनुशंसाओं का शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता पर कोई विशेष प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। इन अनुसंधानों की क्रियान्वयन की कोई संतोषप्रद स्थिति नहीं है। अत: देश के शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को पुन: परीक्षा की आवश्यकता है ताकि निकटभूत में हुये विभिन्न विकासों के संदर्भ में उनको देखा जा सके। यह शिक्षक शिक्षा एवं

शिक्षक व्यवहार के प्रत्येक पक्ष से संबंधित व्यवस्थित शोध द्वारा ही संभव हो सकता है। साथ ही हमें अब तक किये गये शोध अध्ययनों की सार्थकता का भी पुन: परीक्षण करना चाहिये।

निष्कर्षत: हम कह सकते हैं कि शिक्षक शिक्षा एवं शिक्षण से संबंधित निश्चित शोध का अभाव देश में शिक्षा के विकास में एक महत्वपूर्ण बाधा रही है। अत: शिक्षा एवं शिक्षण में अधिक एवं अच्छे शोध की आवश्यकता है। हालांकि अब तक जो शोध हुई हैं उनका शिक्षण व्यवहार पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ा है, अत: मुख्य समस्या इन शोधों की व्यावहारिक क्रियान्वित की है। इनको हम कार्यरूप में परिणित करने में असक्षम रहे हैं।शोध के माध्यम द्वारा हम चाहे कुछ के निष्कर्ष निकालें, शिक्षक शिक्षा में उनकी प्रभावशीलता तभी होगी जबकि शिक्षा व्यवस्था में शोध कर्ताओं को सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाये तथा उनके शोध परिणामों एवं निष्कर्षों को अपने विचारों का आधार बनाया जाये।

19.5 शिक्षक शिक्षा में शोध के क्षेत्र

शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में शोध की प्राथमिकताओं को तय करना एक कठिन कार्य है। चूंकि अधिकांश शोध अनुप्रयुक्त प्रकृति के होते है। अत: व्यक्तिगत आवश्यकताओं, लक्ष्यों उपलब्ध धनराशि के आधार पर शोधकर्ता अपने स्वयं की प्राथमिकता निर्धारित कर लेते हैं। फलत: एक जैसी प्राथमिकता निर्धारित नहीं की जा सकती किंतु नयी शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि प्राथमिकता के आधार पर कुछ मुद्दों को निर्धारित किया जाये। शिक्षक शिक्षा में शोध की प्राथमिकता की आवश्यकता दो मुख्य कारणों से होती है, प्रथम- शोधकर्त्ता शिक्षक शिक्षा में शोध के प्राथमिक क्षेत्रों को जान सकें तथा अपने आपको इनमें से किसी एक क्षेत्र में केन्द्रित कर सके। द्वितीय- शिक्षक शिक्षा में शोध के क्षेत्र शोधकर्ताओं को यह विचार देते हैं कि शिक्षक शिक्षा में कुछ ज्वलंत समस्याएं हैं जिनका शीघ्र निवारण होना चाहिये। इन समस्याओं के समाधान के फलस्वरूप शिक्षक शिक्षा के उन्नयन में सहायता मिल सकेगी। इस तरह देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा एवं यह प्रकारांतर से देश की आवश्यकता की पूर्ति भी करेगी।

अध्यापक शिक्षा में शोध के क्षेत्र

- अध्यापक शिक्षा का दर्शन
- आधुनिक पाठ्यक्रमों की प्रवृत्ति के दार्शनिक आधार
- शिक्षा के उद्देश्यों, मूल्यों में परिवर्तन
- भारतीय चिन्तकों के अनुसार शिक्षा दर्शन में मानववाद
- शिक्षण अधिगम प्रक्रिया
- अभिप्रेरणा पुनर्बलन, तथा व्यक्तिगत विभिन्नता
- शिक्षण संस्थाओं की प्रभावशीलता

19.5.1 शोध की वृहद श्रेणियाँ, (Broad Categories of Research)

शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न शोधकर्ता अपने अध्ययन में विभिन्न प्रकार के चरों को सम्मिलित करते हैं। ये चर विभिन्न प्रकार के होते है जिनमें प्रवेश की कसौटियों को लेकर शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में शिक्षक की कार्य दक्षता को सम्मिलित किया जाता हैं। कुछ

चरों के माध्यम से शिक्षा के विभिन्न स्तरों जैसे प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा का अध्ययन किया जाता हैं।

शोधकर्ताओं ने शोध के क्षेत्रों को विभिन्न श्रेणियों में बांटने का प्रयास किया है। जिन्होंने शिक्षक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले विषयों की एक लंबी सूची सुझायी है। अब हम विभिन्न शोधकर्ताओं द्वारा शोध के क्षेत्रों के वर्गीकरण को देखने का प्रयास करेंगे। "लुल्ला एवं सिंह" (1974) ने शिक्षक शिक्षा के क्षेत्रों को चार श्रेणियों में विभाजित किया है वे निम्न हैं-

शिक्षकों के व्यक्तिगत चर (चयन कसौटी एवं शिक्षक के गुण)

शिक्षकों के पूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण

शिक्षकों के सम्मुख आने वाली समस्याएं

प्रक्रिया एवं व्यवहार (शिक्षण विधियां)

शिक्षक शिक्षा में शोध को एक व्यवस्थात्मक अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हुए स्मिथ (1971) ने शिक्षक शिक्षा में शोध के चार क्षेत्रों का वर्णन किया है ये निम्न हैं-

कौशलों (दक्षता) के लिए प्रशिक्षण

शिक्षण शास्त्र की अवधारणा एवं सिद्धांतों का अध्ययन

संदर्भित अभिवृद्धियों का विकास

विभिन्न विषय पद्धतियों का शिक्षण

शिक्षक शिक्षा में शोध के क्षेत्रों का विवेचन करने से पहले शिक्षक शिक्षा की परिभाषा को देखना आवश्यक है। शिक्षक शिक्षा से हमारा तात्पर्य शिक्षित व्यक्तियों के उस संदर्भ एवं प्रक्रिया को देखना है, जिसके माध्यम से उन्हें एक प्रभावी एवं अच्छा शिक्षक बनाया जाता है। यार्गर एवं स्मिथ (1990) के अनुसार अधिकांश शिक्षक शिक्षा शोध निम्न अंशों में से किसी एक या अधिक या उनकी आपसी सबंधता पर केन्द्रित होती है ये है-

पूर्ववती दशाएँ (Antecedent conditions)

प्रक्रिया (Process)

परिणाम (Product or outcome)

पूर्ववर्ती दशाओं से तात्पर्य उन पर्यावरणीय दशाओं से है जो कि शिक्षक शिक्षा का संदर्भ निर्धारित करती है। इनमें हम विद्यार्थी चयन, कार्यक्रम संरचना, विद्यार्थियों एवं शिक्षक प्रशिक्षकों की विशेषताओं, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक राजनैतिक संदर्भ आदि को ले सकते हैं। प्रक्रिया को देखे वगैर भी ये दशाएं शिक्षक शिक्षा को प्रभावित करती हैं। ये दशाएं शिक्षक शिक्षा की प्रकृति को निर्देशित करती हैं स्वरूप प्रदान करती हैं एवं उन्हें प्रभावित करती है। अत: इन दशाओं का परिणामों पर भी प्रभाव पड़ता है। इन बिंदुओं में हम शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं विद्यालय की संरचना, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों की संरचना, महाविद्यालयों की स्वायत्तता, बजट प्रावधान आदि कुछ मुद्दों पर अध्ययन हुये हैं।

प्रक्रिया से जुड़े बिंदु में हम शिक्षक शिक्षा की प्रक्रिया को लेते हैं, इसमें उन व्यवहारों को सम्मिलित किया जाता है जिनके माध्यम से शिक्षकों एवं संभावित शिक्षकों को शिक्षित किया जाता है। इस बिंदु के अंतर्गत सेवा पूर्व सेवारत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को प्रभावित करने वाले

सभी तत्वों को सम्मिलित करते हैं।इनमें हम शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की वास्तविक संरचना इनकी क्रियान्विति का स्तर, शिक्षक का प्रस्तुतीकरण, शिक्षक अनुभव आदि शामिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सूक्ष्म शिक्षक की प्रभावशीलता से जुड़े विषयों के अध्ययन को हम बिंदु के अंतर्गत लेते है।

परिणामों का संबंध उन व्यवहारों से है जो शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के उपरांत अभिव्यक्त करता है। परिणामों में हम अधिगम व्यवहार या शिक्षक द्वारा प्राप्त दक्षता के प्रस्तुतीकरण को सम्मिलित करते हैं। अत: इसमें शिक्षक व्यवहार एवं इन व्यवहारों के प्रति विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को भी ले लेते है। शिक्षक प्रभावशीलता एवं शिक्षक द्वारा कक्षा में निष्पादन शीलता से संबंधित चर इस बिंदु के अंतर्गत आते हैं।

शिक्षक शिक्षा शोध में इस तीन बिंदुओं की पारस्परिक सम्बन्धता से संबंधित विभिन्न अध्ययन आयोजित किये जा सकते है। सहसम्बन्धता से संबंधित अध्ययन कुछ निम्न प्रकार के हो सकते हैं-

पूर्ववती दशा के साथ प्रक्रिया की सह सम्बन्धता: इस बिंदु के अंतर्गत उन अध्ययनों को सम्मिलित किया जा सकता है जो कि शिक्षक शिक्षा प्रक्रिया पर पूर्ववर्ती दशाओं का प्रभाव या पूर्ववर्ती दशाओं पर प्रक्रिया का प्रभाव दिखाती है। उदाहरण के लिए प्रशिक्षण के अंतर्गत शिक्षकों की अभिवृत्ति एवं प्रेरणा पर शिक्षक शिक्षा संस्था में उपलब्ध सुविधाओं का प्रभाव देखना।

परिणामों के साथ पूर्ववर्ती दशाओं का सहसम्बन्ध: शिक्षक शिक्षा में अधिकांश अध्ययन शिक्षकों की विशेषता एवं शिक्षकों के व्यवहार के मध्य संबंधों का परीक्षण करती है। उदाहरण के लिए शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक की निष्पादनशीलता के मध्य संबंध में संबंधित अध्ययन इन श्रेणी में आते हैं।

परिणामों के साथ प्रक्रिया की सहसम्बन्धता:

शोधकर्ताओं में यह प्रवृत्ति काफी लोकप्रिय रही है। इसके अंतर्गत शोधकर्ता शिक्षक शिक्षा प्रक्रिया परिणामों की प्रभावशीलता का परीक्षण करते हैं। परिणामो के साथ प्रक्रियाओ एवं पूर्ववती दशाओ दो नो की सहसम्बन्धता: इसके अंर्तगत शोधकर्ता शिक्षक शिक्षा प्रक्रिया परिणामों की प्रभावशीलता का परीक्षण करते हैं। परिणामों के साथ प्रक्रियाओं एवं पूर्ववती दशाओं दोनों की सहसम्बधता इसके अंतर्गत तीनों बिंदुओं की एक साथ समीक्षा की जाती है। व्यापक बजट, लम्बे समय में होने वाले शैक्षणिक अध्ययन इस श्रेणी में सम्मिलित किये जाते है। उदाहरण के लिए अधिकांश शैक्षणिक सर्वेक्षण इस श्रेणी में आते हैं।

इस तरह के सहसम्बन्धता पर आधारित अध्ययन किसी एक बिंदु पर विशेष आग्रह के कारण एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। इस तरह से जिस चर का परीक्षण किया जाता है उस चर की दृष्टि से सेवा पूर्व एवं सेवारत शिक्षक शिक्षा अध्ययन अपना अलग स्वरूप ग्रहण कर लेता है। यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि ये तीनों बिंदु-पूर्ववर्ती दशाएं, प्रक्रिया एवं परिणाम-एक दूसरे पर निर्भर होते है।

दवे (1986) ने शिक्षक शिक्षा में शोध अध्ययन के वर्गीकरण एवं विश्लेषण की एक योजना प्रस्तुत की है। उनके अनुसार शिक्षक प्रभावशीलता को जाँचने के लिए तीन प्रमुख कारण होते हैं- ये निम्न है -

सावयव व्यक्तित्व (Organic personality)

विषय दक्षता (Subject Competence)

व्यावसायिक शिक्षा (Professional Education)

जागिंड एवं शर्मा (1974) ने भारत में शिक्षण एवं शिक्षक व्यवहार के क्षेत्र में शोध अध्ययन का विश्लेषण किया है। विश्लेषण के आधार पर उन्होंने भविष्य के शोध के लिए कुछ अनुशंसाएं प्रस्तुत की हैं। उनमें से कुछ प्रमुख अनुशंसाएं निम्न है :

पूर्वभाष प्रक्रिया और प्रक्रिया परिणाम के मध्य सम्बन्धता पर शोध को प्राथमिकता के आधार पर लेना चाहिये।

- शिक्षक के कक्षा व्यवहार में सुधार से संबंधित अध्ययन को महत्व देना चाहिये।
- सूक्ष्म शिक्षण, अंतक्रिया विश्लेषण आदि नयी शिक्षण विधियों की भारतीय परिप्रेक्ष्य में संभावना से संबंधित अध्ययन करना चाहिये।
- शिक्षकों के कक्षा व्यवहार के विभिन्न प्रतिमानों एवं विद्यार्थियों की ग्राह्य क्षमता के मध्य सम्बन्धता पर आधारित अध्ययन करने चाहिये।
- एन.सी.ई.आर.टी. (1977) ने भारत में शिक्षक शिक्षा से संबंधित एम.एड. (1967-72) के 446 लघु शोधों का दस श्रेणियों में विभाजित किया है। ये निम्नलिखित हैं :-

- शिक्षण प्रभावशीलता	=	133
- शिक्षण की विधियाँ एवं समस्याएँ	=	79
- पाठ्यक्रम एवं शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम	=	61
- मूल्यांकन एवं परीक्षण	=	23
- शिक्षण उपकरण	=	13
- सेवाकालीन शिक्षा एवं विस्तार कार्यक्रम	=	11
- प्रवेश चयन प्रक्रिया	=	06
- प्रस्थिति अध्ययन	=	73
- शिक्षक शिक्षा की समस्याएं	=	38
- अन्य अध्ययन	=	09

द्वितीय बुच सर्वेक्षण के अंतर्गत जिन चरों का विश्लेषण किया गया है उनको तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है :- (1) आगम (2) प्रक्रिया (3) निर्गम। तृतीय बुच सर्वेक्षण के अन्तर्गत शिक्षा-चरों को वर्गीकृत करने के लिए व्यवस्था प्रारूप को अपनाया गया तथा इन्हें चार भागों में बॉटा गया।

- संदर्भ
- पूर्वानुमान
- प्रक्रिया
- परिणाम

शिक्षक शिक्षा में शोध के चरों के वर्गीकरण की यह व्यवस्था अभी विकासशील अवस्था में ही है, तथा समय के साथ नये चरों की पहचान के कारण यह बदल भी सकती है। शिक्षक शिक्षा शोध के क्षेत्र में इनको चार उपव्यवस्था मानते हु ये हम प्रत्येक उपव्यवस्था को समझने

का प्रयास करेंगे। किंतु यह ध्यान रखने योग्य है कि ये उपव्यवस्थाएं शिक्षक शिक्षा की पूर्व व्यवस्था की रचना करती हैं। अत: इन उपव्यवस्थाओं को पूर्णत: पृथक नहीं मान सकते हैं। चूंकि ये पूर्णत: पृथक नहीं है इसलिए शोध अध्ययन में एक व्यवस्था से अधिक व्यवस्थाएं भी दिखाई दे सकती हैं। अब हम इन उपव्यवस्थाओं का वर्णन करेंगे-

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1. शिक्षक शिक्षा में शोध के इतिहास का संक्षेप में वर्णन करें।
2. स्मिथ द्वारा सुझाए गये शोध के क्षेत्र को बताइए।
3. शिक्षक शिक्षा में शोध की पूर्ववर्ती दशाओं से आप क्या समझते हैं।

19.5.2 संदर्भ उपव्यवस्था

इस उपव्यवस्था में उन शोध अध्ययनों को सम्मिलित किया जाता है जो कि शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में अन्वेषण से जुड़े हुये होते हैं। भारत में शिक्षक शिक्षा का ऐतिहासिक विकास, शिक्षक शिक्षा संस्थाओं का अध्ययन, शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम आदि कुछ ऐसे चर हैं जो कि शिक्षक शिक्षा के उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसमें हम कुछ विशिष्ट विषयों या विकलांग विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का विकास, प्रौढ़ शिक्षार्थी जैसे चर भी सम्मिलित कर सकते हैं।

विद्यार्थी- शिक्षक की व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक विशेषताएं जैसे बौद्धिकता अनुभव, क्षमता, व्यक्तित्व आदि का भी अध्ययन किया जा सकता है। इनके अतिरिक्त संस्थात्मक विशेषताओं से संबंधित चर भी शिक्षक शिक्षा के संदर्भ अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। प्रशासकीय संरचना, पाठ्यक्रम निर्माण में स्वायत्तता एवं मूल्यांकन तकनीकें आदि की भी महत्वपूर्ण आदि कुछ विशिष्ट कक्षा चर भी सम्मिलित किये जा सकते है।

भविष्यात्मक अध्ययन जैसे शिक्षक शिक्षा का भविष्य में क्या रूप होगा, प्रशिक्षण की क्या तकनीकें होंगी, शिक्षण के लिए बहु संचार उपागम का उपयोग कैसे होगा आदि को भी इस अध्ययन में लिया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षण की तकनीकों में बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा है अत: शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले विकासों एवं अन्वेषण को ध्यान में रखते हुये शिक्षकों को शिक्षित एवं प्रशिक्षित किया जाना चाहिये। भारत में शिक्षक शिक्षा व्यवस्था की कुछ अर्न्तनिहित समस्याएं है। विश्वविद्यालय से शिक्षक शिक्षा संस्थाओं का अलगाव, विद्यालयों से शिक्षक शिक्षा संस्थाओं का अलगाव आदि समस्याओं का अध्ययन किया जाना शिक्षक शिक्षा के लिए शैक्षणिक दृष्टि से काफी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इससे एक तरफ यह लाभ होगा कि वे विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक विकास के बारे में जान पायेंगे दूसरी तरफ विद्यालयों एवं विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकताओं से परिचित हो पायेंगे। इसके अतिरिक्त शिक्षक शिक्षा का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ शिक्षक संस्थाओं द्वारा तैयार किये जाने वाले शिक्षकों की भूमिका एवं औचित्य से संबंधता सूचनाएँ भी संदर्भ उपव्यवस्था से मिल सकेगी।

19.5.3 पूर्वानुमान उपव्यवस्था

यह अवस्था (कुछ उसे प्रवेश्य अवस्था भी कहते हैं) विद्यार्थी शिक्षकों के द्वारा शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में प्रवेश लेने के उपरान्त प्रारंभ होती है। इस अवस्था में शोध के तीन मुख्य क्षेत्र होते हैं। प्रथम- शिक्षक प्रशिक्षकों से संबंधित शोध द्वितीय-शिक्षक विद्यार्थियों से संबंधित शोध और तृतीय- शिक्षक शिक्षा संस्थाओं से संबंधित शोध। अब हम शिक्षक प्रशिक्षकों से संबंधित चरों को देखने का प्रयास करते हैं। शैक्षणिक समुदाय में शिक्षक प्रशिक्षकों से संबंधित चरों को देखने का प्रयास करते हैं। शैक्षणिक समुदाय में शिक्षक प्रशिक्षकों से संबंधित चरों के बारे में विवाद पाया जाता है। इसके अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षकों की आवश्यकता, दक्षता, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, मूल्य, व्यक्तित्व, शैक्षणिक योग्यताएं आदि कुछ चरों का अध्ययन किया जा सकता है। शिक्षक विशेषताओं से संबंधित जटिलताओं की खोज भी की जानी चाहिये। शिक्षक विशेषताओं के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने के लिए बहुआयामी प्रमाण एवं बहुआयामी परिदृश्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। विद्यार्थियों के ज्ञान, मनोवृत्ति, व्यवहार, स्वमूल्यांकन, कार्यशैली आदि को अपनी इच्छानुसार मोड़ने की दक्षता का भी अध्ययन किया जाना चाहिये। परिस्थितिगत कारक जैसे कार्य, कार्यभार जिसमें शिक्षणशोध एवं विस्तार कार्यक्रम सम्मिलित हैं, व्यावसायिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण दक्षता आदि का अध्ययन किया जाना एवं दूसरे विषयों के अध्यापकों से तुलना किया जाना भी इसके अंतर्गत उपयोगी रहेगा।

एन.सी.ई.आर.टी., एन.सी.टी.ई., यू.जी.सी. आदि कुछ संस्थाएँ देश में शिक्षण शिक्षा कार्यक्रमों से जुडी हुयी हैं। ये संस्थायें शिक्षक शिक्षा को गुणात्मक अभिवृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इनकी भूमिका, इनके संगठनात्मक स्वरूप, शिक्षक शिक्षा के भावी परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। शोध का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षक विद्यार्थी से संबंधित शोध है। शिक्षक शिक्षा से संबंधित सूचनाएँ शिक्षक अधिगम की रणनीतियों को तय करने में सहायक होती हैं। एक व्यवसाय के रूप में शिक्षण को अपनाने को उद्देश्य, शैक्षणिक योग्यताएँ वह विषय जिनसे वे जुड़े हुये हैं, बौद्धिकता, मूल्य, कार्य, संस्कृति, एक पेशे के रूप में शिक्षक का दृष्टिकोण बालकों एवं समाज के प्रति संवेदना आदि व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक गुणों का अध्ययन उनके व्यवहार एवं दक्षता के उन्नयन में महत्वपूर्ण होता हैं। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में प्रवेश से पहले शिक्षक विद्यार्थियों की विशेषताओं को विश्लेषण कर लेना चाहिये। एक अच्छे शिक्षक प्रशिक्षक को अपने शिक्षण शास्त्र से संबंधित निर्णय शोध अध्ययनों के परिणाम के आधार पर निर्धारित करने चाहिये। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में प्रवेश से संबंधित समस्याओं के प्रति भी विभिन्न शोध विद्यार्थी के व्यवहार को अच्छी तरह से जांचा जाये तथा विद्यार्थियों के चयन हेतु एक स्तरीय प्रक्रियात्मक विधि को विकसित किया जाना चाहिए। इस तरह के अध्ययन शिक्षक शिक्षा की अवधारणा उसके प्रारूप एवं प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के लिए भी उपयोगी होते है।

शोध का तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र संस्थागत चरों से संबंधित शोध हैं। समाज में अधिकांश शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के बारे में कोई अच्छी धारणा नहीं हैं तथा विश्वविद्यालय के अन्य विषयों की तुलना में उसके स्तर को काफी निम्न माना जाता है। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने संदर्भ व्यवस्था से संबंधित शीर्षक के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थाओं से संबंधित शोध चरों का उल्लेख

किया था उसी तरह यही भी हमारा आग्रह विद्यार्थियों के विकास, विद्यार्थियों की देखभाल आदि को प्रमाणित करने वाले चरों के अध्ययन से है।

19.5.4 प्रक्रिया उपव्यवस्था

इस उपव्यवस्था में वास्तविक कक्षा स्थिति से संबंधित शैक्षणिक गतिविधियों जैसे, कक्षा संचालन, अधिगम को बढ़ाने वाली अप्रत्यक्ष प्रक्रियाएँ, एक प्रशिक्षित एवं प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक ज्ञान एवं दक्षताओं की जानकारी आदि के अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। इस उपव्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक प्रशिक्षक एवं उनके विभिन्न तत्वों को लिया जा सकता हैं अत: इस उपव्यवस्था में शोध का क्षेत्र काफी व्यापक होता है। शोध के इस क्षेत्र में शिक्षण एवं प्रशिक्षण पद्धतियों तथा रणनीतियों की प्रभावशीलता, आधार मूल पाठ्यक्रमों एवं व्यावहारिक गतिविधियों की उपादेयता, शिक्षण दक्षता से उनका संबंध आदि चरों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये। शिक्षण दक्षता को प्राप्त करने में कितना समय चाहिये, व्यावहारिक गतिविधियों को कैसे निर्देशित किया जाये, व्यावहारिक आगम कौन-कौन से होने चाहिये आदि के अध्ययन को भी महत्व दिया जाए। शिक्षक शिक्षा संस्थाओं द्वारा संचालित, व्यक्तिगत रूप से एवं समूह द्वारा की जा सकने वाली सह शैक्षणिक गतिविधियों की उपयोगिता एवं भूमिका तथा लेख एवं शारीरिक शिक्षा को भी ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के शिक्षण एवं विद्यालयों के वास्तविक शिक्षण के मध्य की खाई को पाटने के लिऐ शिक्षक की प्रभावशीलता एवं सैद्धांतिक पाठ्यक्रम और व्यावहारिक गतिविधियों के मध्य पाये जाने वाले संबंध का भी अध्ययन किया जाना चाहिये।

विद्यालयों में आजकल रेडियो, टेलीविजन, कम्प्यूटर, श्रव्य-दृश्य उपकरण आदि इलेक्ट्रॉनिक्स संचार साधनों का भी प्रयोग होने लगा है। कुछ संस्थाएं तो शिक्षण अधिगम उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के संचार साधनों के संचालन का प्रशिक्षण देते है। शोधकर्ताओं द्वारा व्यक्तिगत शिक्षक की प्रभावशीलता, बहुसंचार उपकरण शिक्षण व अधिगम के साधन के रूप में विद्यालयों में संचार साधनों के प्रयोग को समस्या आदि अध्ययनों को भी लेना चाहिए।

शिक्षक विद्यार्थी के व्यवहार में इच्छानुसार परिवर्तन लाने के लिए विभिन्न रणनीतियों की प्रभावशीलता की तुलना एवं विद्यालयों के वास्तविक शिक्षण पर उनके दूरगामी प्रभाव को जाँचने के लिए विभिन्न प्रयोग किये जाने चाहिये। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य वास्तविक प्रक्रिया के दौरान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उन्नयन हेतु रचनात्मक शोध का भी प्रयोग किया जाना चाहिए।

19.5.5 उत्पाद उपव्यवस्था

इस उपव्यवस्था का संबंध शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के परिणामों से होता है। परिणामों पर की जाने वाली शोध शिक्षक कार्यक्रमों की अपने उद्देश्यों के संदर्भ में प्रभावशीलता पर एक नई दृष्टि प्रदान करती है। ये अध्ययन वास्तविक परिणाम एवं आकांक्षित परिणाम के बीच की खाई को प्रकट करते हैं। इन अध्ययनों द्वारा हमें कितनी खाई का पता चलता है यही इस उपव्यवस्था की महत्ता है। इस खाई के कारणों को हम देशान्तरीय अध्ययनों द्वारा भी जान

सकते हैं। इन अध्ययनों के निष्कर्ष हमें उद्देश्यों को तय करने, एवं शिक्षक प्रक्रिया के बारे में पुनर्विचार करने हेतु निर्देशित करते है।

सभी शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में विद्यार्थियों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन का प्रावधान होता है।आंतरिक एवं बाह्यमूल्यांकन की प्रक्रिया एवं तकनीकों के मध्य संबंध को भी शोध अध्ययनों द्वारा खोजा जाना चाहिये। मूल्यांकन तकनीकों की कसौटी एवं साख के संदर्भ में भी अध्ययन होने चाहिये ताकि मूल्यांकन व्यवस्था को प्रभावी बनाया जा सके। व्यावहारिक कार्यों के मूल्यांकन की विश्वसनीयता एवं सैद्धांतिक पाठ्यक्रमों से उनकी तुलना आदि के अध्ययन भी शोध के महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते है।

इसके अंतर्गत दो प्रकार के अध्ययन किये जा सकते है प्रथम- वे जो कि शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों पर तात्कालिक प्रभाव का वर्णन करते हैं। द्वितीय- जिनके माध्यम से शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के दूरगामी प्रभाव को देखा जा सके। हम संक्षेप में कार्यक्रमों पर तात्कालिक प्रभाव को देख चुके हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान विद्यार्थियों को दी जाने वाली आगम सूचना के दूरगामी प्रभाव को मापने के लिए अनुगामी शोध (Follow up Research) किये जा सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त की गई दक्षता एवं ज्ञान की व्यावहारिक परिणति को खोजने के लिए कुछ विशिष्ट अध्ययन होने चाहिये। यह भी देखा जाना चाहिये कि व्यवसाय छोड़ कर जाने वाले व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं के नौकरी छोड़ने के क्या कारण हैं। इस प्रकार के अध्ययन शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों को प्रभावशीलता को बढ़ायेंगे।

संदर्भ-पूर्वानुमान-प्रक्रिया-उत्पाद व्यवस्था शोध आदि को शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में शोधकर्ताओं ने काफी विस्तृत रूप में प्रयोग में लिया है। शिक्षक शिक्षा में शोध के संदर्भ में मेहरोत्रा (1985) का मानना है कि शिक्षक शिक्षा में शोध, शिक्षकों के प्रारंभिक प्रशिक्षण की चार आवश्यकताओं को पूरी करती है ये निम्न है -

- शिक्षा व्यक्ति को विकसित करने में योगदान प्रदान करती है उसकी दक्षता एवं मनोवृत्ति की
- प्रवृत्ति को बढ़ाती है।
- क्या पढ़ाया जाना चाहिये इसके बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करती है।
- संबंधित विषय के शिक्षा सिद्धांत के बारे में पर्याप्त ज्ञान प्रदान करती है।

जिससे व्यक्ति अपने शैक्षणिक जीवन को प्रारंभ करने में अपने आप को असक्षम महसूस नहीं करे और न ही उसके विद्यार्थी उसकी अनुभव हीनता से प्रभावित हो।

19.6 शोध के उभरते क्षेत्र : भविष्यात्मक उपागम

शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में शोध अपनी बाल्यावस्था में ही है अत: इसको विकसित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आवश्यक हैं। दवे (1986) ने शिक्षण एवं शिक्षण व्यवहार पर भविष्य में होने वाली शोध हेतु कुछ सुझाव प्रस्तुत किये हैं। इनका संक्षेप में हम वर्णन करेंगे।

1. शिक्षानीति शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य, सामाजिक रूपांतरण आदि क्षेत्रों पर अधिक बल दिया जाना चाहिये।
2. शोध अध्ययनों को भविष्य के शिक्षकों के मध्य पारस्परिक सम्बन्धता को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षक व्यवहार एवं शैक्षणिक रणनीतियों को भी ध्यान में रखा जाना

चाहिए। शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम एवं शिक्षक व्यवहार एवं शैक्षणिक प्रस्थिति पर उसके प्रभाव का अध्ययन करना चाहिये।

3. वास्तविक कक्षा में संचालित होने वाले शिक्षक शिक्षा की सांदर्भिकता एवं प्रभावशीलता भी देखना आवश्यक है।
4. व्यक्तिगत रूप से तथा समूह या संस्थागत रूप से अधिक देशान्तरीय अध्ययनों की योजना बनायी जानी चाहिये एवं उन्हें संचालित किया जाना चाहिये। इसके अलावा भविष्य की दृष्टि से निम्न तत्व भी महत्वपूर्ण हैं।

19.6.1 बाल केन्द्रित उपागम

बालक को एक विकसित होते हुए प्रौढ़ एवं सृजनात्मक व्यक्ति के रूप में मानना शोध का एक नया क्षेत्र है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने अनुशंसा की है कि पाठ्यक्रम में स्मरण शक्ति की भूमिका को बढ़ाने की अपेक्षा बालक केन्द्रित एवं बालक की गतिविधियों पर केन्द्रित अधिगम प्रक्रिया पर जोर दिया जाए। पाठ्यक्रम के संचालन में यह ध्यान रखा जाना चाहिये कि एक व्यक्ति की तरह बालक की भी अपनी आवश्यकताएँ, रूचि, मनोवृति एवं दक्षता होती है। व्यापक अर्थ में हम कह सकते है कि बालक केन्द्रित उपागम का तात्पर्य एक ऐसी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को तय करना है जो कि ज्यादा रूचिकर एवं सृजनात्मक हो तथा वह बालक की अधिगम आवश्यकताओं को भी पूरा करती हो। ये उपागम हमें अधिनायकवादी निर्देशन एवं नीरस शिक्षण के विरूद्ध सचेत करते हैं। इसका आग्रह बच्चे को अपनी सुविधानुसार सीखने की स्वतंत्रता पर होता है। इसमें बालक की गतिविधियों एवं समस्या निवारणात्मक निर्देशन की खोज पर बल दिया जाता है। इस क्षेत्र में की जाने वाली शोध शिक्षकों को यह बताने में सहायक होती है कि स्व-अधिगम के लिए उपर्युक्त शिक्षण-अधिगम रणनीतियाँ क्या हों तथा बच्चे की समस्याओं के समाधान हेतु समस्या निवारणात्मक दक्षताएँ क्या हों। भारतीय परिदृश्य में किये गये शोध अध्ययनों के परिणाम, शिक्षण अधिगम की परीक्षणात्मक पद्धतियों के प्रयोग में आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु नयी दृष्टि प्रदान करते है। सेवापूर्व एवं सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण को इस तरह से संचालित किया जाये कि उनमें बालक केन्द्रित उपागम से संबंधित दक्षता विकसित हो सके।

19.6.2 शैक्षणिक तकनीक एवं संचार

इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न शैक्षणिक तकनीकों का व्यापक प्रयोग हो रहा है। विश्व में होने वाले परिवर्तनों विशेषकर निर्देशन एवं संचार तकनीक के क्षेत्र में आये परिवर्तन को भारतीय प्रशिक्षक अनदेखी नहीं कर सकते अत: उन्हें संचार तकनीकों के बारे में पर्याप्त ज्ञान होना चाहिये। शैक्षणिक तकनीकों का (हमारा तात्पर्य शिक्षा में तकनीक एवं शिक्षा की तकनीक दोनों से ही हैं।) शिक्षा पर सामान्य रूप से एवं शिक्षक शिक्षा पर विशेष रूप से प्रभाव होता है। शैक्षणिक तकनीकों का प्रयोग हमें निश्चित रूप से अपनी शिक्षा एवं शिक्षण पाठ्यक्रमों की अवधारणाओं तथा शिक्षण अधिगम पद्धतियों की समीक्षा करने को बाध्य कर रही है। शिक्षण तकनीकों में होने वाली शोध संचार की क्षमता, बहुसंचार की क्षमता,

विभिन्न शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए उनकी प्रयोगशीलता एवं उनके प्रयोग में आने वाली समस्याओं को प्रकट करती है। ये शोध अन्य देशों द्वारा विकसित निर्देशात्मक सामग्री में सुधार हेतु आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करती है। शिक्षकों के लिए सूक्ष्म शिक्षण, समूह शिक्षण ट्यूटोरियल, क्षेत्र अध्ययन ब्रेनस्ट्रामिंग, कार्यशाला जैसी विभिन्न शैक्षणिक रणनीतियॉ होती हैं। वास्तविक कक्षा दशा के सम्बन्ध में किए जाने वाली शोध, विभिन्न संचार उपकरणों के प्रयोग के बारे में सार्थक सुझाव दे सकते है। व्यवस्थात्मक शोध द्वारा ही हम यह प्रमाण जुटा सकते हैं कि हमारी अपनी परिस्थितियों में इन उपकरणों के प्रयोगों की क्या सार्थकता है?

19.6.3 व्यवसायीकरण

व्यावसायिक शिक्षा भारतीय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। व्यावसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा हेतु शिक्षकों को तैयार किया जाना आज एक जटिल समस्या हो गयी है। शिक्षक शिक्षा के इस क्षेत्र के कारकों के बारे में विकसित एवं विकासशील देशों में बहुत ही कम अध्ययन हुआ है, अत:इस क्षेत्र पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1. शिक्षक शिक्षा में शोध की आवश्यकता का उल्लेख कीजिये एवं शिक्षक शिक्षा में शोध के क्षेत्रों का वर्णन कीजिये।
2. बालक केन्द्रित उपागम से आप क्या समझते हैं लगभग 150शब्दों में एक लेख लिखिये।
3. विद्यालयी व्यवस्था में गुणात्मक शिक्षा की अभिवृद्धि में शैक्षणिक तकनीकों की क्या महत्ता है? स्पष्ट कीजिये।
4. शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के शोध में कुछ विषय बताइये।

19.7 शिक्षक शिक्षा की संकल्पना व उद्देश्य

शिक्षक शिक्षा से हमारा तात्पर्य है कि व्यक्तियों को शिक्षित करने का संदर्भ व प्रक्रिया ताकि प्रभावी शिक्षक तैयार हो सकें। हम यही पर देश की शिक्षक शिक्षा की संकल्पना, उद्देश्यों तथा प्रमुख मुद्दों की ओर विशेष ध्यान देंगे। अनुदेशन तथा शैक्षिक तकनीकी में तेजी से होते हुए विकास को ध्यान में रखते हुए, हम शिक्षक शिक्षा का भविष्य के प्रवृत्ति की ओर भी ध्यान देंगे तथा शिक्षक शिक्षा के प्रमुख अभिकरणों के संदर्भ में इस इकाई में संक्षेप में वर्णन करेंगे।

समय के साथ शिक्षक शिक्षा की महत्ता दिनों दिन बढ़ती जा रही है तथा देश के शैक्षिक तंत्र का एक अभिन्न अंग बन गई है। इस बात से भी हम सभी सहमत हैं कि शिक्षक शिक्षा यह दायित्व है कि देश की शैक्षिक व्यवस्था को सुधारने हेतु योग्य शिक्षकों की अनवरत आपूर्ति करती रहे। फिर भी इस संबंध में लोगों के दृष्टिकोण में काफी भिन्नता है कि देश में शिक्षक शिक्षा को किस प्रकार नियोजित किया जाए?

19.7.1 शिक्षक शिक्षा की संकल्पना

डोली (Dolee 1990) के अनुसार- शिक्षक शिक्षा की प्रमुख 5 थीम (Themes of Frame Work) हैं। इसके अन्तर्गत समस्त शिक्षक शिक्षा तथा तैयार किए जाने वाले शिक्षकों के प्रकारों को समाहित किया जा सकता है, जो कि निम्नवत है-

अच्छा कार्यकर्ता (The Good Worker)

अच्छा योग्य (अकादमिक) (The Good Academic)

आदमी (The Good person)

अच्छा नवाचारी (The Good Innovator)

रिफ्लेक्टिव प्रोफेशनल (Paradigm) को समझने हेतु, आइये प्रत्येक बिंदु पर संक्षेप में बात करें-

शिक्षक शिक्षा ऐसे अभ्यर्थियों को तैयार करती है जो वास्तविक विद्यालयी परिस्थितियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सके। शिक्षक शिक्षा में मुख्य जोर प्रशिक्षण तथा विद्यालय के शिक्षण के व्यवसाय के सामाजिकरण से हैं। एक प्रशिक्षित शिक्षक विद्यालयों के नियमों को पालन करने तथा पालना कराने के योग्य होना चाहिए, वह कक्षा की व्यवस्था कर सके तथा शिक्षण और मूल्यांकन के कार्य को सम्पादित कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि उसमें व्यवसाय तथा विद्यार्थियों के प्रति उचित ज्ञान, कौशल, रूचि तथा अभिवृत्ति हो।

प्रभावी शिक्षक की नींव तो उसका मुख्य विषय (Core-Subject) जैसे सामान्य विज्ञान, विज्ञान भाषा आदि का ज्ञान है। अत: शिक्षण में गुणवत्ता लाने के लिए आवश्यक है कि इन विषयों का उसे गहन ज्ञान हो। शिक्षक शिक्षा में इस दृष्टिकोण के समर्थकों की राय है कि शिक्षक शिक्षा शिक्षा, शिक्षा शास्त्रियों के बजाय अकादमियों के हाथ में होनी चाहिए। इस खाके में तो शिक्षक काफी चयनित, हठीली तथा अकादमिक (Selective, Rigorous and Academic) प्रतीत होती है, तथा इसमें प्रवेश हेतु काफी उच्च स्तर की अकादमिता की अनुसंशा की गई है। शिक्षक शिक्षा का यह दृष्टिकोण काफी संकुचित है तथा इसमें शिक्षण की तकनीक को विशेष महत्व नहीं दिया गया है।

शिक्षक शिक्षा अच्छी तब मानी जाती है जब वह भावी शिक्षकों का व्यक्तिगत विकास करती हैं। भावी शिक्षकों को अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने हेतु अपने विशिष्ट विषय में विशेष ज्ञान प्राप्त करने तथा मनौवैज्ञानिक परिपक्वता की आवश्यकता होती है। इस दृष्टिकोण के समर्थक विकासात्मक तथा परामर्श मनोविज्ञान के विद्वान है तथा उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए इसका महत्व भी काफी है।

शिक्षक को विद्यालय में नवाचार का स्त्रोत होना चाहिए। इस दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षक को केवल परम्परागत शिक्षण के लिए ही नही तैयार करना चाहिए बल्कि उसे अद्यतन अनुदेशन डिजाईन (जिसमें नये अनुसंधानों का समावेश हो) का ज्ञान होना चाहिए। इस फ्रेमवर्क के अनुसार शिक्षक शिक्षा काफी भविष्योन्मुखी व तकनीकी है, जिसमें कक्षा को प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट योग्यताओं के मूल्यांकन व प्रशिक्षण के संबंध में विशेष ध्यान दिया गया है। अनुदेशन तथा शैक्षिक तकनीकी का मनौवैज्ञानिक के नये सिद्धांतों को दृष्टि में यह कार्य (फ्रेमवर्क)

अत्यधिक जटिल हैं। शिक्षक शिक्षा के यह नये विचार शिक्षक के परम्परागत ढंग से व्यवहार में उचित संशोधन करते है।

शिक्षक शिक्षा को शिक्षक की रिफ्लेक्टिव योग्यताओं (Reflective Capacities) का विकास करना चाहिए ताकि वह वास्तविक शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों में उचित निरीक्षण, विश्लेषण, व्याख्या कर सकें तथा निर्णय ले सकें। व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित अध्यापक शिक्षण में अनुपृच्छा (Inquiry) को विशेष महत्व देते हैं।तथा अपने कार्यो का समालोचनात्मक ढंग से मूल्यांकन करते हैं। इस फ्रेम वर्क में शिक्षण की समस्याओं तथा अभ्यासों (Practice) के निदान में ज्ञान तथा अनुपृच्छा की विधियो (Method Of Inquiry) का विशेष महत्व है तथा साथ में शिक्षण के कौशलों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। एक प्रशिक्षित अध्यापक को यह पता होना चाहिए कि उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किस कौशल का कब प्रयोग करें। सार रूप में इस वर्ग में शिक्षण की प्रवीणता (Competencies) के साथ-साथ अनुपृच्छा कौशल तथा कक्षा व्यवहार का भी विशिष्ट महत्व है तथा इसमें मूल्यांकन में अनुपृच्छा प्रक्रिया तथा पृष्ठपोषण (Feed Back Mechanism) पर विशेष जोर दिया जाता है।

इन फ्रेम वर्कों (Themes or Frame Work) को शिक्षक शिक्षा का अंतिम वर्गीकरण नहीं माना जाना चाहिए- क्योंकि शिक्षक शिक्षा एक साथ एक से अधिक फ्रेम वर्क्स पर निर्भर करती है। फिर भी यह पांच फ्रेमवर्क या थीम शिक्षक शिक्षा के भावी उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की ओर इंगित करती है तथा इस जटिल माहौल की ओर भी संकेत करती जिसमें विषय वस्तु, समय सारणी, शिक्षण प्रविधियों तथा मूल्यांकन आदि के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं। इन फ्रेमवर्कों में शोध की काफी मांग है। व उसके परिणामों से काफी अपेक्षाएं है यदि हम इन फ्रेमवर्कों के संबंध में संज्ञान ले तो स्पष्ट होता है कि शिक्षक को केवल अपने विषय में ही प्रवीण नहीं होना चाहिए, अपितु उसे अद्यतन विज्ञान व तकनीकी का भी ज्ञान होना चाहिए। एक प्रभावशाली शिक्षक होने के लिए उसे मानवतावादी व वैज्ञानिक होना चाहिए तथा उसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले अद्यतन विधियों तथा संचार का ज्ञान भी होना चाहिए।

पुराने समय में विश्वास था कि शिक्षक पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। यह प्रवृत्ति ब्रिटिश साम्राज्य के दिनों में विशेष जोर पकड़ रही थी। व्यवस्थित (Systematic) शिक्षक शिक्षा का प्रारंभ इंग्लैण्ड में भी अपेक्षाकृत देरी से हुआ तथा उसके उपनिवेशों जैसे भारत, श्रीलंका में तो इसका प्रवेश और बाद में तथा धीमी गति से हुआ। ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में शिक्षक शिक्षा विषय का अकादमिक महत्व भी तुलनात्मक रूप से अन्य विभागों की अपेक्षा थोड़ा कम है। भारत में भी अंग्रेजों ने पहले विद्यालय प्रारंभ किए, इसके बाद ही शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएँ खोली, अत: भारत में भी व्यवस्थित शिक्षक शिक्षा का प्रारंभ कुछ देरी से हुआ।

परंतु अब शिक्षक शिक्षा की संकल्पना बदल गई है। अब मानना है कि शिक्षक बनाए भी जा सकते हैं, क्योंकि शिक्षण कला व विज्ञान दोनों है। कोठारी कमीशन (1964-66) में यह स्वीकार किया गया था कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए शिक्षण शिक्षा आवश्यक है, फलस्वरूप स्वतंत्र भारत में बहुत से शिक्षक प्रशिक्षक संस्थाओं की स्थापना हुई है।प्रारंभ में इस हेतु "शिक्षक प्रशिक्षण" शब्द का प्रयोग किया जाता था परंतु अब "शिक्षक शिक्षा" शब्द का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह संस्थाएँ प्रभावी शिक्षण हेतु केवल उचित कौशलों का ही विकास नहीं करती हैं अपितु भावी शिक्षकों को उनके मूल विषय के बारे में भी ज्ञान देते हैं तथा शिक्षा के

दार्शनिक, सामाजिक व मनौवैज्ञानिक आधार शिक्षक शिक्षा के सैद्धांतिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हैं।

स्वतंत्रता के पश्चात देश की शिक्षा व्यवस्था, विशेषकर शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में काफी नवाचारों का समावेश किया गया है। अब शिक्षक केन्द्रित अध्ययन प्रणाली के बजाए शिक्षार्थी केन्द्रित अध्ययन प्रणाली अपनाई जा रही है। विश्व के बदले परिदृश्यों के साथ, अब शिक्षक की भूमिका बडी तेजी के साथ बदल रही है। उदाहरणार्थ, शिक्षक अब केवल अकेला सूचना का स्त्रोत नहीं है, अपितु विद्यार्थियों के पास अब सूचनाओं के अन्य स्त्रोत भी मौजूद हैं। ऐसी स्थिति मे शिक्षक का दायित्व होता है कि वह ऐसे उचित वातावरण का निर्माण करे जिसमें छात्र स्वतंत्र रूप से अपने पहल पर सीखने की क्रियाओं में भाग लेकर सीख सके। विज्ञान संचार साधन व शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में तेजी से हुए परिवर्तनों का प्रभाव देश की शिक्षक शिक्षा की नीतियों, कार्यक्रमों व व्यवहार (Practices) पर विशेष रूप से पड़ा है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में नये प्रस्तावों का प्रादुर्भाव हुआ।

19.7.2 शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य (Objectives of Teacher Education)

वास्तव में शिक्षा के समग्र उद्देश्य, शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों के उद्देश्यों के आधार है। शिक्षा के उद्देश्य वह होते है जो देश के उन्नति के उद्देश्य होते हैं।अतः शिक्षा का दायित्व होता है कि वह शिक्षित नागरिक तैयार कर देश के विकास में योगदान दे तथा यह नागरिक देश की नीतियों मूल्यों व सामाजिक ढांचे में विश्वास रखें। संक्षेप में हमारी शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य ऐसे होने चाहिए, जो कि शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम के नियोजन व क्रियान्वयन को निर्देशित अवश्य कर सके।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने देश की भविष्य की शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय सहमति पैदा करने हेतु टीचर एज्यूकेशन केरीकूलम-ए फ्रेमवर्क (1978) विकसित किया। इस प्रपत्र में शिक्षक शिक्षा के निम्न वृहद उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है।

शिक्षा के माध्यम से गांधीजी के मूल्यों- जैसे अहिंसा, सत्य, स्व-अनुशासन, स्व-निर्भरता, श्रम का महत्व आदि का विकास किया जाए।

समाजिक परिवर्तन के एक अभिकरण के रूप में शिक्षक शिक्षा को अपनी भूमिका समझनी चाहिए तथा इसी संदर्भ में बालकों व समुदाय को निर्देशित करना चाहिए।

विद्यालय तथा समुदाय के बीच घनिष्ठता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।

पर्यावरण तथा अन्य सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण किया जाना चाहिए।

विकसित होते हुए बच्चों तथा उनके शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक तथा व्यक्तिगत समस्याओं हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए।

बालकों का समग्र विकास करने हेतु उचित योग्यताओं का विकास करना चाहिए।

शिक्षण तथा अधिगम के सिद्धांतों के आधार पर पढ़ाने हेतु योग्यताओं का विकास करना चाहिए।

कक्षा में तथा कक्षा के बाहर अन्तक्रिया के द्वारा मानव संबंधों को बढ़ावा देने हेतु उचित संचार(Communication) तथा मनौगैतिक (psychomotor) कौशलों का विकास करना है।

अपने विषय के संबंध में अद्यतन जानकारी रखना।

कार्यात्मक अनुसंधान तथा प्रयोजनाओं को क्रियान्वित करना।

प्रो. आनन्द (1990) ने भविष्य के शिक्षक के संबंध में विशेषताओं का विश्लेषण करते हुए कुछ उद्देश्यों का वर्णन किया हैं, जो कि देश के किसी भी स्तर के शिक्षा कार्यक्रम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनके अनुसार शिक्षक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्न है: ज्ञान के उन क्षेत्रों के बारे में संकल्पना तथा समझ का विकास करना जिनका व्यावसायिक महत्व है।

शैक्षिक सिद्धांतों के बारे में समझ विकसित करना, यह व्यवसायिक निर्णय लेने एवं उनके क्रियान्वयन में सहायता मिलती हैं।

मानव विकास की दी हुई अवस्थिति में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संबंध में तार्किक तथा मनौवैज्ञानिक पहलुओं के बीच के संबंधों को समझना।

शैक्षिक संस्था को संगठित करने हेतु ऐसे कौशलों का विकास करना, जिससे वह समुदाय के लिए शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक केन्द्र के रूप में कार्य कर सके।

लोकतंत्र, समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों के प्रति विश्वास विकसित करना तथा ऐसे कौशलों का विकास करना जिससे समुदाय के लोगों को इन मूल्यों के आधार पर रहना सिखाया जा सके।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

(1) भारत में शिक्षक शिक्षा के स्तर में आई गिरावट के कारणों का उल्लेख करो।

(2) शिक्षक शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करो।

(3) डाली के अनुसार शिक्षक शिक्षा के फ्रेमवर्क कौन-कौन से है?

(4) शिक्षण में अनुपृच्छा (Inquiry) के महत्व को समझाइए।

II. निम्न प्रश्नों का उत्तर विस्तार में दें

(1.) ''शिक्षक पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते है'' अब इस धारणा में बदलाव आ रहा है- इस संबंध में अपने विचार लिखिए।

19.8 भारत में शिक्षक शिक्षा

स्वतंत्रता के पूर्व भारत में शिक्षक शिक्षा बहुत व्यापक, प्रचलित व व्यवस्थित नहीं थी। स्वतंत्रता के पश्चात इस ओर विशेष ध्यान दिया गया तथा माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु विशेष प्रयास किए गए।

प्रारंभ में शिक्षक प्रशिक्षण के वित्तीय तथा प्रशासकीय पहलुओं का दायित्व सरकार ने स्वयं अपने कन्धों पर लिया तथा विषयवस्तु शिक्षण विधियॉ तथा परीक्षा आदि का दायित्व विश्वविद्यालयों को दिया गया, बाद में कुछ राज्यों में शिक्षण प्रशिक्षण का दायित्व बिना अनुदान दिए हुए प्राइवेट मेनेजमेन्ट को भी सौंपा गया।

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1953) ने माध्यमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने हेतु काफी सुझाव दिए। आयोग की दृष्टि में किसी भी प्रकार के शैक्षिक सुधार(बदलाव) में शिक्षक ही मुख्य बिंदु होगा। अत: शिक्षक शिक्षा के लिए नियोजित पाठ्यक्रम (Planned Programme) की आवश्यकता महसूस की गई। आयोग ने कहा कि दो तरह के शिक्षक

प्रशिक्षण संस्थान होने चाहिए। (1) उन लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करे जो उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश करना चाहते हैं।(2) वह जो शिक्षा के साथ-साथ प्रशिक्षण भी प्राप्त करना चाहते है- ऐसे लोगों को पाठ्यसहगामी क्रियाओं के संदर्भ में विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसी तर्ज पर माध्यमिक स्तर की शिक्षा को उठाने हेतु अजमेर, भोपाल, मैसूर तथा भुवनेश्वर में क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय खोले गये। कोठारी आयोग (1964-66) ने भी शिक्षक शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था की कमियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। इसकी दृष्टि में प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थिति काफी दयनीय है। आयोग ने शिक्षक शिक्षा में सुधार हेतु एक व्यापक योजना प्रस्तुत की- जिसके मुख्य बिंदु निम्न हैं-

शिक्षक प्रशिक्षण को मुख्य धारा से अलग थलग न रखा जाए तथा उन्हें सीधे विश्वविद्यालय के अंतर्गत लाया जाए (Removal Of Isolation of Teacher Training and Bring Then Under Universities)

प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार।

सभी सेवारत शिक्षकों के लिए अनवरत व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना।

शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रमों के स्तर को बनाए रखने के लिए केन्द्र तथा राज्य स्तर पर उचित अभिकरणों की व्यवस्था की जाए।

इन प्रशिक्षण संस्थाओं की व्यावसायिक योग्यता का विकास नियोजित अभिनवन पाठ्यक्रमों (Planned Orientation Programme) के संगठन द्वारा हो सकता है। शिक्षा के लगभग सभी आयोगों व समितियों ने माना है, कि शिक्षा की पुनसंरचना में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक तथा उनकी व्यक्तिगत योग्याएँ है। शिक्षा की चुनौतियाँ-एक नीति प्रपत्र(1985) (Challenge of Education- A Policy Perspective)में भारत सरकार ने भी स्वीकार किया है कि - शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक का निष्पादन भी (Performance) अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं इस हेतु जो भी नीतियाँ बनाई जानी है, उनका क्रियान्वयन शिक्षकों के हाथ में हैं, अत: योग्य व समर्पित शिक्षकों की अति आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति (1986) में भी इस तरह के विचार व्यक्त किये गये है। इसमें कहा गया है कि शिक्षा का स्तर उस समाज के सामाजिक-राजनीतिक मूल्यों नैतिकता (Ethos) को दर्शाता है। शिक्षक को सर्जनात्मक तथा निर्माणकारी कार्यों की ओर अभिप्रेरित करने के लिए उपर्युक्त परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए। अत: आवश्यकता है कि शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रमों / कार्यक्रमों को समाज की उभरती हुई आवश्यकताओं के अनुसार ढाला जाए तथा जैसा कि आप पूर्व की इकाई में पढ़ चुके हैं कि समाज की उभरती आवश्यकताओं का पता नियोजन अनुसंधानों द्वारा लगाया जाता है।

19.8.1 सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा (Pre-Service Teacher Education)

शिक्षकों को शिक्षित व प्रशिक्षित करने की दो विधियाँ है (1) सेवापूर्व प्रशिक्षण (2) सेवारत प्रशिक्षण। सेवापूर्ण उन भावी शिक्षकों को दिया जाता है जो एक निश्चित स्तर (10+12 या स्नातक / परास्नातक) की सामान्य शिक्षा प्राप्त किए हैं। प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए इसमें अलग-अलग प्रशिक्षण की व्यवस्था होती हैं। सेवारत प्रशिक्षण में कार्यरत शिक्षकों को अद्यतन जानकारी दी जाती है।

अपने देश में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार ने अपने ऊपर नहीं ली है, अत: इस स्तर हेतु कोई स्पष्ट नीति नहीं बन पाई है। परंतु उच्च प्राथमिक स्तर तक के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए संस्थाओं की व्यवस्था सरकारी तथा प्राइवेट दोनों स्तरों पर की गई है। (हो सकता है कि इनकी विषय वस्तु, प्रविधियॉ अवधि आदि के संबंध में एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्नता हो।) माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर के भावी शिक्षकों को प्रशिक्षण सहयोग प्रदान करने हेतु देश में मुख्यत: तीन तरह की संस्थाऍ कार्य कर रही हैं-

- विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग
- सरकारी या अनुदानित या प्राइवेट प्रशिक्षण महाविद्यालय-जो कि स्वतंत्र रूप से आस-पास
- के विश्वविद्यालयों से संलग्न हैं।
- स्वायत्तशासी संगठन जैसे NCERT, SCERT आदि।

अब राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के खुले विश्वविद्यालयों का लक्ष्य देश के अप्रशिक्षित अध्यापकों को शिक्षित करना, तथा देश की शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रमों / कार्यक्रमों की गुणवत्ता को संतोषजनक स्तर तक बनाए रखना है।

शिक्षक शिक्षा का यह पाठ्यक्रम मुख्यत: एक वर्ष का होता है तथा विश्वविद्यालयों व राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में सफल विद्यार्थियों को बी.एड. डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाणपत्र आदि प्रदान किये जाते है। इस समय देश के बहुत से विश्वविद्यालयों में एम.ए. (शिक्षा), एम. एड., एम. फिल., पी. एच. डी. (Edu.) आदि की सुविधाएं प्राप्त हैं।

19.8.2 सेवारत शिक्षक शिक्षा (Inservice Teacher Education)

शिक्षक शिक्षा एक अनवरत प्रक्रिया है तथा सेवापूर्व प्रशिक्षण एक दूसरे के पूरक हैं। एक शिक्षक को अच्छा प्रभावी बनाने हेतु सेवापूर्व तथा सेवारत प्रशिक्षण का अच्छा नियोजन आवश्यक है।

शिक्षकों को अपने विषय तथा शिक्षण अधिगम के संबंध में नवाचारों तथा अद्यतन जानकारी को देने हेतु सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। यह प्रशिक्षण शिक्षकों को अकादमिक तथा व्यावसायिक उन्नति हेतु आवश्यक है। कौल (1990) के अनुसार निम्न कारणों से सेवारत प्रशिक्षण की विशेष आवश्यकता है।

- जैसा कि विदित है, कि जीवन के सभी क्षेत्रों (शिक्षक शिक्षा सहित) ज्ञान का विस्फोट हो रहा है। मूल विषयों, शिक्षण अधिगम तकनीकी तथा मूल्यांकन के क्षेत्र में नित नये परिवर्तन हो रहे हैं। यदि एक शिक्षक अपने क्षेत्र में प्रभावशाली व जीवन्त रहना चाहते हैं तो उन्हें जीवन भर सीखना ही होगा।
- सेवारत शिक्षा शिक्षकों को मूल्यों तथा देश की सांस्कृतिक धरोहर के प्रति जागरूकता बनाए रखती है। औपचारिक शिक्षा में ऐसी सुविधाएं (सेवारत प्रशिक्षण की) बड़ी कठिनाई से मिलती है।

सेवारत शिक्षक शिक्षा भी अनवरत प्रक्रिया है। शैक्षिक नीतियों तथा नवाचारों को लागू करने हेतु आवश्यक है कि सेवारत शिक्षा की एक व्यापक एवं अनवरत व्यवस्था हो। सेवापूर्व तथा सेवारत प्रशिक्षण को अलग अलग करके नहीं देखना चाहिए। एक बार का प्रशिक्षण हमेशा

के लिए पर्याप्त नहीं होता है। बड़ी तेजी के साथ बदलते हुए शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शिक्षकों को कार्य करना होता है। अनवरत शिक्षा इस संबंध में उन्हें अद्यतन बनाए रखकर काफी सहायता कर सकती है।

भारत में सेवारत शिक्षा की दशा मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों दृष्टियों से संतोषजनक नहीं हैं। पांचवे आल इण्डिया एजूकेशन सर्वे (1992) के प्रतिवेदन के अनुसार देश में केवल 6.17 प्रतिशत शिक्षकों को ही अभी तक अनवरत शिक्षा की सुविधा प्राप्त हुई है। इस प्रतिवेदन में आगे कहा गया है कि इस सुविधा का प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के शिक्षकों - उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों ने अधिक लाभ उठाया है।

एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा गठित किए गये कार्यकारी दल ने सेवारत शिक्षा कार्यक्रम की निम्न कमियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है।

- सेवारत शिक्षा के महत्व का कम ज्ञान।
- सेवारत शिक्षा हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं है।
- इसके लिए उचित शिक्षकों तथा उचित संदर्भ व्यक्तियों (Resource Person) का चुनाव नहीं होता।
- पृष्ठपोषण की उचित व्यवस्था नहीं है।
- उचित समन्वयन तथा क्रियान्वयन का अभाव है।
- सेवारत शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने हेतु अनुसंधानिक आधार की कमी है।
- राष्ट्रीय तथा राष्ट्र स्तर पर इस हेतु उचित भौतिक सुविधाओं (Infra Structure) का अभाव।
- उचित प्रविधियों का अभाव।
- सेवारत शिक्षा की अलग से पहचान होनी चाहिए।
- प्रभावशाली सेवारत शिक्षा हेतु अनुसंधान के परिणामों की सहायता लेनी चाहिए।
- केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा सेवारत शिक्षा को गंभीरता से लेना चाहिए।
- सेवारत शिक्षा को शिक्षक तथा शिक्षालय दोनों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए।
- मूल्यांकन तथा फालॉअप इस योजना के आवश्यक अंग होने चाहिए।
- इसके संदर्भ व्यक्तियों को उचित प्रशिक्षण मिलना चाहिए।
- सेवारत शिक्षा के नियोजन तथा देखरेख के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई अभिकरण होना चाहिए।
- सेवारत शिक्षा हेतु दूरस्थ शिक्षा के नेटवर्क का विकास करना चाहिए। ताकि शिक्षकों में स्वअधिगम की आदत का विकास हो सके।

अब कुछ विश्वविद्यालय तथा स्वायत्तशासी संस्थान (जैसे NCERT, SCERTs, DIETs) प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के शिक्षकों हेतु सेवारत शिक्षा के कार्यक्रम नियोजन व क्रियान्वित कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति (1986) में भी इस दिशा में काफी प्रयास किए गए हैं।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

अब तक आपने क्या सीखा, इसका मूल्यांकन आप स्वयं निम्न प्रश्नों का उत्तर देकर कीजिए-

(1) स्वतंत्रता के पूर्व तथा स्वतंत्रता के पश्चात् की शिक्षक शिक्षा में क्या अंतर दिखाई देता है?

(2) शिक्षक शिक्षा का मुख्य केन्द्र बिंदु ''शिक्षक'' ही है, इस संबंध में अपने विचार लिखें।

(3) सेवापूर्व प्रशिक्षण लेने के बाद भी सेवारत प्रशिक्षण अति आवश्यक है - क्यों?

(4) NCERT ने सेवारत शिक्षा की किन कमियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है।

19.9 शिक्षक शिक्षा के मुख्य मुद्दे व समस्याएं (Major Issues and Problems of Teacher Education)

शिक्षक शिक्षा के अंतर्गत छोटे प्राइवेट स्कूल से लेकर बहुत बड़ी पब्लिक यूनिवर्सिटी तक व उससे बीच की बहुत सी संस्थाएं आती है। इन संस्थाओं को आकर अभिनवन व संसाधनों का अंतर हम सब शिक्षक समुदाय के लोगों को पता ही है। इन संस्थाओं का पाठ्यक्रम कैसा हो, मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी हो, उसका निर्धारण वहां की राज्य सरकार या जिस विश्वविद्यालय से वह संस्थाएं जुड़ी होती है, उसके द्वारा किया जाता है।

विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में शिक्षक शिक्षा विभाग की स्थिति अपेक्षाओं के अनुसार बहुत अच्छी नहीं है। राजस्थान के अधिकांश विश्वविद्यालयों में तो शिक्षा विभाग है ही नहीं। कुछ राज्यों में शिक्षक शिक्षा को उच्च शिक्षा का अंग माना ही नहीं जाता है। वह वहां पर उच्च शिक्षा तथा विद्यालयी शिक्षा के बीच में झूल रही है ऐसी स्थिति में यहां के शिक्षा शास्त्रियों के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा की बात कर पाना काफी कठिन होता है।

विद्यालय स्तर पर भी शिक्षक शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है विद्यालय का मुख्य उद्देश्य अध्यापकों के बजाय विद्यार्थियों को पढ़ाना और उनका विकास करना है। ऐसी स्थिति में विद्यालयी शिक्षा के प्रशासक शिक्षक शिक्षा को एक अतिरिक्त बोझ मानते हैं उनके लिए शिक्षक, शिक्षा, शिक्षण आवश्यकता के बजाय प्रशासकीय आवश्यकता अधिक है।

हमारे यहां शिक्षक शिक्षा की ऐसी स्थिति क्यों है? इसके कई कारण हो सकते हैं - परंतु इनमें से मुख्य निम्न है -

- एक शिक्षा शास्त्री के नाते आप जानते हैं कि देश में शिक्षा का विकास बड़ी तेजी से हुआ है। प्रारंभ में शिक्षकों की मांग उनकी आपूर्ति से अधिक रही है, अत: कुछ ऐसे लोगों को भी शिक्षक बनाना पड़ा जिन्होंने बस केवल एक निश्चित स्तर तक विद्यालयी शिक्षा प्राप्त की थी। बाद में जब इस क्षेत्र में नियुक्ति हेतु प्रशिक्षण को अनिवार्य कर दिया गया, तो शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में बहुत भीड़ हो गई। अत: मात्रा के सामने गुणवत्ता कमजोर हो गई और शिक्षक शिक्षा अपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति न कर पाई।
- दूसरी समस्या इस प्रशिक्षण से जुड़ी समस्याओं में धन कमाने की प्रवृत्ति है। जैसे ही नियुक्ति हेतु बी.एड. की डिग्री आवश्यक घोषित की गई तो इस पाठ्यक्रम की तरफ काफी छात्र

आकर्षित हुए। इस स्थिति का लाभ उठाने हेतु बहुत से विश्वविद्यालयों ने पत्राचार से बी.एड. डिग्री देना प्रारंभ कर दिया तथा इन संस्थानों ने बिना अपनी क्षमताओं पर ध्यान दिए अधिकतर लोगों को प्रवेश दिया। बी.एड. पाठ्यक्रम इन विश्वविद्यालयों में धन कमाने का स्त्रोत हो गया। इससे देश में शिक्षक शिक्षा का स्तर गिरा तथा दूरस्थ शिक्षा की भी बदनामी हुई।

अभी तक जो हमने बात की उसका सार यही है कि स्वतंत्रता के पश्चात् शिक्षा के क्षेत्र में हुई अप्रत्याशित वृद्धि तथा सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण की भारी भरकम व्यवस्था को न संभाल पाने के कारण शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आई। शिक्षा के क्षेत्र में जो अनुसंधान हुए, अत: उनका भी मुख्य ध्यान गुणवत्ता नियंत्रण पर ही रहा। नई शिक्षा नीति (1986) में भी कहा गया कि प्रशिक्षण शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए विभिन्न तरीके खोजे जाने चाहिए क्योंकि शिक्षक शिक्षा की मुख्य समस्या शिक्षक ही है। इसी समस्या को ध्यान में रखते यू.जी.सी. ने "रीडीमिंग टीचर एजूकेशन" (Redeeming Teacher Education) पर एक सेमिनार का आयोजन किया जिसमें शिक्षक शिक्षा को सुधारने हेतु संभावित तरीकों पर विचार किया गया। सेमिनार का उद्घाटन करते हुए प्रो. मलिक ने कहा -

शिक्षक शिक्षा में गिरावट के कई कारण हो सकते हैं जैसे छात्रों की भीड़ संस्थाओं में मानवीय, भौतिक, शैक्षिक सुविधाओं की कमी, शिक्षण की अनुपयुक्त विधि, असंशोधित पाठ्यक्रम, अनियमित पर्यवेक्षण, परिकक्षाओं में नकल की प्रवृत्ति, शिक्षकों में नवाचारों को प्रयोग करने में सकारात्मक अभिवृत्ति का अभाव तथा सृजनात्मक व तकनीकी आधारित प्रशिक्षण का अभाव आदि। इन सबके फलस्वरूप चार मुख्य मुद्दे उभरते हैं - जो विशेष विचारणीय है -

- शिक्षक व्यवसाय में प्रवेश हेतु आधार (Criteria for Entry in to Teaching)
- उचित पाठ्यक्रम (Appropriate Curriculum)
- शिक्षण प्रवीणता (Teaching Competency)
- मूल्यांकन प्रक्रिया (Evaluation Procedure)

(1) शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश हेतु आधार - नई शिक्षा नीति (1986) में भावी शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में सुधार करने के लिए विशेष जोर दिया गया। भावी शिक्षकों की चयन प्रक्रिया काफी तकनीकी है इसके लिए देश के अलग अलग भागों में अलग प्रकार के उपकरण (Tool) व प्रक्रिया अपनाई जाती है। फिर भी अब हर राज्य के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में चयन की प्रक्रिया एक है। इस प्रवेश प्रक्रिया में केवल किसी एक पक्ष के ही परीक्षण पर विशेष जोर नहीं देना चाहिए क्योंकि शिक्षा के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भाषायी कई आयाम होते हैं। इस प्रवेश प्रक्रिया द्वारा यह तय किया जाना चाहिए कि अच्छे काबिल लोग ही प्रशिक्षण हेतु प्रवेश पा सकें क्योंकि शिक्षकों की गुणवत्ता इन प्रवेश पाने वाले प्रशिक्षणार्थियों पर ही निर्भर करती है। विशेषज्ञ शिक्षा शास्त्रियों की प्रभावशाली शिक्षक की योग्यता, अभिवृत्ति, अभिक्षमता तथा अन्य लक्षणों का विश्लेषण करना चाहिए तथा इन लक्षणों व इस क्षेत्र में किए गए अनुसंधानों के परिणामों को आधार मानकर प्रवेश परीक्षण (Test)

तैयार करना चाहिए। अनुसंधान के माध्यम से उन लोगों के शिक्षण के व्यवहार के संबंध में भविष्यवाणी करने में सुविधा रहेगी जो शिक्षक शिक्षा के इन पाठ्यक्रमों को पूरा कर रहे हैं।

(2) उचित पाठ्यक्रम (Appropriate Curriculum) - शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम के संबंध में चर्चा विभिन्न आयोगों तथा विभिन्न संगठनों (N.C.E.R.T., N.C.T., U.G.C. आदि) के द्वारा समय समय पर की जाती रही है तथा नये होते हुए परिवर्तनों के संबंध में कुछ परिवर्तन भी किये गये हैं। इसके पाठ्यक्रम में अब शैक्षिक तकनीकी तथा कुछ नवाचारों जैसे सूक्ष्म शिक्षण, शिक्षण के प्रतिमान, ओपन लर्निंग आदि को लगभग सभी विश्वविद्यालयों में समाहित किया गया है जो कि एक शुभ लक्षण है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय शिक्षा व्यवस्था में काफी परिवर्तन हुए हैं। नई शिक्ष नीति (1986) में शिक्षण शिक्षा के पाठ्यक्रम को पुन: संरचित करने की वकालत की गई है। इस दिशा में हुए अनुसंधानों ने भी शिक्षक शिक्षा की विषय वस्तु तथा विधियों के संबंध में कुछ नये विचार रखे हैं। अनुदेशन तथा तकनीकी में हुए अनुसंधानों ने भी शिक्षक शिक्षा हेतु कुछ नये आयाम सुझाये हैं, जिससे की शिक्षक अपने विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, उचित / अनुचित मीडिया तथा विधियों में अंतर कर सके। परंतु कुछ अन्य कारणों से शिक्षक शिक्षा में उतने परिवर्तन नहीं हो पाए कि जितने होने चाहिए, और वह वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल नहीं हो पाई। रैना (1988) ने इसी संबंध में शिक्षक शिक्षा के सैद्धान्तिक पाठ्यक्रमों की निम्न कमियों की ओर इशारा किया -

- उन उद्देश्यों का स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया गया है, जिन्हें सैद्धान्तिक पाठ्यक्रमों द्वारा
- प्राप्त किया जाना है।
- सैद्धांतिक पाठ्यक्रम तथा प्रभावशाली शिक्षण के बीच बहुत ही निम्न स्तर का सह संबंध है तथा यह उचित कौशलों का भी विकास नहीं कर पाते हैं।
- विषय वस्तु आवश्यकता आधारित नहीं है।
- सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम ढीला व अस्पष्ट (Ambigous) है।

शिक्षक शिक्षा का पाठ्यक्रम विद्यालय तथा विद्यार्थियों की उभरती सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए तथा इसमें इतनी नमनीयता होनी चाहिए कि वह समाज के परिवर्तनों को अपने में आसानी से समाहित कर सके। शिक्षक शिक्षा को एक व्यावसायिक विषय होने के नाते अपनी विधियों का चयन सामाजिक तथा व्यावहारिक विज्ञानों से भी करना चाहिए।

(3) शिक्षण प्रवीणता (Teacher Competence) - शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम के दो भाग होते हैं - (1) सैद्धान्तिक (2) व्यावहारिक। सैद्धान्तिक विषयों का उद्देश्य होता है कि भावी शिक्षकों को कक्षा में सफलतापूर्वक अभ्यास करने वाला (Competent Classroom Practitioner) बनाना। इस हेतु उसे शिक्षण से संबंधित विभिन्न आयामों जैसे कक्षा, विद्यालय, छात्र, समाज, आदि के संबंध में सैद्धान्तिक ज्ञान दिया जाता है। व्यावहारिक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत सिद्धांत में सीखी गई बातों का वास्तविक परिस्थितियों में अभ्यास होता है। हमारे देश की शिक्षक शिक्षा

पाठ्यक्रम की मुख्य कमी यह है कि हमारा सैद्धांतिक पक्ष आयात किया हुआ है, व्यावहारिक पक्ष कमजोर है तथा उसमें बोलने की अधिकता है।

वास्तव में प्रवीणता आधारित (Competencies Based) शिक्षक शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसलिए शिक्षकों तथा शिक्षा शास्त्रियों में कुछ न्यूनतम प्रवीणताओं को एक आवश्यक योग्यता के रूप में अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए।

(4) मूल्यांकन प्रक्रिया (Evaluation Procedure) - किसी भी व्यवस्था में मूल्यांकन की बड़ी केन्द्रीय स्थिति होती है। मूल्यांकन की प्रक्रिया में समय के साथ साथ काफी सुधार भी हुए हैं। परन्तु शिक्षा के मूल्यांकन की स्थिति अभी भी भ्रमपूर्ण है। उदाहरणार्थ बी.एड. में सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन होता है, परंतु अभी तक इस संबंध में यह एक राय नहीं बन पाई है कि किस पक्ष को कितना महत्व दिया जाए, प्रश्न पत्र में प्रश्नों का स्वभाव कैसा हो। निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक तथा वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की वैधता कैसी है। हमें इस संबंध में गंभीरता पूर्वक सोचना है कि क्या हमारी वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली शिक्षकों के व्यवहार के संबंध में भविष्यवाणी करने में सक्षम है।

19.10 शिक्षक शिक्षा में भविष्य की प्रवृत्ति (Future Trends in Teacher Education)

1986 की नई शिक्षा नीति में शिक्षक शिक्षा सहित शिक्षा के सभी क्षेत्रों की पुनर्संरचना हेतु संस्तुतियाँ दी गई है। अब यह स्वीकार किया जाने लगा है कि शिक्षक शिक्षा की स्थिति सुधारे बिना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो सकता है। शिक्षक शिक्षा में सुधार के लिए इसकी संस्थाओं की भौतिक, अकादमिक, स्थिति को सुधारना होगा ताकि प्रशिक्षणार्थियों को उचित प्रशिक्षण दिया जा सके। शिक्षा का गुणात्मक तथा मात्रात्मक विकास करने हेतु व्यावसायिक शिक्षा का प्रभावशाली पाठ्यक्रम (Programme) आवश्यक है।

19.10.1 शिक्षक शिक्षा में नई प्रवृत्तियाँ (New Trends in Teacher Education)

शिक्षा की समस्याओं के समाधान हेतु किसी प्रकार का परिवर्तन तभी संभव है जबकि समस्याओं का निराकरण हो तथा उस क्षेत्र में सुधार लाया जाए। अध्यापक शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियों एवं उपागमों का विकास हो रहा है जिनका प्रयोग शिक्षा जगत में वांछनीय परिर्वतन ला सकता है -

- मूल्योन्मुख शिक्षा
- अन्त: अनुशासन उपागम
- सेवारत कार्यक्रम
- बच्चों तथा विकलांगों हेतु अध्यापक शिक्षा
- पृष्ठपोषण प्रविधियाँ
- अनुकरणीय शिक्षण
- सूक्ष्म शिक्षण
- शैक्षिक तकनीक हेतु अध्यापकों की तैयारी
- कक्षा अन्तःप्रक्रिया विश्लेषण

- क्रियात्मक अनुसंधान
- मूल्यांकन उपागम
- अभिक्रमित अनुदेशन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् आदि अभिकरण देश के अध्यापक शिक्षा के स्तर उठाने में काफी ठोस कदम उठा रहे हैं। इनमें से कुछ प्रयास अधोलिखित हैं।

1) शैक्षिक स्टाफ महाविद्यालय नई शिक्षा नीति (1986) में आधुनिक समाज में अध्यापकों के शिक्षण और विकास की आवश्यकता व महत्व पर पूरा ध्यान दिया गया। 1987 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पूरे भारत में 28 शैक्षणिक महाविद्यालय खोले (मार्च 13 से 19, 2006 यूनिवर्सिटी न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार)। जुलाई, 2006 यूनिवर्सिटी न्यूट रिपोर्ट के अनुसार अब इनकी संख्या 51 है। इनमें अलग 74 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, अध्यापक-प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए अभिनव पाठ्यक्रम चला रहे हैं। इन शैक्षणिक स्टाफ महाविद्यालयों का मुख्य उद्देश्य है कि वे अध्यापक प्रशिक्षकों को नए व प्रविधियों के बारे में अवगत कराएँ ताकि वे प्रभावशाली अध्यापन कर सकें तथा भावी अध्यापकों व विद्यार्थियों को नीति, अर्थव्यवस्था, वातावरण के प्रति संवेदनशील कर सकें।

बदलती हुई परिस्थितियों एवं तकनीकी के युग में समाज को सही दिशा दिखाना अध्यापक प्रशिक्षकों का उत्तरदायित्व है और इस उत्तरदायित्व को निभाने में शैक्षणिक स्टाफ महाविद्यालय की भूमिका सराहनीय है। इनमें नई तकनीकें और नई विधियों से उनका ज्ञान नवाचारित करने के लिए वर्ष भर इनकी संरचना, मॉड्यूलटी, क्षेत्र, पाठ्यक्रम व कार्यान्वयन के बारे में निवारण किया जाता है। इसी के द्वारा इनको कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान की जाती है। 5 वर्ष के बाद इनका मूल्यांकन किया जाता है। इन स्टाफ महाविद्यालयों में सामान्यत: योजना, कार्यान्वयन व मूल्यांकन तीन प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। 1998 की मैरिट प्रोमोशन योजना के अंतर्गत इन कार्यक्रमों के प्रति रूचि विकसित करना व भाग लेना वृत्तिक उन्नयन के लिए आवश्यक कर दिया है परन्तु इनके आयोजन में कुछ कमियाँ नजर आती हैं जैसे - पाठ्य सामग्री में कमी, स्त्रोत व्यक्तियों का न मिलना, व्याख्यानों में नवीनता न रहना आदि। आयोजकों को इस और ध्यान देना चाहिए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी इन शैक्षणिक स्टाफ महाविद्यालयों की सही रूप से निगरानी करें।

(2) सेवारत / अनवरत शिक्षा

कोठारी आयोग के अनुसार, शिक्षा के सभी क्षेत्रों में तेजी से हो रही उन्नति के कारण और अध्यापक के सिद्धान्तों में लगातार हो रहे विकास के कारण सेवाकालीन शिक्षा की आवश्यकता बहुत अनिवार्य है।

ऑलीवर के अनुसार, प्रशिक्षण महाविद्यालय छोड़ने के पश्चात् अध्यापक का विकास नहीं रूक जाता। अब वह विभिन्न प्रकार के अनुभव से सीखना आरंभ करता है।

आधुनिक समय में शैक्षिक समुदाय की शैक्षणिक व व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अध्यापक विधियों में नवीनीकरण आवश्यक है।

विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उन्नति के कारण ज्ञान का विस्फोट हुआ है। पाठ्यक्रम का अद्यतन जरूरी हो गया है। सेवारत / अनवरत शिक्षा के अधोलिखित कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं -

- सेमीनार
- अभिनव कार्यक्रम
- कार्यशालाएँ
- कॉफ्रेंस
- अध्ययन मंडल
- व्यावसायिक रचनाओं का केन्द्र
- प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम
- पत्राचार पाठ्यक्रम
- कुछ अन्य कार्यक्रम जैसे, शैक्षणिक यात्रा, विस्तार भाषण, रेडियो प्रसारण, चलचित्र प्रदर्शन टीवी कार्यक्रम, प्रदर्शनी, अध्यापकों का विनिमय।

यहाँ इस संदर्भ में यह कहना अति प्रासंगिक होगा कि कई बार अध्यापक केवल इन अभिनव पाठ्यक्रमों को इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अगला ग्रेड या पदोन्नति तभी प्राप्त होगी। इस मनोवृत्ति से कार्यक्रम का उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा और शिक्षा के स्तर के बढ़ने की भी क्या आशा की जा सकेगी। अत: सुझाव है कि इन गोष्ठियों में पाठ्य सामग्री या व्याख्यान ऐसे प्रस्तुत हों जिससे अध्यापक अपने कार्य की और प्रतिबद्धता महसूस करें।

(3) प्रौढ़ शिक्षा हेतु अध्यापक शिक्षा

प्रो. एस.एन. मुखर्जी के शब्दों में, प्रौढ़ शिक्षा की व्यापक परिभाषा की जानी चाहिए जिसमें प्रौढों को प्रदान की जाने वाली सभी औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा सम्मिलित हों।" प्रौढ़ शिक्षा की अध्यापक शिक्षा, सामान्य अध्यापक शिक्षा से कितनी भिन्न है यह एक मतभेद का विषय रहा है।

परन्तु भारत सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा के निम्नलिखित पक्षों को स्वीकार किया है

क) निरन्तर प्रौढ़ में साक्षरता को फैलाना;

ख) साक्षरता की शिक्षा के अभाव में जनता के मन को शिक्षित करना

ग) प्रौढों में अपने कर्तव्यों तथा अधिकारों के प्रति सचेत ज्ञान उत्पन्न करना

इसके अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा, कर्मचारी व्यवसाय, सरकारी प्रशिक्षण या अनौपचारिक शिक्षा किसी भी क्षेत्र से जुड़े हों, उनके लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट एवं राष्ट्रीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थाएँ ऐसे कार्यक्रमों के लिए प्रयास शील हैं। राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार पुस्तकालयों को सशक्त बनाए तो बेहतर होगा। जिला ब्लॉक स्तर एवं ग्राम स्तर पर पुस्तकालयों को विकसित करने के लिए प्रान्तों को राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउन्डेशन द्वारा सहायता मिलती है। इससे चाहे किसी भी क्षेत्र के प्रौढ़ कर्मचारी हों, उनको नए ज्ञान से अवगत होने का अवसर मिलता है।

प्रौढ़ शिक्षा के लिए अध्यापक शिक्षा के अन्य कार्यक्रम लाभकारी हो सकते हैं जैसे,

- औद्योगिक उत्पादन, कृषि उत्पादन व दस्तकारियों की प्रदर्शनियाँ

- डॉक्यूमेंटरी फिल्म, रेडियों व टेलीविजन कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम
- समाज सेवा कार्यक्रम जैसे विकास कार्य, श्रम-दान, सफाई अभियान
- शिविर आयोजन जैसे साक्षरता, स्वच्छता एवं मनोरंजन आदि।

एन.सी.ई.आर.टी.(1989) द्वार शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम को अधुनातन बनाने हेतु कुछ संस्तुतियां की गई है। एन. सी. ई. आर. टी. द्वारा संस्तुत शिक्षक शिक्षा के मुख्य क्षेत्र निम्न हैं

- मूल्योन्मुख शिक्षा
- बच्चों तथा विकलांगों हेतु शिक्षक शिक्षा
- शैक्षिक तकनीकी हेतु शिक्षकों की तैयारी
- शिक्षकों को पढ़ाने की नई विधियां

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्ष परिषद तथा एन.सी.ई.आर.टी. आदि अभिकरण देश के शिक्षक शिक्षा का स्तर उठाने में काफी ठोस कदम उठा रहे हैं। इनमें से कुछ प्रयास निम्न है-

(1) एकाडेमिक स्टाफ कॉलेज - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एकाडेमिक स्टाफ कॉलेजों की स्थापना विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों में नव नियुक्ति शिक्षकों को अभिनवित करने के लिए की गई। यह कॉलेज नियमित रूप से अभिनवन कार्यक्रम का नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन तथा उनकी 1 उपलब्धियों का मूल्यांकन करेंगे तथा इसके पश्चात् पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (Refresher Courses) की भी व्यवस्था करेंगे। एकाडेमिक स्टाफ कॉलेजों को मुख्यत: निम्न पांच कार्यो पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

- समाज, पर्यावरण और शिक्षा के बीच संबंधों के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- शिक्षा के दर्शन तथा पैडागाजी (शिक्षण अकाल्प - Pedagogy) पर ध्यान देना।
- विषय वस्तु को उन्नत करना (Content Upgradation)
- प्रबन्धन और कौशलों का उन्नयन (Management and skill Upgradation)
- मूल्यांकन (Monitoring and Evaluation)

इसी प्रकार के प्रयास डाईट (DIETs) द्वारा प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए भी किए जा रहे हैं।

(II) सेवारत / अनवरत शिक्षा (Inservice - Continuing Education) - सेवापूर्व प्रशिक्षण की तरह सेवारत प्रशिक्षण भी काफी आवश्यक है। इसलिए शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रमों में सेवारत शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए तथा इसमें वह सब क्रियाएं सम्मिलित होनी चाहिए जो कि आधुनिक समाज की शैक्षिक समुदाय की अकादमिक व व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक है। सभी स्तर तथा उम्र के शिक्षकों को अनवरत अद्यतन रहना चाहिए यदि वह अपने व्यवसाय में सफल होना चाहते हैं। उद्देश्य पूर्ण जीवन के लिए अनवरत शिक्षा अति आवश्यक है शिक्षकों को अनवरत शिक्षा इस योग्य बनाती है कि वह जटिल समाज में तेजी से हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अपने को ढाल सके। अनवरत शिक्षा की व्यवस्था, कार्यगोष्ठी, लघु अवधि पाठ्यक्रम, फेस टू फेस का दूरस्थ शिक्षा द्वारा आदि कई माध्यमों से की जा सकती है।

शिक्षक शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु इस संदर्भ में मल्टी मीडिया एप्रोच का बहुत अच्छा प्रयोग किया जा सकता है।

(III) प्रौढ़ शिक्षा हेतु शिक्षक शिक्षा (Teacher Education of Adult Education) - इसके अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा कर्मचारियों के लिए चाहें वह उद्योगों से, व्यवसाय से या सरकारी प्रशिक्षण स्टाफ से जुडे हो या अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित कार्यकर्ता हो उनके लिए पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस प्रकार की शिक्षा का कार्य अनुभव (Work Experience) पर विशेष जोर दिया जाता है। यह प्रशिक्षण का नया परंतु कठिन क्षेत्र है। इस बात में लोगों में मतभेद है कि प्रौढ़ शिक्षा की शिक्षक शिक्षा, सामान्य शिक्षक शिक्षा से कितना समन्वित तथा भिन्न हो। कुछ विद्वानों का मानना है कि प्रौढ़ शिक्षा का क्षेत्र काफी भिन्न है अत: इसे विद्यालयोन्मुख शिक्षक शिक्षा से अलग रखा जाना चाहिए।

19.10.2 शिक्षक शिक्षा के नये क्षेत्र (New Areas in teacher Education)

- मल्टी मीडिया का प्रयोग
- व्यवस्था दृष्टिकोण का प्रयोग
- स्व-अधिगम
- ऑनलाइन शिक्षा

जागरूकता के इस दौर में भारत प्रगति कर रहा है। आज लगभग 94 लाख विधार्थी उच्च शिक्षा में नामांकित है। परन्तु कहीं न कहीं गुणवत्ता का हास होता नजर आ रहा है। जहाँ 1980 में केवल 2 या 3 प्रतिशत विधार्थी विश्वविधालय शिक्षा तक पहुँचे वहाँ 1998 में 14,500 व 2003 में 48,700 विधार्थी पी. एच. डी. की उपाधि प्राप्त कर सके।

ऑनलाइन शिक्षण के द्वारा प्रशिक्षक कम नियुक्त करने पडेंगे और अध्यापक अधिक मात्रा में शिक्षित किए जा सकते हैं। यह शिक्षण के क्षेत्र में एक नया आयाम है, जिसमें प्रवेश नीति व शुल्क स्थान, समय आदि की बाधाओं से परे नए ज्ञान को नई विधियों द्वारा अध्यापकों / विद्यार्थियों / अध्यापक प्रशिक्षकों तक पहुँचाया जा सकता है।

5) उपग्रह शिक्षण-दूरदर्शन का प्रयोग

शिक्षा देने के लिए प्रसारण माध्यम का यह नया प्रयोग है। दूरदर्शन के प्रसारण की दूरी सीमित होती है। परन्तु उपग्रह के प्रयोग से इस दूरी को विस्तृत कर दिया गया है। उपग्रह शिक्षण दूरदर्शन प्रयोग (Satellite Instructional Television Experiment; SITE) अगस्त 1975 में आरंभ किया गया था। छह राज्यों के लगभग 2400 गाँव इसके प्रसारण क्षेत्र में आ गए थे। इसके कार्यक्रम विद्यालय में और विद्यालय के बाहर भी प्रयुक्त किए जा सकते हैं। यह विज्ञान, कृषि, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, शिक्षा की नई प्रविधियाँ, नई खोज आदि से सम्बन्धित सूचनाएँ लोगों तक पहुँचा सकता है।

8) भारत का राष्ट्रीय उपग्रह 1 - B

भारत का राष्ट्रीय उपग्रह इन्सैट 1-बी अक्टूबर 1983 में आरंभ किया गया। इसके कार्यक्रम के दो विशिष्ट रूप हैं 1 सीधा प्रसारण 2 राष्ट्रीय नेटवर्क जिसमें पहले से स्थित क्षेत्रीय

ट्रांसमीटरों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्रों के पिछड़ेपन, उचित संरचना की उपलब्धि तथा विद्यमान दूरदर्शन सुविधाओं के प्रयोग के आधार पर छह राज्यों (आन्ध प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं उत्तर प्रदेश) के विशिष्ट क्षेत्रीय समूहों का चुनाव किया गया था। इन राज्यों के विशेष रूप से चुने गए क्षेत्रों के लिए 2000 जिला रिले-सैटों और 2000 बहुत ऊँची फ्रीक्वेंसी के सेट स्थापित किए गए। इन्सैट दूरदर्शन की सेवाएँ समूचे भारत में दूर-दूर तक पहुँचा सकता है। अब इन्सैट 1 -बी का प्रसारण नियमित रूप से आरंभ हो चुका है। शिक्षक शिक्षा में कुछ नये क्षेत्र उभर रहे हैं, जिनकी ओर उचित ध्यान दिया जाना आवश्यक है। शैक्षिक अभ्यासों (Educational practice) में नवाचारों के समाहित किए जाने से शिक्षक शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह. किसी भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम के समकक्ष होगा। हम यहां पर यह कहना चाहेंगे कि मेडिकल, टेक्निकल, पाठ्यक्रमों की तरह पूरे संसार के शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में भी मूलत: (Basically) समानता होनी चाहिए। परंतु शिक्षक शिक्षा को स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ स्थानीय सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक कारकों को भी अपने में समाहित करना होता है।

(I) मल्टी मीडिया का प्रयोग (Use of Multi Media) - संचार तकनीकी के क्षेत्र में हुए विकास ने आज शिक्षक के लिए संभव कर दिया है कि वह विधार्थियों को अधिक अधिगमित कराने के लिए एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग एक साथ एक ही स्थान से आवश्यकतानुसार मिश्रण कर सके। आज ओवर हेड प्रोजेक्टर, स्लाईड प्रोजेक्टर, आडियो विडियो मीडिया, टेलीफोन, कम्प्यूटर, वीडियोडाइज टेली कान्फ्रेन्सिंग आदि विभिन्न प्रकार के साधन उपलब्ध है, जिसमें से शिक्षकों को अपने प्रयोग हेतु उचित साधनों का चुनाव करना है। मीडिया एक प्रभावशाली शिक्षक को पढ़ाने के कार्य (Pedagogic unction) को काफी आसान कर देता है - और वह शिक्षक के सूचना भार (Information Load) को काफी घटा देता है। अत: शिक्षकों को शैक्षिक तकनीकी का बेसिक ज्ञान अवश्य दिया जाना चाहिए ताकि व्यावहारिक परिस्थितियों में वह इन संसाधनों का प्रयोग कर सके। अब सत्य यह है कि शिक्षक को आने वाले दिनों में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मजबूत बनाने हेतु और विषय वस्तु का प्रभावी अन्तरण (Transaction) करने के लिए मल्टी मीडिया का प्रयोग करना ही होगा।

(II) सिस्टम एप्रोच का प्रयोग (Use of System Approach) - शिक्षा में जिस प्रकार कई प्रकार के नवाचार तकनीकी के संबंध में आए, वैसे ही मनोविज्ञान के सिद्धांतों (शिक्षा तकनीकी) से भी कई नये शिक्षक विधि निकल कर आई जिनसे कि शिक्षा के उद्देश्यों को अधिक अच्छी तरह से प्राप्त किया जा सकता है। उनमें से "सिस्टम एप्रोच" का अपना एक प्रमुख स्थान है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समस्याओं को पहचानने तथा उनके निदान के लिए सिस्टम एप्रोच एक बड़ी संवेदनशील तकनीक है। इस तकनीक का केन्द्र बिन्दु "छात्र" है। इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बड़ी सुचारू रूप से नियोजित होती है तथा वह विधार्थियों के ज्ञान, योग्यता, सीखने की विधि, अभिप्रेरणा आदि पर आधारित होती है। इसलिए शिक्षक को "सिस्टम एनालिसिस" को अधिगम उद्देश्यों की पूर्ति का एक बौद्धिक उपकरण समझना चाहिए। शिक्षक को

उन प्रभावक चरों (Intervening Variables) के बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए, जिससे वह सम्पूर्ण शिक्षा के पाठ्यक्रम भी ऐसे होने चाहिए जो शिक्षक को शिक्षण
अधिगम प्रक्रिया को विभिन्न तरीकों से आकल्पित करना, क्रियान्वयन करना तथा मूल्यांकन करना सिखा सके।

(III) स्व-अधिगम (Self Learning) - शिक्षक शिक्षा को शिक्षक की बदलती हुई भूमिका विशेष नजर रखनी चाहिए। अब शिक्षक की भूमिका "अधिगम प्रबंधक" (Learning Manager) जैसी हो रही है। उसका प्रमुख कार्य ज्ञान देने के बजाय ज्ञान प्राप्त करने के लिए उचित वातावरण का निर्माण करने का है। अपनी नई भूमिका में शिक्षक अधिगम का निर्देशन होगा जो शिक्षकों को स्व-अधिगम करने के लिए प्रेरित करेगा। भविष्य में शिक्षक अपनी भूमिका प्रभावशाली ढंग से निभा सके - इसके लिए भविष्य में समाज की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षक शिक्षा

मूल्यांकन प्रश्न

(I) निम्न प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दें

(1) शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्रारंभ से ही कमियां रही इस संबंध में अपने विचार लिखें।

(2) एक शिक्षक में किन किन शिक्षक प्रवीणताओं का होना आवश्यक होना चाहिए।

(3) मूल्यांकन का शिक्षण शिक्षा में महत्व बताइये।

(4) शिक्षण शिक्षा में मल्टी मीडिया के महत्व को बताइये।

(II) निम्न प्रश्नों का उत्तर विस्तार से दें

(1) शिक्षक शिक्षा की मुख्य समस्याओं पर प्रकाश डालें।

(2) शिक्षक शिक्षा में भविष्य की प्रवृत्ति कैसी होगी? उल्लेख करें।

19.11 संदर्भ ग्रंथ

1. Anand C.L (1990): Concept and Objectives of Teacher Education, in Teacher Education in India L.C. Singh (ed), NCERT, New Delhi.
2. Adval, S.B. (1968): The third Indians Year Book of educational Research, NCERT, New Delhi, P 13
3. Anderson, L.W.& Burns, R.B. (1986) : Research in classroom, the Study of Teachers, Teachers, Teaching and Instructions, Pergamon press, Oxford, p243
4. Buch, M.B. and Jangadia N.K, (1975) : Research in Teacher Behaviour, in India-Ret rospect and prospect, in Studies in Teaching and Teacher Behaviour, M.B. (e.d.) CASE, M.S. University, Baroda, P,1

5. Mehrotara, R.N. (1985): Research in Teacher Education, in Quality Control in Educational Research, S.K.Pal & P.C.Sexana(eds.)., Metropolital Book Co. Pvt. Ltd New Delhi, P.326
6. दवे, पी. एन.(1986), टीचिंग एण्ड टीचर विहेवियर : ए ट्रेण्डरिपोर्ट, थर्ड सर्वे ऑन रिसर्च एन एज्यूकेशन, एम.बी.बुच, सम्पादित, एन सी ई आर टी., नई दिल्ली, पृष्ठ 757.
7. जॉगिड,एन.के.एण्ड शर्मा सुदेश (1974), टीचिंग एण्ड टीचर विहेवियर ए ट्रेण्ड रिपोर्ट, ए सर्वे आफ रिसर्च एन एज्यूकेशन, एम.वी.बुच, सम्पादित, सी. एस. ई. बडौदा, पृष्ठ 24.
8. लुल्ला, वी. पी एण्ड सिंह, एल. सी.(1974), टीचर एज्यूकेशन ए ट्रेण्ड रिपोर्ट, उपर्युक्त.
9. मल्होत्रा आर. एन. (1979), टीचर एज्यूकेशन ए ट्रेण्ड रिपोर्ट सर्वे ऑफ रिसर्च एन एज्यूकेशन, उपर्युक्त पृष्ठ 41
10. मल्होत्रा, आर. एन. (1985), रिसर्च एण्ड टीचर एज्यूकेशन, इनक्वालिटी कंट्रोल एन एज्यूकेशनल रिसर्च, एम. के. पाल एण्ड पी. सी. सक्सैना (सम्पादित) मैट्रोपोलिटन नई दिल्ली, पृष्ठ 337.

इकाई 20

उच्च माध्यमिक तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षक शिक्षा में नवाचारित अभ्यास एवं विदेशों में नवाचार (Innovative Praticesion Elementary and Secondary Teacher Education and Innovation in Other Countress)

इकाई संरचना

20.0 लक्ष्य एवं उद्देश्य

20.1 प्रस्तावना अर्थ एवं प्रक्रियाएं

20.2 उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षक शिक्षा में नवाचारित अभ्यास (Innovative Practices)

20.2.1 राष्ट्रीय स्तर पर

20.2.2 संस्था स्तर पर

20.2.3 व्यक्तिगत स्तर पर

20.3 माध्यमिक स्तर की शिक्षक शिक्षा में नवाचरित अभ्यास

20.3.1 राष्ट्रीय स्तर पर

20.3.2 संस्था स्तर पर

2903.3 व्यक्ति स्तर पर

20.4 शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम के चयन की प्रक्रिया

20.5 सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा एवं शिक्षण तंत्र

20.6 सेवारत शिक्षा एवं प्रशिक्षण

20.7 संकाय उन्नयन हेतु कार्यक्रम सारांश

20.8 सारांश

20.9 संदर्भ ग्रंथ

20.0 उद्देश्य

आशा है कि इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप इस योग्य होंगे कि-

- नवाचार, शिक्षा में नवाचार तथा शिक्षा शिक्षा में नवाचार का अर्थ समझ सकेंगे।
- नवाचार की प्रक्रिया की व्याख्या कर सकेंगे।
- उच्च माध्यमिक स्तर के नवाचारित अभ्यासों को जान सकेंगे।
- माध्यमिक स्तर के नवाचारित अभ्यासों को समझ सकेंगे।
- राष्ट्रीय स्तर, संस्था स्तर तथा व्यक्तिगत स्तर के शिक्षक शिक्षा के नवाचारों में अंतर
- कर सकेंगे।
- विभिन्न देशों में शिक्षक शिक्षा के संबंध में हो रहे उन्नयन को समझ सकेंगे।

- विभिन्न देशों में प्रारंभ किए गये नवाचारों को जान सकेंगे।

20.1 प्रस्तावना अर्थ एवं प्रक्रियाएँ

मुद्रण तकनीकी, शैक्षिक तकनीकी तथा विज्ञान तकनीकी के सम्मिलित प्रभाव ने परोक्ष या अपरोक्ष रूप से यह शैक्षिक क्रांति सी ला दी है, और इससे शिक्षक शिक्षा की प्रक्रियाओं व अभ्यासों (Processes and Practices) में काफी बदलाव आया है। तकनीकी के क्षेत्र में हुए विकास से शिक्षक की पुरानी संकल्पनाएं, शिक्षक की भूमिका तथा शिक्षक व छात्र के संबंधों के संदर्भ में आधार भूत परितर्वन हुए हैं। अब शिक्षक को केवल कक्षा की चारदीवारी के अंदर ही नहीं पढ़ाना है, अपितु संपूर्ण समुदाय अब उससे सहायता प्राप्त करता है। इन परिवर्तनों से एक लाभ यह हुआ है कि अब शिक्षकों के पास में ज्यादा खाली समय बच सकता है जिसमें वह नवाचारों के बारे में अधिक सोच सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, जिससे शैक्षिक तंत्र में सुधार हो सकता है। वर्तमान शैक्षिक तंत्र की अव्यवस्था तथा अकार्यात्मकता एवं शिक्षकों में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा भी उन्हें नवाचारों एवं प्रशिक्षणों हेतु प्रेरित करती है।

नवाचारों का अर्थ

नवाचार शब्दा का प्रयोग अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग अर्थ में किया है। साधारण शब्दों में नवाचार से तात्पर्य, किसी व्यवस्था में गुणात्मक सुधार हेतु एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा सोचा गया कोई विचार है, हो सकता है कि यह विचार दूसरों के लिए इतना नया न हो। इसलिए 'नवाचार' वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था से कुछ नया है। यह पुरानी प्रचलित व्यवस्था में कुछ परिवर्तन लाता है तथा धीरे-धीरे स्वयं भी व्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेता है। परंतु नवाचार व परिवर्तन एक जैसे(पर्यायवाची) शब्द नहीं है। नवाचार से तात्पर्य कुछ 'नये' से है, वस्तुओं को केवल पुन: संगठित कर कोई नया प्रारूप बनाने से नवाचार नहीं होता है। बल्कि यह निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति एवं सुधार हेतु व्यक्तियों का नवीन प्रयास है। माइल्स ने 'नवाचार' को प्रयास कर कुछ नया व विशिष्ट परिवर्तन करने को माना है जो कि व्यवस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति करने में अधिक प्रभावशाली होता है। इसका अर्थ यह है कि नवाचार प्रकट नही होते हैं, अपितु काफी सोच-समझकर उनकी योजना बनाई जाती है। सेरी (CERI-1969) ने कहा कि वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था में सुधार करने हेतु तथा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जानबूझकर तथा उद्देश्यपूर्ण जो प्रयास किए जाते हैं-वह नवाचार है। नवाचार से तात्पर्य आविष्कार से नहीं है अपितु इसका अर्थ, व्यवस्था में कुछ सुधार करने से है और यह सुधार ऐसा हो जो दिखाई पड़े। रिचलैण्ड(1965) ने बताया कि-पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के संदर्भ में उच्च स्तर की उपलब्धता हासिल करने हेतु मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का सर्जनात्मक ढंग से संचयन करने, व्यवस्थित करने तथा उनका प्रयोग करने की नई विधि (Unique Method) नवाचार है। ऑक्सफोर्ड के अंग्रेजी शब्दकोष में 'नवाचार'' को परिवर्तन के रूप में देखा गया है। यह परिवर्तन आकस्मिक या अनाकस्मिक दोनों हो सकते हैं। परंतु फिलिप व गोयन (1973) ने बड़ा स्पष्ट कहा कि 'नवाचारों' के अंतर्गत सुधार ऐसा होना चाहिए जो जानबूझकर किया गया हो, मापन योग्य हो तथा जिसमें ठहराव हो (Deliberatable durable and Measurable)

उसके कि जो घटनाएं अचानक घट जाती हैं। शिक्षा के शब्द कोष (1977) में नवाचार किसी नये विचार या अभ्यास के उन्नत रूप में देखा गया हैं। (Innovation as promotion of new ideas or practices)

भारतीय विद्वानों में जोशी(1980) ने माना कोई विचारा / कार्य जिसको प्रयोग करने वाले ने सुधार हेतु नया माना है, भले वह दूसरों के लिए पुराना ही हो। भोला (1980) ने कहा कि नवाचार एक संकल्पना है एक अभिवृत्ति है, एक उपकरण है जिसमें कुछ कौशलों का उपयोग किसी व्यक्ति या समूह द्वारा इस प्रकार किया गया है, जैसा कि पूर्व में कार्यात्मक रूप से कभी नहीं किया गया। एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा नवाचारों के संबंध में 1977 में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में यह धारणा बनी कि नवाचारों में अपेक्षित सामाजिक परिवर्तनों को लाने हेतु, प्रयास कर कुछ नया सोचने अथवा अभ्यास करने से है।

उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि (1) नवाचार संबंधित व्यक्ति की दृष्टि से नया प्रयास / विचार होना चाहिए। (2) यह जानबूझकर, नियोजित ढंग से किया जाना चाहिए। (3) वर्तमान व्यवस्था या उसके किसी अंग में सुधार हेतु होना चाहिए। (4) स्वभाव से कुछ नया या मूल होना चाहिए (fundamental in Nature) (5) स्थानीय परिवर्तनों के संदर्भ में हो तथा (6) परिणामों में सकारात्मक परिवर्तन हो आदि।

उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर की अध्यापक शिक्षा मे नवचारित अभ्यास

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना (2005) की रिपोर्ट अनुसार -

- सारी शिक्षण सामग्री एवं उपागम अध्यापक की कक्षा-कक्ष संबंध आवश्यकताओं पर आधारित होनी चाहिए चाहे वह विषय सामग्री की बात या कौशल प्रविधियों की। कक्षाकक्ष संगठन एवं प्रबंधन में आवश्यकता, बच्चों की अधिगम प्रविधियों को समझना, भूल विश्लेषण या बच्चों का आकलन हो।
- इग्नू द्वारा चलाए गए प्राथमिक गणित शिक्षण के पाठ्यक्रम के साथ सेवार अध्यापकों की व्यवसाय प्रगति के लिए अंशकालीन पाठ्यक्रम चलाए जाने चाहिए।
- सेवारत अध्यापकों के लिए विशिष्ट रूप से तैयार किए गए प्रशिक्षण माड्यूल और कार्यक्रमों के द्वारा प्राथमिक स्तर के अध्यापकों की भाषा संबंधी योग्यता को बढ़ाना चाहिए।
- शिक्षा में उच्च अध्ययन संस्थान के द्वारा एस एस ए फंड को सेवारत अध्यापकों पर खर्च करके कक्षा आधारित बनाना चाहिए।
- पूर्व सेवा छात्र अध्यापक द्वारा विद्यालय इन्टर्नशिप के दौरान स्थापित स्त्रोत केन्द्र सामान्य अध्यापकों की व्यावसायिक प्रगति के मुख्य आकर्षण होने चाहिए।
- प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में उच्च अध्ययन संस्थानों पर आधारित कार्यक्रमों के स्थापित होने के साथ-साथ, अध्यापक प्रशिक्षकों को शैक्षणिक सहायता मिलनी चाहिए। इसका एकमात्र उद्देश्य व्यावसायिक प्रगति कार्यक्रम होना चाहिए।
- बी.आर.सी. व सी.आर.सी. के संयोजकों को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् व जिला शिक्षा और प्रशिक्षकों संस्थान के द्वारा प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि प्रशिक्षकों की आवश्यकताओं का आकलन करके उसी तरह कार्य किया जा सके।

नवाचार की प्रक्रिया (Process of an Innovations)

नवाचारों की प्रक्रिया में, आवश्यकताओं को पहचानने, उनमें रूचि लेने, उनकों पूरा करने हेतु विभिन्न उपागमों को ढूंढने, उनका प्रयोग करने, विभिन्न अवस्थाओं पर मूल्यांकन करने, पृष्ठपोषण देने, पृष्ठपोषण के संदर्भ में उपागम में सुधार करने, उस उन्नत(सुधार की हुई) उपागम का पुन: प्रयोग करने, उसका पुन: मूल्यांकन करने तथा फिर अभ्यास कार्य में अनवरत इसका प्रयोग करने से है। इसे निम्न पैराडाइम (Paradigm) में अधिक आसानी से समझा जा सकता है-

समस्याओं की पहचान	समस्याओं के कारणों की पहचान इनके हल हेतु विभिन्न उपागमों / समूह रचनाओं का नियोजन	प्रयोज्य उपागमों का परीक्षण
परीक्षित उपागम का मूल्यांकन	पृष्ठ पोषण उपलब्धियों और कमियों को ध्यान में रखते हुए।	सुधार की हुई नई उपागम का निर्माण व नियोजन (Planning)
उन्नत उपागम का प्रयोग उपागम को लागू करना	पुन: परीक्षण	व्यवस्था में उन्नत

हैवलाक तथा हबरमैन (Have Lock and Huberman 1977) ने नवाचार की प्रक्रिया में निम्न विचार दिए-

1. घटनाओं के क्रम के संबंध (As a sequence of Events overtime)- आवश्यकता की अनुमति, संभावित परिवर्तन तथा प्रक्रिया का लगातार प्रयोग।
2. संस्था और कर्मचारियों के समूह (Set) के संदर्भ में (A Set of people and Institutions)- निर्माणकर्ता (Creators), निर्णयकर्ता (Decision Makers), व नवाचारों के प्रयोगकर्ता (User of the Innovations)।
3. विचारों तथा संसाधनों की सामग्री, अभ्यास कार्य और संस्था में परिवर्तन की श्रृंखला (A series of transformation of ideas and resources into Materials, Practices, actions and Institutions)
4. समस्या का हल की श्रृंखला (Problem Solving sequence)- आवश्यकता अनुभव, संभावित हल, हल का प्रयोग, तथा संतोषप्रद परिणाम।
5. इस तदर्थ व्यवस्था में कई तत्व सम्मिलित होत हैं (ए temporary system composed ऑफ various elements) जैसे अदा-प्रक्रिया-प्रदा (i\Input process, Output) कार्य करने हेतु कर्मचारी व संस्था, कार्यो (Functions) की एक व्यवस्था जिससे कि स्थानीय आवश्यकताओं के संदर्भ में हल निकल सके।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

अब तक आपने क्या सीखा, इसका मूल्यांकन आप स्वयं निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में देकर कीजिए-

1. वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका में किस प्रकार के बदलाव आए हैं,?
2. नवाचार' से आप क्या समझते हैं 7
3. नवाचार की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।

20.2 उच्च प्राथमिक शिक्षक शिक्षा में नवाचारित अभ्यास(Innovative Practices in Elementary Teacher Education- ETE)

उच्च माध्यमिक शिक्षा के नवाचरित अभ्यासों पर यहां चर्चा राष्ट्रीय स्तर, संस्थानिक स्तर तथा व्यक्तिगत स्तर के संदर्भ में की जाएगी।

20.2.1 राष्ट्रीय स्तर पर (ETE) नवाचरित अभ्यास

मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा इस स्तर के लिए चलाए गये तीन प्रमुख नवाचारों का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा हैं।

20.2.1.1 पाठ्यक्रम- संगठन एवं अंतरण (Curriculum)component their organization and Transaction)

उच्च माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम चार भागों में विभाजित किया जा सकता है- आधार पाठ्यक्रम (Foundation) स्तरानुसार विशिष्टीकरण Stage relevant specialization) अतिरिक्त विशिष्टीकरण क्षेत्र कार्य, (field work) व अभ्यास कार्य (Practices)

आधार पाठ्यक्रम (foundation course) इस आधार पाठ्यक्रम के दो भाग हैं (1) दार्शनिक, सामाजिक व सांस्कृतिक आधार (उभरते भारतीय समाज में शिक्षा) (2) मनौवैज्ञानिक आधार(शैक्षिक मनोविज्ञान)।

इस पाठ्यक्रम का पहला भाग शिक्षा के लक्ष्य तथा उद्देश्यों के बारे में सैद्धांतिक अंतर्दृष्टि देता है। इसमें शिक्षा को राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में उभरते हुए सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व आर्थिक परिदृश्य में देखा जाता है। यह शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों में शिक्षा, सामाजिक संरचना तथा शिक्षक की भूमिका के बारे में समग्र समझ विकसित करता है। इसलिए यह विभिन्न विषयों की सीमाओं को तोड़ते हुए अपने विषय वस्तु के संगठन में अंतर्विषयक उपागम को स्वीकार करता है, जिससे विभिन्न मुद्दों के बारे में छात्रों में कार्यात्मक समझ विकसित होती है। इस पाठ्यक्रम द्वितीय भाग द्वारा मानव में अभिवृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया तथा अधिगम के संबंध में जानकारी दी जाती है यह शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर आवश्यक अधिगम के प्रकारों, व्यक्तिगत भिन्नता सर्जनात्मक तथा सामंजस्य के मनोविज्ञान के बारे में भी जानकारी देता यह आधार पाठ्यक्रम एक तरह से मुख्य पाठ्यक्रम (core course) है, तथा समग्र पाठ्यक्रम में इन्हें लगभग 20% भार दिया जाता है।

स्तरानुसार विशिष्टीकरण (Stage relevant specialization)

इस स्तर पर शिक्षक शिक्षा के दो उपभाग हैं। प्रथम भाग उच्च माध्यमिक स्तर की दिशा के संबंध में शिक्षक के कार्य से संबंधित है। इसके अंतर्गत उच्चमाध्यमिक स्तर के शिक्षा के उद्देश्यों, पृष्ठभूमि, क्षेत्र तथा महत्व पर प्रकाश डालने के साथ-साथ शिक्षक की भूमिका (एक पाठ्यक्रम निर्माता के रूप में अनुदेशन आकल्पक (designer) के रूप में पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाओं के संचालक के रूप में, मूल्यांकनकर्ता, परामर्शदाता के रूप में) के बारे में विस्तार से चर्चा की जाती है। इस पाठ्यक्रम का दूसरा भाग विशिष्टीकरण से संबंधित है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक को लगभग सभी विषय पढ़ाने होते हैं।

जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक की रूचि तथा योग्यता का ध्यान रखा जाता है। इसलिए भाषा गणित, पर्यावरणीय शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, कला एवं कार्य अनुभव (Work experience) आदि की विषयवस्तु तथा शिक्षण विधियों (content cum methodology) के बारे में इस स्तर पर जानकारी दी जाती है। इस क्षेत्र के प्रत्येक विषयों को समय के हिसाब से (संपूर्ण पाठ्यक्रम में) 5% भार दिया जाता है।

अतिरिक्त विशिष्टीकरण- (Additional specilaization) इसके अंतर्गत भावी शिक्षकों को उनकी रूचि के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है, ताकि उसमें इस संबंध में अपेक्षित ज्ञान अवबोध व कौशलों का विकास हो सके। इसमें दो प्रश्न पत्र (Paper) होते हैं। पहला विशिष्टीकरण विज्ञान और सामाजिक विज्ञान अथवा पूर्व विद्यालयी शिक्षा (Pre-School Education) के लिए होता है जबकि दूसरे में, विषयों के समूह मे से किसी एक वैकल्पिक विषय (जैसे- प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा,सामाजिक शिक्षा, जनजाति शिक्षा जनसंख्या था आदि शिक्षा आदि) में विशिष्टता हासिल करनी होती है। इन दोनो भागों के प्रत्येक विषय को 5%' अधिभार(संपूर्ण पाठ्यक्रम) दिया जाता है।

अभ्यास व क्षेत्र कार्य a(practices/field work) - इसके अंतर्गत कक्षा व्यवस्था, पाठ्यसहगामी क्रियाएँ, विद्यार्थियों को परामर्श आदि के क्षेत्र में व्यावसायिक गुणों का विकास किया जाता है। भावी शिक्षकों को इस अभ्यास कार्य से अपने व्यवसाय की वास्तविक तथा मांगों के संबंध में जानने का बहुत मौका मिलता इस अभ्यास कार्य के भी दो उपभाग है -(1) वास्तविक स्थितियों में अभ्यास (2) इन्टर्नशिप। इनमें से प्रत्येक को (समग्र पाठ्यक्रम में) 2%' अधिभार दिया जाता है।

पाठ्यक्रम अंतरण (Curriculum Transaction) - पाठ्यक्रम का अंतरण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पाठ्यक्रम का विकास, क्योंकि पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति इसके अंतरण से ही होती है। पाठ्यक्रम अंतरण की प्रक्रिया काफी नमनीय व विकेन्द्रित होनी चाहिए। इसके लिए उचित वातावरण का निर्माण तथा शिक्षक छात्रों में उचित अभिवृत्ति एवं प्रभावी शिक्षण विधियों का विकास आवश्यक है।

इसके अंतर्गत विधार्थियों को यह सिखाना आवश्यक है कि कैसे सीखा जाए (How to learn)?

मूल्यांकन- भावी शिक्षकों के व्यक्तित्व तथा शिक्षक शिक्षा के संबंध में उनके निष्पादन तथा उपलब्धियों का समग्र मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है। इसके लिए अनवरत आंतरिक मूल्यांकन एक उचित विधि हो सकती है। डाक्यूमेंट ऑन गाइड लाइन एण्ड सैलेबी (1991) में

कहा गया है कि जहाँ तक हो सके इन्टर्नशिप तथा विद्यालयों के अनुभवों (School experiences) का 100% आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए। यदि इस संबंध में कुछ अवरोध हो तो 75% आंतरिक मूल्यांकन तो अवश्य ही होना चाहिए।

20.2.1.2 विद्यालयी शिक्षकों को जन अभिनवीकरण कार्यक्रम

(Programme of Massorentation of school Teacher- PMOST)

समय के साथ में शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी तीव्रगति से परिवर्तन हो रहे हैं। इन परिवर्तनों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पी.एम.ओ.एस.टी. (PMOST) योजना शुरू की गई। प्रारंभ में इसका लक्ष्य (1986-90) 5 लाख शिक्षक को प्रतिवर्ष अद्यतन जानकारी प्रदान करने हेतु रखा गया। इसके साथ-साथ उनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986 के प्रति जागरूकता तथा इस नीति के क्रियान्वयन हेतु उचित योग्यताओं के विकास पर भी ध्यान दिया गया। PMOST का विस्तृत विवरण पीछे की इकाइयों में किया जा चुका है अत: यही पर अधिक विस्तार से चर्चा करना मात्र पुनरावृत्ति होगी। फिर भी इसके उद्देश्यों, क्रियान्वयन, मूल्यांकन के संबंध में एक विहंगम दृष्टिकोण यही प्रस्तुत है। पी.एम.ओ.एस.टी. (PMOST) के उद्देश्य :- इस योजना के तात्कालिक उद्देश्य निम्न थे-

शिक्षकों तथा अन्य शिक्षाकर्मियों को अपने अनुभव बॉटने (Share)तथा सहभागिता (Participation) हेतु एक फोरम का निर्माण करना ताकि वह मॉडल में दी गई क्रियाओं तथा विचारों के संदर्भ में विद्यालयी शिक्षा के तात्कालिक स्तर तथा प्रवृत्तियों का समालोचनात्मक विश्लेषण कर सके।

भिन्न परिस्थितियों में उभरी समस्याओं को प्रभावी तथा व्यावहारात्मक हल हेतु अभिनव कैम्प के संगठन कर्ताओं (Organizers) तथा सहभागियों को अधिगम के अनुभवों से परिचित कराना।

विद्यालयी शिक्षा में पूर्ण परिवर्तन लाने के लिए सहभागियों को अधिक संवेदनशील एवं जागरूक बनाना।

क्रियान्वयन (Implementation) इसकी क्रियान्वयन योजना एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा तैयार की गई। इस योजना के चालू होने के तीन स्तर थे। (1) सर्वप्रथम 450 संदर्भ व्यक्तियों तथा विषय विशेषज्ञों हेतु एन. सी.ई.आर.टी. मुख्यालय पर तीन दिवसीय अभिनव कार्यक्रम आयोजित किया गया।(2) द्वितीय स्तर पर इन प्रशिक्षित विशेषज्ञों की सहायता से कोर्स निदेशकों, संदर्भ, व्यक्तियों (राज्य स्तरीय) तथा विषय विशेषज्ञों को राज्य स्तर पर अभिनवित करने हेतु तीन दिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया।(3) अंत में 2500 प्रशिक्षण केन्द्रों पर 10, दिन के 10,000 शिक्षक अभिनवन कैम्प चलाये गये जिनमें लगभग 5 लाख शिक्षकों को अभिनवित किया गया। इसके अंतर्गत प्राथमिक उच्च प्राथमिक, माध्यमिक स्तर के शिक्षकों प्राध्यापकों तथा उनसे जुडे अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

कैम्प में सहभागिता और अंतक्रिया उपागम (Participatory and Interactive approach) अपनाई गई। संदर्भ व्यक्तियों ने शिक्षकों के अनुभवों के साथ माडुलर सामग्री के नये विचारों और क्रियाओं को समाहित करते हुए विभिन्न तरह की क्रियाएँ आकल्पित की ताकि इस सामग्री का क्षेत्र में महत्व परखा जा सके। इस कैंप में स्व-अनुभव तथा स्व शक्ति (self-realization) को विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया गया तथा शिक्षण के बजाय इन कैम्पों में अधिगम पर विशेष जोर दिया गया।

विशिष्ट महत्व के सामान्य विषयों (General themes) पर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण सामग्री / पैकेज तैयार किए गये।

सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण भाग 1 व 2 अलग से तैयार किए गये जिसमें 41 माड्यूल्स थे। इनमें से 11 माड्यूल्स प्राथमिक शिक्षकों हेतु थे जो कि कला शिक्षा, कार्य अनुभव, मातृभाषा शिक्षण, पर्यावरण अध्ययन बहु कक्षा शिक्षण, गणित शिक्षण, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य बच्चों की आवश्यकताएं व समस्याएं, जनसंचार शैक्षिक तकनीकी तथा जनसंख्या शिक्षण से संबंधित थे। 12 माड्यूल्स उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षकों हेतु थे जिनमें किशोरों की आवश्यकताएँ व समस्याएँ अनवरत व्यापक मूल्यांकन, जनसंख्या शिक्षाकला शिक्षा कार्य अनुभव, हिंदी, गणित, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, अंग्रेजी आदि विषयों का शिक्षण, शारीरिक शिक्षा और विद्यालय आधारित सेवा शिक्षा (Service education) प्रमुख है। शेष 18 माड्यूल्स सभी स्तर के शिक्षकों के लिए हैं जिनमें से राष्ट्रीय कैरीकुलम फ्रेमवर्क, वंचित वर्ग हेतु शिक्षा के समान अवसर, महिला शिक्षा, बच्चों को सीखने की समस्याएं पहचान कर उन्हें अधिगम के अवसर प्रदान करना, मूल्योज़ख शिक्षा, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय प्रतीक आदि प्रमुख है। इस प्रशिक्षण में प्रिंट मीडिया के साथ-साथ संचार साधनों का भी प्रयोग किया गया तथा 1986 में जो संदर्भ सामग्री तैयार की गई थी उसमें त्रिचूर के परीक्षणों के आधार पर 1987 में संशोधन किया गया। राज्य स्तर पर स्थानीय परिस्थितियों के समावेश हेतु भी अधिगम सामग्री तथा दिशा निर्देशों (guile lines)में आवश्यक संशोधन किए गये तथा यथास्थान अनुवाद किये।

मूल्यांकन- इसकी योजना में प्रारंभ से ही मूल्यांकन का विवरण था।

राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय विभिन्न मीटिंग में इस योजना की क्रियान्वयन की स्थिति का जायजा लिया गया। नोडल एजेन्सी Nodel Agencies) तथा एन.सी.ई.आर.टी. के संकाय सदस्यों ने प्रश्नावली द्वारा मूल्यांकन तथा विभिन्न मुद्दों पर संबंधित व्यक्तियों से बात कर स्थिति का जायजा लिया।

परिणाम- 1987-88 से लेकर 1991-92 के मध्य इस योजना (PMOST) द्वारा लगभग 12.96 लाख शिक्षकों को अभिनवित किया गया।

20.2.1.3 विद्यालयी शिक्षकों हेतु विशिष्ट अभिनवन कार्यक्रम

(Special orientation Programme for school Teacher (SPOT)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का स्तर तथा गुणवत्ता को बढ़ाना है। निष्पत्ति व कौशल आधारित इस शिक्षक अभिनवन कार्यक्रम की संकल्पना 1993 में पाठ्यक्रम में सुझाए गये कुछ परिवर्तनों जैसे न्यूनतम अधिगम स्तर,(MLL) ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सामग्री और अधिगम आधारित उपागम (Material and Learner contact approach) के बारे में प्राथमिक शिक्षकों को अभिनवित करने हेतु की गई।

इस योजना के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व तथा अधिगमव श्रव्य दृश्य-सामग्री के विकास की जिम्मेदारी

(1993-97) एन. सी. ई. आर. टी. को सौंपा गया। साप्ट (SOPT) योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं-

1. शिक्षकों को न्यूनतम अधिगम स्तर (MLL) की संकल्पना को समझने योग्य बनाना तथा मातृभाषा, गणित व पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण न्यूनतम अधिगम स्तर के ढंग से करना।
2. विभिन्न विषयों / क्षेत्रों में प्रवीणताओं को हासिल करने के हेतु अधिगम सामग्री को पहचानने तथा उनका चुनाव करने में शिक्षकों की सहायता करना।
3. शिक्षकों में इन योग्यताओं तथा अधिगम क्रियाओं का विकास करना जिससे कि सभी बच्चे प्रसन्नता पूर्वक न्यूनतम अधिगम स्तर तक सीख सकें।
4. शिक्षकों में बहु क्षेत्रीय शिक्षण (Multi grade teaching) के कौशल का विकास करना।
5. शिक्षकों को इस योग्य बनाना कि वह अनवरत शिक्षा में लगे रहे अधिगम की समस्याओं को पहचान सकें तथा उनके निवारण हेतु कदम उठा सकें।

यहां पर यह कहना समाचीन होगा कि नई शिक्षा नीति(1986) में शिक्षा की प्रत्येक अवस्था हेतु न्यूनतम अधिगम स्तर को शिक्षकों को निष्पति (Performance) उद्देश्य को निश्चित करने की एक आवश्यक शर्त माना गया है। न्यूनतम अधिगम स्तर को शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं आयोजित करने तथा छात्रों के उपलब्धियों का मूल्यांकन करने का तथा उनमें उत्तरदायित्व की भावना भरने का महत्वपूर्ण शिक्षा निर्देश (Guide) माना गया है। न्यूनतम अधिगम स्तरों का विकास (पहिचान) भाषा, गणित व पर्यावरण अध्ययन में एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा की गई है ताकि विद्यालयी छात्र अपने पर्यावरण को अधिक अच्छी तरह से समझ सकें तथा सामाजिक रूप से अधिक उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकें।

ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड (Operation Black board) - ऑपरेशन ब्लैक ब्रोर्ड का साप्ट (Sopt) योजना में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में कम से कम निम्न सुविधाएं देने का प्रावधान रखा गया है-

1. विद्यालय में कम से कम दो कमरे, एक बरामदा तथा लड़के एवं लड़कियों हेतु अलग-अलग मूत्रालय की व्यवस्था।
2. प्रत्येक विद्यालय में कम से कम दो शिक्षक, जिसमें एक महिला अवश्य होनी चाहिए।
3. शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी तथा शिक्षार्थी व क्रियाकलाप के केन्द्रित बनाने हेतु शिक्षण अधिगम उपकरणों के एक सेट (Set) की व्यवस्था। यह सामग्री उपकरण, खेल सामान, किताबें आदि के रूप में हो सकती हैं।

शिक्षकों में जागरूकता आधारित तथा निष्पत्ति आधारित प्रवीणताओं (Competencies) को बढ़ाने हेतु इस योजना के तहत दो तरह के स्व: अनुदेशन माड्यूल्स (Self Instructional Reading Modules) का विकास किया गया हैं। जागरूकता के पैकेज ('Awareness Package) में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के संबंध में 13 माड्यूल्स हैं जिनमें न्यूनतम अधिगम स्तर, विद्यालय वातावरण, मल्टीग्रेड शिक्षण, लड़कियों की शिक्षा आदि प्रमुख है जबकि निष्पन्ति के पैकेज में अa(performance package) में 5 माड्यूल्स भाषा, गणित, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन व विज्ञान तथा अनवरत व्यापक मूल्यांकन से संबंधित हैं।

क्रियान्वयन की रणनीति :- इस साप्ट (SOPT) के क्रियान्वयन की त्रिस्तरीय योजना है।(1) संदर्भ व्यकियों का एस.सी.ई.आर.टी. (SCERT) तथा विश्वविधालय के शिक्षा विभाग द्वारा प्रशिक्षण (2)डाइट्स से लिए गये संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम (3) विद्यालयों से लिये गये शिक्षकों का प्रशिक्षण। ये विद्यालय ऐसे होने चाहिए जहां ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की सामग्री उपलब्ध है तथा राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा यही न्यूनतम अधिगम स्तर के आधार पर शिक्षा प्रदान करने की स्वीकृति दे दी गई है। यह योजना 1994-95 से शुरू होकर1996-97 तक कार्य करेगी।

कार्यक्रम अंतरण (Programme Transaction) - इस योजना में सहभागी शिक्षकों तथा संदर्भ व्यक्तियों के बीच सहभागिता तथा अंतक्रिया उपागम (Participatory and Interactive approach) के उपयोग पर जोर दिया गया है तथा दोनों को एक-दूसरे के अनुभवों के लाभ उठाने का पूरा मौका दिया जाता है।

20.2.1.4 संस्थानिक स्तर पर उच्च माध्यमिक शिक्षण शिक्षा (ETE) में नवाचारित अभ्यास(Innovative Practices in ETE at Institution Level)-

इसके अंतर्गत संस्था के विभिन्न पक्षों जैसे शिक्षकों क विधियाँ, पाठ्य सहगाभी क्रियाएँ सामुदायिक जीवन, कार्य, अनुभव, भाषा योग्यता व कौशल, शैक्षिक तकनीकी मूल्यांकन, शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों हेतु उन्नयन कार्यक्रम आदि आते है। इनसे संबंधित नवाचारों की मुख्य विशेषता यह है कि यह स्थानीय, आंतरिक और आवश्यकता आधारित होते हैं तथा यह समूह कार्यअa (Group Work) के परिणाम होते हैं। इस इकाई में इन समस्त नवाचारों का वर्णन करना संभव नहीं है। अत: यहां पर केवल शिक्षण की विधियों (Methodology of Teaching) का वर्णन चार उपविभागों- उद्देश्य, क्रियान्वयन, निर्गत (Outcome)तथा मूल्याकन के अंतर्गत किया जा रहा है।

शिक्षण की विधियाँ- (Methodology of Teaching) अब परम्परागत शिक्षण विधियों के बजाय उन शिक्षण विधियों पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिसमें शिक्षार्थी की केन्द्रीय भूमिका होती है। शिक्षण के लिए चाहे जो विधि अपनाई जाए, पर उसमें विषय के सैद्धांतिक ज्ञान के साथ-साथ इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह विद्यार्थियों में सोचने की शक्ति बढ़ा सके उनमें वैयक्तिकता का विकास करे तथा शिक्षण कौशलों, पाठ्यक्रम व मूल्यांकन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे सके। इसलिए अब पुरानी शिक्षण विधियों के स्थान पर प्रयोजना विधि, आंतरिक मूल्यांकन विधि, भाषण व प्रदर्शन विधि, ट्यूटोरियल्स पर्यवेक्षित अध्ययन, स्व अध्ययन तथा परीक्षण विधियों का अधिक प्रयोग किए जाने पर जोर दिया जा रहा है। मनोविज्ञान को समझने तथा शिक्षण प्रशिक्षणार्थियों में सोचने की शक्ति को बढ़ावा देने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है जिसके कारण अनुदेशन के स्तर में सुधार आ सकेगा। क्रियान्वयन : एक ई.टी.ई. आई. (ETEI Elementary Teacher Institute) ने हयूरिस्टिस,अगमन व निगमन तथा अन्य विधियों के प्रयोग से संबंधित अभ्यासात्मक अनुभव अपने से संबंधित भावी शिक्षकों को उपलब्ध कराए। इन विषयों के संबंध मे जो परीक्षण (Experiment) किए गये उससे पहले समस्त सामग्री जो कि विषयवस्तु के चुनाव व विकास, खोजी प्रश्नों (Investigatory question) दिशा निर्देश बिंदु(guide point) और उपकरण आदि से संबंधित थी, उसको एकत्रित किया गया। दूसरे ई.टी.ई.आई. (ETEI) ने प्रमुख शिक्षाशास्त्रियों तथा उनके सिद्धांतों के बारे में बताने हेतु प्रयोजन कार्य(project Work) को हाथ में लिया। विभिन्न प्रकार के रूचिपूर्ण कार्यक्रमों के द्वारा इन शिक्षाशास्त्रियों के विचारों, सिद्धांतों, सुधारों तथा मनौवैज्ञानिक उपागमों को प्रचारित किया गया। एक अन्य संस्था में शिक्षाशास्त्रियों के एक पाठ(Lesson) के विभिन्न पक्षों के बारे में चर्चा की तथा संभावित प्रकरणों पक्षों के बारे में विचार-विमर्श किया। इस संबंध को सत्रीय कार्यAssignment) भी दिये गये तथा इस संबंध में संदर्भ ग्रंथों के बारे में भी बताया गया।

स्वअध्ययन' कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों ने अपने खाली समय में घर पर अपने अध्ययन से संबंधित विभिन्न प्रकरणों पर प्रतिवेदन तैयार किए। यदि संबंधित शिक्षक अवकाश पर रहे तो उन दोनों में यह प्रशिक्षार्थी पाठोंको अध्ययन कैसे करे तथा इन पाठों का मूल्यांकन कैसे किया जाए इसका भी प्रशिक्षण इसमें दिया गया है।

परिणाम (Outcome) - शिक्षक विधार्थी (Student Teacher) विभिन्न इकाइयों का अध्ययन करते हैं तथा उसका व्यवस्थित अभिलेखRecord) रखते हैं। पढने हेतु पुस्तकालय का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करते हैं, जिसके कारण उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है तथा परीक्षा में वह अच्छे ढंग से प्रश्नों के उत्तर देते है। इसके अंतर्गत शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से विचार विमर्श (Free discussion) करने तथा अच्छे मानवीय संबंध विकसित करने के अवसर दिए जाते हैं तथा अनुदेशन का स्तर सामान्य रूप से काफी अच्छा रहता

मूल्यांकन- मूल्यांकन हेतु यहाँ पर इकाई मूल्यांकन (Unit Test),सत्रीय कार्य, कार्य प्रपत्र (Work Sheets) कार्यो का दायित्व, प्रायोजनाएं (Progress Chart) आदि तकनीकों का प्रयोग किया जाता है।

20.2.2 व्यक्तिगत शिक्षाशास्त्रियों के स्तर पर उच्च शिक्षक शिक्षा में नवाचारित अभ्यास (Innovative Practices in ETE conducted by Individual Teacher Educators)

कुछ शिक्षाशास्त्रियों द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर, नैतिक मूल्यों, प्रवेश प्रक्रिया विभिन्न विषयों को पढ़ाने की शिक्षण तकनीकें, व्यवहारगत परिवर्तन आदि के संबंध में कुछ नवाचारित अभ्यास दिए गए हैं। इसमें से उदाहरण स्वरूप नैतिक शिक्षा के नवाचार के संदर्भ में संक्षेप जानकारी दी जा रही है।

शिक्षा नवाचार के नैतिक उद्देश्य - इसके मुख्य उद्देश्य निम्न थे-

(1) शिक्षक शिक्षार्थियों (Student Teacher) को नैतिक मूल्यों को स्वयं बढ़ाने में सहायता देना।

(2) प्रवेश प्रक्रिया तथा शिक्षक शिक्षार्थियों की निष्पत्ति के मध्य सह संबंध देखना।

क्रियान्वयन (Implementation)- मानव मूल्यों के संदर्भ में शिक्षा देने हेतु इसे एक विषय के रूप में कर्नाटक के नये टी.सी.एच.(T.C.H.) पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। इस संबंध में अध्ययन हेतु शिक्षार्थियों द्वारा एक प्रोजेक्ट भी लिया गया। इसके अंतर्गत शिक्षक शिक्षार्थियों से अपने खर्चो को कम कर कुछ धन बचाने को कहा गया। इस धन का बाद में गरीबों, वृद्धों अनाथों तथा रोगियों के मध्य फल, मिठाई, चावल आदि बांटने के लिए उपयोग किया गया।

दूसरे अध्ययन में अध्ययनकर्ता ने मेरिट(12वीं कक्षा) के आधार पर प्रवेश पाए छात्रों की उनके निष्पत्ति (Term and achievement) के आधार पर सह संबंध देखने का प्रयास किया गया।

मूल्यांकन- नैतिक शिक्षा के पक्ष का मूल्यांकन करने हेतु शिक्षक शिक्षार्थियों के लिए पर्यवेक्षण, साक्षात्कार तथा प्रश्नावली तकनीक का प्रयोग किया गया जबकि शिक्षाशास्त्रियों के लिए मतावली(Opinionnarie)का प्रयोग किया गया।जबकि दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए अंकों का प्रयोग किया गया।

परिणाम (Outcome)- मूल्यों के विकास के संदर्भ में यह देखने में आया कि शिक्षक शिक्षार्थियों के जरूरतमंदों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने खर्चो में कुछ कटौती की आदत विकसित की। प्रवेश के संदर्भ में यह पाया गया कि प्रवेश परीक्षा जिसमें विचार-विमर्श (Discussion) भी हो, पर आधारित प्रक्रिया 12 वीं की मेरिट के आधार पर दिए गए प्रवेश प्रक्रिया से अधिक प्रभावी है। हां, 12 वीं के मेरिट को प्रवेश के समय कुछ विशेष अधिभार दिया जा सकता है। परंतु प्रवेश की वैधता को नियमित रूप से परखने की आवश्यकता बनी रहेगी।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

(1) उच्च प्राथमिक शिक्षक में आधार पाठ्यक्रम(foundation course) की उपयोगिता बताइए।

(2) पाठ्यक्रम का अंतरण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पाठ्यक्रम का विकास- इस संबंध में अपने विचार लिखे।

(3) ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत एक विद्यालय में कम क्या सुविधाएँ होनी चाहिए।

(4) उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षक में शिक्षक शिक्षा में शिक्षाशास्त्रियों द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर शुरू किए गये कुछ नवाचारों का उल्लेख करें।

2. निम्न प्रश्नों का उत्तर विस्तार से दें।

(1) PMOST कार्यक्रम का विस्तार से वर्णन करो।

(2) SPOT कार्यक्रम की उपयोगिता बताइए।

20.3 माध्यमिक शिक्षक शिक्षा में नवाचार (Innovations in Secondary Teacher Education)

20.3.1 राष्ट्रीय स्तर पर

(अ) माध्यमिक शिक्षक शिक्षा संस्थाओं का पुनर्संरचना व पुनर्संगठन (Restructuring & Reorganisation of Secondary Teacher Education-STEIS)- 1986 की नई शिक्षा नीति में माध्यमिक शिक्षक शिक्षा संस्थाओं की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु आमूल चूल परिवर्तन की बात की गई तथा कुछ चयनित संस्थाओं में चार वर्षीय समन्वित पाठ्यक्रम शुरू करने के बारे में भी सोचा गया। परंतु इस नीति की सफलता अंततः शिक्षकों पर निर्भर करती है तथा इन शिक्षकों की गुणवत्ता प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों पर निर्भर करती है। अतः इन प्रशिक्षण संस्थाओं के स्तर में सुधार हेतु मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा 1987 में देश में 200 शिक्षा महाविद्यालयों(CTEs)तथा 50 अग्रिम अध्ययन संस्थाओं(IASEs) की स्थापना हेतु उचित वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया तथा इन संस्थाओं से यह अपेक्षा स्वाभाविक थी कि वह शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में क्रांतिकारी सुधार कर सकेंगे तथा इस पाठ्यक्रम के सैद्धांतिक पक्ष और व्यावहारिक पक्ष (कक्षा) के मध्य के अंतर को दूर कर सकेंगे। इन संस्थाओं से यह भी अपेक्षा की गई कि यह भावी शिक्षकों को इस योग्य बना सकेंगे जिससे कि वह प्रभावी शिक्षण अधिगम हेतु शैक्षिक संचार साधनों का उचित प्रयोग कर सकें।

IASEs तथा CTEs की स्थापना के उद्देश्यों, इनकी क्रियान्वयन पद्धति तथा मूल्यांकन पद्धति का पिछली इकाईयों में समुचित वर्णन किया जा चुका है, अतः इसे पुनः वर्णित करने की आवश्यकता नहीं है। संक्षेप में इन संस्थाओं का अपने क्षेत्र के विशेष संदर्भ मे सेवारत कार्यक्रमों, संदर्भ तथा प्रसार सेवाओं, नवाचारों व मूल्यांकन आदि के विषय में महती भूमिका है तथा इनके समग्र क्रियाकलापों के मूल्यांकन का दायित्व एन.सी.ई.आर.टी. के पास है।

(ब) पाठ्यक्रम- पुनर्संगठन एवं हस्तांतरण (Curriculum Components their organization and Transaction) माध्यमिक शिक्षक शिक्षा का पाठ्यक्रम मूलतः निम्न चार भागों में विभाजित है-

(i) आधार पाठ्यक्रम(foundation course)

(ii) स्तरानुसार विशिष्टीकरण(Stage Relevant)

(iii) अन्य क्षेत्रों में विशिष्टीकरण(Additional Specialisation)

(iv) व्यावहारिक व क्षेत्र कार्य(Practices/Field work)

इन बिंदुओं के संदर्भ में विस्तृत वर्णन इसी इकाई में पूर्व में किया गया है।माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम के समोनुरूप परिवर्तन करने हेतु एन.सी.ई.टी.ई. ने अपने प्रपत्र(Curriculum frame work for Teacher Education) (1986) के माध्यम से देशव्यापी बहस छेड़ रखी है। इस प्रपत्र पर बहस करने के उपरांत निकलने वाले बिंदु निश्चित रूप से शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम को एक नई दिशा देने में समर्थ होंगे।

पाठ्यक्रम - पूनर्सगठन एवं हस्तांतरण

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् 200 के अनुसार (Curriculum Framework for Teacher Education) के अनुसार अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम में नए परिवर्तनों को स्थान दिया गया है।

विद्यालय शिक्षा के उद्देश्यों, देश के सामाजिक व आर्थिक भविष्य ओर प्रजातांत्रिक समाज में जनशिक्षा की भूमिका को देखते हुए अध्यापक शिक्षा के विचारों, मूल्यों एवं मान्यताओं में परिवर्तन की आवश्यकता है। सैद्धान्तिक रूप से अध्यापक शिक्षा का पाठ्यक्रम विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की पाठ्यचर्या संरचना 2005 के द्वारा प्रस्तावित दूरदर्शिता के प्रति अनुरूपता की पहला कदम होगा। उदाहरण के लिए अधिगम सूचनाओं को संग्रह करना नहीं अपितु प्रदर्शन और जोड़-तोड़ की प्रक्रिया है। अध्यापक शिक्षा में अध्येता, अधिगम प्रक्रिया, विषय सामग्री एवं शिक्षक प्रशिक्षकों की पैडागॉजी से संबंधित मुद्दों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 1992 के अनुसार कार्यक्रम संरचना में देखना होगा कि अध्यापकों के अभिकरण को अवसर दिया जाएं कि वे सामाजिक वांछनीय परिवर्तन ला सकें। 1998 में प्रकाशित अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम संरचना में प्रस्तावित बहुत से परिवर्तन और विकास संबंधी कार्य हुए हैं जिनमें राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व वैज्ञानिक क्षेत्रों में प्रभाव पड़ा है।

संसदीय अधिनियम के स्वरूप 1993 में स्थापित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् प्रतिबद्ध है कि विकास व परिवर्तनों के विभिन्न स्तरों पर अध्यापक शिक्षा अपना योगदान दे सके राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा को बेहतर बनाने की मुख्य भूमिका भी निभानी होगी। इसलिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के सामने दो काम हैं एक तो अध्यापक शिक्षा में कमियों को दूर करना और इसके सामने नई चुनौतियों से मुकाबला करना।

इसलिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को निम्न कार्यो में सहयोग देना होना -

- नियमों के अनुसार प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त करना;
- भारतीय संविधान के अनुसार विद्यार्थी, स्टाफ व अन्य सभी कर्मचारियों को मूल्य आधारित जीवन को महत्व
- गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक स्त्रोतों का प्रावधान करना
- सभी शिक्षण संस्थाओं के लिए आदर्श रूप स्थापित करना

- क्रियात्मक अनुसंधान को प्रोत्साहित देना
- विद्यालयों में शिक्षण संस्थाओं के मध्य में तालमेल को बढ़ावा देना।

(स) शिक्षण के मॉडल- शिक्षार्थियों का व्यक्तित्व बहुआयामी तथा उनके सीखने की शैली अलग-अलग होती है। कक्षा व्यवस्था में शिक्षण का आयोजन इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने हेतु किया जाता है ताकि इच्छित उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। इस हेतु शिक्षक शैक्षिक उद्देश्यों, विषय वस्तु की प्रकृति, उसकी स्वयं की अभिवृति, शिक्षण शैली, एवं छात्रों के व्यक्तित्व आदि ध्यान में रखते हुए अपनी विशिष्ट शिक्षण रणनीति(strategies) तैयार करता है।यदि प्रशिक्षण व शिक्षण के संबंध में उपलब्ध संबंधित साहित्य की समीक्षा की जाए तो मुख्यत:तीन उपागम(approaches) दिखलाई पड़ते हैं।(I)शिक्षण विधि उपागम(Teaching method approach) (II)शिक्षण व्यवहार उपागम(Teaching behavior approach) (III)शिक्षण मॉडल उपागम(Teaching Model approach)।शिक्षण के मॉडल के संबंध में कुछ नवाचारित प्रयास एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा 1985 मे किए गये।

उद्देश्य :- शिक्षण के मॉडल के संबंध में इस नवाचारित प्रायोजना के मुख्य उद्देश्य निम्न थे-

(i) शिक्षाशास्त्रियों(Teacher Education) को संकल्पना प्राप्ति मॉडल(Concept attainment Model)तथा इन्क्वायरी ट्रेनिंग मॉडल(Inquiry Training Model) के बारे में प्रशिक्षण देना।

(ii) इन मॉडलों में प्रशिक्षण हेतु दी जाने वाली प्रशिक्षण रणनीति(Training strategy) की प्रभावशीलता का परीक्षण करना।

(iii) इस बात का पता लगाना कि कौन सा शिक्षण का मॉडल अपने देश के शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक हिस्से के (Integral part) रूप में सम्मिलित किया जा सकता है।

(iv) भारतीय कक्षा व्यवस्थाओं में इन मॉडलों की उपयोगिता को देखना।

क्रियान्वयन (Implementation)- यह अध्ययन तीन चरणों में पूरा किया गया। प्रथम चरण में 45 शिक्षाशास्त्रियों को जो कि 13 विभिन्न शिक्षा महाविद्यालयों से संबंधित थे, को इन मॉडलों के बारे में अभिनवित (orient) किया गया। इस अभिनवन की प्रभावशीलता को तीन आधारों पर मापा गया

(I) मॉडलों के बारे में सैद्धांतिक समझ

(II) इन मॉडलों के प्रति प्रतिक्रिया (Reaction Towards there models)

(III) क्रियान्वयन हेतु इच्छा शक्ति।

दूसरे चरण में उपर्युक्त दोनों मॉडलों का प्रयोग 393 बी.एड. शिक्षार्थियों पर किया गया तथा इनकी प्रभावशीलता का मापन अवबोध, प्रवीणता प्रतिक्रिया तथा प्रशिक्षार्णियों की इच्छा शक्ति (Willingness of student teacher) के आधार पर किया गया।

इस प्रयोजना का तीसरा व अंतिम चरण इस बात से संबंधित था कि वास्तविक कक्षा की परिस्थितियों में प्रशिक्षणार्थियों द्वारा किस मॉडल का चयन किया जाए तथा चयन के पीछे

उनकी रूचि के क्या कारण हैं। इस चरण में 13 शिक्षा महाविद्यालयों के 321 प्रशिक्षणार्थियों तथा 2500 विद्यार्थियों ने भाग लिया।

परिणाम (outcome)- प्रथम चरण के मूल्यांकन से स्पष्ट हुआ कि छात्राध्यापक (student teacher) जो कि अलग-अलग समूहों से संबंधित थे उनकी इन मॉडलों के सैद्धांतिक पक्ष के बारे में समझ में कुछ अंतर रहा परंतु इन सबकी इस संबंध में प्रतिक्रिया सकारात्मक रही तथा अंतिम चरण में यह पाया गया कि इन छात्राध्यापकों की उपलब्धि में यद्यपि कुछ अंतर रहा परंतु समग्र परिणाम काफी सकारात्मक रहे।

निहितार्थ (Implications)- यह दोनों मॉडल शिक्षाशास्त्रियों तथा छात्राध्यापकों हेतु काफी उपयोगी पाए गये। इनके प्रयोग से कक्षा में शिक्षण तथा शिक्षार्थियों के मध्य जीवंत अंतर्क्रियाएं(Active Innovation) होता है। मॉडल उपागम परंपरागत शिक्षण की रणनीति से काफी भिन्न है तथा प्रयोग के समय भी काफी बचत होती है।

20.3.2 संस्थानिक स्तर पर माध्यमिक शिक्षक शिक्षा हेतु नवाचारित अभ्यास (Innovative Practice in Secondary Teacher Education(STE) at Institutional level)

इस संबंध में यही पर केवल दो नवाचारों-''पाठ्यक्रम का नियोजन'' तथा शिक्षण का आयोजन (प्रविधियाँ)(Methodology) का उल्लेख किया जा रहा है।

उद्देश्य- 'पाठ्यक्रम नियोजन' प्रायोजनों का प्रारंभ निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया।

(I) माध्यमिक स्तर के छात्राध्यापकों में नेतृत्व के गुणों तथा समाहित संभावनाओं(Potential Talents) को प्रोत्साहित करना।

(II) छात्राध्यापकों में स्व-अध्ययन तथा स्वतंत्र रूप से कार्य करने की आदतों का विकास करना। शिक्षण का आयोजन(प्रविधियां)(Methodology) प्रयोजना के मुख्य उद्देश्य निम्न थे।

(I) छात्राध्यापकों को इस संबंध में सहायता करना ताकि वे विभिन्न विषयों के संबंध में उचित अंतर्दृष्टि विकसित कर सकें।

(II) उन प्रशिक्षण अवयवों(Training Inputs) की खोज व क्रियान्वयन करना जिनका कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में उचित प्रदर्शनीय प्रभावशीलता (Demonstrable input) है।

(III) ऐसे नवाचारों एवं अभ्यासों(Practice) का खोज एवं क्रियान्वयन करना जिन्हें संस्था के नियमित अनुदेशन कार्य के एक हिस्से के रूप में स्वीकार किया जा सके।

(IV) छात्राध्यापकों एवं शिक्षाशास्त्रियों के मध्य वार्तालाप (Communication) सहयोग तथा अंतर्क्रिया को बढ़ाना।

क्रियान्वयन (Implementation)- संकाय सदस्यों द्वारा इस संबंध में एक सप्ताह की कार्यशाला का आयोजन किया गया तथा इसमें पाठ्यक्रम के उन भागों को विशेष रूप से उल्लेखित किया गया जो कि इक्सक्लूजिव शिक्षण (Exclusive teaching),सहयोगात्मक

शिक्षण अधिगम(को-operative teaching learning) तथा जो शिक्षार्णियों हेतु इक्सक्लूजिव स्व: अध्ययन (Exclusive teaching) की दृष्टि से अधिक उपर्युक्त हो। इन प्रकरणों पर अंतिम राय बनाने के पूर्व प्रशिक्षार्थियों से भी विचार विमर्श किया गया। इस संबंध में पुस्तकालयी सेवा प्रदान करने हेतु एक बुक बैंक की भी व्यवस्था की गई। स्व-अध्ययन कैसे करें? इस संबंध में शिक्षाशास्त्रियों द्वारा प्रदर्शन(Demonstration)किए गये तथा प्रशिक्षणार्थियों की गिरती हुई रूचि को उठाने हेतु शिक्षाशास्त्रियों द्वारा निर्देशन (Guidance) भी दिया गया।

कुछ समय पूर्व एक STEL द्वारा माध्यमिक शिक्षक शिक्षा STE के प्रशिक्षार्थियों को शैक्षिक मूल्यांकन में उपर्युक्त रणनीति का विकास करने के लिए उपर्युक्त अध्ययन व परीक्षणों के पश्चात् बी.एड.स्तर पर एक विशेष प्रश्नपत्र शुरू किया गया। बी.एड. स्तर के शैक्षिक तकनीकी के प्रश्नपत्र में भी शैक्षिक मूल्यांकन के संबंध में अध्ययन किया जाता है तथा व्यवहारगत उद्देश्य कथन, ब्लूप्रिंट व परीक्षणों का निर्माण व परीक्षण इकाईयों का विकास कैसे किया जाए इस संबंध में विस्तार से चर्चा होती है।

परीक्षण के प्रथम चरण में सर्वप्रथम विषय वस्तु का विश्लेषण किया गया तथा व्यवहारगत परिवर्तन के उद्देश्य निश्चित किए गये तथा विषयवस्तु के प्रकरणों को क्रमबद्धता (sequencing) देने हेतु फ्लो चार्ट तैयार किए गये। दूसरे तथा तीसरे चरण में कार्यक्रम से संबंधित अधिगम सामग्री तैयार की गई तथा इस अधिगम सामग्री को छात्रों तक पहुंचाने हेतु उचित सॉफ्टवेयर(विधियों प्रविधियों) की वैधता तथा उपयोगिता को परखा गया। चतुर्थ चरण में अभ्यास कार्य(Practice work),पुस्तकालय कार्य, अनुदेशन रणनीति तथा इनकी प्रभावशीलता को परखने का प्रयास किया गया है तथा इन चारों कारकों (Component)को समन्वित करने की कोशिश की गई।

भावी माध्यमिक शिक्षकों हेतु नई शिक्षक विधियों की ओर काफी ध्यान दिया गया ताकि वे विद्यार्थियों के मनोविज्ञान को समझकर कक्षा शिक्षण में अपनी योग्यता का विकास कर सकें। इससे विषयवस्तु के ज्ञान के हस्तान्तरण की विधियों में काफी बदलाव आया। नई विधि में मुख्य ज्ञान (Basic Knowledge) वर्क बुक (Work Book)के रूप में व्यवस्थित कर उसके बाद कक्षा में विचार विमर्श(Classroom discussion) का प्रावधान रखा गया। इसी क्रम में एक विषय में छह इकाइयों की अभ्यासात्मक उपयोगिता (Practical application) पता लगाने हेतु विश्लेषण किया गया। इसमें हर इकाई का गठन इस प्रकार किया गया कि उसमें ऐसा अभ्यास कार्य अवश्य हो जिसको कि छोटे-छोटे समूहों में विचार-विमशिंत किया जा सके। छात्राध्यापकों को स्वयं ऐसे तथ्यों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया जिनको मनोविज्ञान की प्रयोगशाला में परीक्षित किया जा सके। पुस्तकालय कार्य के समय शिक्षार्थी तथा विद्यार्थियों के व्यवहार के अच्छे-बुरे पक्षों के अवलोकन हेतु विशिष्ट सहायता प्रदान की गई। संक्षेप में कहें तो इस नए उपागम विषय को अधिक अभ्यास आधारित (Practical oriented) बनाया गया जिससे कि छात्राध्यापक अधिक प्रभावी ढंग से सीख सकें तथा अच्छे परिणाम दे सकें।

एक STEL(Secondary Training Education Institute) में बी.एड. में तीन वर्ग रखे गये-(1) अनुभवी प्रशिक्षार्थी (2) बिना अनुभव वाले प्रशिक्षार्थी (3) अंग्रेजी माध्यम वाले प्रशिक्षार्थी। यहाँ पर 50 प्रशिक्षार्थियों को व्यक्तिगत/ समूह शिक्षण विधियों से पढ़ाया गया। इन 50 प्रशिक्षार्थियों का चयन स्तरीकृत रैण्डम न्यादर्श से किया गया जिसमें महिला पुरूष अनुभवी तथा

गैर अनुभवी कला, विज्ञान, वाणिज्य वर्ग आदि के सभी प्रकार के शिक्षक सम्मिलित थे। तीनों ग्रुपों के छात्राध्यापकों को पाठ्यक्रम के एक निश्चित भाग को वर्ष में पूरा करने को कहा गया जबकि 50 प्रशिक्षार्थियों वाले चौथे ग्रुप को यही कार्य छह महीने में पूरा करने को कहा गया। इस चौथे ग्रुप में नई शिक्षण विधा का प्रयोग करते हुए इस प्रकार पढ़ाने का प्रयास किया गया जिसमें कक्षा के प्रारंभ में कोई समूह नेता 10-15 मिनट संबंधित प्रकरण पर अपने विचार व्यक्त करेगा, उसके पश्चात् सभी विद्याथी विचार-विमर्श करेंगे तथा अंत में कोई समूह का ही छात्र समापन भाषण देगा। शिक्षाशास्त्रियों ने प्रशिक्षणार्थियों के स्व: अध्ययन हेतु उपर्युक्त प्रकरणों का चुनाव किया तथा उनके लिए उपर्युक्त संदर्भ ग्रंथों की सूची तैयार की तथा छात्र अध्यापक के विचार-विमर्श को पर्यवेक्षित किया। इस विधा का प्रयोग इस ग्रुप के छात्राध्यापकों के लिए पांचों सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों हेतु किया गया।

परिणाम (Outcomes) - जहां तक प्रथम नवाचार के परिणाम संबंधित हैं तो इस संदर्भ में छात्राध्यापकों ने अनुभव किया कि यदि उचित नियोजन व प्रबंधन किया जाए तो पाठ्यक्रम के एक बड़े हिस्से पर प्रवीणता कम समय में आसानी से पाई जाती है। इस नवाचार में इस बावत कुछ कौशल सुझाए गये जिससे भावी पाठ्यक्रम का उचित ढंग से नियोजन किया जा सके, स्व अध्ययन वाले पाठ्यक्रम का विकास किया जा सके तथा सामूहिक अधिगम को बढ़ावा दिया जा सके। इसमें छात्राध्यापकों ने स्वतंत्र रूप से कार्य करने, स्वअध्ययन, टीमवर्क तथा पुस्तकालय का अधिक तब प्रयोग कैसे करें इस संदर्भ में नई तकनीकें सीख सकें। दूसरे नवाचार में परीक्षित समूह के परिणाम काफी उत्साहवर्द्धक रहे तथा शिक्षाशास्त्रियों व छात्राध्यापकों के मध्य व अकादमिक अंतक्रिया काफी प्रभावी रही। इस वर्ग के छात्राध्यापकों में आत्मविश्वास, नेतृत्व तथा अतिरिक्त पाठन की योग्यता का विकास हुआ। अंत में कहा जा सकता है कि इस नवाचार से छात्र अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके।

मूल्यांकन- प्रथम नवाचार जो कि पाठ्यक्रम नियोजन से संबंधित था उसका मूल्यांकन छात्राध्यापकों को नियमित शिक्षण कलांशो समूह तथा स्वअध्ययन के सत्र में उपलब्धिता के आधार पर किया गया। इसके मूल्यांकन हेतु लिखित सत्रीय कार्य, पुस्तक समीक्षा, होम रूम कान्फ्रेंस (Home Room conference) तथा पोस्ट होम रूम फैकल्टी विचार-विमर्श (Home Room faculty discussion) आदि प्रविधियों के सामूहिक प्रयोग से छात्राध्यापकों का समग्र स्वरूप (Total Profile)उभर कर आता है।

दूसरा नवाचार जो कि शिक्षण विधियो के प्रयोग से संबंधित था उसके मूल्याकन हेतु इकाई योजना, पृष्ठपोषण सत्र (Feedback session)के अलावा पर्यवेक्षक, विचार-विमर्श, ओपीनियर दूसरों के विचारों को सम्मान निष्पत्ति परीक्षणों का भी प्रयोग किया गया।

20.5.3 शिक्षाशास्त्रियों के व्यक्तिगत स्तर पर माध्यमिक शिक्षक शिक्षा हेतु नवाचारित अभ्यास (Innovative Practices in Secondary Teacher Education(STE)conduct by Individual Educator)

इस वर्ग में उन नवाचारों पर ध्यान दिया गया है जिनका चयन एन.सी.ई.आर.टी.के सेमिनार रीडिंग प्रोग्राम के तहत किया गया था। इनमें से दो पेपर ऐसे थे जिनमें से एक कार्टूनों

के प्रयोग के माध्यम से इतिहास शिक्षण में कौशलों के विकास (Skill of Extrapolation) से संबंधित था तथा दूसरा एक मॉडल ऐसा था जो कि शिक्षक के व्यवहार की भविष्यवाणी (MPC TB-Model For Predicting consequences of teachers behavior) से संबंधित था। इन्हीं का संक्षेप में यही वर्णन किया जा रहा है।

उद्देश्य- इतिहास शिक्षण में कार्टूनों के प्रयोग के माध्यम से एक्स्ट्रापोलेशन के कौशलों के विकास की प्रायोजना एक शिक्षाशास्त्री द्वारा निम्न उद्देश्य को ध्यान में रखकर ली गई।

(1) इतिहास शिक्षण में Extrapolation के कौशल का विकास कार्टूनों के माध्यम से करने हेतु कुछ आधुनिक विधियों का विकास करना।

(2) आधुनिक विधियों की सहायता से इतिहास शिक्षण में कार्टूनों के प्रयोग की योग्यता (efficacy) का अध्ययन करना।

MPCTB मॉडल प्रायोजना के निम्न उद्देश्य थे-

(1) सेवारत शिक्षकों पर MPCTB मॉडल का प्रभाव निम्न संदर्भ में देखना।

(A) व्यवहार विश्लेषण का कौशल

(B) मौखिक सर्जनात्मकता

(2) सेवारत शिक्षकों की इस मॉडल के प्रति राय का पता लगाना।

क्रियान्वयन (Implementation)- कार्टूनों के प्रयोग वाली प्रायोजना में पहले शिक्षण हेतु इतिहास के कुछ प्रकरणों जैसे फ्रांस की क्रांति,अमेरिकन क्रांति, सुधारवादी आंदोलन, अकबर आदि का चयन किया गया। तदुपरांत परीक्षण करने हेतु कक्षा IX स्तर के विद्यार्थियों को उनकी पूर्व की उपलब्धि के आधार पर समान समूह बनाए गये। इसमें से नियंत्रित समूह को भाषण विधि से पढ़ाया गया। इस भाषण विधि में तैयारी प्रस्तुतीकरण तथा मूल्यांकन को यथोचित स्थान दिया गया। फिर इन्ही प्रकरणों को पढ़ाने हेतु इस नवाचारित उपागम का प्रयोग कार्टूनों के साथ किया गया। कक्षा में कार्टूनों का प्रयोग पाठ के विकास (Development stage of lesson)के समय आवश्यकतानुसार किया गया। छात्रों से इन कार्टूनों को शब्द(words) प्रदान करने हेतु एक प्रश्नों की श्रृंखला दी गई तथा उनसे कहा गया कि वह यह भी पता लगाए कि इन कार्टूनों की पृष्ठभूमि क्या है तथा वह विभिन्न घटनाओं से किस प्रकार संबंधित हैं। छात्रों से इन कार्टूनों की मूल्यांकन व समालोचना की भी अपेक्षा की गई है।

दूसरी प्रयोजना

MPCTB मॉडल हेतु प्री टेस्ट, पोस्ट सिंगल ग्रुप डिजाइन का प्रयोग किया गया। व्यवहार विश्लेषण का एक परीक्षण तथा टोरेंस का सर्जनात्मकता परीक्षण का प्रयोग भी इस परियोजना में न्यादर्श के रूप में चयनित10 माध्यमिक विद्यालयी शिक्षकों पर किया गया जो कि उस समय एम.एड. कर रहे थे। इस मॉडल की संरचना में चार चरण प्रमुख हैं:-

(1) समस्यात्मक स्थिति का प्रस्तुतीकरण

(2) स्थिति का व्यक्तिगत विश्लेषण (Individual Analysis)

(3) स्थिति का समूह विश्लेषण (Group Analysis)

(4) प्रक्रिया का विश्लेषण व प्रयोग(Application and Analysis of the process)

इस नवाचार में MPCTB को स्वतंत्र चर तथा व्यवहार विश्लेषण कौशल, मौखिक सर्जनात्मकता, प्रभावशीलता हेतु राय आदि को निर्भर चर के रूप में प्रयोग किया गया। उस मॉडल का प्रयोग करते हुए 2 महीने की अवधि में 6 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये गये।

परिणाम (Outcomes) प्रथम नवाचार में प्रयोग के बाद यह पाया गया कि इतिहास शिक्षण में कार्टूनों का प्रयोग कर विद्यार्थियों में एक्स्ट्रापोलेशन कौशल (Extrapolation Skill) का विकास किया जा सकता है तथा इसके प्रयोग द्वारा कुछ अन्य बौद्धिक कौशलों जैसे अनुवाद, व्याख्या, विश्लेषण, कल्पना, समालोचनात्मक निर्णय आदि को भी विकसित किया जा सकता है। MPCTB मॉडल के परिणाम दर्शाते हैं कि इसका प्रयोग व्यवहार विश्लेषण के कौशल का विकास करने में काफी उपयोगी रहा। परंतु सेवारत शिक्षकों की मौखिक सर्जनात्मकता (Verbal creativity) को बढ़ाने में यह अधिक सहायक नही सिद्ध हुआ। परंतु समग्र रूप से सेवारत शिक्षकों की इस मॉडल के प्रति सकारात्मक राय रही। इस नवाचार के प्रयोग में यह पाया गया कि समूह में हर सत्र में छात्रों के गलत व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए एक तकनीक का प्रयोग किया।यह तकनीकें मुख्यत: पुनर्बलन पर आधारित थी। इस नवाचार के प्रयोग के समय शिक्षकों ने प्रयोग की गई तकनीकों के गुणो-अवगुणों पर ध्यान देकर इनकी सूची भी तैयार की।

मूल्यांकन- इतिहास शिक्षण में उपलब्धिता मापने के लिए शिक्षक द्वारा स्वयं तैयार किये गये परीक्षण का प्रयोग किया गया। MPCTB मॉडल का मूल्यांकन करने हेतु ऑकड़े टॉरेन्स के सर्जनात्मक विचार परीक्षण व व्यवहार विश्लेषण के परीक्षण द्वारा एकत्रित किये गये। पोस्ट टेस्ट के समय उपर्युक्त परीक्षणों के साथ रेटिंग स्केल तथा रैंकिंग स्केल का भी प्रयोग किया गया।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

(1) 'शिक्षण मॉडल' प्रायोजन के निहितार्थ को बताइए।

(2) माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम नियोजन से संबंधित नवाचार के परिणामों का उल्लेख करें।

(3) कार्टूनों का प्रयोग शिक्षण के कौशलों के विकास में किस प्रकार सहायक हो।

(4) राष्ट्रीय स्तर, संस्थानिक स्तर तथा व्यक्तिगत स्तर के नवाचारों में आप किस प्रकार अंतर करेंगे

उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की अध्यापक शिक्षा में नवाचारित अभ्यास के लिए सुझाव-

जो अध्यापक उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर कार्यरत हैं उनके प्रशिक्षण हेतु कुछ नवाचारित कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए जिससे कि वांछनीय सुधार हो सकें -

- विज्ञान शिक्षा पर बल देने के लिए पहले अध्यापकों को उसी प्रकार प्रशिक्षित किया जाए।
- वांछित मूल्यों एवं दृष्टिकोणों का निर्माण
- स्व-अध्ययन की आदत
- स्वनिर्मित शिक्षण सहायक साधनों के प्रयोग का प्रशिक्षण देना

- विद्यालय कार्यशाला का प्रयोग करना तथा कार्य अनुभव के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना
- सरल सामग्री का निर्माण तथा उसका वितरण
- कीमती सामग्री का प्रयोग आस-पास के विद्यालयों को मिलकर करना चाहिए
- बहु कक्षीय शिक्षण
- निर्देशन एवं परामर्श सेवाएँ प्रदान करना

माध्यमिक अध्यापक शिक्षा में नवाचार

अ) माध्यमिक अध्यापक शिक्षा संस्थाओं की पुनर्रचना व पुनर्संगठन

ब) पाठ्यक्रम - पुनर्संगठन एवं हस्तांतरण

माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा में सुधार के लिए पाठ्यक्रम में सुधार लाने के लिए निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देना होगा।

पाठ्यक्रम में खोज

खोज के आधार पर पाठ्यक्रम को विभाजित किया जाना चाहिए। पाठ्यपुस्तकों तथा पाठ्यक्रम सामग्री के लिए अनुसंधान कार्य की आवश्यकता है।

अध्यापकों के लिए सेवा-कालीन शिक्षा -

सेवाकालीन प्रशिक्षण द्वारा विद्यार्थियों को नवनिर्मित पाठ्यक्रम से परिचित कराना।

प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम अपनाने के लिए विद्यालयों को स्वतंत्रता

विद्यालयों को स्वतंत्रता दी जाए कि वे अपने प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम अपनाएं।

उपलब्धि स्तर को निश्चित करना -

प्रत्येक स्तर पर उपलब्धि का स्तर निश्चित किया जाना चाहिए

- हाथ के काम पर बल
- गणित पर बल
- सामाजिक अध्ययन का प्रभावशाली कार्यक्रम
- **भाषाओं के शिक्षण के लिए विशिष्ट योजना**

शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम के चयन की प्रक्रिया पिछली इकाई में बताया गया है कि नवाचार शब्द की व्याख्या अलग-अलग विद्वानों ने अपने-अपने ढंग से की है। नवाचारों के संदर्भ में समय व स्थान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। क्योंकि कोई अभ्यास या क्रिया किसी स्थान एक समय नवाचार हो सकती है जबकि अन्य स्थान पर थोड़े समय के अंतर के पश्चात् यही क्रिया नवाचार नहीं हो सकती है। इसलिए नवाचारों के बारे में यूनेस्को व 990 की यह धारणा काफी ठीक प्रतीत होती है कि उन्हें शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में कोई घटित होने वाली घटनाओं के रूप में देखा जा सकता है। इसी परिभाषा में आगे कहा गया कि नवाचार एक तरह से एक नया विचार है जो शिक्षा के क्षेत्र में असंतुष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अग्रसर होता है तथा इस उन्नत विचार या विधि के प्रयोग से शिक्षा में पहले से चले आ रहे प्रारूप या उसमें संग्लन समूह / समूहों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होता है।

शिक्षक शिक्षा के विभिन्न अवयवों के संदर्भ मे विभिन्न देशों में काफी परिवर्तन हुए हैं।

इस इकाई में इन सभी का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। अत: यही पर शिक्षक शिक्षा में चयन प्रक्रिया, सेवारत व सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा, शिक्षण प्रविधियाँ, स्टाफ डेवलपमेन्ट आदि से संबंधित कुछ नवाचारों का जापान, चीन, कोरिया, मालद्वीप, आस्ट्रेलिया, इंग्लैण्ड, यू.एस.ए., रूस, मलेशिया आदि के संदर्भ में किया जा रहा है।

शिक्षक शिक्षा मुख्यत: विद्यालयी शिक्षा से संबंधित है। यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आज यह बहुत आवश्यक है कि ऐसे प्रयास किए जाए जिससे शिक्षक पर दूसरों के निर्णय थोपे न जाए बल्कि वह अपने निर्णय स्वयं ले सके, नई शिक्षण विधियों का उचित उपयोग कर सके तथा शिक्षकों के चयन, नियुक्ति, कार्य की दशाओं आदि के निर्धारण के संदर्भ में उचित भूमिका निभा सकें। इस पाठ्यक्रम की लोकप्रियता को देखते हुए प्राय: यह देखने में आता है कि इसमें प्रवेश हेतु काफी भीड़ होती है। अत: इनमें से उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन में उन्हीं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिनमें शिक्षण व्यवसाय हेतु उपयुक्त गुण हैं तथा संभावित गुणों की उनमें विकास की संभावना हो।

द.कोरिया में शिक्षकों के चयन में व्यावसायिक तथा सामाजिक मूल्यों(Professional and Social ethics) को अत्यधिक महत्व देते हैं। यही पर अकादमिक निष्पत्ति आधारित चयन के बजाय 1980 से मनोविज्ञान कारकों पर आधारित चयन प्रक्रिया को अपनाया गया है। भावी शिक्षकों को शिक्षण व्यवसाय के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति व कर्मठता को पता लगाने हेतु उन्हें अपने कस्बे के विद्यालय के हेडमास्टर से शिक्षा के राष्ट्रीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु एक प्रमात्रपत्र लगाना होता है। इसके अलावा उनका व्यक्तिगत परीक्षण, अकादमिक उपलब्धि साक्षात्कार तथा शारीरिक परीक्षण भी लिया जाता है।

मलेशिया में TED of MOE भावी शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए व्यवस्था करनी है। यहॉ पर चयन हेतु साक्षात्कार के अलावा अकादमिक अभिक्षमता परीक्षण (General Education) भी लिया जात है। अल्प संख्यकों के वर्ग के लिए चयन प्रक्रिया में कुछ छूट दी जाती है।

मालद्वीप में भावी शिक्षकों के चयन हेतु PTTC की परीक्षा होती है। तथा इसमें वही लोग बैठ सकते हैं जिन्होंने सामान्य शिक्षा(General Education) के सात ग्रेड पूरे कर लिए हैं तथा जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच है। जिन अभ्यर्थियों ने जूनियर स्कूल सर्टिफिकेट(JSC) की राष्ट्रीय परीक्षा पहले उत्तीर्ण कर रखी है- उन लोगों को इस PTTC परीक्षा में अधिक सफल होने की संभावना रहती है। चयन परीक्षा में गणित पर्यावरण अध्ययन तथा धिवेही(मातृ भाषा) से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तथा इसके अलावा साक्षात्कार व अमौखिक(Non verbal) परीक्षाएँ भी ली जाती है।

चीन में भावी शिक्षकों का चयन राष्ट्रीयकृत एकीकृत योजना (Nationalized unified plan) के द्वारा किया जाता है। देश के अच्छे विश्वविद्यालय(Key universities)को चयन का मौका पहले दिया जाता है जिससे कि वह अच्छे विद्यार्थियों का चयन कर सकें। इनकी प्रवेश परीक्षा में परीक्षा ग्रेड, स्वास्थ्य, साक्षात्कार, शिक्षण अनुभव, राजनीतिक विचारधारा तथा किस अवस्था में शिक्षण व्यवसाय अपनाने का निर्णय लिया आदि को विशेष महत्व दिया जाता

है तथा भावी शिक्षकों में से जरूरत मंदों व प्रतिभाशाली छात्रों को वजीफे भी दिए जाते हैं। सामान्य विश्वविद्यालयों व कुछ शिक्षक महाविद्यालयों में संस्तुति आधारित (Recommendations based) प्रवेश परीक्षा को भी अपनाया जाता है। यहाँ पर लोक ब्यूरों (Local bureau) भी प्रशिक्षणार्थियों का चयन करते हैं, जो प्रशिक्षण के पश्चात् कुछ समय उस क्षेत्र में अवश्य पढ़ाते हैं, जहाँ से उनका चयन हुआ हैं।

20.5 सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा

शिक्षक शिक्षा को तत्कालीन वैज्ञानिक तकनीकी व सामाजिक परिवर्तनों के प्रति काफी जागरूक रहना होता है क्योंकि विद्यालयी छात्रों को इन परिवर्तनों के प्रति सजग बनाने का इसका दायित्व होता है। इसलिए विभिन्न देशों की सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम विषय वस्तु शिक्षण प्रविधियों आदि को अधिक अर्थपूण बनाने हेतु आमूल चूल परिवर्तन किए गये हैं।

आस्ट्रेलिया में शिक्षा

9 जनवरी 2006 की रिपोर्ट के अनुसार आस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहाँ 2006-2007 में सकल घरेलू उत्पाद में 3 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आस्ट्रेलिया ने महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के व्यय से वहां की अर्थव्यवस्था को 44 लाख
रूपये का लाभ हुआ है।

आस्ट्रेलिया में जहां 1950 में 30,000 विद्यार्थी उच्च शिक्षा में नामांकित थे, आज उनकी संख्या 9,30,000 तक पहुंच गई है।

सितम्बर 7,2005 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सीमा रहित शिक्षा अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की अनुमानित संख्या 2008 तक 18 लाख व 2025 तक 80 लाख हो जाएगी। आस्ट्रेलिया में सेवापूर्व शिक्षा का दायित्व विभिन्न संगठनों जैसे तृतीयक शिक्षा आयोग (Tertiary Education Commission) राज्य प्रशासकीय संगठनों जैसे वेस्ट आस्ट्रेलिया पोस्ट सैकेण्ड्री एजूकेशन कमीशन(Wapsec) तथा कुछ महाविद्यालयों पर है।

यहां पर पिछले कुछ समय से तीन वर्षीय या चार वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम की परास्नातक डिग्री के साथ मांग चल रही है ताकि अधिक शिक्षित व व्यवसायिक शिक्षक उत्पन्न हो सके। सन् 1985 में आस्ट्रेलिया की सरकार विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता का अध्ययन करने हेतु Quality of Education Review committee का गठन किया। इस कमेटी ने लड़कियों में सामान्य शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाने पाठ्यक्रम का पुनर्निधारण करने आदि पर विशेष जोर दिया।

द. कोरिया में 1981 से शिक्षक महाविद्यालयों की अवधि दो वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष कर दी गई। इसके अलावा कक्षा कार्य पर्यवेक्षण,शिक्षण अभ्यास कार्य, इन सर्विस प्रेक्टिस आदि पर विशेष जोर दिया गया। वैयक्तिक मुख्य क्षेत्रों (Individual major field) पर 2। क्रेडिट के एक गहन पाठ्यक्रम में भी छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

कोरिया के शिक्षण शिक्षा पाठ्यक्रम में व्यावसायिक व सामाजिक मूल्यों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है तथा पाठ्यक्रम सुधार यथासमय नियमित रूप से किया जाता है। कोरियन

शैक्षिक विकास संस्थान (KEDI 1983) ने शिक्षक कार्यक्रम (Teacher Education certification System) के लिए निम्न सुझाव दिए-

1. सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक दोनों पक्षों में शिक्षक की गुणवत्ता को बढ़ाने में सुधार की आवश्यकता है। शैक्षिक कार्यक्रमों के संगठन व प्रक्रिया दोनों को इतना तार्किक व सघन (Reasonable and Intensive) बनाना चाहिए जिससे शिक्षकों में व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने में उपर्युक्त सहायता मिल सके।
2. शिक्षक शिक्षा की सम्पूर्ण प्रक्रिया (प्रवेश से मूल्यांकन तक) में सुधार की आवश्यकता है। भावी शिक्षकों की गुणवत्ता का उनकी व्यावहारिक दक्षता और अपेक्षित व्यक्तित्व के संदर्भ में नियमित मूल्यांकन होना चाहिए।
3. विद्यालय स्तर के शिक्षक सर्टीफिकेट कोर्स के वर्तमान वर्गीकरण को बालक के विकास व शैक्षिक विकास को ध्यान में रखते हुए बदल कर तीन वर्गो में कर देना चाहिए।

विद्यालय स्तर पर शिक्षक सर्टीफिकेशन सिस्टम में जहां तक सुधार का सवाल है तो शिक्षण विषयों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। निचले स्तर पर कोई विशिष्ट शिक्षण विषय नहीं होना चाहिए क्योंकि शिक्षक को कक्षा में सभी विषय पढ़ाने होते है। मिडिल, स्तर पर दो या तीन शिक्षण विषय लिए जाने चाहिए जिसमें एक मुख्य तथा अन्य गौण हों।

कोरिया में भावी शिक्षकों हेतु इन्टर्नशिप(Internship system) व्यवस्था पर विशेष जोर दिया जा रहा है ताकि वे इस व्यवसाय की जरूरतों विद्यालयी वातावरण व उसमें अपनी भूमिका आदि को अच्छी तरह से समझ सके।

चीन में शिक्षा

शिक्षा अब ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसमें बुद्धि स्थानांतरित की जाए व ज्ञान प्रदान किया जाए, न ही यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक व विद्यार्थी एक-दूसरे से सीखते हैं, नए ज्ञान का संसार ढूंढते हैं, अपितु ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यवसाय की आदर्श, नीति व भावनाएँ और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। चीन में माँग के अनुरूप अध्यापक नहीं हैं। निम्न तालिका के अनुसार

	1990	2003
प्राथमिक विद्यालय	74.00 प्रतिशत	97.85 प्रतिशत
माध्यमिक विद्यालय	46.51 प्रतिशत	91.98 प्रतिशत
वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	45.52 प्रतिशत	75.71 प्रतिशत

2002 की रिपोर्ट के अनुसार अध्यापक शिक्षा के बुनियादी पाठ्यक्रम बदल रहे हैं। अब वहाँ शिक्षा के पुराने पाठ्यक्रम जैसे पैडागॉजी, मनोविज्ञान और अनुशासन के अध्यापन सिद्धान्त सामान्य महाविद्यालय व विश्वविद्यालयों में मुख्य पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाए जा रहे हैं। कहा जा सकता है कि विषय सामग्री पुरानी है, जो नए समय के अनुरूप नहीं है, जिससे ज्ञान और योग्यता प्रदान करना मुश्किल है।

बहुत समय से अध्यापन व्यवसाय में व्यावसायिकता की कमी रही है। नियुक्ति के लिए केवल ज्ञान और पैडागोनी का होना आवश्यक समझा जाता है।

इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि शिक्षक में व्यावसायिकता को कैसे सुधारा जाए। माध्यमिक विद्यालय अध्यापक कम होते नजर आते हैं। शिक्षा महाविद्यालयों का महत्व घटता जा रहा है।

चीन में पिछले कुछ समय में शिक्षक शिक्षा में काफी परिवर्तन हुए है। विज्ञान और तकनीकी के विकास को देखते हुए शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में यहां कुछ नये विशिष्ट जैसे कम्पयूटर विज्ञान, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोकेमेस्ट्री, पुस्तकालय विज्ञान तथा शैक्षिक मीडिया आदि को जोड़ा गया है। शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम(Programme) में 1963 में जहाँ 17 विषय क्षेत्र थे वहीं 1980 में इनकी संख्या बढ़कर 67 हो गई। क्योंकि चीन की लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है अत: इसके पाठ्यक्रम में ग्रामीण आवश्यकताओं को विशेष महत्व दिया जाता है।

चीन सरकार का मानना है कि शिक्षण में सुधार शिक्षक शिक्षा के अच्छे कार्यक्रमों द्वारा ही संभव है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के पास उत्तरदायित्वों का स्पष्ट बँटवारा होना आवश्यक है। जैसे यहाँ पर सैकेण्ड्री नार्मल स्कूलों के पास किण्डरगार्टन तथा प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का उत्तरदायित्व है, जबकि जूनियर मीडिल तथा सीनियर विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का उत्तरदायित्व व्यावसायिक शिक्षा महाविद्यालयों का है। अच्छे व सुसंस्कृत शिक्षकों को तैयार करने हेतु यहाँ पर पाठ्यक्रम आधारित ज्ञान, व्यावसायिक अभिनवन तथा राजनैतिक विचारधारा का शान आवश्यक रूप से दिया जाता है। शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सुधार हेतु यह भी प्रस्तावित है कि यह परिवर्तन एक ओर तो विद्यालय की आवश्यकता पूरा करने में सक्षम हो तो दूसरी ओर शैक्षिक सिद्धांतों तथा अभ्यासों को समन्वय कर उसे और अधिक यथार्थ पूर्ण व अर्थ पूर्ण बना सके। अत: शिक्षा का समाजशास्त्र, शिक्षा का अर्थशास्त्र, शिक्षा सांख्यिकी तथा शैक्षिक तकनीकी के अध्ययन को यहाँ पर आवश्यक समझा गया है। सामान्य विश्वविद्यालय(Normal University) तथा शिक्षा महाविद्यालय सुधार हेतु शैक्षिक शोध पर काफी जोर देते हैं, तथा यह शोध हेतु विद्यालयों के साथ मिलकर कार्य करते है। ह्यूरिस्टिक विधि,विचार विमर्श, स्व अध्ययन, डिस्कवरी विधि तथा कम्प्यूटर सहायित अनुदेशन विधियों से संबंधित यहां काफी परीक्षण किए गये हैं। व्यावसायिक तकनीकी व विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु विशिष्ट शिक्षक तैयार करने के लिए शिक्षक शिक्षा के मल्टी चैनल तथा मल्टीस्टेज (Multi channeled and multi staged) व्यवस्था का भी यहां पर आरंभ किया गया है।

(2003-2007) में चीन आधुनिक अध्यापक शिक्षा की राष्ट्रव्यापी मुक्त एवं प्रभावपूर्ण प्रणाली स्थापित करने का भरसक प्रयास कर रहा है।

इस संदर्भ में, ऐसी प्रणाली नई शताब्दी की माँगों को पूरा करने में सक्षम होगी।

मलेशिया में 1980 के बाद शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की संरचना, पाठ्यक्रम का विषयवस्तु में काफी परिवर्तन हुए हैं। दो सेमेस्टर के दो वर्षीय पाठ्यक्रम की जगह यहां पर जनवरी 1985 से तीन वर्षीय सेमेस्टर सिस्टम शुरू किया गया। प्राथमिक विद्यालयी शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम में 1983 में काफी परिवर्तन कर नया पाठ्यक्रम शुरू किया गया। कुछ परंपरागत विषय जैसे स्वास्थ्य शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, स्थानीय अध्ययन आदि विषयों के स्थान पर एक नया विषय मानव एवं पर्यावरण शुरू किया गया। शिक्षण प्रविधियों के क्षेत्र में Integration Assimilation Enrichment तथा Remediation आदि संकल्पनाओं पर जोर दिया गया। नागरिक शास्त्र के

स्थान पर सिटीजन शिप एजूकेशन नाम का नया पाठ्यक्रम शुरू किया गया। अंग्रेजी तथा गणित के पाठ्यक्रम में भी काफी परिवर्तन किए गये। शिक्षक संस्थाओं के पाठ्यक्रम में मुख्य विषयों(core subject),विद्यालयी विषयों में विशिष्टता(Specialization) पूरक पेडा गाजी(supplementary pedagogy)स्व उन्नयन कार्यक्रम(self enrichment Programme) तथा अभ्यास कार्यक्रम का समावेश किया गया तथा नियमित मूल्यांकन की व्यवस्था की गई एवं मूल्यांकन मे कोर्स वर्क, सत्रीय कार्य तथा प्रोजेक्ट कार्य को विशेष स्थान दिया गया।

मालद्वीप में शिक्षक शिक्षा का इतिहास केवल 1977 से शुरू होता है जब एक वर्षीय प्राइमरी शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम(PTTC) का प्रारंभ धिवेही(Dhivehi मातृभाषा) भाषा के माध्यम से किया गया। 1982 में यह अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दी गई। इसमें प्रथम वर्ष में शिक्षक शिक्षा के सामान्य विषय पढ़ाए जाते थे द्वितीय वर्ष के कौशलों के विकास व प्रैक्टिकल्स पर ध्यान दिया जाता है। 1980 में एक वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम अंग्रेजी माध्यम से भी शुरू किया गया। 1982 से धिवेही भाषा तथा इस्लामिक स्टडीज में विशिष्टता हेतु भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किए गये। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 1984 से कार्यशाला विधि पर यहाँ काफी जोर दिया जा रहा हैं ताकि छात्राध्यापक सहायता सामग्री आदि स्वयं तैयार कर सके। सूक्ष्म शिक्षण हेतु यहां पर क्लोज सर्किट टेलीविजन(CCTV) का भी प्रयोग किया जाता है।

यू.एस.ए. की वेस्टर्न केन्टुकी विश्वविद्यालय ने अपने अध्ययनों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि शैक्षिक शोधों के निष्कर्षों का शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था सुधारने में बहुत कम प्रयोग होता है। जबकि विद्यालयी व्यवस्था सुधारने में इनका काफी उपयोग हो सकता है। अत:इस विश्वविद्यालय में विद्यालयों से सीधे जुड़ी समस्याओं के संबंध में अध्ययन करने पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा का प्रशिक्षण शोध आधारित हो, शिक्षक व छात्र जिज्ञासा हो, विद्यालय को एक (Work place) के रूप में समझा जा सके तथा शिक्षकों को उनके शोध निष्कर्षों के संबंध मेकन्ज्यूमर प्रोटेक्शन(सुरक्षा) मिल सके (Provide consumer Protection to teacher in relation to research findings)।

कुछ शोध निष्कर्षों के वास्तविक क्रियान्वयन हेतु यही पर पहले दस शिक्षा महाविद्यालयों का चयन किया गया। इन महाविद्यालयों से कहा गया है कि वह दो माह में एक योजना बनाए कि यह निष्कर्ष उनके विद्यालय के कार्यक्रमों को लागू करने हेतु उन्हें एक वर्ष का समय दिया गया। यहां के शिक्षा शास्त्रियों(Teacher Educations) ने प्रशिक्षणार्थियों की कक्षा शिक्षण की निष्पत्ति को देखकर शोध परिणामों के आधार पर कुछ संस्तुतियों की, जिन्हें पाठ्यक्रम में समावेशित किया गया। अंत में पूरे अध्ययन के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया कि यदि शैक्षिक शोधों का शिक्षा पाठ्यक्रम में यथास्थान उचित प्रयोग कि जाए तो इस क्षेत्र में अधिक सफलता मिल सकती है। इस प्रोजेक्ट से मुख्यत: तीन लाभ मिले। (1) संबंधित शोध साहित्य का बड़ी सावधानीपूर्वक अध्ययन किया गया (2)यह देखा गया कि वास्तविक स्थिति में इसके परिणामों का कितनी सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है (3) शिक्षक शिक्षा के तंत्र में परिवर्तन हेतु भावी सपोर्ट सेवाओं (support services) की संभावना को आका गया। इससे शोध निष्कर्षों की शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रमों के उन्नयन में सकारात्मक भूमिका की धारणा की और पुष्टि हो सकी।

टेक्सास जामिया फ्लोरिडा(U.S.A.) में एक भावी शिक्षक को अपने स्थानीय जिले में एडवांस एकाडेमिक ट्रेनिंग भी लेनी होगी। यहाँ पर कैरियर लेडर प्लान (Career Ladder Plan-CLP) हाउस बिल न. 72 के द्वारा लागू किया गया जो न केवल वेतन श्रृंखला से जुड़ा है बल्कि यह एक नई सर्टीफिकेशन सिस्टम से भी संबंधित है। इसके लिए एडवांस एकाडेमिक ट्रेनिंग या 135 घंटे का सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण लेना आवश्यक होता है। टेक्सस तथा जार्जिया में भावी शिक्षकों के स्व-मूल्यांकन(सेल्फ-एप्रेजल) पर भी काफी ध्यान दिया जाता है ताकि जब शिक्षक व्यवसाय से जुड़े तो वह अपने स्तर के बारे में उसे ज्ञान रहे।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1. "नवाचार ' से आपका क्या तात्पर्य है?
2. शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रवेश देते समय विद्यार्थियों की किन योग्यताओं की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए?
3. अधिकांश देशों में शिक्षक प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष से अधिक है क्या अपने यही भी यह अवधि बढ़ाई जानी चाहिए।
4. मलेशिया में भावी शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन करो।
5. आस्ट्रेलिया में सेवा पूर्व प्रशिक्षण का दायित्व किन संस्थाओं पर हैं?

2. निम्न प्रश्न का उत्तर विस्तार से दें

1. चीन में शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में हुए परिवर्तनों का वर्णन कीजिए।

शिक्षण प्रविधियॉ (Teaching methodology)

समय के साथ विभिन्न देशों की शिक्षण प्रविधियॉ में काफी परिवर्तन होते रहे हैं। 1.विषय की तैयारी 2. शिक्षार्थी को इसका अंतरण 3. यह निश्चित करना कि शिक्षार्थी ने इसे सीखा है (मूल्यांकन)। शिक्षण प्रविधियों के चयन में समय के साथ इन स्तरों में होते परिवर्तनों का बड़ा प्रभाव रहता है। जापान के विद्यालय में नैतिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है तथा इसके लिए नाटकीकरण (Dramatization), विधि,श्रव्य-दृश्य सामग्री,अभ्यास कार्य, सामाजिक सेवा, शिक्षक के विचार, अधिगम क्रियाएं, सामुदायिक रहन-सहन (Community living) सहायक अध्ययन सामग्री आदि का विद्यालय तथा परिवार-समुदाय दोनों के सहयोग से प्रयोग में लिया जाता है। इसलिए सेवा पूर्व प्रशिक्षण में उपयुक्त विधियों के संबंध में भावी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकें। जापान में प्रयोग किए जाने वाले शिक्षण विधियों में लगातार विभिन्नता लाने का प्रयास किया जाता है। यहां पर व्यक्तिगत अनुदेशन स्व(वालिएण्ट्री) अधिगम विधि(Voluntary Learning method) तथा समस्या समाधान आदि विधियां भी काफी प्रचलित हैं।

कोरिया में 1981 से प्रशिक्षण अवधि 2 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी गई तब से वहां के पाठ्यक्रम शैक्षिक अभ्यास (Educational Practice) तथा गहन कोर्स (Extensive course) के संदर्भ में काफी परिर्वतन आया है तथा शैक्षिक अभ्यास व गहन कोर्स को काफी

मजबूत (Strengthen) करने का प्रयास किया गया है। शैक्षिक अभ्यास हेतु कक्षा का सहभागी पर्यवेक्षण, अभ्यास कार्य तथा तीसरे व चौथे ग्रेड पर 8 सप्ताह का सेवारत अभ्यास आदि की व्यवस्था की गई है जबकि गहन कोर्स हेतु प्रत्येक मुख्य क्षेत्र में 21 ग्रेड का एक कोर्स प्रथम ग्रेड के बाद शिक्षार्थियों को पूरा करने के लिए दिया जाता है तथा शिक्षा से जुड़े महाविद्यालय ग्रेड के बाद शिक्षार्थियों को पूरा करने के लिए दिया जाता है तथा से जुड़े महाविद्यालय शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में उन्नति करने के लिए सदैव अध्ययन व शोध कार्य में लगे रहते हैं।

चीन में भाषण विधि को काफी -सारगर्भिता(Concise) बनाया गया है यहां पर विचार विमर्श स्व अध्ययन को अधिक महत्व दिया जाता है। अमेरिका में टीचिंग माडल एप्रोच जो कि टीचिंग मेथड एप्रोच तथा टीचिंग विहैवर एप्रोच के बीच का उपागम(Intermediate approach) है पर हाल के वर्षो में ज्यादा जोर दिया है। इसके उपागम के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले माडल में अनुदेशन प्रक्रिया का विभिन्न उपागमों का समावेश होता है तथा इससे शिक्षार्थी के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने हेतु प्रभावी वातावरण का निर्माण होता है। यह माडल शिक्षण को वैज्ञानिक, नियंत्रित व उद्देश्योन्मुख क्रिया बनाते हैं जो कि आधिगम को छात्रों की अधिगम शैली तथा शिक्षण के उद्देश्यों के अनुरूप बनाते हैं तथा इसमें उच्च स्तर के विश्लेषण व संश्लेषण के तत्व समाहित होते है। बूस जोयस तथा मार्शल वेल (1980) ने इस माडलों को चार वर्गो में रखा है-

1. सूचना प्रसाधन मॉडल (Information processing model)
2. सामाजिक अंतक्रिया माडल(Social interaction modal)
3. वैयक्तिक मॉडल (Personal models)
4. व्यवहार परिवर्तन मॉडल

सूचना प्रसाधन माडल पुनरोत्पादित विचारों(productive thinking) सामान्य मानसिक योग्यता, आगमन मानसिक प्रक्रियाओं तथा सिद्धांतों के निर्माण हेतु शैक्षिक तर्क(Academic reasoning) को बढ़ाते हैं। इसमें एडवांस आर्गेनाइजर मॉडल(आसुवेल) कन्सेप्ट अटेन-मेण्ट माडल(Concept attainment model (brurer)प्रमुख हैं। सामाजिक अंतक्रिया के माडल व्यक्ति-समाज लोक तंत्रीय प्रक्रियाएं व नागरिक से संबंधित मूल्यों को पढ़ाने में प्रयोग होते हैं। इनमें हर्बट ऐलन तथा डीवी का समूह अंतक्रिया माडल, शैफेल का रोल प्लेइंग माडल तथा ओलिवर का ज्यूरिस प्रूडेन्स माडलाT(Jurisprudence Model) प्रमुख हैं। वैयक्तिक माडल-स्वयं को समझने में (Self actualization) प्रयोग में किए जाते हैं- इनमें रोजर्स का निर्देशात्मक माडल, गार्डेन का सिन्थेटिक(Synthetic)माडल प्रमुख हैं। व्यवहार परिवर्तन माडल-व्यक्ति के बाह्य व्यवहार में परिवर्तन से संबंधित है। इस वर्ग में स्किनर का मैनेजिंग बिहेवर माडल रिन तथा वाक का रिलेक्सेसन(Relaxation) व चिंता में कमी का माडल(Anxiety reduction model) आदि आते है।

सेवा पूर्व तथा सेवारत प्रशिक्षण के सभी स्तरों पर कम्प्यूटर(हार्डवेयर) तथा संबंधित सॉफ्टवेयर के प्रयोग से नई चुनौतियाँ व संभावनाएं प्रकट हुई हैं। डोर्थी तथा लुइस (1983) ने

द.पू अमेरिका में शिक्षा में माइक्रो कम्प्यूटर के प्रयोग पर एक राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन किया। जे.ए. कुले तथा फ्रांसिस के. ने शिक्षकों की शिक्षा में कम्प्यूटर के वृहत प्रयोग की अपने अध्ययन में वकालत की है। आज न केवल यू.एस.ए. में अपितु सम्पूर्ण संसार में वैयक्तिक अनुदेशन (कम्प्यूटर/प्रिंट आधारित) क्लोज सर्किट टी.वी. (cctv) अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री, सिमुलेशन, आदि के विधियों का प्रयोग बड़ी व्यापकता के साथ हो रहा है।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

निम्न प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दें-

1. जापान में नैतिक शिक्षा के विकास हेतु मुख्यत: किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है।
2. कोरिया में प्रशिक्षण के दौरान सम्पन्न की जाने वाली मुख्य क्रियाओ को समझाइए।
3. अमेरिका में "टीचिंग मॉडल" उपागम पर अधिक जोर क्यों दिया जा रहा है।
4. ''सूचना प्रसाधन माडल'' की उपयोगिता बताइए।

20.6 सेवारत शिक्षा व प्रशिक्षण (Inservice Education and training-INSET)

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब यह स्वीकार किया जा चुका है कि सेवा पूर्व प्रशिक्षण शिक्षकों को उनके पूरे शैक्षिक जीवन हेतु संतोष जनक ढंग से तैयार नहीं कर सकता है इसलिए नियमित अंतराल पर सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है ताकि वह अद्यतन ज्ञान, नई विधियों व प्रविधियों नये पाठ्यक्रमों, शैक्षिक तकनीकी व व्यवसाय की नई चुनौतियों व समस्याओं से परिचित हो सके।

जापान में शिक्षकों को यह कानूनी अधिकार प्राप्त है कि अपने व्यावसायिक दायित्व का सफलता पूर्वक निर्वहन करने के लिए उन्हें सेवारत रहते हुए समय समय पर उचित शिक्षा व प्रशिक्षण मिले। जापान सरकार द्वारा शैक्षिक सुधार हेतु गठित राष्ट्रीय परिषद(अगस्त 1984) ने भी सेवारत प्रशिक्षण को विद्यालयी शिक्षा के सुधारने हेतु अपरिहार्य माना है। यहां पर राष्ट्रीय स्तर, खण्डीय स्तर (Prefectural) नगरपालिका स्तर तथा विद्यालयी स्तर पर सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। नवनियुक्त शिक्षकों को प्रतिवर्ष 20 दिन के प्रशिक्षण का प्रवेश्य पाठ्य (Induction course) पूरा करना होता है ताकि उनमें उचित कौशलों का विकास हो सके तथा वह अपने व्यवसाय में सफलतापूर्वक कार्य कर सकें। जापान की शैक्षिक सुधार की राष्ट्रीय परिषद् ने अपनी संस्तुति में आगे कहा है कि शिक्षण व्यवसाय को अपनाने वाले सभी शिक्षकों को प्रारभ में विशेषज्ञों के पर्यवेक्षण में एक वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा। इसके अलावा नवनियुक्त शिक्षकों हेतु उनकी नियुक्ति के तुरंत बाद नैतिक शिक्षा, निर्देशन, शिक्षण प्रविधियों आदि के संबंध में ज्ञान देने हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जो शिक्षक उच्च शिक्षा,, शोध संस्थानों व प्राचार्यों के रूप में कार्य करना चाहते हैं- उनके लिए दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। जापान में विद्यालय आधारित सेवारत प्रशिक्षण काफी

प्रचलित है। इस प्रकार के प्रशिक्षण में विद्यालय के सभी शिक्षक एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार आपस में सहयोग कर विद्यालय समस्याओं को पहचानते है, उन्हें हल करते हैं, विद्यालय की कार्य स्थिति को सुधारते हैं तथा प्रत्येक शिक्षक के क्रिया कलापों पर समालोचनात्मक टिप्पणी कर उन्नयन हेतु योजना बनाते हैं। इसके अंतर्गत विशेष महत्व वाले क्षेत्रों पर व्याख्यान देने हेतु विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जाता है। इस प्रकार विकसित योजना को विद्यालय में लागू किया जाता है तथा सत्र के अंत में मूल्यांकन के आधार पर इसी प्रभावशीलता का पता लगाया जाता है। इस प्रकार के सेवारत प्रशिक्षण से नियमित पढ़ाई के साथ शिक्षकों में आपसी समझ, सामाजिक समरूपता(Solidarity) नेतृत्व के गुणों तथा उत्साह आदि में वृद्धि होती है।

वरिष्ठ शिक्षकों, उप प्रधानाचार्य, शैक्षिक सलाहकारों, आदि हेतु विद्यालय के बाहर 4 से 6 सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत विद्यालय प्रशासन व प्रबंधन,पाठ्यक्रम व शैक्षिक अनुदेशन, राजनीति, अर्थशास्त्र व संस्कृति हेतु शिक्षा आदि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा पाठ्यक्रम सुधार व विकास, निर्देशन व परामर्श, नैतिक व भाषा शिक्षा, स्थानीय पर्यावरण, स्थानीय समस्याएं आदि के बारे में भी प्रशिक्षण के समय काफी ध्यान दिया जाता है।

जापान में शैक्षिक शोध व प्रशिक्षण के स्थानीय स्तर की संस्थाएं (Local institute) भी सेवारत नये व पुराने शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जापान में इनकी संख्या लगभग 500 है, तथा इनका मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक योग्यताओं विषयवस्तु, मानव की अभिवृद्धि व विकास, शिक्षण प्रविधियों तथा निर्देशन के बारे में शिक्षकों को जागरूक बनाना है।

कोरिया में 1980 के पश्चात सेवारत प्रशिक्षण की मांग बड़ी तेजी से बढ़ी तथा 1981 व 1983 में सरकार द्वारा सेवारत शिक्षक शिक्षा हेतु आर्डिनेन्स लाने से इस क्षेत्र की ओर लोगों का ध्यान और आकर्षित हुआ। यहां पर शिक्षा व प्रशिक्षण के राष्ट्रीय महाविद्यालयों, शैक्षिक शोध के संस्थानों में तथा शिक्षा की प्रांतीय व नगरपालिका (Municipal) स्तर की परिषदों में सेवारत प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था की गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एज्यूकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग कोरिया में सेवारत प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण संस्थान है। सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के यहां पर लंबी अवधि, छोटी अवधि तथा सर्टीफिकेट स्तर के तीन प्रकार के पाठ्यक्रम हैं। शैक्षिक प्रशासक तथा व्यवस्थापक मुख्यत: लंबी अवधि के सेवारत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेते हैं।

प्राथमिक स्तर के सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का पहला संस्थान जो कि नेशनल टीचर्स कॉलेज से जुड़ा है वह प्रथम तथा द्वितीय ग्रेड के शिक्षकों तथा उप प्रधानाचार्य को सेवारत प्रशिक्षण देता है। सेवारत प्रशिक्षण का एक अन्य संस्थान नेशनल कॉलेज ऑफ एजूकेशन एण्ड इंजीनियरिंग से संबंधित है। सेवारत प्राचार्यों तथा वरिष्ठ शिक्षकों को प्रशिक्षण देने हेतु सियोल विश्व विद्यालय के शिक्षा विभाग से संबंधित भी एक संस्थान है। यहाँ पर इस बात का प्रयास किया जाता है कि विद्यालय शिक्षक अपनी आवश्यकताओं व समस्याओं को स्वयं परिलक्षित कर सके तथा उनके निवारण में शिक्षकों का व्यक्तिगत रूप में भी योगदान हो तथा विद्यालय समाज में परिवर्तन के अभिकरण के रूप में कार्य कर सकेंगे।

प्रांतीय तथा नगरपालिका स्तरीय शिक्षा के बोर्ड शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु शिक्षक की भूमिका को काफी महत्वपूर्ण मानते हैं तथा परिषदें विज्ञान की प्रयोगात्मक शिक्षा शारीरिक शिक्षा एवं दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों की छोटे आकार की कक्षाओं के लिए शिक्षण विधियों में उचित सुधार करने पर ध्यान देते हैं। यदि कोई शिक्षक व्यक्तिगत स्तर पर अपना व्यावसायिक उन्नयन करना चाहता है तो उसे उच्च स्तर के विद्यालयों (Advanced level school) में जाना होता है यहां के शिक्षक संघ भी शिक्षकों को सेवारत प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

मलेशिया में प्राथमिक स्तर तक के सेवापूर्ण तथा सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण दायित्व के निर्वहन शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत शिक्षक शिक्षा विभाग (Teacher Education division) द्वारा किया जाता है। यह विभाग कुछ महाविद्यालयों में पूरे सत्र का पाठ्यक्रम चलाकर प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है तथा कहीं कहीं चुने हुए संस्थाओं में केवल अवकाश के समय का ही उपयोग कर प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। प्रशिक्षित अध्यापकों के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम शिक्षाशास्त्रियों हेतु कार्य गोष्ठी व विशिष्ट पाठ्यक्रम नवीन शिक्षकों हेतु नया कोर्स आदि का आयोजन शिक्षा विभाग द्वारा स्थानीय स्तर पर किया जाता है। जिन शिक्षकों, शिक्षाशास्त्रियों तथा शैक्षिक प्रशासकों को पांच वर्ष से अधिक का सेवा का अनुभव है वहीं लोग विशिष्ट पाठ्यक्रम (Specialist course for trained teacher- SCTT) में प्रवेश के योग्य माने जाते हैं शिक्षकों तथा शिक्षाशास्त्रियों की प्रवीणता को बढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर की संस्थाओं के साथ महत्वपूर्ण विदेशी प्रशिक्षण संस्थाओं की भी सहायता ली जाती है। क्षेत्रीय भाषा केन्द्र सिंगापुर, तथा फिलीपीन के रीजनल सेन्टर फॉर साइन्स एण्ड मैथ एजूकेशन व सेन्टर फार इनोवेशन एण्ड टेक्नोलॉजी में काफी शिक्षक छात्रवृत्ति प्राप्त कर अध्ययन हेतु जाते हैं।मलेशिया के शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत पाठ्यक्रम विकास का केन्द्र सेवारत शिक्षकों मुख्य अध्यापकों तथा शिक्षाशास्त्रियों को 1983 में प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में दिए गये परिवर्तनों से परिचित करवाने व उनमें प्रवीणता हासिल करने हेतु कार्यक्रम आयोजित करती है। शिक्षक मूल्यांकन (Teacher testing) से संबंधित सेवारत प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन यहां इक्जामिनेशन सिन्डीकेट (Examinations syndicate) द्वारा किया जाता है जबकि प्रभावी शिक्षण विधियों व अनुदेशन रणनीतियों के संदर्भ में सेवारत पाठ्यक्रम फेडरल इंस्पेक्टरेट ऑफ स्कूल (Federal inspectorate of school) द्वारा आयोजित किए जाते हैं। स्व विद्यालय आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था भी यहां काफी प्रचलित है। यहाँ के शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग द्वारा अगस्त 1985 से विज्ञान व गणित के शिक्षकों के लिए अंग्रेजी भाषा के अध्ययन का महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम चलाया जाता है ताकि व अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा सके पहले इस पाठ्यक्रम की अवधि तीन माह थी पर 1986 से यह अवधि 6 माह कर दी गई।

मालद्वीप सरकार के अनुरोध पर मलेशिया के शिक्षा मंत्रालय ने 1984 में मालद्वीप के शिक्षकों के एक समूह हेतु दो वर्षीय विशिष्ट प्रशिक्षण की एक योजना बनाई ताकि वे अपने देश में लौटकर प्रधानाध्यापक, अंग्रेजी अध्यापक तथा प्रौढ़ शिक्षा हेतु समुदाय के नेता के रूप में अपनी प्रभावी सेवाऐं दे सके।इस प्रशिक्षण के तीन चरण थे- प्रथम चरण के अंतर्गत उन्हें 15 माह का प्रशिक्षण एक भाषा संस्थान में भाषायी प्रवीणता हेतु दिया गया। दूसरे चरण में उन्हें 6 माह का

प्रशिक्षण NIEM संस्था में दिया गया तथा तीसरे व अंतिम चरण में समुदाय विकास हेतु नेतृत्व के गुणों के संबंध में तीन माह का प्रशिक्षण परटेनियन वि.वि. मलेशिया में दिया गया।

विद्यालय शिक्षकों को वृहद् स्तर पर लंबी अवधि का सेवारत प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु मलेशिया का शिक्षा मंत्रालय लंबी छुट्टी के दिनों में कार्यक्रम आयोजित करता है ताकि विशेषज्ञों की सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो सके। शारीरिक शिक्षा, संगीत, कला, पुस्तकालय सेवा, विशिष्ट शिक्षा आदि में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने हेतु लघु अवधि के पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं। यहां पर सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सामुदायिक तथा राष्ट्रीय विकास के साथ जोड़कर आयोजित करने का प्रयास किया जाता है।

आस्ट्रेलिया में शिक्षकों का चयन (Introduction of teacher) व उन्हें उन्नयन की जिम्मेदारी नियोक्ता संस्था की होती है। यहाँ पर सेवारत, शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्य के शिक्षा विभाग, शिक्षा महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, शिक्षक केन्द्रों(Teacher centre) तथा शिक्षा केन्द्रों(Education centre) की होती है। यहां पर शिक्षा की व्यवस्था या तो शिक्षक के ज्ञान व कौशलों का अद्यतन बनाए रखने के लिए होती है या फिर उनकी औपचारिक शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए होती है।

कामनवेल्थ तृतीयक(Tertiary) शिक्षा आयोगType equation here.(TEC) कामनवेल्थ स्कूल कमीशन(CEC) ने (1986) में अपने संयुक्त प्रतिवेदन में सेवारत शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने की संस्तुति की थी तथा विद्यालय आधारित सेवारत प्रशिक्षण हेतु दिशानिर्देश भी विकसित किए थे और इसे व्यावसायिक उन्नति का एक शक्तिशाली स्त्रोत माना था। आस्ट्रेलिया में शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन की जिम्मेदारी सरकारी नियोक्ता अधिकारियों व शिक्षक(स्वयं) दोनों की समझी जाती है।

चीन में सेवारत शिक्षकों की शिक्षा व उन्नयन हेतु बहुस्तरीय(Multilevel) तथा बहुप्रारूपीय जाल(Multipattern network) की व्यवस्था की गई है। यहाँ संबंधित विश्वविद्यालय व पाठ्यक्रम, कक्षा शिक्षण, लघु अवधि की कक्षाएं, एक विषय की कक्षाएं रेडियो दूरदर्शन पाठ्यक्रम अवकाश के समय में अध्ययन आदि का प्रयोग करते हैं। इन कार्यक्रमों को प्रचारित करने में संचार साधनों का भरपूर प्रयोग किया जाता है। अक्टूबर 1986 से सेवारत शिक्षा हेतु सेटेलाइट से एक विशेष टी.वी. चैनल का आरंभ किया गया। विभिन्न शैक्षणिक व्यावसायिक व सरकारी सोसाइटियों को चाइनी सरकार सेवारत शिक्षा में हिस्सेदारी बढ़ाने हेतु 'अभिप्रेरित भी' करती है। कम विकसित क्षेत्रों के सेवारत लोगों के उन्नयन हेतु 1985 से यहां एक विशिष्ट टीम का गठन भी किया गया।

चीन में सेवारत शिक्षकों की शिक्षा की व्यवस्था के तीन स्तर हैं। प्रथमत: किन्डर गार्टेन नर्सरी तथा प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के उन्नयन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर "टीचर एडवांस्मेन्ट स्कूल" हैं तथा स्थानीय शिक्षकों के पर्यवेक्षण हेतु गांव स्तर पर पर्यवेक्षक केन्द्र भी हैं। द्वितीय स्तर पर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन जूनियर विद्यालयों के शिक्षकों के सेवारत प्रशिक्षण पर ध्यान देते हैं तीसरे स्तर पर शिक्षा के प्रांतीय संस्थान माध्यमिक स्तर के सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के दायित्व का निर्वहन करते हैं। यहां पर अत्यधिक कुशाग्र शिक्षकों हेतु एडवांस प्रोग्राम भी आयोजित किए जाते हैं।

मालदीव में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रारंभ 1977 से हुआ। प्राथमिक स्तर के सेवारत शिक्षकों की शिक्षा के कार्यक्रम यहां एटाल विद्यालय(ATOLL School) तथा मूल स्कूल (Male schools) में आयोजित किए जाते हैं। धिवेही (Dhivehi) तथा अंग्रेजी दोनों माध्यमों के दो या तीन वर्ष के अनुभव वाले सेवारत शिक्षकों हेतु लघु अवधि के पाठ्यक्रम, सेमिनार, कार्य गोष्ठी आदि आयोजित किए जाते हैं। 1984 से सेवारत अप्रशिक्षित अध्यापकों की भी शिक्षा की व्यवस्था एटाल विद्यालयों में की गई। इसके अलावा 1978 में हर सप्ताह किसी न किसी शैक्षिक प्रकरण पर 15 मिनट का रेडियो कार्यक्रम भी प्रसारित किया जाता है। विद्यालय आधारित सेवारत शिक्षा की व्यवस्था भी यहाँ पर एटॉल शिक्षा केन्द्रों पर 1987 से की गई। मालद्वीप में ऐसे प्रयास किए जा रहे है, जिससे सेवारत शिक्षा के कार्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नियमित रूप से नियोजित व क्रियान्वित किए जा सके तथा स्थानीय स्तर तक यह इतने विकेन्द्रित हो कि अधिक से अधिक शिक्षक व हेड मास्टर इनका लाभ उठा सके।

यू.एस.ए. में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के सेवारत शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन हेतु शिक्षा की व्यवस्था जिला विद्यालयों(School districts) तथा उच्च शिक्षा की संस्थाओं (Institute of Education) द्वारा की जाती है। यहां शिक्षकों को यह मौका दिया जाता है कि वह दूसरे विद्यालयों में जाकर उनकी प्रक्रिया का अवलोकन कर सके तथा अपनी व्यक्तिगत समस्याओं हेतु विशेषज्ञों की सलाह ले सकें। इसके लिए सेवारत शिक्षकों को आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकारों की अभिप्रेरणा से अभिप्रेरित किया जाता है, यात्रा भत्ता व अवकाश देय होता है तथा इन कोसों को पूरा करने के पश्चात उनके नौकरी के कान्ट्रेक्ट(Contract) की अवधि भी बढ़ा दी जाती है।

रूस में ऐसे सेवारत शिक्षक जिनका अनुभव 15 वर्ष से कम है वह अपने सेवा स्थान पर या पत्राचार द्वारा, अपने शैक्षिक उन्नयन हेतु प्रत्येक पांच वर्ष में कम से कम एक बार पुनश्चर्या कार्यक्रम(Refresher course) में अवश्य भाग लेते हैं, जिसके आयोजन टीचर क्वालीफिकेशन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा किए जाते हैं। यहां पर सेवारत शिक्षकों हेतु विशिष्ट पाठ्यक्रमों, पार्टटाइम कोर्स, सेमिनार, वर्कशाप आदि की भी व्यवस्था की जाती है। विद्यालय के आचार्यों हेतु सेवारत शिक्षा की व्यवस्था पेडागाजिकल इंस्टीट्यूट द्वारा की जाती है। जिन शिक्षकों का अनुभव 15 वर्ष से अधिक है वह सेमिनार व अपने क्षेत्र से संबंधित शोध क्रियाओं में अधिक भाग लेते हैं।

जहाँ पर सेवारत शिक्षकों के शैक्षिक उन्नयन की शिक्षकों के सम्पूर्ण निष्पत्ति के मूल्यांकन के समय(Process of attestations) बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षकों द्वारा अपनी शैक्षिक उन्नयन हेतु किए गये प्रयासों के लिए उन्हें सम्मानित व अलंकृत भी किया जाता है। जिन शिक्षकों का यह रिकार्ड अच्छा नहीं होता उन्हें सुधार हेतु निर्देशित किया जाता है। यदि उनका रिकार्ड काफी असंतोषजनक है तो ऐसी स्थिति में शिक्षक का स्थानान्तरण अथवा उसे सेवामुक्त भी किया जा सकता है।

रूस में विषय शिक्षकों के लिए संस्था में एक प्रविधि कक्ष (Method room) होता है, जिसमें वह नयी विधियों के बारे में आपस में विचार विमर्श कर सकते हैं, संदर्भ ग्रंथ अद्यतन सामग्री आदि का अध्ययन करते हैं तथा आधुनिक उपकरणों व श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते

हैं। इन सुसज्जित कक्षाओं का आस-पास के शिक्षक भी सेमिनार, कान्फ्रेंस, समूह वार्ता प्रदर्शनी आदि हेतु प्रयोग करते हैं। यहां के विद्यालयी शिक्षकों को शोध प्रपत्र लिखने हेतु भी अभिप्रेरित किया जाता है तथा यह प्रपत्र समय-समय पर प्रकाशित भी किए जाते है।

इंग्लैण्ड में शिक्षकों तथा उद्योगों के बीच अच्छे संबंध बनाए रखने के अवसर प्रदान किए जाते है, जिससे वह अपने छात्रों को इन कार्यो को करने हेतु तैयार कर सके तथा विद्यालयी जीवन व औद्योगिक इकाइयों में काफी घनिष्ठ संबंध हो। 'शिक्षक उद्योगों में' (Teachers into industry) नाम योजना का प्रारंभ इसीलिए यहां पर 1966 में ब्रिटिश औद्योगिक संघ (CBI) द्वारा किया गया, जिससे हजारों शिक्षकों को काफी लाभ पहुंचा। 1978 में गणित के शिक्षकों को उद्योगो के साथ लाकर कम्प्यूटर तथा सूक्ष्म कम्प्यूटर के बारे में ज्ञान दिया गया। यहां पर विज्ञान और तकनीकी का क्षेत्रीय संघ (SATRO) शिक्षकों को बारी-बारी से स्थानीय औद्योगिक कंपनियों में अवलोकन हेतु बुलाता है यहाँ पर शिक्षकों तथा उद्योगों के बीच Secondment के अनुभव को शिक्षक के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इंग्लैंड में शिक्षकों को उद्योगों के संबंध में अपनी भूमिका को परिमार्जित करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि इनके विद्यार्थी बाद में जब उद्योगों में काम करें तो उन्हें अधिक कष्ट न हो।

20.7 शिक्षक प्रशिक्षक संकाय के विकास हेतु कार्यक्रम (Staff-development)

शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की सफलता हेतु उच्च स्तर की अकादमिक तैयारी शैक्षिक प्रशासन तथा व्यावसायिक प्रवीणता आवश्यक होती है। इसलिए शिक्षक प्रशिक्षकों को भी अद्यतन बनाए रखने के लिए विभिन्न देशों में प्रयास किए जा रहे हैं।

आस्ट्रेलिया के तस्मानिया राज्य में हर स्तर के शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम विकास प्रशासनव मूल्यांकन आदि के संबंध में विशिष्ट रूप से नियोजित हर हफ्ते के कार्यक्रम का अनवरत रूप से आयोजन किया जाता है। इस प्रकार के कार्यक्रम यहां पर शिक्षकों द्वारा काफी पसंद किए जाते हैं। चीन में शिक्षक प्रशिक्षक से जुड़े लोगों में या तो प्रशिक्षक काफी प्रौढ़ हैं या काफी नये, तथा इन लोगों को व्यावसायिक उन्नयन हेतु, अकादमिक सहायता की आवश्यकता है। इसके अलावा यहां पर पूर्व विद्यालयी शिक्षा, शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक सांख्यिकी तथा शैक्षिक तकनीकी आदि के क्षेत्र में प्रशिक्षकों की काफी कमी है। अत: यहाँ के राज्य आयोग की संस्तुति पर दो वृहद् शिक्षक केन्द्र बीजिंग तथा वूहान में खोले गये।

कोरिया में शिक्षकों की व्यावसायिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शैक्षिक प्रशासकों, शिक्षा शास्त्रियों तथा सेवारत शिक्षा पर काफी ध्यान दिया गया है। यहाँ के शैक्षिक शोध व प्रशिक्षण के राष्ट्रीय संस्थान (NIERT) को यह दायित्व सौंपा गया कि वह सेवारत शैक्षिक प्रशासकों व शिक्षा शास्त्रियों के उन्नयन हेतु प्रयास करें। इस संस्थान ने इन अधिकारियों को शिक्षा के बदलते स्वस्थ शैक्षिक तकनीकी तथा उसका वर्तमान में स्तर, शैक्षिक वित्त तथा शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में अद्यतन जानकारी देते हुए कार्यक्रमों का नियोजन किया। यह संस्थान मुख्यत: आवश्यकता आधारित, लंबी अवधि के कार्यक्रमों को आयोजित करता है। इसमें यह प्रयास

किया जाता है कि सहभागियों में समस्या समाधान योग्यता का विकास ही तथा ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग हो जिससे सीखने वालों की सहभागिता अधिक से अधिक हो जैसे-वर्कशाप, सेमिनार, समूह विचार-विमर्श, स्व अध्ययन, रोल प्लेइंग आदि।

मलेशिया में प्रशिक्षण महाविद्यालयों में शिक्षकों को अपने शैक्षिक उन्नयन हेतु अग्रिम पाठ्यक्रम (परास्नातक शोध आदि) तथा लघु अवधि के पाठ्यक्रमों को स्थानीय तथा विदेशी विश्वविद्यालयों में पूरा करने हेतु सुविधाएँ दी जाती हैं। यहां के शिक्षकों ने RELC सिंगापुर, ECSAM तथा INNOTEC फिलीपीन की संस्थाओं से इस संदर्भ में काफी लाभ उठाया है। टीचर एजूकेशन डिपार्टमेन्ट (TED) तथा शैक्षिक प्रबन्धन का राष्ट्रीय संस्थान (NIEM) भी इन शिक्षा शास्त्रियों के व्यावसायिक उन्नयन हेतु पाठ्यक्रम आयोजित करता है ताकि शिक्षक परिवर्तन के अभिकरण के रूप में राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में कार्य कर सके।

मालदीव में शिक्षा शास्त्रियों को विदेशी संस्थाओं से एक या दो वर्ष तक के पाठ्यक्रम पूरा करने की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके लिए सरकार उन्हें अध्ययन अवकाश व अन्य वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराती है। मालदीव सरकार अपने देश में भी बाह्य संस्थाओं को बुलाकर अपने शिक्षा शास्त्रियों के शैक्षिक उन्नयन हेतु कार्यक्रम आयोजित करवाती है।

20.8 समाहार

इस इकाई में शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने हेतु विभिन्न देशों में किए जा रहे प्रयासों का संक्षेप में वर्णन किया गया है। आशा है कि विद्यार्थी इन प्रयासों से परिचित होकर शिक्षक शिक्षा की उपयोगिता के संदर्भ में अधिक परिपक्व दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे।

मूल्यांकन प्रश्न

1. जापान में सेवारत प्रशिक्षकों को उनके शैक्षिक उन्नयन हेतु किस प्रकार की सुविधाएँ दी जा रही है।
2. कोरिया के नगरपालिका स्तरीय शिक्षा परिषदों द्वारा सेवारत शिक्षकों को शिक्षा हेतु किए जा रहे प्रयासों की चर्चा करें।
3. मालदीव अपने देश की शिक्षक शिक्षा व्यवस्था के उन्नयन किस प्रकार के प्रयास कर रहा हैं ?
4. इंग्लैण्ड में शिक्षा को उद्योगों के साथ क्यों जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं?

20.9 सन्दर्भ ग्रंथ

1. CERI — Case Studies of Education Innovation : III. At the school level. Organisation for Economic Corporation and Development, Paris, 1973.
2. Ed. CIL — Programme for Improvement of Secondary Teacher Education Institutions: Salient Features and

Guidelines for Project Formulations : Ed. CIL., New Delhi, 1987.

3. Havelock, R.G. Solving Educational Problems, Praegar, New York, 1978 and Humberman, A.H.

4. Havelock, R.G. The Change Agents Guide to Innovations in Education, Edu. Teacher Press, New Jarsey, 1973

5. Miles, M.B. York, 1964. Innovations in Education, Teacher College Press, New

6. MHRD National Policy on Education, MHRD, New Delhi, 1986.

7. MHRD Programme of Action of NPR, MHRD, New Delhi, 1986.

8. MHRD DIETs: Guidelines, MHRD, New Delhi, 1989.

9. NCTE National Curriculum for Teacher Education : A framework, NCTE, New Delhi, 1988.

10. NCERT Elementary Teacher Education Curriculum: Guidelines and Syllabi, NCERT New Delhi, 1991

11. NCERT Secondary Teacher Education Curriculum: Guidelines and Syllabi, NCERT, New Dehli, 1991

12. Per DalinL imits of Education Change, Macmillan, London, 1978.

13. Sabharwal, N. Innovative Practices in Elementary Teacher Education in India, NCERT, New Dehli, Vol. I, 1979.

14. Sabharwal, N. Innovative Practices in Elementary Teacher Education in India, NCERT, New Dehli, Vol. III, 1993.

15. Sabharwal, N. Innovative Practices in Elementary Teacher Education in India, NCERT, New Dehli, Vol. IV, 1986.

16. Sabharwal, N. Innovative Practices in Elementary Teacher Education in India, NCERT, New Dehli, Vol. III, 1993.
17. Singh L.C. Models of Teachings Report of the Three Pase Study of CAM and ITM NCERT New Delhi, 1979.
18. Singh L.C. Experimental Innovations in Schools A Handbook NCERT New Dehli, 1991
19. Singh L.C. Teacher Education in India - A Resource book, NCERT New Delhi - 1990
20. Buch, M.B. (1990) Teacher Education in Climate of Change, In Teacher Education in India, Abid, P2.
21. Doyal, W (1990): Themes in Teacher Education Research, in Handbook of Research of Teacher Education, W.R. Houston (ed), MacMillan pub., New York, p4.
22. Gupta A.K. and Arun, Renu(1990): Teacher Education and The New Education Policy : A Closer Look, in India Year Book on Teacher Education. Sterling Pub. Pvt. Ltd. New Delhi, C.L. Kundu (ed) p87.
23. Koul, Lokesh (1990): Continuing Education (Inservice Education) of Teacher / Teacher Educators, in Teacher Education in India, Abid p263.
24. National Council for Teacher Education 1978: Teacher Education Curriculum: A framework NCERT, New Delhi.
25. Raina V.K. (1988): Restructuring Pre-service Teacher Preparation Courses, In India Year Book on Teacher Education, C.L.Kundu (ed.) Sterling pub. Ltd. New Delhi, p 370.

26. Singh R.P. (1988) : Teacher Education: Status and Issues, In Indian Year Book on Teacher Education, C.L. Kundu (ed.) sterling publishers Pvt. Ltd. New Delhi 41

27. Shah M.M. (1988): Standing Issues and Problem in Teacher Education - in C.L. Kundu abid p.70

ISBN - 13/978-81-8496-024-2